16th August, 1988

अष्टम माला, खंड 40, अंक 6

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

ग्यारहवां सत्र

(आठवीं लोक सभा)

(खण्ड 40 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

मंगलवार, 16 अगस्त, 1988/25 श्रावण, 1910 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
11	17	"कल्पलाथ राय" के स्थान पर "कल्पनाथ राय" पढ़िये ।
22	7	"दिनेश नोस्वामी" के स्थान पर "दिनेश गोस्वामी" पढ़िये ।
64	15	"ब्रदह्म दत्त" के स्थान पर "ब्रह्म दत्त" पढ़िये ।
105	3	"एल0के0एल0 भगत" के स्थान पर "एच0के0एल0 भगत" पढ़िये ।
107	6	"क्ला" के स्थान पर "क्या" पढ़िये ।
112	नीचे से 13	"प्रोद्यगिकिया" के स्थान पर "प्रौद्योगिकियां" पढ़िये ।
166	नीचे से 11	"उत्तर देश" के स्थान पर "उत्तर प्रदेश" पढ़िये ।
188	1	"दौरार" के स्थान पर "दौरान" पढ़िये ।
219	8	"बी0एच0 बसवराजू" के स्थान पर "जी0एस0 बासवराजू" पढ़िये ।
240	9	भृह मंत्रालय" के स्थान पर "गृह मंत्रालय" पढ़िये।

विषय-सूची

अष्टम माला, खंड 41, ग्यारहवां सत्र, 1988/1910 (शक)

अंक 14, मंगलवार, 16 अगस्त, 1988/25 श्रावण, 1910 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	1—23
*तारांकित प्रश्न संख्या : 264, 266, 268, 269, 271 से 274 और 277	
प्रश्नों के लिखित उत्तर	23—233
तारांकित प्रश्न संख्या : 265, 267, 270, 275, 276, 278 और 280 से 283	23—33
अतारांकित प्रश्न संख्या : 2730 से 2735, 2737 से 2771, 2773 से 2849, 2851 से 2882, 2884 से 2897, 2899 से 2925 और 2927 से 2963	33—230
सभा पटल पर रखे गए पत्र	233—234
राज्य सभा से संदेश	234
भ्रष्टाचार संशोधन विधेयक—	235
राज्य सभा द्वारा संशोधनों सहित लौटाये गये रूप में सभा पटल पर रखा गया	
नियम 377 के अधीन मामले	235—239
(एक) खनन के लिए कोयलाधारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम के अधीन भूमि अर्जित करने के बजाय भूमि अर्जन अधिनियम के अंतर्गत भूमि अर्जित करने के लिए और कोयलाधारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम में संशोधन करने के लिए राज्यों की मांग पर विचार करने की आवश्यकता	
श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही	235
(दो) राष्ट्रीय संग्रहालय प्राधिकरण द्वारा सोवियत संघ में भारत महोत्सव में प्रदर्शन के लिए उड़ीसा के संग्रहालयों से किराये पर ली गई मूर्तियों को लौटाने में हुए विलम्ब के बारे में जांच पड़ताल करने की मांग	
श्रीमती जयन्ती पटनायक	236

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित † चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
(तीन) बिहार में सम्बलपुर स्थित अशोक पेपर मिल में उत्पादन आरम्भ किए जाने की मांग	
श्री राम बहादुर सिंह	236
(चार) गुजरात में हाल ही में परिवर्तित तीव्र/अतितीव्र रैलगाड़ियों के अधिक हाल्ट बनाए जाना	
डा० ए० के० पटेल	237
(पांच) जोधपुर और जैसलमेर क्षेत्र में रेल पटरियों से रेत न हटाए जाने में रेल विभाग की लापरवाही, जिसके कारण अनेक रेलगाड़ियां रद्द की गईं, के बारे में जांच किए जाने की मांग	
श्री वृद्धि चन्द्र जैन	237
(छः) महिलाओं के सम्मान की रक्षा करने के लिए उपाय किए जाना	
श्रीमती ऊषा रानी तोमर	238
(सात) इलैक्ट्रोपेथी चिकित्सा पद्धति को सरकार द्वारा मान्यता दिए जाने की मांग	
डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी	238
(आठ) रक्त बैंकों को दिए जाने वाले रक्त की गुणवत्ता की जांच करने के लिए दिशानिर्देश निर्धारित किए जाने की मांग	
श्री विजय एन० पाटिल	239
नियम 193 के अधीन चर्चा	239—295
देश के विभिन्न भागों में हरिजनों और आदिवासियों पर अत्याचार	
श्री महाबीर प्रसाद यादव	240
श्री अमर रायप्रधान	243
श्री रामस्वरूप राम	247
श्री बसुदेव आचार्य	252
श्री के० एस० राव	254
श्री तम्पन थामस	257
श्री बापूलाल मालवीय	259
श्री मोतीलाल सिंह	261
श्रीमती गीता मुखर्जी	263
श्री हरीश रावत	265

विषय	पृष्ठ
श्रीमती ऊषा ठक्कर	268
सरदार बूटा सिंह	269
श्री जगन्नाथ पटनायक	274
चौधरी सुन्दर सिंह	277
श्री पीयूष तिरकी	279
डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी	282
राष्ट्रीय सुरक्षा (संशोधन) अध्यादेश का निरनुमोदन करने के बारे में सांविधिक संकल्प	295—316
और	
राष्ट्रीय सुरक्षा (संशोधन) विधेयक	
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्रीमती गीता मुखर्जी	296
सरदार बूटा सिंह	297
श्री बसुदेव आचार्य	298
श्री शांताराम नायक	300
श्री अजीज कुरेशी	302
श्री सैयद शाहबुद्दीन	305
श्री के० डी० सुल्तानपुरी	308
श्री अताउर्रहमान	310
श्री वृद्धि चंद्र जैन	311
श्री पीयूष तिरकी	313
श्री योगेश्वर प्रसाद योगेश	314
कार्य-मंत्रणा समिति	316
57वां प्रतिवेदन	

लोक सभा

मंगलवार, 16 अगस्त, 1988/25 श्रावण, 1910 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

पोलिएस्टर स्टेपल फाइबर का उत्पादन और मांग

[अनुवाद]

*264. श्री चिन्तामणि जेना† :
श्री मोहनभाई पटेल :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र में अब तक स्थापित की गई पोलिएस्टर स्टेपल फाइबर परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक परियोजना की उत्पादन क्षमता क्या है;

(ख) देश में पोलिएस्टर स्टेपल फाइबर की अनुमानतः कितनी मांग है;

(ग) क्या मांग को पूरा करने के लिए पोलिएस्टर स्टेपल फाइबर का आयात किया जा रहा है, और यदि हां, तो प्रति वर्ष कितनी मात्रा में और कितने मूल्य का पोलिएस्टर स्टेपल फाइबर आयात किया जाता है;

(घ) क्या देश की मांग को पूरा करने के लिए सरकार का पोलिएस्टर स्टेपल फाइबर का उत्पादन बढ़ाने हेतु निकट भविष्य में इसके और अधिक एककों की स्थापना का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

(ख) चालू वर्ष के लिए पालिस्एटर स्टेपल फाइबर की अनुमानित मांग 1,10,000 टन प्रतिवर्ष है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) फिलहाल पालिएस्टर स्टेपल फाइबर के विनिर्माण के लिये कोई नया आशय पत्र स्वीकृत करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

क्रम सं०	एकक का नाम	स्थान	क्या सरकारी/गैर-सरकारी/संयुक्त क्षेत्र है	अधिष्ठापित क्षमता (टन/प्रति वर्ष)
1.	मै० अहमदाबाद एम० एफ० जी० एण्ड केलिको प्रिंटिग कंपनी, बड़ौदा	गुजरात	गैर-सरकारी	7,968
2.	मै० बोंगाईगांव रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लि०, बोंगाईगांव	आसाम	सरकारी	30,000
3.	मै० इंडियन एक्सप्लोसिव्स लि०, बम्बई	महाराष्ट्र	गैर-सरकारी	10,000
4.	मै० इंडियन आर्गेनिक केमिकल्स लि०, बम्बई	तमिलनाडु	गैर-सरकारी	30,000
5.	मै० इंडिया पालिफाइबर्स लि०, लखनऊ	उत्तर प्रदेश	संयुक्त क्षेत्र	15,000
6.	मै० जे० के० सिन्थेटिक्स लि०, नई दिल्ली	राजस्थान	गैर-सरकारी	22,000
7.	मै० उड़ीसा सिन्थेटिक्स लि०, भुवनेश्वर	उड़ीसा	संयुक्त क्षेत्र	15,000
8.	मै० रिलायन्स इण्डस्ट्रीज लि०, बम्बई	महाराष्ट्र	गैर-सरकारी	45,000
9.	मै० स्वदेशी पालीटेक्स लि०, गाजियाबाद	उत्तर प्रदेश	गैर-सरकारी	12,000
			योग	186,968

श्री चिन्तामणि जेना : मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि

सम्पूर्ण स्थापित क्षमता तथा उपयुक्त हो रही सम्पूर्ण क्षमता में काफी अन्तर है ? यदि हाँ, तो इसका क्या कारण है ? मैं जानना चाहता हूं कि क्या स्थापित क्षमता का 50 प्रतिशत भी उपयोग में नहीं लाया जा रहा है ? दूसरी ओर वह कह रहे हैं कि फाइबर उद्योगों और मिश्रित, कताई तथा सूती कपड़ा उद्योगों द्वारा कम मात्रा में माल लेने से वे अपनी पूर्ण क्षमता के अनुसार उत्पादन नहीं कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि उत्पादन के लिए पूर्ण क्षमता का उपयोग करने तथा काफी हद तक फाइबर के मूल्यों में कमी करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है क्योंकि इस वृद्धि के बारे में कम्पनी मामलों के विभाग के महानिदेशक ने भी सरकार को सूचित किया है ?

श्री जे० वेंगल राव : मैं इस प्रश्न को नहीं समझ सकता लेकिन फिर भी मैं इसका उत्तर दूंगा।···(व्यवधान)···

पहले ही नौ एकक 186,000 टन उत्पादन कर रहे हैं। हमारी इस वर्ष की मांग केवल एक लाख टन है। इस वर्ष हम 66,000 टन निर्यात कर रहे हैं। पिछले वर्ष ही हमने 5,000 टन निर्यात किया था। अभी तक हम 10,000 टन निर्यात कर चुके हैं। महोदय, अभी काफी मात्रा बची हुई है।

श्री चिंतामणि जेना : महोदय, मेरे दूसरे अनुपूरक प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : दूसरा अनुपूरक प्रश्न अब आ रहा है। वह इसका उत्तर पहले कैसे दे सकते हैं।

श्री चिंतामणि जेना : मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या कम्पनी मामलों के विभाग में जांच तथा पंजीकरण महानिदेशक ने सरकार को सूचित किया है कि उद्योगों द्वारा निर्धारित मूल्य उचित नहीं हैं ? यदि हां, तो सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही है ताकि मूल्यों में कमी हो और उद्योग अपनी पूर्ण आवश्यकताओं के लिए इसका उपयोग कर सकें ?

श्री जे० वेंगल राव : आप यह अच्छी तरह से जानते हैं कि हाल ही के बजट में सीमा-शुल्क में कमी हर मामले में 25 रुपये से 15 रुपये थी। इसीलिए अब मूल्य उपयुक्त हैं। अब अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य भी हाल में बढ़े हैं यही वजह हैं, कि हमारे देश में मूल्य बढ़े है।

डा० दत्ता सामंत : माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि देश में इस फाइबर की मांग में कमी हुई है। इसके विपरीत पिछले बजट में उन्होंने पोलिएस्टर फाइबर तथा फिलामेंट पर 30 रुपये प्रति किलोग्राम की छूट दी है। रिलायंस आदि इन सभी बड़े निर्माताओं के लिए यह लगभग 700 करोड़ रुपये मूल्य है। यहां यह कहा गया था कि उपभोक्ताओं को इसी तुलना में ये रियायतें प्राप्त होंगी। इस संबंध में यदि ये सभी रियायतें उपभोक्ता को दे दी जाती हैं तो पोलिएस्टर की एक साड़ी के मूल्य में 10 रुपये की कमी तो अवश्य ही होनी चाहिए। अतः सरकार द्वारा दी गई रियायतें ग्राहकों को नहीं दी गई हैं। यह बात मंत्री महोदय तथा सचिव ने भी कही है। इन सभी तथ्यों को देखते हुए मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार स्थिति का अध्ययन करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि ये रियायतें गरीब उपभोक्ताओं को प्राप्त हों, और मांग में भी वृद्धि हो क्योंकि गरीब आदमी पोलिएस्टर का उपयोग करता है।

श्री जे० वेंगल राव : इन रियायतों की वजह से ही मांग 1985-86 में 40,000 टन से बढ़

कर 1987-88 में 88,000 टन हो गई है। इस वर्ष हमें 1,10,000 टन मांग की अपेक्षा है। सरकार की इच्छा है कि ये रियायतें वास्तविक उपभोक्ता के पास जानी चाहिए।

डा० दत्ता सामंत : मंत्री महोदय तथा सचिव के वक्तव्य के बारे में क्या कहना है?

[हिन्दी]

श्री दिलीप सिंह भूरिया : अध्यक्ष महोदय, बहुत सारी कंपनियों ने पोलिएस्टर फाइबर की फैक्ट्रियां लगाने के लिए लाइसेंस लिए हैं। मध्य प्रदेश में झबुआ जिले के मेघनगर में 23 अक्तूबर, 1983 को स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने एक पोलिएस्टर फाइबर फैक्ट्री का शिलान्यास किया था, इस कंपनी ने आज तक वहां पर इंडस्ट्री नहीं लगाई है। इस तरह से कंपनियां लाइसेंस लेकर बैठ जाती हैं और इंडस्ट्रीज नहीं लगाती हैं। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्यवाही की जाती है और इंडस्ट्री को स्टार्ट करने की दिशा में क्या प्रगति हो रही है।

[अनुवाद]

श्री जे० वेंगल राव : माननीय सदस्य ने मध्य प्रदेश का उल्लेख किया है। उन्होंने आशय पत्र को कार्यान्वित नहीं किया है। हमने इसे रद्द कर दिया है। मैं यह नहीं जानता कि वहां उसकी कोई आधारशिला रखी गयी है या नहीं।

श्री तम्पन थामस : मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या वह पोलिएस्टर के निर्माण में विरोधाभास वाली समस्याओं को जानते हैं। केरल में बांस की उपलब्धि न होने तथा श्रमिक संकट के कारण मवूर रेयन फैक्ट्री बन्द पड़ी है। इसी प्रकार अनेक क्षेत्रों में पोलिएस्टर फाइबर बनाने वाले ऐसे उद्योग बन्द पड़े हैं। इसका कारण यह है कि आयात की अनुमति दी जाती है और इन्हीं पार्टियों को यह माल बाहर से मंगवाने के लिए आयात लाइसेंस दिए गए हैं, इसलिए वे यहां पर फैक्ट्रियों को बन्द रखते हैं और उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों को बाहर भेज रहे हैं। इसके साथ-साथ पोलिएस्टर फाइबर की तस्करी बढ़ रही है। पिछले वर्ष तस्करी की चीजों में पोलिएस्टर फाइबर की सबसे ज्यादा मात्रा थी। इस बारे में वित्त मंत्री की रिपोर्ट में भी कहा गया था और वाणिज्य मंत्री भी इस बारे में चिन्तित थे। मैं जानना चाहूंगा कि क्या उद्योग मंत्री यह जानते हैं और इन उद्योगों को चलाने तथा यह सामग्री अपने देश में अपनी सुविधाओं का उपयोग करके उत्पादन करने तथा आयात में भी कमी करने के लिए आप क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं?

श्री जे० वेंगल राव : महोदय, श्री तम्पन थामस द्वारा उठाया गया मुद्दा मेरे मंत्रालय से संबंधित नहीं है। यह कपड़ा उद्योग मंत्रालय से संबंधित है। उन्हें यह प्रश्न उनको सम्बोधित करना चाहिए। (व्यवधान)

श्री तम्पन थामस : महोदय, मैंने विशेष रूप से मवूर रेयन के बारे में पूछा था।

बिहार में पनबिजली उत्पादन की योजना

[हिन्दी]

*266. **प्रो० चन्द्रभानु देवी :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने बिहार में नदी के जल से पन बिजली का उत्पादन करने की कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या इस सम्बन्ध में सरकार का विशेष अध्ययन करने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा बिहार की नदियों के जल प्रवाह की जल विद्युत शक्यता के बारे में मूल्यांकन कार्य किया गया है तथा 60% भार अनुपात पर 538 मेगावाट की कुल जल विद्युत शक्यता की 23 स्कीमों का पता लगाया गया है।

प्रो० चन्द्रभानु देवी : अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि कोसी पनबिजली परियोजना से कितना बिजली का उत्पादन हो रहा है और क्या यह उत्पादन लक्ष्य के मुताबिक है। यदि उत्पादन निर्धारित लक्ष्य के अनुसार नहीं हो रहा है तो लक्ष्य प्राप्ति के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है।

श्री कल्पनाथ राय : अध्यक्ष महोदय, कोसी परियोजना की क्षमता 20 मेगावाट की है और वर्ष में करीब 15-16 मिलियन यूनिट ऊर्जा का उत्पादन इसमें होना चाहिए, परन्तु करीब 13 मिलियन यूनिट की कमी रहती है। इसका मुख्य कारण नहरों में घास और मिट्टी का जमाव है, जिससे मशीनों को चलाने के लिए पूरा पानी नहीं मिल पाता। भारत सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए एक कमेटी बनाई थी, जिसने अगस्त, 1987 में प्रतिवेदन दिया था, जिसके अनुसार इस परियोजना के सुधार हेतु 28 लाख रुपए खर्च होंगे। इस प्लांट का पुनरुद्धार किया जाना है। अभी तक बिहार सरकार द्वारा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन अपेक्षित है। यह कार्य राज्य सरकार को ही करना है, क्योंकि यह केन्द्रीय परियोजना नहीं है।

प्रो० चन्द्रभानु देवी : अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि दक्षिण बिहार में प्रस्तावित पनबिजली परियोजना के निर्माण कार्य की प्रगति क्या है और यह कार्य कब तक पूरा होने की आशा है।

श्री कल्पनाथ राय : अध्यक्ष महोदय, दक्षिण बिहार के लिए 710 मेगावाट की कोयलकोरा परियोजना केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है। साधारणतः एक पनबिजली योजना प्रारम्भ होने के बाद 7-8 वर्ष का समय पूर्ण होने में लेती है।

दिल्ली में देखे गए पाकिस्तानी कार्यक्रम

***268. श्रीमती मनोरमा सिंह :**
श्री सरफराज अहमद :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन कारणों का पता लगाया है जिनसे पाकिस्तानी टी० वी० कार्यक्रमों का, दिल्ली और देश के अन्य भागों के लिए प्रसारण संभव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रकार का हस्तक्षेप रोकने और सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों के लिए राष्ट्रीय और क्षेत्रीय कार्यक्रमों का प्रभावी प्रसारण सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

[अनुवाद]

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

जम्मू व काश्मीर, पंजाब तथा राजस्थान के अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के निकट के कुछ भागों में, सीमापार कार्यरत टी० वी० प्रेषण केन्द्रों के समीप होने के कारण, पाकिस्तानी टी० वी० सिगनल प्राप्त होते हैं। तथापि, विशेष मौसम परिस्थितियों के कारण उद्‌भूत विद्युत-चुम्बकीय तरंगों के असामान्य संचरण से चपल सिगनल कभी-कभार दूर-दराज स्थानों में प्राप्त हो जाते हैं। यह घटना, मात्र पाकिस्तानी सिगनलों के बारे में ही खास नहीं है।

देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में टी० वी० सेवा के विस्तार को प्राथमिकता दी गई है। देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में टी० वी० सेवा को सुदृढ़ करने की कई स्कीमें दूरदर्शन की सातवीं योजना में शामिल कर ली गई हैं। इन स्कीमों के कार्यान्वित होने के फलस्वरूप सातवीं योजना की विभिन्न स्कीमों के कार्यान्वित होने पर प्राप्त होने वाले 82.8 प्रतिशत के अपेक्षित राष्ट्रीय औसत की तुलना में, देश के सीमावर्ती जिलों में लगभग 86% जनसंख्या को टी० वी० सेवा सुलभ हो जाने की संभावना है।

[हिन्दी]

श्रीमती मनोरमा सिंह : अध्यक्ष महोदय, पाकिस्तान दूरदर्शन की क्षमता काफी मजबूत है जिससे सीमावर्ती राज्यों जैसे पंजाब, राजस्थान और हिमाचल में वहां के प्रोग्राम दिखाई देते हैं जबकि उनके प्रोग्राम सांस्कृतिक कार्यक्रमों से हटकर प्रपौगेंडा मैटीरियल अधिक होते हैं। पाकिस्तानी दूरदर्शन के प्रोग्राम इतने अच्छे होते हैं कि सीमावर्ती इलाकों जैसे पंजाब, हिमाचल और राजस्थान के लोग उन्हीं के प्रोग्राम देखना पसंद करते हैं। हमारे यहां के प्रोग्राम इतने अच्छे बनाने के लिए कौन-सी कार्यवाही की जा रही है जिससे वहां के प्रोग्राम न देखें। क्या प्रोग्राम इम्पलीमेंट करने के लिए कोई कमेटी बनाई है और उसमें कमेटी ने क्या निर्णय दिया है। प्रोग्राम ऐसे बनाए जाएं जिससे वहां सीमावर्ती इलाकों के लोग भारत के प्रोग्राम अधिक देखें और वहां के न देखें।

[अनुवाद]

श्री एस० कृष्ण कुमार : महोदय, सरकार जानती है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में कुछ जिले पाकिस्तान टेलीविजन तथा रेडियो सिग्नल की रेंज में आते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सिग्नल्स अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं को नहीं मानते हैं। उदाहरणतया पाकिस्तान की तरफ से पश्चिमी गुजरात, जम्मू, नेपाल की ओर से, उत्तरी भारत में कुछ क्षेत्र तथा उत्तर प्रदेश तथा बंगलादेश की तरफ से पश्चिम बंगाल के कुछ भाग टेलीविजन सिग्नल प्राप्त करते हैं क्योंकि ये जिले पाकिस्तान स्थित टेलीविजन ट्रांसमीटर के प्राथमिक संप्रेषण क्षेत्र में पड़ते हैं।

ऐसे अन्य क्षेत्र भी हैं जो 'सेकेंडरी रेंज' में पड़ते हैं, इनमें हम बहुत कमजोर सिग्नल प्राप्त करते हैं।

महोदय, हमारे सीमावर्ती क्षेत्रों में टेलीविजन सेवा तथा ट्रांसमिशन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के

लिए भारत सरकार ने 110 करोड़ रुपये का प्रावधान करके एक अत्यंत महत्वाकांक्षी कार्यक्रम प्रारम्भ किया है।

प्रो० एन० जी० रंगा : क्या परिणाम रहा है ?

अध्यक्ष महोदय : महोदय, यह और अधिक रुचिकर होना चाहिए। इससे सुधार हो सकता है।

श्री एस० कृष्ण कुमार : मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता। इसमें सभी सीमावर्ती क्षेत्रों में पूर्वोत्तर विस्तार योजना सम्मिलित है। मेरे पास जिला स्तर की जानकारी है। ट्रांसमीटरों को स्थापित किया जा रहा है। जम्मू तथा कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में ट्रांसमिशन में सुधार लाने के लिए भी एक अतिरिक्त कार्यक्रम को अभी-अभी प्रारम्भ किया गया है।

जब ये विस्तार कार्यक्रम पूर्ण रूप से कार्यान्वित हो जाएंगे तो हमारे सम्पूर्ण देश के 82 प्रतिशत औसत की तुलना में हमारे देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में हमारी आबादी की 86 प्रतिशत जनसंख्या को टी० वी० सेवा सुलभ होगी।

यह सच है कि सीमावर्ती जिलों में हमारे लोगों को पाकिस्तानी ट्रांसमिशन की सेवा उपलब्ध है, लेकिन यह भी सच है कि भारतीय ट्रांसमिशनों की सेवाएं भी बंगलादेश में चटगांव अथवा पाकिस्तान के इस्लामाबाद तथा अन्य मुख्य केंद्रों को उपलब्ध हैं। यह कहना ठीक नहीं है कि पाकिस्तानी कार्यक्रम हमारे कार्यक्रमों से बेहतर हैं। यह तो अपनी-अपनी राय है। यहां हमें पाकिस्तान से काफी संख्या में पत्र प्राप्त हुए हैं जिनमें हमारे कार्यक्रमों की प्रशंसा की गई है। हमें अपने राजदूत से भी पत्र प्राप्त हुए हैं जिनमें कहा गया है कि हमारे कार्यक्रमों का पाकिस्तान के कुछ क्षेत्रों में बहुत अच्छी तरह से देखे जाते हैं तथा उनकी प्रशंसा होती है। लोग ऊंचे एन्टीना लगाते हैं ताकि भारतीय कार्यक्रम देखे जा सकें। न सिर्फ सीमावर्ती जिलों के लिए बल्कि सम्पूर्ण देश के लिए कार्यक्रमों में सुधार एक सतत प्रक्रिया है लेकिन जहां तक सीमावर्ती जिलों का संबंध है, हम स्टूडियो स्टाफ सुविधाओं में सुधार कर रहे हैं तथा हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि इन सीमावर्ती जिलों में स्थित स्टूडियो सुविधा से युक्त सभी ट्रांसमिशन केन्द्रों में विशेष रूप से सीमावर्ती ट्रांसमिशन के लिए रचनात्मक कार्यक्रम तैयार किए जाएं।

[हिन्दी]

श्रीमती मनोरमा सिंह : क्या इसके लिए कोई एडवाइजरी कमेटी बनाई है जिसमें उस एरिया के बारे में देखभाल की जा सके ? जैसे आल इण्डिया रेडियो फौजियों के लिए कार्यक्रम बनाता है, क्या दूरदर्शन भी उसी तरह से भविष्य में फौजी भाइयों के लिए कार्यक्रम बनाने पर विचार कर रहा है, कोई योजना है ?

[अनुवाद]

श्री एस० कृष्ण कुमार : देश में कार्यक्रम तैयार करने वाले प्रत्येक ट्रांसमिशन केन्द्र की एक कार्यक्रम सलाहकार समिति है तथा सीमावर्ती ट्रांसमिशन केन्द्रों की भी कार्यक्रम सलाहकार समितियां हैं। मैं माननीय सदस्य को बता चुका हूं कि सीमापार पाकिस्तान में पहुंचने वाले सभी कार्यक्रमों को सुधारने के लिए हम विशेष ध्यान दे रहे हैं।

डा० गौरी शंकर राजहंस : देर रात्रि की फिल्मों का प्रसारण समाज के लिए अच्छा नहीं है। क्या माननीय मन्त्री महोदय इसे रोकने पर विचार करेंगे ?

कुछ माननीय सदस्य : हम सहमत नहीं हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने अवश्य ही इसे देखा होगा। अन्यथा वह कैसे जानते हैं ? अगला प्रश्न। श्री शंकर राव चव्हाण।

बड़े ताप विद्युत केन्द्रों के लिए स्थान का चयन करने सम्बन्धी समिति

*269. **श्री अशोक शंकरराव चव्हाण :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा बड़े ताप विद्युत केन्द्रों की स्थापना हेतु स्थान का चयन करने के लिये हाल ही में नियुक्त की गई समिति के सदस्यों और उसके विचारार्थ विषयों का ब्योरा क्या है;

(ख) उक्त समिति द्वारा किन स्थानों का दौरा किया गया और इसने अब तक क्या कार्य किया है; और

(ग) क्या समिति को आशा है कि वह अपनी रिपोर्ट इसके लिये निर्धारित समय, मार्च, 1989 से पूर्व प्रस्तुत कर देगी और यदि नहीं, तो इसकी रिपोर्ट सरकार को कब तक प्राप्त होने की सम्भावना है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) बड़े ताप विद्युत केन्द्रों के लिए स्थलों का चयन करने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा गठित समिति के संघटन एवं इसके विचारार्थ विषयों के बारे में ब्योरा अनुबन्ध में दिया गया है।

(ख) बड़े ताप विद्युत केंद्रों के लिए स्थलों का चुनाव करने के लिए पहले गठित की गई समिति द्वारा अप्रैल, 1976 में जिन स्थलों की सिफारिश की गई थी, उनके विकास और इन स्थलों पर और आगे कार्य किए जाने की संभाव्यता के बारे में यथास्थिति की समिति द्वारा समीक्षा की गई है। समिति द्वारा अब तक किसी स्थल का दौरा नहीं किया गया है।

(ग) जी, हां।

अनुबंध

बड़े ताप विद्युत केन्द्रों के लिए स्थलों का चयन करने हेतु समिति

क. संघटन

1.	सदस्य (ताप विद्युत), केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण	अध्यक्ष
2.	उस राज्य बिजली बोर्ड का प्रतिनिधि जिसके अधिकार-क्षेत्र में उपयुक्त स्थल स्थित है और वहां अन्वेषण कार्य चल रहे हैं।	सदस्य

3.	कोयला विभाग का प्रतिनिधि	सदस्य
4.	मैसर्स सी० एम० पी० डी० आई० एल० का प्रतिनिधि	सदस्य
5.	मैसर्स राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम का प्रतिनिधि	सदस्य
6.	रेलवे मन्त्रालय का प्रतिनिधि	सदस्य
7.	पर्यावरण, वन तथा वन्य जीवन मन्त्रालय का प्रतिनिधि	सदस्य
8.	औद्योगिक विकास विभाग का प्रतिनिधि	सदस्य
9.	योजना आयोग का प्रतिनिधि	सदस्य
10.	भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण का प्रतिनिधि	सदस्य
11.	मुख्य अभियंता (ताप विद्युत) (आयोजना), केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण	सदस्य-सचिव

ख. विचारार्थ विषय

समिति के विचारार्थ विषय नीचे दिये अनुसार हैं :—

(i) जनवरी, 1973 में गठित की गई स्थल चयन समिति द्वारा सिफारिश किए गए स्थलों के विकास की स्थिति की समीक्षा करना और विद्यमान स्थलों पर विस्तार परियोजनाएं स्थापित करने की संभाव्यता का पता लगाना; और

(ii) देश के विभिन्न क्षेत्रों में बड़े ताप विद्युत केंद्र स्थापित करने के लिए नए उपयुक्त स्थलों का पता लगाना। इस बारे में सम्बन्धित तकनीकी-आर्थिक पहलुओं को ध्यान में रखा जाना अपेक्षित है, जिनमें ये शामिल हैं :—

(क) विद्युत के लिए उपयुक्त गुणवत्ता वाले कोयले की उपलब्धता तथा इसके परिवहन की व्यवस्था;

(ख) जल की सप्लाई के स्रोतों की उपलब्धता;

(ग) विद्युत संयंत्र तथा राख के निपटान आदि के लिए भूमि की उपलब्धता;

(घ) स्थलों की भू-वैज्ञानिक दृष्टि से उपयुक्तता, भूमि संबंधी परिस्थितियां और बाढ़ संबंधी परिस्थितियां;

(ङ) पर्यावरण संबंधी पहलू; और

(च) भार केंद्रों को विद्युत की सप्लाई।

श्री अशोक शंकरराव चव्हाण : महोदय, सी० ई० ए० द्वारा बताए गए अनुसार महाराष्ट्र में विद्युत की स्थिति यद्यपि इस समय संतोषजनक है, परन्तु इसमें सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 1200 मेगावाट और आठवी पंचवर्षीय योजना में 1400 मेगावाट की कमी होने की संभावना है। यदि ऐसा है तो ऐसी स्थिति उत्पन्न न होने देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? महाराष्ट्र में ऐसे कौन-से स्थान हैं जहां बड़े और नए विद्युत ताप केन्द्र स्थापित किए जाएंगे?

श्री कल्पनाथ राय : भारत सरकार ने सातवीं पंचवर्षीय योजना में 3000 मेगावाट विद्युत उत्पादन की मंजूरी दी है और अब महाराष्ट्र में विद्युत की कमी नहीं है और आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए हमने 3000 मेगावाट की मंजूरी दी है। अतः आगे भी कमी नहीं होगी।

श्री अशोक शंकरराव चव्हाण : महाराष्ट्र को गैस का उचित हिस्सा नहीं मिल रहा है जो बम्बई हाई में उपलब्ध होता है। मैं इस प्रश्न को विद्युत उत्पादन से जोड़ना चाहूंगा। विद्युत संयंत्रों के लिए गैस उपलब्ध कराये जाने के संबंध में महाराष्ट्र सरकार द्वारा काफी समय से मांग की जा रही है। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि विद्युत ताप केन्द्रों के मामले में पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों के डर के कारण और विशेषतः बागवानी के संबंध में, जनता इसका विरोध कर रही है। क्या केन्द्र सरकार गैस पर आधारित विद्युत संयंत्रों को स्थापित करने के लिए महाराष्ट्र सहित बहुत से अन्य राज्यों के बहुत से प्रस्तावों की जांच कर रही है?

श्री कल्पनाथ राय : भारत सरकार ने स्थानों के चयन के लिए एक समिति नियुक्त की है। यह समिति 30 मार्च, 1989 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी जिसके आधार पर सरकार महाराष्ट्र की समस्या पर विचार करेगी और भारत सरकार महाराष्ट्र में गैस पर आधारित विद्युत संयंत्रों को शामिल करने पर विचार कर रही है।

श्री अशोक शंकरराव चव्हाण : महोदय, मैं समझता हूं कि उत्तर ठीक ढंग से नहीं दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक है।

प्रो० मधु दण्डवते : माननीय सदस्य ने एक प्रश्न पूछा और माननीय मंत्री ने यह उत्तर दिया कि महाराष्ट्र में विद्युत उत्पादन में कोई कमी नहीं है। यदि माननीय सदस्य के पिता जी यहां उपस्थित होते तो वह वास्तव में उनके उत्तर से हुई भ्रांति को बता सकते थे। (व्यवधान) माननीय सदस्य ने सही प्रश्न पूछा और मैं मुख्यमंत्री के दावे को उद्धृत करूंगा जो माननीय मंत्री महोदय द्वारा कही गई बातों से एकदम विपरित है। महाराष्ट्र में कोंकण तटीय क्षेत्र जैसे पिछड़े इलाकों के विकास के लिए भारत एल्यूमीनियम परियोजना, सार्वजनिक क्षेत्र यूनिट, को स्थापित किए जाने की योजना थी। यह बहुत पहले प्रस्तावित की गई थी। इसे शुरू नहीं किया गया और संभवतः इसका इरादा छोड़ दिया गया है। भूतपूर्व मुख्य मंत्रियों ने इसके लिए बार-बार विद्युत आपूर्ति के पर्याप्त साधनों की मांग की। भूतपूर्व मुख्य मंत्रियों ने बार-बार हमें बताया और श्री साठे द्वारा, जो इस मंत्रालय के प्रभारी हैं, इस बात की पुष्टि की गई कि एल्यूमीनियम सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजना के लिए अपेक्षित बिजली की मात्रा बहुत अधिक है और क्योंकि महाराष्ट्र पर्याप्त विद्युत आपूर्ति के लिए साधन जुटाने में समर्थ नहीं है इसलिए यह परियोजना स्थापित नहीं की जा सकती। मैं इस दलील विशेष को इसलिए पेश कर रहा हूं ताकि आपको यह पता लग सके कि आपके उत्तर गलत हैं। महाराष्ट्र में विद्युत की पर्याप्त आपूर्ति नहीं है और इसीलिए मैं माननीय सदस्य द्वारा आरंभ में पूछे गए प्रश्न को फिर से उठाता हूं। क्या आप कोंकण क्षेत्र के पिछड़े इलाकों में, जहां काफी मात्रा में वर्षा होती है, हाइड्रो इलैक्ट्रिक विद्युत उत्पादन जैसे विद्युत उत्पादन के सभी स्रोतों की खोज करने के लिए पर्याप्त कदम उठाएंगे और आप सुनिश्चित करेंगे कि महाराष्ट्र में विद्युत आपूर्ति की अपर्याप्तता समाप्त हो?

श्री कल्पनाथ राय : जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा हैं, विद्युत की कुछ कमी तो देश के सभी भागों में है। विद्युत की कमी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने महाराष्ट्र के लिए पहले

ही 3000 मेगावाट विद्युत की मंजूरी देने का निर्णय किया है और इससे महाराष्ट्र की समस्या का समाधान हो जाएगा। माननीय सदस्य द्वारा जो भी सुझाव दिए गए हैं सरकार उन पर विचार करेगी।

श्री भट्टम श्रीराम मूर्ति : आन्ध्र प्रदेश के लिए कौन-कौन से स्थान सुझाए गए हैं ? क्या विशाखापत्तन को भी शामिल किया गया है ?

श्री कल्पनाथ राय : इसका इस प्रश्न से कोई संबंध नहीं है।

कच्छ की खाड़ी में ज्वार-उर्जा परियोजना

*271. श्री उत्तम भाई ह० पटेल‡ :

श्रीमती पटेल रमाबेन रामजीभाई मावणि :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कच्छ की खाड़ी में ज्वार-ऊर्जा परियोजना के लिए तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने परियोजना पर पूंजीनिवेश के संबंध में निर्णय ले लिया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ङ) प्रस्तावित परियोजना के कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, हां।

(ख) रिपोर्ट में 900 मेगावाट की क्षमता प्रतिष्ठापित किए जाने की परिकल्पना की गई है, जिसमें 25-25 मेगावाट के 36 यूनिट शामिल हैं तथा इनसे वर्ष में 1690 मेगावाट आवर (मिलियन यूनिट) विद्युत का उत्पादन होगा। प्रतिष्ठापना की लागत तथा ऊर्जा उत्पादन की लागत क्रमशः 14550 रुपए/किलोवाट तथा 0.90 रुपए/यूनिट होने का अनुमान लगाया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) परियोजना को चार सोपानों में क्रियान्वित किए जाने का प्रस्ताव है। तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता संबंधी अध्ययन कार्य पूरा किए जाने के साथ-साथ प्रथम दो सोपानों का कार्य भी पूरा कर लिया गया है। तृतीय सोपान के अन्तर्गत डिजाइन तथा निर्माण संबंधी कार्यों का विस्तृत ब्यौरा और ठेके से संबंधित कागजात तैयार करने का कार्य हाथ में लिया जाएगा। चौथे सोपान में परियोजना का निर्माण कार्य किया जाएगा।

(ङ) निवेश संबंधी निर्णय लिए जाने तथा डिजाइन एवं निर्माण संबंधी कार्यों का विस्तृत ब्यौरा तैयार कर लिए जाने के पश्चात परियोजना को क्रियान्वित किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री उत्तम भाई ह० पटेल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न के "ई" भाग के

उत्तर में कहा है कि निवेश संबंधी निर्णय लिए जाने तथा डिजाइन एवं निर्माण संबंधी कार्यों का विस्तृत ब्यौरा तैयार कर लिए जाने के पश्चात् परियोजना को क्रियान्वित किया जाएगा, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह कार्य कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है और प्रस्तावित परियोजना कब तक कार्यान्वित कर दी जाएगी।

[अनुवाद]

श्री कल्पनाथ राय : महोदय, सर्वेक्षण हो रहा है और इसे योजना के अनुसार ही किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री उत्तम भाई ह० पटेल : अध्यक्ष महोदय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न "घ" के उत्तर में बताया है कि "परियोजना को चार सोपानों में क्रियान्वित किए जाने का प्रस्ताव है। तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता सम्बन्धी अध्ययन कार्य पूरा किए जाने के साथ-साथ प्रथम दो सोपानों का कार्य भी पूरा कर लिया गया है।" यह स्पष्ट नहीं है, समझ में नहीं आया है। इसलिए इस बारे में क्या स्थिति है स्पष्ट बताएं ?

[अनुवाद]

श्री कल्पनाथ राय : महोदय, कच्छ की खाड़ी में प्रथम बार ज्वार-भाटा विद्युत उत्पादन पर विचार किया जा रहा है। देश में 3 स्थानों पर यू० एन० डी० पी० के विशेषज्ञों द्वारा सन् 1975 में 9000 मेगावाट की क्षमता की खोज की गई है। इसमें से लगभग 7000 मेगावाट गुजरात में केम्बे की खाड़ी में थी और 1000 मेगावाट कच्छ की खाडी में थी। इसके अतिरिक्त बहुत छोटे यूनिट की पश्चिम बंगाल में सुन्दरबन में भी क्षमता मिली है। वर्तमान में केवल फ्रांस में ही 240 मेगावाट का ज्वार-भाटा विद्युत संयंत्र है। इस आधार पर भारत सरकार कच्छ की खाड़ी के लिए अध्ययन की संभावना पर विचार कर रही है और इससे यह पता चला है कि ज्वार-भाटा विद्युत की अधिष्ठापन और उत्पादन लागत वर्तमान कोयला गैस पर आधारित ताप विद्युत संयंत के लगभग बराबर है। इसके अतिरिक्त परियोजना से अतिरिक्त आप्लावन नहीं होगा और इससे पुर्नवास की समस्या भी उत्पन्न नहीं होगी। फिलहाल सरकार केवल कच्छ की खाड़ी पर ही ध्यान दे रही है। अन्य स्थानों के संबंध में कोई खोज किया गया है।

[हिन्दी]

श्रीमती उषा ठक्कर : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह प्रश्न इसी सदन में कई बार पूछा है, जब मैं पूछती हूं, तो मुझे बताया जाता है कि सर्वेक्षण कार्य चल रहा है और जल्दी ही काम शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी तक कोई काम शुरू नहीं हुआ है। इसी सम्बन्ध में मैंने पिछले बजट सत्र में भी पूछा था, तो तत्कालीन मंत्री महोदय ने मुझे बताया था कि 89 में काम शुरू हो जाएगा, तो मैं माननीय मंत्री जी से अब यह जानना चाहती हूं कि ज्वार ऊर्जा (टाइटल इनर्जी) का सर्वेक्षण क्या कच्छ में चल रहा है या नहीं और कच्छ ज्यादा तापमान होने से वहां पर इसकी ज्यादा संभावनाएं हैं, तो इस बात को दृष्टिगत रखते हुए क्या प्रगति हुई है ?

[अनुवाद]

श्री कल्पनाथ राय : महोदय, ये दो ज्वार-भाटा विद्युत परियोजनाएं कच्छ और केम्बे में स्थित

हैं। तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की जा रही है और इसके बाद इस पर निवेश संबंधी निर्णय लेने पर विचार किया जाएगा। तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति के बाद डिजाइन बनाने के ब्यौरे और निमार्ण संबंधी आंकड़ों से संबंधित अगले चरण को लिया जाएगा। इसमें दो वर्ष लगेंगे। परियोजना को इन सभी मामलों के पूरा हो जाने के बाद ही हाथ में लिया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री शांति लाल पुरुषोत्तम भाई पटेल : अध्यक्ष जी, ज्यादातर योजनाएं कागज पर ही बनाई जा रही हैं, जो योजनाएं बनाई गई हैं, उनमें कितनी योजना पूरी हुई हैं और उनका निर्माण कार्य कब तक शुरू हो जाएगा, मंत्री यह बताने का कष्ट करें ?

अध्यक्ष महोदय : यह तो बता दिया है कि प्रोसैस में है।

श्री शांति लाल पुरुषोत्तम भाई पटेल : अध्यक्ष जी, मैं यह जानना चाहता हूं कि प्रोसैस में है तो कब तक पूरा हो जाएगा और निर्माण कार्य कब शुरू होगा ?

[अनुवाद]

श्री कल्पनाथ राय : महोदय, जब तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी तो सरकार इसे वित्तीय स्वीकृति के लिए भेजेगी।

डा० कृपासिंधु भोई : अध्यक्ष महोदय, यदि हम अपने देश में इस प्रकार की ज्वार-भाटा विद्युत परियोजना शुरू कर सकें तो यह एक मील का पत्थर साबित होगा। जहां तक मुझे जानकारी है तमिलनाडु विद्युत बोर्ड के डा० चुंघलिंगम् ने सर्वप्रथम वहां पायलट संयंत्र की शुरूआत की थी। मैं वर्तमान स्थिति जानना चाहूंगा। क्या मंत्रालय ने वहां किसी पायलट संयंत्र को स्वीकृति दी है ? यदि हां तो उस परियोजना का नाम क्या है; इसके डिजाइन पैरामीटर क्या हैं और इस ज्वार-भाटा विद्युत परियोजना के लिए किन-किन रसायनों की आवश्यकता पड़ेगी ? क्या पाइलट संयंत्र का अध्ययन पहले कर लिया गया है, क्या तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट के अनुसार आर्थिक पक्ष ताप-विद्युत उत्पादन और हाइड्रो-इलैक्ट्रिक उत्पादन की तुलना की जा सकता है ? सबसे पहले इस तथ्य को स्पष्ट किया जाना चाहिए केवल तभी हम इस परियोजना को प्राथमिकता आधार पर क्रियान्वित कर सकते हैं।

श्री कल्पनाथ राय : गुजरात के पश्चिमी तट पर कच्छ की खाड़ी और केम्बे की खाड़ी को तथा पश्चिम बंगाल में पूर्वी तट पर सुन्दरबन में गंगा के डेल्टा को ज्वार-भाटा विद्युत विकास के लिए संभाव्य स्थल पाया गया है। भारत में ज्वार-भाटा विद्युत की सारी संभावनाओं को निर्धारित करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है···

डा० कृपासिंधु भाई : क्या भारत में कोई पायलट संयंत्र लगाया गया है या नहीं, क्या डिजाइन पैरामीटर संतोषजनक हैं और क्या अपेक्षित रासायनिक अवयव प्राप्त कर लिए गए हैं क्योंकि हमारी भौगोलिक-राजनीतिक स्थिति भिन्न है ?

श्री कल्पनाथ राय : जी नहीं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह नहीं किया जा रहा है।

श्री कल्पनाथ राय : महोदय, कुछ भी नहीं किया गया है।

प्रो० मधु दण्डवते : आप उसे इस बात का विश्वास दिला सकते हैं कि कुछ भी नहीं किया जाएगा।

दिल्ली में टेलीफोन व्यवस्था

[हिन्दी]

*272. श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में टेलीफोन व्यवस्था की आयोजना संतोषजनक है;

(ख) यदि हां, तो इस बात का क्या कारण है कि कुछ क्षेत्रों में टेलीफोन प्रतीक्षा सूची 2 से 4 वर्ष तक पुरानी है जबकि कुछ अन्य क्षेत्रों में यह दस से पंद्रह वर्ष पुरानी है; और

(ग) दिल्ली में टेलीफोन व्यवस्था की आयोजना में सुधार के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

दिल्ली में सामान्य श्रेणी के अंतर्गत टेलीफोन पाने के लिए लगभग 9 वर्ष का समय लग जाता है। और यही स्थिति शाहदरा जैसे छोटे मार्केट की भी है। उपस्कर तथा बाह्य संयंत्र की सीमित उपलब्धता और निवेश योग्य संसाधनों की कमी के कारण विभिन्न क्षेत्रों की प्रतीक्षा सूची के निपटान में अंतर पड़ जाता है।

उपर्युक्त कारणों के फलस्वरूप, दिल्ली जैसे मल्टी-एक्सचेंज क्षेत्र में एक दूसरे एक्सचेंज की निपटान की तारीखों में काफी भिन्नता होना स्वाभाविक है। चूंकि टेलीफोन एक्सचेंज प्रायः बड़ी यूनिटों (सामान्यतया 10,000 लाइनों की यूनिट) में संस्थापित किए जाते हैं, इसलिए कुछ क्षेत्रों में उन आवेदकों को भी टेलीफोन मिल जाने की संभावना रहती है जिन्होंने अपेक्षाकृत बाद में आवेदन किया होता है। एक एक्सचेंज से दूसरे एक्सचेंज में क्षेत्र अंतरित करके सभी क्षेत्रों में प्रतीक्षा सूची को बराबर रखने के लिए हमेशा प्रयास किए जाते हैं लेकिन इस कार्य को सीमित ढंग से किया जाना होता है ताकि टेलीफोन नंबरों में बार-बार परिवर्तन न करना पड़े।

दिल्ली टेलीफोन ने एक विकास योजना तैयार की है ताकि सातवीं योजना के अंत तक अधिकांश सभी क्षेत्रों में प्रतीक्षा की अवधि को घटाकर 3-1/2 वर्ष और बाद में आठवीं योजना के अंत तक उत्तरोत्तर एक वर्ष कर दिया जाए बशर्ते कि इसके लिए सामग्री और वित्तीय संसाधन उपलब्ध हों।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, जो हाल दिल्ली में टेलीफोन्स का है, वही हाल मंत्री जी के जवाब का भी है। एक फर्क जरूर हुआ है कि अखबारों में जो एडवर्टाइजमेंट दिया गया है उसमें वेटिंग लिस्ट 14, 15 साल दिखाई गई है लेकिन मंत्री जी के आने के बाद वह वेटिंग लिस्ट घटकर 9 साल रह गई है। यह बहुत बड़ा फर्क है दोनों में।

आज दिल्ली में टेलीफोन्स की हालत बहुत खराब है और मैं नहीं समझता कि दिल्ली के टेलीफोन सिस्टम को ठीक करने की ढंग से कोई प्लानिंग की गई है। एक एरिये में वेटिंग लिस्ट 15 साल की है, दूसरे में दो साल की है और तीसरे में करंटेली एप्लाई करने वालों को आप टेलीफोन दे रहे हैं, मैं नहीं समझता कि आपकी यह प्लानिंग क्या है। आप कनाट प्लेस और तीसहजारी में तो एक साल की वेटिंग लिस्ट पर टेलीफोन दे रहे हैं और शाहदरा में यह 15 साल की वेटिंग लिस्ट है और राघूपैलेस एक्सचेंज एरिया में 8, 9 साल की है और दिल्ली गेट में यह 10 साल की है। मेरी समझ में नहीं आता कि यह प्लानिंग आपकी क्या है ? मैं जानना चाहता हूं कि किस तरह आप इलाकों को बांटकर इस सिस्टम को एक करेंगे ? अगर फर्क हो तो साल, 6 महीने का होना चाहिए।

जैसा आपने अपने जवाब में कहा है

[अनुवाद]

उपस्कर तथा बाह्य संयंत्र की सीमित उपलब्धता के कारण

[हिन्दी]

जहां आपकी प्लान में शार्टेज नहीं है वहां तो आप हाथ की हाथ टेलीफोन दे रहे हैं, क्या वजह है कि यमुनापार में यह वेटिंग लिस्ट 9 साल है ? आपकी प्लानिंग में किस चीज की परेशानी है, इसका मैं जवाब चाहता हूं ?

संचार मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह) : यह बात सही है कि हर क्षेत्र में अलग-अलग स्थिति है। किसी क्षेत्र में एक्सचेंज की क्षमता ज्यादा है, वहां पर प्राबलम उतनी ज्यादा नहीं, है लेकिन किसी एरिया में ज्यादा आबादी बढ़ गई है, लोगों की डिमांड बढ़ी है और वहां एक्सचेंज की क्षमता कम है, वहां प्राबलम है। कुछ एरिया ऐसे हैं, जहां काफी विलम्ब होने की संभावना है।

जब यह निगम बना था, उस समय वेटिंग लिस्ट 20 साल थी और निगम बनने के बाद यह वेटिंग लिस्ट 9 साल आ गई। हमारा प्रयास है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक हम इसे साढ़े तीन बरस ले जाएंगे और आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक एक साल तक ले जाने का प्रयास होगा। जहां इस समय कमी है, वहां हम प्रयास कर रहे हैं कि एक्सचेंज की क्षमता बढ़ाई जाए और जहां पुराने एक्सचेंज हैं, जो खराब हो गए हैं; हालत अच्छी नहीं है, काम ठीक नहीं कर रहे हैं, उनको बदलने की बात है, यह सब हम कर रहे हैं।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल : आपके जवाब से मैं नहीं समझ पाया, मैं जानना चाहता हूं कि क्या आपने किसी आफीसर की रिस्पोंसिब्लिटी फिक्स की है कि आप दिल्ली को किस तरह से हिस्सों में बांटें। अभी किसी हिस्से में वेटिंग लिस्ट 20 साल है और किसी में एक, साल यह आपकी लैक ऑफ प्लानिंग है।

अध्यक्ष महोदय : इसका जवाब तो दे दिया।

एक माननीय सदस्य : आबादी बढ़ रही है, यह कहा है।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल : आबादी बढ़ने से इसका कोई ताल्लुक नहीं है है। मेरा दूसरा सवाल यह है कि आपने कहा कि 7वीं पंचवर्षीय योजना के अन्दर आप यह कोशिश कर रहे हैं कि यह वेटिंग लिस्ट घटकर साढ़े तीन साल रह जाए। सातवीं योजना का आधा समय तो पूरा हो चुका है

अब सिर्फ डेढ़ साल बचा है, मैं जानना चाहता हूं कि बाकी डेढ़ साल में आप कैसे इसको साढ़े तीन साल कर देंगे, जबकि वेटिंग लिस्ट 10 साल की है ?

श्री वीर बहादुर सिंह : मान्यवर, हम कुछ नई लाइनें बढ़ा रहे हैं कैपुसिटी बढ़ा रहे हैं और कुछ नये एक्सचेंज भी लगा रहे हैं। हमारे पास जो इस समय प्लान है वह करीब 55 लाख का है। अगर हमें इक्विपमेंट मिल जाते हैं तो हम इसे और ज्यादा कर लेंगे। हम इसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे।

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी : महोदय, क्या मंत्री महोदय को मालूम है कि इस बात की अनेक शिकायतें हैं कि दिल्ली टेलीफोन में धनी लोग तथा औद्योगिक घराने अनाधिकृत ढंग से टेलीफोन लाइन जोड़ लेते हैं जिसका बिल संसद सदस्यों के नाम आता है, इसका अनुभव यहां बैठे अनेक संसद सदस्यों को हुआ होगा और मुझे भी हुआ है। मैं पूछना चाहती हूं कि क्या मंत्री महोदय इस प्रकार की शिकायत की जांच करेंगे और औद्योगिक घराने और अन्य धनी लोगों दारा गलत ढंग से अनाधिकृत टेलीफोन करने पर रोक लगायेंगे ?

[हिन्दी]

श्री वीर बहादुर सिंह : मान्यवर, हमारे पास एक तत्काल टेलीफोन सेवा है जिसमें 30,000 रुपये जमा करने पर टेलीफोन देने की तुरन्त व्यवस्था है। ऐसे लोग जो...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह टेलीफोन नहीं मांग रही हैं, यह तो शिकायत कर रही हैं।

श्री वीर बहादुर सिंह : मान्यवर, अनऑथाराइज्ड टेलीफोन लगाने की सूचना हमारे पास नहीं है। अगर कोई ऐसी शिकायत हमें मिलेगी तो हम उसकी जांच करायेंगे।

अध्यक्ष महोदय : वह पूछ रही हैं कि दूसरों का नम्बर हो, इस्तेमाल किसी का होता हो और बिल उनको आ जाता हो तो उसके लिये आप क्या करते हैं।

(व्यवधान)

श्री वीर बहादुर सिंह : मान्यवर, जो हमारे इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज हैं, उसमें एक व्यवस्था है। अगर कोई व्यक्ति 25 परसेंट जमा कर देता है तो हम पूरे केस की जांच कराकर यह सलाह देते हैं कि वास्तव में कितना ओवर-ड्यू हुआ है।

श्री वी० तुलसीराम : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अभी ज्यादा एक्सचेंज दिल्ली में बढ़ाने की बात कही है, उसको वह किस-किस प्वाइंट में बढ़ा रहे हैं और क्या वह इन एक्सचेंजों में अच्छी मशीनरी लगायेंगे जो कि ठीक से काम करे और जिससे गलत नम्बर न मिलें। गलत नम्बर मिलने पर तो मुझे कई बार किसी बाई से गाली तक सुननी पड़ी है। इसके साथ ही बहुत से लम्बे बिल गलत तरीके से हमारे पास आ जाते हैं। अभी बहनजी ने जो कुछ कहा है वह बिल्कुल सही कहा है। मैंने अपने टेलीफोन के बारे में 5-6 बार लिखा लेकिन उसका गोलमोल उत्तर दिया गया। एक बार आपके विभाग के एक आफिसर ने यह कहा कि आपके टेलीफोन को हमने वॉच किया है और आपने बम्बई फोन किया है। इस पर मैंने उससे कहा कि मैंने बम्बई कोई टेलीफोन नहीं किया है। उसने मुझे इसका यह जवाब दिया कि "तुलसीराम" नाम आन्ध्र प्रदेश में नहीं होता है, यह तो महाराष्ट्र में होता है। मैंने उस आफिसर को यह भी कहा कि इससे संबंधित मुझे कोई नम्बर लाकर दो। उसके

बाद से वह गायब है और न ही मुझे कोई नम्बर ही लाकर दिया है। मैंने माननीय मंत्री जी को अपना टेलीफोन बिल भी दिया है। अत: मंत्री जी उसे देखने की कोशिश करें। मेरे सिवाय कई और एम० पीज० हैं जिनको कि इस प्रकार के बिल आते हैं। मैं माननीय मंत्री जी को यह कहना चाहता हूं कि बात को टालने से कुछ नहीं होगा। आपको इसमें कुछ न कुछ रिबेट अवश्य देनी पड़ेगी।... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : तुलसीराम जी, हम पर भगवान के लिये दया कीजिए। आप पहले यह बताइए कि गाली कड़वी थी या मीठी थी?

श्री वी० तुलसीराम : मीठी तो नहीं थी, कड़वी थी।

श्री वीर बहादुर सिंह : जब भी ऐसी शिकायतें आती हैं तो हम उसकी जांच कराते हैं... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप जांच कराकर निष्कर्ष निकालिए। ऐसी शिकायतें काफी आती रहती हैं।

श्री वीर बहादुर सिंह : मान्यवर, हमारे पास इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों की काफी मांग आ रही है और उसमें लोगों को सभी प्रकार की सुविधायें मिल जाती हैं। पूरे देश में ऐसे एक्सचेंजों को लगाने का प्रयास किया जा रहा है। हम इसको क्षमता के अनुसार ही लगाने की कोशिश करते हैं।

मध्य प्रदेश में एस० टी० डी० सुविधा वाले जिले

*273. **श्री कम्मोदी लाल जाटव** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में कितने और किन-किन जिलों को एस० टी० डी० की सुविधा प्रदान की गई और अभी कितने जिलों में प्रदान की जानी है; और

(ख) शेष जिलों में एस० टी० डी० सुविधा कब तक दिए जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) (1) गत तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश के 12 जिला मुख्यालयों को एस० टी० डी० से जोड़ दिया गया है। इनके नाम इस प्रकार हैं:—

भिण्ड, देवास, धार, ग्वालियर, मन्दसौर, मुरना, रीवा, रायगढ़, सतना, सीओनी, सीहोर एवं विदिशा।

(क) मध्य प्रदेश में 24 जिला मुख्यालयों को अभी एस० टी० डी० से जोड़ा जाना है।

(ख) मध्य प्रदेश के इन शेष 24 जिला मुख्यालयों को 7वीं योजना के दौरान एस० टी० डी० से जोड़ने की योजना बनाई गई है।

श्री कम्मोदी लाल जाटव : माननीय मन्त्री महोदय ने बताया है कि 12 जिलों को एस० टी० डी० से जोड़ दिया गया है और 24 जिले शेष बता रहे हैं जबकि मध्य प्रदेश में 45-46 जिले हैं। इस प्रकार 10 जिले वैसे ही छोड़ दिये हैं तो मैं माननीय मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि बाकी जिले जो छोड़ दिये गये हैं, उसका क्या कारण है और आने वाले 6 महीनों में आप कौन-कौन से जिले एस० टी० डी० से जोड़ेंगे?

संचार मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह) : मान्यवर, जैसा कहा गया है, मध्य प्रदेश के 24 जिले

ऐसे हैं जहां पर एस० टी० डी० जोड़ना है और यह कहा गया है कि सांतवीं योजना के अन्त तक इन जिलों को बाकी डेढ़ साल में जोड़ दिया जायेगा।

श्री कम्मोदी लाल जाटव : माननीय महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से जानना चाहता कि मेरा निर्वाचन क्षेत्र मुरैना एस० टी० डी० से जोड़ दिया गया है लेकिन मेरे निर्वाचन क्षेत्र में जो बड़े-बड़े शहर हैं श्योपुर, सबलगढ़, पोरसा व अम्बा ये गेहूं, सरसों और घी की मण्डी हैं, इन शहरों को कब तक एस० टी० डी० से जोड़ेंगे?

श्री वीर बहादुर सिंह : पहले जिलों को जोड़ेंगे और उसके बाद जिस तरह से क्षमता बढ़ेगी तो तहसीलों को जोड़ेंगे।

[अनुवाद]

श्री रेणुपद दास : सातवीं पंचवर्षीय योजना के तीन वर्ष पहले ही बीत चुके हैं। मध्य प्रदेश के 36 जिलों में केवल 12 जिलों को एस० टी० डी० से जोड़ा जायेगा। सम्पूर्ण देश में मध्य प्रदेश के जिलों समेत 434 जिले हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि एस० टी० डी० से अब तक कितने जिलों को जोड़ा गया है।

अध्यक्ष महोदय : आज प्रश्न केवल मध्य प्रदेश तथा सरकार के आश्वासन के संबंध में है।

श्री रेणुपद दास : जोड़ने में क्या समस्यायें हैं...

अध्यक्ष महोदय : मध्य प्रदेश के सम्बन्ध में आपको कोई प्रश्न पूछना है?

श्री रेणुपद दास : मंत्री महोदय कम से कम उन दिक्कतों को बता सकते हैं जिनकी वजह से एस० टी० डी० की सुविधा नहीं दी जा सकी।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न मध्य प्रदेश के सम्बन्ध में है।

श्री रेणुपद दास : बात यह है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के समाप्त होने में केवल दो वर्ष हैं। सातवीं पंचवर्षीय योजना में सभी जिलों को एस० टी० डी० द्वारा कैसे जोड़ा जा सकता है—कम से कम मध्य प्रदेश के जिलों को?

[हिन्दी]

श्री वीर बहादुर सिंह : श्रीमान, हमने कह दिया कि मध्य प्रदेश में इसको एस० टी० डी० से जोड़ेंगे?

आकाशवाणी का सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध अभियान हेतु प्रयोग

[अनुवाद]

*274. **श्री माणिक राव होडल्य गावित**† :
श्री प्रकाश चन्द्र :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में दहेज, अस्पृश्यता जैसी समाजिक बुराइयों के उन्मूलन

और साम्प्रदायिकता को बढ़ावा देने वाली ताकतों पर अंकुश लगाने के अपने अभियान हेतु आकाशवाणी का प्रभावी तरीके से प्रयोग करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

सामाजिक बुराइयों के उन्मूलन और एकता तथा राष्ट्रीय अखण्डता की ताकतों को प्रोत्साहित करने वाले कार्यक्रम तैयार करने के लिए पहले ही कतिपय सुपरिभाषित मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित किए गये हैं।

आकाशवाणी स्टेशनों से विभिन्न विषयों पर प्रसारित कार्यक्रमों से संबंधित सांख्यिकीय ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया हैं।

अनुलग्नक

अभियान संबंधी विषयों पर कार्यक्रमों का सांख्यिकीय सारांश (एक माह का औसत)

क्रम संख्या	विषय का नाम	कार्यक्रमों की संख्या
1.	राष्ट्रीय एकता	4,540
2.	साम्प्रदायिक सद्भाव	1,230
3.	नशीले पदार्थों का सेवन/नशाबंदी	840
4.	सामाजिक बुराइयां अर्थात दहेज/बालविवाह/सती आदि	825
5.	अस्पृश्यता	385
6.	महिलाओं के खिलाफ अपराध और महिलाओं की शिक्षा पर कार्यक्रम, महिलाओं से संबंधित कानून एवं महिलाओं का कल्याण आदि	595
7.	श्रमिकों का शोषण तथा औद्योगिक श्रमिक, असंगठित श्रमिक, न्यूनतम मजदूरी, मजदूर यूनियन आदि से संबंधित कानूनों पर कार्यक्रम	360
8.	अंध विश्वासों के विरुद्ध तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने से संबंधित कार्यक्रम	1, 140

[हिन्दी]

श्री माणिकराव होडल्य गावित : मैं मन्त्री जी का आभारी हूं कि उन्होंने क व ख का विवरण सभा पटल पर रख दिया है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि यह जो कार्यक्रम दिये हैं उसके 8 विषय हैं और कार्यक्रम तो बहुत से दिये गये हैं लेकिन यह कार्यक्रम हफ्ते में, महीने में कब-कब प्रसारित किये जाते हैं और उनके लिए कितना समय दिया जाता है ?

[अनुवाद]

श्री एस० कृष्ण कुमार : मुख्य प्रश्न के जवाब में सभा पटल पर जो विवरण रखा गया है उसमें वर्गीकृत विभिन्न आठ शीर्षों के अन्तर्गत एक महीने में कार्यक्रमों की औसत संख्या बतायी गयी है। इसमें मंत्री महोदय ने जो विशिष्ट प्रश्न पूछा था अर्थात् दहेज, बाल-विवाह तथा साम्प्रदायिकता आदि सामाजिक बुराइयों के उन्मूलन के बारे में जो प्रश्न पूछा था, उन पर भी कार्यक्रम शामिल हैं। अभी हमारे पास केवल कार्यक्रमों की संख्या है। मेरे पास समूचे देश में स्टेशनवार कार्यक्रमों का ब्यौरा भी है। परन्तु यह बताना कठिन होगा कि प्रत्येक स्टेशन पर प्रत्येक कार्यक्रम को कितने मिनट दिये जाते हैं क्योंकि यह सब ब्यौरा स्टेशन पर एकत्रित करना पड़ेगा। यदि माननीय सदस्य ऐसा ब्यौरा चाहते हैं तो अलग से प्रश्न पूछें।

[हिन्दी]

श्री माणिक राव होडल्य गावित : अध्यक्ष महोदय, जो कार्यक्रम दिए जा रहे हैं, उनके लिए समय निर्धारित है। ग्यारह बजे के बाद लोग सो जाते हैं। ऐसे कार्यक्रमों के लिए कोई ऐसा समय पहले लेना चाहिए। ऐसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम को पहले लेना चाहिए। ऐसे कार्यक्रम को पहले लेने के लिए मंत्री महोदय कोई प्रोवीजन करेंगे ?

[अनुवाद]

श्री एस० कृष्ण कुमार : परिवार कल्याण, मां और बच्चे का स्वास्थ्य, साक्षरता तथा अन्य उच्च प्राथमिकता वाले सामाजिक विषयों से सम्बन्धित कार्यक्रम प्रमुख समय पर दिखाये तथा प्रसारित किये जाते हैं। कुछ कार्यक्रमों को तो निश्चित तौर पर ग्यारह बजे के बाद शुरू करना पड़ता है। हमारे सर्वेक्षण से पता चलता है कि रात के एक बजे तक भी रेडियो सुनने वालों की संख्या बहुत अधिक है। अतः देर रात भी प्रमुख समय (प्राइम टाइम) है।

पूर्वी कोयला प्रयोक्ता सलाहकार परिषद् की बैठक

*277. **श्री बी० तुलसीराम :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जुलाई, 1988 में कलकत्ता में कोल इंडिया लि० के एक संगठन, पूर्वी कोयला प्रयोक्ता सलाहकार परिषद् की एक बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो वस्त्र फाउंड्री और ईंटों के भट्ठे आदि जैसे क्षेत्रों के, जो महत्वपूर्ण नहीं हैं, उपभोक्ताओं की मांग पूरी करने के लिए बैठक में क्या सुझाव दिए गए और क्या निर्णय लिए गए;

(ग) बैठक में किस-किस ने भाग लिया; और

(घ) देश में विभिन्न जोनों के लिए बनाई गई परिषदों का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफर शरीफ) (क) से (घ) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) जी, हां। ईस्टर्न कोल उपयोगी परामर्शदात्री परिषद् की कलकत्ता में 22-7-1988 को एक बैठक हुई थी।

(ख) इस बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित विषयों पर चर्चा हुई :—

(1) पत्थर-कंकड़ आदि छांटने के लिए ओपेनकास्ट खानों में डिशेलिंग संयंत्रों की स्थापना।

(2) पर्यावरणीय प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से धुंआरहित ठोस ईंधन के निर्माण के लिए बेहतर प्रौद्योगिकी की शुरूआत।

(3) विशिष्ट उद्योगों की समस्याओं की जांच के लिए छोटे-छोटे उप-दलों का गठन।

(4) कोल इंडिया स्टाकयार्ड में कीमतें कम करने के लिए उपायों की जांच।

(ग) इस बैठक में केन्द्रीय सरकार के अधिकरणों के निम्नलिखित प्रतिनिधियों ने भाग लिया :—

—रेलवे, टी बोर्ड आदि जैसे सरकारी अभिकरणों के प्रतिनिधि, और पश्चिम बंगाल, बिहार राज्य सरकार तथा चीनी-मिट्टी के बर्तन निर्माताओं, ग्लास निर्माताओं, ईंट निर्माताओं, जूट-निर्माताओं, इस्पात रोलिंग निर्माताओं आदि का प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न कोयला उपभोक्ता तथा भारत चेम्बर आफ कामर्स मर्चेन्ट्स चेम्बर आफ कामर्स, कलकत्ता चेम्बर आफ कामर्स, के प्रतिनिधि आदि।

(घ) कोल इंडिया उत्तरी, दक्षिणी और पश्चिम क्षेत्रों में ऐसी कोयला उपभोगी परामर्शदात्री परिषदों का गठन कर रहा है।

[हिन्दी]

श्री बी॰ तुलसीराम : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रश्न पूछा था, उसका जवाब ही नहीं मिला है। मैंने प्रश्न के "ख" भाग में पूछा है—यदि हां, तो वस्त्र और ईंटों के भट्ठे आदि जैसे क्षेत्रों के, जो महत्वपूर्ण नहीं हैं, उपभोक्ताओं की मांग पूरी करने के लिए बैठक में क्या सुझाव दिए गये और क्या निर्णय लिए गए? इसका जवाब दिया गया है—इस बैठक में अन्य बातों के साथ निम्नलिखित विषयों पर चर्चा हुई। यह कोई जवाब है।

अध्यक्ष महोदय : निम्नलिखित तो है।

श्री बी॰ तुलसीराम : मैंने क्लीयर पूछा है। निम्नलिखित विषयों पर चर्चा हुई, यह कागज दे दिया। अध्यक्ष महोदय, आप इनको बचाते रहते हैं। इनको बचाने से ऐसा जवाब देते हैं। आप हमको सपोर्ट कीजिए। ···(व्यवधान)···

श्री सी० के० जाफर शरीफ : आप वहां क्या बता रहे हो। तुम्हारे से बचना तो मुझे खुद आता है।···(व्यवधान)

श्री वी० तुलसीराम : आप सब लोगों को अध्यक्ष जी नहीं बचाते तो हम लोग दिन में नचाते।···(व्यवधान)·······आप सुन रहे हैं। आप जवाब दे रहे हैं।···(व्यवधान)

श्री सी० के० जाफर शरीफ : स्पीकर साहब तो पुराने दोस्त हैं, ऐसी कोई बात नहीं हैं।···(व्यवधान)

श्री दिनेश गोस्वामी : अध्यक्ष महोदय, थोड़ा नाच देखने का मौका दे दीजिए।······ (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सी० के० जाफर शरीफ : जहां तक क्षेत्रीय परिषदों का सम्बन्ध है, उनका नये सिरे से गठन किया गया है। इससे पहले जहां तक प्रमुख क्षेत्र का संबंध है, सरकार का अपना एक मंच था। जहां तक कम महत्वपूर्ण क्षेत्र का संबंध है, जैसा कि माननीय सदस्य बता रहे थे इस लघु क्षेत्र के सम्बन्ध में कुछ कठिनाइयां हैं। इसलिए उनकी राय तथा उनकी इस चिंता से सहमत हूं और इन क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया है। उन्होंने ईंटों के भट्टे, वस्त्र तथा सीमेंट आदि उद्योगों के बारे में ठीक कहा था क्योंकि वह भी भाग ले रहे थे तथा उनके विचार पूछ लिए गए थे।

उदाहरण के लिए—पत्थर-कंकड आदि छांटने के लिए ओपन कास्ट खानों में डिशेलिंग संयंत्रों की स्थापना तथा पर्यावरण प्रदूषण कम करने के लिए धुंआरहित ठोस ईंधन के निर्माण के लिए बेहतर प्रौद्योगिकी की शुरूआत—इन विषयों पर चर्चा की गई। विशिष्ट उद्योगों की समस्याओं की जांच के लिए छोटे-छोटे उपदलों के गठन पर भी चर्चा की गयी। जैसा कि मैंने कहा है प्रत्येक उद्योग की अलग-अलग समस्यायें हैं। लेकिन फिर भी उनकी समीक्षा की जा रही है। कुछ दूसरे छोटे-छोटे दल ऐसे विशिष्ट उद्योगों के बारे में भी जांच करेंगे और सलाह देंगे। दूसरी बात कोल इंडिया स्टाकयार्ड में कीमतें कम करने के बारे में थी। क्योंकि उसमें भी अन्य खर्चे बहुत होते हैं। हम नहीं चाहते कि छोटे उद्यमियों पर इन बातों का अधिक बोझ पड़े। इस प्रकार सम्पूर्ण विचार उपभोक्ताओं को बेहतर उपयोग के लिए बढ़िया किस्म का कोयला मुहैया करने का है। यह विचार और नया प्रयोग था। यदि माननीय सदस्य जो कुछ सुझाव दिया जा रहा है उसके साथ विचार करने के लिए कोई दूसरे सुझाव देना चाहें तो हम इन सुझावों की जांच करेंगे।

[हिन्दी]

श्री वी० तुलसीराम : जैसा इन्होंने कहा है कि सभी पर विचार हुआ है। सारे देश में जे छोटे-छोटे भट्टे वाले हैं और गरीब लोग ईंटें बनाते हैं और उनको कोल टाइम से न मिलने से बाहर बाजार में बहुत महंगा मिलता है और जो कोल उनको दिया जाता है, वह भी कभी-कभी दिया जाता है। इसके अलावा नीचे जमीन पर वह पड़ा रहता है और बारिश जब आ जाती है, तो हजारों, लाखों रुपये का माल खराब हो जाता है। मेरी कांस्टीटुयेंन्सी में ऐसा है। मैं जानना चाहता हूं कि आन्ध्र प्रदेश में आप जोनवाइज कुछ करने जा रहे हैं और ऐसी व्यवस्था आप करने जा रहे हैं, जिससे

छोटे-छोटे भट्टों वालों को कोयला टाइम से मिले और जो दूसरी छोटी-छोटी इंडस्ट्रीज हैं, उनको टाइम से कोयला मिले और अच्छा कोयला मिले। इसके लिए आप क्या व्यवस्था करने जा रहे हैं।

श्री सी० के० जाफर शरीफ : भट्टों वालों की जो कोल की जरूरत है, वह बहुत कम है और उनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए मगर प्राब्लम इस बात की है कि जो स्पोंसर होते हैं वहां पर वे इन्फ्लेटेड होते हैं। अगर 4 भट्टे हैं, तो पूछने वाले 40 हो जाते हैं। इसमें हमने राज्य सरकारों को लिखा है कि वे ठीक ढंग से लिख कर भेजें और जो बोनाफाइडी यूजर्स हैं, उनको कोयला मिले। हमारा जो कोर सैक्टर है, उसकी जो रिक्वायरमैंट्स हैं, उनको पूरा करने के बाद, जो हमारे पास बचेगा, वह देंगे और ऐसी बात नहीं है कि स्माल स्केल सेक्टर को हम तकलीफ में डालना चाहते हैं। पिछले साल मानसून का फेल्योर होने से हाइडिल पावर जैनरेशन में जो कमी हुई, उसकी वजह से थर्मल पर बोझ बढ़ा और कोल थर्मल प्लान्ट्स को देना पड़ा। इसलिए थोड़ी बहुत दिक्कत हुई थी लेकिन इस साल मानसून की हालत अच्छी है और इससे आगे जाकर फर्क पड़ेगा।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : क्या मैं मंत्री महोदय से पूछ सकता हूं कि पूर्वी कोयला प्रयोक्ता सलाहकार परिषद् के सदस्य कौन हैं, क्या राज्य सरकार के प्रतिनिधि इस सलाहकर परिषद के सदस्य हैं, तथा क्या सलाहकार परिषद की बैठक में थर्मल पावर प्लांटों को कोयले की कम सप्लाई करने तथा थर्मल पावर प्लांट को अधिक ऐश कण्टेंट वाले कोयले की सप्लाई किए जाने के बारे में शिकायत पर चर्चा हुई थी या नहीं ?

श्री सी० के० जाफर शरीफ : माननीय सदस्य जिसका उल्लेख कर रहे हैं ये सलाहकार परिषदें उससे अलग हैं। जहां तक महत्वपूर्ण क्षेत्र का सम्बन्ध है, चाहे यह थर्मल प्लांट हों या स्टील प्लांट या धोवनशालाएं हों या रेलवे, उसके लिए सरकारी स्तर पर एक अलग से समिति है, सरकार उनसे विचार-विमर्श करती है तथा उत्पादन और वितरण की निगरानी करती है।

माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है वह इंटों के भट्टे जैसे गैर-महत्वपूर्ण क्षेत्र तथा सीमेंट, पॉटरी आदि जैसे छोटे-छोटे अन्य उद्योगों के सम्बन्ध में है। इसलिए इसका वस्त्र उद्योग से कोई संबंध नहीं है। माननीय सदस्य जिसका जिक्र कर रहे हैं यह वह बात नहीं है।

जहां तक थर्मल पावर प्लांट, कोयला तथा धुलाई से सम्बन्धित उद्योग का सम्बन्ध है, इनके लिए सरकारी स्तर पर समितियां हैं, ये समितियां लगातार कार्य कर रही हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

कृष्णा गोदावरी बेसिन परियोजना में कार्यरत कर्मचारी

[अनुवाद]

*265. **श्री श्रीहरि राव :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृष्णा-गोदावरी बेसिन परियोजना में कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं;

(ख) कृष्णा-गोदावरी बेसिन में कार्य करने हेतु कर्मचारियों के चयन का मानदंड क्या है; और

(ग) भविष्य में और कितने व्यक्तियों को वहां रोजगार मिल सकता है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की कृष्णा-गोदावरी (के० जी०) बेसिन परियोजना में 930 कर्मचारी काम करते हैं।

(ख) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग (भर्ती और पदोन्नति) विनियम, 1980 के अधीन विभिन्न पदों पर भर्ती की जाती है।

(ग) के० जी० बेसिन परियोजना के लिए जनशक्ति की भावी आवश्यकता बेसिन में गतिविधियों की वृद्धि पर निर्भर करेगी।

टायरों का उत्पादन

***267. श्री जी० भूपति :**

श्री बालासाहिब विखे पाटिल :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में टायरों का कुल कितना उत्पादन होता है;

(ख) क्या टायरों का उत्पादन मांग की तुलना में अपर्याप्त है;

(ग) क्या सरकार का टायरों के मूल्यों पर नियंत्रण करने का विचार है;

(घ) क्या टायरों का निर्माण करने वाले कारखानों ने सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया है कि विभिन्न किस्म के कच्चे माल, विशेषकर नाइलोन टायर कॉर्ड के मूल्यों में भारी वृद्धि के संदर्भ में टायरों की मूल्य-वृद्धि की समीक्षा की जानी चाहिए; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई/करने का विचार है ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) देश में 1987-88 के दौरान संगठित क्षेत्र में सभी प्रकार के ऑटोमोटिव टायरों का कुल उत्पादन 145 लाख टायर था।

(ख) कुल मिलाकर देश में मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन क्षमता पर्याप्त है। मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन क्षमता का विस्तार करने पर भी कोई रोक नहीं है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) ऑटोमोटिव टायर उत्पादक कुछ निविष्टियों की लागत में वृद्धि विशेष रूप से बस तथा ट्रक टायर के संबंध में, को समय-समय पर सरकार की जानकारी में लाते रहे हैं। उक्त उद्योग हेतु ऐसी निविष्टियों की उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए सरकार ने स्थिति के अनुसार उपाय किए हैं।

दूरदर्शन/आकाशवाणी पर विज्ञापन देने के बारे में मार्गनिर्देश

*270. **श्री पी० आर० एस० वेंकटेशन :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन/आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारण के संबंध में कोई मार्गनिर्देश निर्धारित किए गए हैं, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या तम्बाकू और तम्बाकू से निर्मित वस्तुओं के संबंध में कोई विशिष्ट आचार संहिता/मार्गनिर्देश निर्धारित किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि तम्बाकू और तम्बाकू की वस्तुओं के निर्माता दूरदर्शन पर अपने उत्पादों के विज्ञापन परोक्ष रूप से देने हेतु खेल कार्यक्रम प्रायोजित कर रहे हैं; और

(घ) क्या यह सुनिश्चित करने के लिए कि तम्बाकू और तम्बाकू से निर्मित उत्पादों के प्रयोग को प्रोत्साहन न मिले, सरकार का विचार दूरसंचार माध्यमों के दुरुपयोग को रोका है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) से (घ) आकाशवाणी/दूरदर्शन पर प्रसारित/टेलीकास्ट करने हेतु विज्ञापनों की स्वीकृति, वाणिज्यिक विज्ञापनों संबंधी संहिता में निहित विभिन्न उपबंधों से नियंत्रित होती है। इस संहिता का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विज्ञापन देश के कानूनों के अनुरूप हों तथा नैतिकता, शालीनता तथा लोगों की धार्मिक संवेदनशीलता को आघात नहीं पहुंचाते हों। ऐसे विज्ञापन जो मादक द्रव्यों के इस्तेमाल को बढ़ावा देते हों जो राजनीतिक स्वरूप के हों, जो चिटफंड तथा शर्त व दाव लगाने आदि से संबंधित हों तथा जो बच्चों को गुमराह करते हों, प्रसारण के लिए स्वीकार नहीं किये जाते।

संहिता में यह विशिष्ट रूप से निर्दिष्ट है कि जो विज्ञापन सिगरेट तथा तंबाकू उत्पादों, मदिरा, शराब तथा अन्य मादक पदार्थों से संबंधित हों अथवा इनको बढ़ावा देते हों, अनुज्ञेय नहीं होंगे।

खेल वृत्तांत को टेलीकास्ट करने के दौरान कुछ ऐसे होर्डिंग मुख्य कार्यक्रम की पृष्ठभूमि के तौर पर प्रतिबिम्बित हो जाते हैं। इनका प्रदर्शन अपरिहार्य है। तथापि, निर्माण-कार्य से संबंधित कर्मचारियों को अनुदेश दिया गया है कि जहां कहीं भी संभव हो, वे इस प्रकार के होर्डिंग का प्रदर्शन न करें।

चूंकि तंबाकू उत्पादों सहित मादक पदार्थों से संबंधित विज्ञापनों पर पूर्ण रोक है, अतः इस बारे में सरकारी माध्यमों का कोई दुरुपयोग नहीं होता है।

विद्युत परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय विकास निधि से ऋण

[हिन्दी]

*275. **श्री शांति धारीवाल :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश की विद्युत परियोजनाओं के लिये विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय विकास निधि से और अधिक ऋण उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार का विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय विकास निधि से प्राप्त ऋण का देश के किन-किन भागों में निवेश करने का विचार है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय विकास निधि से अनुकूल उत्तर प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो सरकार का, प्रस्तावित परियोजनाओं का निर्माण कार्य कब तक आरंभ करने का विचार है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) विद्युत एक ऐसा क्षेत्र बना हुआ है जिसके लिए विश्व बैंक द्वारा पर्याप्त मात्रा में सहायता दिए जाने का आश्वासन दिया गया है। परियोजनाओं की आवश्यकताओं तथा विश्व बैंक के संसाधनों की स्थिति पर निर्भर करते हुए विश्व बैंक विशिष्ट परियोजनाओं के लिए ऋण के बारे में आश्वासन देता है।

(ख) और (ग) बैंक ने वर्ष 1988 की वित्तीय स्थिति के अनुसार कर्नाटक विद्युत परियोजना-दो तथा उत्तर प्रदेश विद्युत परियोजना के लिए क्रमशः 260 मिलियन अमरीकी डालर तथा 350 मिलियन अमरीकी डालर की राशि की ऋण सहायता अनुमोदित की है। अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ (आई० डी० ए०) ने वित्तीय वर्ष, 1988 के दौरान विद्युत परियोजनाओं के लिए किसी प्रकार की सहायता का अनुमोदन नहीं किया है।

(घ) और (ङ) कर्नाटक विद्युत परियोजना-दो में अन्य कार्यों के साथ-साथ शरावती टेल-रेस स्कीम (240 मेगावाट) तथा इससे संबद्ध पारेषण प्रणाली का निर्माण कार्य भी शामिल किया गया है, जिसके पूरा हो जाने पर आठवीं योजनावधि के दौरान लाभ प्राप्त होंगे। उत्तर प्रदेश विद्युत परियोजना में श्रीनगर जल विद्युत परियोजना (330 मेगावाट) का कार्यान्वयन, ओबरा 'ख' तथा हरदुआगंज "क" ताप विद्युत केन्द्रों के पुनरुत्थापन संबंधी कार्य तथा इसकी सम्बद्ध पारेषण प्रणाली के कार्य शामिल हैं। श्रीनगर जल विद्युत परियोजना से आठवीं योजनावधि में लाभ प्राप्त होने की परिकल्पना की गई है।

दूरदर्शन पर प्रदर्शन के लिए फिल्मों का चयन

[अनुवाद]

*276. **श्री आर० एम० भोये :**

श्री एच० बी० पाटिल :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन पर दिखाई जाने वाली फिल्मों के संबंध में टेलीविजन दर्शकों की अभिरुचि के बारे में कोई आकलन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष हैं;

(ग) कितने प्रतिशत दर्शकों ने सैक्स और हिंसा दिखाने वाली फिल्मों में अभिरुचि दिखाई है और कितने प्रतिशत दर्शकों ने ऐसी फिल्मों को पसंद नहीं किया है;

(घ) क्या यह सच है कि बच्चों ने वन्य जीवन, खेल-कूद, पर्यटन और ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित लघु टेलीविजन फिल्मों को पसंद किया है; और

(ङ) यदि हां, तो फिल्मों के चयन की समीक्षा हेतु क्या कदम उठाये गए हैं अथवा उठाने का विचार है जिससे वयस्कों और बच्चों की अभिरुचि के अनुसार फिल्में दिखाई जा सकें और देश के व्यापक हित में राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा मिले ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) से (ङ) दूरदर्शन पर टेलीकास्ट की जाने वाली फिल्मों के संबंध में टेलीविजन के दर्शकों की अभिरुचि का आकलन करने के लिए ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। तथापि, दर्शकों से उनकी पसंद और नापसंद सम्बन्धी पत्र प्राप्त होते रहते हैं। दूरदर्शन को, उसके द्वारा टेलीकास्ट की जा रही फिल्मों के बारे में दर्शकों की प्रतिक्रिया जानने के लिए व्यापक सर्वेक्षण कराने की सलाह दी जा रही है।

2. समय-समय पर आयोजित किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि बच्चे वन्य जीवन, खेलों एवं यात्रा सम्बन्धी फिल्मों तथा दृश्यों से भरपूर एवं 'एक्शन' प्रधान विषयों से संबंधित अन्य फिल्मों, जिनमें कार्टून तथा कठपुतली फिल्में शामिल हैं, में आनन्द लेते हैं।

3. दूरदर्शन का सतत् प्रयास रहा है कि ऐसी फिल्मों का चयन किया जाए, जो लोक रुचि के अनुरूप होने के साथ-साथ राष्ट्रीय एकता, अखंडता तथा साम्प्रदायिक सौहार्द को बढ़ाने वाली हों। बच्चों के लिए फिल्म टेलीकास्ट करने हेतु पृथक समय आरक्षित रखा गया है। वयस्क विषय-वस्तु वाली फिल्में केवल देर रात्रि समय में दिखाई जाती हैं।

उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में रसोई गैस की सप्लाई

[हिन्दी]

***278. श्री हरीश रावत** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन व्यक्तियों के सहयोग से, जिन्हें रसोई गैस की एजेन्सियां आवंटित की गई हैं, उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों के ग्रामीण इलाकों में रसोई गैस की सप्लाई की कोई व्यापक योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो क्या पर्वतीय क्षेत्रों के ग्रामीण इलाकों में रसोई गैस की सप्लाई की जा रही है; और

(ग) सभी ग्रामीण क्षेत्रों में रसोई गैस कब तक सुलभ करायी जाएगी ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को एल० पी० जी० की सप्लाई राज्य सरकार के संगठनों द्वारा परिचालित मुख्य एल० पी० जी० के वितरकों तथा उनके विस्तार पाइंटों द्वारा की जाती है। ये विस्तार पाइंट सामान्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित होते हैं।

(ग) उपर्युक्त क्षेत्रों के अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में एल० पी० जी० की सुविधा देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

केरल के मुल्लापुरम जिले में दूरसंचार सेवाओं का विस्तार

[अनुवाद]

280. **श्री जी० एम० बनातवाला : क्या संचार मंत्री** केरल के मुल्लापुरम जिले में दूरसंचार सेवाओं के विस्तार के बारे में 8 दिसम्बर, 1987 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4647 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल के मुल्लापुरम जिले में उन्नीस टेलीफोन एक्सचेंजों के प्रस्तावित विस्तार कार्य में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) किन-किन टेलीफोन एक्सचेन्जों का विस्तार कार्य पूरा हो गया है और इस कार्य पर कितनी धनराशि व्यय हुई है; और

(ग) अन्य टेलीफोन एक्सचेन्जों का विस्तार कार्य कब तक पूरा हो जाएगा और प्रत्येक के विस्तार पर लगभग कितनी लागत आएगी ?

संचार मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह) : (क) उन 19 टेलीफोन एक्सचेन्जों, जिनका मार्च, 1990 तक विस्तार करने का प्रस्ताव था, उनमें से अब तक 5 एक्सचेन्जों का विस्तार किया जा चुका है। इसके अलावा, दो एक्सचेन्जों का आंशिक विस्तार किया गया है।

(ख) 5 एक्सचेन्जों का मुकम्मल विस्तार कार्य और दो अन्य का आंशिक विस्तार कार्य पूरा करने में लगभग 42 लाख रु० की कुल लागत आई है।

(ग) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्रम० सं०	एक्सचेन्जों का ब्यौरा एक्सचेन्ज का नाम	प्रस्तावित विस्तार	विस्तार के लिए अनुमानित लागत	पूरा किया गया विस्तार/पूरा किया जाने वाला संभावित विस्तार	
1	2	3	4	5	
1.	कोट्टाकल	90-200		90-200	पूरा किया गया
2.	एडावन्नापारा	45-90		45-90	"
3.	पुजाकट्टेरी	45-90	लगभग 42.00	45-50	"
4.	पाराप्पांनगडी	90-200	लाख रुपये	90-200	"
5.	मनकाडा	45-90		45-90	"
6.	चैलारी	120-400		150-200	अंशत :पूरा
7.	तिरूर	800-1200		800-900	किया गया

1	2	3	4	5
8. बेलारी	200-400	रु० 6,13,900		
9. तिरूर	900-1200	रु० 18,44,500		
10. वेंगारा	90-200	रु० 4,70,900		
11. पेरिन्त्रलमाना	400-500	रु० 51,54,300		
12. तानुर	90-200	रु० 5,35,500		विंस्तार 7वीं योजना की शेष अवधि के दौरान हाथ में लिया जाएगा बशर्ते कि निधि और उपस्कर उपलब्ध हों।
13. तिरुरांगाडी	250-400	रु० 17,65,200		
14. मावानचेरी	90-200	रु० 5,42,800		
15. कुट्टीपुरम	90-200	रु० 4,48,900		
16. वालानचेरी	90-200	रु० 4,80,300		
17. कोलाथुर	35-45	रु० 2,01,500		
18. अनामंगड	45-90	रु० 2,05,500		
19. थाजेंकोड	35-45	रु० 2,06,500		
20. कालीकावु	45-90	रु० 2,17,900		
21. मालाथुर	45-90	रु० 2,07,300		

उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्र में गैस के भंडार का पता लगाना

*281. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्र में गैस के भंडार का पता लगा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख) हाइड्रोकार्बन के भंडार होने के संकेतों के बावजूद उड़ीसा में खाड़ी अन्वेषण परियोजना तथा नार्थ-ईस्ट कोस्ट अपतट में आयल इंडिया लिमिटेड द्वारा की गई ड्रिलिंग के फलस्वरूप वाणिज्यिक रूप में तेल और गैस नहीं मिली है।

उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में इलैक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना

*282. **श्रीमती ऊषा वर्मा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में एक इलैक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) लखीमपुर की आवश्यकता को पूरा करने के लिए इस समय, अपेक्षित रेंज का कोई स्वदेशी इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज उपलब्ध नहीं है।

दूरदर्शन रिले केन्द्र स्थापित करना

*283. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988-89 में देश में कितने दूरदर्शन रिले केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्रवार, ये दूरदर्शन रिले केन्द्र कहां-कहां स्थापित किए जाएंगे;

(ग) क्या वर्ष 1988-89 में कर्नाटक में कुछ दूरदर्शन रिले केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो वे कहां-कहां स्थापित किए जाएंगे ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) से (घ) तुरा, आईजोल और शिलांग के अल्प शक्ति टी० वी० ट्रांसमीटरों को उच्च शक्ति के टी० वी० ट्रांसमीटरों से बदलने, दिल्ली (प्रारंभिक और दूसरे चैनल, दोनों की सेवाओं लिए) और बम्बई (दूसरे चैनल की सेवा के लिए) टी० वी० ट्रांसमीटरों की क्षमता बढ़ाने, दूसरे चैनल की सेवा के लिए मद्रास में 10 किलोवाट टी० वी० ट्रासमीटरों और पिज में 1 किलोवाट टी० वी० ट्रांसमीटर (जो पहले बन्द कर दिया गया था) स्थापित करने के अलावा चालू वित्त वर्ष के दौरान दूरदर्शन की कर्नाटक में एक ट्रांसमीटर सहित 80 नये ट्रांसमीटर और 2 ट्रांसपोजर स्थापित करने की परिकल्पना है। ये 82 नये ट्रांसमीटर/ट्रांसपोजर कहां-कहां स्थापित होने हैं, इस बारे में राज्यवार/संघ शासित क्षेत्रवार सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। तथापि, दूरदर्शन को संसाधन जुटाने की सलाह दी गई है ताकि चालू वित्त वर्ष के दौरान अधिक संख्या में नये ट्रांसमीटरों की स्थापना हो सके।

विवरण

1988-89 के दौरान चालू किए जाने के लिए नियत 82 नये टी० वी० ट्रांसमीटर

*वे स्थान जहां ट्रांसमीटर पहले ही चालू किए जा चुके हैं।

राज्य	स्थान जहां ट्रांसमीटर स्थापित होना है		
	अल्प शक्ति (100 वाट)	अति अल्प शक्ति (2X10 वाट)	ट्रांसपोजर
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	1. खम्माम	—	1. विजयवाड़ा
	2. रामागुण्डम		2. विशाखापटनम

1	2	3	4
अरुणाचल प्रदेश	तेजु	1. एलोंग*	
		2. अनीनी	
		3. बोमडिल्ला	
		4. चांगलांग	
		5. नामसाई*	
		6. रागा	
		7. रोइंग	
		8. सेप्पा	
		9. तवांग	
		10. जीरो	
असम	कोकराझार	—	—
बिहार	1. बेगुसराय	—	—
	2. बोकारो*	—	
	3. गिरडीह		
	4. मोतिहारी		
	5. सहरसा		
	6. सासाराम		
	7. सिवान		
गुजरात	1. अहवा*	—	—
	2. गोधरा		
	3. पोरबन्दर		
	4. वाल्साद		
हरियाणा	नारनौल	—	—
हिमाचल प्रदेश	धर्मशाला	1. चम्बा	
		2. कल्पा	

1	2	3	4
		3. क्येलांग	
		4. उना	
जम्मू व काश्मीर	—	1. भादरवा	—
		2. डोडा	
		3. किस्तवार	
		4. रजौरी	
		5. उधमपुर	
कर्नाटक	चित्रदुर्ग	—	—
केरल	1. ईदुकी	—	—
	2. कालपेट्टा		
	3. मालापुरम*		
मध्य प्रदेश	1. बेतुल	—	—
	2. छतरपुर		
	3. झबुआ		
	4. खारगांव		
	5. मन्दसौर*		
	6. नीमच*		
	7. पन्ना		
	8. रायगढ़		
	9. शिवपुरी*		
महाराष्ट्र	1. गढ़चिरोली*		
	2. उस्मानाबाद		
	3. पुसाद		
मणिपुर	—	सेनापुटी	—
मेघालय		नांगस्टोइन	—

1	2	3	4
मिजोरम	—	1. लुंगलेई*	—
	—	2. सेहा	—
नागालैण्ड	तुईनसांग*	—	—
उड़ीसा	1. बालेश्वर	—	—
	2. क्योंझरगढ़		
	3. फुलबनी		
राजस्थान	1. सवाई माधोपुर	—	—
	2. सिरोही		
सिक्किम	—	मंगन	—
उत्तर प्रदेश	हरदोई	1. गोपेश्वर*	—
		2. हल्दवानी	
		3. कौसानी	
		4. रानीखेत	
पश्चिम बंगाल	अलीपुर दौर	5. उत्तरकाशी	
संघ शासित क्षेत्र		—	—
अण्डमान व निकोबार	—	1. ननकौरी	—
द्वीप समूह		2. रंगत	
चण्डीगढ़	चण्डीगढ़*	—	—
दादरा व नागर हवेली	—	सिल्वासा*	—
दमन व दीव	—	दीव	—
लक्षद्वीप द्वीपसमूह	—	1. चेतलात	—
		2. किल्टन	
पांडिचेरी	—	1. कराईकाल	—
		2. माहे*	
		3. यनम	

ताप विद्युत परियोजनाओं के लिए ठेका देना

2730. श्री धर्मपाल सिंह मलिक : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय चल रही ताप विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा इन्हें कब तक पूरा किये जाने की संभावना है;

(ख) क्या इन परियोजनाओं के लिए ठेके कुछ अन्य उन कम्पनियों को दिए गए हैं जिन्हें उनके खराब कार्य-निष्पादन के कारण सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों ने काली सूची में डाल दिया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की परियोजनाओं को चालू किए जाने के संबंध में स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने उनके द्वारा ब्लैक लिस्ट में रखी गई किसी फर्म अथवा जिस किसी फर्म के बारे में इस संबंध में अन्य किसी मंत्रालय/विभाग से उनको सूचना प्राप्त हुई है, ठेका नहीं दिया है।

विवरण

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की परियोजनाओं को चालू करने का कार्यक्रम

परियोजना का नाम	जिस राज्य में स्थित हैं	यूनिट का ब्यौरा	चालू करने की तारीख	
			वास्तविक	प्रत्याशित
1	2	3	4	5
सिंगरौली	उत्तर प्रदेश	200 मेगावाट यूनिट-1	2/82	
		यूनिट-2	11/82	
		यूनिट-3	3/83	
		यूनिट-4	11/83	
		यूनिट-5	2/84	
		500 मेगावाट यूनिट-1	12/86	
		यूनिट-2	11/87	
कोरबा	मध्य प्रदेश	200 मेगावाट यूनिट-1	3/83	
		यूनिट-2	10/83	
		यूनिट-3	3/84	
		500 मेगावाट यूनिट-1	5/87	
		यूनिट-2	3/88	

1	2	3	4	5
		यूनिट-3		3/89
रामागुण्डम	आंध्र प्रदेश	200 मेगावाट यूनिट-1	11/83	
		यूनिट-2	5/84	
		यूनिट-3	12/84	
		500 मेगावाट यूनिट-1	6/88	
		यूनिट-2		7/89
		यूनिट-3		7/90
फरक्का	प० बंगाल	200 मेगावाट यूनिट-1	1/86	
		यूनिट-2	12/86	
		यूनिट-3	8/87	
		500 मेगावाट यूनिट-1		9/91
		यूनिट-2		6/92
विन्ध्याचल	मध्य प्रदेश	210 मेगावाट यूनिट-1	10/87	
		यूनिट-2	7/88	
		यूनिट-3		12/88
		यूनिट-4		5/89
		यूनिट-5		10/89
		यूनिट-6		3/90
रिहन्द	उत्तर प्रदेश	500 मेगावाट यूनिट-1	3/88	
		यूनिट-2		3/89
कहलगांव	बिहार	210 मेगावाट यूनिट-1		7/91
		यूनिट-2		1/92
		यूनिट-3		7/92
		यूनिट-4		1/93
रा. रा. ता. बि० केन्द्र	उत्तर प्रदेश	210 मेगावाट यूनिट-1		12/91
		यूनिट-2		6/92
		यूनिट-3		12/92
		यूनिट-4		6/93

1	2	3		4	5
औरैया जी. बी.	राजस्थान	100 मेगावाट	यूनिट-1		9/89
सी. सी. पी. पी.		जी. टी.	यूनिट-2		11/89
			यूनिट-3		1/90
			यूनिट-4		3/90
		100 मेगावाट	यूनिट-5		9/90
		एस. टी.	यूनिट-6		1/91
अन्टा जी. बी.	राजस्थान	100 मेगावाट	यूनिट-1		8/89
सी. सी. पी. पी.		जी. टी.	यूनिट-2		10/89
			यूनिट-3		12/89
		130 मेगावाट	यूनिट-4		8/90
		एस. टी.			
कवास जी. बी.	गुजरात	100 मेगावाट	यूनिट-1		11/89
सी. सी. पी. पी.			यूनिट-2		1/90
			यूनिट-3		3/90
			यूनिट-4		5/90
		100 मेगावाट	यूनिट-5		11/90
		एस. टी.	यूनिट-6		3/91

दूरदर्शन धारावाहिक "अमीर खुसरो" पर प्रतिबंध लगाने के लिए याचिका

2731. **श्री नरसिंह सूर्यवंशी :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हजरत निजामुद्दीन मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी द्वारा दूरदर्शन धारावाहिक "अमीर खुसरो" पर तत्काल प्रतिबंध लगाने के लिए एक याचिका दायर की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) इस धारावाहिक के टेलिकास्ट पर रोक लगाने के लिए न्यायालय में एक याचिका दायर की गई थी, लेकिन माननीय न्यायालय ने इस मामले को खारिज कर दिया। धारावाहिक का टेलिकास्ट जारी है।

बिहार में गोपालगंज जिले में पेट्रोल पम्पों का आबंटन

[हिन्दी]

2732. **श्री काली प्रसाद पांडेय : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के गोपालगंज जिले में प्रत्येक तेल कम्पनी द्वारा अब तक कितने पेट्रोल पम्प आबंटित किये गये हैं;

(ख) गोपालगंज जिले में अब तक जिन व्यक्तियों को पेट्रोल पम्प आबंटित किये गये हैं उनके नाम क्या हैं;

(ग) क्या हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड ने गोपालगंज जिले में नेबुआ, जलालपुर में एक पेट्रोल पम्प खोलने के लिए एक लाइसेंस जारी किया था परन्तु बाद में उस स्थान को बदल कर बलठारी राष्ट्रीय राजमार्ग कर दिया गया; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रीलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख) बिहार के गोपालगंज जिले में कुल चार पेट्रोल पम्प (इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि०, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि० तथा आई० बी० पी० कम्पनी लि० का एक-एक) अलाट किए गए हैं। डीलरों के नाम ये हैं :

सर्वश्री जय सिंह नाहर,
सुखदेव प्रसाद,
नन्दलाल राम,
पशुपति नाथ सिंह

(ग) और (घ) गोपालगंज जिले में निचुआ-जलालपुर में इसी प्रकार के स्थानों के साथ कम लागत का खुदरा बिक्री केन्द्र स्थापित करने की तेल उद्योग की पहले ही योजना थी। बाद में यह पाया गया कि "ई" श्रेणी की मार्किट के निर्दिष्ट दूरी के मानदंडों को ये स्थान पूरा नहीं करते, अतः तेल उद्योग द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इन स्थानों को "डी" श्रेणी की मार्किट में बदल दिया जाय जिनमें राज्य/राष्ट्रीय राजमार्ग आते हैं। अंततः, निचुआ-जलालपुर को राष्ट्रीय राजमार्ग पर मान लिया गया।

चमड़ा उद्योग का आधुनिकीकरण

[अनुवाद]

2733. **श्री परसराम भारद्वाज : क्या उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चमड़ा निर्यातकों ने प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यों पर अच्छी किस्म की वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी अपनाने हेतु चमड़ा उद्योग में सुधार किए जाने की आवश्यकता पर जोर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्रीय सरकार की योजना और उसके प्रयासों का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) जी, हां। निर्यात के लिए चमड़े की वस्तुओं का उत्पादन करने हेतु सरकार विदेशी सहयोगों और विदेशी तकनीशियनों की नियुक्ति की अनुमति उदारतापूर्वक दे रही है। सरकार ने ऐसे उत्पादन के लिए आवश्यक पूंजीगत वस्तुओं, कच्चे माल और उपकरणों के आयात को भी उदार बना दिया है।

बंगाल इम्यूनिटी लि०, बंगाल केमिकल्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि० और स्मीथ स्टेनीस्टूट फार्मास्युटिकल्स लि० के लिए पुनर्वास व्यवस्था (पैकेज)

2734. **श्री रेणुपद दास** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बंगाल इम्युनिटी लि०, बंगाल केमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि० और स्मीथ स्टेनीस्ट्रीट फार्मास्यूटिकल्स लि० के लिए कोई पुनर्वास व्यवस्था (पैकेज) की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) और (ख) बंगाल इम्युनिटी लि०, कलकत्ता, बंगाल कैमिकल्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि० कलकत्ता और स्मिथ स्टेनीस्ट्रीट फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड कलकत्ता के लिए पुनः स्थापना योजनाएं तैयार की जा रही हैं।

अमृतसर में टेलीफोन सेवा

2735. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत एक वर्ष से अमृतसर में टेलीफोन संतोषजनक ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं;

(ख) गत छह महीनों के दौरान कितने टेलीफोन 10 दिन से अधिक समय के लिए बन्द पड़े रहते हैं; और

(ग) प्रणाली की कुशलता में सुधार लाने और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध यदि कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) अमृतसर की टेलीफोन प्रणाली संतोषजनक ढंग से कार्य कर रही है।

(ख) फरवरी, 88 से जुलाई, 1988 की अवधि के बीच विभिन्न समय के दौरान तथा विभिन्न केबिलों के कुल 952 टेलीफोन 10 दिन से अधिक समय तक खराब पड़े रहे। ऐसी अधिकांशतः केबिल दोष के कारण हुआ।

(ग) दूरसंचार सेवाओं में सुधार के लिए "मिशन बेहतर संचार" के अंतर्गत कार्रवाई शुरू की गई है जिसमें से मुख्य गतिविधियां इस प्रकार हैं :—

(1) जटिल ओवर हेड लाइनों को भूमिगत केबिलों द्वारा बदलना।

(2) जिन केबिलों में अधिक दोष उत्पन्न होते हैं; उन्हें बदलना।

(3) दोषयुक्त टेलीफोन उपकरणों को बदलना।

(4) ऐसे इलेक्ट्रो मेकेनिकल एक्सचेंजों को बदलना जो पुराने हैं तथा जिनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है।

टेलीफोन-दोष की अवधि कम करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। टेलीफोन सर्किटों में अधिक समय तक दोष रहने के लिए जिम्मेदार दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध उपयुक्त विभागीय कार्रवाई की जा रही है।

हल्दिया रिफाइनरी का विस्तार

2737. **श्री सत्य गोपाल मिश्र :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हल्दिया रिफाइनरी की क्षमता बढ़ाने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो कब और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) हल्दिया रिफाइनरी का विस्तार इसलिए संभव नहीं माना गया है क्योंकि इस पर किसी भी एक ग्रास रूट रिफाइनरी के बराबर लागत आएगी। इसके अलावा इस विस्तार के लिए मांग और पूर्ति तत्व अनुकूल नहीं है।

मैसर्स जे० के० इण्डस्ट्रीज लिमिटेड कलकत्ता और मैसर्स गुप्ता टायर ट्रेडर्स, करनाल द्वारा टायरों की बिक्री के संबंध में जांच

2738. **श्री मति लाल हंसदा :** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकाधिकार और अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग द्वारा मई, 1988 में मैसर्स जे० के० इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, कलकत्ता तथा मैसर्स गुप्ता टायर ट्रेडर्स, करनाल द्वारा की गई टायरों की बिक्री के मामलों की जांच पूरी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो जांच के निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त कम्पनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, नहीं। आयोग के समक्ष जांच कार्यवाहियां प्रगति पर हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता है।

पश्चिम बंगाल में उद्योग विहीन जिलों को लाइसेंस जारी करना

2739. **श्री आनन्द पाठक** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल के "उद्योगविहीन जिलों" के लिए अब तक कितने लाइसेंस जारी किए गए हैं; और

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) 1985 से 1988 (जून, 88 तक) तक की अवधि में पश्चिम बंगाल के "उद्योग रहित जिलों" में उद्योगों की स्थापना करने के लिए 3 औद्योगिक लाइसेंस दिये गये हैं। इन लाइसेंसों के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :—

पार्टी/उपक्रम का नाम	स्थापना स्थल	विनिर्माण की वस्तुएं तथा क्षमता
1. परफैक्ट एयर प्रॉडक्ट्स प्रा० लि०, कलकत्ता	जिला जलपाइगुडी	1. ऑक्सीजन गैस=0.47 एम० सी० एम० 2. नाइट्रोजन गैस=0.47 एम० सी० एम०
2. कोऑपरेटिव स्पिनिंग मिल्स लि०, कलकत्ता	बांकुरा जिला	कॉटन यार्न=25,080 तकुए
2. ई० एम० आर० पॉलीटैक्स लि०, कलकत्ता	बांकुरा जिला	लघु उद्योग के लिए आरक्षित वस्तुओं को छोड़कर सरक्यूलर लूम्स पर आधारित, बुने हुए पी० पी०/एच० डी० पी० ई० बोरे=1,200 मी० टन०

गुजरात के पिछड़े क्षेत्र में औद्योगिक एकक

2740. **श्रीमती बसवराजेश्वरी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "औद्योगिक नीति तथा पिछड़े क्षेत्र एक विवेचनात्मक विश्लेषण" शीर्षक के अन्तर्गत किए गए अध्ययन से गुजरात के पिछड़े क्षेत्र में औद्योगिक एककों का एक अनुभवजन्य विश्लेषण प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह अध्ययन महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु तथा पश्चिमी बंगाल के सम्बन्ध में किया गया था;

(ग) अध्ययन रिपोर्ट में अन्य क्या सुझाव दिए गए हैं; और

(घ) उक्त सुझाव किस सीमा तक कार्यान्वित किए जा रहे हैं ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

तेल शोधन क्षमता की कमी होना

2741. **श्री एस० एम० गुरड्डी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल शोधन क्षमता की कमी बहुत महंगी सिद्ध हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने देश की मांग को पूरा करने के लिए कोई निर्णय किया है; और

(ग) यदि हां, तो तेल शोधन क्षमता में कुल कितनी कमी है और सरकार का इस क्षमता को किस सीमा तक बढ़ाने का विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) से (ग) फिलहाल, देशज रिफाइनिंग क्षमता में कोई कमी नहीं आई है। फिर भी अलग-अलग जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार एस० के० तथा एच० एस० डी० जैसे कुछ पेट्रोलियम उत्पादों का आयात करती रही है। आगामी वर्षों में पेट्रोलियम उत्पादों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए सरकार ने करनाल में (6 मिलियन टन प्रतिवर्ष की), मंगलौर में (3 मिलियन टन प्रतिवर्ष की) तथा असम में (2 मिलियन टन प्रतिवर्ष की) तीन नई ग्रास रूट रिफाइनरियां स्थापित करने की योजना बनाई है।

उत्तर प्रदेश में सलीमपुर में पेट्रो-रसायन काम्पलेक्स

2742. **डा० बी० एल० शैलेश : क्या उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश) के निकट सलीमपुर में एक पेट्रो-रसायन काम्पलेक्स स्थापित करने पर विचार कर रही है;

(ख) क्या किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी ने इस काम्पलेक्स की स्थापना के लिए भारतीय कंपनियों से सहयोग करने की पेशकश की है;

(ग) यदि हां, तो उसका पूंजी निवेश संबंधी प्रस्ताव क्या है;

(घ) क्या कोई भारतीय कंपनियां भी इस परियोजना की स्थापना की इच्छुक है, और यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं और उनके द्वारा किन विदेशी कंपनियों के साथ सहयोग किये जाने की संभावना है; और

(ङ) क्या यह परियोजना गैर-सरकारी क्षेत्र में स्थापित की जायेगी अथवा संयुक्त क्षेत्र में और इसकी आयोजना और निष्पादन की वर्तमान स्थिति क्या है ?

उद्योग मन्त्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) से (ङ) उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ जिले के सलीमपुर में एक पेट्रो-रसायन काम्पलेक्स स्थापित करने के लिए कुछ आवेदन प्राप्त हुए हैं। उन पर निर्णय होने तक ऐसे आवेदनों के ब्यौरे प्रकट नहीं किए जाते हैं। ऐसे आवेदनों पर निर्णय तकनीकी-आर्थिक आधार पर लिये जाते हैं।

जीपों का निर्माण

2743. श्री अमर सिंह राठवा :

श्री मोहन भाई पटेल :

क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इन औद्योगिक एककों के नाम क्या हैं जो जीपों का निर्माण कर रहे हैं और प्रत्येक एकक में प्रति वर्ष कितनी जीपों का निर्माण किया जाता है;

(ख) क्या देश में निर्मित जीपों की विदेशों में, विशेष रूप से आस्ट्रेलिया में, बहुत अधिक मांग है;

(ग) विदेशों के लिए जीप सप्लाई करने हेतु प्राप्त हुए, क्रयादेशों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) स्वदेशी आवश्यकतायें पूरा करने और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जीपों के उत्पादन में वृद्धि करने हेतु क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) मै० महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा लि०, बम्बई द्वारा निर्मित "जीप" दुर्गम मार्गों पर चलने वाले (क्रॉस कन्ट्री) वाहनों का लाइसेंस प्राप्त ब्रांड नाम है। मैसर्स महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा लि० और मारुति उद्योग लि० देश में दुर्गम मार्गों पर चलने वाले (क्रॉस कन्ट्री) वाहनों के इस समय दो प्रमुख निर्माता हैं। इन दो एककों के नवीनतम उत्पादन आंकड़े नीचे दिये गये हैं :—

महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा	30,000 (अनुमानित)
1987-88 (अक्तूबर-सितम्बर)	
मारुति उद्योग लि०	2364
1987-88 (अप्रैल-मार्च)	

(ख) और (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान मै० महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा लि० द्वारा किया गया निर्यात (माने गये निर्यात सहित) इस प्रकार हैं :—

1984-85	3129 जीपें
1985-86	2386 जीपें
1986-87	3729 जीपें

कंपनी आस्ट्रेलिया में भी निर्यात बाजार विकसित करने के लिए प्रयास कर रही है। इसी प्रकार से मैसर्स मारुति उद्योग लि० ने नेपाल और भूटान जैसे देशों को थोड़े से जिप्सी वाहनों का निर्यात किया है। कंपनी दक्षिणी प्रशान्त द्वीप समूह और यूगोस्लाविया में भी निर्यात बाजार विकसित करने के प्रयास कर रही है।

(घ) विद्यमान लाइसेंस प्राप्त क्षमता घरेलू और निर्यात दोनों बाजारों के लिए दुर्गम मार्गों पर चलने वाले वाहनों के निर्माण के लिए कोई बाधा नहीं है।

पश्चिम बंगाल में सोवियत संघ द्वारा छिद्रण कार्य

2744. **श्री सनत कुमार मंडल :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत संघ तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के परामर्श से सोनारपुर, चौबीस परगना (पश्चिम बंगाल) में चुने गये स्थान पर सोवियत संघ अपने आदमी तथा मशीनरी लाकर छिद्रण कार्य करने पर सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो सोनारपुर में छिद्रण कार्य कब से आरम्भ किये जाने की संभावना है;

(ग) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा पश्चिम बंगाल में छिद्रण कार्य के लिए पता लगाये गये अन्य स्थानों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग इस पर आने वाली कितनी लागत को वहन करेगा ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) से (घ) सोवियत संघ सोवियत तकनीकी सहायता तथा पर्यवेक्षण से तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के उपकरणों, जन-शक्ति तथा सामग्री के साथ सोनारपुर, 24 परगना, पश्चिमी बंगाल के पास एक कुंआ खोदने के लिए सहमत हो गया है। इसे कुंए की ड्रिलिंग के 1988 के अन्त तक आरम्भ होने की सम्भावना है। पश्चिमी बंगाल के 5 अन्य स्थानों अर्थात् काकद्वीप, मानिगर, सहनपुर, कुल्पी और चांदखुदी में सोवियत उपकरणों, जन-शक्ति तथा सामग्री के साथ संपूर्ण कार्य करने के आधार पर ड्रिलिंग करने की संभावना है। लगभग दो वर्षों के बाद इन कुंओं के खोदे जाने की संभावना है। इन कुंओं की ड्रिलिंग की लागत तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा वहन की जाएगी तथा इसका कुछ भाग सोवियत ऋण से पूरा किया जाएगा।

फरक्का (चरण-दो) विद्युत परियोजना

2745. **श्री जायनल अबेदिन :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय ताप-विद्युत निगम के अन्तर्गत फरक्का (चरण-दो) विद्युत परियोजना कब तक कार्यान्वित की जायेगी; और

(ख) इसके द्वारा उत्पादन कब आरम्भ किये जाने की संभावना है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) फरक्का सुपर ताप विद्युत परियोजना, चरण-दो की 500 मेगावाट की पहली यूनिट को जून, 1991 में तथा दूसरी यूनिट को उनके एक वर्ष पश्चात् चालू किये जाने की सम्भावना है।

सातवीं योजना के दौरान उद्योगों की स्थापना

2746. **श्री मानिक सान्याल :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान (अद्यतन) महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में उद्योग स्थापित करने के लिए दिए गए लाइसेंसों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन उद्योगों की स्थापना में अब तक राज्य-वार क्या प्रगति हुई है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) नीचे दी गई तालिका में 1985-86, 1986-87, 1987-88 तथा 1988-89 (अप्रैल-जून, 88) के वित्तीय वर्षों के दौरान महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल तथा तमिलनाडु राज्यों में उद्योगों की स्थापना करने के लिए दिये गए औद्योगिक लाइसेंसों की संख्या दी गई है :—

राज्य	1985-86	1986-87	1987-88	1988-89 (अप्रैल-जून, 88)
	के दौरान दिये गए औद्योगिक लाइसेंसों की संख्या			
महाराष्ट्र	135	95	80	19
कर्नाटक	63	43	37	8
उत्तर प्रदेश	76	64	32	7
गुजरात	73	77	41	8
पश्चिम बंगाल	43	24	23	8
तमिलनाडु	165	60	27	4

(ख) दिए गए औद्योगिक लाइसेंसों के कार्यान्वयन की प्रगति पर निगरानी संबंधित राज्य सरकार तथा उद्योग से संबंधित केन्द्र सरकार में प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग द्वारा की जाती है।

हिमाचल प्रदेश में ऊना में रसोई गैस की एजेंसी खोलना

2747. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में ऊना में रसोई गैस की एजेंसी शीघ्र खोलने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) एजेंसी कब तक खोली जायेगी तथा इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) से (ग) चुने हुए उम्मीदवारों को 14 अप्रैल, 1988 को आशय-पत्र (एल० ओ० आई०) जारी कर दिया गया था, परंतु उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश दिये जाने के कारण इस वितरणशिप को चालू करने का काम स्थगित कर दिया गया है।

बिजली की मांग और पूर्ति में अन्तर

2748. **श्री पूर्ण चंद्र मलिक :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1987 की स्थिति के अनुसार बिजली की मांग और पूर्ति में क्षेत्र-वार कितना अन्तर था; और

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान क्षेत्र-वार और वर्ष-वार बिजली का कुल कितना उत्पादन हुआ ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) अपेक्षित सूचना इस प्रकार है :—

(जनवरी, 1987 से दिसम्बर, 1987)　　　　(आंकड़े मिलियन यूनिट में)

	आवश्यकता	उपलब्धता	कमी
उत्तरी क्षेत्र	61039	54379	6060
पश्चिमी क्षेत्र	61512	58560	2952
दक्षिणी क्षेत्र	53988	45809	8179
पूर्वी क्षेत्र	27370	23827	3543
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	2057	1974	83
अखिल भारत	205966	184549	21417

(ख) अपेक्षित सूचना इस प्रकार है :—

(आंकड़े मिलियन यूनिट में)

	ऊर्जा उत्पादन		
	1985-86	1986-87	1987-88
उत्तरी क्षेत्र	46149	52842	59517
पश्चिमी क्षेत्र	57389	63128	68945
दक्षिणी क्षेत्र	43486	47091	47634
पूर्वी क्षेत्र	21175	22630	23646
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	1838	1914	2152
अखिल भारत	170037	187605	201894

केन्द्रीय क्षेत्र में उद्योगों में पूंजी निवेश

2749. **श्री सैयद मसूदल हुसैन :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1975 से 1987 तक केन्द्रीय क्षेत्र में उद्योगों में राज्य-वार कुल कितना पूंजी निवेश किया गया;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य में कितने प्रतिशत पूंजी निवेश किया गया;

(ग) क्या कुछ राज्य इस संबंध में पीछे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मन्त्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) और (ख) 1975 से 1987 तक केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों में सकल परिसम्पत्ति के रूप में राज्य-वार कुल पूंजी-निवेश तथा 1975 और 1987 की स्थिति के अनुसार प्रत्येक राज्य के हिस्से का प्रतिशत संलग्न विवरण में देखा जा सकता है।

(ग) और (घ) समग्र सन्तुलित क्षेत्रीय विकास की आवश्यकता को ध्यान में रखकर परियोजनाओं की तकनीकी आर्थिक सक्षमता का विचार करते हुए केन्द्रीय पूंजी निवेश किया जाता है। अतः भिन्न-भिन्न राज्यों में पूंजी निवेश एक समान नहीं हो सकता है।

विवरण

प्रत्येक वर्ष मार्च के अन्त तक परिसम्पत्तियों (सकल परिसम्पत्ति) का राज्य-वार विवरण

(करोड़ रुपयों में)

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	1975	1976	1977	1978	1979	1980
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	269.0	310.9	390.7	489.69	513.89	775.12
2.	असम	198.5	271.0	312.9	370.72	382.68	490.37
3.	बिहार	1671.8	1882.8	2509.1	2815.33	2877.02	3151.67
4.	गुजरात	301.3	432.5	523.4	626.93	762.24	879.60
5.	हरियाणा	19.4	51.6	142.7	144.73	213.90	252.97
6.	हिमाचल प्रदेश	0.9	4.2	11.8	87.53	107.55	127.02
7.	जम्मू एवं कश्मीर	6.9	7.2	5.7	5.79	6.20	7.05
8.	कर्नाटक	186.8	212.0	268.2	414.38	529.82	746.45
9.	केरल	202.2	246.8	274.1	325.51	382.74	422.84
10.	मध्य प्रदेश	837.6	1366.3	1492.7	1793.59	1846.13	2230.77

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	महाराष्ट्र	306.4	371.5	630.3	909.18	976.56	1313.94
12.	मणिपुर	—	—	—	—	—	—
13.	मेघालय	—	—	—	—	—	—
14.	नागालैंड	—	—	—	—	—	—
15.	उड़ीसा	577.0	619.6	646.5	654.41	710.28	928.37
16.	पंजाब	77.5	165.2	197.8	225.68	344.52	362.52
17.	राजस्थान	160.2	187.7	227.1	277.10	291.97	337.62
18.	तमिलनाडु	384.5	498.6	466.9	563.40	615.78	747.74
19.	त्रिपुरा	—	—	—	—	—	—
20.	उत्तर प्रदेश	256.5	305.6	376.2	486.95	658.12	802.28
21.	पश्चिम बंगाल	785.3	566.0	768.3	1058.83	1082.88	1540.89
22.	अण्डमान एण्ड निकोबार	—	—	—	—	—	—
23.	चण्डीगढ़	—	—	—	—	—	—
24.	दिल्ली	222.8	274.9	400.7	356.32	427.82	501.89
25.	गोवा	2.9	2.9	3.3	4.88	5.35	6.37
26.	पाण्डिचेरी	—	—	—	—	—	—
27.	अन्य तथा अवर्गीकृत	956.4	1334.1	1802.8	2094.31	2932.48	2535.96
	जोड़	7423.9	9112.3	11451.2	13705.26	15667.93	18161.44

प्रत्येक वर्ष मार्च के अंत तक परिसम्पत्तियों (सकल परिसम्पत्ति) का राज्य-वार वितरण

(करोड़ रुपयों में)

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	1981	1982	1983	1984	1985
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	988.08	1208.17	2137.08	3086.90	5053.78
2.	असम	71.56	1279.39	1575.30	1930.10	2451.15
3.	बिहार	3541.40	4041.06	4692.33	5151.79	5833.77
4.	गुजरात	1068.45	1108.50	1172.49	1511.79	1771.77
5.	हरियाणा	261.15	288.91	314.70	360.56	411.80
6.	हिमाचल प्रदेश	147.80	166.05	168.11	174.54	211.05
7.	जम्मू एवं कश्मीर	10.03	14.82	23.91	28.12	48.28
8.	कर्नाटक	844.64	966.78	1064.82	1199.08	1327.53
9.	केरल	481.96	542.68	617.53	715.11	831.22
10.	मध्य प्रदेश	2634.67	3180.71	3861.02	4510.80	5396.12
11.	महाराष्ट्र	1826.80	2977.44	4219.75	5917.72	7601.81
12.	मणिपुर	—	—	—	123.58	131.32

1	2	3	4	5	6	7
13.	मेघालय	—	—	—	1.84	1.89
14.	नागालैंड	—	—	—	72.90	72.98
15.	उड़ीसा	1038.99	1273.95	1522.45	2164.55	2997.74
16.	पंजाब	418.64	448.06	485.85	536.65	563.62
17.	राजस्थान	361.56	471.67	557.05	642.64	647.62
18.	तमिलनाडु	922.57	1078.95	1558.71	2127.11	2548.86
19.	त्रिपुरा	—	—	—	78.83	93.38
20.	उत्तर प्रदेश	1017.90	1354.41	1843.45	2093.62	2532.77
21.	पश्चिम बंगाल	1736.40	1977.50	2445.57	2909.87	3345.37
22.	अण्डमान एवं निकोबार	—	—	—	4.74	6.21
23.	चण्डीगढ़	—	—	—	2.70	3.52
24.	दिल्ली	604.16	696.51	996.49	1018.56	1238.83
25.	गोवा	6.94	8.76	11.97	10.14	17.79
26.	पांडिचेरी	—	—	—	7.19	7.66
27.	अन्य तथा अवर्गीकृत	2598.57	2525.60	2700.11	2458.99	3170.43
	जोड़	21182.27	25609.92	31968.69	38844.42	47323.27

प्रत्येक वर्ष मार्च के अन्त तक परिसम्पत्तियों (सकल परिसम्पत्ति) का राज्य-वार वितरण

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	1986	1987	कुल पूंजी निवेश का %	
				1975	1987
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	5294.01	6761.52	3.6	9.94
2.	असम	3011.69	3808.72	2.7	5.60
3.	बिहार	6311.60	6969.20	22.5	10.24
4.	गुजरात	2405.54	3197.79	4.1	4.70
5.	हिमाचल प्रदेश	326.16	527.43	—	0.78
6.	हरियाणा	545.94	649.69	0.3	0.95
7.	जम्मू एवं कश्मीर	83.73	117.84	0.1	0.17
8.	कर्नाटक	1546.66	1721.52	2.5	2.53
9.	केरल	922.75	1074.44	2.6	1.58
10.	मध्य प्रदेश	6844.37	8571.69	11.3	12.60
11.	महाराष्ट्र	9029.85	10905.09	4.1	16.02

1	2	3	4	5	6
12.	मणिपुर	137.61	139.68	—	0.21
13.	मेघालय	2.66	4.27	—	0.01
14.	नागालैंड	75.97	78.17	—	0.11
15.	उड़ीसा	4073.18	4637.65	7.8	6.81
16.	पंजाब	602.78	641.02	1.0	0.94
17.	राजस्थान	717.18	780.95	2.2	1.15
18.	सिक्किम	0.03	0.55	—	—
19.	तमिलनाडु	2954.10	3018.82	5.2	4.44
20.	उत्तर प्रदेश	3310.36	3913.96	3.5	5.75
21.	त्रिपुरा	124.45	160.83	—	0.24
22.	पश्चिम बंगाल	3999.84	4524.94	10.6	6.65
23.	चण्डीगढ़	33.21	4.06	—	0.01
24.	अण्डमान एवं निकोबार	12.18	9.89	—	0.01
25.	दिल्ली	1030.17	1928.48	3.0	2.83
26.	गोवा	27.70	35.27	—	0.05
27.	पांडिचेरी	6.22	8.53	—	0.01
28.	अन्य तथा अवर्गीकृत	3376.58	3859.87	12.9	5.67
	जोड़	56806.42	68051.87	100.0	100.00

गोवा में टेलीविजन स्टूडियो स्थापित करना

2750. **श्री शांताराम नायक : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोवा में टेलीविजन स्टूडियो स्थापित करने के सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या अपेक्षित उपकरणों का स्वदेश में निर्माण किया गया है अथवा उनका आयात किया गया है;

(ग) क्या इसके लिए कोई निश्चित समय निर्धारित किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) पणजी (गोवा) में प्रस्तावित टी० वी० स्टूडियो के भवन का निर्माण शीघ्र ही पूरा होने वाला है। उपकरणों को खरीद के आदेश स्वदेशी निर्माताओं को दे दिए गए हैं तथा आंशिक उपकरणों की सप्लाई प्राप्त हो गयी है।

(ग) और (घ) पणजी (गोवा) में स्टूडियो केन्द्र के 1988-89 के दौरान चालू हो जाने की उम्मीद है।

अग्नि रोधी द्वारों के निर्माण के लिए सहयोग

2751. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम जर्मनी की फर्मों के सहयोग से अग्नि रोधी द्वारों के निर्माण हेतु लाइसेंस के लिये प्रस्तुत आवेदन लम्बित पड़े हैं;

(ख) क्या इन आवेदकों में राज्य स्वामित्व वाली कुछ कम्पनियां भी शामिल हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

नीम के उत्पादों की बिक्री

2752. **डा० जी० विजय रामा राव : क्या उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नीम का कोई उत्पाद कीटनाशक के रूप में वाणिज्यिक प्रयोग के लिए व्यावहारिक पाया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या सरकारी क्षेत्र के हिन्दुस्तान इन्सेक्टीसाइड्स लि० जैसे किसी एकक द्वारा नीम के उत्पाद बनाये और बेचे जा रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कितने मूल्य के उत्पादों का निर्यात किया गया है ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) जी, नहीं। कीटनाशियों के रूप में "नीम" उत्पादों का वाणिज्यिक उपयोग अभी तक व्यावहारिक नहीं पाया गया है।

(ख) जी, नहीं।

तमिलनाडु में अनिवासी भारतीयों को लाइसेंस

2753. **श्री सी० के० कुप्पुस्वामी** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में औद्योगिक परियोजनाएं आरम्भ करने के लिए लाइसेंस हेतु कितने अनिवासी भारतीयों ने आवेदन किया है; और

(ख) सरकार द्वारा कितने अनिवासी भारतीयों को लाइसेंस दिए गए हैं ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एस० अरुणाचलम) : (क) और (ख) नवम्बर, 1983 में विशेष स्वीकृति समिति (अनिवासी भारतीय) की स्थापना होने के समय से 30-6-88 तक तमिलनाडु राज्य में औद्योगिक एकक लगाने के लिए अनिवासी भारतीयों से कुल 21 औद्योगिक लाइसेंस के आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनके लिए उन्हें कुल 13 आशय पत्र/एस० आई० ए० पंजीकरण जारी किए गए हैं।

पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिकीकरण पर कार्यकारी दलों की सिफारिशें

2754. **श्री के० राममूर्ति** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिकीकरण के प्रश्न पर पहले भी कई कार्यकारी दल और समितियों ने विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो इनकी सिफारिशों को लागू करने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) कौन-कौन-सी सिफारिशों को कार्यान्वित किया जाना शेष है; और

(घ) अब तक क्रियान्वित की गई सिफारिशों का क्या परिणाम निकला है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) जी, हां। पांडेय कार्यदल ने पिछड़े जिलों के चयन हेतु मानदंड निर्धारित किये थे। राजकोषीय तथा वित्तीय रियायतों सम्बन्धी कार्य की देख-रेख वांचू कार्यदल ने की थी। तदनुसार 246 जिलों को औद्योगिक रूप से पिछड़ा जिला माना गया था। इनमें से 101 जिलों को केन्द्रीय निवेश राजसहायता पाने की और शेष जिलों को रियायती वित्त का पात्रता दी गयी थी। पिछड़े क्षेत्रों के विकास सम्बन्धी राष्ट्रीय समिति (एन० सी० डी० बी० ए०) ने अन्य बातों के साथ-साथ विकास केन्द्रों की स्थापना की भी सिफारिश की थी। केन्द्र सरकार ने 1-4-1983 से यह निर्णय लिया है कि वह मूलभूत सुविधाओं के विकासार्थ राज्य सरकारों की सहायता करेगी और यह सहायता उनके उद्योग रहित जिलों में एक या दो चुने हुए विकास केन्द्रों के विकासार्थ दी जायेगी। विद्यमान केन्द्रीय

निवेश योजना की समीक्षा करने और उसमें संशोधन करने के लिए जो अन्तर-मंत्रालयीय समिति गठित की गयी थी उसने अपनी रिपोर्ट दे दी है। उनकी सिफारिशों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सम्मिलित हैं :—

1. विकास केन्द्रों की स्थापना।
2. पिछड़े जिलों का चयन।
3. विद्यमान केन्द्रीय प्रोत्साहन योजना में संशोधन।

सरकार ने समिति की सिफारिशों को अंतिम रूप से नहीं देखा है। इस बीच यह निर्णय लिया गया है कि देश के पिछड़े जिलों में 5 वर्षों की अवधि के दौरान 100 नये विकास केन्द्रों की स्थापना की जाए।

(घ) औद्योगीकरण एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। केन्द्र सरकार द्वारा दिये गये केन्द्रीय प्रोत्साहनों के उपलब्ध होने से उद्यमियों को पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना करने में सहायता मिली है जैसा कि पिछले तीन वर्षों के दौरान देश के विभिन्न राज्यों/संघ क्षेत्रों के पिछड़े जिलों/क्षेत्रों को दी नयी केन्द्रीय निवेश राजससहायता तथा जारी किये गये आशय-पत्रों, औद्योगिक लाइसेंसों, लाइसेंसमुक्त उद्योगों के पंजीकरणों तथा डी० जी० टी० डी० पंजीकरणों की निम्नलिखित संख्या से स्पष्ट दिखायी पड़ता है :—

केन्द्रीय निवेश राजसहायता की प्रतिपूर्ति

1985-86	101.27 करोड़ रुपये
1986-87	125.12 करोड़ रुपये
1987-88	154.35 करोड़ रुपये

जारी किये गये आशय पत्रों, औद्योगिक लाइसेंसों, लाइसेंस मुक्त उद्योग पंजीकरणों तथा डी० जी० टी० डी० पंजीकरणों की संख्या :—

वर्ष	आशय पत्र	औद्योगिक लाइसेंस	लाइसेंसमुक्त उद्योग पंजीकरण	डी० जी० टी० डी० पंजीकरण
1985	774	427	681	1140
1986	621	278	1483	610
1987	534	192	1097	165

केरल में दूरसंचार व्यवस्था का आधुनिकीकरण

2755. **श्री टी० बशीर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार केरल में दूरसंचार व्यवस्था के आधुनिकीकरण के किसी नए प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) यद्यपि केरल में उप-ग्रह माइक्रोवेव, कोएक्सिअल, इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज आदि जैसी आधुनिक दूरसंचार प्रणालियां पहले से ही कार्य कर रही हैं, फिर भी, वर्ष 1988-90 के दौरान केरल राज्य में दूरसंचार प्रणालियों के आधुनिकीकरण के कुछ महत्वपूर्ण योजना प्रस्ताव इस प्रकार हैं :—

—वर्ष 1989-90 के दौरान कालीकट-कन्नानौर के बीच डिजीटल माइक्रोवेव लिंक का संस्थापन

—वर्ष 1989-90 के दौरान निम्नलिखित रूटों पर 3 यू० एच० एफ० लिंकों का संस्थापन

(1) कांजीरापल्ली-कोट्टायम

(2) करुणागटोल्लीं-क्वीलोन

(3) परिमेड-कोट्टायम

—वर्ष 1989-90 में त्रिचूर एर्नाकुलम त्रिवेन्द्रम मार्ग पर आप्टीकल फाइबर लिंक की संस्थापन ।

—वर्ष 1989-90 में कालीकट कन्नानौर के बीच मोएक्सिअल, लिंक की संस्थापना ।

—वर्ष 1988-89 के दौरान त्रिवेन्द्रम एर्नाकुलम कालीकट रूट पर दूरदर्शन चैनल की व्यवस्था करना ।

—वर्ष 1988-89 के दौरान सी-डाट डिजाइन के 10 128 पोर्ट इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों की संस्थापना (जुलाई-अगस्त 88 के दौरान कराकोनम मदनविला, पेरुपयुरा, कल्लारा में 3 पहले ही चालू किए जा चुके हैं।)

—वर्ष 1988-89 के दौरान 11 512 पोर्ट इलैक्ट्रामिक आई० एल० टी० एक्सचेंजों की संस्थापना ।

—वर्ष 1989-90 के दौरान लंबी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन सुलभ कराने के लिए एक एम० आर० आर प्रणाली की संस्थापना जिसका बेस-स्टेशन कासरमांड में होगा ।

—वर्ष 1988-90 के दौरान 12 सिंगल चैनल वाले वी० एच० एफ० लिंकों की व्यवस्था करना ।

महाराष्ट्र में बिजली पैदा करने के लिए गैस की सप्लाई

2756. **श्री बी० एन० गाडगिल** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाजीरा-बिजयपुर-जगदीशपुर पाइपलाइन पर पड़ने वाले गैस आधारित विद्युत संयंत्रों के लिए विभिन्न राज्यों से प्राप्त नौ प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं;

(ख) क्या महाराष्ट्र सरकार ने 900 मेगवाट के एक गैस टरबाइन बिजलीघर की स्थापना के लिए लगभग 56 लाख घन मीटर गैस प्रतिदिन स्वीकृत करने का एक प्रस्ताव भेजा है;

(ग) क्या बम्बई उपनगरीय विद्युत प्रदाय कम्पनी ने केन्द्रीय सरकार से अपने प्रस्तावित बिजली घर के लिए 20 लाख घन मीटर गैस प्रति दिन स्वीकृत करने का अनुरोध किया है;

(घ) क्या टाटा इलेक्ट्रिक कम्पनी ने भी अपने स्थापनाधीन वर्तमान यूनिट संख्या 5 और यूनिट संख्या 6 हेतु बिजली का उत्पादन करने के लिए और अधिक गैस स्वीकृत करने का अनुरोध किया है; और

(ङ) क्या केन्द्रीय सरकार महाराष्ट्र में बिजली उत्पादन हेतु गैस उपलब्ध कराने के लिए इन प्रस्तावों को स्वीकृत करने के लिए सहमत हो गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) एच० बी० जे० पाइपलाइन से गैस पर आधारित बिजली घरों के लिए विभिन्न राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

(ख) से (घ) जी, हां।

(ङ) टाटा इलैक्ट्रिक कम्पनी को 1.5 मिलियन घन मीटर प्रतिदिन तथा महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड को 3 मिलियन घन मीटर प्रतिदिन गैस देने के लिए निश्चित वचन दिये हैं। उरान में उपलब्ध गैस के लिए पहले ही विभिन्न उपभोक्ताओं को वचन दिए जा चुके हैं, इसलिए आगे और वचन देना अभी सम्भव नहीं होगा।

कर्नाटक में डिस्टिलरियों और ब्रीवरियों के लिए लाइसेंस जारी करना

2757. **श्री एच० बी० रामुलु** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने संघ सरकार की पूर्वानुमति के बिना ही शीरे पर आधारित डिस्टिलरियों और ब्रीवरियों को लाइसेंस जारी किये हैं;

(ख) यदि हां, तो अब तक ऐसे कितने लाइसेंस जारी किए गए और उनका तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में संघ सरकार का क्या निवारक उपाय करने का विचार है?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) और (ख) कर्नाटक सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार शीरे से रेक्टिफाइड स्पिरिट के विनिर्माण के लिए 20 आसवनियों और 4 मद्य निर्माणशालाओं को लाइसेंस जारी किये गये थे। 20 आसवनियों में से 13 कार्यरत (उनमें से 10 आसवनियां 14 से 53 वर्ष से) हैं और शेष एककों ने अभी उत्पादन शुरू करना है। इन 13 आसवनियों में से 6 ने व्यवसाय जारी रखने के (सी० ओ० बी०) लाइसेंस अथवा डी० जी० टी० डी० पंजीकरणके लिए पहले ही केन्द्रीय सरकार को आवेदन दे दिये हैं; कुछ अन्य औद्योगिक (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 के अंतर्गत छूट का दावा कर रहे हैं क्योंकि उनमें 50 से कम कर्मचारी काम कर रहे हैं।

(ग) इन आवेदनों/अभ्यावेदनों पर इस विषय से संबंधित नियमों और विनियमों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

पंजाब की लघु क्षेत्र की रुग्ण औद्योगिक इकाइयां

2758. **श्री कमल चौधरी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून, 1988 तक पंजाब में लघु क्षेत्र की इकाइयों संख्या कितनी थी;

(ख) इनमें से कितनी रुग्ण हैं; और

(ग) पंजाब में लघु क्षेत्र की इन इकाइयों की स्थिति में सुधार करने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं या करने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) देश में बैंकों से सहायता प्राप्त रुग्ण औद्योगिक एककों से सम्बन्धित आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपनाई गई परिभाषा के अनुसार एकत्र किये जाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राप्त नवीनतम सूचना के अनुसार दिसम्बर, 1986 के अन्त तक की स्थिति के अनुसार पंजाब में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की किताबों पर लघु उद्योग क्षेत्र के अन्तर्गत 70.699 उधार खातों में जिन पर 613.59 करोड़ रुपये का बैंक ऋण बकाया था, में से 1030 एकक जिन पर 27.50 करोड़ रुपये का बैंक ऋण बकाया था, रुग्ण एकक के रूप में पाये गये हैं।

(ग) सरकार द्वारा लघु उद्योग क्षेत्र में प्रारम्भिक अवस्था में रुग्णता का पता लगाने तथा रुग्ण इकाइयों की पुनर्स्थापना करने की दिशा में अनेक अभ्युपाय किये गये हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने फरवरी, 1987 में सभी वाणिज्यिक बैंकों को व्यापक मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किये हैं, जिसमें आरंभिक अवस्था में रुग्णता का पता लगाने, रुग्ण लघु इकाइयों का पता लगाने, जीव्यता के मानदंड तथा जीव्यक्षम रुग्ण इकाइयों के मामले में पुनर्स्थापना पैकेज का कार्यान्वियन करने के लिए बैंकों/वित्तीय संस्थानों से प्राप्त होने वाली राहतों तथा रियायतों के बारे में विशेष रूप से उल्लेख है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा मई, 1986 में स्थापित लघु उद्योग विकास निधि से भी उन रुग्ण लघु उद्योग इकाइयों की पुनर्स्थापना के लिए सहायता उपलब्ध है जिन्हें वाणिज्यिक बैंक, राज्य वित्तीय निगमों, राज्य लघु उद्योग विकास निगमों से वित्तीय सहायता मिली हुई है। जीव्यक्षम रुग्ण लघु उद्योग इकाइयों को अगस्त, 1987 में स्थापित राष्ट्रीय इक्विटी निधि से प्रतिवर्ष एक प्रतिशत के मामूली सेवा प्रभार पर उन एककों को, जिनकी परियोजना लागत 5 लाख रु० से अधिक नहीं है, 75,000/ रु० तक की दीर्घकालिक इक्विटी सहायता उपलब्ध है। भारत सरकार द्वारा रुग्ण लघु औद्योगिक इकाइयों को पुनर्स्थापित करने के लिए सीमांत धन योजना का उदारीकरण किया गया है और इस योजना के अधीनसहायता राशि को प्रति इकाई 20,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया गया है। रुग्ण एककों के पुनरुत्थान के, लिए सरकार की सारे देश के लिए एक समान नीति है और यह अभ्युपाय पंजाब राज्य के लिए भी समान रूप से लागू हैं।

गैर-सरकारी क्षेत्र में संयुक्त उद्यमों के लिए सोवियत संघ से समझौता

2759. **डा० दत्ता सामन्त :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए एग्रोपोम सोवियत प्रतिनिधि मंडल से समझौतों पर हस्ताक्षर करने वाली भारतीय गैर-सरकारी फर्मों की संख्या कितनी है; और

(ख) इन परियोजनाओं का ब्योरा क्या है और ये कहां-कहां स्थापित की जायेंगी ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क)

भारत में संयुक्त उद्यम शुरू करने के लिए 6 भारतीय कंपनियों ने एग्रोपोम सोवियत प्रतिनिधिमंडल से समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। जिनके नाम इस प्रकार हैं :

1. मै० केजरीवाल एन्टरप्राइजिज, नई दिल्ली।
2. मै० सावन्त फूड्स, बम्बई।
3. मै० फीनिक्स ओवरसीज, नई दिल्ली।
4. मै० राजदूत पेन्ट्स, नई दिल्ली।
5. मै० जे० के० ऑर्गेनाइजेशन, नई दिल्ली।
6. मै० जयलक्ष्मी एक्सपोर्ट्स, गुंटूर।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

सोवियत संघ की कम्पनियों के साथ छः संयुक्त उद्यमों के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :

1	2
1. मै० केजरीवाल एन्टरप्राइजिज	एक संयुक्त उद्यम भारत में तथा एक सोवियत रूस में है। भारत से सोवियत को 7000 टन आम तथा फलों का गूदा निर्यात किया जाता है तथा सोवियत रूस में 20,000 टन गूदा व रस एवं सांद्रणों का निर्माण किया जाना है।
2. मै० सावन्त फूड्स	महाराष्ट्र के नासिक जिले में सोवियत रूस के एग्रोपोम द्वारा 40% की भागीदारी के साथ एक संयुक्त उद्यम का बूचड़खाना। मेमने का मांस, पुट्ठे तथा सोसेज।
3. मै० फीनिक्स ओवरसीज	यथोपरि उत्तर प्रदेश में फीनिक्स-एग्रोपोम बूचड़खाना। खरगोश का मांस तथा सोसेज, खरगोश प्रजनन को बढ़ाना।
4. मै० राजदूत पेन्ट्स	अनिवार्य जड़ी-बूटी तेलों-इथर युक्त तथा अन्य जड़ी-बूटी के लिए कर्नाटक या केरल में एग्रोपोम की 40% भागीदारी के साथ एक संयुक्त उद्यम एकक।
5. मै० जे० के० आर्गेनाइजेशन	सोवियत प्रौद्योगिकी से उत्तर प्रदेश में शीरे से सबमर्जड फर्मेंटेशन प्रोसेस द्वारा साइट्रिक एसिड के लिए एग्रोपोम की 40% की भागीदारी के साथ एक संयुक्त उद्यम एकक।
6. मै० जयलक्ष्मी एक्सपोर्ट्स	तमिलनाडु में एग्रोपोम की 40% की भागीदारी के साथ सोयाबीन का तेल निकालने का एक उद्यम।

1	2
	सोयाबीन की आपूर्ति एग्रोपोम द्वारा की जानी है और सोवियत रूस को सोयाबीन सोल्वेंट एक्स-टेंशन केक का निर्यात करके भारत में इसे पीसा तथा परिष्कृत किया जायेगा और सोया केक सोल्वेंट निकाला जायेगा।

मैसर्स एल० एम० एल० लिमिटेड द्वारा निर्मित स्कूटर

2760. **श्री जी० एस० बसवराजू :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एल० एम० एल० लिमिटेड को इटली की पियाजो कंपनी के सहयोग से 250 सी० सी० की क्षमता के इंजन के स्कूटर बनाने की स्वीकृति दे दी है;

(ख) प्रति वर्ष कुल कितने स्कूटरों का निर्माण किया जाएगा;

(ग) एक स्कूटर पर कुल कितनी लागत आयेगी; और

(घ) क्या यह वाहन ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उपयुक्त होगा ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम :) (क) मैसर्स लोहिया मशीन लि०, कानपुर को 250 सी० सी० इंजन क्षमता तक के दुपहिया स्कूटरों के निर्माण के लिए अपने विद्यमान सहयोगियों से प्रौद्योगिकी के आयात की अनुमति दी गई है ।

(ख) कंपनी ने अभी तक इस रेंज के वाहनों के उत्पादन के बारे में सूचित नहीं किया है ।

(ग) कंपनी ने अभी तक प्रस्तावित वाहन की लागत नहीं निकाली है ।

(घ) उच्चतर इंजन क्षमता और उसकी अधिक पावर के परिणामस्वरूप कंपनी को आशा है कि उक्त वाहन ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उपयुक्त रहेगा ।

दूरदर्शन और आकाशवाणी के कार्यकरण पर अध्ययन

2761. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन और आकाशवाणी के कार्यकरण पर किसी स्वतंत्र प्राधिकरण द्वारा यह जानने के लिए कोई आलोचनात्मक अध्ययन किया गया है कि देश में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फैसलों पर बिना किसी भेदभाव के और संवेदनशील मामलों को दक्षता के साथ निपटाने और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के बारे में जनता को शिक्षित करने संबंधी अपनी भूमिका निभाने के लिए यह समाचार माध्यम विभिन्न राजनैतिक दलों के दृष्टिकोणों को कहां तक प्रसारित कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इस प्रकार की कार्यवाही करने का है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) आकाशवाणी और दूरदर्शन की कार्यविधि के बारे में ऐसी कोई आलोचनात्मक जांच नहीं की

गई है। तथापि, आकाशवाणी और दूरदर्शन दोनों सरकारी माध्यम संबंधी सलाहकार समिति द्वारा बनाई गयी समाचार नीति और मार्गदर्शी सिद्धान्तों का अनुसरण करते हैं, समाचारों का चयन और संपादन में उच्चतम संभव व्यावसायिक स्तरों द्वारा इलैक्ट्रानिक माध्यम का मार्गदर्शन किया जाता है। समाचार की गुणवत्ता समाचार के चयन की कसौटी का निर्धारण करती है और इनका शोधन और प्रस्तुतीकरण प्रत्येक माध्यम की विशेषताओं और साथ ही लक्ष्य श्रोताओं से सीधे संबंधित है।

(ग) आकाशवाणी और दूरदर्शन की कार्यप्रणाली की पहले ही संसद के दोनों सदनों में और सूचना और प्रसारण मंत्रालय से सम्बद्ध सांसदों की परामर्शदात्री समिति में आलोचनात्मक समीक्षा होती है। अतः आकाशवाणी और दूरदर्शन की कार्यविधि की किसी स्वतन्त्र प्राधिकारी द्वारा कोई जांच किए जाने की आवश्यकता महसूस नहीं होती।

वोल्टाज द्वारा तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को क्रेनों की सप्लाई

2762. **डा० ए० के० पटेल : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या वोल्टाज द्वारा तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को बीस ओमेगा क्रेनों की सप्लाई की गई थी;

(ख) यदि हां, तो उसका मूल्य कितना था;

(ग) क्या सभी क्रेनें संतोषप्रद ढंग से काम कर रही हैं;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को 45 टन (टी-500) की तेरह क्रेनों की सप्लाई के लिए विश्व निविदायें आमंत्रित की गयी थीं और फिर निविदा वोल्टाज को दी गई थी;

(च) क्या वोल्टाज को निविदा देने के बाद तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा आवश्यकता के अनुरूप विनिर्देशन के लिए अनेक संशोधन किए गए थे;

(छ) यदि हां, तो किए गए संशोधनों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ज) क्या पचास लाख रुपए मूल्य की एक क्रेन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को पहले ही सप्लाई की जा चुकी है;

(झ) क्या संतोषप्रद ढंग से कार्य कर रही है; और

(ञ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) से (घ) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा मैसर्स वोल्टाज से 17.69 लाख रुपए से लेकर 25.80 लाख रुपए प्रति क्रेन की रेंज में खरीदी गई विभिन्न माडलों की 20 ओमेगा क्रेन संतोषजनक ढंग से कार्य कर रही है।

(ङ) जी, हां।

(च) और (छ) मैसर्स वोल्टाज के अनुरोध पर सप्लाई आर्डर में कुछ संशोधन किए गए इनमें से मुख्य देश में निर्मित 2100 आर० पी० एम० पर विकसित 225 एच० पी० की क्यूमिन्स माडल एन० डी-743 की डीजल इंजिन के स्थान पर 2100 आर० पी० एम० पर विकसित 265 एच पी० वी० की जी० एम-6एल-71-डी० ए० डीजल इंजन लेना था जिसमें मिलता जुलता गियर बाक्स और सहायक गियर बाक्स हो। जो परिवर्तन तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा निर्धारित तकनीकी विशिष्टिताओं के अनुरूप थे, उन्हें इसलिए स्वीकार कर लिया गया क्योंकि वे इस इन्जन के पिछले कार्य निष्पादन सिद्ध हो चुके थे और बिक्री के पश्चात् भारत में इसके लिए मरम्मत सेवाएं तथा पुर्जों का उपलब्ध होना था। मैसर्स वोल्टास ने रुपयों में भुगतान के एवज में कम से कम 10 वर्षों तक अतिरिक्त पुर्जों की सप्लाई करने की गारन्टी दी है।

(ज) से (झ) 34.60 लाख प्रति क्रेन की कीमत की दर की 13 क्रेनों में से 2 क्रेनें गई/ 1 जून, 1988 में चालू की गई है और एक अन्य क्रेन चालू होने की प्रक्रिया में है। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग इन क्रेनों के कार्य निष्पादन पर नजर रख रही है।

स्टील एण्ड एलाइड प्रोडक्ट्स लिमिटेड, कलकत्ता को पुनः चालू करना

2763. **डा० बी० वेंकटेश** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार स्टील एण्ड एलाइड प्रोडक्ट्स लिमिटेड कलकत्ता को पुनः चालू करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) क्या इस मामले में कोई निर्णय लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) इण्डस्ट्रियल फाइनेंस कार्पोरेशन ऑफ इंडिया (आई० एफ० सी० आई०) द्वारा कई अन्य वित्तीयों संस्थानों और सम्बन्धित सरकारी एजेंसियों के साथ मिलकर गहराई से की गई जांच के बाद यह निर्णय लिया गया था कि मै० स्टील एंड अलाइड प्रोडक्ट्स लिमिटेड की पुनरुज्जीवित करना वाणिज्यिक रूप से संभाव्य योजना नहीं होगी। तदनुसार, उक्त कम्पनी से अपने ऋणों की वसूली हेतु कम्पनी के समापन के लिए आई० एफ० सी० आई० ने फरवरी, 1983 में एक याचिका कलकत्ता उच्च न्यायालय में दायर की थी। कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा 14-5-87 को नियुक्त किए गए संयुक्त प्रापक (रिसीवर) ने उक्त औद्योगिक उपक्रम की परिसम्पत्तियों की नीलामी के लिए 9-7-88 की तारीख निर्धारित की थी। किंतु, आई० एफ० सी० आई० से ज्ञात हुआ है कि श्रमिकों से प्राप्त एक याचिका पर उच्च न्यायालय ने विक्रय प्रक्रिया को स्थगित कर दिया है। इस औद्योगिक उपक्रम के पुनरुज्जीवन हेतु कलकत्ता को एक परामर्शदायी फर्म ने कुछ सुझाव दिये हैं। इन्हें आई० एफ० सी० आई० को भेज दिया गया है।

उर्दू में प्रसारित समाचार

2764. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दूरदर्शन के राष्ट्रीय कार्यक्रम में उर्दू में समाचार प्रसारित करने के अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या वर्ष 1987-88 के दौरान दूरदर्शन के विभिन्न केन्द्रों में उर्दू के लिए आबंटित समय को बढ़ा दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी हां।

(ख) इस समय दूरदर्शन के राष्ट्रीय नेटवर्क में हिंदी और अंग्रेजी में समाचार बुलेटिन टेलिकास्ट किए जाते हैं। विभिन्न दूरदर्शन केन्द्र अपनी संबंधित क्षेत्रीय भाषा में क्षेत्रीय समाचार बुलेटिन टेलीकास्ट करते हैं। श्रीनगर का दूरदर्शन केन्द्र कश्मीरी और उर्दू दोनों भाषाओं में क्षेत्रीय समाचार बुलेटिन टेलीकास्ट कर रहा है। चूंकि राष्ट्रीय नेटवर्क के कार्यक्रमों के टेलीकास्ट का समय सीमित है इसलिए दूरदर्शन के लिए तब तक राष्ट्रीय नेटवर्क में समाचार बुलेटिनों का टेलीकास्ट प्रारम्भ करना संभव नहीं होगा जब तक कि ट्रांसमिशन समय बढ़ा नहीं दिया जाता है और पर्याप्त हार्डवेयर/साफ्टवेयर सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो जाती हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

बिजली तथा कोयला उत्पादन के लक्ष्य और उपलब्धियां

2765. **श्री भट्टम श्रीराम मूर्ति** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयला तथा बिजली उत्पादन के संबंध में वर्ष 1985 से 1988 तक की अवधि के दौरान निर्धारित किए गए लक्ष्यों और उपलब्धियों का वर्षवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या सरकार का प्रतिशतता के संदर्भ में बेहतर कार्य-निष्पादन दर्शाने के लिए उत्पादन लक्ष्यों को कम करने अथवा उत्पादन में वृद्धि करने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) अपेक्षित सूचना निम्नानुसार है—

	ऊर्जा उत्पादन (मिलियन यूनिट)			कोयला (मिलियन टन)		
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य की प्रतिशतता	लक्ष्य	वास्तविक उत्पादन	लक्ष्य की प्रतिशतता
1985-86	170000	170037	100	154.50	154.20	99.8
1986-87	190000	187605	98.7	166.80	165.79	99.4
1987-88	205000	201894	98.5	183.50	179.75	97.9

(ख) विद्युत उत्पादन के लिए वार्षिक लक्ष्य का निर्धारण, विद्युत/ऊर्जा की मांग, नई क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम, अनुरक्षण संबंधी कार्यक्रम आदि को मद्देनजर रखते हुए राज्य बिजली बोर्डों/विद्युत निगमों/अन्य विद्युत उत्पादन एजेंसियों तथा योजना आयोग द्वारा किया जाता है। उपभोक्ता क्षेत्रों की कोयले की मांग को मद्देनजर रखते हुए कोयला उत्पादन के वार्षिक लक्ष्य का निर्धारण योजना आयोग के परामर्श से किया जाता है। विद्युत तथा कोयला क्षेत्र के उत्पादन में पिछले कई वर्षों के दौरान महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है तथा इस वृद्धि संबंधी कार्यक्रम को सतत् रूप से आगे भी बनाए रखा जाएगा।

नकली मोबाइल आयल

2766. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस ने इन्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड, आदि के टिनों में पैक नकली मोबाइल आयल बेचने हुए एक गिरोह पकड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या आवश्यक कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) जी हां।

(ख) दिल्ली पुलिस ने 15-6-88 को शिवाजी पार्क, न्यू पटेल नगर और गांव दशग्रन में छापा मारा जिन स्थानों पर मिलावटी तेल पकड़ा गया वे प्रसिद्ध तेल कम्पनियों के ब्रांड नामों से निर्मित और पैक किया हुआ बेचा जाता था। इन छापों के दौरान, नकली तेल की बहुत बड़ी मात्रा तथा तेल बनाने और पैक करने का काफी सामान जब्त किया गया और दिल्ली पुलिस द्वारा तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। पंजाबी बाग, दिल्ली पुलिस स्टेशन में प्रथम सूचना संख्या 205 दिनांक 15-6-88 यू/एस 420 भा० द० सं० 78/79 ट्रेड मार्क अधिनियम तथा 63 कापी राइट अधिनियम के अंतर्गत इस मामले को दर्ज किया गया है।

पोलिमर के आयात के लिए नया पत्तन

2767. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 8 जून, 1988 के टाइम्स आफ इंडिया में न्यू पोर्ट फार पोलिमर इम्पोर्ट लाइकली शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार पोलिमर के आयात के लिए पश्चिमी तट पर आधुनिक सुविधाओं से युक्त एक पृथक पत्तन बनाने पर विचार कर रही है; और

(ग) इस संबंध में सरकार के प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) पेट्रो रसायन कच्चे माल को उतारने/लदान के लिए पश्चिमी तट पर टर्मिनल सुविधाएं स्थापित करने का प्रस्ताव तैयार किए जाने की प्रारंभिक अवस्था में है।

उड़ीसा में कोयले की उपलब्धता

2768. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में कोयले की उपलब्धता का पता लगाने के लिए प्रयास किए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) विभिन्न राज्यों, में जिसमें उड़ीसा भी शामिल है, कोयला भंडार का पता लगाने के लिए क्षेत्रीय समन्वेषण भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा किया जाता है जो कि एक अनवरत प्रक्रिया है। इन समन्वेषणों के आधार पर कोयले के खनन के लिए विशिष्ट परियोजनाएं शुरू करने के उद्देश्य से केन्द्रीय खान आयोजन एवं डिजाइन संस्थान लि०, खनिज समन्वेषण निगम लि० तथा अन्य ड्रिलिंग अभिकरणों के सहयोग से विस्तृत समन्वेषण करती है।

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के मूल्यांकन के अनुसार दिनांक 1-1-1988 की स्थिति के अनुसार उड़ीसा राज्य में समग्र कोयला का भंडार 39662.82 मि० ट० है।

विस्तृत समन्वेषण के संबंध में ब्यौरा नीचे दिया गया है—

(आंकड़े मीटर में)

वर्ष	के० खा० आ० एवं डि० सं० लि०	खनिज समन्वेषण निगम लि०	उड़ीसा राज्य के अभिकरण
1985-86	9178.60	1480.80	4565.80
1986-87	20235.30	7202.60	11903.05
1987-88	19182.95	11903.55	12183.43

वर्ष 1988-89 और 1989-90 के लिए ड्रिलिंग कार्यक्रम नीचे दिए गए हैं—

(आंकड़े मीटर में)

वर्ष	के० खा० आ० एवं डि० सं० लि०	ख० सम० नि० लि०	उड़ीसा राज्य के अभिकरण
1988-89	19000	10000	12000
1989-90	19000	10000	12000

आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र में पेट्रो कैमिकल्स के लिए सर्वेक्षण

2769. **श्री एम० रघुमा रेड्डी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र में पेट्रोकेमिकल्स बहुत बड़ी मात्रा में उपलब्ध हैं, और

(ख) क्या इस क्षेत्र में कोई सर्वेक्षण किया गया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) और (ख) आंध्र प्रदेश तेलंगाना क्षेत्र में अभी कोई बड़ा पेट्रो-रसायन संयंत्र नहीं है। पेट्रो-रसायन संयंत्रों की स्थापना करने के लिए अधिक पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है और ऐसे मामलों पर निर्णय उपर्युक्त समय में तकनीकी-आर्थिक आधार पर लिए जाते हैं।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकारियों के वेतनमानों में संशोधन

2770. **श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही :** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकारियों के वेतनमानों में कर्मचारियों के वेतनमानों में वृद्धि किये बिना एकपक्षीय वृद्धि कर दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाये जा रहे हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) से (ग) कार्यपालकों के वेतनमानों में एकपक्षीय रूप से वृद्धि नहीं की गई थी; बल्कि केन्द्रीय महंगाई भत्ता पैटर्न अपनाने वाले कार्यपालकों की तुलना में औद्योगिक महंगाई भत्ता पाने वाले कार्यपालकों की परिलब्धियों में सापेक्षता पुनर्स्थापित करने के लिए उन्हें तदर्थ राहत प्रदान की गई थी। चूंकि कामगारों के लिए मजूरी नीति को अंतिम रूप सरकार द्वारा दिया जाता था तथा अंतिम समझौता कामगारों एवं प्रबंधकों के बीच द्विपक्षीय आधार पर ही हो सकता था, इसलिए कामगारों को कोई तदर्थ राहत स्वीकृत नहीं की गई थी। किन्तु, कामगारों के लिए मजूरी समझौतों में खपाई जाने वाली अन्तरिम राहत स्वीकृत की गई हैं।

अल्कोहल का निर्यात

2771. **श्री एस० बी० सिदनाल :**

श्री एस० एम० गुरड्डी :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार चालू अल्कोहल वर्ष में देशी बाजार में अल्कोहल की भरमार होने की संभावना को ध्यान में रखते हुए अल्कोहल के और अधिक निर्यात को प्राधिकृत करने के प्रस्ताव की जांच कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) और (ख) जी, हां। अखिल भारतीय आसवनकर्ता संघ (ए० आई० डी० ए०) को शुरूआत के तौर पर 500 लाख लिटर अल्कोहल के निर्यात का प्रबंध करने की पहले ही अनुमति दे दी गई है। इस उद्यम में कुछ प्रगति होने के बाद निर्यात के लिए और मात्राओं की भी अनुमति दी जायेगी।

बड़ोदरा में औद्योगिक उपक्रमों के लिए कर्मचारियों की कमी

2773. **श्री रणजीत सिंह गायकवाड़** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गुजरात में बड़ोदरा और इसके आसपास के क्षेत्रों में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र के बड़े औद्योगिक उपक्रम बड़ोदरा के आसपास पर्याप्त तकनीकी जनशक्ति की समस्या का सामना कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि पेट्रोल, तेल और रसायन पर आधारित बड़े उद्योग तृतीय और चतुर्थ श्रेणियों के पदों के लिए भी दूरस्थ पूर्वी दक्षिणी राज्यों से कर्मचारी भर्ती कर रहे हैं; जबकि उस क्षेत्र में इन पदों के लिए स्थानीय व्यक्ति आसानी से उपलब्ध हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार का कुशल जन शक्ति की भर्ती रोजगार केन्द्रों के माध्यम से और उस क्षेत्र के लगातार 10 वर्षों तक अधिवासी होने के आधार पर करने हेतु सम्बन्धित औद्योगिक उपक्रमों को विशिष्ट निर्देश जारी करने का विचार है ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में जिन पदों के वेतनमान की अधिकतम राशि 1250 रुपये मासिक से अधिक नहीं है, (सरकारी क्षेत्र के उन उपक्रमों में जहां वेतनमान परिशोधित किए गए थे और जो औद्योगिक महंगाई भत्ता पा रहे थे और सरकारी क्षेत्र के अन्य उद्यमों में जो केन्द्रीय महंगाई भत्ता पैटर्न अपना रहे हैं; में अधिकतम राशि 800 रुपये मासिक होगी) पर भर्ती केवल राष्ट्रीय रोजगार सेवा के माध्यम वे ही की जानी चाहिए। लागू अनुदेशों के अनुसार सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए यह आवश्यक है कि उनके अधीन होने वाली सभी रिक्तियां रोजगार कार्यालय (सी० एन० वी०) नियमावली, 1960 के नियम 4 में निर्धारित पद्धति एवं रूप में रोजगार कार्यालयों/केन्द्रीय रोजगार कार्यालय को अधिसूचित की जाएं। भर्ती के अन्य स्रोतों का उपयोग केवल उस स्थिति मे किया जा सकता है, यदि रोजगार कार्यालय अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र जारी कर दे।

केरल में मल्लापुरम में रसोई गैस की एजेंसियों की स्थापना

2774. **श्री जी० एम० बनातवाला** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री केरल में मल्लापुरम जिले में खाना पकाने की गैस की सुविधा के बारे में 8 दिसम्बर, 1987 के तारांकित प्रश्न संख्या 471 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल के मल्लापुरम जिले में परप्पनगड़ी और तिरुरावगड़ी में रसोई, गैस की वितरण एजेंसियां स्थापित किये जाने के संबंध में क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या ये वितरण एजेंसियां चालू हो गई हैं;

(ग) यदि हां, तो कब से;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उनके कब तक चालू हो जाने की संभावना है; और

(ङ) केरल के मल्लापुरम जिले में किन-किन स्थानों पर खाना पकाने की गैस की सुविधाएं उपलब्ध हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) केरल में मल्लापुरम जिले में परप्पनड़ी और तिरुरावगड़ी जिले में एक-एक वितरणशिप स्थापित करने के लिए चुने गये अभ्यर्थियों को अप्रैल, 1988 में आशय-पत्र जारी किये गये थे।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) एल० पी० जी० की वितरणशिप को वास्तविक रूप में चालू किये जाने से पूर्व विभिन्न कार्यवाहियां करनी होती हैं। अत: निश्चित रूप से यह कहना संभव नहीं है कि ये दोनों वितरणशिपें किस तारीख से आरम्भ हो जाएंगी।

(ङ) 1 जुलाई, 1988 को मल्लापुरम जिले के निम्नलिखित स्थानों पर एल० पी० जी० की सुविधाएं दी गई हैं :

1. तिरूर
2. मल्लापुरम
3. पोन्नानी
4. पोन्नानी
5. पेन्नियालमन्ना
6. मंजरी

उत्तर प्रदेश में लखीमपुर में एस० टी० डी० की सुविधा उपलब्ध कराना

2775. **श्रीमती ऊषा वर्मा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उत्तर प्रदेश में लखीमपुर से देश के अन्य मुख्य स्थानों के लिए एस० टी० डी० की सुविधा उपलब्ध करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो कब और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) उत्तर प्रदेश में लखीमपुर से देश से विभिन्न बड़े शहरों के लिए एस० टी० डी० सुविधा पहले ही प्रदान कर दी गई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

फर्रुखाबाद में एस० टी० डी० सुविधा वाले स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना

2776. **श्री खुर्शीद आलम खां** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फर्रुखाबाद में एक बड़ा व्यापारिक और औद्योगिक केन्द्र होने के बावजूद, पर्याप्त टेलीफोन सुविधा उपलब्ध नहीं हैं;

(ख) क्या एस० टी० डी० सुविधा वाली स्वचालित टेलीफोन प्रणाली स्थापित करने की निरन्तर मांग की जाती रही है;

(ग) इस संबंध में सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है; और

(घ) सरकार का ये सुविधायें कितनी जल्दी उपलब्ध कराने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, नहीं । पर्याप्त दूरसंचार सुविधाएं उपलब्ध हैं ।

(ख) जी, हां ।

(ग) फर्रुखाबाद के लिए 1500 लाइनों का एक स्वचल टेलीफोन एक्सचेंज पहले ही मंजूर किया जा चुका है और भवन का निर्माण कार्य चल रहा है ।

(घ) फर्रुखाबाद स्थित इस स्वचल एक्सचेंज के आठवीं पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में चालू हो जाने की संभावना है ।

पटना में दूरदर्शन स्टूडियो

2777. **श्रीमती माधुरी सिंह :**
डा० गौरी शंकर राजहंस :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार की राजधानी पटना में दूरदर्शन स्टूडियो नहीं है;

(ख) इस समय पटना के लिए किस दूरदर्शन केन्द्र से प्रसारण होता है; और

(ग) पटना में दूरदर्शन केन्द्र कब से कार्य करना प्रारंभ कर देगा ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) दूरदर्शन की सातवीं योजना के भाग के रूप में पटना में एक पूर्ण विकसित टी० वी० स्टूडियो काम्पलैक्स की स्थापना को कार्यान्वित किया जा रहा है । इस समय पटना का उच्च शक्ति ट्रांसमीटर इनसेट-1 बी के माध्यम से दूरदर्शन केन्द्र दिल्ली के कार्यक्रम रिले करता है । दूरदर्शन केन्द्र रांची, राष्ट्रीय नेटवर्क पर टेलीकास्ट के लिए पटना में होने वाली महत्वपूर्ण टनाघाओं के कवरेज की व्यवस्था करता है ।

(ग) पटना में टी० वी० स्टूडियो काम्पलेक्स के 1990-91 के दौरान चालू होने की आशा है ।

केरल में कायमकुलम ताप बिजली संयंत्र

2778. **श्री तम्पन थामस** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से प्रस्तावित कायमकुलम ताप विद्युत संयंत्र को अपने नियंत्रण में लेने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार ने क्या निर्णय किया है; और

(ग) इस परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) केरल सरकार ने प्रस्ताव किया है कि कायमकुलम ताप विद्युत परियोजना (2×210 मेगावाट) को

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा केन्द्रीय क्षेत्र में स्थापित किया जा सकता है जिससे संबंधित क्षेत्र को लाभ प्राप्त होंगे। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को इस बारे में एक संभाव्यता रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया है और निगम द्वारा आवश्यक अध्ययन आरम्भ कर दिए गए हैं।

पंजाब को विद्युत सप्लाई

[हिन्दी]

2779. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया :**

श्री तेजा सिंह दर्दी :

क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक पंजाब को मांग के अनुरूप विद्युत सप्लाई किए जाने की संभावना बहुत कम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पंजाब सरकार ने बिजली की 1500 मेगावाट उत्पादन क्षमता के संबंध में परियोजना रिपोर्टें केन्द्रीय सरकार को भेजी हैं;

(घ) यदि हां, तो इन परियोजनाओं को मंजूरी देने में विलम्ब का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन परियोजनाओं को मंजूरी कब प्रदान की जाएगी ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) यद्यपि, पंजाब में विद्युत की व्यस्ततमकालीन कमी होने की प्रत्याशा की गई है, सातवीं योजना के अंत में राज्य में फालतू ऊर्जा उपलब्ध होगी।

(ख) इस बारे में ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

व्यस्ततमकालीन मांग	2774 मेगावाट	ऊर्जा की मांग	14321 मि॰ यू॰
व्यस्ततमकालीन उपलब्धता	2292 मेगावाट	ऊर्जा की उपलब्धता	14900 मि॰ यू॰
व्यस्ततमकालीन कमी	482 मेगावाट (17.4%)	फालतू ऊर्जा	579 मि॰ यू॰ (4.0%)

(ग) इस समय, पंजाब में कुल 3091 मेगावाट की क्षमता को विद्युत परियोजनाओं के प्रस्ताव स्वीकृति एवं अनुमोदन के विभिन्न चरणों में हैं।

(घ) कुछ परियोजनाओं को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत कर दिया गया है, परन्तु उनके संबंध में अन्तर्राज्यीय मुद्दों पर अभी कार्यवाही की जा रही है। कुछ परियोजनाओं के संबंध में निधियां तथा पर्यावरण संबंधी स्वीकृति उपलब्ध न होने के कारण उन्हें अंतिम रूप से अनुमोदित नहीं किया गया है। कुछ परियोजनाओं का केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन किया जा रहा है और इन मामलों में कोयला लिंकेज जैसे निवेशों, पर्यावरण संबंधी स्वीकृति जल की उपलब्धता और बिजली (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 29 के अनुपालन को सुनिश्चित किया जाना है। एक परियोजना के बारे में संशोधित परियोजना रिपोर्ट मंगाई गई है।

(ङ) विद्युत परियोजनाओं के संबंध में स्वीकृति, परियोजना रिपोर्टों की व्यापकता, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण/केन्द्रीय जल आयोग की विभिन्न टिप्पणियों/विचारों के बारे में परियोजना प्राधिकारियों द्वारा शीघ्र कार्यवाही किए जाने और निधियों के आबंटन के संदर्भ में राज्य सरकारों द्वारा परियोजनाओं को प्रदान की गई सापेक्ष प्राथमिकता पर निर्भर करती है । अतः किसी परियोजना को स्वीकृत करने के बारे में कोई निश्चित समय-सीमा बता पाना संभाव्य नहीं है ।

बम्बई हाई में तेल और गैस का उत्पादन

[अनुवाद]

2780. **प्रो० के० वी० थामस :**
श्री बृज मोहन महन्ती :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई हाई में इस समय कितने तेल प्लेटफार्मों पर गैस और तेल का उत्पादन किया जा रहा है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान बम्बई हाई में निर्धारित लक्ष्य की तुलना में तेल और गैस का कितना उत्पादन किया गया है;

(ग) बम्बई हाई में उपलब्ध तेल और गैस के कारण कितनी विदेशी मुद्रा की बचत हुई; और

(घ) बम्बई हाई से उत्पादन संबंधी भविष्य में क्या आशाएं हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) इस समय बम्बई अपतट में 63 प्लेटफार्म तेल और सम्बद्ध गैस का उत्पादन कर रहे हैं ।

(ख) बम्बई अपतट क्षेत्र में उत्पादन विवरण इस प्रकार है :—

वर्ष	क्रूड आयल (मि० मी० टन		संबद्ध गैस उत्पादन (मिलियन घन मी०)
	लक्ष्य	वास्तविक	वास्तविक
1985-86	20.61	20.82	5189
1986-87	20.27	20.62	6705
1987-88	19.92	20.16	8229

गैस के उत्पादन के लिए कोई लक्ष्य नहीं रखा गया है क्योंकि तेल के उत्पादन के साथ सम्बद्ध गैस का उत्पादन प्रासंगिक होता है ।

(ग) बम्बई अपतट से कच्चे तेल का उत्पादन न होने पर उत्पादित मात्रा के बराबर ही

आयात करना पड़ता। प्रत्येक वर्ष में आयात किए गए कच्चे तेल की औसत प्रति टन कीमत के हिसाब से बम्बई अपतट के कच्चे तेल की नोशनल कीमत इस प्रकार है :—

	करोड़ रुपए
1985-86	5059
1986-87	2824
1987-88	3425

प्राकृतिक गैस का आयात नहीं किया जाता इसलिए इसका विदेशी मुद्रा पर जारी सीधा प्रभाव नहीं पड़ता। कुछ पेट्रोलियम उत्पादों के प्रतिस्थापना के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, उन उत्पादों के आयात में जितनी बचत होगी, उसका अप्रत्यक्ष रूप में उतना ही विदेशी मुद्रा पर प्रभाव पड़ता है।

(घ) वर्ष 1988-89 के दौरान 20.88 मिलियन टन कच्चे तेल के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। 1989-90 के दौरान 21.90 मिलियन टन उत्पादन होने की सम्भावना है।

बंगलौर में मीटर में अधिक टेलीफोन प्रभार बताने संबंधी शिकायतें

2781. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1988 से जून, 1988 के अन्त तक बेंगलूर टेलीफोन विभाग को मीटर द्वारा अधिक राशि का टेलीफोन प्रभार बताने सम्बन्धी कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) कितने मामलों में मीटरों द्वारा अधिक राशि के बिल बताये जाने का पता चला है और उन्हें ठीक किया गया;

(ग) प्रत्येक शिकायत को निपटाने में अधिक से अधिक कितना समय लिया गया; और

(घ) क्या अधिक राशि के बिल बनाने के लिये उत्तरदायी कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) बेंगलूर टेलीफोन के अंतर्गत जनवरी, 1988 से जून, 1988 के अंत तक अधिक मीटरिंग से सम्बन्धित शिकायतों की संख्या 2107 है।

(ख) अधिक मीटरिंग का कोई मामला नहीं है। तथापि शिकायत के 208 मामलों में, संदेह का लाभ प्रदान करके छूट दी गई थी।

(ग) सामान्यतया दो महीने के भीतर।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

हजीरा में गैस संसाधन कम्प्लेक्स

2782. **श्रीमती डी० के० भंडारी** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का स्थित गैस संस्थान कम्प्लैक्स जुलाई, 1988 में चालू कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन प्रतिष्ठित कम्प्लेक्स से देश के विकास में कितना योगदान मिलने की आशा है; और

(घ) इस परियोजना पर कितनी धनराशि खर्च की गई है तथा इसे कितने स्रोतों से प्राप्त किया गया है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) से (ग) हजीरा गैस काम्पलैक्स में एल० पी० जी० विखण्डन संयंत्र, तथा गैस स्वीटनिंग संयंत्र (फेज I तथा II) शामिल हैं। एल० पी० जी० विखण्डन संयंत्र, दिसम्बर, 1987 में स्थापित किया गया था तथा अपनी पूरी (क्षमता) (थ्रुपुट) में यह 1.92 लाख टन एल० पी० जी० प्रति वर्ष उत्पादित कर सकता है। हजीरा तथा एच० बी० जे० पाइपलाइन की आवश्यकता को पूरी करने वाले साउथ बेसिन क्षेत्र की अम्लीस गैस की स्वीटनिंग के लिए एक गैस स्वीटनिंग संयंत्र लगाया जा रहा है। गैस स्वीटनिंग संयंत्र की क्षमता अम्लीय गैस को 20 (एम० एम० सी० एम डी०) मिलियन घन मीटर प्रतिदिन संसाधित करने की है। गैस स्वीटनिंग फेस 1 संयंत्र पूरा हो चुका है, और स्वीट गैस के साथ चालू कर दिया गया है। अम्लीय गैस के शीघ्र ही चार्ज किए जाने की आशा है।

(घ) एल पी० जी० विखण्डन संयंत्र की अनुमोदित लागत 101.24 करोड़ रुपए तथा गैस स्वीटनिंग संयंत्र (फेज-I तथा II) की लागत 469.29 करोड़ रुपए है।

गन्ने अथवा शीरे से अल्कोहल का उत्पादन

2783. **श्री बी० श्रीनिवास प्रसाद :**
श्री एम्० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा अल्कोहल के उत्पादन पर प्रतिबन्ध लगाने के बावजूद, कुछ राज्य सरकारों ने गन्ना अथवा शीरे पर आधारित अल्कोहल के उत्पादन के लिये नये औद्योगिक उद्यमों की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

महाराष्ट्र में बिजली उत्पादन

2784. **श्री प्रकाश वी० पाटिल** : **क्या ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में बिजली उत्पादन राज्य की घरेलू, कृषि और उद्योग सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या योजना आयोग ने इस स्थिति से निपटने तथा बिजली की कमी को पूरा करने के लिए राज्य सरकार को कुछ सुझाव दिए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन सुझावों का ब्यौरा क्या है और इनका कार्यान्वयन कैसे किया जा रहा है?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) महाराष्ट्र द्वारा विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं की विद्युत की मांग अधिकांश रूप से पूरी की जा रही है, जबकि मुख्यतः व्यस्ततमकालीन कमी के कारण सीमान्त कमी रही है। महाराष्ट्र में अप्रैल-जुलाई, 1988 के दौरान विद्युत सप्लाई की स्थिति इस प्रकार रही :—

	अप्रैल-जुलाई, 1988
मांग	10310
उपलब्धता	10023
कमी	287
प्रतिशत कमी	2.8%

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

दूरदर्शन और आकाशवाणी के लिए भूमि अधिग्रहण सम्बन्धी नीति

2785. **श्रीमती वैजयन्तीमाला बाली** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी और दूरदर्शन द्वारा ट्रांसमीटर लगाने, निर्माण एकक स्थापित करने प्रोडक्शन यूनिट तथा स्टूडियो सुविधाएं प्रदान करने के लिए भूमि की खरीद में विलंब के कारण विभिन्न परियोजनाओं की लागत में भारी वृद्धि हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार एक ऐसी नीति पर विचार कर रही है जिसके अंतर्गत संबंधित राज्य सरकारों को अविलंब सम्बद्ध अधिकारियों को भूमि उपलब्ध कराना आवश्यक होगा?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) आकाशवाणी और दूरदर्शन की कुछ परियोजनाओं की लागत में वृद्धि का एक कारण भूमि प्राप्त करने में देरी है। तथापि ऐसे मामले बहुत कम होते हैं और राज्य सरकारें सामान्यतया अपना पूरा सहयोग प्रदान करती हैं, इस विषय पर कोई विशेष नीति तैयार करने से किसी विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी।

नमक निर्माण के लिए प्रोत्साहन

2786. **श्री दौलत सिंहजी जडेजा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नमक निर्माण के लिए कोई वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाते हैं;

(ख) इन प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इन प्रोत्साहनों में बढ़ोतरी की जायेगी ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) नमक उत्पादन के लिए निम्नलिखित वित्तीय प्रोत्साहन दिए गए हैं :—

1. लाइसेंस प्राप्त नमक कारखानों को श्रमिकों के कल्याण कार्यों और नमक उद्योग के लाभ कार्यों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार नमक सम्बन्धी केन्द्रीय/क्षेत्रीय सलाहकार बोर्ड की सिफारिश पर वित्तीय सहायता दी जाती है।

2. सरकार द्वारा स्वीकृत योजनाओं के अनुसार लाइसेंस प्राप्त नमक कारखानों को अनुग्रह पूर्वक अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता दी जाती है और चक्रवात, बाढ़, भारी वर्षा इत्यादि जैसा प्राकृतिक विपत्तियों के कारण क्षतिग्रस्त हुए नमक कारखानों को पुनः स्थापना ऋण दिया जाता है।

3. लाइसेंस प्राप्त नमक उत्पादकों को "लाइसेंस प्राप्त नमक उत्पादकों को ऋण की मंजूरी नियम, 1959" के अधीन तैयार की गई योजना के अनुसार विकास ऋण मंजूर किए जाते हैं।

4. सरकार द्वारा स्वीकृत योजना के अनुसार नमक उद्योग में कार्य कर रहे श्रमिकों को आवास प्रदान करने के लिए लाइसेंस प्राप्त नमक उत्पादकों को वित्तीय सहायता दी जाती है।

5. सरकार द्वारा स्वीकृत योजना के अनुसार नमक उद्योग में कार्य करने वाले नमक श्रमिकों के प्रतिभावान बच्चों को पुरस्कार दिए जाते हैं।

6. सरकार द्वारा स्वीकृत योजना के अनुसार राष्ट्रीय गलगण्ड नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत नमक आयुक्त से अनुमति प्राप्त आयोडीकृत नमक उत्पादकों को राजसहायता दी जाती है।

हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड द्वारा फिल्म रोल्स की सप्लाई

2787. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड अपने उत्पादों को अपने नियुक्त किये गये स्टाकिस्टों के माध्यम से सप्लाई करती है;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने सशर्त बिक्री प्रणाली चलाई है जिसके अनुसार काली और श्वेत फिल्म रील्में प्राप्त करने के लिए प्रत्येक ग्राहक को स्टाकिस्टों से कागज और अन्य उत्पादों का खरीदा जाना आवश्यक है;

(ग) यदि हां, तो क्या उपरोक्त प्रक्रिया से एकाधिकार और अवरोधक व्यापारिक व्यवहार नियमों का उल्लंघन नहीं होता है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार यह सुनिश्चित करने के लिये कोई उपाय करने का है कि पूर्वनिर्धारित किसी शर्त के बिना ग्राहकों को अच्छे किस्म के काली और श्वेत फिल्म रोल प्राप्त हो सकें?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) हिन्दुस्तान फोटो फिल्म अपने उत्पादों का वितरण कम्पनी से सीधी सप्लाई के अलावा स्टाकिस्टों/डीलरों के नेटवर्क के माध्यम से करती है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

उपभोक्ता वस्तुओं के लिए सहयोग करार

2788. **श्री राम स्वरूप राम** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान उपभोक्ता वस्तुओं के निर्माण के लिए बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के साथ कोई सहयोग करार किया गया था;

(ख) यदि हां, तो उन कंपनियों के नाम क्या हैं और उनमें कौन-कौन-सी वस्तुओं का निर्माण होता है;

(ग) क्या इन वस्तुओं का देश में भी उत्पादन किया जा सकता है; और

(घ) यदि हां, तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ सहयोग करार करने के क्या कारण थे ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) सरकार द्वारा 1985 से 1987 की अवधि में विदेशी सहयोग के 2834 प्रस्ताव स्वीकार किये गए। स्वीकार किये गये विदेशी सहयोगों के ब्यौरे, जिसमें भारतीय और विदेशी फर्मों के नाम, निर्माण की वस्तुएं और विदेशी सहयोग के स्वरूप का उल्लेख होता है, भारतीय निवेश केंद्र द्वारा अपने मन्थली न्यूज लेटर में एक पूरक के रूप में मासिक आधार पर प्रकाशित किये जाते हैं। इस प्रकाशन की प्रतियां संसद-पुस्तकालय को नियमित रूप से भेजी जाती हैं।

(ग) और (घ) उपभोक्ता वस्तुओं के बारे में विदेशी सहयोग पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाता है यदि इस प्रकार का सहयोग निहित प्रौद्योगिकी की प्रकृति, स्वदेशी प्रौद्योगिकी की उपलब्धता, निर्यात आय की संभावना और प्रतियोगी बन सकने तथा उपभोक्ता की पसन्द के अनुरूप होने हेतु विद्यमान प्रौद्योगिकी को अद्यतन जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए उचित पाया जाता है।

महाराष्ट्र में गैस पाइप लाइन का निर्माण

2789. **श्री एस० जी० घोलप** :
श्री विलास मुत्तेमवार :
श्री विजय एन० पाटिल :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र राज्य सरकार ने महाराष्ट्र के पिछड़े क्षेत्र विदर्भ में बिजली के उत्पादन तथा उर्वरक कारखानों के लिए प्राकृतिक गैस की सप्लाई हेतु मध्य रेलवे के रेल मार्ग अर्थात् सूरत, भुसावले, इटारसी तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ दक्षिण बेसिन से आने वाली गैस पाईप लाइन के निर्माण का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) इस पर कितनी धनराशि खर्च होगी ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) से (ग) 1985 में महाराष्ट्र सरकार ने सुझाव दिया था कि एच० बी० जे० पाइप लाइन को मध्य रेलवे के रास्ते से ले जाया जाए या महाराष्ट्र राज्य में विदर्भ में उर्वरक संयंत्रों को तथा अन्य क्षेत्रों में गैस सप्लाई करने के लिए ब्रांच लाइन का निर्माण किया जाए।

सरकार द्वारा इस पर विचार किया गया और व्यवहार्य नहीं पाया।

उड़ीसा में उत्सवों का दूरदर्शन प्रसारण

2790. **श्री बृजमोहन महंती :**
श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही :
डा० कृपा सिंधु भोई :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुरी के कार महोत्सव के सीधे प्रसारण का विचार है और यदि हां, तो यह किस वर्ष से आरंभ किया जाएगा और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उड़ीसा में कोणार्क के समीप चन्द्रभागा में "माघा सप्तमी मेले" का सीधा प्रसारण करने का कोई प्रस्ताव है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस समय उड़ीसा में सीधे प्रसारित किए जाने वाले उत्सवों का ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) वर्तमान नीति के अनुसार सीधा टी० वी० प्रसारण राष्ट्रव्यापी प्रासंगिकता की घटनाओं तथा गणतंत्र दिवस परेड, स्वतंत्रता दिवस, अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, महत्वपूर्ण खेल घटनाओं, आदि तक सीमित है। अन्य महत्वपूर्ण सामाजिक-सांस्कृतिक घटनाओं के लिए दूरदर्शन पर बाद में टेलीकास्ट किए जाने के लिए टी० वी० रिपोर्टें तैयार की जाती हैं। उड़ीसा के उत्सव भी इसी प्रकार उपयुक्त ढंग से टेलीकास्ट किये जाते हैं।

राष्ट्रीय परियोजनाओं का प्रसारण

2791. **श्री ई० अय्यपू रेड्डी : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन देश की विकास गतिविधियों के बारे में जनता को जानकारी देने के लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों, दोनों के द्वारा चलाई जा रही महत्वपूर्ण राष्ट्रीय परियोजनाओं का प्रसारण कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो अब तक प्रसारित की गई उन महत्वपूर्ण परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दूरदर्शन में कभी नागार्जुन सागर, श्रीसेलम, भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स तथा आंध्र प्रदेश का रामागुंडम ताप विद्युत केंद्र का प्रसारण किया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी, हां।

(ख) हमारे दूरदर्शन टेलीकास्ट में पहले से कवर की जा रही कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं में भिलाई स्टील प्लांट, हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, हैवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन, गैस तथा प्राकृतिक गैस आयोग, एन० ई० बी० ए० हिन्दुस्तान शिपयार्ड, भारत हैवी प्लेट वेसल्स, नागार्जुन सागर, श्रीसेलम, भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स, रामागुण्डम ताप विद्युत केंद्र, इन्टीगरल कोच फैक्टरी, आदि हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

क्षेत्रीय कार्यक्रम तैयार करना

[हिन्दी]

2792. **डा० चंद्र शेखर त्रिपाठी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्रीय कार्यक्रमों के निर्माण को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय कार्यक्रम निर्माण केन्द्र स्थापित किए जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो विभिन्न राज्यों के लिए क्षेत्रीय कार्य किस प्रकार तैयार किए जाएंगे ?

संसदीय कार्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) देश में इस समय 18 स्थानों पर कार्यक्रम निर्माण केंद्र विद्यमान हैं और सातवीं योजना का विभिन्न स्कीमों के कार्यान्वित हो जाने पर इनकी संख्या 48 तक बढ़ा दिए जाने का विचार है। ये केंद्र कार्यान्वियन की भिन्न-भिन्न अवस्थाओं में हैं और उपकरणों, आधारभूत सुविधाओं और संसाधनों के वार्षिक आबंटन की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए इन्हें चरण-वार ढंग से प्रारम्भ किया जा रहा है।

सड़क निर्माण, नहरों के पाटों आदि के बनाने में सीमेंट का प्रयोग

[अनुवाद]

2793. **श्री प्रताप राव बी० भोसले : क्या उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कतिपय ऐसी योजनाएं बनाई जा रही हैं जिससे सीमेंट का उपयोग केवल आवास निर्माण क्षेत्र में ही नहीं बल्कि सड़क निर्माण, नहरों के पाट बनाने और प्रीकास्ट (पूर्व निर्मित) फैब (पूर्व विरचित) कार्यों में करने हेतु कुछ योजनाएं तैयार की जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इन योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन योजनाओं के परिणाम कब प्राप्त होने की संभावना है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) जहां कहीं भी आवश्यक समझा जाता है वहां सीमेंट को सड़क निर्माण नहरों के अस्तर

(लाइनिंग) और प्रि-कास्ट व प्रि-फैब निर्माणों के लिए काम में लिया जा रहा है। यह तो केवल हाल ही में हुआ है कि देश में सीमेंट की उपलब्धता काफी आसान हो गई है। तथापि सीमेंट मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन (सी० एम० ए०) ने सीमेंट की मांग को बढ़ाने के उद्देश्य से नहरों में अस्तर लगाने तथा कंकरीट की सड़कों व पटरियों के निर्माण के लिए भी सीमेन्ट का प्रयोग बढ़ाने के लिए संबंधित मंत्रालयों/निर्माणकारी एजेन्सियों के साथ प्रस्ताव किया है। सी० एम० ए० ने इंडियन रोड्स कांग्रेस राष्ट्रीय सीमेंट तथा भवन निर्माण सामग्री परिषद् तथा केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान जैसे अन्य अनेक संगठनों के साथ मिलकर इस बारे में हाल ही में गोष्ठियों/कार्यशालाओं का भी आयोजन किया है।

उत्तर प्रदेश में आकाशवाणी केन्द्रों और दूरदर्शन केन्द्रों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्त पद

[हिन्दी]

2794. श्री मानवेन्द्र सिंह : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में आकाशवाणी और दूरदर्शन केंद्रों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित कितने पद रिक्त पड़े हैं; और

(ख) इन रिक्त पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

संसदीय कार्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) समूह "क" और समूह "ख" पदों का आरक्षण रोस्टर स्टेशन/केंद्र के आधार पर नहीं रखा जाता है। 1-1-1988 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश में आकाशवाणी/दूरदर्शन के विभिन्न स्टेशनों में, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए समूह "ग" और समूह "घ" में आरक्षित 22 पद रितत थे। इस तरह के खाली पदों को भरने के लिए यथोचित कारंवाई हमेशा की जाती है।

महाराष्ट्र में बम्बई दूरदर्शन कार्यक्रमों को रिले करने के लिए दूरदर्शन केंद्र

[अनुवाद]

2795. श्री आर० एन० यादव : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में कितने जिलों में अभी तक उपग्रह दूरदर्शन रिले केंद्र नहीं हैं;

(ख) क्या बम्बई दूरदर्शन कार्यक्रमों को रिले करने के लिए और दूरदर्शन रिले केंद्र स्थापित करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो महाराष्ट्र में बम्बई दूरदर्शन कार्यक्रम रिले करने के लिए अब तक हुई प्रगति का ब्योरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रसारण मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) इस समय महाराष्ट्र के 30 जिलों में से 25 जिलों में टी० वी० ट्रांसमीटर कार्य कर रहे हैं। ये सभी ट्रांसमीटर उपग्रह सम्पर्क की सहायता से दूरदर्शन केन्द्र, बम्बई से तैयार प्रादेशिक (मूलतः) सेवा रिले करते हैं।

(ख) और (ग) जी हां। सातवीं योजना के अंग के रूप में, अम्बाजोगई, औरंगाबाद और पुणे में एक-एक उच्च शक्ति (10 किलो वाट) टी० वी० ट्रांसमीटर, इच्छलकरंजी, उस्मानाबाद और पुसाड़ में एक-एक कम शक्ति (100 वाट) ट्रांसमीटर तथा औरंगाबाद और जून्नर में एक-एक टी० वी० ट्रांसपोजर स्थापित करने की योजनाएं कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। हालांकि उस्मानाबाद और पुसाड़ के ट्रांसमीटर चालू वित्तीय वर्ष (1988-89) के दौरान चालू हो जाने की आशा है, बाकी परियोजनाओं के वर्ष 1989-90 के दौरान पूरा हो जाने की उम्मीद है।

महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में गैस पर आधारित उद्योगों की स्थापना

[हिन्दी]

2796. **श्री विलास मुत्तेमवार : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विदर्भ में गैस पर आधारित कोई बड़ा उद्योग स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या महाराष्ट्र सरकार ने गढ़चिरौली जिले में कोई बड़ा उद्योग स्थापित करने के लिये केंद्रीय सरकार का ध्यान आकर्षित किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

असम में टेलीफोन कनेक्शन

[अनुवाद]

2797. **श्री भद्रेश्वर तांती : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची में शामिल किए गए व्यक्तियों की अद्यतन संख्या क्या है;

(ख) उन्हें शीघ्र टेलीफोन कनेक्शन देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना में किन स्थानों पर टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का विचार है तथा प्रत्येक प्रस्तावित एक्सचेंज की क्षमता कितनी होगी ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) (क) असम में 30-6-88 की स्थिति के अनुसार टेलीफोन कनेक्शन के लिए 9319 व्यक्तियों के नाम प्रतीक्षा सूची में दर्ज थे।

(ख) और (ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-88) के पहले तीन वर्षों के दौरान 6057 टेलीफोन कनेक्शन दिए गए। निम्नलिखित स्थानों में मैनुअल एक्सचेंजों को बदल कर इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज लगा दिए गए हैं।

1. डिब्रूगढ़ (जिला मुख्यालय)	—2000 लाइन पी० आर० एक्स०
2. हफ्लांग " "	—600 लाइन एन० ई० ए० एक्स०
3. जोरहाट " "	—2000 लाइन पी० आर० एक्स०
4. सिल्चर " "	—3000 लाइन पी० आर० एक्स०
5. तिनसुकिया (उप मंडल)	—3000 लाइन पी० आर० एक्स०

उपर्युक्त के अतिरिक्त बहुत से स्थानों में मौजूदा एक्सचेंजों का विस्तार किया गया है और मैनुअल एक्सचेजों को स्वचालित किया गया है। असम में 14 स्थानों में नए एम० ए० एक्स०-III एक्सचेंज खोले गए हैं।

सातवीं योजना (1988-90) के शेष दो वर्षों में निम्नलिखित एक्सचेंज खोलने का प्रस्ताव है—

1. 1988-90 के दौरान दिसपुर में 2100 लाइन आर० एल० यू० सहित गुवाहाटी में 4000 लाइनों का ई-10 बी एक्सचेंज, जालुकबारी में 1000 लाइनों का आर० एल० यू० और नूनामाटी में 600 लाइनों का आर० एल० यू०।
2. वर्ष 1988-89 के दौरान करीमगंज में (1000 लाइन), उत्तरी लखीमपुर (700 लाइन) और डिफू (400 लाइन) के एन० ई० ए० एक्स इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज नजीरा होजई, बारपेटा रोड और बदरपुर, प्रत्येक स्थान में भी 400 लाइनों के एन० ई० ए० एक्स० एक्सचेंज खोलने का प्रस्ताव है बशर्ते कि इलैक्ट्रानिकी विभाग द्वारा मंजूरी प्राप्त हो।
3. 1988-89 के दौरान निम्नलिखित स्थानों में 128 पोर्ट सी-डाट (88 लाइन) इलैक्ट्रोनिक्स एक्सचेंज खोलने का प्रस्ताव है—

1. पाठशाला	11. मरीगांव
2. मनकाचर	12. सिमलगुड़ी
3. अभयपुरी	13. धाहीगांव
4. बिजनी	14. उदालगुड़ी
5. सपतग्राम	15. लाला
6. उमरांगरू	16. लखीमपुर
7. तिहू	17. उदरबंद
8. जागी रोड	18. अलुगुड़ी
9. लंका	19. बोरापत्थर
10. लुमडिंग	20. तीताबार

4. 1988-89 के दौरान निम्नलिखित स्थानों में 200 लाइनों के ई० एस० ए० एक्स इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज खोले जाएंगे—

1. गौरीपुर

2. धालीगांव

3. डेरागांव

4. मरियानी

5. 1988-90 के दौरान असम के 5 स्थानों में मिनी आई० एल० टी० इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज खोले जाएंगे।

6. 25 लाइनों की क्षमता के 20 नए कम क्षमता वाले टेलीफोन एक्सचेंज प्रत्येक निम्नलिखित स्थानों में खोले जायेंगे—

बैठालंगाशू, धाकूखाना, सिपाझार, देशंगमुख, जोगीजान, काकोजार, कमरबंधा, नरसिंहपुर, रंगबांग, बुंककानोकाम, सुबनसिरी, हेलेन, मुखालमुआ, सरथेबारी, साउथ सालमारा, बेहारा, मुसालपुर, सिनामारा, झाखलबंधा और छोलामारा। लेकिन एक्सचेंज मांग की उपलब्धता और तकनीकी व्यवहार्यता को ध्यान में रखकर खोले जाएंगे।

औषध और सौंदर्य प्रसाधन निर्माताओं के विरुद्ध एकाधिकार और अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग को प्राप्त शिकायतें

2798. **श्रीमती प्रभावती गुप्त :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान एकाधिकार और अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग को औषध और सौंदर्य प्रसाधन निर्माताओं और तत्संबंधित विज्ञापनों के विरुद्ध कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) एकाधिकार और अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत इस संबंध में कितनी कम्पनियों के विरुद्ध मुकदमे चलाये गए; और

(ग) उन कम्पनियों द्वारा अपनाए गए अनुचित व्यापार प्रक्रिया से नुकसान उठाने वाले कितने व्यक्तियों को मुआवजा दिलाया गया ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग शिकायतों का उत्पाद-वार ब्यौरा नहीं रखता है। तथापि, आयोग ने 1-1-1986 से आज तक की अवधि के दौरान अनुचित व्यापार प्रथाओं में संक्षिप्त होने के लिए ड्रग/कास्मेटिक निर्माताओं एवं विरापनकर्ताओं के विरुद्ध 47 जांचें संस्थित की

हैं। इन मामलों में आयोग ने आज तक न तो अभियोग संस्थित किया है और न ही क्षतिपूर्ति प्रदान की है।

उद्योग विहीन जिलों का विकास

[हिन्दी]

2799. श्री राजकुमार राय : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या "उद्योग विहीन" जिला के विकास के संबंध में कोई समयबद्ध कार्यक्रम है और उन पर कितनी राशि का निवेश करने का प्रावधान किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश के किन जिलों को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) औद्योगीकरण एक सतत प्रक्रिया है। "उद्योग रहित जिलों" सहित पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगीकरण के लिए सरकार ने समय-समय पर अनेक प्रोत्साहनों की घोषणा की है। "उद्योग रहित जिलों" में उद्योग स्थापित करने वाले उद्यमी लाइसेंसीकरण में प्राथमिकता और रियायती वित्त सुविधाओं इत्यादि के अलावा 25 प्रतिशत की उच्चतम दर पर केन्द्रीय निवेश राजसहायता, जिसकी अधिकतम सीमा 25 लाख रु० है, पाने के पात्र हैं।

अप्रैल, 1983 से सरकार "उद्योग रहित जिलों" में एक अथवा दो विकास केन्द्रों में मूलभूत सुविधाओं के विकास के लिए राज्य सरकारों की सहायता करने की योजना को भी कार्यान्वित कर रही है। केन्द्रीय सहायता लागत के 1/3, तक सीमित है। बशर्ते कि यह 2 करोड़ रु० से अधिक न हो। बांदा, जौनपुर, जालौल, फतेहपुर, कानपुर देहात, हमीरपुर, सुल्तानपुर, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल और चमोली जिलों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चुने गए विकास केन्द्र स्वीकृत कर दिए गए हैं। अब तक जौनपुर, जालौन, कानपुर देहात, फतेहपुर और सुल्तानपुर जिलों के लिए 250 लाख रु० की राशि दी गई है।

आयल इण्डिया लिमिटेड द्वारा तेल का उत्पादन

[अनुवाद]

2800. श्री यशवन्त राव गडाख पाटिल : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आयल इंडिया लिमिटेड द्वारा वर्ष 1988-89 के दौरान तेल उत्पादन का कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है और वर्ष की प्रथम तिमाही में कितना उत्पादन हुआ है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : वर्ष 1988-89 के दौरान आयल इण्डिया लि० द्वारा 2.90 मिलियन टन कच्चे तेल के उत्पादन का लक्ष्य रखा है, 1988-89 की पहली तिमाही में 0.607 मिलियन टन कच्चे तेल का उत्पादन हुआ।

एकाधिकार और अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत चल रही कम्पनियों को लाइसेंस का जारी किया जाना

2801. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान (राज्यवार) एकाधिकार और अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अंतर्गत चल रही विभिन्न कम्पनियों को उद्योग स्थापित करने के लिए कुल कितने लाइसेंस जारी किए गए;

(ख) इनमें से कितने लाइसेंस उद्योगविहीन जिलों में उद्योग स्थापित करने के लिए जारी किए गए;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान एकाधिकार और अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अंतर्गत किन-किन कम्पनियों ने विभिन्न राज्यों में दोनों उद्योगविहीन जिलों और "उद्योगविहीन जिलों से अन्यत्र" में उद्योग स्थापित किए; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) 7 औद्योगिक लाइसेंस।

(ग) और (घ) औद्योगिक लाइसेंस की मंजूरी प्रथमतः दो वर्षों की वैधता अवधि के साथ दी जाती है और इस अवधि के भीतर उद्यमी से वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने की आशा की जाती है। यद्यपि, औद्योगिक लाइसेंसों की वैधता अवधि और बढ़ाने के लिए भी मंजूरी उचित आधारों पर दी जाती है। औद्योगिक लाइसेंसों के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी संबंधित राज्य सरकारों द्वारा और केन्द्रीय सरकार में उस उद्योग से संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा की जाती है। उत्पादन कर रहे एककों के बारे में सूचना उद्योग मंत्रालय में केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती।

विवरण

एम० आर० टी० पी० उपक्रमों को 1985, 1986 और 1987 में मंजूर किए गए औद्योगिक लाइसेंसों के राज्य-वार ब्यौरों की संख्या

राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	1985	1986	1987
1	2	3	4
1. आंध्र प्रदेश	5	1	3
2. अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	1	—	—
3. बिहार	1	2	2
4. दिल्ली	2	—	2

1	2	3	4
5. गोवा	3	2	7
6. गुजरात	17	27	17
7. हरियाणा	5	6	4
8. जम्मू और कश्मीर	—	—	1
9. कर्नाटक	4	5	7
10. केरल	2	—	—
11. मध्य प्रदेश	10	7	4
12. महाराष्ट्र	28	37	29
13. उड़ीसा	—	1	—
14. पंजाब	2	9	—
15. राजस्थान	1	6	5
16. तमिलनाडु	9	9	9
17. उत्तर प्रदेश	10	7	8
18. पश्चिम बंगाल	6	3	7
19. एक से अधिक राज्य	—	2	—
योग	106	124	105

इंडियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड में बेकार पड़े आयातित उपकरण

[हिन्दी]

2802. **श्री राम पूजन पटेल :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड की विभिन्न शाखाओं में कितने आयातित उपकरण बेकार पड़े हैं;

(ख) क्या ये उपकरण घटिया किस्म के हैं;

(ग) क्या इन उपकरणों की गुणवत्ता के सम्बन्ध में आपत्तियां उठाई गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो उनमें पाए गए दोषों का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

आंध्र प्रदेश में खाना पकाने की गैस के कनेक्शन

2803. **श्री सी० सम्बु : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) आंध्र प्रदेश में खाना पकाने की गैस के कनेक्शनों की वर्तमान प्रतीक्षा सूची का जिले-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) ये गैस कनेक्शन कब तक दे दिए जाएंगे;

(ग) क्या दिल्ली और हैदराबाद में दो-दो गैस सिलैंडर सप्लाई करने की सुविधा वापस ले ली गई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) सूचना संलग्न विवरण पत्र में दी गई है।

(ख) एल० पी० जी० की उपलब्धता में वृद्धि होने पर तेल उद्योग उपभोक्ताओं के नामांकन के अपने वार्षिक कार्यक्रम के अंतर्गत चरणबद्ध रूप में आंध्र प्रदेश सहित पूरे देश में एल० पी० जी० कनेक्शन जारी करता है।

(ग) और (घ) दिल्ली और हैदराबाद सहित देश में उपभोक्ताओं को जब वे चाहें डबल बाटलिंग कनैक्शन जारी करने के लिए वितरकों को अनुदेश हैं। जब भी एल० पी० जी० की सप्लाई में बैकलाग या उत्पाद की अड़चनें आदि होती हैं, तो स्थिति के सामान्य होने तक तथा डबल बाटलिंग कनेक्शन देना अस्थायी रूप से बंद कर दिया जाता है।

विवरण

जिले का नाम	प्रतीक्षा सूची में व्यक्तियों की संख्या
1	2
1. हैदराबाद	4,725
2. रंगारेड्डी	480
3. निजामाबाद	648
4. मेडाक	437
5. कृष्णा	3,315
6. खेमाम	1,380
7. अनन्तपुर	366
8. महबूबनगर	910
9. वारांगल	840

1	2
10. नालगोंडा	900
11. पश्चिम गोदावरी	6,516
12. चितूड़	2,189
13. पूर्वी गोदावरी	12,983
14. विशाखापट्टनम	2,306
15. गंटूर	1,760
16. आदिलाबाद	270
17. विजयनगरम	5,425
18. प्रकाशनम	970
19. कुडप्पा	525
20. कूरनूल	400
21. नैलोर	1,815
22. करीम नगर	645
23. श्रीकाकूलम	5,019
24. प्रोदाटूर	300
कुल	55,127

ट्रैक्टरों का निर्माण

2804. श्री गोपाल कृष्ण थोटा : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार का विचार बढ़ती हुई आवश्यकता को पूरा करने के लिए ट्रैक्टरों के निर्माण में और अधिक वृद्धि करने का है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : निकट भविष्य में ट्रैक्टरों की मांग को पूरा करने के लिए ट्रैक्टर उद्योग के पास इस समय पर्याप्त लाइसेंस प्राप्त और अधिष्ठापित क्षमता है। उक्त मांग को पूरा करने के लिए अपने उत्पादन में वृद्धि करने के बारे में विद्यमान एककों पर कोई रोक नहीं है।

समाचार वाचकों के लिए वेतनमान लागू करना

[हिन्दी]

2805. श्री संतोष कुमार सिंह : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस समय समाचार वाचकों के लिए तीन वेतनमान निर्धारित हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इन वेतनमानों को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया है;

(ग) क्या आकाशवाणी के समाचार वाचकों और दूरदर्शन के समाचार वाचकों के वेतनमानों में असमानता है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) आकाशवाणी में समाचार वाचक/समाचार वाचक एवं अनुवादक और दूरदर्शन में प्रस्तुतीकरण उद्घोषक और समाचार प्रस्तुतकर्ता के तीन शुल्कमान इस प्रकार है :

आकाशवाणी समाचार वाचक/समाचार वाचक एवं अनुवादक	दूरदर्शन प्रस्तुतीकरण उद्घोषक और समाचार प्रस्तुतकर्ता
1. 2000-3500 रुपये	1. 1940-2900 रुपये
2. 3000-4500 रुपये	2. 2000-3500 रुपये
3. 3700-5000 रुपये	3. 3000-4500 रुपये

आकाशवाणी में इन शुल्कमानों को लागू कर दिया गया है । दूरदर्शन में संशोधित भर्ती नियम बनाने के पश्चात् 3000-4500 रुपये के उच्च शुल्कमानों को लागू किया जाएगा ।

(ग) से (ङ) चूंकि ये शुल्कमान भिन्न-भिन्न माध्यमों के लिए है और उनके कार्य की अपेक्षाएं भी अलग-अलग हैं इसलिए इनकी तुलना नहीं की जा सकती ।

राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण संगठन

[अनुवाद]

2806. **श्री राम सिंह यादव** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऊर्जा सलाहकार बोर्ड ने फरवरी, 1986 में सभी क्षेत्रों में ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रमों को तैयार करने, कार्यान्वित करने एवं इसकी निगरानी करने के लिए सभी आवश्यक पहल करने के लिए एक राष्ट्रीय ऊर्जा संगठन स्थापित करने की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो देश में ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने अब तक क्या ठोस कदम उठाए हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण संगठन के सृजन के बारे में ऊर्जा सलाहकार बोर्ड ने मार्च, 1987 में विस्तृत सिफारिशें की हैं।

(ख) देश में ऊर्जा संरक्षण संबंधी कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों में मुख्य रूप से ये शामिल हैं—इस क्षेत्र में किए जा रहे कार्यकलापों की प्रगति की समीक्षा करने तथा इस बारे में समन्वय हेतु एक नोडल सैल का सृजन करना और इस बारे में एक सामान्य नीति तैयार करना, ऊर्जा का अधिक उपयोग करने वाले उद्योगों के लिए लक्ष्य निर्धारित करना, ऊर्जा संबंधी लेखा परीक्षा किया जाना, कार्मिकों को ऊर्जा प्रबंधकों के रूप में प्रशिक्षित करना, विशिष्ट क्षेत्रों में नीतिगत निर्णय लेने की आवश्यकता का पता लगाने एवं इसे परिभाषित करने हेतु अध्ययन/सर्वेक्षण आरंभ करना, अकुशल कृषि पम्पसैटों में सुधार संबंधी प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित करना, विद्युत उपकरणों से संबंधित मानकों में संशोधन करना, ऊर्जा की बचत करने वाले कुछ उपकरणों पर आयात-शुल्क में छूट सहित वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करना और बहु-प्रचार जन जागरूकता अभियान आरंभ करना।

केरल में तेल और गैस की तटदूर खोज

2807. **श्री ए० चार्ल्स :**

श्री के० मोहन दास :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल तट में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के लिए तटदूर खोज की जा रही है; और

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी खोजों के क्या परिणाम निकले हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) जी, हां।

(ख) तेल एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने अब तक निम्नलिखित 4 कुंओं की खुदाई की है—

कोचीन-1, कसरगोद-1, करवार-1 तथा कोचीन हाई-1 और लगभग 45000 लाइन किलोमीटर का भूकम्पीय सर्वेक्षण भी किया जा चुका है। भले ही ये सभी कुंएं सूखे पाए गए हैं। फिर भी आगामी अन्वेषण के लिए इनसे उपयोगी सूचना प्राप्त की गई है।

इस क्षेत्र में अन्वेषण कार्यक्रम को दो विदेशी कम्पनियों के साथ एक संविदा हस्ताक्षरित करके बढ़ाया गया है। ये विदेशी कंपनियां हैं—आस्ट्रेलिया के ब्रोकन हिल प्रोपइटरी पेट्रोलियम लि० की सहायक कम्पनी मैसर्स बी० एच० पी० पेट्रोलियम (इंडिया) तथा मैसर्स शैल इंडिया पेट्रोलियम डेवलपमेंट। ये दोनों कम्पनियां केरल के कोंकण बेसिन में तीन अपतटीय ब्लाकों में अन्वेषण कार्य करेंगी। इन कम्पनियों ने आंकड़े एकत्रित करने तथा तैयार करने के लिए पहले से ही निविदाएं आमंत्रित कर दी हैं।

हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड का आधुनिकीकरण

2808. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**

श्री नारायण चौबे :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल स्थित हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड ने 18 लाख रुपये की एक आधुनिकीकरण योजना सरकार के पास स्वीकृति के लिए भेजी है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब भेजा गया था तथा इस संबंध में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

उद्योग मन्त्री (श्री जे० वेंगलराव) : (क) से (ग) हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड का इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है। हां, हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड ने ड्राई कोर और कोएक्सिल केबलों जिनके कुछ समय में दूर-संचार विभाग द्वारा क्रमबद्ध किये जाने की संभावना है, के स्थान पर जेली भरी केबलों का निर्माण करके अपने एककों का आधुनिकीकरण करने के बारे में विभिन्न प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं। सरकार ने अब तक इन प्रस्तावों पर कोई निर्णय नहीं लिया है।

समानान्तर फोन प्रणाली

2809. **श्री के० रामचन्द्र रेड्डी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्थानीय कॉलों तथा एस० टी० डी० कॉलों, दोनों के लिए "पब्लिक पे-फोन" सेवाए संस्थापित करने, इनकी देख-रेख करने एवं इनका संचालन करने के लिए स्वयंसेवी संगठनों एवं गैर-सरकारी उद्यमियों को अनुमति देने का निर्णय किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या यह टेलीफोन विभाग की एक समानान्तर फोन प्रणाली के एक रूप में अथवा सहायक प्रणाली के रूप में कार्य करेगा ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

शहरों और कस्बों में सार्वजनिक पे-फोन सेवा का विस्तार करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि वर्तमान सार्वजनिक टेलीफोनों के अलावा, इस प्रकार के पे-फोन लगाने, अनुरक्षण करने तथा उनका संचालन करने के लिए स्वयंसेवी संगठनों और प्राइवेट उद्यमों को अधिकार दे दिया जाए बशर्ते कि निम्नलिखित शर्तें पूरी होती हों :—

(1) ऐसे प्रत्येक संगठन अथवा एजेन्सी को किसी शहर अथवा कस्बे में कम-से-कम दस पे-फोनों का परिचालन करने का अधिकार दिया जाएगा। किसी शहर/कस्बे में जितनी एजेन्सियों को अधिकार दिया जाएगा, उनकी संख्या, वहां की जनसंख्या तथा प्रत्येक एजेन्सी द्वारा संचालित की जाने वाले पे-फोनों की संख्या पर निर्भर होगी। यदि किसी शहर/कस्बे में अनेक एजेन्सियों को अधिकार दिया जाना हो, तो इसे उपयुक्त भौगोलिक क्षेत्रों में बांट दिया जाएगा।

(2) परिचालन एजेन्सी की इच्छानुसार पे-फोन सिक्का/टोकन या कार्ड किस्म के हो सकते हैं।

(3) प्रत्येक पे-फोन के लिए, विभाग एक टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करेगा जो एक उपयुक्त टेलीफोन एक्सचेन्ज से जुड़ा होगा। इसे जहां कहीं भी संभव होगा, पे-फोन स्थल पर उपयुक्त टर्मिनेशन सहित इलेक्ट्रानिक एक्सचेन्ज से जोड़ने को वरीयता दी जाएगी।

(4) सिक्कं/टोकन/कार्ड युक्त पे-फोन परिचालन एजेंसी के अपने होंगे जिन्हें दूर-संचार विभाग से अनुमोदित करवाकर एजेन्सी स्वयं उसका अनुरक्षण करेगी। दूर-संचार विभाग उपकरण को छोड़कर टेलीफोन कनेक्शन की ही देखभाल करेगा।

(5) परिचालन एजेन्सी को जनता से प्रति यूनिट काल 1 रु० वसूल करने की अनुमति दी जाएगी।

(6) एस० टी० डी० पे-फोन, जहां स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता डायलिंग सुविधा उपलब्ध हो, उन एस० टी० डी० पे-फोनों के मामले में 80 पैसे प्रति यूनिट कॉल दूरसंचार विभाग महानगर टेलीफोन निगम लि० को दिया जाएगा और 20 पैसे प्रति यूनिट कॉल परिचालन एजेन्सी को मिलेगा।

दूरसंचार विभाग एक्सचेन्ज में रिकार्ड की गई मीटर कॉल यूनिटों के आधार पर परिचालन एजेन्सी से प्रभार वसूल करेगा।

परिचालन एजेन्सी को प्रत्येक एस० टी० डी० कॉल पे-फोन के लिए दूर-संचार विभाग को गारंटी शुदा प्रतिमाह 1,600 रुपये की न्यूनतम धनराशि अदा करनी होगी। तथापि, पे-फोन के उद्देश्य से लगाए जाने वाले टेलीफोन कनेक्शन के लिए अलग से कोई किराया या संस्थापना शुल्क नहीं लिया जाएगा।

(7) यदि पे-फोन में केवल स्थानीय कॉल की सुविधा उपलब्ध हो, तो परिचालन एजेन्सी जनता से 1 रुपये प्रति यूनिट स्थानीय कॉल वसूल करने की पात्र होगी जिसमें से वह 60 पैसे प्रति कॉल यूनिट दूर-संचार विभाग को देगी तथा शेष 40 पैसे प्रति यूनिट अपने पास रखेगी। दूर-संचार विभाग एक्सचेन्ज में मीटर की गई कॉल यूनिटों के आधार पर इसका शुल्क वसूल करेगा। ऐसे प्रत्येक पे-फोन पर 500 कॉल यूनिट अर्थात् 300 रुपये प्रतिमाह की न्यूनतम गारंटी-शुदा धनराशि वसूल होगी। टेलीफोन कनेक्शन के लिए अलग से कोई किराया अथवा सस्थापना शुल्क नहीं लिया जाएगा।

(8) परिचालन एजेन्सी पे-फोनों के लिए परिचर्या के बतौर कार्य करने के लिए शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों/भूतपूर्व सैनिकों को प्राथमिकता दे सकती है।

(9) परिचालन एजेन्सी, टेलीफोन प्रणाली के स्थानीय अध्यक्ष के साथ परामर्श करके किसी शहर/कस्बे में स्थापित किए जाने वाले पे-फोन की विभिन्न किस्मों की संख्या तथा स्थान के बारे में अंतिम निर्णय लेगी। पे-फोन लगाने के लिए परिचालन एजेन्सी उपयुक्त स्थान की स्वयं व्यवस्था करेगी। विभाग यथासंभव नगरपालिका तथा अन्य एजेन्सियों से उपयुक्त स्थान आदि प्राप्त करने में परिचालन एजेन्सी की मदद करेगी।

(10) परिचालन एजेंसी शुरू-शुरू में छः माह की न्यूनतम गारंटी निर्मित नकद या चैक गारंटी के रूप में प्रतिभूति जमा धनराशि अदा करेगा जिसे बाद में प्रत्येक पे-फोन के लिए 3 महीने के औसत राजस्व में समायोजित किया जाना है।

विपणन प्रभाग के अधिकारियों द्वारा खाना पकाने की गैस के कनेक्शन के लिए मंजूरी

2810. **श्री मुरलीधर माने :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम लिमिटेड में मार्केटिंग डिवीजन के कुछ अधिकारियों को प्रतिमाह अथवा प्रतिवर्ष खाना पकाने की गैस के कनेक्शनों का एक निर्धारित कोटा मंजूर करने के लिए अधिकृत किया गया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे अधिकारियों की पदवार संख्या कितनी है;

(ग) क्या भारतीय तेल निगम लिमिटेड के पाइप लाइन प्रभाग और तेल शोधन प्रभाग में किसी अधिकारी के लिए कोटा निर्धारित नहीं किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

क्षेत्र	अधिकारियों का पदनाम
1	2
मुख्य कार्यालय	निदेशक (विपणन), मुख्य महाप्रबंधक, महाप्रबंधक।
उत्तरी क्षेत्र	मुख्य महाप्रबंधक, उप-महाप्रबंधक (बिक्री), मुख्य एल० पी० जी० प्रबंधक, उप-महा प्रबंधक (परिचालन), उप-महा प्रबंधक (कार्मिक), मुख्य वित्त प्रबंधक, मुख्य विमानन प्रबंधक, मुख्य इंजीनियरिंग, प्रबंधक, वरिष्ठ प्रबंधक (जन संपर्क), मुख्य मण्डल प्रबंधक (चण्डीगढ़) मुख्य मण्डल प्रबन्धक (दिल्ली), वरिष्ठ मण्डल प्रबन्धक/मण्डल प्रबन्धक, (इलाहाबाद, लखनऊ, शिमला, जयपुर, आगरा, जम्मू, बरेली), वरिष्ठ संयंत्र प्रबन्धक/संयंत्र प्रबन्धक (गंगागंज, मथुरा, सवाईमाधोपुर, जालंधर, शकूरबस्ती)।
पूर्वी क्षेत्र	महा प्रबन्धक, उप-महा प्रबन्धक (बिक्री), उप-महा प्रबन्धक (परिचालन), उप-महा प्रबन्धक (एल० पी० जी०), मुख्य विमानन प्रबन्धक, उप-महा प्रबन्धक (लेखा), उप-महा प्रबन्धक (कार्मिक), उप-प्रबन्धक (कलकत्ता), उप-प्रबन्धक (पटना), उप-प्रबन्धक (गौहाटी), उप-प्रबन्धक (दुर्गापुर), उप-प्रबन्धक

1	2
	(रायपुर), उप-प्रबन्धक (सिलीगुडी), उप-प्रबन्धक (भुवनेश्वर), उप-प्रबन्धक (जमशेदपुर)।
पश्चिमी क्षेत्र	उप-महा प्रबन्धक (एल० पी० जी०), क्षेत्र प्रबन्धक (नागपुर, भोपाल, अहमदाबाद, राजकोट), उप-प्रबंधक (नागपुर, भोपाल, अहमदाबाद, राजकोट), संयंत्र प्रबन्धक (राजकोट), संयंत्र प्रबन्धक (हजीरा)।
दक्षिणी क्षेत्र	महा प्रबन्धक, उप-महा प्रबन्धक (एल० पी० जी०), मुख्य कार्मिक प्रबन्धक, उप-महा प्रबन्धक (परिचालन), उप-महा प्रबन्धक (बिक्री), उप-महा प्रबन्धक (वित्त), मुख्य विमानन प्रबन्धक।

कोल इंडिया लि० के कोयला खानों का आधुनिकीकरण कार्यक्रम

2811. **श्री अतीश चन्द्र सिंह :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लि० के कोयला खानों के अनेक आधुनिकीकरण कार्यक्रम धनराशि की कमी के कारण रोक दिए गए हैं और इन पर काफी लम्बे समय से कोई निर्णय नहीं लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है; और

(ग) कोल इंडिया लि० अथवा इसकी सहायक कंपनियों के अन्तर्गत किन-किन कोयला खानों का आधुनिकीकरण होना है ?

ऊर्जा मंत्रालय में कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) से (ग) कोल इंडिया लि० के कोयला खान आधुनिकीकरण कार्यक्रम में विद्यमान खानों का उत्पादन क्षमता और कार्य क्षमता में सुधार करने के लिए उनका पुनर्गठन करने, कोयले की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए नई खानों की शुरूआत करने और आधारभूत सुविधाओं तथा संपोर्ट सुविधाओं में वृद्धि किया जाना शामिल है। सरकार द्वारा सभी कोयला खनन परियोजनाओं के निवेश प्रस्तावों पर विचार करते समय संयोजन संबंधी मांग, उत्पादन-क्षमता, पर्यावरणीय प्रबंधन और उपलब्ध संसाधनों का सक्षम उपयोग आदि जैसे मुद्दों पर भी पूरा ध्यान दिया जाता है। इस संबंध में स्वीकृत की गई किसी भी परियोजना का कार्य निधि की कमी के कारण रुका हुआ नहीं है।

राष्ट्रीय टायर अनुसंधान और विकास केन्द्र की स्थापना

2812. **श्री बनवारी लाल पुरोहित :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में एक राष्ट्रीय टायर अनुसंधान और विकास केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित केन्द्र की स्थापना कहां की जायेगी; और

(ग) टायर प्रौद्योगिकी को कहां तक उन्नत बनाया जाएगा ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) आटोमोटिव टायर मैनयूफैक्चरर्स एसोसिएशन (ए० टी० एम० ए०) ने टायरों हेतु राष्ट्रीय अनुसंधान व विकास केन्द्र स्थापित करने के लिए सरकार को एक प्रस्ताव दिया है। उक्त केन्द्र के लिए प्रस्तावित स्थान मैसूर बताया गया है। ए० टी० एम० ए० के अनुसार उक्त केन्द्र की स्थापना के फलस्वरूप यद्यपि टायर प्रौद्योगिकी के उन्नयन की मात्रा निर्धारित करना संभव नहीं है, किंतु इससे भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल आयातित टायर प्रौद्योगिकी को आत्मसात किया जा सकेगा तथा परीक्षण व मूल्यांकन सुविधाओं के माध्यम से विद्यमान प्रौद्योगिकी को भी उन्नत किया जा सकेगा।

औद्योगिक विकास में क्षेत्रीय असंतुलन

2813. **डा० कृपा सिन्धु भोई : क्या उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की मूल नीति औद्योगिक विकास में क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने की है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में उड़ीसा में क्या कदम उठाये गये हैं;

(ग) क्षेत्रीय असंतुलन दूर करने हेतु राज्य में औद्योगिक विकास के लिए केन्द्रीय निवेश राज सहायता योजना के अधीन गत तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा राज्य को आर्थिक और वित्तीय सम्बन्धी क्या-क्या प्रोत्साहन दिये गये; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (घ) जी, हां। केन्द्र सरकार द्वारा उड़ीसा राज्य के 8 जिलों को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों के रूप में चुना गया है। इन जिलों में उद्योग स्थापित करने वाले उद्यमी नीचे दिए गए ब्यौरों के अनुसार श्रेणीबद्ध दरों पर केन्द्रीय निवेश राजसहायता पाने के पात्र हैं :—

श्रेणी "क" : उद्योग रहित जिले

1. बालासौर 2. बोलनगीर 3. फूलबनी	25 प्रतिशत की दर पर केन्द्रीय राजसहायता पाने के पात्र हैं जिसकी अधिकतम सीमा 25 लाख रुपये है।

श्रेणी "ख" जिले

1. कालाहांडी 2. मयूरभंज 3. धेनकनाल 4. क्योंझर 5. कोरापुट	15 प्रतिशत की दर पर केन्द्रीय राजसहायता पाने के पात्र हैं जिसकी अधिकतम सीमा 15 लाख रुपये हैं।

इसके अलावा ये रियायती दरों पर ऋण, आयकर अधिनियम में अधीन रियायतें, औद्योगिक लाइसेंस मंजूर करने में प्राथमिकता इत्यादि पाने के भी पात्र हैं।

सरकार ने बालासोर, फूलबनी औम बोलनगीर जिलों में बालासोर, मनमुंडा और बोलनगीर विकास केन्द्रों में मूलभूत सुविधाओं के विकास के लिए अपने हिस्से के रूप में उड़ीसा सरकार को 2 करोड़ रुपये जारी किया है।

केन्द्रीय निवेश राज सहायता योजना के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों में 8.01 करोड़ रुपये की राशि की उड़ीसा को प्रतिपूर्ति की गई है जिसके ब्यौरे नीचे दिये गये हैं :—

वर्ष	राशि (करोड़ रुपये में)
1985-86	1.70
1986-87	2.90
1987-88	2.46
1988-89 (जुलाई, 88 तक)	0.95
	रु० 8.01 करोड़

उप-चुनावों में राजनैतिक दलों को आकाशवाणी और दूरदर्शन पर अपने विचार प्रकट का अवसर दिया जाना

2814. **प्रो० मधु दंडवते** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में 16 जून को हुए लोक सभा और विधान सभाओं के लिए 18 स्थानों में उप चुनावों के में चुनावों दौरान राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को दूरदर्शन और आकाशवाणी के माध्यम से जनता के समक्ष अपने-अपने दलों के विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या भविष्य में चुनावं प्रचार के दौरान मान्यता प्राप्त दलों को जनता के समक्ष अपने अपने विचार प्रकट करने का अवसर प्रदान करने का विचार है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) राजनीतिक दलों से प्रतिनिधियों को लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के हाल के उप चुनावों में आकाशवाणी और दूरदर्शन के माध्यम से अपने विचार प्रस्तुत करने का कोई अवसर नहीं दिया गया क्योंकि सरकार और चुनाव आयोग द्वारा स्वीकृत दल राजनीतिक प्रसारण योजना केवल आम चुनावों के लिए लागू है न कि उप चुनावों के लिए।

(ग) उप चुनावों के दौरान मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को चुनाव प्रसारण की सुविधा देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

पोलियस्टर स्टेपल फाइबर की उठान में वृद्धि

2815. **श्री एन० सुन्दरराज** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया है कि उत्पादन शुल्क को 25 रु० से घटाकर 15 रु० कर देने से पोलियस्टर स्टेपल फाइबर की उठान में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या उठान में इस वृद्धि के बावजूद यह उद्योग अपनी क्षमता से कम उत्पादन कर रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या उत्पाद-शुल्क में कमी से उठान में और वृद्धि होगी; और

(घ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) सामान्यतः पालिएस्टर स्टेपल फाइबर की कीमत में कमी होने से उठान में वृद्धि होगी।

(घ) ऐसे मामलों पर निर्णय गुणागुण के आधार पर लिये जाते हैं।

गुजरात में बायोगैस संयंत्रों की स्थापना

2816. **श्री छीतू भाई गामित** :
श्री उत्तम भाई एच० पटेल :

क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात और समूचे अन्य राज्यों में बिजली की बार-बार कमी होने तथा बिजली के चले जाने के कारण संयंत्रों के स्थान पर बायोगैस संयंत्र स्थापित किये जा सकते हैं;

(ख) यदि हां, तो कैसे और कहां तक;

(ग) बलसार, सूरत और बड़ौदा जिलों में दिनांक 1-1-84 से 31-7-84 तक की अवधि के दौरान कितने बायोगैस संयंत्र स्थापित किये गये, और उक्त स्थानों का ब्योरा क्या है तथा प्रत्येक संयंत्र की स्थापना पर कितनी धनराशि व्यय की गई;

(घ) वर्ष 1989 से 1991 तक की अवधि में गुजरात के सूरत और अन्य जिलों के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ङ) बायोगैस संयंत्रों की स्थापना के लिए किस प्रकार की सहायता की जा रही है और इस संबंध में नवीनतम नियम, प्रक्रिया मार्गनिर्देश और नीति क्या है; और

(च) गुजरात के प्रत्येक जिले में इस समय चल रहे बायोगैस संयंत्रों का ब्योरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) ग्रामीण क्षेत्रों में खाना पकाने के लिए आजकल प्रयोग में लाए जा रहे कोयला तथा अन्य ऊर्जा स्रोतों के स्थान पर बायोगैस आंशिक या पूर्ण-रूप

से इस्तेमाल की जा सकती है । गुजरात राज्य के लिए लगभग 7 से 10 लाख बायोगैस संयंत्रों सहित देश में लगभग 16 से 22 मिलियन पारिवारिक आकार के बायोगैस संयंत्र स्थापित करने की सैद्धान्तिक सम्भाव्यता का अनुमान है ।

(ग) राज्य सरकार से सूचना प्राप्त की जा रही है तथा मिलने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(घ) उपलब्ध वित्तीय आबंटनों पर निर्भर करते हुए वर्ष 1989-90 तथा 1990-91 के लिए सम्बधित वर्षों में लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे ।

(ङ) बायोगैस विकास की राष्ट्रीय परियोजना में अन्य बातों के साथ-साथ केन्द्रीय आर्थिक सहायता टर्न की जॉब फीस, सेवा प्रभार, संवर्धनात्मक नकद प्रोत्साहन, प्रशिक्षण कार्यक्रम, मरम्मत एवं रखरखाव प्रभार तथा खाद की उपयोगिता पर क्षेत्रीय प्रदर्शनों का विचार है । केन्द्रीय आर्थिक सहायता की वर्ष 1988-89 के लिए अनुमोदित दरें संलग्न विवरण में दी गई हैं । वर्ष 1988-89 के लिए 1.50 लाख संयंत्रों को स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । राज्य सरकारों और कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसियों को वर्ष के दौरान उनके अलग-अलग लक्ष्यों तथा की गई प्रगति के आधार पर धनराशि दी जाती है ।

(च) राज्य सरकार से सूचना प्राप्त की जा रही है तथा मिलने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

विवरण

वर्ष 1988-89 के दौरान बायोगैस संयंत्रों को स्थापित करने के लिए केन्द्रीय आर्थिक सहायता की दर—

आर्थिक सहायता की दर रुपयों में
अन्य क्षेत्रों के लिए

संयंत्र की क्षमता (घन मीटर गैस प्रति दिन)	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के राज्यों (असम के अलावा) तथा सिक्किम के लिए	असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर तथा पहाड़ी क्षेत्रों के लिए जहां निर्माण की लागत बहुत अधिक है	अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के साथ-साथ अधिसूचित रेगिस्तानी जिलों में सभी श्रेणियों के लाभार्थियों के लिए	अन्य सबके लिए (सामान्य श्रेणियां)
1	2	3	4	5
1	—	—	1250	1000
2	4410	2940	2350	1560
3	5490	3660	2860	1900

1	2	3	4	5
4	6580	4390	2860	2140
6	8020	5350	2860	2610
8	8020	5350	2860	2610
10	8020	5350	2860	2610

दूरदर्शन कार्यक्रमों के संबंध में हंगरी के साथ सहयोग करना

2817. **श्री एच० ए० डोरा** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में हंगरी के साथ दूरदर्शन कार्यक्रमों के संबंध में सहयोग हेतु एक समझौता किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी, हां ।

(ख) दूरदर्शन भारत तथा हंगरी के माग्यार टेलीवीजियों के बीच सहयोग पर करार की मुख्य बातें निम्नलिखित है :—

1. दोनों पार्टियां समाचारों, फिल्म घटनाओं तथा दोनों देशों के राजनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक जीवन का चित्रण करने वाले समाचार कार्यक्रमों के वाणिज्यिक आदान-प्रदान के क्षेत्र में सहयोग करेंगे । दोनों पार्टियां कलात्मक और डाकुमेंट्री टी० वी० फिल्मों, विज्ञान, संगीत, लोकगीत, खेल कूद तथा बच्चों और युवा कार्यक्रमों पर फिल्मों का आदान-प्रदान करेंगी ।

2. दोनों पार्टियां अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों तथा वाणिज्यिक प्रदर्शन के अवसर पर एक दूसरे के प्रतिनिधियों को आमंत्रित करेंगी ।

3. दोनों पार्टियां एक दूसरे के राष्ट्रीय दिवसों की जयंतियां मनायेंगी ।

4. दोनों पार्टियां एक दूसरे के सरकारी टेलीविजन दलों को आवश्यक तकनीकी सहायता प्रदान करेंगी ।

5. दोनों पार्टियां आपसी हित के विषयों पर सह-निर्माण परियोजनाओं के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगी ।

बन्द पड़े तेल कुओं को पुनः चालू करना

2818. **श्री राधाकान्त डिगाल** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बन्द पड़े तेल कुओं को पुनः चालू करने के लिए कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कौन-सी तेल कम्पनी ने कदम उठाए हैं;

(ग) तेल कम्पनियों ने विभिन्न स्थानों पर कितने बन्द तेल कुएं पुनः चालू किए हैं; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख) जी, हां। ओ० एन० जी० सी० तथा ऑयल इंडिया लिमिटेड दोनों कम्पनियां यथा आवश्यक नियमित तथा व्यवस्थित रूप से कुओं की मरम्मत आदि का काम करती रहती हैं।

(ग) और (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल 1504 कुओं को पुनः चालू/मरम्मत किया गया जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

क्षेत्र	1985-86	1986-87	1987-88
पश्चिमी क्षेत्र	287	302	363
पूर्वी क्षेत्र	149	118	176
बम्बई अपतट	15	40	54
	451	460	593

बिहार के पलामाऊ जिले में सीमेंट कारखाने स्थापित करना

[हिन्दी]

2819. **कुमारी कमला कुमारी :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बिहार के पलामाऊ जिले में उन्टेरी अथवा भावनाथपुर जिले में एक सीमेंट कारखाना स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो कब तक; और

(ग) यदि नहीं, तो वहां अच्छे किस्म का चूना पत्थर उपलब्ध होने के बावजूद ऐसा न किए जाने के क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) पालामऊ जिले के उन्टेरी अथवा भावनाथपुर ब्लाक में ग्रासरूट सीमेंट संयंत्र स्थापित करने का सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, जदुनाथपुर चूना पत्थर और बोकारो इस्पात से उपलब्ध स्लैग पर आधारित संयुक्त क्षेत्र में एक स्लैग सीमेंट संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव राज्य सरकार ने किया है।

गुजरात में खाना पकाने की गैस के कनेक्शन और एजेंसियों का आबंटन

2820. **श्री नरसिंह मकवाना :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में खाना पकाने की गैस के कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा-सूची में दर्ज व्यक्तियों की जिले-वार संख्या और ब्यौरा क्या है;

(ख) कितने शहरों में गैस एजेंसियों को अभी आबंटन किया जाना है और कितने शहरों में गैस एजेंसी आबंटित करने के लिए विज्ञापन दिया गया है; और

(ग) खाना पकाने की गैस एजेंसी के लिए जिन अधिकतर्ताओं से आवेदन पत्र प्राप्त किए गये थे उनके साक्षात्कार होने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) 1987-88 तक की विपणन योजना में गुजरात में पहले से ही कार्यरत एल० पी० जी० वितरणशिपों के अतिरिक्त गुजरात में 77 एल० पी० जी० वितरणशिपें खोलने के विभिन्न चरणों में हैं। इनमें से 43 के लिए विज्ञापन दिया जा चुका है। इसके अतिरिक्त 1988-89 की विपणन योजना के अधीन गुजरात में 31 और वितरणशिपें खोलने के लिए अनुमोदन दिया गया है। इनका श्रेणीकरण करने के बाद संबंधित तेल कम्पनियां चयन करने के मार्गदर्शी सिद्धांतों के आधार पर डीलर चुनने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेंगी।

(ग) तेल चयन बोर्ड के पदधारियों की समयावधि जून, 86 में समाप्त हो गई थी। तेल चयन बोर्डों के द्वारा कार्य न करने के कारण डीलरों/वितरकों के चयन के लिए इन्टरव्यु नहीं लिए जा सके। इन बोर्डों का पुनर्गठन हो गया है तथा ये पूर्ण रूप से कार्य कर रहे हैं और बकाया मामले निपटा रहे हैं।

विवरण

क्रम सं०	जिले का नाम	1-7-1988 की प्रतीक्षा-सूची में दर्ज व्यक्तियों की संख्या
1	2	3
1.	अहमदाबाद	1,04,968
2.	बनासकांठा	9,045
3.	पंचमहल	8,891
4.	बड़ौदा	40,306
5.	खेड़ा	29,209
6.	भरोच	15,636
7.	सूरत	72,440
8.	वलसाड़	15,848
9.	मेहसाना	24,838

1	2	3
10.	राजकोट	33,673
11.	सुरेन्द्र नगर	619
12.	जूनागढ़	13,394
13.	भावनगर	31,219
14.	जामनगर	1,634
15.	अमरेली	3,080
16.	कच्छ	6,613
17.	साबरकांटा	4,309
18.	गांधीनगर	10,589

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम में अनुसूचित जाति/
अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी

[अनुवाद]

2821. **श्री अनादि चरण दास** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1985 और 31 मार्च, 1988 को राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, उड़ीसा शाखा, अंगुल में कर्मचारियों की श्रेणी-वार कुल संख्या कितनी थी और उनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संख्या कितनी थी;

(ख) 1 जनवरी, 1986, 1 जनवरी, 1987 और 1 जनवरी, 1988 को कितने आरक्षित पदों को आगे लाया गया और वर्ष 1986, 1987 और 1988 के दौरान कितने पदों को आरक्षित किया गया और इन पदों को इन वर्षों में न भरने तथा इन्हें आगे ले जाने के क्या कारण हैं;

(ग) नियमों के अन्तर्गत किये गये प्रावधान के अनुसार तीन वर्षों में आगे लाये जाने के पश्चात् वर्ष 1986; 1987 और 1988 के दौरान कितने आरक्षित पद समाप्त हो गये; और

(घ) इस समय कितने आरक्षित पद रिक्त पड़े हैं और इसके क्या कारण हैं और इन पिछले आरक्षित पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) उड़ीसा शाखा, अंगुल, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के अधीन नहीं है। तथापि तलचेर में एक सुपर ताप विद्युत परियोजना प्रतिष्ठापित किए जाने की परिकल्पना है, जिसके लिए 1985 में किसी प्रकार की भर्ती नहीं की गई थी। 1988 में परियोजना में कर्मचारियों की स्थिति निम्नानुसार है :—

श्रेणी	कर्मचारियों की कुल संख्या	स्थानान्तरण के द्वारा भरी गई रिक्तियां	भर्ती के द्वारा भरी गई रिक्तियां		
			सामान्य	अनु० जाति/ अनु० जनजाति	जोड़
"क"	21	16	5	—	5
"ख"	1	1	—	—	—
"ग"	10	4	5	1	6
"घ"	2	—	2	—	2

(ख) से (घ) विगत से लाई गई रिक्तियों के संबंध में स्थिति निम्नानुसार है :—

	आरक्षण		पिछले वर्षों से लाई गई रिक्तियां	
	अनु० जाति	अनु० जनजाति	अनु० जाति	अनु० जनजाति
1986	1	1	—	—
1987	1	—	1	1
1988	—	1	1	1

1986 की अनुसूचित जाति के लिए एक पद को 1987 में भर लिया गया था। आरक्षित रिक्तियों को स्थानीय रोजगार कार्यालय की जानकारी में लाया जाता है। 1986, 1987 और 1988 में आरक्षित पदों को समाप्त नहीं किया गया है।

क्योंझरगढ़ और नई दिल्ली के बीच एस० टी० डी० सम्पर्क

2822. **श्री हरिहर सोरन :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उड़ीसा के क्योंझर जिले में जिला पुस्तकालय क्योंझरगढ़ और नई दिल्ली के बीच एस० टी० डी० सुविधा लागू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो क्योंझर और नई दिल्ली के बीच एस० टी० डी० सुविधा कब तक उपलब्ध किए जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, हां।

(ख) क्योंझर (क्योंझरगढ़) और नई दिल्ली के बीच एस० टी० डी० सुविधा सातवीं योजना के अन्त तक प्रदान किए जाने की सम्भावना है।

मध्य प्रदेश के गांवों में स्ट्रीट लाइट की सुविधा प्रदान करना

[हिन्दी]

2823. **श्री महेन्द्र सिंह : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) मध्य प्रदेश के गांवों की कितनी हरिजन बस्तियों में स्ट्रीट लाइट की सुविधा प्रदान की गई है;

(ख) क्या ग्राम पंचायतों के कोषों की बदतर स्थिति होने के कारण गांवों में हरिजन बस्तियों के लिए स्ट्रीटलाइट विस्तार कार्यक्रम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(ग) हरिजन बस्तियों सहित गांवों में स्ट्रीट लाइट की मांग को पूरा करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) मध्य प्रदेश में 17,280 हरिजन बस्तियों में स्ट्रीट लाइट की सुविधा प्रदान की जा चुकी है।

(ख) ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा स्वीकृत स्पेशल हरिजन बस्ती स्कीमों के अन्तर्गत मध्य प्रदेश में विद्युतीकृत की जाने वाली हरिजन बस्तियों के मामले में स्ट्रीट लाइट के लिए ऊर्जा सम्बन्धी खर्च राज्य सरकार द्वारा अदा किए जाते हैं।

(ग) ग्राम विद्युतीकरण निगम, इसके द्वारा स्वीकृत ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के लिए हरिजन बस्तियों में स्ट्रीट लाइट हेतु वित्त-साधन मुहैया कराता है तथा स्ट्रीट लाइटिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करता है।

केरल में नए डाकघर और तारघर खोलना

[अनुवाद]

2824. **श्री सुरेश कुरूप : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या केरल में वर्ष 1988-89 के दौरान कोई नए डाकघर और तातघर खोलने का विचार है; और

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, हां।

(ख) इस सर्किल में वर्ष 1988-89 के दौरान 80 नए शाखा डाकघर और 5 उप डाकघर खोलने का प्रस्ताव है।

वर्ष 1988-89 के दौरान दस नए तारघर खोलने का प्रस्ताव है। इन तारघरों को उन जनजातीय क्षेत्रों में खोलने का प्रस्ताव है जहां फिलहाल दूरसंचार सुविधा उपलब्ध नहीं है।

"फोटो-फेसीमाइल" सेवा

2825. **श्री के० मोहनदास : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या दिल्ली और कोचीन के बीच दूरसंचार विभाग की एक "फोटो-फेसोमाइल" सेव आरम्भ की जायेगी;

(ख) क्या दिल्ली और त्रिवेन्द्रम के बीच फोटो प्रेषण सेवा घटिया किस्म की है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने विभिन्न राज्यों की राजधानियों में ग्राहकों के लिए बेहतर फोटो प्रेषण सुविधा उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाये हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी नहीं। एर्नाकुलम स्थित केन्द्रीय तारघर में डिजिटल प्रतिकृति उपस्कर लगातार दस्तावेज संचार सेवा आरम्भ करने की योजना है। नई दिल्ली स्थित केन्द्रीय तारघर में पहले ही यह सेवा उपलब्ध है।

(ख) त्रिवेन्द्रम स्थित केन्द्रीय तारघर में आजकल एनालॉग किस्म की प्रतिकृति मशीन द्वारा यह सुविधा दी जा रही है, किन्तु अब इस किस्म की मशीनों की तुलना में बेहतर स्तर वाले डिजिटल किस्म के उपस्कर बाजार में आ गए हैं।

(ग) 11 राज्यों की राजधानियों में स्थित केन्द्रीय तारघरों में पहले ही डिजिटल किस्म के प्रतिकृति उपस्कर लगाकर बेहतर दस्तावेज-संचारण सेवा प्रदान कर दी गई है और त्रिवेन्द्रम सहित शेष राज्यों की राजधारियों में इस वित्तीय वर्ष के अन्त तक यह सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव है।

उत्तर प्रदेश में गांव-स्तर पर टेलीफोन प्रणाली

[हिन्दी]

2826. **श्री आशकरण संखवार** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गांव-स्तर पर टेलीफोन प्रणाली की व्यवस्था के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(ख) उत्तर प्रदेश में उन गांवों की संख्या कितनी है जहां गांव से 10 किलोमीटर क्षेत्र के भीतर टेलीफोन प्रणाली उपलब्ध नहीं है तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस दूरी तक यह सुविधा प्रदान न करने के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) दूरसंचार विभाग ने एक षटभुजाकार योजना बनाई है जिसके अन्तर्गत देश को प्रत्येक 5 कि. मी. के षटभुजाकार क्षेत्र में बांटा गया है और धीरे-धीरे ऐसे प्रत्येक षटभुजाकार क्षेत्र में कम से कम लंबी दूरी का एक सार्वजनिक टेलीफोन (एल. डी. पी. टी.) प्रदान किए जाने की योजना है।

(ख) उत्तर प्रदेश में ऐसे 4055 षटभुजाकार क्षेत्र हैं जिनमें से 2526 षटभुजाकार क्षेत्रों में 31-3-88 की स्थिति के अनुसार, दूरसचार सुविधा प्रदान कर दी गई है।

(ग) संसाधनों की कमी की वजह से अब तक सभी षटभुजाकार क्षेत्रों को सुविधा प्रदान करना सम्भव नहीं हो पाया है।

उज्जैन, मध्य प्रदेश में दूरदर्शन स्टूडियो की स्थापना

2827. **श्री सत्यनारायण पवार** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में उज्जैन के दूरदर्शन स्टूडियो की स्थापना करने का विचार है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री एल० के० एल० भगत) : (क) और (ख) सातवीं योजना के अंग के रूप में इस समय मध्य प्रदेश राज्य में भोपाल में एक पूर्ण विकसित टी० वी० स्टूडियो केन्द्र तथा रायपुर में एक कार्यक्रम निर्माण सुविधा केंद्र की स्थापना को कार्यान्वित किया जा रहा है। तथापि, सातवीं योजना के अन्तर्गत दूरदर्शन नेटवर्क के विस्तार के लिए उपलब्ध किये गये संसाधनों के भीतर उज्जैन में एक टी० वी० स्टूडियो केंद्र स्थापित करने की योजना को शामिल करना सम्भव नहीं पाया गया।

हिमाचल प्रदेश के नारकुण्डा, दलश बारमोर, पंगी और तीसा में दूरदर्शन टावर

2828. **श्री के० डी० सुल्तानपुरी :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का-हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में नारकंडा, कुलू जिले के दलश तथा चम्बा जिले के बारमोर, पंगी, तीसा में दूरदर्शन टावर स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो ये टावर कब तक स्थापित किए जाएंगे; और

(ग) यदि नहीं, तो प्रत्येक मामले में इसके कारण क्या हैं ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) से (ग) इस समय हिमाचल प्रदेश में कसौली में एक उच्च शक्ति (10 कि० वाट) टी० वी० ट्रांसमीटर, बिलासपुर, कुलु, मंडी और शिमला में एक-एक कम शक्ति (100 वाट) ट्रांसमीटर तथा चम्बा में एक 2×10 वाट ट्रांसमीटर कार्य कर रहा है। इसके अलावा, दूरदर्शन की सातवीं योजना में शिमला में एक उच्च शक्ति (1 कि० वाट) ट्रांसमीटर (वर्तमान कम शक्ति ट्रांसमीटर के बदले में), धर्मशाला में एक कम शक्ति (100 वाट) ट्रांसमीटर, हमीरपुर, कल्पा, क्येलॉग और उना में एक-एक 2×10 वाट ट्रांसमीटर तथा सोलन में एक टी० वी० ट्रांसपोजर स्थापित करने की योजनाएं शामिल हैं। जबकि नर्कण्डा और दलाश को टी० वी० सेवा से कवर करने की उम्मीद है। बशर्ते कि स्थानीय भू-भागीय स्थिति ठीक हो। वर्ष 1991 के दौरान शिमला में प्रस्तावित उच्च शक्ति ट्रांसमीटर जब चालू हो जाता है तो टी० वी० सेवा से वंचित बाकी क्षेत्र में टी० वी० सेवा का विस्तार भविष्य में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

मारुति उद्योग लिमिटेड द्वारा लाभांश की घोषणा

[अनुवाद]

2829. **श्री सतेन्द्र नारायण सिंह :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मारुति उद्योग लिमिटेड ने पहली बार लाभांश की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो क्या पिछले चार वर्षों में मारुति कार के मूल्यों में की गई तीव्र वृद्धि अधिक लाभ का एक प्रमुख कारण है; और

(ग) मारुति 800 सी० सी० कार और एम्बैसेडर कार के मूल्य में इस समय कितना अन्तर है ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगलराव) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) इस समय मारुति 800 कार का मूल्य एम्बेसडर की तुलना में निम्न प्रकार है :—

वाहन	कारखाना से निकलते समय उत्पाद-शुल्क और डीलरों के कमीशन सहित मूल्य
मारुति-800 स्टैण्डर्ड	77,210 रुपये
एम्बेसेडर (पैट्रोल)	96,142 रुपये

रसोई गैस सिलिंडरों को होटलों तथा रेस्तरां में सप्लाई करना

2830. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन आयल कारपोरेशन ने अप्रैल, 1988 में एक लाख से अधिक रसोई गैस उपभोक्ताओं को पंजीकृत किया;

(ख) यदि हां, तो क्या पुराने तथा नये उपभोक्ताओं को समय पर गैस सिलिंडर उपलब्ध कराने के लिए प्रबंध किये गये हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या घरेलू प्रयोग के लिए भेजे जाने वाले गैस सिलैंडरों का होटलों तथा रेस्तरां को सप्लाई कर दिये जाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध पर क्या कार्यवाही की गई ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) पुराने तथा नये उपभोक्ताओं की एल० पी० जी० आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पाद, बार्टलिंग क्षमता तथा अन्य आवश्यक सुविधाएं पर्याप्त रूप में उपलब्ध हैं।

(घ) और (ङ) हालांकि इस प्रकार का कोई भी मामला सरकार के ध्यान में नहीं लाया गया है फिर भी कुछ अवांछनीय तत्वों द्वारा घरेलू उपभोक्ताओं के लिए निर्दिष्ट एल० पी० जी० सिलिंडरों का वाणिज्यिक रूप से प्रयोग करने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। ऐसे अनाधिकृत प्रयोग को रोकने के लिए तेल कंपनियों ने अनेक उपाय किये हैं।

पालघाट जिले में इलैक्ट्रानिक एक्सचेन्ज स्थापित करना

2831. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पालघाट जिले में इस वर्ष इलैक्ट्रानिक एक्सचेन्ज स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

केरल में आकाशवाणी केन्द्रों का विकास

2832. **श्री के० कुंजम्बु** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के केरल स्थित कुछ केंद्रों का वर्ष 1988-89 के दौरान विकास करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) सातवीं योजना में कन्नानूर, इदुक्का और कोचीन मे नये रेडियो स्टेशन स्थापित करने का प्रस्ताव है। अन्य स्कीमें, त्रिवेन्द्रम में स्थाई टाइप-4 के टी० वी० स्टूडियो और 50 किलोवाट शार्ट वेव ट्रांसमीटर स्थापित करने, त्रिचुर के 20 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर को 100 किलोवाट से बदलने और कालीकट के मौजूदा 10 कि० वाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर को नये 10 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर से बदलने के संबंध में है।

यद्यपि 1988-98 के दौरान इन स्कीमों का कार्यान्वयन संतोषजनक ढंग से प्रगति पर है फिर भी चालू वर्ष में उनके पूरा होने की उम्मीद नहीं है।

केरल में इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेन्जों की स्थापना

2833. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में 1987-88 के दौरान कितने इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेन्ज स्थापित किये गये;

(ख) 1988-89 में योजना क्या है; और

(ग) इन्हें किन-किन जिलों में स्थापित किया जाएगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) केरल में 1987-88 में तीन स्थानीय इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोन स्थापित किए गए।

(ख) और (ग) 1988-89 के दौरान केरल में निम्नलिखित इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेन्ज स्थापित करने की योजना बनाई गई है :—

क्रम सं०	एक्सचेन्ज का नाम और क्षमता	जिला
1	2	3
1.	कलारा-128 पोर्ट	त्रिवेन्द्रम
2.	काराकोणम-128 पोर्ट	वही

1	2	3
	3. मदनविल्लापेक मकुरा-128 पोर्ट	त्रिवेन्द्रम
	4. पचापलोडे-128 पोर्ट	वही
	5. अंबापातरा-128 पोर्ट	कासरगोडे
	6. कूदवादूर-128 पोर्ट	कोट्टायम
	7. हरंगोयुकारा-128 पोर्ट	त्रिचूर
	8. मुल्लूरकेरा-128 पोर्ट	वही
	9. कुरिचिकारा-128 पोर्ट	वही
	10. पुन्नाला-128 पोर्ट	वही
	11. उदयमोरूर-512 पोर्ट (फील्ड ट्रायल)	एर्नाकुलम
	12. कुमली-512 पोर्ट आई० एल० टी०	इदुक्की
	13. कल्लासबलम-वही	त्रिवेन्द्रम
	14. मदावूरपल्लाईकल-वही	वही
	15. नीदुमगंडम-वही	इदूक्की
	16. कोनकोटी-वही	कालीकट
	17. फेरोक-2048 पोर्ट (फील्ड ट्रायल)	कालीकट

18. इनके अलावा केरल में लघु आई० एल० टी०-64 पोर्ट टाइप एक्सचेन्जों की दस यूनिटें स्थापित करने की योजना बनाई गई है।

गैर सरकारी बिजली उत्पादक कम्पनियां

2834. श्री शरद दिघे : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विद्यमान गैर-सरकारी क्षेत्र में बिजली उत्पादन करने वाली कंपनियों के नाम क्या हैं; और

(ख) इस समय इनके द्वारा कितनी बिजली का उत्पादन किया जाता है?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना निम्नानुसार है :—

क्रम सं० निजी क्षेत्र की विद्युत उत्पादन कंपनी का नाम	अप्रैल-जून, के दौरान विद्युत का उत्पादन		
	लक्ष्य	वास्तविक उत्पादन (मिलियन यूनिट में)	लक्ष्य की प्रतिशतता
(1) मैसर्ज अहमदाबाद इलेक्ट्रिसिटी कम्पनी	533	509	95.5
(2) मैसर्ज टाटा इलैक्ट्रिक कंपनी	1646	1700	103.3
(3) मैसर्ज कलकत्ता इलैक्ट्रिक सप्लाई कारपोरेशन	592	633	106.9

पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करना

2835. **श्री हरुभाई मेहता :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में एकाधिकार और अवरोधक व्यापारिक व्यवहार तथा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम में रियायतों की घोषणा के बाद पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए कितने आवेदन अथवा प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ख) इन रियायतों के कारण पिछड़े क्षेत्रों में कितने रोजगार अवसर पैदा होने की सम्भावना है ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) उद्योगों को लाइसेंसमुक्त करने की योजना को 20 अक्तूबर, 1987 से एम० आर० टी० पी०/फेरा कंपनियों के लिए लागू कर दिया गया था। एम० आर० टी० पी०/फेरा कंपनियों से 21-10-1987 से 31-7-1988 की अवधि में पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के लिए 82 आवेदन औद्योगिक लाइसेंसों की स्वीकृति हेतु और 41 आवेदन तकनीकी विकास महानिदेशालय में पंजीकरण कराने हेतु प्राप्त हुए थे।

(ख) इन छूटों के कारण रोजगार की संभावनाओं से संबंधित ठीक-ठीक सूचना उपलब्ध नहीं है। तथापि, उपर्युक्त आवेदनों में से 36 आवेदनों के बारे में, जिनके लिए आशय-पत्र/पंजीकरण जारी हो चुके हैं, आवेदकों ने रोजगार की संख्या 6,000 के लगभग बताई है।

पूंजीगत माल के सम्बन्ध में कार्यकारी दल की रिपोर्ट

2836. **श्री वाई० एस० महाजन :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को पूंजीगत माल उद्योग के सम्बन्ध में कार्यकारी दल की रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यकारी दल की मुख्य सिफारिशें क्या हैं;

(ग) कार्यकारी दल की मुख्य सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए सरकार द्वारा उठाये गये अथवा उठाये जाने वाले कदमों का ब्योरा क्या है; और

(घ) कार्यकारी दल की रिपोर्ट में निहित सिफारिशों के आधार पर नीति सम्बन्धी क्या परिवर्तन करने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (घ) योजना आयोच द्वारा गठित पूंजीगत वस्तु उद्योग सम्बन्धी सलाहकार दल को अभी अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप देना है और इसे प्रस्तुत करना है।

महाराष्ट्र को ऊर्जा उत्पादन के लिए गैस की सप्लाई

2837. **श्री डी० वी० पाटिल :** क्या पेटोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में ऊर्जा उत्पादन के लिए दी जाने वाली गैस की सप्लाई में काफी कटौती की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और कितनी कटौती की गई है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

कम्पनी अधिनियम की धारा 209-ए के अन्तर्गत कम्पनियों का निरीक्षण

2838. **श्री वी० बी० रमैया** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) 1 जून, 1987 से 30 जून, 1988 के दौरान कम्पनी अधिनियम की धारा 209-ए के अन्तर्गत व्यापारिक घरानों/ग्रुपों की कितनी कम्पनियों का निरीक्षण किया गया;

(ख) उन व्यापारिक घरानों/ग्रुपों के नाम क्या हैं जिनकी सभी कम्पनियों का निरीक्षण किया गया था; और

(ग) इन निरीक्षणों के अनुसार कितने मुकदमे चलाये गये ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास में विभाग राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत व्यापारिक घरानों या समूहों को परिभाषित नहीं किया गया है। यह मान लिया गया कि माननीय सदस्य एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम की धारा 26 के अन्तर्गत पंजीकृत और 100 करोड़ रुपये या अधिक की परिसम्पत्तियों वाले प्रत्येक बड़े औद्योगिक घरानों से सम्बन्धित कम्पनीयों को संदर्भित कर रहे हैं। कम्पनी अधिनियम की धारा 209क के अन्तर्गत इस प्रकार के 12 बड़े औद्योगिक घरानों से सम्बन्धित कुछ कम्पनियों का उक्त अवधि के दौरान निरीक्षण किया गया था। उक्त निरीक्षणों के अनुसरण में अभी तक तीन अभियोग शुरू किये गये हैं ।

खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली में मरम्मत कार्य

[हिन्दी]

2839. **श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली में चल रहे मरम्मत कार्य में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की खबर समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई है और इस बारे में सरकार और खादी और ग्रामोद्योग आयोग को शिकायत प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) उक्त रिपोर्ट "दुनिया" नामक साप्ताहिक पत्रिका के 10 फरवरी, 1988 के अंक में प्रकाशित हुई थी। खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग आयोग ने इस मामले की जांच अपने दिल्ली निवासी प्रतिनिधि (रेजिडेन्ट रीप्रेजन्टेटिव) से करायी थी और यह पाया गया था कि खादी ग्रामोद्योग भवन, दिल्ली के नवीनीकरण पर आरम्भ में दिल्ली नगर निगम के आपत्ति की थी किन्तु बाद में इसके लिए अनुमति दे दी थी। उक्त पत्रिका छिपी रिपोर्ट में लगाए गए आरोप निराधार पाए गए थे ।

मैसर्स लोहिया मशीन्स लिमिटेड द्वारा पंजीकरण राशि को लौटाना

[अनुवाद]

2840. **श्री स्वामी प्रसाद सिंह :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स लोहिया मशीन्स लिमिटेड को वर्ष 1985, 1986, 1987 और जुलाई, 1988 तक की अवधि के दौरान अग्रिम बुकिंग राशि को ब्याज सहित वापस करने हेतु काफी अधिक आवेदन प्राप्त हुए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और धनराशि कब तक लौटा दी जाएगी;

(ग) क्या मैसर्स लोहिया मशीन्स लिमिटेड ने सम्बन्धित व्यक्तियों को सूचित किया है कि अग्रिम बुकिंग राशि को ब्याज सहित लौटाने की प्रक्रिया चालू है जिसका भुगतान उन्हें बुकिंग की तारीख से वापस करने की तारीख की अवधि के लिए चालू ब्याज दरों पर तीन महीनों के अंदर कर दिया जाएगा ?

(घ) क्या 22 जून, 1988 को ब्याज सहित कुछ धनराशि लौटाई गई है; और

(ङ) यदि हां, तो किस ब्याज दर पर और ये धनराशि किस अवधि के लिए वापस दी गई है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) कंपनी द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 31.7.88 तक बुकिंग को रद्द करने के लिए प्राप्त हुए आवेदनों की संख्या 12,09,985 है। इनमें से 8,46,573 आवेदनों के संबंध में ब्याज सहित पूरे मूलधन की राशि लौटा दी गई है।

हाल ही में मै० एल० एम० एल० लि० द्वारा अग्रिम राशि वापिस किए जाने के संपूर्ण प्रश्न पर लोक सभा की याचिका समिति द्वारा विचार किया गया था। समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ सिफारिश की है कि कंपनी द्वारा सभी आवेदनों के संबंध में 31.3.1988 तक राशि लौटा दी जाए तथा विलंब की अवधि के लिए 10.90% की उच्चतर दर पर ब्याज दिया जाए। कंपनी ने विलंब की अवधि के लिए बढ़ी हुई ब्याज देने के लिए याचिका समिति की सिफारिश मान ली है। तथापि उन्होने समिति से शेष आवेदनों की राशि लौटाने के लिए 31.3.88 से आगे समय बढ़ाने का अनुरोध किया है।

(ग) कंपनी द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उन्होंने दिसम्बर, 1987 में उन ग्रहकों को, जिनके आवेदन बुकिंग रद्द करने के लिए लंबित पड़े थे, यह सूचना देते हुए पत्र लिखे हैं कि राशि लौटाने में देरी अप्रत्याशित तथा अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण हुई है जो कि कंपनी के नियंत्रण से पूर्णतः बाहर की बात थी और यह भी सूचित किया कि वे सभी आवश्यक प्रबन्ध कर रहे हैं जिससे कि वे तीन माह की अवधि के भीतर राशि लौटाना शुरू कर सकेंगे।

(घ) और (ङ) कंपनी ने यह सूचित किया है कि यद्यपि उन्होंने सभी शेष मामलों में राशि लौटाने के लिए 31.3.88 से आगे अतिरिक्त समय देने के लिए लोक सभा की याचिका समिति

से अनुरोध किया है, फिर भी ग्राहकों व याचिका समिति के प्रति अपनी वचनबद्धता के प्रतीक के रूप में उन्होंने मई, 1988 में 200 रु० की आंशिक मूलधन की राशि लौटाना शुरू कर दिया है और बुकिंग की अवधि के लिए 7% की दर से तथा विलंब कि अवधि की अवधि के लिए 11% की दर से ब्याज भी दिया जा रहा है। कंपनी ने यह भी सूचित किया है कि ऐसी आंशिक वापसी बुकिंग रद्द करने हेतु मई, 87 तक प्राप्त हुए लगभग एक लाख आवेदनों के संबंध में की गई है। उन्होंने 22 जून, 88 को राशि लौटाने की भी पुष्टि की है जिसके साथ बुकिंग की अवधि के लिए 7% की दर से तथा विलंब की अवधि के लिए 11% की दर से ब्याज दिया गया है।

इंजीनियरी उद्योग संघ द्वारा सोवियत संघ का दौरा

2841. **श्री यशवन्तराव गडाख पाटिल :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंजीनियरी उद्योग संघ ने हाल ही में सोवियत संघ का दौरा किया था;

(ख) क्या दौरे के समय सहयोग प्राप्त करने हेतु किन्हीं प्रौद्योगिकियों का पता लगाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) इंजीनियरी उद्योग संघ ने सूचित किया है कि 30 जून से 8 जुलाई, 1988 तक उनके मिशन के संघ के दौरे के समय सोवियत संघ से उपलब्ध होने वाली प्रौद्योगिकियों की सूची सहित भारत से सोवियत संघ को प्राप्त होने वाली प्रौद्योगिकियों की सूची भी प्रदान की गई है। संलग्न विवरण में इन प्रौद्योगिकियों की सूची दी गई है।

विवरण

भारत को प्रदान की जा सकने वाली प्रौद्योगिकियां

1. कॉपर तथा आयरन बेस फ्रिक्शन डिस्क्स (मैटल पाउडर केकिंग) के लिए उत्पादन प्रक्रिया-बेलोरेशियन रिसर्च एण्ड प्रॉडक्शन एसोसिएशन फार पाउडर मैटलर्जी।
2. ईंधन शोधन, पेय जल के शुद्धिकरण में प्रयुक्त होने वाले टिटैनियम फिल्टरों तथा साथ ही साथ निक्रोम तथा स्टेनलैस स्टील से बने फिल्टरों के लिए टिटैनियम पाउडरों की हाइड्रोडायनेमिक प्रैसिंग तथा केकिंग प्रौद्योगिकी-बेलोरशियन रिसर्च एण्ड प्रॉडक्शन एसोसिएशन फॉर पाउडर मैटलर्जी।
3. इलैक्ट्रिक मोटर के मैनिफोल्डस तथा आयरन बेस फ्रिक्शन मैटीरियल्स के लिए उत्पादन प्रक्रिया।
4. एल्यूमीनियम उत्पादन में प्रयुक्त इलैक्ट्रॉड्स के लिए स्टील-एल्यूमीनियम कम्पोजिशन को ब्लॉक करके वैल्डिंग प्रौद्योगिकी-बेलोरशियन रिसर्च एण्ड प्रॉडक्शन एसोसिएशन फॉर पाउडर मैटलर्जी (बी० आर० पी० ए० पी० एम०)।

5. मॉलीबेडिनम पाउडर से बनाए गए ब्लैंक्स की एक्सप्लोसिव प्रैसिंग प्रौद्योगिकी-बी० आर० पी० ए० पी० एम० ।

6. तरल ईंधन का इस्तेमाल करने वाले थर्मोइलैक्ट्रिक जनरेटिंग सेटों के लिए फ्यूल ऑयल इंजैक्टर्स नोजल्स के लिए उत्पादन प्रौद्योगिकी बी० आर० पी० ए० पी० एम० ।

7. विभिन्न सुरक्षात्मक तथा सजावटी कोटिंग करने के लिए प्रौद्योगिकी (क्रोम प्लेटिंग, निकल प्लेटिंग, टिन-लेड मिश्रण का जमाव), लियुआनिअन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक की विज्ञान अकादमी के अंतर्गत रसायन शास्त्र और रसायन इंजीनियरी का संस्थान।

8. वैल्डिंग या ब्लासटिंग द्वारा औजार बाय-मैटल हेतु उत्पादन प्रौद्योगिकी, बी०/ओ० "नेशतेखनिका" ।

9. 3 परतों की शीट के लिए उत्पादन प्रक्रिया-रिसर्च एण्ड प्रॉडक्शन ऐसोसिएशन "एनितिम"

10. सिलिकन सम्मिश्रणों, टिटैनियम सिलिसाइड्स के आधार पर घिसाव-रोधी, ताप-रोधी और सुरक्षात्मक सजावटी कोटिंग लगाने की प्रौद्योगिकी-बेलोरशियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक की विज्ञान अकादमी के अधीन इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स एण्ड टैक्नोलाजी ।

11. परिवहन सुविधाओं समुद्र-स्थल प्लेटफार्मों, बंकरों तथा विद्युत एककों, इत्यादि का विलयन होने से लम्बे समय तक बचाव के लिए कास्ट-हार्डनिंग मैटेलिक तथा बाय-मैटेलिक कोटिंग के लिए उत्पादन प्रौद्योगिकी "एंटीकोर" ।

12. पॉलीकारबोनेट तथा पॉलीफारमल-डिहाइडी के लिए उत्पादन प्रौद्योगिकी-सोवियत संघ का रसायनिक उद्योग मंत्रालय ।

13. इलैक्ट्रॉनिक एन० रूट रेलों की वैल्डिंग प्रौद्योगिकी-सोवियत संघ का रेल मंत्रालय ।

14. रहोम्बिक सस्पैंशन नियम पर आधारित वैद्युत रेलों (सम्पर्क प्रणाली) के लिए बिजली आपूर्ति लाईनें बनाने की प्रौद्योगिकी-सोवियत संघ का रेल मंत्रालय।

15. टिकटों के आरक्षण तथा बिक्री के लिए स्वचालित प्रणाली की स्थापना करने की प्रौद्योगिकी-सोवियत संघ का रेल मंत्रालय ।

16. वैद्युत रेलों को विद्युत शक्ति रिकुपरेशन की यूनिटों से लैस करना—सोवियत संघ का रेल मंत्रालय ।

17. आटोमैटिक ब्लॉकिंग प्रणाली, इलेक्ट्रानिक और परिचालक का केन्द्रीयकरण, मार्गस्थ गाड़ियों की स्थिति पर व्यापक नियंत्रण के उपकरण—सोवियत संघ का रेल मंत्रालय ।

18. अधिक राख वाले जलते हुए ठोस ईंधन की एयर स्लाउटिंग विधि के साथ प्रारंभिक सेमी-कोकिंग की तकनोलोजी-सोवियत संघ का बिजली (पावर) मंत्रालय ।

19. आंतरिक सर्किटों की सिरामिक बॉडीज के लिए उत्पादन प्रौद्योगिकी-सोवियत संघ का इलैक्ट्रानिक्स मंत्रालय।

20. सम्पर्क सुविधाओं, टेलीवीजन तथा कम्प्यूटर प्रणालियों के लिए सॉफ्ट तथा हार्ड फैरिट्स से वस्तुओं के निर्माण को प्रौद्योगिकी—सोवियत संघ का इलैक्ट्रॉनिक्स उद्योग मंत्रालय।

21. मैटलाईज्ड फिल्म-टाईप कंडेंसरों तथा कंडेंसरों का निर्माण करने के लिए उपकरणों के लिए उत्पादन प्रौद्योगिकी—सोवियत संघ का इलैक्ट्रॉनिक्स उद्योग मंत्रालय।

22. सोवियत सिंगल सर्किट-बोर्ड कम्प्यूटर के आधार पर परसनल 16-बिट प्रोफैशनल कम्प्यूटरों के लिए उत्पादन प्रौद्योगिकी।

23. लाइव एरियल पावर लाइनों की मरम्मत करने की प्रौद्योगिकी-सोवियत संघ का ऊर्जा मंत्रालय।

24. ऐसी प्रौद्योगिकी जिसके द्वारा चाय उत्पादन में बरबादी—जॉर्जियन पौलीटेक्नीकल इस्टीट्यूट (सोवियत संघ की शिक्षा राज्य समिति)

25. सिल्क तौलने की पद्धति—जॉर्जियन पालीटेक्नीकल इंस्टीट्यट।

26. प्रत्यक्ष कमी स्टील उत्पादन प्रक्रिया—मास्को इंस्टीट्यूट ऑफ स्टील एण्ड एलॉज (सोवियत संघ की शिक्षा राज्य समिति)।

27. जल तथा बीजों के तेजर उपचार के लिए प्रौद्योगिकी तथा उपाय—स्टेट यूनीवर्सिटी ऑफ कज्जाकस्तान (सोवियत संघ की शिक्षा राज्य समिति)।

28. इम्मयून-परमेट एनालिसिज मैथड-मास्को स्टेट यूनिवर्सिटी (सोवियत संघ की शिक्षा राज्य समिति)।

29. "बैलिज" नाम एंटी—ईफ्लामेटरी दवा बनाने की प्रौद्योगिकी—दि क्यूबन स्टेट यूनीवर्सिटी (सोवियय संघ की शिक्षा राज्य समिति)

30. प्रैशर कास्टिंग प्रोसेस-बोमेन (सोवियत संघ की शिक्षा राज्य समिति) के नाम पर रखा गया मास्को टैक्नीकल इंस्टीट्यूट (एम० वी० टी० यू०)।

31. स्टील सतहों पर नियमित माइक्रो-रिलिफ्स को बनाने की प्रक्रिया—दि लेनिनग्राड इंस्टीट्यूट आफ फाईन मैकेनिक्स एण्ड ऑप्टिक्स (सोवियत संघ की शिक्षा राज्य समिति)।

32. फिनिशिंग के कार्यों में प्रयुक्त निर्माण सामग्री की उत्पादन प्रोद्योगिकी—बेलोरशियन पॉलीटेक्नीकल इंस्टीट्यूट (सोवियत संघ की शिक्षा राज्य समिति)।

33. खराब पानी के शुद्धिकरण की प्रौद्योगिकी—मास्को इंस्टीट्यूट ऑफ पावर इंजीनियरिंग, बेलोरशियन स्टेट यूनिवर्सिटी (सोवियत संघ की शिक्षा राज्य समिति)।

34. प्राकृतिक गैस, हल्के नाइट्रिक एसिड, तेज नाइट्रिक एसिड से अमोनिया बनाने, बेनजीन, मेथानोल, पीली फास्फोरस, थर्मल फास्फोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सादे सुपरफास्फेट,

ट्रिपल सुपरफास्फेट, डाइकेलिशयम फास्फेट, नैटियम ट्राइपोलिफास्फेट, आइसोसाएनेट, एम्मोफोस होम कंपाउण्डों से कैप्रोलैक्टर बनाने तथा अमोनिया, नाइट्रिक एसिड, मैथानोल, कैप्रोलैक्टम, फास्फोरिक एसिड उत्पादन एककों में प्रयुक्त होने वाले उत्प्रेरक बनाने के कार्यों को आरम्भ करने में तकनीकी सहायता प्रदान करना—सोवियत संघ का उर्वरक मंत्रालय ।

35. सेमीस्टोर बनाने की प्रौद्योगिकी—वी० आई० लेनिन के नाम से स्थापित आल यूनियन इंस्टीट्यूट ऑफ पावर की रिसर्च एण्ड प्रोडक्शन एसोसिएशन (सोवियत संघ का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरी मंत्रालय)।

36. हाइड्रोजन प्लाजा इस्तेमान करके टंगस्टन और मोलिबडेनम घटाने की प्रोद्योगिकी व उपकरण (सोवियत संघ का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरी उद्योग मंत्रालय) ।

37. तेजी से बिल्डिंग करने की प्रक्रिया (सोवियत संघ का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरी उद्योग मंत्रालय) ।

38. पॉलिमर सामग्री के लिए वेल्डिंग प्रक्रिया (सोवियत संघ का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरी उद्योग मंत्रालय) ।

39. फाइबर आप्टिक उपकरणों सहित स्टैटिक थाइरिस्टोर कम्पनसेटर अपनाने की प्रौद्योगिकी (सोवियत संघ का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरी उद्योग) ।

40. टेस्टिंग बेंचों के लिए डिजाइन बनाने की प्रक्रिया (रूस का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरी उद्योग) ।

41. डिटोनेशन द्वारा पाउडर कोटिंग लगाने की प्रक्रिया—यूक्रेनियम सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक की विज्ञान अकादमी के अधीन इंस्टीट्यूट ऑफ मैटिरियल्स स्टडी ।

42. टिटैनियम और क्रोमिक कार्बाइड के आधार पर टंग्सटन मुक्त सख्त एलोय बनाने की उत्पादन प्रक्रिया—यूक्रेनियम सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक की विज्ञान अकादमी के अधीन इंस्टीट्यूट आफ मैटिरियल्स स्टडी ।

43. अधिक भार वाली मशीनों के आधार का डिजाइन बनाने की विधि—स्टेट कमेटी ऑफ द यू० एस० एस० आर० फॉर कंस्ट्रक्शन के अधीन गेरसेवानोव के नाम से स्थापित साइंटिफिक रिसर्च इस्टीट्यूट ।

44. स्टैटिक ग्राण्ड प्रोबिंग की विनिर्माण विशिष्टियां निर्धारित करने के लिए इसकी प्रौद्योगिकी और उपकरण (स्टेट कमेटी आफ द यू० एस० एस० आर० फॉर कंस्ट्रक्शन)।

45. कंपैक्टिड पिट्स में आधार स्थापित करने की विधि (स्टेट कमेटी आफ द यू० एस० एस० आर० फॉर कंस्ट्रक्शन) ।

46. पूरी सामग्री और विभिन्न रिजडिटी के फ्रेमों सहित एक मंजिल की औद्योगिक इमारतों हेतु तकनीकी अभिलेखन-स्टेट कमेटी आफ द यू० एस० एस० आर० के अधीन कुचेरेनको के नाम से स्थापित वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान ।

47. लार्ज-ब्लाक हाउस बिल्डिंग हेतु फ्लैट कंपोनेंट बनाने के लिए कैसेट कनवेयर लाइन हेतु उपकरण (उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्रों में रूस का निर्माण मंत्रालय)।

48. वायर से रीइनफोर्समेंट छड़ें बनाने हेतु स्वचालित नियंत्रण प्रणाली सहित मशीन पी० एस एन-14 को सीधा करने और काटने के वास्ते लाइसेंस और तकनीकी अभिलेखन-उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्रों में रूस के निर्माण मंत्रालय के अधीन "स्ट्रायइण्डस्ट्रिया" की चोबोकसारी शाखा।

49. न्यूमैटिक मकैनिकल विधि से जूट रीप्रोसेसिंग—रूस का हल्के उद्योगों का मंत्रालय।

50. फास्फो जिप्सम पर आधारित अत्यधिक जलरोधी शक्ति के गुणों से परिपूर्ण अनेक पुर्जे जोड़ने के पदार्थ हेतु उत्पादन प्रौद्योगिकी—रूस का भवन सामग्री उद्योग मंत्रालय।

51. 2.5 से 3 हजार टन क्षमता वाले फोस्फोजिप्सम से बनने वाले जोड़ने के पदार्थों हेतु प्रौद्योगिकी और उत्पादन-रूस का भवन सामग्री उद्योग मंत्रालय।

52. स्लोट टाइप फर्नेस में उच्च गति की फायरिंग इस्तेमाल करके टाइलें बनाना—रूस का भवन सामग्री उद्योग मंत्रालय।

53. तोड़ने के लिए विस्फोटकों से भिन्न सामग्री हेतु उत्पादन प्रौद्योगिकी—रूस का भवन सामग्री उद्योग मंत्रालय।

54. कांच के सामान की थर्मल पालिशिंग की प्रौद्योगिकी—रूस का भवन सामग्री उद्योग मंत्रालय।

55. आयन एक्सचेंज साधनों से कांच व कांच का सामान बनाने और मजबूत करने की प्रौद्योगिकी—रूस का भवन सामग्री उद्योग मंत्रालय।

56. "बी एल" सामग्री पर आधारित ग्लास सिरेमिक्स आफ कंप्लैक्स कनफिगेरेशन और प्रिसाइज डायमेंशन्स हेतु उत्पदान प्रक्रिया—रूस का भवन सामग्री उद्योग मंत्रालय।

57. बिना तोपाचार के इण्डिविजुअल और बडे लॉन में कारों, ट्रैक्टरों और कृषि मशीनों की ढलाई करने के वास्ते स्फेरिओडल ग्रेफाइट की उच्च प्लास्टिसिटी की शॉक-प्रूफ फेरिट कास्ट आयरन से पतली और मोटी दीवारों की ढलाई हेतु ऊंची क्षमता की पावर-सेविंग उत्पादन प्रक्रिया—यूक्रेनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक की विज्ञान अकादमी के अधीन इंस्टीच्यूट आफ कास्टिंग।

58. मेटलिक शॉट्स और इनगोटों और कास्टिंगों में सस्पेंशन फिलिंग हेतु उत्पादन प्रक्रिया—यूक्रेनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक की विज्ञान अकादमी के अधीन इंस्टीच्यूट आफ कास्टिंग।

59. मेटलर्जिकल एककों में मेल्ट्स का निरंतर ताप नियंत्रण करने की प्रौद्योगिकी—यूक्रेनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक की विज्ञान अकादमी के अधीन इंस्टीच्यूट ऑफ कास्टिंग।

60. चैनल किस्म की इंडक्शन भट्टियों के लिए उत्पादन प्रक्रिया—रूस की विज्ञान अकादमी के अधीन इंस्टीच्यूट आफ इलेक्ट्रोडायनामिक्स; रूस के अलौह मेटलर्जी मंत्रालय का "जिप्रोत्सवेटमेंटोब्राबोटका"

61. "टौरोइड" किस्म के प्रेशर चेम्बरों के लिए उत्पादन तकनीक—रूस की विज्ञान अकादमी के अधीन एल० एफ० वेरेसचेगिन के नाम से स्थापित इंस्टीच्यूट आफ हाई प्रेशर फिजिक्स।

62. रैडियेशन इंजीनियरी व उपकरण—रूस की विज्ञान अकादमी के अधीन इंस्टीच्यूट ऑफ न्यूक्लिअर फिजिक्स।

वे भारतीय प्रौद्योगिकियां जिनमें रूसी संगठनों की रुचि हो सकती है।

—ओक्साइड्स नाइसेाइड्स और कार्बाइड्स पाउडरों से कंपलैक्स कनफिमरेशन के सिरेमिक ब्लैंकों की इंजेक्शन कास्टिंग हेतु प्रौद्योगिकी और उपकरण;

—धातु सम्मिश्रण पाउडरों की जल अथवा गैस स्प्रेइंग हेतु प्रौद्योगिकी और उपकरण;

—एमोरफोस बेल्ट बनाने की प्रौद्योगिकी और उपकरण;

—बच्चों के लिए विशेष दवाओं (कैप्सूल, माइक्रोग्रैनुअल्स, एयर स्प्रेज, सिरप्स, सुप्पोसिटोरीस्क, कैप्सूलीकृत सोल्यूशन्स, ट्यूब सिरिंजें, प्लास्टिक कवरिंग) सहित उपयोग के लिए तैयार आधुनिक दवाओं के उत्पादनार्थ प्रौद्योगिकी;

—कंप्यूटर प्रिंटरों, ग्राफ प्लाटरों, "विंचेस्टर" किस्म की मैग्नेटिक डिस्कों के लिए मेमोरियों, साउण्ड सिंथेसाइजरों, इलेक्ट्रिकल संगीत उपकरणों, लेजर प्रिंटरों कंप्यूटरों के पेरीफेरल यूनिटों हेतु उत्पादन प्रौद्योगिकी।

नार्दर्न कोलफील्ड्स लि० से कोयले का उठान

2842. **श्री नरसिंह सूर्यवंशी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक लाभप्रद कंपनी नार्दर्न कोलफील्ड्स लि० से कोयला उठाने की निर्धारित की गई मात्रा तथा वास्तविक उठाई गई मात्रा में भारी अन्तर होने से इसकी योजनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) क्या नार्दर्न कोलफील्ड्स लि० के अन्तर्गत कोयला खानों की सबसे बड़ी समस्या खानों में कोयले की पर्तों पर बड़ी-बड़ी विस्फोटक चट्टानों का जमाव होना है जिन्हें शीघ्रता से हटाने के लिए अत्याधुनिक मशीनों के प्रयोग की आवश्यकता है; और

(ग) यदि हां, तो इन बाधाओं को दूर करने के लिए अब तक क्या कार्रवाई की गई है अथवा करने का विचार है?

ऊर्जा मंत्रालय में कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी, नहीं। वर्ष 1987-88 में नार्दर्न कोलफील्ड्स लि० से कोयले का प्रेषण इस वर्ष की वार्षिक योजना में निर्धारित 16.00 मि० ट० प्रेषण लक्ष्य की तुलना में 16.30 मि० ट० हुआ। अप्रैल जुलाई, 1988

की अवधि में पिछले वर्ष की इसी अवधि के लिए निर्धारित 54.90 लाख टन के यथानुपात लक्ष्य की तुलना में ना० को० लि० से कोयले का प्रेषण 62.03 लाख टन रहा।

(ख) और (ग) इस संबंध में तैयार की परियोजना रिपोर्टों में हटाए जाने वाले मलबे की मात्रा पर विचार किया गया है और इसमें अपेक्षा के अनुसार उच्च क्षमता की उन्नत मशीनों का प्रावधान किया गया है। ऐसी मशीनों को प्राप्त करने के बाद संस्थापित किया जाता है।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में छिद्रण लागत संबंधी अध्ययन

2843. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा सरकारी क्षेत्र के एककों में लागत नियंत्रण और लागत कम करने की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए स्थापित विशेष कक्ष ने छिद्रण लागत संबंधी अध्ययन का काम पूरा कर लिया है और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कक्ष द्वारा दिये गये मुख्य सुझावों का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग की लागत लेखा शाखा द्वारा तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग में खुदाई लागत पर किये गये अध्ययन संबंधी रिपोर्ट संख्या 6840 दिनांक 16-3-88 प्राप्त हुई है।

(ख) रिपोर्ट में दिये गये सुझाव में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित तथ्य भी शामिल हैं :—

1. रिग दिवस दर का मूल्यांकन करने के लिए विस्तृत प्रक्रिया तथा प्रणाली।
2. भंडार के मूल्यांकन की पद्धति में परिवर्तन।
3. कार्यशालाओं में लागत नियंत्रित करने की प्रक्रिया।
4. संशोधित खुदाई क्षमता के तारीकों के लिए डेटा बैंकों का विकास।
5. भाड़े पर लिए गए/खरीदे गए वाहनों/उपकरणों के प्रभावी सर्वेक्षण पर तुलनात्मक लागत लाभ का अध्ययन।
6. प्रोत्साहन योजना की सामयिक संवीक्षा।
7. लागत नियंत्रण तथा उत्पादकता समिति लागू करना और
8. लागत विभाग को सुदृढ़ बनाना।

नए तेल शोधक कारखानों की स्थापना

2844. **श्री चिंतामणि जेना :**

श्री अमरसिंह राठवा :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में और अधिक तेल शोधक कारखाने स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं और इसके लिए कौन-कौन से स्थानों का चयन किया गया है; और

(ग) क्या सरकार और अधिक तेल शोधक कारखाने तेल उत्पादक-क्षेत्रों के निकट स्थापित करने के बारे में विचार करेगी ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) (क) : और (ख) भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि करनाल में एक संयुक्त सैक्टर में 6 मिलियन टन प्रतिवर्ष क्षमता वाली एक रिफाइनरी स्थापित की जाए। यह भी निर्णय लिया गया है कि मंगलौर में 3 मिलियन टन प्रतिवर्ष क्षमता की पैट्रोकैमिकल रिफाइनरी की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी० पी० आर०) तैयार की जाए। असम में असम समझौते के अंतर्गत एक नई रिफाइनरी स्थापित करने का भी प्रस्ताव है।

(ग) अपेक्षित रिफाइनिंग क्षमता के लिए विभिन्न तकनीकी आर्थिक तत्वों को ध्यान में रखा गया है। जिनमें उक्त क्षेत्र मांग और पूर्ति संतुलन, कच्चे तेल की उपलब्धता तथा इस संबंध में किया जाने वाला विशेष अध्ययन भी शामिल है।

जीवन रक्षक औषधों का उत्पादन

2845. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन जीवन रक्षक औषधी के क्या नाम हैं जिनकी सप्लाई पूरी नहीं हो रही है;

(ख) पिछले तीनों वर्षों के दौरान वर्षवार और क्षेत्रवार इन औषधों का सरकारी एवं गैर-सरकारी क्षेत्रों में कितना-कितना उत्पादन हुआ; और

(ग) मांग के अनुरूप इन औषधों की निर्यात सप्लाई सुनिश्चित करने हेतु सरकार ने क्या उपाय किये हैं अथवा करने का विचार है ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) और (ख) किसी खास औषध को जीवन-रक्षक औषध के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है।

(ग) सरकार द्वारा 1986 में औषध और भेषज उद्योग के युक्तिकरण, गुणवत्ता नियंत्रण और विकास के लिए घोषित उपायों का उद्देश्य सभी आवश्यक औषधों की उचित कीमतों पर पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना है।

कोल इण्डिया लि० द्वारा चलाई गई परियोजनाएं और अनुसंधान कार्य

2846. **श्री रेणुपद दास** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोल इंडिया लि० और इसकी सहायक कंपनियों द्वारा अब तक कितनी परियोजनाएं और अनुसंधान रिपोर्ट तैयार की गई हैं तथा कितनी परियोजनाएं चालू की गई हैं;

(ख) उनमें से कितनी परियोजनाएं एवं रिपोर्ट वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् को प्रस्तुत की गई है, वे कुल परियोजनाओं एवं रिपोर्टों का कितना प्रतिशत है; और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की प्रयोगशाला को कोल इण्डिया लि० और इसकी सहायक कंपनियों द्वारा कुल कितनी राशि का भुगतान किया गया और यह भुगतान कुल लागत का कितना प्रतिशत था;

(ग) क्या कोल इण्डिया लि० और इसकी सहायक कंपनियों का इस प्रणाली को जारी रखने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) केन्द्रीय खान आयोजनएवं डिजाइन संस्थान लि० द्वारा प्रत्येक वर्ष लगभग 30 से 35 भूवैज्ञानिक रिपोर्टें तैयार की जाती हैं। पूरे वर्ष के दौरान 75 से 80 समन्वेषण प्रखंडों में परीक्षण चलता रहता है। 1985-86 से अब तक वाशरियों और कोयले का परिष्करण किए जाने के लिए 13 परीक्षण किए गए हैं। इसके अलावा कोयले की धुलाई एवं परिष्करण के लिए 21 वैज्ञानिक और प्रोद्योगिकी की परियोजनाएं निर्दिष्ट की गई हैं जिनमें से 7 पूरी की जा चुकी हैं, 12 परियोजनाओं में कार्य चल रहा है और 2 परियोजनाओं को शुरू किया जा रहा है।

(ख) 21 वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी की परियोजनाओं और 13 परीक्षणों में से वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सी० एस० आई० आर०) 8 परियोजनाओं और 3 परीक्षणों के कार्य के साथ जुड़ी हुई हैं। 1987-88 के दौरान लगभग 39,000 मीटर कोयला-अंश (कोर) का उत्पादन किया गया है जिसमें 14,800 मीटर कोयला-अंश केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान तथा अन्य सरकारी अभिकरणों को किस्म संबंधी जांच करने के लिए दे दिया गया। वर्ष 1987-88 में परीक्षण करने वाले सभी अभिकरणों को कुल 28.44 लाख रुपए का भुगतान किया गया जिसमें से 8.20 लाख रुपए वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा अन्य सरकारी अभिकरणों को दिए गए।

(ग) और (घ) जी, हां। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद को प्रयोगशालाओं में परीक्षण के लिए कोयला-अंश का उतराई संबंधी कार्य जारी रहेगा क्योंकि उनके पास आवश्यक सुविधा उपलब्ध हैं।

कोल इंडिया लि० के कोयले के नमूनों की गैर सरकारी प्रयोगशालाओं में जांच

2847. चौधरी रामप्रकाश :
श्री मतिलाल हंसदा :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कोयले की जांच करने वाली गैर सरकारी प्रयोगशालाओं में शीर्ष पदों पर अधिकांशतः कोल इण्डिया लि०, सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्ट्रीट्यूट लि० और केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान के सेवा निवृत्त अधिकारी नियुक्त हैं और वे कोल इण्डिया लिमिटेड द्वारा आबंटित नमूनों की जांच का काम गैर सरकारी प्रयोगशालाओं के लिए आबंटित करवा लेते हैं;

(ख) कोल इण्डिया लि० ने पिछले तीन वर्षों में गैर सरकारी प्रयोगशालाओं में इन नमूनों की जांच कराने पर कुल कितनी धनराशि खर्च की; और

(ग) कोल इण्डिया लि० और उसकी सहायक कंपनियों द्वारा कौन-कौन सी परियोजनाएं तथा जांच कार्य वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की प्रयोगशालाओं को सौंपे जा चुके हैं और कौन-कौन-सी परियोजनाएं तथा जांच कार्य वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की प्रयोगशालाओं को सौंपे जाएंगे ?

ऊर्जा मंत्रालय में कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) कोयला कंपनियों के कर्मचारी अपना सेवानिवृत्ति के बाद निजी पार्टियों में रोजगार पाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सरकार के पास, सेंट्रल कोलफील्ड्स लि०, केन्द्रीय खान आयोजन एवं डिजाइन संस्थान लि० और केन्द्रीय इंधन अनुसंधान संस्थान के उन सेवानिवृत्त कर्मचारियों की निश्चित सूचना नहीं है जिन्होंने निजी कोयला जांच प्रयोगशालाओं में रोजगार प्राप्त किया है। कोलियरियों तथा वाशरियों से लिए गए कोयले के नमूनों की जांच के लिए कोयला कंपनियों की अपनी स्वयं की विभागीय प्रयोगशालाएं हैं। चुनींदा नमूनों का विश्लेषण केन्द्रीय इंधन अनुसंधान संस्थान की प्रयोगशाला में किया जाता है। परन्तु, कोयले के नमूनों की जांच के लिए कोयला कंपनियों और के० ई० अ० सं० में उपलब्धता सुविधाएं इतनी पर्याप्त नहीं हैं कि वे पूरे कार्य-भार को संभाल सके। इसलिए कोयला कंपनियों को निजी सुविधाओं पर भी भरोसा करना पड़ता है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान कोल इंडिया लि० द्वारा गैर-सरकारी प्रयोगशालाओं से कोयले के नमूनों की जांच करवाने पर लगभग 56.24 लाख रुपए का कुल खर्च किया गया। खर्च का वर्षवार ब्यौरा निम्नलिखित है—

1985-86	रु० 21 लाख
1986-87	रु० 15 लाख
1987-88	रु० 20.24 लाख

(ग) कोल इंडिया लि० की एक सहायक कंपनी, केन्द्रीय खान आयोजन एवं डिजाइन संस्थान लि० ने वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की विभिन्न प्रयोगशालाओं को निम्नलिखित परियोजनाओं/जांच का काम सौंपा है—

1. भा० को० को० लि० के लोडना में 2 ताप बिजलीघर तेल सचयी पायलट संयंत्र पर प्रायोगिक क्षमता-परीक्षण;

(2) भा० को० को० लि० की पाथरडीह वाशरी में उन्नत 10 ता० बि० घर तेल संचयी पाययट संयंत्र का निर्माण;

(3) भा० को० को० लि० की सुदामडीह वाशरी में ओलियो फ्लोटेशन पायलट संयंत्र का परीक्षण-कार्य;

(4) 3 मि० मी० तक तोड़े हुए कोयले की धुलाई के लिए पाथरडीह में भारी मीडिया चक्रवात पायलट संयंत्र स्थापित करना तथा तेल संचयी पायलट संयंत्र के साथ पायलट संयंत्र का समन्वय;

(5) भारत कोकिंग कोल लि० की भालगोरा वाशरी से सम्बन्धित कोयले के नमूनों की विस्तृत जांच ताकि विशाखापटट्नम इस्पात परियोजना में उसके प्रयोग की उपयुक्तता का अध्ययन किया जा सके।

(6) आपूर्ति कोयले को ठीक आकार देने और 3 मि० मी० आकार तक तोड़े गए मिडलिंग से कोककर कोयले की प्राप्ति के लिए भी वाशरियों को "कच्चा-कोयला-आपूर्ति" के नमूनों की विस्तृत जांच;

(7) उचित आकार वाले कम ग्रेड के कोककर कोयले के परिष्करण की प्रतिक्रिया;

(8) प्लवन द्वारा अच्छा कोयला प्राप्त करने की दृष्टि से प्रभावी प्रदर प्रणाली का विकास;

(9) तालचेर कोयला क्षेत्रों के अकोककर कोयले की परिष्करण विशिष्टता का अध्ययन अर्थात् अल्फा-क्वार्ट्ज और राख के अंश में कमी-जांच पूरी हो गई;

(10) के० ई० अ० सं० की प्रत्येक कोयला सर्वेक्षण प्रयोगशाला में उपलब्ध क्षमता का पूरी तरह से लगभग सभी समन्वेषण ब्लाकों के कम से कम कुछ बोरहोलों के कोयले के आंतरिक भागों की किस्म का मूल्यांकन ।

उपर्युक्त कार्यों के अतिरिक्त, सी० एस० आई० आर० की प्रयोगशालाओं को कोयला क्षेत्र की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी योजना के अधीन अनेक परियोजनाओं का काम सौंपा गया है । इस समय ऐसी 17 परियोजनाओं में काम प्रगति पर है और 12 अन्य परियोजनाएं पहले ही पूरी हो गई हैं ।

सेंट्रल कोलफील्ड्स लि० के प्रशासनिक ढांचे के पुनर्गठन के बारे में समिति की रिपोर्ट

2848. **चौधरी रामप्रकाश** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इण्डिया लि० द्वारा सेंट्रल कोलफील्ड्स लि० के कलकत्ता कार्यालय के प्रशासनिक ढांचे के पुनर्गठन के लिए गठित की गई समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) कोल इंडिया लि० द्वारा कोयला खान प्राधिकरण लि० (सी० एम० ए० एल०) के भूतपूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय श्री जे० जी० कुमारमंगलम की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी । समिति की जांच से संबंधित विषय निम्नलिखित थे—

1. मौजूदा आवश्यकताओं तथा भविष्य में संभावित जरूरतों को देखते हुए कार्यालयों की प्रक्रिया की जांच ।

2. कार्यालयों को कार्यात्मक रूप से एकीकृत करने तथा परस्पर व्यापी कार्यों में कमी करने के द्वारा युक्तिकरण की संभावनाओं की जांच ।

3. कार्यालयों के कर्मचारी रखने के तरीकों की जांच करना तथा और अधिक कार्यकुशलता प्राप्त करने की दृष्टि से युक्तिकरण द्वारा परिवर्तन के सुझाव देना ।

4. इस सम्बन्ध में तल-क्षेत्र की आवश्यकताओं का समग्र रूप में अध्ययन तथा उपलब्ध तल-क्षेत्र का इष्टतम इस्तेमाल सुनिश्चित करने के उपायों की सिफारिश करना ।

दुर्भाग्यवश श्री जे० जी० कुमारमंगलम का 9-2-1988 को निधन हो गया । समिति द्वारा इस सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है ।

सरकारी क्षेत्र के एककों के साथ समझौता ज्ञापन

2849. **श्री मतिलाल हंसदा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के कितने एककों ने समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं;

(ख) क्या समझौता-ज्ञापन से सम्बन्धित एककों की अर्थक्षमता बढ़ाने में सहायता मिली है;

(ग) यदि हां, तो कहां तक;

(घ) क्या सरकार समझौता-ज्ञापन पर पुन: विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) वर्ष 1988-89 के लिए सरकारी क्षेत्र के ग्यारह उपक्रमों ने सरकार के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किये हैं।

(ख) और (ग) चुंकि केवल वर्ष 1988-89 के लिए इन ग्यारह उद्यमों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं, इसलिए इतनी जल्दी किसी ठोस परिणाम का पता नहीं चल सकता है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

पश्चिमी जर्मनी की हाइड्रोलिक खनन प्रौद्योगिकी आरम्भ करना

2851. **डा० बी० एल० शैलेश** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लि० ने भूमिगत कोयला खनन के लिए पश्चिमी जर्मन से हाइड्रोलिक, खनन प्रौद्योगिकी मांगी है और पहली बार देश में इसका प्रयोग किया है; और

(ख) यदि हां, तो कोल इंडिया लि० की कोयला खानों में यह प्रौद्योगिकी प्रयोग करने के लिए यदि कोई परीक्षण किए गए हैं, तो उनके क्या परिणाम निकले हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) भा० को० को० लि० की गोपालचक कोलियरी में हाइड्रोलिक खनन परियोजना का कार्यान्वियन कोयला क्षेत्र के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कार्यक्रम के अंतर्गत जर्मन संघीय गणराज्य के विशेषज्ञों की सहायता से किया जा रहा है। यह प्रणाली मई, 1988 से ही परीक्षण संचालन के अधीन है और यह स्थायी स्वरूप के अधीन है।

बाटा शू कम्पनी की निर्यात अनिवार्यता

2852. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाटा शू कम्पनी को, जिसे हाल ही में सरकार ने नए किस्म के जूतों के निर्माण के लिए जर्मन की "अदिद्रास" नामक एक कम्पनी के साथ समझौता करने की अनुमति दी थी, आरम्भ में 75 प्रतिशत की निर्यात अनिवार्यता पूरा करने को कहा गया था;

(ख) क्या यह निर्यात अनिवार्यता अब घटाकर 33 प्रतिशत कर दी गई है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह कम्पनी जो, अब गैर-चमड़ा वस्तुओं का भी व्यापार कर रही है, सरकार से निर्यात अनिवार्यता 33 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत करने का निवेदन कर रही है, जैसा कि कैरोना साहु (जिसने पुमा के साथ समझौता किया है) को अनुमति दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो बाटा शू कम्पनी द्वारा ऐसी कटौती मांगने का क्या औचित्य है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) खेल और विशेष उपयोग के जूतों के लिए जर्मनी की अदिदास (ए० डी० आई डी० ए० एस०) के साथ करार करने के लिए मैसस बाटा इंडिया लि० को दी गई विदेशी सहयोग स्वीकृति में प्रारंभ में 5 वर्ष की अवधि के लिए 75% निर्यात दायित्व की एक शर्त भी लगाई गई थी।

(ख) पार्टी से अभ्यावेदन प्राप्त होने पर निर्यात दायित्व को घटाकर 10 वर्ष की अवधि के लिए 33.33% कर दिया गया था क्योंकि 75% का निर्यात दायित्व व्यावहारिक नहीं था और पूरा नहीं किया जा सकता था।

(ग) कंपनी ने निर्यात दायित्व को और कम करने के लिए अभी तक और कोई अभ्यावेदन नहीं दिया है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

मांग पर टेलीफोन

2853. **श्री परसराम भारद्वाज : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या हाल ही में जनता द्वारा "मांग पर टेलीफोन" के संबंध में कोई योजना घोषित की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी हां, सरकार ने नए टेलीफोन कनेक्शनों के लिए एक योजना शुरू की है जिसका नाम है "तत्काल" योजना।

(ख) जानकारी संलग्न विवरण में दे दी गई है।

विवरण

नए टेलीफोन कनेक्शनों के लिए "तत्काल" योजना के ब्यौरों का उल्लेख नीचे के पैराग्राफों में दिया गया है।

1. यह योजना देश के सभी एक्सचेन्जों में लागू होगी।
2. इस योजना के अंतर्गत भावी उपभोक्ताओं को प्रति टेलीफोन कनेक्शन 30,000 रुपये जमा कराने होंगे जिस पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा। इस योजना के अन्तर्गत आवश्यक धनराशि जमा कराए जाने के पश्चात् टेलीफोन कनेक्शन निश्चित रूप से दो सप्ताह के भीतर दे दिए जाएंगे।
3. इस योजना के अन्तर्गत पंजीकरण मूल्य आवेदन पत्र के साथ 1,000 रुपये जमा कराने पर किया जाएगा। शेष 29,000 रुपये केवल उस स्थिति में लिया जाएगा जब टेलीफोन कनेक्शन दो सप्ताह के भीतर प्रदान कर पाना सम्भव होगा।
4. इस योजना के अन्तर्गत प्रतीक्षा-सूची एक्सचेन्ज-वार रखी जाएगी। टेलीफोन कनेक्शन आवेदन प्राप्त होने की तारीख के अनुसार ही दिए जाएंगे। टेलीफोन कनेक्शन कम से कम समय में दिए जाने के हर सम्भव प्रयास किए जाएंगे। जब इस बात का पता चल जाए

कि केबिल पेयर न होने के कारण किसी आवेदन को टेलीफोन कनेक्शन नहीं दिया जा सकता है तो तभी प्रतीक्षा सूची में दर्ज अगले आवेदक को टेलीफोन दिया जाएगा। उन आवेदकों को तुरन्त सूचित कर दिया जाएगा जिन्हें तकनीकी दृष्टि से टेलीफोन देना संभव न हो।

5. इस योजना के अन्तर्गत 5 प्रतिशत कनेक्शन उस समय के लिए सुरक्षित रखे जाएंगे जब किसी एक्सचेन्ज में एक मुश्त टेलीफोन कनेक्शन सुलभ कराए जाने हों। तथापि, अलग-अलग आवेदकों को टेलीफोन कनेक्शन तभी उपलब्ध कराए जाएंगे जब एक्सचेन्ज में क्षमता होने के साथ-साथ तकनीकी दृष्टि से व्यवहार्य हो।

6. जब एक्सचेन्ज क्षमता में कमी होने के कारण ऐसी टेलीफोन मांगों को पूरा करने की कोई सम्भावना न हो, तो महाप्रबन्धक प्रमुख समाचार-पत्रों में पर्याप्त प्रचार करके कुछ महीनों के लिए किसी एक्सचेन्ज में इस योजना को अस्थायी तौर पर समाप्त कर सकते हैं। इसके लिए महाप्रबन्धक हर महीने स्थिति की पुनरीक्षा करेंगे और प्रचालन अथवा जैसी स्थिति होगी, के सम्बन्ध में उचित कार्रवाई करेंगे।

7. टेलीफोन कनेक्शन शिफ्ट होने पर काटे जाने तथा एक्सचेन्ज की आरक्षित क्षमता (90% से अधिक) के कारण जब टेलीफोन कनेक्शन की मांग प्राप्त होने पर, यदि संभव हुआ, तो एकमुश्त टेलीफोन प्रदान करते समय 5 प्रतिशत टेलीफोन इस योजना के अन्तर्गत दिए जाएंगे।

8. टेलीफोन कनेक्शन के लिए सामान्य किराया वसूल किया जाएगा।

9. कोई भी उपभोक्ता इस योजना के अन्तर्गत लिया गया टेलीफोन कभी भी लौटा सकता है। इस स्थिति में 30,000 रुपये की जमा राशि में से निम्नलिखित राशि लौटाई जाएगी :—

टेलीफोन लौटाने का समय	लौटाई जाने वाली राशि
प्रथम वर्ष	12,000 रुपये
द्वितीय वर्ष	15,000 रुपये
तृतीय वर्ष और उसके बाद	18,000 रुपये

10. वर्तमान ओ० वाई० टी० तथा गैर ओ० वाई० टी० श्रेणियों के अन्तर्गत पहले से पंजीकृत आवेदक अपना पंजीकरण "तत्काल योजना" में अन्तरण करवा सकते हैं जिसके लिए उन्हें दोनों योजनाओं की जमा राशि के अंतर का भुगतान करना होगा। ओ० वाई० टी०/गैर-ओ० वाई० टी० की जमा धनराशि पर उस तारीख तक का ब्याज दिया जाएगा जिस तारीख को आवेदन-पत्र का इस योजना में अन्तरण होगा।

11. टेलीफोन लग जाने के पश्चात् नियमित बिल में दो महीने का अग्रिम किराया तथा संस्थापन शुल्क वसूल किया जाएगा।

12. इस योजना के अन्तर्गत, 1,000 रुपये जमा करवाने के पश्चात् यदि टेलीफोन कनेक्शन देना व्यवहार्य नहीं होता है, तो दो सप्ताह के भीतर यह धनराशि लौटा दी जाएगी। वैसे, यदि

उपभोक्ता यह इच्छा व्यक्त करे कि उसका नाम "तत्काल" योजना के अधीन टेलीफोन की प्रतीक्षा सूची में रहने दिया जाए, तो उसे ऐसा करने की अनुमति दे दी जाएगी।

13. इस योजना के अन्तर्गत मिले टेलीफोन को पहले तीन वर्षों में तीसरी पार्टी के नाम अंतरण करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तीन वर्ष की अवधि के पश्चात् इस संबंध में निर्धारित अनुदेशों के अनुसार ही अन्तरण की अनुमति दी जाएगी।

14. इस योजना के अन्तर्गत प्रदान किए गए टेलीफोनों पर शिफ्ट/अन्तरण करने (थर्ड पार्टी को छोड़कर) पर सामान्य नियम लागू होंगे।

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा स्टेशन के विकास के लिए हाइड्रो मशीनें लगाना

2854. **श्री परसराम भारद्वाज :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इकोल पोलिटैक्निक फैडरल लौस्साने, स्विजरलैंड के सहयोग से भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल में स्टेशन के विकास के लिए एक अत्याधुनिक हाइड्रो मशीन लगाई जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसके प्रयोग के सम्बन्ध में और दोनों देशों के बीच हुए समझौते का ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) बी० एच० ई० एल० के इंजीनियर स्वयं हाइड्रो मशीनरी डेवलपमैंट स्टेशन को भोपाल में स्थपित कर रहे हैं। मैसर्स इकोल पालिटैक्निक फैडरल्स लौस्साने, स्विटजरलैंड के साथ कोई सहयोग नहीं है। किंतु, मैसर्स सोसिटे जेनरल पोर एल' इंडस्ट्रीज लौस्साने, स्विटजरलैंड ने केवल प्रारम्भिक अवस्था में इस स्टेशन के डिजाइन के लिए परामर्शदाता के रूप में कार्य किया।

(ख) टर्बाइन डिजाइनों का विकास और माडलों का परीक्षण करने के लिए बी० एच० ई० एल० के इंजीनियर स्टेशन का उपयोग करेंगे। इस सम्बन्ध में भारत और स्विटजरलैंड के बीच कोई करार नहीं है।

औद्योगिक लाइसेंसों का जारी किया जाना

2855. **श्री जायनल अबेदिन :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1987 और वर्ष 1988 के पूर्वार्ध में सरकार द्वारा राज्य-वार कितने औद्योगिक लाइसेंस और आशय-पत्र जारी किये गये; और

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान इनमें से राज्य-वार सरकारी क्षेत्र में कितने लाइसेंस और आशय-पत्र जारी किये?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

जनवरी, 1987 से जून, 1988 में जारी किए गए आशय-पत्रों और औद्योगिक लाइसेंसों के राज्य-वार ब्योरे और उनमें सरकारी उपक्रमों (केंद्रीय सरकारी क्षेत्र) के उपक्रम और राज्य औद्योगिक विकास निगम सहित राज्य सरकारी क्षेत्र के उपक्रम का शेयर

राज्य/केंद्र शासित क्षेत्र	जनवरी, 1987 से जून, 1988 के दौरान जारी किये गये आशय-पत्र		जनवरी, 1987 से जून, 1988 के दौरान जारी किये गये औद्योगिक लाइसेंस	
	कुल	सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का अंश	कुल	सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का अंश
1	2	3	4	5
1. आंध्र प्रदेश	146	10	49	14
2. अरुणाचल प्रदेश	1	—	1	—
3. असम	21	5	3	2
4. बिहार	20	5	10	4
5. चण्डीगढ़	—	—	2	—
6. दादर और नगर हवेली	4	—	3	—
7. दिल्ली	5	—	18	1
8. दमन और द्वीप	2	—	1	—
9. गोआ	6	1	8	2
10. गुजरात	100	9	67	6
11. हरियाणा	56	10	37	1
12. हिमाचल प्रदेश	34	10	3	—
13. जम्मू और कश्मीर	16	6	4	—
14. कर्नाटक	111	21	57	14
15. केरल	32	14	9	6
16. मध्य प्रदेश	76	—	29	5
17. महाराष्ट्र	205	18	128	7

1	2	3	4	5
18. मणिपुर	3	2	1	—
19. मेघालय	1	1	—	—
20. मिजोरम	2	—	—	—
21. नागालैंड	1	—	1	—
22. उड़ीसा	24	10	9	2
23. पांडिचेरी	16	—	2	—
24. पंजाब	60	22	29	2
25. राजस्थान	72	23	20	2
26. सिक्किम	—	—	1	—
27. तमिलनाडु	162	13	48	1
28. त्रिपुरा	—	—	1	—
29. उत्तर प्रदेश	165	19	56	6
30. पश्चिम बंगाल	57	11	39	7
31. न दर्शाया गया राज्य/एक से अधिक राज्य	8	—	9	—
योग	1409	210	642	89

ग्रामीण क्षेत्रों में डाक घर खोलना

2856. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक विभाग को विभिन्न डाक-परिमंडलों से बहु-राज्य परिमंडलों के मामले में राज्यों से चालू वित्त वर्ष के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में नये डाक-घर खोलने के कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक परिमंडल राज्य से कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और हिमाचल प्रदेश से जिले-वार, प्राप्त हुए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1988-89 और 1989-90 के दौरान वर्ष-वार, कितने डाकघर खोलने का लक्ष्य रखा गया है; और

(घ) क्या वास्तविक आवश्यकता की स्थिति में सरकार द्वारा मानदंडों में कोई छूट भी दी जाती है और किस प्रकार छूट दी जाती है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, हां ।

(ख) जानकारी विवरण-1 में दी गई है । हिमाचल प्रदेश से संबधित राज्य-वार ब्यौरे एकत्र किए जा रहे हैं और सभा पटल पर रख दिए जाएंगे ।

(ग) जानकारी विवरण-2 और विवरण-3 में दी गई है ।

(घ) जी, हां । पहाड़ी क्षेत्रों में मौजूदा डाकघर के 3 कि० मी० के भीतर नया डाकघर न खोलने की शर्त लगाई गई है लेकिन जिन मामलों में डाकघर खोलने न्यायसंगत हों, वहां इस शर्त में ढील दी जा सकती है ।

विवरण-1

वार्षिक योजना 1988-89

ग्रामीण क्षेत्रों में नए डाकघर खोलने के बारे में 31-7-1988 तक प्राप्त प्रस्ताव

राज्य/संघ क्षेत्र	प्रस्तावों की संख्या
आंध्र प्रदेश	64
बिहार	89
गुजरात	16
हरियाणा	12
जम्मू व कश्मीर	8
कर्नाटक	63
केरल	191
मध्य प्रदेश	377
महाराष्ट्र	30
उड़ीसा	25
पंजाब	10
चण्डीगढ़	2
असम	4
मणिपुर	6
मिजोरम	3
अरुणाचल प्रदेश	2
पश्चिम बंगाल	67
अंडमान और निकोबार द्वीप	2
तमिलनाडु	16
योग	987

विवरण-2

नए डाकघर खोलने के लिए राज्य-वार लक्ष्य

राज्य/संघ क्षेत्र	खोले जाने वाले प्रस्तावित नए डाकघरों की संख्या	
	ग्रामीण शाखा डाकघर	परियोजना क्षेत्रों/विकासशील क्षेत्रों में विभागीय उप-डाकघर
1	2	3
आंध्र प्रदेश	150	5
असम	230	4
बिहार	225	5
गुजरात	100	6
हरियाणा	30	5
हिमाचल प्रदेश	75	3
जम्मू व कश्मीर	75	2
कर्नाटक	100	5
केरल	75	5
मध्य प्रदेश	230	5
महाराष्ट्र	230	6
मणिपुर	20	2
मेघालय	30	1
नागालैंड	20	1
उड़ीसा	175	5
पंजाब	50	2
राजस्थान	175	5
सिक्किम	25	2
तमिलनाडु	125	5
त्रिपुरा	30	2
उत्तर प्रदेश	275	5
पश्चिम बंगाल	165	5

1	2	3
अंडमान और निकोबार द्वीप	15	2
अरुणाचल प्रदेश	30	2
चण्डीगढ़	—	2
दादर नगर हवेली	10	1
दिल्ली	10	3
गोवा	30	2
लक्षद्वीप	5	1
मिजोरम	25	1
पाण्डीचेरी	5	1
	2750	100

नोट—वार्षिक योजना में 3,000 नए डाकघर खोलने की व्यवस्था है। शेष 150 डाकघरों का आबंटन अक्तूबर, 1988 में की जाने वाली वार्षिक पुनरीक्षा के पश्चात् किया जाएगा।

विवरण-3

वार्षिक योजना—1989-90

नए डाकघर खोलने के लिए राज्य-वार लक्ष्य

राज्य/संघ क्षेत्र	खोले जाने वाले प्रस्तावित नए डाकघरों की संख्या	
	ग्रामीण शाखा डाकघर	परियोजना क्षेत्रों/विकासशील क्षेत्रों में विभागीय उप-डाकघर
1	2	3
1. आंध्र प्रदेश	80	6
2. आसाम	140	5
3. बिहार	175	6
4. गुजरात	70	9
5. हरियाणा	30	4
6. हिमाचल प्रदेश	70	4

1	2	3
7. जम्मू और काश्मीर	50	2
8. कर्नाटक	80	6
9. केरल	70	5
10. मध्य प्रदेश	175	6
11. महाराष्ट्र	150	7
12. मणिपुर	20	2
13. मेघालय	20	2
14. नागालैंड	15	2
15. उड़ीसा	120	7
16. पंजाब	30	3
17. राजस्थान	120	6
18. सिक्किम	15	2
19. तमिलनाडु	80	6
20. त्रिपुरा	20	3
21. उत्तर प्रदेश	275	5
22. पश्चिम बंगाल	140	6
23. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	6	2
24. अरुणाचल प्रदेश	15	2
25. चंडीगढ़	—	2
26. दादर नगर हवेली	5	1
27. दिल्ली	5	4
28. गोवा	20	3
29. मिजोरम	10	1
30. पांडीचेरी	4	1
	2099	120

दूरसंचार प्रतिष्ठानों में आप्टीकल फाइबर का प्रयोग

2857. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं योजना के दौरान प्रत्येक दूरसंचार सर्किल/जिले में स्थित दूरसंचार प्रतिष्ठानों में आप्टीकल फाइबर का प्रयोग आरम्भ करने के लिए कोई कार्यक्रम शुरू किया गया है;

(ख) यदि हां, तो अब तक अधिष्ठापित की गई अथवा अधिष्ठापित की जा रही परियोजनाओं का सर्किल/जिलावार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या विभिन्न सर्किलों/जिलों के लिए व्यापक कार्यक्रम तैयार किया जाएगा?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी; हां।

(ख) निम्नलिखित टेलीफोन जिलों में प्रायोगिक आप्टिकल फाइबर प्रणालियां काम कर रही हैं :—

1. पुणे	4 कि० मी०
2. बम्बई	10 कि० मी०
3. नई दिल्ली	10 कि० मी०
4. हैदराबाद	6.5 मि० मी०

(ग) (एक) सभी महानगरीय बड़े टेलीफोन जिलों और कुछ छोटे टेलीफोन जिलों में स्थानीय टेलीफोन नेटवर्क में आप्टिकल फाइबर प्रणालियों का प्रयोग आरम्भ करने की योजना है। इस प्रणाली के ब्यौरे तथा प्रत्येक नगर में इसके अंतर्गत लाई गई दूरी इस प्रकार है :—

1. नई दिल्ली	59 कि० मी०
2. बम्बई	132 कि० मी०
3. कलकत्ता	150 कि० मी०
4. मद्रास	50 कि० मी०
5. हैदराबाद	25 कि० मी०
6. पुणे	9 कि० मी०
7. अहमदाबाद	12 कि० मी०
8. विजयवाड़ा	9 कि० मी०
9. बेंगलूर	5 कि० मी०
10. कानपुर	4 कि० मी०

(दो) सातवीं तंचवर्षीय योजना के दौरान लम्बी दूरी के संचार नेटवर्क की व्यवस्था करने के लिए भी फाइबर आप्टिकल प्रणालियों का प्रयोग करने की योजना है। प्रस्तावित लिंकों के ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

1. नई दिल्ली-जयपुर-उदयपुर	1606 कि० मी०
2. अहमदाबाद-बम्बई	
3. बम्बई-पूना	180 कि० मी०
4. बम्बई-भोपाल	830 कि० मी०
5. थाना-कल्याण	35 कि० मी०
6. पटना-सुरी-कलकत्ता	918 कि० मी०
7. त्रिचूर-त्रिवेन्द्रम	350 कि० मी०
8. मद्रास-त्रिचुनापल्ली	165 कि० मी०
9. बड़ौदा-दाहोद	159 कि० मी०
10. वाराणसी-फैजाबाद-लखनऊ	398 कि० मी०
11. रुड़की-हरिद्वार-ऋषिकेश	55 कि० मी०

खाना पकाने की गैस के सिलेंडर फटने के मामले

2858. **श्री मोहन भाई पटेल : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में खाना पकाने की गैस के सिलेंडर फटने के मामलों का वर्षवार और राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य में खाना पकाने की गैस के सिलेंडर फटने से कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई;

(ग) क्या सिलेंडर फटने के कारणों का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार मानव जीवन के साथ किसी प्रकार की अनहोनी से बचने के लिए लोगों को खाना पकाने के गैस सिलेण्डर के इस्तेमाल और इस संबंध में रक्षोपायों की जानकारी देने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान कर्नाटक में 7 व्यक्तियों की तथा राजस्थान में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई।

(ग) और (घ) ऐसे सभी मामलों की तेजी से जांच की गई। एल० पी० जी० सिलिण्डर फटने के मुख्य कारण थे : (1) एल० पी० जी० का रिसाव, (2) खराब रबड़ ट्यूब, (3) खराब उपकरण, (4) उपभोक्ताओं की लापरवाही आदि।

(ङ) एल० पी० जी० सिलिण्डरों के सुरक्षित प्रयोग के बारे में जानकारी समाचार पत्रों, टी० वी०, रेडियो, पत्रिकाओं, उपभोक्ताओं के सेमिनार, सुरक्षा क्लिनिकों तथा उपभोक्ताओं को इश्तहार बांट कर दी जाती है। तेल कम्पनियों द्वारा लगातार आधार पर एल० पी० जी० वितरकों और डिलिवरी मैनों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं।

विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	वर्ष के दौरान एल० पी० जी० सिलैण्डर के फटने के मामले		
	1985-86	1986-87	1987-88
1. आंध्र प्रदेश	—	2	—
2. असम	1	—	2
3. अरुणाचल प्रदेश	—	—	1
4. गुजरात	1	2	1
5. गोआ	—	1	1
6. हरियाणा	—	1	1
7. कर्नाटक	1	4	1
8. केरल	—	—	1
9. हिमाचल प्रदेश	—	—	1
10. मध्य प्रदेश	—	1	—
11. महाराष्ट्र	3	—	3
12. पंजाब	—	—	1
13. राजस्थान	—	—	2
14. तमिलनाडु	—	2	—
15. उत्तर प्रदेश	2	1	1
16. दिल्ली	1	—	1
17. अंडमान निकोबार	—	—	1
जोड़	9	14	18

मैथन और पंचेट जलाशय

2859. **श्री पूर्णचन्द्र मलिक** : क्या ऊर्जा मंत्री बिहार में मैथन और पंचेट जलाशयों के लिए भूमि की खरीद के बारे में 10 मई, 1988 के अतारांकित प्रश्न संख्या 10312 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि मैथन और पंचेट जलाशय क्षेत्र के अन्तर्गत शेष जलाशय भूमि पर प्रभाव का अध्ययन करने के लिए नियुक्त की गई समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : समिति की सिफारिशें अभी भी सरकार के विचाराधीन है ।

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन निगम लिमिटेड में भर्ती नीति

2860. **श्री आर एम० भोये** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमिटेड में गैर-प्रबंधकीय कर्मचारियों के सम्बन्ध में भर्ती सम्बन्धी नीति क्या है;

(ख) क्या भर्ती नियमों में कुछ मान्यता प्राप्त एसोसिएशनों के परामर्श से कर्मचारी भर्ती करने की व्यवस्था है; और

(ग) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए कितना कोटा निर्धारित किया गया है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) केवल उन मामलो को छोड़कर जहां रोजगार कार्यालय द्वारा उपलब्ध न होने का प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है । सभी प्रकार की भर्ती रोजगार कार्यालय के माध्यम से ही की जाती है । ऐसे मामलों में, विज्ञापनों के अतिरिक्त उन सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों जहां पर ये पद रिक्त होते हैं, की सभी मान्यता प्राप्त अनुसूचित जाति/जनजाति की संस्थाओं को इसकी सूचना भेजी जाती है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

राज्य/संघ शासित प्रदेश	प्रतिशत (एस सी)	आरक्षण (एस टी)
1	2	3
असम	6	11
आंध्र प्रदेश	15	6
बिहार	15	9

1	2	3
गुजरात	7	14
हरियाणा	19	—
हिमाचल प्रदेश	25	5
जम्मू और काश्मीर	9	—
कर्नाटक	15	5
केरल	15	5
मध्य प्रदेश	14	23
महाराष्ट्र	7	9
मणिपुर	1	27
मेघालय	1	44
नागालैंड	—	45
उड़ीसा	15	23
पंजाब	27	—
राजस्थान	17	12
सिक्किम	6	23
तमिलनाडु	19	1
त्रिपुरा	15	29
उत्तर प्रदेश	21	—
पश्चिम बंगाल	22	6
गोआ	2	1
दिल्ली	15	7-1/2
अरुणाचल प्रदेश	1	44
चंडीगढ़	14	शून्य
मिजोरम	शून्य	45

पेट्रोरसायन संवर्धन और विकास प्राधिकरण की स्थापना हेतु विशेषज्ञ समिति

2861. श्री आर० एम० भोये : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेट्रो-रसायन संवर्धन और विकास प्राधिकरण की स्थापना के ब्यौरों पर विचार करने हेतु एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा प्रस्तुत सिफारिशों/सुझावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया है ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) और (ख) जी, हां, । इस कार्य के लिए गठित कार्य दल ने सुझाव दिया कि प्रस्तावित पेट्रो-रसायन संवर्धन एवं विकास प्राधिकरण (पी० पी० डी० ए०) का पेट्रोरसायनों के लिए विकास परिषद् से सम्पर्क होना चाहिए; पी० पी० डी० ए० की संरचना में सरकारी विभागों, गैर-सरकारी एवं सरकारी क्षेत्रों में पेट्रोरसायन उद्योग के प्रतिनिधि, एक अर्थशास्त्री; आदि शामिल होने चाहिए; पी० पी० डी० ए० का दर्जा एक स्वायत्त निकाय का होना चाहिए, ज्ञात स्रोतों से पी० पी० डी० ए० के लिए वित्त व्यवस्था और पी० पी० डी० ए० के अंतर्गत उप-दलों का गठन किया जाना चाहिए, आदि ।

(ग) मामला सरकार के विचाराधीन है और इस पर अभी अंतिम निर्णय लिया जाना है ।

तरंगों से बिजली का उत्पादन

2862. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समुद्री तापीय ऊर्जा को उपयोगी बिजली में परिवर्तित करने की संभावनाओं के बारे में कोई अध्ययन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो अध्ययन का ब्यौरा क्या है और तत्संबंधी क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) तरंगों से बिजली का उत्पादन करने के प्रयासों में क्या प्रगति हुई है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) जी हां । अध्ययनों से यह पता चला है कि कई क्षेत्रों में मुख्य रूप से भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी किनारे से परे और अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह के आस-पास समुद्री तापीय ऊर्जा को उपयोगी विद्युत में परिवर्तित करने की अच्छी तकनीकी संभावनाएं हैं । तथापि, इस प्रकार की परिवर्तन प्रक्रिया से संबंधित लागत इस समय अपेक्षाकृत अधिक प्रतीत होती है जब तक कि संयंत्र की क्षमता बहुत अधिक नहीं हो जाती । यह देखने के लिए कि क्या इस लागत को कम किया जा सकता है, तकनीकी विकास तथा अध्ययन निरंतर जारी हैं ।

(ग) तरंग ऊर्जा के दोहन के लिए समुद्री इंजीनियरिंग केन्द्र, आई० आई० टी०, मद्रास में एक प्रयोगशाला नमूने का विकास किया गया है । अनुभव प्राप्त करने के लिए एक 150 किलोवाट अनुसंधान और विकास लहर विद्युत प्रोटोटाइप संयंत्र त्रिवेन्द्रम के पास बनाने का प्रस्ताव है ।

उन्नत किस्म के चूल्हों पर व्यय

2863. **श्री शान्ता राम नायक** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "राष्ट्रीय उन्नत चूल्हा (वुडस्टोव) प्रदर्शन परियोजना" योजना के लागू किए जाने के समय से गोवा राज्य में इस योजना के अन्तर्गत कितनी धन-राशि खर्च की गई है;

(ख) अब तक कितना लक्ष्य प्राप्त किया गया है; और

(ग) राज्य में कितने क्षेत्रों को इस योजना के अन्तर्गत शामिल किया गया है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) गोवा राज्य में उन्नत प्रकार के राष्ट्रीय कार्यक्रम के कार्यान्वियन पर इस कार्यक्रम के प्रारंभ होने से अब तक 11 लाख रुपये की राशि खर्च की गई है।

(ख) 13,000 चूल्हों के लक्ष्य की तुलना में 1987-88 तक 17,000 से अधिक चूल्हें स्थापित किए गए हैं।

(ग) इस योजना के अन्तर्गत राज्य में क्यूपेम, संगुअम, बिचोलिम, साल्सेट, बारटेज, कैनकोना, पोंडा, सत्तारी पेरनेम, तिसवाड़ी तथा दमन क्षेत्रों को शामिल किया गया है।

आकाशवाणी, पणजी में रिक्तियां

2864. **श्री शांताराम नायक** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय आकाशवाणी, पणजी में संवर्ग-वार कितने स्थान रिक्त पड़े हैं; और

(ख) इन पदों को भरने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) इस समय आकाशवाणी, पणजी में 32 पद रिक्त पड़े हैं। इन पदों का श्रेणी वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

2. संघ लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग/भर्ती प्राधिकरण के माध्यम से खाली पदों को भरने की प्रक्रिया चल रही है।

विवरण

आकाशवाणी, पणजी में रिक्तियों की स्थिति

क्रम संख्या	पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या
1	2	3
1.	सहायक केन्द्र निदेशक	1
2.	प्रोग्राम एक्जीक्यूटिव	1
3.	प्रसार अधिकारी	1
4.	संपादक (स्क्रिप्ट)	1
5.	ट्रांसमीशन एक्जीक्यूटिव	7
6.	फील्ड रिपोर्टर	1

1	2	3
7.	वरिष्ठ इंजीनियरी सहायक	1
8.	इंजीनियरी सहायक	1
9.	वरिष्ठ तकनीशियन	1
10.	तकनीशियन	1
11.	कनिष्ठ पुस्तकाध्यक्ष	1
12.	लिपिक ग्रेड-2	1
13.	वाहन चालक	2
14.	हिन्दी अधिकारी	1
15.	हिन्दी अनुवादक	1
16.	माली	1
17.	सुरक्षा गार्ड	4
18.	तबला वादक	1
.9.	तानपुरा वादक	1
20.	गिटार वादक	1
21.	सितार वादक	1
22.	बांसुरी वादक	1
	कुल	32

गोवा के लिए एफ० एम० रेडियो स्टेशन

2865. **श्री शांताराम नायक :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय कितने एफ० एम० रेडियो स्टेशन हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार कुछ और एफ० एम० स्टेशन स्थापित करने का है;

(ग) ये स्टेशन किन स्थानों पर स्थापित किए जाएंगे;

(घ) क्या सांस्कृतिक दृष्टि से सम्पन्न क्षेत्र गोआ में भी एक एफ० एम० स्टेशन स्थापित किया जाएगा; और

(ङ) यदि हां, तो कब ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) देश में इस समय अलग से कोई एफ० एम० स्टेशन नहीं है। तथापि, चार महानगरों, नामतः दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास के प्रत्येक केन्द्र में एफ० एम० ट्रांसमीटर हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) सातवीं योजना के दौरान जिन स्थानों पर एफ० एम० रेडियो स्टेशन स्थापित करने का प्रस्ताव है उनको अनुबन्ध के रूप में संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

सातवीं योजना (1985-88) में प्रस्तावित एफ० एम० रेडियो स्टेशनों की सूची।

आन्ध्र प्रदेश

1. मरकापुरम
2. तिरुपति
3. वारंगल
4. कोट्टगुडम
5. अनन्तपुरम
6. कुरनुल
7. निजामाबाद

अरुणाचल प्रदेश

8. जीरो

असम

9. हाफलोंग
10. जोरहाट
11. नागोंग
12. धूब्री

बिहार

13. हजारीबाग
14. सासाराम
15. सिंहभूम
16. डालटनगंज
17. पूर्णिया

गुजरात

18. गोदरा
19. सूरत

हरियाणा

20. हिसार
21. कुरुक्षेत्र

हिमाचल प्रदेश

22. धर्मशाला
23. कुल्लू
24. हमीरपुर

जम्मू व कश्मीर

25. पुंछ
26. कथुआ
27. भदरवाह

कर्नाटक

28 चित्रदुर्ग
29 हसन
30 कारवार
31. बीजापुर

32. मरकारा
33. रायचुर
34. हासपेट

केरल

35. कोचिन
36. कन्नानोर
37. इदुक्की

महाराष्ट्र

38. बीड़
39. अकोला
40. सतारा
41. अहमदनगर
42. धुले
43. यावतमल
44. नानदेड
45. नासिक
46. उस्मानाबाद
47. कोल्हापुर
48. चन्द्रपुर

मणिपुर

49. चुडगचान्दपुर

मेघालय

50. जोवाई

मिजोरम

51. लुंगलेह

मध्य प्रदेश

52. शहडोल
53. बालाघाट
54. खण्डवा
55. सागर
56. बैतुल
57. गुना
58. रायगढ़
59. शिवपुरी
60. छिन्दवाड़ा
61. बिलासपुर

नागालैण्ड

62. मोकोकचुंग

उड़ीसा

63. बारीपाडा
64. बैरहमपुर
65. बोलांगीर
66. राउरकेला

पंजाब

67. पटियाला
68. भटिण्डा

राजस्थान

69. बांसवाड़ा
70. झालावाड़
71. नागौड़
72. सवाई माधोपुर
73. जैसलमेर
74. चितौड़गढ़
75. अलवर
76. माऊंट आबु
77. चुरू

तमिलनाडु

78. ऊटाकामुंड

79. कोडाईकनाल

त्रिपुरा

80. बेलोनिया

81. कैलाशहर

उत्तर प्रदेश

82. झांसी

83. अलीगढ़

84. ओबरा

85. बरेली

86. फैजाबाद

पश्चिम बंगाल

87. आसनसोल

88. मुर्शिदाबाद

दमन व दिव

89. दमन

पांडिचेरी

90. कराईकाल

विविध भारती रिले केन्द्र

91. कसौली (हिमाचल प्रदेश)

92. मसूरी (उत्तर प्रदेश)

बरौनी तेल शोधक कारखाने में चोरी

[हिन्दी]

2866. **श्री सरफराज अहमद :**
श्री विलास मुत्तेमवार :
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 16 जून, 1988 के दैनिक "जनसत्ता" में "ऐसे होती है बरौनी रिफाइनरी से चोरी" शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) चोरी की घटनाओं की वजह से बरौनी तेलशोधक कारखाने में प्रतिवर्ष कुल कितनी हानि होती है और इन्हें रोकने के लिए क्या विशेष प्रयास किये गये हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख) बरौनी रिफाइनरी में पेट्रोलियम उत्पादों के चोरी होने और समापन के संबंध में 16-6-88 को "जनसत्ता" में बरौनी रिफाइनरी के बारे में लगाए गए आरोपों की इंडियन आयल कारपोरेशन, जिसकी यह रिफाइनरी है, ने जांच की थी और इन्हें सही नहीं पाया गया।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

ग्वालियर रेयन इकाई का अधिग्रहण

[अनुवाद]

2867. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा ग्वालियर रेयन का केरल में कालीकट में मावूर स्थित इकाई के अधिग्रहण के बारे में आगे कोई बातचीत हुई है या अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, ती तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इस फैक्टरी प्रवाहित होने वाले प्रदूषित अपशष्टि पदार्थों और/या इसके कच्चे माल के लिए वनों की कटाई की दृष्टि से पर्यावरण पहलुओं को लेकर इस इकाई को चलाये जाने के बारे में कोई आपत्तियां है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन मावूर स्थित ग्वालियर रेयन फैक्टरी का अधिग्रहण करने के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को केरल सरकार से कोई और अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि राज्य सरकार ने सूचित किया है कि उक्त एकक को पुन: खोलने के लिए गंभीरतापूर्वक अभ्युपाय किए जा रहे हैं और कंपनी के प्रबन्ध मंडल तथा ट्रेड यूनियनों के साथ समाधान सम्बन्धी बातचीत सहित, जो कि अब भी चल रही है, अनेक बार विचार-विमर्श किया गया है।

(ग) राज्य सरकार के अनुसार पर्यावरण तथा प्रदूषण की दृष्टि से एकक के कार्यकलाप के सम्बन्ध में कोई नई आपत्तियां नहीं उठायी गयी हैं ।

दूरसंचार संबंधी विशेषज्ञ पैनल

2868. **श्रीमती बसवराजेश्वरी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार संबंधी विशेषज्ञों पैनल के देश में 5 और इलेक्ट्रोनिक स्विचिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो क्या पैनल ने इस संबंध में अपनी विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ग) यदि हां, तो रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या हैं; और

(घ) पैनल के सुझावों को कब तक लागू किया जायेगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) अंतर-मंत्रालय समिति ने मध्यम और बृहत् क्षमता के एक्सचेंजों के लिए 8 अतिरिक्त विनिर्माण यूनिटें स्थापित करने की सिफारिश की है।

(ख) जी, हां।

(ग) समिति की सिफारिशें संलग्न-विवरण में दी गई हैं।

(घ) स्वीकार करने योग्य सुझाव पर 1988-90, 8वीं और 9वीं योजना अवधियों के दौरान विचार किया जाएगा।

विवरण

कृष्णमूर्ति समिति द्वारा की गई सिफारिशें

1. राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के सभी अन्य क्षेत्रों की मांग और विकास को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार को राष्ट्रीय योजना में दूरसंचार क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता देनी चाहिए ।

2. सन् 2000 तक की मांग के पैटर्न और संभावित अनुमानित मांग का अध्ययन करने के बाद समिति ने सन् 2000 तक 190 लाख सीधी एक्सचेंज लाइनों (डी ई एल) के लक्ष्य की सिफारिश की है ।

3. सन् 2000 तक मांग करने पर टेलीफोन प्रदान करने के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रतिवर्ष लाख लाइनों की उत्पादन क्षमता को धीरे-धीरे बढ़ाकर सन् 2000 तक 35 लाख लाइनें करना ।

4. चूंकि इलेक्ट्रानिक दूरसंचार फैक्टरी में संयंत्र और मशीनरी की उपयोगी कार्यावधि केवल 10 वर्ष होती है, इसलिए समिति ने मनकापुर और पालघाट में वर्तमान ई० एस० एस० टेक्नालाजी को 1997-98 तक हटाने की सिफारिश की है ।

5. मनकापुर, पालघाट रायबरेली और बेंगलूर सहित आई० टी० आई० की सभी फैक्टरियों में, नए कर्मचारियों की भर्ती रोक देनी चाहिए। इलेक्ट्रानिक उपस्करों का विनिर्माण करने के लिए प्रशिक्षण देने के बाद नई यूनिटों में वर्तमान कर्मचारियों से ही काम लेने के प्रयास किए जाने चाहिए ।

6. वर्तमान इन्फ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करने के लिए बेंगलूर और रायबरेली में ई० इस० एस० का विनिर्माण शुरू करना ।

7. उच्च ग्रेड के उपकरणों का, जिनकी बहुत अधिक आवश्यकता नहीं होती, समुचित प्रोत्साहन देकर विनिर्माण प्रारंभ करना तथा दूरसंचार क्षेत्र के लिए अपेक्षित विभिन्न प्रकार के उपकरणों के लिए राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में पर्याप्त प्रोडक्शन बेस स्थापित करना ।

8. सन् 2000 तक 8 लाख लाइनों की संभावित मांग को पूरा करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 2 लाख लाइनों की विनिर्माण क्षमता स्थापित करने के लिए आठवीं योजना के मध्य तक नान-वाइस सर्विस के लिए समुचित टेक्नालाजी का चयन ।

9. जहां तक ई० एस० एस० के विनिर्माण का संबंध है, आई० टी० आई० को छोड़कर अन्य इच्छुक सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों पर आई० टी० आई० के संसाधनों का पूर्ण उपयोग करने के बाद ही विचार किया जाना चाहिए ।

10. दूरसंचार विभाग को स्विचन उपस्करों और केबिल, संचारण उपस्करों आदि जैसे अन्य साधनों की लागत पर नियंत्रण रखने के प्रयास करने चाहिए ।

उद्योगों के लिए पानी की सप्लाई की दरों में वृद्धि

[हिन्दी]

2869. **श्री शांति धारीवाल** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में उद्योगों के लिए पानी की सप्लाई की दरों में वृद्धि करने की घोषणा की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बीच उद्योगों द्वारा उपयोग किए जाने वाले पानी की दरें निर्धारित कर दी हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और ये दरें कब तक निर्धारित कर दी जाएंगी ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) केन्द्रीय गंगा प्राधिकरण की चौथी बैठक में जल आपूर्ति की कीमत वसूलने के विद्यमान प्रबंधों पर विचार किया गया था और जल के मूल्ययन की ऐसी प्रणाली अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया गया था जिससे पानी का सरंक्षण करने तथा उसके अधिकतम उपयोग के लिए जल को दुबारा प्रयोग में लाने हेतु उद्योगों को प्रोत्साहन मिले ।

विद्युत क्षेत्र के लिए विश्व बैंक से ऋण

[अनुवाद]

2870. **श्रीमती बसवराजेश्वरी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 23 अप्रैल, 1988 को एक उच्चस्तरीय शिष्टमंडल ने, देश में विद्युत परियोजनाओं में पूंजी निवेश के सम्बन्ध में विश्व बैंक की शंकाओं को समाप्त करने के लिए वाशिंगटन का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या विश्व बैंक ने यह बताया था कि विद्युत परियोजनाओं के लिए भारत को पर्याप्त ऋण प्रदान किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अन्य आपत्तियां क्या थीं; और

(घ) उच्चस्तरीय शिष्टमंडल विश्व बैंक की शंकाओं को किस सीमा तक दूर कर सकने में समर्थ रहा है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (घ) विश्व बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विद्युत क्षेत्र से सम्बधित मामलों के बारे में विचार-विमर्श करने के लिए विद्युत विभाग के सचिव के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमण्डल 25 से 29 अप्रैल, 1988 तक वाशिंगटन डी० सी० गया था, जिनको विद्युत कार्यक्रम के बढ़ते महत्व और आठवीं और नौवीं योजना अवधि के दौरान फंड की अपेक्षित मांग के बारे में अवगत कराया गया था । विचार-विमर्श के दौरान विषयों की प्राथमिकता निर्धारित की गई थी जिनको विद्युत विकास कार्यक्रम के साथ जोड़ा जा रहा है । विचार-विमर्श के दौरान, अन्य बातों के साथ-साथ लगभग 5000 मेगावाट की अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता को चालू करने और वर्ष 1987-88 के दौरान ताप विद्युत यूनिट का 56.4% संयंत्र भार अनुपात प्राप्त किए जाने के बारे में उल्लेख किया गया था ।

प्रकाशन प्रभाग के पास पड़ी बिना बिकी पुस्तकें

2871. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रकाशन प्रभाग द्वारा प्रकाशित लाखों रुपयों की पुस्तकें और पत्रिकाएं कई वर्षों से बिना बिकी पड़ी हैं;

(ख) क्या ये पुस्तकें और पत्रिकाएं प्रकाशन प्रभाग में पड़ी हैं और बिना किसी इन पुस्तकों का अनुमानित मूल्य क्या होगा; और

(ग) इन पुस्तकों के निपटान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) जी नहीं। विभिन्न शीर्षकों की बिक्री की मात्रा उनकी विषय वस्तु के अनुसार अलग-अलग होती है। तथापि, कुल मिलाकर विभाग का विक्रय कार्य संतोषजनक है। 31-3-87 की स्थिति के अनुसार स्टाक की कीमत लगभग 2.15 करोड़ रुपये थी। 31-3-1988 तक के स्टाक के सम्बन्ध में संकलित किए जा रहे हैं और अपेक्षित सूचना यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) प्रकाशन विभाग की बिक्री बढ़ाने की गतिविधियां एक सतत् प्रक्रिया है। कुछ उपाय ये है :

(1) राष्ट्रीय और प्रादेशिक अखबारों में विज्ञापन देना,

(2) राष्ट्रीय और प्रादेशिक अखबारों/व्यावसायिक पत्रिकाओं में प्रकाशनों की समीक्षा देना,

(3) प्रकाशन विभाग के स्टाफ द्वारा संभावित क्रेताओं से संपर्क किया जाना,

(4) महत्वपूर्ण अवसरों पर पुस्तकों की प्रदर्शनियां लगाना,

(5) एजेंटों, शैक्षिक संस्थानों, पुस्तकालयों राज्य सरकार की एजेंसियों आदि का ट्रेड परिपत्र भेजना,

(6) पुस्तकों के पुराने स्टाक की बिक्री पर उदार रियायत देना।

एकाधिकार और अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग को गुमराह करने वाले विज्ञापनों के खिलाफ स्वैच्छिक संगठनों से प्राप्त शिकायत

2872. श्री पी० आर० एस० वेंकटेशन : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकाधिकार और अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग को किसी स्वैच्छिक संगठन से अनुचित, गलत व गुमराह करने वाले विज्ञापनों, विशेषकर विभिन्न प्रसाधन/शैम्पू आदि सामग्रियों के खिलाफ गत तीन वर्षों में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई है/करने का विचार है; और

(ख) क्या सरकार का एकाधिकार और अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग द्वारा इन शिकायतों को निपटाने हेतु कोई समय सीमा निर्धारित करने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम्) : (क) 1-1-1985 से आज तक की अवधि के दौरान एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग को प्राप्त हुई इस प्रकार की शिकायतों का ब्यौरा संलग्न विवरण पत्र में दिया गया है।

(ख) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

विवरण

क्रम सं०	शिकायतकर्ता का नाम	शिकायती प्रतिवादी का नाम	आरोप का स्वरूप	की गई कार्रवाई
1	2	3	4	5
1.	कन्ज़्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु	सिन्थोल साबुन और गोदरेज जी-II साबुन के निर्माता।	दिनांक 13 मार्च, 1985 की शिकायत में यह उल्लेख किया गया है कि उत्पादों के बारे में समाचारपत्रों में भ्रामक विज्ञापन छप रहे हैं।	आयोग ने शिकायत दायर की है।
2.	कन्ज़्यूमर गाइडेन्स सोसाइटी आफ इंडिया, बम्बई	ओसवाल एग्रो मिल्स लि०, नई दिल्ली-1	आयोग ने 14-6-1985 के पत्र द्वारा प्रतिवादी द्वारा जारी किए गये विज्ञापन की ओर ध्यान आकृष्ट किया था जिसमें प्रतिवादी ने ओसिस साबुन की बिक्री बढ़ाने के लिए प्रतियोगिता करने की घोषणा की थी।	यह निर्देश देते हुए आयोग ने जांच का निपटान कर दिया था कि प्रतिवादी भविष्य में इस प्रकार की प्रतियोगिता आयोजित नहीं करेगा। यह भी आदेश दिया गया था कि प्रतिवादी महानिदेशक (जांच एव पंजीकरण) को लागत के रूप में 2,000 रु० की राशि का भुगतान करेगा।

1	2	3	4	5
3.	पब्लिक इन्टरेस्ट इशू रिसर्च अकादमी, अहमदाबाद	के० एम० पी० इन्डस्ट्रीज प्रा० लि०, कोचीन	दिनांक 31 मार्च, 1986 के आवेदन में यह आरोप लगाया गया था कि प्रतिवादी लीटर की मात्रा में नारियल के तेल की पैकिंग करता है जबकि यह किलोग्राम के हिसाब से भरा जाना चाहिए।	आयोग ने अनुचित व्यापार प्रथा के उपबन्धों के अन्तर्गत जांच संस्थित की है।
4.	पब्लिक इंटरेस्ट इशूज रिसर्च अकादमी, अहमदाबाद	स्वास्तिक आयल इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, हैदराबाद	दिनांक 31 मार्च, 1986 के आवेदन में यह आरोप लगाया गया था कि प्रतिवादी लीटर की मात्रा में नारियल के तेल की पैकिंग करता है जबकि यह किलोग्राम के हिसाब से भरा जाना चाहिए।	आयोग ने अनुचित व्यापार प्रथा के उपबन्धों के अंतर्गत जांच संस्थित की है।
5.	कन्जूमर प्रोटेक्शन एजूकेशन एंड रिसर्च सेन्टर, भावनगर	प्रोमिज टूथ पेस्ट के निर्माता	4 जुलाई, 1986 की शिकायत में टूथ पेस्ट के साथ टूथ ब्रुश मुफ्त देने के सम्बन्ध में भ्रामक विज्ञापन निकालने का आरोप लगाया गया था।	एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग ने शिकायत महानिदेशक (जांच एवं पंजीकरण) को भेजी थी क्योंकि पत्र उन्हें सम्बोधित किया गया था।

कागज का उत्पादन

2873. **श्री मोहन भाई पटेल :**
श्री अमरसिंह राठवा :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कागज निर्माण करने वाले विद्यमान एकक मांग को पूरा करने की स्थिति में नहीं हैं तथा बड़ी मात्रा में कागज का आयात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष वार कितनी मात्रा में कागज का आयात किया गया तथा इस पर कितनी धन राशि खर्च की गई;

(ग) देश की मांग को पूरा करने के लिए देश में सरकारी क्षेत्र में कागज का निर्माण करने वाले अधिक औद्योगिक एकक स्थापित करने के बारे में सरकार की क्या योजना है;

(घ) देश में कागज का निर्माण करने वाले एकक स्थापित करने के लिए लाइसेंस जारी करने हेतु किन गैर-सरकारी औद्योगिक एककों ने आवेदन किये हैं; और

(ङ) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है/करने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम0 अरुणाचलम) : (क) कुछ विशेष किस्मों के अलावा देश में कागज और गत्ते की मांग स्वदेशी उत्पादन द्वारा उपयुक्त रूप से पूरी हो जाती है ।

(ख) "कागज और गत्ते एवं उससे बनने वाली वस्तुओ के व्यापक विवरण में शामिल विभिन्न वस्तुओं की मात्रा और आयात के मूल्य नीचे दिये गये हैं :—

वर्ष	मात्रा (मी०टन में)	मूल्य (करोड़ रु० में)
1985-86	66.290	95.59
1986-87 (अनन्तिम)	42.300	68.04
1987-88 (अनन्तिम)	34.300	78.11

(ग) केन्द्रीय क्षेत्र में कागज और गत्ते के उत्पादन के लिए कोई अतिरिक्त एकक स्थापित करने हेतु इस समय सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(घ) और (ङ) कागज और गत्ते के उत्पादन के लिए औद्योगिक लाइसेंस की मंजूरी हेतु कोई आवेदन लंबित नहीं है ।

पटना, बिहार में टेलीफोन सेवाएं

[हिन्दी]

2874. **प्रो० चन्द्रभानु देवी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बिहार, विशेष रूप से पटना, में टेलीफोन सेवाओं के पूर्णतः अस्त-व्यस्त होने के सम्बन्ध में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यह सेवा सामान्य रूप से कब तक कार्य करना आरम्भ कर देगी ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी नहीं । बिहार में और विशेषकर पटना में टेलीफोन सेवाएं बिलकुल ही खराब स्थिति में नहीं हैं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) टेलीफोन सेवाएं आमतौर पर संतोषजनक हैं । तथापि पटना में 6000 पुरानी लाइनों के स्थान पर 7000 लाइनें लगाकर और पाटिलीपुत्र में 1800 लाइनों के मैक्स-11 एक्सचेंज के स्थान पर 3000 लाइनों का इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज लगाकर सेवाओं में और अधिक सुधार होगा । इन सबके लिए काम शुरू कर दिया गया है ।

दिल्ली में टेलीफोन व्यवस्था

2875. **श्री जय प्रकाश अग्रवाल** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में केवल थोड़ी-सी वर्षा होते ही हजारों टेलीफोन खराब हो जाते हैं;

(ख) क्या इस वर्ष भी वर्षा के कारण दिल्ली के 90 प्रतिशत टेलीफोन खराब हो गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं कि दिल्ली में टेलीफोन व्यवस्था सुचारू ढंग से कार्य करे ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी नहीं । भारी वर्षा के दौरान कुछ केबिलों में दोष आ जाते हैं जिससे इन केबिलों में टेलीफोनों के कार्यकरण में अवरोध होता है । ऐसा अन्य जनोपयोगी एजेंसियों द्वारा खुदाई करने से केबिलों में पानी चले जाने के कारण होता है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) संतोषजनक सेवा सुनिश्चित करने के लिए पुराने और बार-बार खराब हो जाने वाले केबिलों को बदलना, डक्टों में भूमिगत केबिल बिछाना, जेली भरे हुए केबिलों का उपयोग और केबिलों का दाबीकरण करने जैसे कुछ कदम उत्तरोत्तर उठाए जा रहे हैं ।

दिल्ली में टेलीफोन कनेक्शन

2876. **श्री जय प्रकाश अग्रवाल**
श्रीमती डी० के० भंडारी :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के प्रत्येक टेलीफोन एक्सचेंज की क्षमता कितनी है तथा प्रत्येक एक्सचेंज की प्रतीक्षा-सूची में कितने लोग हैं और कब से हैं; और

(ख) दिल्ली में लोगों को शीघ्र टेलीफोन कनेक्शन मिलना सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

संचार मत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण-1 और विवरण-2 में दी गई है।

(ख) 1988-89 के दौरान लगभग 55,000 लाइन जोड़ने का प्रस्ताव है जिसके लिए उपस्कर का आबंटन पहले ही कर दिया गया है। 30-9-86 तक की प्रतीक्षा सूची को 1990 तक निपटाने के लिए 1989-90 में 1,29,000 लाइनों तक और विस्तार करने की योजना है।

विवरण-1

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, दिल्ली में 20-7-1988 को स्थिति के अनुसार एक्सचेंजों की सूची

क्र० सं०	एक्सचेंज की किस्म	एक्सचेंज का नाम	कोड	सज्जित क्षमता
1	2	3	4	5
1.	एसपीसीएनालॉग (फेटेक्स)	1. सेना भवन	301	10,000 लाइन
		2. ईदगाह-IV	77/51	20,000 लाइन
		3. तीस हजारी-IV	291/292	20,000 लाइन
		4. नेहरूप्लेस-III	643/644	20,000 लाइन
		5. राजोरी गार्डन-III	541	10,000 लाइन
		6. करोलबाग-4	572/573	20,000 लाइन
		7. किदवई भवन	331/332	20,000 लाइन
			योग	1,20,000 लाइन
	(पीआरएक्स)	1. लोधीरोड	36	3,000 लाइन
2.	ओ० एल० आई० एक्स-बार	ईदगाह-III	73	10,000 लाइन
3.	एन० ई० सी० एक्स-बार	1. तीस हजारी-II	23	10,000 लाइन
		2. तीसहजारी-III	251/252	20,000 लाइन
		3. शक्तिनगर-II	711/712	20,000 लाइन

1	2	3	4	5
		4. चाणक्यपुरी-II	60	10,000 लाइन
		5. नेहरू प्लेस-II	641	10,000 लाइन
		6. हौजखास-II	66	10,000 लाइन
		7. राजोरी गार्डन-IV	53	10,000 लाइन
		8. करोलबाग-III	571	10,000 लाइन
			योग	1,00,000 लाइन
4.	एल० एम० ई० एक्स-बार	1. ईदगाह-II	52	10,000 लाइन
5.	पी० सी० एक्स-बार	1. जनपथ-I	31	3,000 लाइन
		2. जनपथ-I	43	2,500 लाइन
		3. जनपथ-V	35	2,600 लाइन
		4. जोरबाग-II	62	6,000 लाइन
		5. ओखला-I	63	7,000 लाइन
		6. हौजखास-I	65	8,000 लाइन
		7. चाणक्यपुरी-I	67	8.400 लाइन
		8. राजोरी गार्डन-II	50	6,000 लाइन
		9. करोलबाग-II	58	9,000 लाइन
		10. राजोरीगार्डन-1	59	5,000 लाइन
			योग	57,500 लाइन
6.	ई-10बी (डिजीटल)	1. लक्ष्मी नगर	224/220/221	28,000 लाइन
		2. शक्तिनगर-III	721/722	17,400 लाइन
		3. ओखला-II	683/684	17,4000 लाइन
		4. राजोरीगार्डन-V	543/545	12,4000 लाइन
			योग	75,2000 लाइन

1	2	3	4	5
7.	आर० एल०यू० (आपई-10 बी) (एक्सचेंज)	1. शाहदरा	228	5,000 लाइन
		2. रोहिणी	727	2,000 लाइन
		3. बादली	729	1,000 लाइन
		4. नेहरूप्लेस	646	2,000 लाइन
		5. हौजखास	686	1,000 लाइन
		6 चाणक्यपुरी	687	1,000 लाइन
		7. आई० जी०आई०ए०	5452	500 लाइन
		8. नजफगढ़	5456	1,000 लाइन
		9. नांगलोई	547	2,000 लाइन
		10. जनकपुरी	549	1,000 लाइन
			योग	16,500 लाइन
	स्ट्रोजर एक्सचेंज			
8.	एम० ए० एक्स-I (स्ट्रोजर)	1. राजपथ	38	8,900 लाइन
		2. जोरबाग-I	61/69	12,600 लाइन
		3. दिल्ली गेट-II	26	9,900 लाइन
		4. शक्तिनगर-I	74	5,100 लाइन
		5. दिल्ली गेट-I	27	9,600 लाइन
		6. दिल्ली छावनी	39	3,600 लाइन
		7. जनकपुरी	55	3,900 लाइन
			योग	53,600 लाइन
9.	एम०ए०एक्स०-II (स्ट्रोजर)	1. अलीपुर	745	200 लाइन
		2. नरेला	747	700 लाइन
			योग	900 लाइन
	26-7-1988 की स्थिति के अनुसार कुल सज्जित क्षमता			4,46,700 लाइन

विवरण-2

महानगर टेलीफोन निगम लि०, नई दिल्ली : 1-8-1988 की स्थिति के अनुसार प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों की संख्या और प्रतीक्षा सूची में निपटान का विवरण

लेबल	एक्सचेंज	ओ० वाई० टी० सामान्य श्रेणी में नीचे दी गई तारीखों तक कनेक्शन जारी किए गए	प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों की संख्या	ओ० वाई० टी० विशेष श्रेणी में नीचे दी गई तारीखों तक कनेक्शन जारी किए गए	प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों की संख्या	एस० एक्स० श्रेणी में नीचे दी गई तारीखों तक कनेक्शन जारी किए गए	प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों की संख्या	विशेष श्रेणी में नीचे दी गई तारीखों तक कनेक्शन जारी किए गए	प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों की संख्या	सामान्य श्रेणी में नीचे दी गई तारीखों तक कनेक्शन जारी किए गए	प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों की संख्या	योग
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31.34.35	जनपथ	31-7-88	—	31-7-88	—	29-4-88	3	26-4-88	16	18-1-88	430	449
61,62,69	जोरबाग	11-11-87	240	2-2-88	90	31-3-88	26	5-4-88	33	20-12-83	4762	5151
331,332	किदवई भवन	20-11-86	609	5-2-87	298	26-4-88	2	25-4-88	20	7-10-85	1468	2397
38	राजपथ	17-5-82	189	31-12-84	680	30-11-87	18	11-12-82	83	24-4-80	971	1941
36	पी. आर. एक्स.	25-3-88	—	25-3-88	25	25-3-88	3	25-3-88	—	25-3-88	26	54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
301	सेना भवन	1-4-86	61	30-9-87	103	28-2-87	11	30-9-86	8	30-9-85	436	619
उत्तर												
745	अलीपुर	30-6-84	12	30-6-84	5	30-6-84	—	30-6-84	9	4-5-84	303	329
729	बादली	31-1-88	94	31-1-88	3	31-1-88	—	24-8-84	90	31-10-81	899	1086
23, 251 752, 291 922	तीस हजारी	31-7-88	—	31-7-88	—	31-7-88	—	31-7-88	—	11-9-86	6279	6279
747	नरेला	19-12-86	18	12-6-86	11	28-2-86	—	31-3-86	25	15-1-82	544	598
74, 711 712, 721, 7 2 727	शक्ति नगर (रोहिणी)	17-3-88	971	25-3-88	38	4-4-88	15	4-4-88	251	2-8-82	33459	34734
पूर्व												
26, 27	दिल्ली गेट	3-11-87	268	18-3-88	14	11-4-88	—	11-4-88	27	2-9-82	7135	7444
51, 52, 77, 73	ईदगाह	9-5-88	136	9-5-88	4	9-6-88	—	9-6-88	27	24-1-86	10615	10782
221, 224, 220	लक्ष्मी नगर	20-7-88	36	31-7-88	—	20-7-88	2	20-7-88	13	5-2-85	19353	19404

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
228	शाहदरा	13.11.86	806	31.12.87	57	31.12.87	6	3.10.80	745	5.579	8127	9741
दक्षिण												
60, 67, 687	चाणक्यपुरी	18.2.86	727	21.3.86	564	29.2.88	75	21.1.85	327	31.12.83	6627	8320
65, 66, 686	हौजखास	9.12.86	1022	30-4.87	236	15.2.88	57	29.1.87	344	2.9.82	8403	10062
641, 643, 644, 646	नेहरू प्लेस	20.8.86	2881	9.2.87	414	11.3.88	52	28.10.86	634	19.12.81	17760	21741
63, 683 684	ओखला	20.6.88	51	20.6.88	13	20.6.88	7	20.6.88	22	7.8.87	2703	2796
पश्चिम												
39, 5452	कैंट	9.12.87	44	9.12.87	29	17.12.87	19	16.12.87	20	12.8.84	860	972
55, 549	जनकपुरी	31.12.85	625	31.12.85	175	31.12.85	99	1.6.83	425	26.2.80	7976	9300
571, 572 573, 58	करोलबाग	13.4.88	223	13.4.88	32	30.6.88	—	30.6.88	—	10.12.84	10380	10635
5456	नजफगढ़	23.6.88	12	30.6.88	—	31.7.88	—	31.7.88	—	29.7.85	542	554
547	नांगलोई	11.3.88	246	11.3.88	8	29.2.88	33	23.10.86	135	31.3.83	2333	2755

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50, 53, 541, 59, 543, 545	राजोरी गार्डन	30.12.86	2737	2.1.87	301	4.12.86	156	8.12.86	1177	26.9.81	32782	37153
	कुल		12008		3100		584		4431		185173	205296

नोट :—ऊपर टेलीफोन कनेक्शनों की निपटाई गई जो तारीख दिखाई गयी हैं वह रजिस्ट्रेशन की उस तारीख को इंगित करती हैं जहां तक टेलीफोन कनेक्शन दे दिये गए हैं। कनेक्शन देने और उसको लग जाने के बीच समय का अंतर हो सकता है।

दिल्ली में खाना पकाने की गैस की एजेन्सियां

2877. **श्री जयप्रकाश अग्रवाल : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में विभिन्न तेल कम्पनियों की खाना पकाने की गैस की वितरण एजेंसियां कितनी हैं और कहां-कहां स्थित हैं; और

(ख) प्रत्येक कम्पनी की प्रतीक्षा सूची में कितने-कितने लोग हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) 1.7.1988 को दिल्ली में 193 एल० पी० जी० वितरणशिपें काम कर रही थीं। उनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) 1.8.1988 को दिल्ली में एल० पी० जी० के प्रतीक्षा सूची में कुल 4.326 लाख व्यक्ति दर्ज थे। उनका विवरण इस प्रकार है—

	(आंकड़े हजार में)
आई० ओ० सी०	268.00
एच० पी० सी०	68.80
बी० पी० सी०	95.80

विवरण

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि०		भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड	
1	2	1	2
क्र० सं०	स्थान	क्र० सं०	स्थान
1.	नेताजी नगर	11.	अशोक बिहार
2.	दरियागंज	12.	गोल मार्केट
3.	लक्ष्मीनगर	13.	राजोरी गार्डन
4.	कश्मीरी गेट	14.	ईस्ट पटेल नगर मार्केट
5.	ईस्ट आफ कैलाश	15.	पश्चिम बिहार
6.	गोपी नाथ बाजार	16.	शंकर मार्केट
7.	भोगल	17.	नरेला
8.	कमला नगर	18.	कृष्णा नगर
9.	शाहदरा	19.	करोल बाग
10.	शालीमार बाग	20.	लाजपत नगर

1	2	1	2
21.	शेख सराय	49.	तिलक नगर
22.	डिफेंस कालोनी मार्केट	50.	कमला नगर
23.	शकूर बस्ती	51.	मादीपुर
24.	महरौली	52.	मंगोलपुरी
25.	मुनिरीका विलेज	53.	कश्मीरी गेट
26.	विकास पुरी	54.	जंगपुरा एक्सटेंशन
27.	तिलक नगर	55.	मेन लारेन्स रोड़
28.	जहांगीर पुरी	56.	मोती बाग
29.	अलकनन्दा, कालका जी	57.	पश्चिम बिहार
30.	गांधी नगर	58.	रोहिणी
31.	ग्रेटर कैलाश	59.	लक्ष्मीबाई मार्केट
32.	जहांगीरपुरी	60.	लाजपत नगर
33.	जनकपुरी	61.	शकूरपुर
34.	विवेक बिहार	62.	होजखास
35.	ईस्ट प्रटेल नगर मार्केट	63.	कृष्णा नगर
36.	करोल बाग	64.	ख्याला रोड (विष्णु गार्डन)
37.	नांगल राय	65.	नेताजी सुभाष नैनबल भवन, दिल्ली
38.	सुखदेव बिहार (फ्रैंड्स कालोनी)	66.	डा० अम्बेडकर नगर, से०-1
39.	शाहदरा	67.	बादली
40.	बाड़ा हिन्दू राव	68.	ठेडापुर।
41.	नजफगढ़ इंडस्ट्रीयल एरिया	69.	न्यू मोती नगर
42.	डिफेंस कालोनी मार्केट		**इण्डिया आयल का० लि०**
43.	एन० डी० एम० सी० शॉप	70.	शाहदरा (पांच वितरणशिपें)
	1/2 दिल्ली	71.	पंजाबी बाग
44.	रोशनआरा रोड	72.	माडल टाऊन
45.	शक्करपुर	73.	रानी झांसी रोड (6 वितरणशिपें)
46.	पाण्डव नगर	74.	आनन्द निकेतन
47.	भाई परमानन्द कालोनी	75.	पीतम पुरा
48.	राजोरी गार्डन (दो वितरणशिपें)	76.	ग्रीन पार्क।

1	2	1	2
77.	किशन गंज	104.	कृष्णा नगर
78.	कीर्ती नगर (2 वितरणशिपें)	105.	तिलक नगर
79.	राजोरी गार्डन (3 वितरणशिपें)	106.	भीम मार्केट
80.	आदर्श नगर मार्केट	107.	पूषा गेट
81.	ईस्ट आफ कैलाश	108.	कालकाजी शापिंग सेंटर
82.	मुनिरीका	109.	पश्चिम बिहार (2 वितरणशिपें)
83.	डा० मुखर्जी नगर	110.	कमला नगर
84.	विश्वास नगर	111.	सिद्धी पुरा
85.	छत्रसाल स्टेडियम (2 वितरणशिपें	112.	खान मार्केट
86.	ग्रैटर कैलाश	113.	करमपुरा
87.	कश्मीरी गेट (2 वितरणशिपें)	114.	झील कुरंजा
88.	करोल बाग	115.	हौजखास
89.	अलकनन्दा (2 वितरणशिपें)	116.	शास्त्री नगर
90.	दरियागंज (2 वितरणशिपें)	117.	मीना बाजार, जामा मस्जिद
91.	वसन्त बिहार	118.	महरौली रोड
92.	ग्रीन पार्क एक्सटेंशन	119.	नांगलोई
93.	आराम बाग	120.	कैलाश कालोनी
94.	मयूर बिहार	121.	मान सरोवर गार्डन
95.	कमला नगर	122.	मुनिरीका फेज
96.	गुलाबी बाग	123.	निर्माण बिहार
97.	शेख सराय-1	124.	कनाट सर्कस
98.	साऊथ पटेल नगर मार्केट	125.	सुन्दर नगर मार्केट
99.	डिफेंस कालोनी फ्लाई ओवर मार्किट (2 वितरणशिपें)	126.	बाड़ा हिन्दू राव
		127.	बी० ब्लाक जनकपुरी
100.	लाजपत नगर-4	128.	हरी नगर (2 वितरणशिपें)
101.	जनकपुरी	129.	जी० टी० करनाल रोड, गुड़ मंडी
102.	अशोक बिहार	130.	शकूरपुर
103.	नारायणा बिहार	131	बल्लीमारान, चांदनी चौक

1	2	1	2
132.	रोहिणी (2 वितरणशिपें)	150.	गोल मार्केट
133.	बसन्त कुंज (2 वितरणशि)	151.	अजय इन्कलेव
134.	साउथ एवेन्यू मार्केट	152.	विकास पुरी (2 वितरणशिपें)
135.	बजीरपुर गांव	153.	सेंट्रल मार्केट, साकेत
136.	हौजरानी, साकेत	154.	अशोक नगर
137.	पांडव नगर	155.	माता सुन्दरी रोड
138.	दिल्ली कैंट	156.	मस्जिद मोठ गांव
139.	जनकपुरी, डी० डी० ए० मार्केट	157.	वैस्ट किदवई नगर
140.	कालकाजी (2 वितरणशिपें)	158.	लक्ष्मी नगर
141.	सदर बाजार, दिल्ली/कैंट/मोती बाग*	159.	टैगोर गार्डन
142.	ग्रेटर कैलाश	160.	यमुना बिहार
143.	लारेंस रोड (2 वितरणशिपें)	161.	प्रीतम पुरा गांव
144.	आर० के० पुरम से० 10	162.	ओखला
145.	विवेक बिहार (2 वितरणशिपें)	163.	ओल्ड रोहतक रोड
146.	पंचकुइयां रोड़	164.	गीता कालोनी, साइट नं० 1
147.	असलतपुर	165.	पालम कालोनी
148.	शालीमार बाग	166.	दिल्ली गेट
149.	उत्तम नगर	167.	गीता कालोनी, साइट नं० 2

*इस डीलर की दो स्थानों पर दो दुकानें हैं।

आकाशवाणी शिमला का कार्यकरण

[अनुवाद]

2878. श्री प्रकाश चन्द्र :
श्री माधव रेड्डी :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में आकाशवाणी शिमला के कार्यकरण में अनेक अनियमितताएं पाई गई हैं;

(ख) यदि हां, तो इन अनियमितताओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन अनियमितताओं के कारण हुई हानि का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) से (ग) प्रत्येक कार्यालय के विभिन्न कार्यों की जांच करने के लिए सरकार ने सुस्थापित प्रक्रियाएं स्थापित की हैं। आकाशवाणी के स्टेशनों के संबंध में प्रक्रिया में आकाशवाणी मैनुअल और सरकार की अन्य किताबों में दी गई हैं जिनमें कार्यालय प्रशासन के नियम और प्रक्रियाएं दी गई हैं। इन विनियमों के अनुसार आकाशवाणी के स्टेशनों का आवधिक निरीक्षण और लेखा परीक्षा की जाती हैं। आकाशवाणी शिमला की पिछली लेखा परीक्षा 1987 की गई थी और आकाशवाणी का प्रशासनिक निरीक्षण भी दो साल पहले किया गया था। न तो लेखा परीक्षा से और न ही प्रशासनिक निरीक्षण से कोई गंभीर अनियमितताएं प्रकाश में आयी हैं जिनसे कि सरकार को कोई नुकसान हुआ हो। तथापि कतिपय मामूली अनियमितताएं जो देखने में आई उनकी जांच की गई और उन्हें दूर करने के लिए उपयुक्त कार्रवाई की गयी।

(घ) और (ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

टायर की खपत

2879. **श्री शांति धारीवाल :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में अनुमानतः टायर की कितनी खपत है;

(ख) देश में कितने औद्योगिक एकक टायरों का उत्पादन करते हैं;

(ग) इन एककों की एककवार उत्पादन क्षमता कितनी है;

(घ) क्या सरकार का विचार इन एककों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने का है, और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) देश में खपत हेतु 1987-88 में मोटर गाड़ियों के टायरों की उपलब्धता 147 लाख नग आंकी गयी है।

(ख) और (ग) संगठित क्षेत्र में आटोमोटिव टायर विनिर्माता एककों की एक सूची संलग्न विवरण में दी गयी है।

(घ) और (ङ) देश में मोटर गाड़ियों के टायरों के उत्पादन को बढ़ाने के संबंध में सरकार ने अनेक कदम उठाये हैं अर्थात् टायर उद्योग को परिशिष्ट-1 में शामिल उद्योगों की सूची में सम्मिलित करना जो फेरा/एम० आर० टी० पी० कंपनियों के लिए खुला है; उत्पादन के न्यूनतम आर्थिक स्तर के रूप में प्रति वर्ष 15 लाख नग टायर निर्धारित करना और क्षमता पुनः पृष्ठांकन के लिए उदारीकृत सुविधाएं देना।

विवरण

आटोमोटिव टायरों की लाइसेंसीकृत/अधिष्ठापित क्षमता

	संख्या-लाख नग में मार्च, 1988
1	2
1. मैसर्स डनलप इंडिया लि०, साहागंज	12.91
2. मैसर्स डनलप इंडिया लि०, अम्बात्तुर	6.30

1	2
3. मैसर्स बम्बई टायर इंटरनेशनल लि०, बम्बई	11.00
4. मैसर्स सीट टायर्स आफ इण्डिया लि०, बम्बई	10.10
5. मैसर्स सीट टायर्स आफ इंडिया लि०, नासिक	10.96
6. मैसर्स गुडइयर इंडिया लि०, वल्लभगढ़	11.76
7. मैसर्स एम० आर० एफ०, मद्रास	7.50
8. मैसर्स एम० आर० एफ०, गोवा	8.00
9. मैसर्स एम० आर० एफ०, आर्कोनाम	7.50
10. मैसर्स प्रीमियर टायर लि०, कलमेस्सारी	6.00
11. मैसर्स टायर कारपोरेशन आफ इंडिया, कलकत्ता	5.00
12. मैसर्स मोदी रबड़ लि०, मोदीपुरम-उ० प्र०	18.02
13. मैसर्स यू० पी० टायर्स एण्ड ट्यूब्स लि०, राय बरेली	5.00
14. मैसर्स जे० के० इंडस्ट्रीज लि०, कंकरोली	10.95
15. मैसर्स अपोलो टायर्स लि०, छबिकुडी	6.00
16. मैसर्स विक्रांत टायर्स लि०, मैसूर	10.00
17. मैसर्स श्रीचक्र टायर्स लि०, मदुराई	8.00
18. मैसर्स स्टालियन टायर्स लि०, हैदराबाद	1.80
19. मैसर्स पालकन टायर्स लि०, मैसूर	8.00
20. मैसर्स वियरवेल टायर एण्ड ट्यूब्स इण्डस्ट्रीज (प्रा०) लि० बेतुल, म० प्र०	6.00
21. मैसर्स मैट्रो टायर्स लि०, लुधियाना	3.00
22. मैसर्स के० टी० सी० टायर्स, कालीकट	5.00
23. मैसर्स हिन्दुस्तान साइकिल लि०, लुधियाना	3.00
कुल	179.78

कोटा (राजस्थान) में छोटे और बड़े उद्योगों की कठिनाइयां

[हिन्दी]

2880. श्री शांति धारीवाल : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में कोटा में कई छोटे और बड़े उद्योग पिछले एक वर्ष से विभिन्न कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं;

(ख) क्या इनमें से अधिकांश उद्योग, जो बड़े उद्योगों की श्रेणी में आते हैं, बंद होने की स्थिति में हैं और कई उद्योग तो पहले ही बन्द हो चुके हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले की जांच करने का निर्णय किया है ताकि इस क्षेत्र के औद्योगिक विकास में आने वाली बाधाओं को दूर किया जा सके;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार ने इन उद्योगों को बंद होने से बचाने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

टायरों का आयात

2881. **श्री शांति धारीवाल : क्या उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने टायरों का आयात करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा कितने टायरों का आयात करने का विचार है;

(ग) इन टायरों का आयात किन-किन देशों से किया जायेगा और इनकी सप्लाई किन-किन राज्यों को की जाएगी;

(घ) क्या आयातित टायरों और देश में निर्मित टायरों के मूल्यों में कोई अन्तर रखा गया है; और

(ङ) यदि हां, तो कितना और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ङ) सरकार ने टायर की कीमतों में वृद्धि के रुख को रोकने के लिए खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन कम दरों पर कुछ विशिष्ट श्रेणी के बस व ट्रक टायरों के आयात को अनुमति देने का निर्णय किया है। सरकार ने टायरों की मात्रा की कोई सीमा निर्धारित नहीं की है अथवा आयात हेतु कोई विशेष स्रोत निर्दिष्ट नहीं किया है। घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय टायरों के मूल्यों के बीच की औसत मूल्य संबंधी भिन्नता को बताना संभव नहीं है क्योंकि इनके मूल्य टायरों के प्रकार और मूल स्रोत के कारण अलग-अलग होते हैं।

जनसंख्या नियंत्रण को बढ़ावा देने के दूरदर्शन कार्यक्रम को सोच समझकर तैयार करना

[अनुवाद]

2882. **श्री आर० एम० भोये : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दूरदर्शन कार्यक्रमों के अनुपयुक्त प्रसारण समय और विभिन्न कार्यक्रमों के प्रस्तुतीकरण में जनसंख्या नियंत्रण का उद्देश्य निहित होने के बारे में लोगों की प्रतिशत प्रतिक्रिया की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इन कार्यक्रमों की पुनरीक्षा करने और उनमें उपयुक्त प्रबोधन लाने का विचार है ताकि इन कार्यक्रमों से वयस्कों के संबंध मे अपेक्षित उद्देश्य पूरे हो सके और उन्हें बच्चों की उपस्थिति में होने वाली परेशानी से बचाया जा सके ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) किए गये अध्ययनों से पता चला है कि मुख्य अवलोकन समय में परिवार कल्याण संबंधी स्पाटों के टेलीकास्ट का ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लक्ष्य जनसंख्या पर अनूकूल प्रभाव पड़ा है। मुख्य अवलोकन समय में इन स्पाटों के टेलीकास्ट किये जाने पर कुछ लोगों ने प्रतिकुल प्रतिक्रिया जाहिर की थी। क्योंकि उन्होंने इसे परिवार के साथ देखना उचित नहीं समझा। किन्तु ऐसे लोगों का संख्या बिलकुल नगण्य थी और कुल मिलाकर अपने परिवार को सीमित रखने का आवश्यकता के बारे में दर्शकों को जानकारी देने में ये स्पाट सफल रहे हैं।

उत्तर प्रदेश में माइक्रो पनबिजली परियोजनाओं का सर्वेक्षण

[हिन्दी]

2884. **श्री हरीश रावत** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में पिथौरागढ़ जिले की कनछुट्टी, सोला, सिप्ती और माइक्रो पन बिजली परियोजना का सर्वेक्षण-कार्य हो चुका है;

(ख) यदि हां, तो कब;

(ग) क्या इन परियोजनाओं का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं और इन परियोजनाओं का निर्माण कब आरम्भ होगा ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) (क) से (घ) क्योंकि सूक्ष्म जल परियोजना का निर्माण कार्य राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है, इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार से अपेक्षित सूचना भेजने के लिए कहा गया है और प्राप्त होने पर, सभा पटल पर रख दी जाएगी।

उत्तर वेश में आकाशवाणी केन्द्र, पिथौरागढ़ के लिए भूमि

2885. **श्री हरीश रावत** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** उत्तर प्रदेश में पिथौरागढ़ में आकाशवाणी केन्द्र के लिए भूमि के बारे में 7 मार्च, 1988 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1761 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्थानीय राजस्व विभाग ने पिथौरागढ़ में आकाशवाणी केन्द्र की स्थापना के लिए विद्यमान मूल्य-दर पर भूमि उपलब्ध कराने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो क्या उनका मंत्रालय इस प्रस्ताव से सहमत है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं, सरकार का इस संबंध में अन्य क्या वैकल्पिक कदम उठाने का विचार है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश में रानीखेत में इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज के लिए भवन का निर्माण

2886. **श्री हरीश रावत** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1988-89 के दौरान रानीखेत में इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज के लिए भवन का निर्माण करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रयोजन के लिए इस वर्ष कितनी धनराशि आबंटित की गई है और इस भवन का निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस भवन के निर्माण में विलम्ब के क्या कारण हैं और सरकार का इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) भवन निर्माण की परियोजना पर बाद में आवश्यकतानुसार विचार किया जाएगा ।

उत्तर प्रदेश में टेलीफोन एक्सचेन्जों को इलेक्ट्रानिक एक्सचेन्जों में बदलना

2887. **श्री हरीश रावत** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस तथ्य की जानकारी है कि उत्तर प्रदेश के अनेक बड़े नगरों में टेलीफोन एक्सचेन्ज बहुत पुराने हैं और वे सही तरीके से कार्य नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इन एक्सचेन्जों को इलेक्ट्रानिक एक्सचेन्जों में बदलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो इस वर्ष के दौरान कौन-कौन से एक्सचेन्जों को इलेक्ट्रानिक एक्सचेन्जों में बदला जाएगा और शेष एक्सचेन्जों को भी इलेक्ट्रानिक एक्सचेन्जों में कब तक बदला जाएगा ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी हां । उत्तर प्रदेश में बड़े शहरों में कुछ एक्सचेन्ज बहुत पुराने हैं, परन्तु अतिरिक्त प्रयत्नों द्वारा उनकी सेवाओं को काफी अच्छा बनाया गया है ।

(ख) जी हां । कुछ एक्सचेन्जों को इलैक्ट्रोनिक एक्सचेन्जों में बदला जायेगा ।

(ग) इस वर्ष में के दौरान निम्नलिखित एक्सचेन्जों को इलैक्ट्रोनिक एक्सचेन्जों में बदला जा रहा है :—

(1) गाजियाबाद में स्ट्रोजर एक्सचेन्ज (1700 लाइनें)

(2) बागपात (सी० बी० एम०) एक्सचेन्ज (720 लाइनें)

(3) गाजीपुर (सी० बी० एम०) एक्सचेन्ज (360 लाइनें)

(4) खुर्जा (सी० बी० एम०) एक्सचेन्ज (960 लाइनें)

(5) कानपुर-मालरोड पुराने उपस्कर की 3800 लाइनें

(6) लखनऊ :—

(क) केसरबाग—पुराने उपस्कर की 4000 लाइनें

(ख) चौक—2000 लाइनें

पोन्नानी में डाक सुविधाएं

[अनुवाद]

2888. **श्री जी० एम० बनातवाला :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1988-89 के दौरान केरल राज्य के पोन्नानी संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में डाक सुविधाओं का विस्तार करने के लिए यदि कोई योजनाएं तैयार की गई हैं तो उनका ब्यौरा क्या है और इन स्थानों की संख्या तथा नाम क्या हैं जहां नए डाकघर तथा उप-डाकघर खोले जाएंगे ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : क 1988-89 के दौरान पोन्नानी लोक-सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत 3 नए शाखा डाकघर खोलने के प्रस्ताव हैं जिनमें से पुडिया, काडप्पुरम, उल्लानम नॉर्थ और कावनचेरी प्रत्येक में एक-एक खोला जायेगा। फिलहाल नए उप-डाकघर खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विदेशों में तेल ड्रिलिंग कार्य में तीव्रता

2889. **श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंहराज वाडियर :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विदेशों में तेल ड्रिलिंग कार्य तीव्र करने का है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के द्वारा विदेशों में शुरू किए गए तेल ड्रिलिंग कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का विचार वियतनाम में तेल ड्रिलिंग कार्य तीव्र करने का है; और

(घ) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का विचार अन्य किन-किन देशों में तेल की खोज करने का है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्मदत्त) : (क) और (ख) अन्वेषण क्षेत्रों की संभावित तथा उपलब्ध स्रोतों सहित सभी सम्बन्धित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए विदेशों में अन्वेषण करने की योजना के प्रस्ताव की सरकार तथा तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा जांच की जाती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा विदेशों में खुदाई (ड्रिलिंग) का कोई कार्य नहीं किया गया।

(ग) और (घ) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की पूर्णतः सहायक कम्पनी हाइड्रो-कार्बन इंडया लि० (एच० आई० एल०) पेट्रो-वियतनाम के साथ उत्पादन भागीदारी संविदा के अंतर्गत वियतनाम में खुदाई का कार्य करेगी। तनजानिया में हाइड्रो-कार्बन की खोज के प्रस्ताव की सरकार जांच कर रही है।

जापान की सहायता से सौर ताप विद्युत केन्द्र की स्थापना

2890. श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंहराज वाडियर :
श्री राधाकान्त डिगाल :

क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जापान की सहायता से एक सौर ताप विद्युत केन्द्र की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनमें सौर ताप विद्युत केंद्र की स्थापना करने का विचार है;

(ग) सरकार द्वारा प्रस्ताव को मंजूरी देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) क्या वर्ष 1988-89 के दौरान सौर ताप विद्युत केन्द्र की स्थापना की जाएगी ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (घ) जापान ने अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग द्वारा नियोजित एक 30 मेगावाट सौर तापीय विद्युत संयंत्र को स्थापित करने के लिए अपनी वित्तीय सहायता प्रदान करने की सम्भावना व्यक्त की है। इस प्रस्ताव को वित्त मन्त्रालय तथा योजना आयोग को विचारार्थ भेज दिया गया है।

सेंट्रल कोलफील्ड्स लि० के कोयला कम्पनियों के कार्यकरण में सुधार

2891. श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंहराज वाडियर : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सेंट्रल कोलफील्ड्स लि० के अधीन कोयला खानों के समूचे कार्यकरण में सुधार करने हेतु एक विशेष "सम्पर्क कार्यक्रम" शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्पर्क कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है;

(ग) अन्य कोयला कम्पनियों द्वारा अपने कार्यकरण में सुधार करने के लिए क्या विशेष उपाय किये गये हैं; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में कोयला विभाग में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) से (घ) कोल इंडिया लि० की सेंट्रल कोलफील्ड्स लि० और अन्य सहायक कंपनियां अपने कार्य-निष्पादन में समग्र रूप से सुधार लाए जाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है तथा विशेष रूप से ध्यान देने के लिए समय-समय पर नाजुक क्षेत्र को निर्दिष्ट किया जाता है। चूंकि इस उद्देश्य के लिए कोई विशेष अथवा नया "सम्पर्क कार्यक्रम" नहीं बनाया गया है, अत: उन्नत उपकरण उपयोग तथा जनशक्ति की प्रभावी तैनाती पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है जिससे यह आशा की जाती है कि उत्पादन एवं उत्पादकता में सुधार होगा।

"उद्योग विहीन जिलों" में विकास केन्द्र

2892. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्रत्येक "उद्योग विहीन जिले" में विकास केन्द्र स्थापित करने का अनुरोध किया है;

(ख) किन-किन राज्यों ने इस बारे में अपनी रिपोर्ट भेज दी है;

(ग) केरल सरकार ने राज्य के किन-किन जिलों में कितने विकास केन्द्र स्थापित किये हैं;

(घ) क्या केरल में वायनाड या कण्णानोर जिले के औद्योगीकरण के कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ङ) जी हां । राजस्थान, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार, मिजोरम, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश राज्य द्वारा 44 उद्योग रहित जिलों में पता लगाए गए 51 विकास केन्द्रों को मूलभूत सुविधाओं के विकास के लिए स्वीकृति दे दी गई है । केरल राज्य में वायनाड और इदुक्की दो जिलों को उद्योग रहित जिलों के रूप में चुना गया है । केरल राज्य सरकार ने अभी तक उसके द्वारा विकसित किए जाने वाले प्रस्तावित विकास केन्द्रों के नाम नहीं बताए हैं । इस बीच, सरकार ने 5 वर्षों की अवधि के भीतर देश के पिछड़े क्षेत्रों में 100 विकास केंद्र स्थापित करने का निर्णय किया है । इन केन्द्रों का चुनाव सम्बन्धित राज्य सरकार के साथ परामर्श करके किया जायेगा ।

वर्ष 1985-88 (मई, 1988 तक) के दौरान वायनाड के लिए एक आशय-पत्र और कमजोर जिले में औद्योगिक एकक स्थापित करने के लिए 4 आशय-पत्र और 3 औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गये हैं ।

कागज का निर्माण

2893. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा कि :

(क) क्या देश में पर्याप्त कागज के निर्माण के लिए वन सामग्री का अभाव है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके लिए कोई वैकल्पिक उपाय अपनाये गये हैं;

(ग) क्या चीनी की फैक्टरियां पर्याप्त मात्रा में खोई का उत्पादन करती हैं जिसे कागज निर्माण हेतु प्रयोग किया जा सकता है; और

(घ) यदि हां, तो चीनी की फैक्टरियों को इस खोई को कागज के निर्माण के लिए देने को राजी करने तथा चीनी की फैक्टरियों में कोयले के बड़े-बड़े बायलरों को लगाने के लिए कौन से कदम उठाए जा रहे हैं ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) कच्ची वन सामग्री की पर्याप्त उपलब्धता कागज उद्योग के सामने आने वाली महत्वपूर्ण बाधाओं में से एक बाधा है;

(ख) कागज तथा गत्ते के विनिर्माण के लिए कृषि अवशेषों, छीजनों तथा खोई जैसे गैर-परंपरागत कच्चे माल के इस्तेमाल को लाइसेंस देने की पद्धति को उदार बनाकर तथा उत्पाद-शुल्क के मामले में राजकोषीय रियायतें देकर प्रोत्साहित किया जाता है । काष्ठ-लुग्दी, चैलियों, लट्ठों तथा रद्दी कागज का आयात करने के लिए कागज उद्योग को उदार सुविधाएं भी दी गई हैं ।

(ग) यद्यपि चीनी मिलों द्वारा खोई की पर्याप्त मात्रा उत्पन्न की जाती है, किन्तु इसका अधिकांश भाग स्वयं चीनी मिलों द्वारा ही विद्युत व भाप तैयार करने हेतु ईंधन के रूप में इस्तेमाल कर लिया जाता है। अतः कागज बनाने के लिए फालतू खोई की उपलब्धता सीमित है।

(घ) कागज बनाने हेतु खोई के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :—

(1) चीनी कारखानों को ऐसे स्थानों पर कागज और/अथवा अखबारी कागज मिलें स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है जो चीनी मिलों के निकट हों।

(2) विद्यमान बायलरों पर भाप बचत उपकरण लगाने, विद्यमान बायलरों की कोयले से प्रज्ज्वलित होने वाले बायलरों में बदलने और चीनी मिलों से खोई प्राप्त करने हेतु कोयले से प्रज्ज्वलित होने वाले पूर्णतः नये बायलरों का प्रावधान करने में होने वाला व्यय कागज मिलों की कुल पूंजीगत लागत के भाग के रूप में माना जाता है।

(3) वित्तीय संस्थाएं अनुकूल ऋण इक्विटी अनुपात के अनुसार जो कि इस सीमा तक निवेश करने हेतु उपलब्ध होगी, ऐसी योजनाओं के लिए सहायता देने में प्राथमिकता देती है।

(4) चूंकि पेराई के मौसम के दौरान चीनी कारखानों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कोयले का भण्डार ले जाना और रखना पड़ता है, इसलिए लाने ले जाने उसके लिए धनराशि की व्यवस्था करने चीनी कारखानों द्वारा कोयले का तथा कोयले का भण्डारण करने पर आने वाली लागत कागज मिलों को सप्लाई की जाने वाली खोई की लागत में जुड़ जाती है।

(5) बायलर बदलने और चीनी कारखाना बायलरों में खोई के स्थान पर कोयले का इस्तेमाल करने के कारण आने वाली ऊंची लागत को कम करने के उद्देश्य से कम से कम 75 प्रतिशत खोई से बने कागज पर उत्पाद शुल्क में छूट दी गई है।

(6) रेलवे चीनी कारखानों में कोयला ले जाने के मामले में प्राथमिकता देता है।

(7) 1988-89 के बजट में, लघु कागज मिलों के मामले में उत्पाद शुल्क में 100 रुपये प्रति टन तक और गैर-परम्परागत कच्चा माल इस्तेमाल करने वाली मझोली/बड़ी मिलों के मामले में 300 रुपये प्रति टन तक की कमी की गई है।

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा कार्य शुरू करने में विलम्ब

2894. श्री बाला साहिब विखे पाटिल : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष में कार्य शुरू करने में विलम्ब किए जाने के कारण करोड़ों रुपये व्यपगत हो गए;

(ख) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) भविष्य में इस प्रकार के विलम्ब से बचने के लिए कौन-से कदम उठाये गये हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के अनुसार 1987-88 के योजना आबंटन के 94.02 करोड़ रु० की तुलना में लगभग 92.40 करोड़ रु० व्यय किए गए।

(ख) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के अनुसार विलम्ब के लिए उत्तरदायी कारणों में ये शामिल हैं; दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा उप केन्द्र के लिए स्थान को देरी से सौंपा जाना, कार्य मार्ग से संबंधी समस्याएं, 400 के० वी० उप केन्द्र स्थल का करवाल नगर से मंडोला में स्थानान्तरण किया जाना तथा सप्लाई-कर्त्ता द्वारा सामग्री का सप्लाई न किया जाना।

(ग) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने बेहतर परियोजना प्रबन्ध के लिए भी कदम उठाए हैं।

भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा उत्पादन बढ़ाने और पेट्रोरसायनों का उत्पादन करना

2895. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल :**
श्रीमती जयन्ती पटनायक :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड ने अपने तेल शोधक कारखानों में उत्पादन बढ़ाने और पेट्रो-रसायनों का उत्पादन करने हेतु एक महत्वाकांक्षी योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा उनके लिए प्रस्तावित परिव्यय का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बृहस्पत) : (क) से (ग) पेट्रोकेमिकल्स फीड स्टाक जैसे, बेंजीन तथा टोल्यून के क्रमशः 98,300 टन प्रतिवर्ष तथा 17,600 टन प्रतिवर्ष के उत्पादन के लिए भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन (बी० पी० सी० एल०) को एक एरोमेटिक संयंत्र है। लगभग 500 करोड़ रुपए की कुल लागत पर जायलीन और एन पैराफीन के उत्पादन के लिए संयंत्र स्थापित करने का भी बी० पी० सी० एल० का प्रस्ताव है।

सीमेंट उद्योग के लिए ड्राई प्रोसेस प्लांट

2896. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमेंट उद्योग के आधुनिकीकरण और प्रदूषण नियंत्रण का कोई समयबद्ध कार्यक्रम उद्योग मंत्रालय के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो क्या सीमेंट उद्योग ऊर्जा की खपत कम करने के लिए वर्तमान संयंत्रों के स्थान पर ड्राई प्रोसेस प्लांट लगा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) सीमेंट उद्योग का आधुनिकीकरण एक अनवरत प्रक्रिया है तथा इस प्रयोजन के लिए सरकार अनेक उपाय कर रही है। इस उद्योग को पुराने सीमेंट संयंत्रों को आधुनिक बनाने तथा ऊर्जा संरक्षण उपकरण व प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने के लिए भी प्रभावी कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है नीति के अनुसार इस प्रयोजन के लिए प्रौद्योगिकी तथा उपकरणों के आयात की अनुमति है। सात सीमेंट एककों को वैट प्रोसेस से ड्राई प्रोसेस में बदलने के लिए तथा सीमेंट उद्योग हेतु उप क्षेत्र स्तर पर प्रशिक्षण

तकनीकी सहायता आदि के लिए 200 मिलियन अमरीकी डालर के विश्व बैंक का भी प्रबन्ध किया गया है। वे कारखाने जो विद्यमान पुराने वैट प्रोसेस भट्टे हटाकर नए ड्राई प्रोसेस भट्टे लगाते हैं अथवा जो विद्यमान पुराने वैट प्रोसेस भट्टों को ड्राई प्रोसेस भट्टों में बदलते हैं और जिससे कि अतिरिक्त अधिष्ठापित क्षमता पुराने भट्टों की क्षमता के बराबर अथवा उनसे अधिक हो जाती है, उन्हें लेवी कोटा निर्धारित करने के प्रयोजन के लिए नए एककों के रूप में माना जा रहा है। यह देखा गया है कि सीमेंट संयंत्रों को लगभग 10 प्रतिशत क्षमता वाले एककों ने आधुनिकीकरण के लिए अब तक कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया है। ऐसे एककों की समस्याओं का अध्ययन करने के उद्देश्य से एक कार्य दल का गठन किया गया है।

पंजाब में रुग्ण औद्योगिक एकक

[हिन्दी]

2897. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया :**
श्री तेजा सिंह दर्दी :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में रुग्ण औद्योगिक एककों की संख्या में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन रुग्ण एककों को पुनः चालू करने के लिए समितियां गठित की गई हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या इन समितियों ने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(घ) यदि हां, तो इन समितियों की रिपोर्टों के अनुसरण में क्या कदम उठाए जा रहे हैं और उठाए गए कदमों के क्या परिणाम निकले हैं; और

(ङ) यदि इन समितियों की रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं, तो ये रिपोर्टें कब प्राप्त होने की संभावना है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) वर्ष 1984, 1985 और 1986 के लिए रुग्ण एककों के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार पंजाब में रुग्ण एककों की संख्या में बढ़ोतरी होने का पता चलता है।

(ख) से (ङ) केन्द्र सरकार ने पंजाब में रुग्ण उद्योगों के पुनरुत्थान के लिए कोई विशेष समिति गठित नहीं की है। तथापि, सरकार ने रुग्ण औद्योगिक एककों के पुनरुत्थान के लिए अनेक उपाय किये हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने जीव्यक्षम एककों के लिए पुनर्स्थापना पैकेज बनाने हेतु बैंकों को व्यापक मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किये हैं। औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी० आई० एन० आर०) को इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु पर्याप्त अधिकार दिये गये हैं।

टिहरी तथा नाथपा झाकड़ी पनबिजली परियोजनायें

2899. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया :**
श्री रामधन :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 19 मई, 1988 के "टाइम्स आफ इंडिया" में पालिटिक्स इन हारउल प्रोजेक्ट डिसीजन शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने संयुक्त क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश में 2400 मेगावाट क्षमता की टिहरी पनबिजली परियोजना तथा हिमाचल प्रदेश में 1500 मेगावाट क्षमता की नाथपा झाकड़ी पन बिजली परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए दो नए स्वायत्त निकायों की स्थापना करने का निर्णय किया है;

(ग) यदि हां तो सरकार द्वारा उक्त निर्णय लिए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त परियोजनाएं राष्ट्रीय ताप बिजली निगम को न सौंपे जाने के क्या कारण हैं जबकि उक्त निगम को इस क्षेत्र में पर्याप्त विशेषज्ञता प्राप्त है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) चूंकि 'जल संसाधन" विषय को राज्य सूची में शामिल किया गया है, इसलिए (राष्ट्रीय जल विद्युत निगम के माध्यम से) अथवा राज्य एवं केन्द्र सरकार की संयुक्त परियोजना के रूप में केन्द्रीय क्षेत्र में परियोजना का क्रियान्वयन किए जाने के लिए राज्य की सलाह लेना अपेक्षित होता है। टिहरी तथा नाथपा-झाकरी जल विद्युत परियोजनाओं को क्रमशः राज्य की संयुक्त परियोजना तथा केन्द्रीय सरकार के माध्यम से इस प्रयोजन के लिए अलग से एक संयुक्त परियोजना निगम की स्थापना करके परियोजना का क्रियान्वयन किए जाने के लिए उत्तर प्रदेश तथा हिमाचल प्रदेश ने सहमति दे दी है।

गुजरात के जिलों में डाक और तारघरों का खोला जाना

[अनुवाद]

2900. **श्री रणजीत सिंह गायकवाड़**
श्रीमती पटेल रमाबेन रामजीभाई मावणि :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 1 जनवरी, 1985 से 31 जुलाई, 1988 तक की अवधि के दौरान गुजरात राज्य के बड़ौदा, राजकोट, भावनगर, जूनागढ़, सूरत और भड़ौच जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में कुछ डाक और तार घर खोले गए हैं;

(ख) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उपरोक्त अवधि के दौरान प्रतिष्ठापन और प्रशासन पर कितनी राशि व्यय की गई;

(ग) दिनांक 1 अगस्त, 1988 से 31 दिसम्बर, 1990 तक गुजरात में डाक और तार घर खोलने के लिए कितनी राशि व्यय करने की योजना, प्रस्ताव और प्राक्कलन हैं; और

(घ) नये डाक तार घर खोलने के लिए क्या नवीनतम मार्ग निर्देश और नीति अपनाई गई है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) उक्त अवधि में इन जिलों में कोई नया डाक घर नहीं खोला गया लेकिन तार घर जरूर खोले गये।

(ख) जानकारी संलग्न विवरण-1 में दी गई है। स्थापना और प्रशासन पर खर्च की गई रकम का पता लगाया जा रहा है और उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

(ग) जानकारी निम्नानुसार है:

	डाक घर	तार घर
(1) 1.8.88 से 31.12.90 तक खोले जाने वाले प्रस्तावित कार्यालयों की संख्या	75	200
(2) अनुमानित लागत (लाख रुपयों में)	11.83×	300×

*वार्षिक आवर्ती
**संस्थापना लागत

(घ) डाकघर

मार्गनिर्देश संलग्न विवरण-2 में दिए गए हैं।

तारघर कार्यालय : दूरसंचार विभाग ने एक षड्भुजाकर योजना बनाई हैं जिसके अंतर्गत देश को 5 किलोमीटर के षड्भुजाकार क्षेत्रों में बांटा गया है और पूर्णतः आर्थिक सहायता देकर ऐसे प्रत्येक षड्भुजाकार क्षेत्र के मुख्य ग्राम में कम से कम लंबी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन/संयुक्त डाक तार घर प्रदान करने की योजना है।

विवरण-1

गुजरात राज्य के जिलों में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में 1.5.85 से 31.7.88 तक खोले गए तारघरों (संयुक्त डाकतार घर) का ब्यौरा नीचे दिया गया है।

जिला	तारघर (संयुक्त डाक तार घर)
1	2
बड़ौदा	1. वरबादा
राजकोट	1. पतीदाद 2. मालीयासा 3. रैया 4. बारडिया 5. छिबादा 6. गनोड 7. खारछिया 8. मोटा कंमभालिया 9. पिपराडी 10. खिजादिया 11. खोडिया पीपर 12. मोती परबदी 13. तालागांना 14. तंगालौल 15. सरधारका 16. अमरनाथ 17. वारडुगोलिया 18. दैया 19. मोटामांडवा 20. तिलपुर 21. तारकुण्डा 22. कलाना 23. गुण्डला मोटा 24. पेंचपिल्ला 25. पिल हादीयर 26. दादायाहमीरपुर 27. पादासन 28. गोखा 29. कानेसारा 30. भदारियां
भावनगर	शून्य
जूनागढ़	1. दातारांना 2. सेगरास 3 मातल वनिया 4. दिवराना 5. वेकारी 6. जमसादा 7. बारेडिया 8. तराखुडा 9. चिभादा 10. मोती पदवाद

1	2
	11. काहाराडी 12. मोरवाड़ा 1?. वांकैया 14 चिदारवाड़ 15. बोदका 16. चौकी 17 जूनगर 18. बापोदार 19. सिहवारतिया 20. उमरी 21. खांधी 22. जीरा 23. बिनारा 24. जतवाड़
सूरत	1. उंभारात 2. झांखरी 3. उमारपाड़ा 4. अनुमाला
भड़ौच	1. पाथर 2. धानतुरिया 3. सेलोधपाधकोडरा 5. वालनेर 6. तावल

विवरण-2

ग्रामीण क्षेत्रों में डाक घर खोलने के लिए 19.11.1987 से लागू उदार मार्गनिर्देश

1. सातवीं योजना में ग्रामीण क्षेत्र में 6,000 नए डाकघर खोलने के लक्ष्य को देखते हुए जिसका अधिकांश लक्ष्य शेष दो वार्षिक योजनाओं 1988-89 तथा 1989-90 के दौरान प्राप्त किया जाना है, डाक सेवा बोर्ड ने निर्णय लिया है कि अब से ग्रामीण क्षेत्रों में शाखा डाक घर खोलने के लिए प्रस्ताव निम्नलिखित मार्ग निर्देशों के अनुसार विनियमित किए जाएंगे।

(i) एक ग्राम पंचायत वाला एक ग्राम समूह एक डाक घर के लिए पात्र है बशर्ते कि (क) ग्राम पंचायत में आने वाले ग्राम समूहों की कुल जनसंख्या सामान्य ग्रामीण क्षेत्रों में 300 तथा पहाड़ी, पिछड़े और जनजातीय क्षेत्रों में 1500 से कम न हों एवं (ख) उस ग्राम समूह में कोई डाकघर न हो।

(ii) डाकघर सामान्यतः ग्राम पंचायत मुख्यालय वाले ग्राम में खोला जाएगा। यदि ऐसा ग्राम मौजूदा डाकघर से 3 कि० मी० के भीतर आता हो, तो उसी ग्राम पंचायत के किसी अन्य उपयुक्त ग्राम में डाकघर खोला जा सकता है जो दूरी की शर्त पूरी करता हो।

(iii) पहाड़ी क्षेत्रों में 3 कि० मी० की पाबंदी पर विशेष परिस्थितियों के अंतर्गत छूट दी जा सकेगी।

(iv) सामान्य ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम प्रत्याशित राजस्व लागत 33-1/3% होगा तथा तथा पहाड़ी जनजातीय तथा पिछड़े क्षेत्रों में यह लागत 15% होगा।

2. पहाड़ी, पिछड़े तथा जनजातीय क्षेत्रों का वर्गीकरण निम्नलिखित मानदंड के अनुसार किया जाएगा।

पहाड़ी क्षेत्र :

(i) विशेष श्रेणीबद्ध क्षेत्र अर्थात हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम अरुणाचल प्रदेश एवं मिजोरम।

(ii) पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम के प्रयोजनार्थ योजना आयोग द्वारा पहाड़ी क्षेत्र के बतौर निश्चित किए गए अन्य राज्यों या संघ शासित क्षेत्रों के जिले ब्लाक/तालुकें।

जनजातीय क्षेत्र

(i) राज्य/संघ शासित क्षेत्र जिनमें कुल जनसंख्या 50% से अधिक हो, अर्थात अरुणाचल प्रदेश, दादर एवं नागर हवेली, लक्षद्वीप, नागालैंड और मिजोरम।

(ii) जनजातीय विकास कार्यक्रम के बतौर अभिनिर्धारित अन्य राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के जिले/ब्लाक/सब डिवीजन तहसील/ग्राम

(iii) पिछड़े क्षेत्र : सातवीं योजना के अधीन पिछड़ा क्षेत्र विकास कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अभिनिर्धारित क्षेत्र (ग्राम और लघु उद्योग क्षेत्र)

पदों के सृजन पर लगातार पाबंदी को मद्देनजर रखते हुए नए शाखा डाकघर खोलने के प्रस्ताव छूट देने के लिए डाक विभाग द्वारा वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत किए जाएंगे।

3. सभी सर्किल अध्यक्षों को अनुदेश जारी कर दिये गये हैं कि वे नए डाकघर खोलने के बारे में माननीय संसद सदस्यों से परामर्श करें तथा उन्होंने जिन प्रस्तावों की सिफारिश की हो, उन पर उपर्युक्त मानदण्डों को ध्यान में रखते हुए सहानुभूतिपूर्वक तुरन्त विचार किया जाए।

आकाशवाणी के बड़ौदा केन्द्र को स्वतंत्र निकाय का दर्जा

2901. **श्री रणजीत सिंह गायकवाड़ : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में अहमदाबाद आकाशवाणी केन्द्र गुजरात की सांस्कृतिक विरासत को अपने प्रसारण में शामिल करने में समस्याओं का सामना कर रहा है तथा गुजरात के मध्य और दक्षिण क्षेत्र उपेक्षित भी बने हुए हैं;

(ख) क्या सरकार को आकाशवाणी के बड़ौदा केन्द्र को, जो इस समय अहमदाबाद के लिए प्राइमरी चैनल कार्यक्रम प्रसारण केन्द्र है, स्वतंत्र निकाय का दर्जा देने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ?

(ग) यदि हां, तो इसकी प्रसारण क्षमता में वृद्धि करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) अहमदाबाद का वर्तमान 50 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर, सौराष्ट्र और कच्छ के पश्चिम भागों तथा पश्चिमी गुजरात के भागों को कवर नहीं करता। तथापि, अहमदाबाद के आकाशवाणी केन्द्र की शक्ति 200 किलोवाट तक बढ़ाने के साथ, जिसके मार्च, 1989 से पूर्व चालू हो जाने की परिकल्पना है, सौराष्ट्र तथा कच्छ की कवरेज में सुधार होगा तथा गुजरात के शेष सभी भागों को सेवा उपलब्ध हो जाएगी।

सातवीं योजना में गुजरात के गोधरा, सूरत और अहवा में नये रेडियो स्टेशन स्थापित करना शामिल है।

(ख) अभी हाल में ऐसा कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) आकाशवाणी, बड़ौदा पहले ही आकाशवाणी, अहमदाबाद के लिए कार्यक्रम निर्माण केन्द्र है और यह आकाशवाणी, अहमदाबाद के साथ मुख्य स्टेशन के रूप में वाणिज्यिक प्रसारण केन्द्र भी है। यह विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के लिए बड़ौदा में उपलब्ध प्रतिभा का उपयोग करता है। अतः आकाशवाणी बड़ौदा को स्वतंत्र केन्द्र के रूप में बदलने का कोई औचित्य नहीं है।

टेलीफोन बिलों की बकाया राशि

2902. **डा० ए० के० पटेल :** क्या संचार मंत्री टेलीफोन बिलों की बकाया राशि के बारे में 22 मार्च, 1988 के अतारांकित प्रश्न सं० 4317 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि 31 दिसम्बर, 1987 को प्रत्येक भूतपूर्व संसद सदस्य, भूतपूर्व मंत्री, भूतपूर्व राज्यपाल और वे केन्द्रीय/राज्य स्तरों पर निर्वाचन आयोग से मान्यता प्राप्त प्रत्येक राजनैतिक दल की ओर टेलीफोन बिलों की कितनी धनराशि बकाया थी ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दूरदर्शन को विज्ञापनों से आय और विज्ञापनों की शुल्क दरें तथा धारावाहिकों का प्रसारण करने के संबंध में मानदण्ड

2903. **डा० ए० के० पटेल :**

श्री ई० अय्यपु रेड्डी :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरदर्शन को गत तीन वर्षों के दौरान चालू वर्ष में और विज्ञापनों से, विशेष रूप से दूरदर्शन धारावाहिक "रामायण" के प्रसारण से तत्काल पहले और बाद में दिखाए जाने वाले विज्ञापनों से कितनी आय हुई;

(ख) विभिन्न प्रसारण समय पर प्रसारित किए जाने वाले विज्ञापनों की अधिकतम और न्यूनतम शुल्क दरें क्या हैं; और

(ग) किसी धारावाहिक के प्रसारित किए जाने के संबंध में क्या मानदंड है, उसकी स्वीकृति की प्रक्रिया क्या है और उनके प्रसारण की शुल्क दरें क्या हैं ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) दूरदर्शन पर स्पाट विज्ञापनों और प्रायोजित कार्यक्रमों के टेलीकास्ट से एकत्रित सकल राजस्व के वर्ष-वार आंकड़े निम्नलिखित हैं :--

1985-86	60.20 करोड़ रुपये
1986-87	98.32 करोड़ रुपये
1987-88	136.29 करोड़ रुपये
1988-89	54.14 करोड़ रुपये

"रामायण" धारावाहिक की 78 कड़ियों सहित स्पाट विज्ञापनों के टेलीकास्ट से अर्जित सकल राशि 24.40 करोड़ रुपये बनी। इसके अतिरिक्त, प्रायोजित प्रभार के रूप में 1.35 रुपये की सकल राशि अर्जित हुई।

(ख) राष्ट्रीय नेटवर्क पर 10 सेकण्ड के स्पाट विज्ञापनों के टेलीकास्ट के लिए अधिकतम तथा न्यूनतम दर क्रमशः 80,000 रुपये और 15,000 रुपये है।

(ग) किसी धारावाहिक के टेलीकास्ट के लिए ये मानदण्ड है कि इससे मौलिक सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों को, सभी धर्मों के प्रति समान आदर को, हिंसा के बहिष्कार की भावना आदि को बल मिलना चाहिए। इससे समृद्ध सांस्कृतिक विविधता चित्रित होनी चाहिए और बढ़ती हुई पीढ़ियों

में सही नैतिक मूल्य, दृष्टिकोण और आदर्श उत्पन्न होने चाहिए। उनमें मनोरंजन भी होना चाहिए। प्रायोजित धारावाहिकों के सभी प्रस्ताव सरकारी तथा गैर सदस्यों की एक चयन समिति द्वारा स्वीकृत किए जाते हैं। प्रायोजित धारावाहिकों दरें भिन्न-भिन्न होती हैं और ये कार्यक्रमों के समय स्लाट तथा अवधि के अनुसार नियत की जाती हैं।

घरेलू और वाणिज्यिक उपयोग के लिए रसोई गैस का मूल्य

2904. **डा० ए० के० पटेल : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) घरेलू और वाणिज्यिक उपयोग के लिए रसोई गैस की सप्लाई हेतु मूल्य संबंधी नीति क्या है;

(ख) क्या मूल्य में विभिन्नता से कुछ कदाचारों को बढ़ावा मिला है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में किए गए उपचारात्मक उपायों का ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम निकले ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) घरेलू उपयोग के लिए प्रयोग की जाने वाली एल० पी० जी० कीमत के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है, ताकि उपभोक्ता उस मिट्टी के तेल का उपयोग न कर पाएं जिसका समाज के नाजुक वर्गों के द्वारा रोशनी करने और खाना पकाने के कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। दूसरी ओर गैस घरेलू कार्यों या औद्योगिक कार्यों के लिए एल० पी० जी० के प्रयोग के संबंध में कोई आर्थिक सहायता नहीं दी जाती।

(ख) और (ग) हेराफेरी को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

1. गैर-घरेलू प्रयोग के सिलिण्डरों पर रंगीन पट्टी बनाना।
2. गैर-घरेलू उपभोक्ताओं का निर्धारण।
3. जहां कहीं सम्भव हो गैर-घरेलू उपयोग के लिए अलग आकार के सिलिण्डर सप्लाई करना।
4. घरेलू तथा गैर-घरेलू उपभोक्ताओं के संबंध में डीलर स्तर पर अगल रजिस्टर रखना।
5. डीलरों द्वारा घरेलू और गैर-घरेलू सिलिण्डरों के लिए अलग-अलग मांग प्रस्तुत करना।
6. प्रत्येक क्षेत्र अधिकारी द्वारा गैर-उपभोक्ताओं की पर्याप्त मात्रा में जांच।
7. तरलीकृत पेट्रोलियम गैस सप्लाई का (विनियमन और वितरण) आदेश, 1988 का प्रख्यापन।

अभी तक उठाए गए इन कदमों के अच्छे परिणाम निकले हैं।

कर्नाटक में लघु बिजलीघर के लिए बेल्जियम की सहायता

2905. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : क्या ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेल्जियम की कम्पनियों ने कर्नाटक में 100 एम० डब्ल्यू० की क्षमता वाले लघु बिजलीघरों की स्थापना के क्षेत्र में सहयोग करने की इच्छा प्रकट की है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का, कर्नाटक में लघु बिजलीघर स्थापित करने के लिए सहायता प्राप्त करने हेतु बेल्जियम की कंपनियों से इस बारे में बातचीत करने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) कर्नाटक के मिनी विद्युत केन्द्रों से संबंधित कार्यक्षेत्र ने सहयोग किए जाने के बारे में बेल्जियम सरकार से ऋण के बारे में अथवा कर्नाटक सरकार से कोई प्रस्ताव/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

मारुति वाहनों का उत्पादन

2906. **श्री सोमनाथ रथ :**
श्री सी० के० कुप्पुस्वामी :

क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मारुति उद्योग लि० द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने वाहनों का उत्पादन किया गया;

(ख) उपरोक्त अवधि में देश में कितने वाहनों की बिक्री की गई; और

(ग) सातवीं योजनावधि के अन्त तक विभिन्न प्रकार की कारों/वेनों की कितनी अनुमानित क्षमता प्राप्त किये जाने की संभावना है ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) और (ख) मारुति उद्योग लिमिटेड द्वारा पिछले तीन वर्षों में निर्मित और बेचे गये वाहनों की संख्या निम्न प्रकार है :—

वर्ष	उत्पादन (वाहनों की संख्या)	बिक्री (निर्यात को छोड़कर)
1985-86	51,580	47,694
1986-87	80,150	82,103
1987-88	92,630	93,320

(ग) सातवीं योजना अवधि (1989-90) के अन्त तक 70,000 कारों, 30,000 ओमनियों और 10,000 जिप्सियों के मारुति वाहनों के निर्माण का अनुमान है ।

विदेशी सहयोग से "डिमोंस्ट्रेटिव पावर प्लांट" की स्थापना

2987. **श्रीमती बसवराजेश्वरी :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समेकित गैसीकरण पर आधारित संयुक्त चक्रीय प्रणाली का अध्ययन करने के लिए गठित किए गए सशक्त तकनीकी दल ने विदेशी सहयोग से 150 मेगावाट क्षमता का "डिमोंस्ट्रेटिव पावर प्लांट" स्थापित किए जाने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो क्या तकनीकी दल ने यह कहा है कि ग्रेट ब्रिटेन, जापान, अमरीका तथा पश्चिम जर्मनी सहित कुछ देशों ने प्रौद्योगिकी को लाभ का साधन बना लिया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने तकनीकी दल की सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं; और

(घ) यदि हां, तो वे किस सीमा तक स्वीकार की गई हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) बिजली के उत्पादन के लिए कोयला गैसीकरण प्रौद्योगिकी का मूल्यांकन करने के लिए गठित विशेषज्ञ दल ने कुछ देशों का दौरा किया और उच्च राख युक्त भारतीय कोयला पर आधारित एक आई० जी० सी० सी० 100-120 मे० वा० क्षमता के प्रदर्शन संयंत्र (डेमोन्सट्रेशन प्लांट) को स्थापित करने की सिफारिश की।

(ख) विभिन्न देशों ने, जिनमें यू० के०, जापान, अमेरिका और संघीय जर्मन गणराज्य भी शामिल हैं, समेकित गैसीकरण पर आधारित संयुक्त चक्रीय प्रणाली का परीक्षण किया है ताकि इस प्रौद्योगिकी का वाणिज्यिक रूप में उपयोग किया जा सके।

(ग) और (घ) इस दल ने अपनी सिफारिशों में अन्य बातों के साथ-साथ प्रयोगशाला स्केल परीक्षण के लिए कोयले का चयन, प्रयोगशाला परीक्षणों पर आधारित उपयुक्त प्रौद्योगिकी की चयन, देश की अनुसंधान प्रयोगशालाओं के उच्च राख युक्त कोयले का परीक्षण, तथा एक प्रौद्योगिकी आर्थिक साध्यता रिपोर्ट निर्मित करने के लिए परीक्षणों के परिणामों के मूल्यांकन किए जाने का सुझाव दिया। यह सुझाव स्वीकृत कर लिए गए हैं।

कोयला खनन परियोजनाओं के लिए फ्रांस में सहायता

2908. **श्रीमती बसवराजेश्वरी :**
डा० कृपा सिंधु भोई :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फ्रांस भारतीय कोयला खनन उद्योग के विकास हेतु सहायता देने के लिए सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह ग्यारह कोयला खनन परियोजनाओं हेतु सहायता उपलब्ध कराने के लिए सहमत हो गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई समझौता हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) मोटी कोयला सीमों के समन्वेषण के लिए फ्रांसिसी प्रौद्योगिकी अपनाए जाने के संभावित सहयोग के लिए वर्ष 1984-85 में भारत और फ्रांस के बीच ग्यारह कोयला खनन परियोजनाओं को संयुक्त रूप से निर्दिष्ट किया गया था। प्रत्येक परियोजना के लिए अलग-अलग संविदाएं की गई हैं और फ्रांसिसी उपकरण आर सेवाओं की कीमत को भारत को फ्रांस से प्राप्त वित्तीय सहायता के अंतर्गत शामिल किया जाना है।

(ग) और (घ) अभी तक चार परियोजनाओं के लिए संविदाएं सम्पन्न हुई हैं। यह परियोजनाएं हैं—भारत कोकिंग कोल लि० की पूर्वी (ईस्ट) कटरास (ब्लास्टिंग गैलरी), ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० की चोरा (ब्लास्टिंग गैलरी), भारत कोकिंग कोल लि० की पूर्वी कटरास (उप-स्तरीय केविंग) तथा सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि० की जो० डी० के०-10 (उप-स्तरीय केविंग)। इनमें 141.21 मिलियन फ्रेंच फ्रैंक्स की राशि का ऋण अन्तर्ग्रस्त है।

सीमेंट एककों को विश्व बैंक से सहायता

[हिन्दी]

2909. **श्री काली प्रसाद पांडेय : क्या उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक देश के सात सीमेंट एककों में गीले को सुखाने संबंधी प्रक्रिया को बदलने के लिए 20 करोड़ डालर की सहायता देने के लिए सहमत हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो इन सीमेंट एककों के नाम क्या हैं और प्रस्तावित विश्व बैंक सहायता के भुगतान और इस पर ब्याज के संबंध में किन शर्तों पर सहमति हुई है और तत्सम्बन्धी पूर्ण ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) विश्व बैंक ने भारतीय सीमेंट उद्योग के लिए वर्ष 1986 में 20 करोड़ डालर की स्वीकृति दी थी। इसमें से 16.50 करोड़ डालर भारत सरकार को प्रत्यक्ष ऋण है जिसमें से 16.35 करोड़ डालर आई० डी० बी० आई० तथा आई० सी० आई० सी० आई० को बराबर-बराबर भाग में भेजे जा रहे हैं। ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

(क) निम्नलिखित सीमेंट संयंत्रों को नम (वैट) से शुष्क प्रक्रिया (ड्राई प्रोसेस) में बदलना (आई० सी० आई० सी० आई० तथा आई० डी० बी० आई० के माध्यम से ऋण)

1. एसोसिएटिड सीमेंट कं० लि०, मधुक्कराइ, तमिलनाडु।
2. एसोसिएटिड कं० लि०, शाहबाद, कर्नाटक (तथा) प्रशिक्षण व तकनीकी सहायता।
3. इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड, शंकर नगर, तमिलनाडु।
4. बिरला जूट एण्ड इण्डस्ट्रीज, सतना, मध्य प्रदेश।
5. सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया, मांदर, मध्य प्रदेश।
6. के० सी० पी० लि०, मच्छेरला, आन्ध्र प्रदेश।
7. श्री दिग्वजय सीमेंट कं० लिमिटेड, सिक्का, गुजरात।

उपर्युक्त सात प्रस्तावों में से क्र० सं० 5 तथा 7 पर उल्लिखित एककों को छोड़ दिया गया है तथा विश्व बैंक ऋण को पूर्णतः प्रयुक्त करने के लिए आई० सी० आई० सी० आई० नई योजनाओं का पता लगा रही है।

(ख) भारत सरकार को दिए गए विश्व बैंक ऋण के 15 लाख डालर सीमेंट मैन्यु-फैक्चरर्स एसोसिऐशन के माध्यम से क्षेत्रीय स्तर पर अध्ययन कराने तथा तकनीकी सहायता देने के लिए अनुदान के रूप में आई० सी० आई० सी० आई० को भेजे जा रहे हैं।

(ग) बैंक ने आधुनिकीकरण, पुनरुत्थापन, ऊर्जा संरक्षण उत्पादकता में वृद्धि, पर्यावरण नियंत्रण तथा विद्यमान सीमेंट संयंत्रों पर उपायों को संतुलित करने, सीमेंट की विपणन व वितरण प्रणाली में सुधार तथा विकास और कार्य संचालन व प्रबन्ध सुधार के लिए तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने के लिए वित्त देने हेतु आई० सी० आई० सी० आई० को 358 लाख डालर प्रत्यक्ष ऋण भी दिया है, जिसके साथ भारत सरकार की गारंटी है।

भारत सरकार (16.50 करोड़ डालर) और आई० सी० आई० सी० आई० (3.50 करोड़ डालर) पर विश्व बैंक के ऋण पर परिवर्तकीय ब्याज दर है जिसे हर छः महीनों (वर्तमान में 1-7.1988 से 31-12-1988 तक की अवधि के लिए 7.59 प्रतिशत वार्षिक) में संशोधित किया जाता है तथा इसकी अदायगी 20 वर्ष में होगी। भारत सरकार ऋणों के अदायगी पर विदेशी मुद्रा के दायित्व का वहन करेगी।

आई० सी० आई० सी० आई०/आई० डी० बी० आई० प्राप्त ऋण को रुपया ऋणों पर अपनी मानक दरों पर, जो कि वर्तमान में 14 प्रतिशत है, उप-उधारकर्त्ताओं को देंगे, जिसे पुनः अदा करने की अवधि 13 वर्ष से अधिक नहीं होगी। आई० सी० आई० सी० आई० को मिले 3.50 करोड़ डालर के ऋण में से दिए जाने वाले ऋण उप-उधारकर्त्ताओं द्वारा 7 से 10 वर्ष के भीतर अदा किए जायेंगे।

ग्रुप डायलिंग प्रणाली लागू करना

[अनुवाद]

2910. **प्रो० नारायण चन्द पाराशर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में ग्रुप डायलिंग प्रणाली उत्तरोत्तर लागू की जा रही है;

(ख) यदि हां तो सर्किल-वार उन सेकेंडरी क्षेत्री के नाम क्या हैं जहां 1 जुलाई, 1998 को इस प्रणाली को लागू कर दिया गया है;

(ग) उन क्षेत्रों के नाम क्या हैं, जहां इसे चालू वर्ष के अंत तक और वर्ष 1989-90 में लागू करने का विचार है; और

(घ) किस तारीख तक यह कार्यक्रम समूचे देश में लागू हो जायेगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी हां, 18 सर्किलों में से 10 में शुरू की गई है।

(ख) संलग्न विवरण-1 में दिए गए विवरण के अनुसार सैकेण्डरी स्विचन क्षेत्रों में आंशिक रूप से शुरू की गई है।

(ग) संलग्न विवरण-2 में दिए गए विवरण के अनुसार सैकेण्डरी स्विचन क्षेत्रों में आंशिक रूप से शुरू करने की संभावना है।

(घ) एस० डी० डी० शुरू करने से पूर्व ग्रुप डायलिंग एक अंतरिम उपाय है। सम्पूर्ण देश को ग्रुप डायलिंग योजना के अंतर्गत लाने के लिए कोई विशिष्ट कार्यक्रम नहीं है।

विवरण-1

ऐसे सैकेण्डरी स्विचन क्षेत्र जहां ग्रुप डायलिंग पहले से ही शुरू की जा चुकी है :

क्रम सं०	सर्किल का नाम	सेकेंडरी स्विचन क्षेत्र
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	चित्तूर, पूर्व गोदावरी, गुन्टूर, कृष्णा, ओंगले, वारांगल, पश्चिम गोदावरी,
2.	बिहार	धनबाद, भागलपुर
3.	गुजरात	जूनागढ़
4.	जम्मू व कश्मीर	एन/ए
5.	कर्नाटक	बेलगाम, चित्रदुर्गा, दक्षिण कन्नूर
6.	केरल	त्रिवेन्द्रम, क्युलॉन, पथानमथिट्टा, एलेप्पो, कोट्टायम, एर्नाकुलम, त्रिचूर, पालघाट, कालीकट तथा कन्नानोर
7.	मध्य प्रदेश	धार, बिलासपुर, छिन्दवाड़ा, जबलपुर, मुरैना, इटारसी
8.	महाराष्ट्र	अहमद नगर, गोवा, कल्याण, संगली जिला
9.	उत्तर पूर्व	मणिपुर
10.	असम	डिब्रूगढ़, सिलचर
11.	हरियाणा	रोहतक
12.	हिमाचल प्रदेश	एन/ए

1	2	3
13.	पंजाब	भटिंडा, पठानकोट, फिरोजपुर, मोगा, चण्डीगढ़, लुधियाना
14.	उड़ीसा	कटक, धेनकाल, कोरापुट, पुरी, सम्बलपुर
15.	राजस्थान	अल्वर, श्रीगंगानगर
16.	तमिलनाडु	चिंगलीपेट, कोयम्बटूर, कुनुर, कुडालोर, कारैकुडी, मदुरै, नागरकोईल, पांडिचेरी, सलेम, तंजौर, तिरूनेलवेली, त्रिची, टूटीकोरिन, वेल्लोर, विद्यानगर, इरोड
17.	उत्तर प्रदेश	गाजियाबाद, मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर
18.	पश्चिम बंगाल	आसनसोल (कोल बेल्ट एरिया)

विवरण-2

ऐसे क्षेत्र जहां 1988-89 और 1989-90 के दौरान ग्रुप डायलिंग शुरू किए जाने की सम्भावना है

क्रम सं०	सर्किल का नाम	1988-89	1989-90
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	मेडक, महबूबनगर, नालगोंडा, आदिलाबाद, अनंतापुर, चित्तूर, पश्चिम गोदावरी, कृष्णा, पूर्व गोदावरी और खम्माम (आंशिक रूप से)	आदिलाबाद, अनंतपुर, चित्तूर, पूर्व गोदावरी, कुरनूल, कृष्णा, खम्माम, मेडक, महबूबनगर, नालगोंडा, विशाखापट्टनम तथा पश्चिम गोदावरी (पूरा हो गया)
2.	बिहार	मुजफ्फर, दरभंगा	भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और गया

1	2	3	4
3.	गुजरात	अमरेली, जूनागढ़, सुरेन्द्रनगर, सूरत, बलसार, बड़ोदा (आंशिक रूप से)	अमरेली, जूनागढ़, सुरेन्द्रनगर, सूरत, बलसार, बड़ोदा (पूरा हो गया है)
4.	जम्मू व कश्मीर	कथुआ	जम्मू, उधमपुर, राजौरी, अनन्तनाग, बारामुल्ला, श्रीनगर
5.	कर्नाटक	बीजापुर, बिल्लारी, बेलगांव, चिकमंगलूर, चित्रदुर्गा, दक्षिण कन्नड़, गुलबर्गा, हुबली, मादीकेरी, मइसूर, शिमोगा, तुमकूर, उत्तरा कन्नड़ (आंशिक रूप से)	बीजापुर, बिल्लारी, चिकमंगलूर, चित्रदुर्गा, दक्षिण कन्नड़, गुलबर्गा, हुबली, हासन, मादीकेरी, शिमोगा, तुमकूर, उत्तरा कन्नड़, (पूरा हो गया है)
6.	केरल	त्रिवेन्द्रम, क्युलॉन, पथनमथिट्टा, एलेप्पी, कोट्टयम, एर्नाकुलम, त्रिचूल, पालघाट, कालीकट, कन्नानौर, (सभी 10 सैकेंडरी स्विचन क्षेत्रों उत्तरोत्तर कार्य चल रहा है)	त्रिवेन्द्रम, क्युलॉन, पथनमथिट्टा, एलेप्पी, कोट्टयम, एर्नाकुलम, त्रिचूल, पालघाट, कालीकट, कन्नानौर, (पूरा हो गया है)
7.	मध्य प्रदेश	अंबिकापुर, बालाघाट, बैतूल, गुना, खारगोने, मंडला, शाजापुर, शिवपुरी, सैकेन्डरी स्विचन क्षेत्र	उज्जैन, ग्वालियर, रायपुर, इंदौर, भोपाल, विदिशा, खंडवा, देवास, मंदसौर, नर्सिंगपुर, सिवनी, सागर, दमोह, दुर्ग, राजनंदगांव, रायगढ़, शहडोल, सतना, रीवा, जगदलपुर, पन्ना, रायसेन, राजगढ़, सीधी
8.	महाराष्ट्र	अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं है	अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं है
9.	उत्तर पूर्व	मेघालय, गार्वोबाड़ा, रौंग्राम, शिलांग, नागस्टाइन, मोरैंग, नागालैंड, गासपनी, दीमापुर, चुमुकदीमा (आंशिक रूप से)	मेघालय, गार्वोबाड़ा, रौंग्राम, शिलांग, नागस्टाइन, मोरैंग, नागालैंड, गासपनी, दीमापुर, चुमुकदीमा (पूरा हो गया है)

1	2	3	4
10.	असम	अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं है।	अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं है।
11.	हरियाणा	इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है। योजना तैयार की जा रही है।	इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है। योजनाएं बनाई जा रही हैं।
12.	हिमाचल प्रदेश	हमीरपुर, बिलासपुर, कुल्लु, चम्बा, नहान, उना (आंशिक रूप से)	हमीरपुर, बिलासपुर, कुल्लु, चम्बा, नहान, उना (पूरा ही गया है)
13.	पंजाब	अमृतसर, पटियाला, संगरूर, जालंधर, चंडीगढ़, लुधियाना (आंशिक रूप से)	अमृतसर, पटियाला, संगरूर, जालंधर, चंडीगढ़, लुधियाना (पूरा हो गया है)
14.	उड़ीसा	पुरी, गंजाम (आंशिक रूप से)	पुरी, गंजाम (पूरा हो गया है) तथा कटक
15.	राजस्थान	सिरोही, पाली, सैकेंडरी स्विचन क्षेत्र	टोंक, सीकर, झालावाड़, सवाई माधोपुर, बूंदी, बांसवाड़ा, बाड़मेर
16.	तमिलनाडु	कोई प्रस्ताव नहीं	धरमपुरी, सैकेंडरी स्विचन क्षेत्र
17.	उत्तर प्रदेश	मथुरा	नैनीताल
18.	पश्चिम बंगाल	कोई प्रस्ताव नहीं	अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं।

वर्षाकाल के दौरान टेलीफोन सेवा में गड़बड़ी

2911. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्षाकाल के दौरान दूरसंचार सेवाओं में भारी पैमाने पर उपकरणों की खराबी को रोकने के लिए दूरसंचार विभाग द्वारा कोई अग्रिम कार्यवाही की जाती है;

(ख) यदि हां तो वर्ष 1988-89 में वर्षाकाल से पहले किस किस्म की कार्यवाही की गई है और जुलाई, 1988 में दिल्ली तथा देश के अन्य शहरी क्षेत्रों में भारी संख्या में टेलीफोनों के बन्द होने अथवा खराब होने के क्या कारण हैं और इस सेवा को फिर से संतोषजनक ढंग से लागू करने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किये गये हैं;

(ग) क्या इस स्थिति से बचने के लिये व्यापक कदम भी उठाये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी हां, प्रतिवर्ष अग्रिम कार्रवाई की जाती है।

(ख) सामान्य तौर पर 1988-89 के दौरान भी मानसून आने से पहले निम्नलिखित एहतियातें बरती गई :—

(एक) महत्वपूर्ण रूटों पर बिना पूर्व सूचना के की गई खुदाई को देखने के लिए गश्त।

(दो) एक्सचेन्ज भवन को पानी के रिसाव से रोकना।

(तीन) केबल चैम्बर में पानी न भरने देना तथापि, सभी एहतियातें बरतने के बावजूद, हमारी जानकारी के बिना अन्य उपयोगी सेवाओं द्वारा पहले केबलों को नुकसान पहुंचाया जिससे क्षतिग्रस्त केबलों के अन्दर वर्षा को पानी भरने के कारण खराबियां पैदा होती हैं।

(ग) जी हां, इस स्थिति से बचाने के लिए व्यापक कदम उठाए गए हैं।

(घ) केबलों को नुकसान से बचाने के लिए डक्टों में उच्च क्षमता के महत्वपूर्ण केबल बिछाए गए। अन्तः उपयोगी सेवाओं के बीच बैठकें आयोजित की गई ताकि केबलों के नुकसान को बचाने के लिए समन्वय स्थापित किया जा सके। महत्वपूर्ण भूमिगत केबलों को गैस द्वारा दबाया गया ताकि नुकसान का तुरन्त पता चल सके।

संसाधनों की कमी के कारण सभी केबलों में ये उपाय अपनाना संभव नहीं है।

महिला उद्यमियों के लिए सुविधा

2912. **श्रीमती वैजयन्ती माला बाली :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का महिला उद्यमियों को भूमि, ऋण आदि देने जैसे सुविधाएं प्रदान करने को उच्च प्राथमिकता देने का विचार है; और

(ख) पिछले दो वर्षों में महिला उद्यमियों द्वारा लघु उद्योग खोलने सम्बन्धी प्राप्त आवेदनों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इनमें से कितने आवेदनों का अब तक निपटान किया गया है और किस रूप में ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) राज्य और केन्द्र सरकारों द्वारा लघु उद्यमियों को भूमि और भवन, रियायती वित्त, दुर्लभ कच्चा माल तथा विपणन सहायता, इत्यादि जैसी अनेक सुविधाएं एवं प्रोत्साहन दिए जाते हैं। महिला उद्यमी भी यह सभी सुविधाएं पाने की पात्र हैं।

(ख) इस प्रकार की सूचना केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती।

आंध्र प्रदेश में गंगारेड्डी जिले में सरकारी क्षेत्र के उद्योग स्थापित करना

2913. **श्री एम० रघुमा रेड्डी : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार आंध्र प्रदेश के गंगारेड्डी जिले में नालगोंडा और इब्राहिम पटनम में सरकारी क्षेत्र के उद्योग स्थापित करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

आकाशवाणी समाचार विन्यास (फारमेट) संबंधी समिति

2914. **श्री एम० रघुमा रेड्डी : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार आकाशवाणी समाचार विन्यास में आमूल परिवर्तन का सुझाव देने हेतु एक समिति गठित करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) इस मामले पर 20 जुलाई, 1988 को हुई परामर्शदात्री समिति की बैठक के दौरान चर्चा हुई। यह निर्णय लिया गया था कि आकाशवाणी द्वारा प्रसारित कार्यक्रमों के फार्मेट और विषयवस्तु के मामले का जांच के लिए एक समिति गठित की जायेगी। समिति शीघ्र ही गठित की जायेगी।

सीमावर्ती क्षेत्रों में आकाशवाणी प्रसारण में सुधार लाने के लिए उपाय

2915. **श्री एम० रघुमा रेड्डी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सीमावर्ती क्षेत्रों में आकाशवाणी के कार्यक्रम स्पष्ट नहीं सुनाई देते हैं जबकि पड़ोसी देशों के प्रसारण आसानी से और स्पष्ट रूप से सुनाई देते हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार का देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में आकाशवाणी के प्रसारण में सुधार लाने और पड़ोसी देशों के रेडियो स्टेशनों के प्रसारण सुनाई न देना सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क)

सीमा के साथ लगने वाले कुछ क्षेत्रों में आकाशवाणी स्टेशनों के कमजोर संग्रहण के बारे में कतिपय शिकायतें रही हैं।

(ख) और (ग) सातवीं योजना के दौरान आकाशवाणी का सीमावर्ती क्षेत्रों को कवर करने के लिए कई रेडियो स्टेशन स्थापित करने तथा मीडियम वेव तथा शार्ट वेव ट्रांसमीटर की शक्ति भी बढ़ाने का प्रस्ताव है। इसके अलावा कुछ सीमावर्ती राज्यों जहां शार्ट वेव सेवा उपलब्ध नहीं हैं, वहां शार्ट वेव ट्रांसमीटर भी लगाए जाने हैं। ब्यौरा संलग्न विवरण-1 और विवरण-2 में देखा जा सकता है।

विवरण-1

सातवीं योजना (1985-90) में शामिल किए गए उन नए रेडियो स्टेशनों की सूची जो देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में कवरेज उपलब्ध कराएंगे।

क्रम संख्या	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	स्थान	स्कीम
1	2	3	4
1.	असम	धुबरी	2 × 3 किलोवाट ट्रांसमीटर मीडियम शक्ति ट्रांसमीटर आदि (स्थानीय)
2.	हिमाचल प्रदेश	किन्नौर	1 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर (बिना स्टूडियो सुविधाओं के)
3.	जम्मू और कश्मीर	कारगिल	1 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर, मीडियम शक्ति स्टूडियो आदि।
4.	जम्मू और कश्मीर	पुंछ	2×3 किलोवाट एफ० एम० ट्रांसमीटर, मीडियम शक्ति ट्रांसमीटर (स्थानीय)
5.	जम्मू और कश्मीर	कठुआ	2×3 किलोवाट एफ० एम० ट्रांसमीटर मीडियम वेव स्टूडियो (स्थानीय)
6.	मणिपुर	चुराचांरपुर	2 × 3 किलोवाट एफ० एम० ट्रांसमीटर मीडियम शक्ति स्टूडियो आदि (स्थानीय)
7.	पंजाब	भटिंडा	2 × 3 किलोवाट एफ० एम० ट्रांसमीटर मीडियम शक्ति स्टूडियो आदि (स्थानीय)
8.	राजस्थान	बाड़मेर	2 × 10 किलोवाट मीडियम वाट ट्रांसमीटर, मीडियम शक्ति
9.	राजस्थान	जेसलमेर	2×5 किलोवाट एफ० एम० ट्रांसमीटर टाईप I (आर) स्टूडियो इत्यादि

1	2	3	4
10.	तमिलनाडु	तूतीकोरीन	2×100 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर टाईप 1 (आर) स्टूडियो इत्यादि
11.	त्रिपुरा	कैलाशहर	2×3 किलोवाट एफ० एम० ट्रांसमीटर एम० पी० स्टूडियो इत्यादि (स्थानीय)
12.	त्रिपुरा	बेलोनिया	2×3 किलोवाट एफ० एम० ट्रांसमीटर एम० पी० स्टूडियो इत्यादि (स्थानीय)
13.	उत्तर प्रदेश	चमोली	1 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर एम० पी० स्टूडियो इत्यादि
14.	उत्तर प्रदेश	पौढ़ी/श्रीनगर	1 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर एम० पी० स्टूडियो इत्यादि
15.	उत्तर प्रदेश	पिथौरागढ़	1 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर (स्टूडियो सुविधाओं बिना)
16.	उत्तर प्रदेश	उत्तरकाशी	1 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर (स्टूडियो सुविधाओं बिना)
17.	पश्चिम बंगाल	मुर्शिदाबाद	2×3 किलोवाट एफ० एम० ट्रांसमीटर एम० पी० स्टूडियो इत्यादि (स्थानीय)
18.	मिजोरम	लुंगलेह	2×3 किलोवाट एफ० एम० ट्रांसमीटर एम० पी० स्टूडियो इत्यादि।

विवरण-2

सातवीं योजना (1985-90) की स्कीमें, जिनसे सीमावर्ती क्षेत्रों में भी कवरेज उपलब्ध होगा

क्रम संख्या	राज्य	स्थान	स्कीम
1	2	3	4
1.	असम	गुवाहाटी	50 किलोवाट शार्ट वेव ट्रांसमीटर से 10 किलोवाट शार्ट वेव ट्रांसमीटर को बदलना

1 2	3	4
2. गुजरात	अहमदाबाद	200 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर से 50 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर को बदलना
3. हिमाचल प्रदेश	शिमला	50 किलोवाट शार्टवेव ट्रांसमीटर से 2.5 किलोवाट शार्टवेव ट्रांसमीटर को बदलना
4. जम्मू और कश्मीर	श्रीनगर	50 किलोवाट शार्टवेव ट्रांसमीटर से 7.5 किलोवाट शार्टवेव ट्रांसमीटर को बदलना
	जम्मू	50 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर की शक्ति को 300 किलोवाट मीडियम वेव तक बढ़ाना
	लेह	10 किलोवाट शार्टवेव ट्रांसमीटर का प्रावधान
5. मणिपुर	इम्फाल	50 किलोवाट शार्टवेव/वेव ट्रांसमीटर का प्रावधान
6. नागालैंड	कोहिमा	2 किलोवाट शार्टवेव की शक्ति के ट्रांसमीटर को 50 किलोवाट शार्टवेव तक बढ़ाना
7. पंजाब	जलंधर	50 किलोवाट मीडियम वेव की शक्ति के ट्रांसमीटर को 300 किलोवाट वेव तक बढ़ाना
8. राजस्थान	जयपुर	50 किलोवाट शार्टवेव ट्रांसमीटर का प्रावधान
	बीकानेर	10 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर को 20 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर से बदलना
	सूरतगढ़	20 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर की शक्ति को 300 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर तक बढ़ाना
9. सिक्किम	गंगटोक	10 किलोवाट शार्टवेव ट्रांसमीटर का प्रावधान

1	2	3	4
10.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	10 किलोवाट शार्टवेव ट्रांसमीटर को 50 किलोवाट शार्टवेव ट्रांसमीटर से बदलना
		गोरखपुर	50 किलोवाट शार्टवेव ट्रांसमीटर का प्रावधान
11.	पश्चिम बंगाल	कलकत्ता	(i) मौजूदा 10 किलोवाट शार्टवेव ट्रांसमीटर को 50 किलोवाट शार्टवेव ट्रांसमीटर से बदलना (ii) 50 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर को 100 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर से बदलना
		कुर्सियांग	मौजूदा 20 किलोवाट शार्टवेव ट्रांसमीटर को 50 किलोवाट शार्टवेव ट्रांसमीटर से बदलना
12.	अरुणाचल प्रदेश	पासीघाट	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर की शक्ति को 10 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीठर तक बढ़ाना
		तेजु	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर की शक्ति को 10 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर तक बढ़ाना
		तवांग	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर की शक्ति को 10 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर तक बढ़ाना
		इटानगर	50 किलोवाट शार्टवेव ट्रांसमीटर का प्रावधान
			एक किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर की शक्ति को 100 किलोवाट मीडियम वेव तक बढ़ाना
13.	मेघालय	शिलांग	आई० एन० ई० एस० के लिए 50 किलोवाट शार्टवेव ट्रांसमीटर का प्रावधान।

आंध्र प्रदेश में टेलीफोन कनेक्शन

2916. श्री एम० रघुमा रेड्डी :
श्री सी० माधव रेड्डी :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश के विभिन्न शहरों में टेलीफोन कनेक्शन हेतु बड़ी संख्या में लोगों ने आवेदन किया है;

(ख) यदि हां, तो आंध्र प्रदेश में पिछले तीन वर्षों के दौरान टेलीफोन कनेक्शन हेतु सभी टेलीफोन केन्द्रों में वर्ष-वार कितने व्यक्तियों ने आवेदन किया है;

(ग) राज्य के प्रत्येक टेलीफोन केन्द्र में 31 जुलाई, 1988 को कितने आवेदक प्रतीक्षा-सूची में थे; और

(घ) क्या सरकार का विचार आंध्र प्रदेश में टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची में दर्ज सभी आवेदकों को कनेक्शन देने के लिए कोई योजना बनाने का है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, हां।

(ख) आंध्र प्रदेश के सभी एक्सचेंजों में वर्ष 1985-86, 86-87 और 87-88 के दौरान टेलीफोन कनेक्शनों के लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों की संख्या क्रमश: 33,865, 30,548 और 32,995 है।

(ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) सातवीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य के अनुसार नीचे लिखी तारीखों तक पंजीकृत औसतन सभी आवेदकों को सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त (31.3.1990) तक टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने का प्रस्ताव है :—

(एक) प्रमुख टेलीफोन जिलों में 30.9.86 तक पंजीकृत।

(दो) बड़े आकार के 12000 लाइनों से अधिक क्षमता वाले एक्सचेंजों में 1.4.87 तक पंजीकृत

(तीन) मध्यम आकार के 1200 और 2000 लाइनों की क्षमता वाले एक्सचेंजों में 1.4.88 तक पंजीकृत

(चार) छोटे आकार के 1200 लाइनों से कम क्षमता वाले एक्सचेंजों में 1.4.90 तक पंजीकृत।

शेष आवेदकों को आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान टेलीफोन कनेक्शन उत्तरोत्तर प्रदान किये जाएंगे।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा निर्यात

2917. श्री बक्कम पुरुषोत्तमन : क्या उद्योग मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी उद्यम विभाग के अधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए वर्ष 1987-88 के लिए निर्यात हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए थे;

(ख) उक्त वर्ष के दौरान इन उपक्रमों द्वारा कुल कितना निर्यात किया गया; और

(ग) क्या वास्तविक निर्यात लक्ष्य से अधिक हुआ है ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(लाख रुपये में)

क्रमांक	उपक्रम का नाम	1987-88	
		लक्ष्य	अनुमानित वास्तविक
1	2	3	4
1.	एण्ड्रयू यूल	185.47	91.46
2.	बी० एच० ई० एल०	39372.00	33700.00
3.	बी० एच० पी० वी०	793.00	1589.01
4.	बी० पी० सी० एल०	1626.47	795.13
5.	ब्रेथवेट	39.53	—
6.	बी० एस० सी० एल०	1997.90	732.39
7.	सी० सी० आई० एल०	50.00	—
8.	एच० सी० एल०	166.00	—
9.	एच० ई० सी०	1100.00	537.00
10.	एच० एम० टी०	3628.00	3272.00
11.	आई० एल० के०	1165.00	681.00
12.	जेसप	30.40	5.69
13.	लगन जूट	39.35	27.45
14.	एम० ए० एम० सी०	1267.00	1322.00
15.	एम० यू० एल०	—	346.64
16.	एन० बी० सी० आई० एल०	—	5.15
17.	एन० आई० एल०	10.00	—
18.	पी० टी० एल०	1054.29	1136.66

1	2	3	4
19.	आर० एण्ड सी०	338.00	521.00
20.	एस० आई० एल०	75.00	125.97
21.	टी० एस० एल०	35.56	621.51
22.	एच० पी० एफ०	67.50	7.19
23.	एच० एस० एल०	74.50	76.22
24.	बी० एण्ड आर०	469.95	186.00
25.	बी० एल० सी०	200.00	159.97
26.	एन० आई० डी० सी०	40.31	27.62
27.	ई० पी० आई०	—	561.00
	योग :	53825.23	46528.09

नोट :

1. आंकड़े अनन्तिम हैं।
2. आंकड़ों में माना गया निर्यात शामिल है।

नये फ्रीक्वेंसी माडुलेशन आकाशवाणी केन्द्रों की स्थापना

2918. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान देश में स्थापित किए जाने वाले फ्रीक्वेंसी माडुलेशन आकाशवाणी केन्द्रों का ब्योरा क्या है;

(ख) किन-किन वर्तमान आकाशवाणी केन्द्रों का फ्रीक्वेंसी माडुलेशन ट्रांसमीटरों को लगाकर दर्जा बढ़ाया जाएगा; और

(ग) वर्ष के दौरान स्थापित किए जाने वाले अन्य आकाशवाणी केन्द्रों का ब्योरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान (1988-89) देश में अलवर, भटिण्डा, मुर्शिदाबाद, रायगढ़, खण्डवा, छिन्दवाड़ा, बालघाट, बीड़, बैतूल, पटियाला, कठुवा, बारीपाड़ा, शिवपुरी, शहडोल, कोट्टागुडम में 2×3 किलोवाट एफ० एम० ट्रांसमीटर के साथ तथा वगरंल में 2×5 किलोवाट एफ० एम० ट्रांसमीटर के साथ नये रेडियो स्टेशन स्थापित करने का प्रस्ताव है।

(ख) वर्तमान विविध भारती मीडियम वेव रेडियो स्टेशनों अर्थात् नागपुर में 2×3 किलोवाट एफ० एम० ट्रांसमीटर तथा पटना, भोपाल, इन्दौर, पुणे और हैदराबाद में 3 किलोवाट एफ० एम० ट्रांसमीटर स्थापित करके उनका दर्जा बढ़ाया जाएगा।

(ग) चालू वर्ष के दौरान जिन तीन नये मीडियमवेव रेडियो स्टेशनों को स्थापित करने का प्रस्ताव है वे इस प्रकार हैं :—

(1) आगरा में 10 किलोवाट मी० वे० ट्रांसमीटर

(2) जमशेदपुर में 1 किलोवाट मी० वे० ट्रांसमीटर

(3) क्योंझर में 1 किलोवाट ट्रांसमीटर

रंगीन बहिरंग प्रसारण गाड़ियां (ओ० बी० वैन)

2919. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरदर्शन के पास इस समय कितनी रंगीन बहिरंग प्रसारण गाड़ियां (ओ० बी० वैन) उपलब्ध हैं;

(ख) इस समय ये गाड़ियां किन दूरदर्शन केन्द्रों को आबंटित की गई हैं;

(ग) क्या ऐसी रंगीन बहिरंग प्रसारण गाड़ियां और खरीदने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो कितनी तथा इन्हें किन केन्द्रों को आबंटित किया जाएगा ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) दूरदर्शन के पास फिलहाल 10 रंगीन ओ० बी० वैन जो निम्नलिखित दूरदर्शन केन्द्रों को आबंटित हैं :—

1. दिल्ली	6. बंगलौर
2. बम्बई	7. हैदराबाद
3. कलकत्ता	8. लखनऊ
4. जालंधर	9. अहमदाबाद
5. मद्रास	10. गुवाहाटी

(ग) और (घ) जी हां। दूरदर्शन ने चार अतिरिक्त ओ० बी० वैनों अर्थात प्रत्येक दूरदर्शन केन्द्र जयपुर, भोपाल, पटना और भुवनेश्वर के लिए एक-एक की खरीद के आदेश दे दिए हैं।

बिहार में चन्द्रापुर ताप विद्युत केन्द्र में प्रदूषण

[हिन्दी]

2920. **श्री सरफराज अहमद :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दामोदर घाटी निगम द्वारा चलाया जा रहा चन्द्रापुर ताप विद्युत केन्द्र (बिहार) उक्त क्षेत्र में भारी पैमाने पर प्रदूषण पैदा कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रदूषण को रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) बिहार में स्थित अपने चन्द्रपुर ताप विद्युत केन्द्र में प्रदूषण निवारक उपायों को और सुदृढ़ करने की दृष्टि से दामोदर घाटी निगम ने केन्द्र के लिए बनाए गये नवीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्यक्रम में इलैक्ट्रोस्टेटिक प्रिसीपिटेटर्स की क्षमता में वृद्धि करने सम्बन्धी प्रस्ताव को शामिल किया है। उत्पादन कार्य पहले ही आरम्भ हो चुका है और सभी 6 यूनिटों में इस कार्य के अगस्त, 1991 तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है।

"महाभारत" धारावाहिक का दूरदर्शन से प्रसारण

[अनुवाद]

2921. **श्री ई० अय्यपू रेड्डी :**
श्री कमल चौधरी :
श्री बी० तुलसीराम :
श्री वक्कम पुरुषोत्तमन :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन धारावाहिक 'महाभारत' का दूरदर्शन से प्रसारण निश्चित किया गया है और इसके सभी भाग कब तक प्रसारित कर दिए जाएंगे;

(ख) क्या किसी तरह की आलोचना से बचने के लिये इस धारावाहिक के सभी भागों की ध्यानपूर्वक जांच कर ली गई है; और

(ग) क्या प्रत्येक भाग से पहले वाणिज्यिक विज्ञापन दिखाए जाएंगे जैसा कि दूरदर्शन धारावाहिक "रामायण" के सम्बन्ध में हुआ है यदि हां, तो ऐसे विज्ञापनों की अवधि कितनी होगी ?

संसदीय कार्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) "महाभारत" धारावाहिक के टेलिकास्ट के लिये अभी तारीख निश्चित नहीं की गई है। धारावाहिक की 52 कड़ियां स्वीकृति की गई हैं।

(ख) निर्माता ने सिवाय प्रायोगिक कड़ी के, जिसको कि अभी अंतिम स्वीकृति दी जानी है, दूरदर्शन को इस धारावाहिक की अन्य कड़ियां प्रस्तुत नहीं की हैं।

(ग) जी हां। ऐसे विज्ञापनों की अवधि विज्ञापनदाताओं द्वारा बुक किये गए विज्ञापनों की संख्या पर निर्भर करेगी।

प्रतिवर्ती प्रकार की पनबिजली इकाई की स्थापना

2922. **श्री प्रतापराव बी० भोसले** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बिजली पैदा करने के साथ-साथ पानी निकालने के यिए प्रतिवर्ती प्रकार की पनबिजली इकाई की स्थापना की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसकी स्थापना कहां की गई है तथा इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसी इकाइयां स्थापित करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, हां।

(ख) प्रतिवर्ती प्रकार की टर्बाइन व्यस्ततमकाल में विद्युत उत्पन्न करती है तथा प्रणाली में अतिरिक्त उपलब्ध विद्युत के साथ-साथ व्यस्ततमकाल के बन्द होने पर जल को जलाशय में वापिस निकालती है। महाराष्ट्र में पैथॉन (1 × 12 मेगावाट) की पम्पिंग भण्डार स्कीम प्रचालन के अधीन है। आन्ध्र प्रदेश में (7 × 100 मेगावाट) का नागार्जुन सागर परियोजना पर प्रतिवर्ती प्रकार की इकाइयां भी प्रतिष्ठापित की गई है। तथापि, वर्तमान में ये जल की अपर्याप्तता के कारण तथा टेल पूल बांध के अभाव में पारम्परिक रूप में प्रयोग की जा रही है।

(ग) जी, हां।

(घ) 2882 मेगावाट प्रतिष्ठापित क्षमता वाली 6 स्कीमें निर्माणाधीन हैं तथा 3 स्कीमों को अनुमोदन के लिए रखा गया है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

फैक्स मशीन सुविधा

2923. **श्री प्रताप राव बी० भोसले** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड ने फैक्स मशीन का विकास किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सुविधा राज्यों तथा संघ क्षेत्रों के संचार नेटवर्क में भी उपलब्ध है;

(घ) यदि हां तो इन मशीनों को प्राप्त करने के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं; और

(ङ) इन मशीनों से क्या लाभ हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) एफ० ए० एक्स० मशीनें लगाकर पूरे देश में सार्वजनिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क और प्वाइंट-टू प्वाईट लीज्ड सर्किटों पर प्रतिकृति सुविधा प्राप्त की जा सकती है।

(घ) अपेक्षित अनुमति लेकर तथा निर्धारित लाइसेंस शुल्क का भुगतान करके, सी० सी० आई० टी० टी० ग्रुप III की सिफारिशों के अनुरूप तथा दूरसंचार विभाग द्वारा अनुमोदित प्रतिकृति मशीनों का प्रयोग टेलीफोन लाइनों पर किया जा सकता है। ये मशीनें उपभोक्ताओं को स्वयं प्राप्त करनी होंगी।

(ङ) इस मशीन द्वारा ए 4 आकार का एक दस्तावेज लगभग एक मिनट में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जा सकता है ।

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड दिल्ली के कर्मचारीयों को मकानों का आबंटन

[हिन्दी]

2924. **श्री मानवेन्द्र सिंह :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरसंचार विभाग के अधीन महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, दिल्ली और केन्द्रीय तारघर, नई दिल्ली के कर्मचारियों के लिए वर्ष 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के दौरान निर्माण किये जाने वाले प्रस्तावित आवासों की संख्या का श्रेणीवार ब्योरा क्या है;

(ख) इन दोनों कार्यालयों के कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिनके नाम इस समय मकानों के लिए प्रतीक्षा सूची में हैं; और

(ग) सभी कर्मचारियों को मकान कब तक दे दिये जायेंगे ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) नई दिल्ली में दूरसंचार विभागों (केन्द्रीय तार घर सहित) और दिल्ली महानगर टेलीफोन निगम के लिए निम्नलिखित स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण कराये जाने का प्रस्ताव है;

1988-89	टाइप—I के 84
	टाइप-II के 84
	टाइप-III के 14
1989-90	शून्य
1990-91	टाइप-II के 30
	टाइप-III के 60
	टाइप-Iv के 124
	टाइप V के 42

(ख) महानगर टेलीफोन निगम लि० दिल्ली में क्वार्टरों के लिए प्रतीक्षा सूची :

टाइप-I में 44

टाइप-II में 225

टाइप-III में 165

टाइप-Iv में 22

टाइव-v में 7

केन्द्रीय तारघर, नई दिल्ली

टाइप-I में 156

टाइप II में 293

टाइप-III में 204

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक कुल मिलाकर 20% कर्मचारियों को मकान देने का प्रस्ताव है लेकिन यह भूमि और निधि पर निर्भर करेगा।

लघु सीमेंट संयंत्रों की स्थापना

2925. **श्री चिन्तामणि जेना :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र में अब तक कितने सीमेंट संयंत्र स्थापित किये गये हैं और प्रत्येक संयंत्र की सीमेंट उत्पादन क्षमता क्या है;

(ख) कितने सीमेंट संयंत्र बंद हो चुके हैं और उनके बंद होने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने देश में लघु सीमेंट संयंत्र स्थापित करने के लिए भारी संख्या में लाइसेंस जारी किये हैं;

(घ) यदि हां, तो राज्यवार उनकी संख्या क्या है;

(ङ) क्या यह सच है कि सीमेंट संयंत्र अपने आस-पास के क्षेत्र में प्रदूषण फैलाने के लिए उत्तरदायी हैं; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण-1 में दी गयी है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान, बड़े सीमेंट संयंत्रों में से एक बिहार का सोन वैली पोर्टलैण्ड सीमेंट कम्पनी लिमिटेड, जापला सितम्बर, 1985 से बन्द पड़ा है। द्वारका सीमेंट वर्क्स और जयपुर उद्योग लि० जैसे अन्य सीमेंट संयंत्र बन्द रहे हैं और दुबारा चालू किये जाते रहे हैं। किन्तु अब जयपुर उद्योग लि० 1 जुलाई, 1988 से बन्द है। रोहतास इण्डस्ट्रीज लि० का सीमेंट कारखाना और श्री दिग्विजय सीमेंट कम्पनी लिमिटेड का सिवरी सीमेंट संयत्र 3 वर्षों से अधिक समय से बन्द पड़े हैं। ये संयंत्र मुख्यतया आन्तरिक वित्तीय और प्रबन्धकीय समस्याओं के कारण बन्द हुए हैं।

(ग) तथा (घ) जारी किये गये औद्योगिक लाइसेंसों के सम्बन्ध में अपेक्षित जानकारी का ब्यौरा संलग्न विवरण-2 में दिया गया है। उनके अलावा, ऐसे अनेक एकक हैं जो डी० जी० टी० डी० में पंजीकृत हैं।

(ङ) से (च) सीमेंट उद्योग को अधिक प्रदूषणकारी 20 उद्योगों की सूची में सम्मिलित किया गया है और इनके सम्बन्ध में दिये आशय पत्रों को औद्योगिक लाइसेंसों में तभी परिवर्तित किया जाता है जब पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण सम्बन्धी कुछ विशिष्ट शर्तें पूरी हो जाती हैं। इनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं—संबंधित राज्य सरकार द्वारा परियोजना का स्थापना स्थल उपयुक्त होने की पुष्टि किया जाना, संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से इस आशय का प्रमाण पत्र कि संबंधित उपक्रम ने प्रदूषण नियंत्रण के जो उपकरण लगाए हैं या लगाने का प्रस्ताव है वह प्रयाप्त और उपयुक्त हैं तथा उद्यमी द्वारा राज्य सरकार और केन्द्र सरकार को यह वचन दिया जाना कि वह प्रदूषण रोकने और नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त उपकरण लगायेगा। प्रदूषण नियंत्रण के जो उपकरण देश में उपलब्ध नहीं हैं उन्हें आयात करने की अनुमति भी उदारतापूर्वक दी जाती है। सीमेंट संयंत्रों से निकलने वाली धूल को

नियंत्रित करने के प्रति उद्योग जागरूक है और उनके द्वारा उपयुक्त उपकरण जैसे कि इलैक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स (ई० एस० पी०), बैग फिल्टर्स, साइक्लोन्स आदि लगाये जा रहे हैं।

विवरण-1

स्थापित किए गए बड़े सीमेंट संयंत्रों के ब्यौरे

क्रम सं०	संयंत्र का नाम	10.8.88 को अधिष्ठापित वार्षिक क्षमता (लाख मी० टन में)
1	2	3
	सरकारी क्षेत्र	
I.	**सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया**	
1.	अदिलाबाद (आंध्र प्रदेश)	4.00
2.	अकलतारा (मध्य प्रदेश)	4.00
3.	बोकाजन (असम)	2.00
4.	चर्खी-दादरी (हरियाणा)	1.72
5.	करकुंटा (कर्नाटक)	2.00
6.	मांढर (मध्य प्रदेश)	3.80
7.	नीमच (मध्य प्रदेश)	4.00
8.	राजबन (हिमाचल प्रदेश)	2.00
9.	तंदूर (आंध्र प्रदेश)	10.00
10.	येरागुंटला (आंध्र प्रदेश)	4.00
II.	सीमेंट कार्पोरेशन से भिन्न	
1.	तमिलनाडु सीमेंट	4.00 टी० एन०
2.	तमिलनाडु सीमेंट कॉरपोरेशन अरियालपुर	5.00 टी० एन०
3.	हीरा सीमेंट वर्क्स बारागढ़ (उड़ीसा)	4.65
4.	भद्रावती विश्वेश्वरैय्या आयरन एंड स्टील वर्क्स (सीमेंट फैक्टरी) भद्रावती, कर्नाटक	1.00
5.	यू० पी० स्टेट सीमेंट कार्पोरेशन, चुनार	16.80
6.	यू० पी० स्टेट सीमेंट कार्पोरेशन, चुर्क	4.75

1	2	3
	7. यू० पी० स्टेट सीमेंट कारपोरेशन, डल्ला	4.32
	8. जे० एण्ड के० सीमेंट लि० खियू	2.00
	9. माम्लूच वेरा सीमेंट कं० लि० माम्लूच-चेरा	2.84
	10. मालाबार सीमेंट का० पालघाट (केरल)	4.20
	गैर-सरकारी क्षेत्र	
	I. एसोसिएटिड सीमेंट कंपनीज लि०	
	1. भूपेन्द्र (हरियाणा)	4.06
	2. चाईबासा (बिहार)	7.82
	3. चंदा (महाराष्ट्र)	5.60
	4. गागल (हिमाचल प्रदेश)	5.60
	5. जामुल (मध्य प्रदेश)	15.80
	6. खलारी (बिहार)	1.09
	7. किस्तना (आंध्र प्रदेश)	2.14
	8. कीमोर (मध्य प्रदेश)	7.82
	9. लखेरी (राजस्थान)	3.22
	10. मधुक्करई (तमिलनाडु)	3.77
	11. मंचेरियल (आंध्र प्रदेश)	3.35
	12. पोरबंदर (गुजरात)	2.00
	13. सिंदरी (बिहार)	3.05
	14. शाहबाद (कर्नाटक)	5.45
	15. वाडी (कर्नाटक)	16.00
	II. ए० सी० सी० से भिन्न	
	1. श्री दिग्विजय सीमेंट कं० (अहमदाबाद) गुजरात	1.00
	2. मैसूर सीमेंट लि०, अमासंद्रा (कर्नाटक)	5.70
	3. बगलकोट उद्योग लि० बगलकोट (कर्नाटक)	3.30
	4. कल्याणपुर सीमेंट वर्क्स, बंजारी (बिहार)	4.80
	5. श्री सीमेंट लि०, बेवर (राजस्थान)	6.00
	6. बिरला सीमेंट वर्क्स, चित्तौड़गढ़, राजस्थान	9.00

1	2	3
7.	कोरोमंडल फर्टीलाइजर्स लि०, चिलमकुरदापाडू, आंध्र प्रदेश	10.00
8.	डालमिया सीमेंट (भारत) लि०, डालमियापुरम (तमिलनाडु)	5.25
9.	डायमंड सीमेंट लि०, दामोह (मध्य प्रदेश)	5.25
10.	दुर्गापुर सीमेंट वर्क्स, दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल)	6.00
11.	गुजरात अम्बुजा सीमेंट्स लि०, अम्बुजा नगर, गुजरात	7.00
12.	सोन वैली कं० लि०, जपला (बिहार) बंद है	2.54
13.	जी० पी० रीवा सीमेंट, रीवा (मध्य प्रदेश)	10.00
14.	मद्रास सीमेंट्स लि०, जयंतीपुरम (आंध्र प्रदेश)	7.50
15.	पेट्टीनाड सीमेंट कार० करूर (तमिलनाडु)	4.00
16.	केसोरम सीमेंट्स वर्क्स (रामगुंडा) (आंध्र प्रदेश)	9.00
17.	लक्ष्मी सीमेंट लि०, बनास, राजस्थान	5.00
18.	लारसेन एण्ड टब्रो लि०, अवरपुर (महाराष्ट्र)	22.18
19.	के० सी० पी० लि०, मचरेला (आंध्र प्रदेश)	2.54
20.	नर्मदा सीमेंट्स लि०, मगडाला, (गुजरात)	6.67
21.	मंगलम सीमेंट्स लि०, मोरक, राजस्थान	4.00
22.	मेहर सीमेंट वर्क्स मेहर (मध्य प्रदेश)	8.00
23.	मानिकगढ़ सीमेंट वर्क्स (मानिकगढ़) महाराष्ट्र	10.00
24.	मोंदी सीमेंट्स लि०, रायपुर (मध्य प्रदेश)	12.00
25.	आंध्रा सीमेंट का० लि०, नाडीकुड्डी (आंध्र प्रदेश)	5.00
26	जे० के० सीमेंट्स वर्क्स, निम्बाहेरा, (राजस्थान)	11.40
27.	ओरिएंट सीमेंट लि०, अदीलाबाद (आंध्र प्रदेश)	4.50
28.	पण्यम सीमेंट एण्ड मिनरल इंडस्ट्रीज लि० बुगनापल्ली (आंध्र प्रदेश)	5.31
29.	प्रियदर्शिनी सीमेंट्स लि०, रामापुरम (आंध्र प्रदेश)	6.00
30.	राजश्री सीमेंट्स लि०, गुलबर्गा (कर्नाटक)	5.40
31.	रासी सीमेंट्स लि०, नलगोंडा (आंध्र प्रदेश)	11.00
32.	उड़ीसा सीमेंट्स लि०, राजगंगपुर (उड़ीसा)	5.25
33.	सौराष्ट्र सीमेंट्स एण्ड कैमीकल इंडस्ट्रीज लि० रनवाव गुजरात	8.63
34.	नर्मदा सीमेंट का० लि०, रत्नगिरि (महाराष्ट्र)	3.33

1	2	3
35.	रेमंड सीमेंट वर्क्स, बिलासपुर (मध्य प्रदेश)	12.00
36.	रोहतास इंडस्ट्रीज लि०, (बिहार) (आतंरिक वित्तीय समस्याओं के कारण फैक्टरी बंद है)	6.20
37.	इंडिया सीमेंट लि०, संकरीदुर्ग (तमिलनाडु)	6.00
38.	इंडिया सीमेंट लि०, शंकरनगर (तमिलनाडु)	9.13
39.	जयपुर उद्योग लि०, सवाईमाधोपुर, राजस्थान	10.00
40.	सतना सीमेंट वर्क्स एण्ड बिरला विकास सीमेंट वर्क्स सतना (मध्य प्रदेश)	13.81
41.	श्री दिग्विजय सीमेंट क० लि०, सिक्का, गुजरात	12.25
42.	श्रीराम फर्टीलाइजर्स लि०, कोटा (राजस्थान)	2.00
43.	टैक्समेको लि०, येरागुंटला, आंध्र प्रदेश	5.00
44.	सैंचुरी सीमेंट, तिलदा, मध्य प्रदेश	8.00
45.	मद्रास सीमेंट लि०, तुलुकापट्टी, तमिलनाडु	5.25
46.	उदयपुर सीमेंट वर्क्स, उदयपुर, राजस्थान	6.00
47.	विक्रम सीमेंट (ग्रासिम) इंडस्ट्रीज, मंदसौर, मध्य प्रदेश	10.00
48.	आंध्रा सीमेंट कं० लि०, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश	2.40
49.	आंध्रा सीमेंट कं० लि०, विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश)	5.00
50.	श्री विष्णु सीमेंट लि०, नलगुंडा, आंध्र प्रदेश	5.00
51.	वासवदत्ता सीमेंट लि०, गुलबर्गा, कर्नाटक	5.00
52.	सीमेंट कारपोरेशन ऑफ गुजरात वेरारल (गुजरात)	10.00
53.	द्वारका सीमेंट वर्क्स, द्वारका (गुजरात)	2.77
54.	मेनोर इंवेस्टमेंट लि०, सेवालिया, गुजरात	2.15

विवरण-2

लघु सीमेंट संयंत्रों को स्थापित करने के लिए जारी किए गए औद्योगिक लाइसेंसों की संख्या दिखाने वाला विवरण

(जनवरी, 1988 की स्थिति के अनुसार)

राज्य/संघशासित प्रदेश	जारी किए गए औ० लाइसेंसों की संख्या
आंध्र प्रदेश	11
अरुणाचल प्रदेश	—
असम	1
बिहार	—
गुजरात	8
हिमाचल प्रदेश	—
जम्मू और कश्मीर	—
कर्नाटक	9
मध्य प्रदेश	5
महाराष्ट्र	1
मेघालय	—
उड़ीसा	—
राजस्थान	4
तमिलनाडु	—
उत्तर प्रदेश	1
पाण्डिचेरी	—
योग :	40

कोयला उत्पादन का लक्ष्य

2927. **श्री भद्रेश्वर तांती :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में कोयला उत्पादन का क्या लक्ष्य रखा गया था;

(ख) क्या पूर्ण लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए क्या लक्ष्य रखा गया है; और

(ङ) मांग और पूर्ति के बीच कितना अन्तर है ?

ऊर्जा मंत्रालय में कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) योजना आयोग द्वारा किए गए मध्यावधि मूल्यांकन के अनुसार सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष के लिए कोयले का उत्पादन-लक्ष्य 212 मिलियन टन है।

(ख) सातवीं योजना के पहले तीन वर्षों के दौरान कोयले के लक्ष्य और वास्तविक उत्पादन नीचे दिया गया है :—

कोयला उत्पादन (मिलियन टन में)

वर्ष	लक्ष्य	वास्तविक उत्पादन
1985-86	154.50	154.20
1985-87	166.80	165.79
1987-88	183.40	179.75

(ग) 1987-88 के दौरान उत्पादन में कमी विशेष रूप से सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि० में हुई हड़ताल के कारण कम उत्पादन होने के कारण हुई है।

(घ) और (ङ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए कोयले की मांग और उत्पादन लक्ष्य को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

ताप विद्युत और पन बिजली परियोजनाओं की स्थापना

2928. **श्री भद्रेश्वर तांती** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऊर्जा उत्पादन के लिए विद्युत और पन बिजली परियोजनाओं की स्थापना के कोई प्रस्ताव मंजूरी के लिए सरकार के पास लम्बित पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो सम्बन्धित राज्यों और परियोजनाओं के प्रस्तावित स्थानों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने वर्ष 1987-88 में किन्हीं ताप विद्युत अथवा पन बिजली परियोजनाओं को मंजूरी दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, हां।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) और (घ) जी, हां। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

1987-88 के दौरान अनुमोदित की गई ताप विद्युत तथा जल विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा

राज्य/परियोजना का नाम	क्षमता (मेगावाट)	अनुमानित लागत (करोड़ रु० में)
1	2	3
(एक) राज्य क्षेत्र		
आंध्र प्रदेश		
1. नरसापुर रजोल में गैस टर्बाइन (ता० वि०)	99	94.25
2. रायलसीमा (मुद्दानपुर) (ता० वि०)	420	503.71
असम		
3. सकवा गैस टर्बाइन में अपशिष्ट ऊष्मा समुपयोजन संयंत्र (ता० वि०)	22	20.52
बिहार		
4. चांडिल बांध बायें तट नहर (ज० वि०)	8	12.96
5. तेनु बोकरो लिंक नहर (ज० वि०)	1	2.76
गुजरात		
6. गांधी नगर विस्तार चौथी यूनिट (ता० वि०)	210	163.89
7. पनाम नहर बेड विद्युत घर (ज० वि०)	2	3.33
8. धरोई दांये तट विद्युत घर (ज० वि०)	2	3.70
9. दमन गंगा दांए तट विद्युत घर (ज० वि०)	1	2.36
10. धरोई आर० बी० सी० बेड विद्युत घर (ज० वि०)	0.6	1.28
11. सिक्का विस्तार यूनिट-दो (ता० वि०)	120	102.70
हिमाचल प्रदेश		
12. संजय विद्युत परियोजना का विस्तार (ज० वि०)	—	9.64
13. गंवई (जल विद्युत)	2[illegible].5	28.32

1	2	3
जम्मू व कश्मीर		
14. पम्पोर में गैस टर्बाइन (श्रीनगर) (ता० वि०)	75	46.60
कर्नाटक		
15. शरावती तेल रेस (ज० वि०)	240	160.59
16. रायचूर चौथी यूनिट (ता० वि०)	210	225.10
मध्य प्रदेश		
17. तवा बायां तट नहर (ज० वि०)	12	13.86
18. भीमगढ़ (जल विद्युत)	2.4	3.43
महाराष्ट्र		
19. ताखामनेधी लघु जल विद्युत	0.2	0.38
20. सूर्या दायां तट नहर ड्राप (ज० वि०)	1.75	1.90
21. उरम में दूसरा अपशिष्ट ऊष्मा रिकवरी संयंत्र (ताप विद्युत)	120	75.53
मणिपुर		
22. किलांग (ज० वि०)	0.8	2.24
मिजोरम		
23. तुईसमपई माइक्रो जल विद्युत	0.45	1.13
24 तुईपुई माइक्रो जल विद्युत	0.5	1.28
उड़ीसा		
25. ईब घाटी (ताप विद्युत)	840	887.99
राजस्थान		
26. 6 लघु/माइक्रो जल विद्युत स्कीम	1.64	3.54
उत्तर प्रदेश		
27. श्रीनगर (जल विद्युत)	330	372.32
अंडमान व निकोबार द्वीप		
28. डी० जो० क्षमता ताप विद्युत विस्तार (ता० वि०)	12.5	16.61

1	2	3
(दो) **केन्द्रीय क्षेत्र**		
असम		
29. कथालगुड़ी संयुक्त साइकल संयंत्र (ता० वि०)	280	584.55
30. रंगानदी (जल विद्युत)	405	360.12
(तीन) **निजी क्षेत्र**		
गुजरात		
31. साबरमती प्रतिष्ठापित यूनिट (ता० वि०) (अहमदाबाद इलैक्ट्रिसिटी कं० लि०)	110	127.00

असम में तेल और गैस की खोज

2929. **श्री भद्रेश्वर तांती : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग/आयल इंडिया लिमिटेड ने तेल और गैस का पता लगाने के लिए असम में कुछ क्षेत्रों का चयन किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसका जिलेवार ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) जी, हां।

(ख) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने असम के विभिन्न जिलों में ड्रिलिंग के लिए निम्नलिखित स्थानों को चुना है।

जिले का नाम	स्थानों की संख्या
सिबसागर	81
जोरहाट	5
गोलाहाट	8
लखिमपुर	2
कच्छार	20
करीमगंज	6
जोड़ :	122

आयल इंडिया लिमिटेड ने सिबसागर, डिब्रूगढ़ और लखीमपुर जिलों के अनेक ड्रिलिंग क्षेत्रों को असम में तेल/गैस की खोज के लिए चुना है।

असम में लंबी दूरी के पब्लिक टेलीफोन

2930. **श्री भद्रेश्वर तांती** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना में कुछ और सीधी एक्सचेंज लाइनें तथा लंबी दूरी के पब्लिक टेलीफोन प्रारंभ करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी विशेष रूप से असम के बारे में, ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) जी, हां। सातवीं योजना में 16 लाख डायरेक्ट एक्सचेंज लाइनें (डी० ई० एल०) और 10,000 लंबी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन (एल० डी० पी० टी०) प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। योजना के पहले 3 वर्षों (1985-88) के दौरान 9.04 लाख डी० ई० एल० और 5085 एल० डी० पी० टी० का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है।

सातवीं योजना में असम राज्य के लिए 12,500 डी० ई० एल० और 300 एल० डी० पी० टी० का लक्ष्य है, जिसमें से योजना के पहले 3 वर्षों (1985-88) के दौरान 6057 और 232 एल० डी० पी० टी० प्रदान कर दिये गये हैं।

उत्तर प्रदेश में गैस पर आधारित बिजलीघरों की स्थापना

[हिन्दी]

2931. **श्री राजकुमार राय** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में गैस-आधारित बिजलीघरों की स्थापना करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इन बिजलीघरों को किन-किन स्थानों पर स्थापित किया जायेगा;

(ग) क्या सरकार का गैस-आधारित बिजलीघरों को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़, बलिया और गाजीपुर जिलों में स्थापित करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो कब तक; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश में औरैया (जिला इटावा) में 600 मेगावाट क्षमता के गैस पर आधारित एक संयुक्त साइकिल विद्युत केन्द्र का राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा केन्द्रीय क्षेत्र में कार्यान्वयन किया जा रहा है। गाजियाबाद जिले में दादरी में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा गैस पर आधारित एक संयुक्त साइकिल ताप विद्युत केन्द्र स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है।

(ग) से (ङ) आजमगढ़, बलिया और गाजीपुर जिलों में गैस पर आधारित विद्युत केन्द्र स्थापित करने के बारे में उत्तर प्रदेश सरकार से कोई प्रस्ताव केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में प्राप्त नहीं हुआ है।

उत्तर प्रदेश में आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पन-बिजली परियोजनाओं की स्थापना करना

2932. श्री राज कुमार राय : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पन बिजली परियोजनाएं किन-किन स्थानों पर स्थापित करने का विचार है;

(ख) प्रत्येक परियोजना पर कितना व्यय होगा; और

(ग) इन परियोजनाओं को कब तक पूरा किये जाने की सम्भावना है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) उत्तर प्रदेश में उन स्थानों के नाम, जहां वे जल-विद्युत परियोजनाएं स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है जिनसे 8वीं योजनावधि के दौरान लाभ प्राप्त किए जाने हैं, परियोजनाओं की अनुमानित लागत तथा उन्हें चालू करने के कार्यक्रम नीचे दिए गए हैं :—

क्र० सं०	परियोजना का नाम	स्थान	लागत (लाख रुपयों में)	चालू करने का कार्यक्रम
1.	लखवार व्यासी	देहरादून	42499	1992-95
2.	श्रीनगर	पौढ़ी-गढ़वाल	37232	1994-95
3.	खारा	देहरादून/सहारनपुर	16200	1990-91
4.	राजघाट	ललितपुर/गुना	3747	1991-92
5.	सोबला	पिथौरागढ़	733	1993-94

कागज बनाने वाले कारखानों के आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए रियायतें

[अनुवाद]

2933. श्री यशवन्तराव गडाख पाटिल : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इंडिया स्माल पेपर्स ऐसोसिएशन ने आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए रियायत की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) आल इंडिया स्माल पेपर मिल्स ऐसोसिएशन ने निम्नलिखित रियायतों के लिए अनुरोध किया है :—

(1) लघु कागज मिलों और बड़ी कागज मिलों के बीच उत्पाद-शुल्क में विद्यमान अन्तर बना रहना चाहिए और लघु कागज मिलों को विकास और विस्तार के लिए आंतरिक संसाधन जुटाने में कम से कम 3 वर्षों की अनुमति होनी चाहिए ।

(2) गैर परंपरागत कच्चे माल पर आधारित नई लघु कागज मिलों को नयी एकीकृत लुगदी और कागज मिलों पर लागू होनी वाली उत्पाद-रियायत मिलनी चाहिए।

(3) कागज मशीनरी, पुर्जे और उसके हिस्सों के आयात को अनुषंगी सीमा शुल्क से छूट दी जानी चाहिए ताकि कागज उद्योग प्रौद्योगिकी का आधुनिकीकरण और उन्नयन कर सकें ।

(4) सरकार और वित्तीय संस्थानों को लघु मिलों को अपना विस्तार अथवा आधुनिकीकरण के लिए आसान शर्तों पर ऋण देना चाहिए ।

(ग) हाल के वर्षों में कागज उद्योग को विभिन्न राहतें और रियायतें दी गयी हैं ताकि आमतौर पर कागज उद्योग और खास तौर पर लघु एकक अपनी क्षमता उपयोग और वित्तीय जीव्यता में वृद्धि और सुधार कर सकें । वर्ष 1988-89 के बजट में लघु कागज मिलों को लागू होने वाली उत्पाद-शुल्क में 100 रुपये प्रति मी० टन० और कमी की घोषणा की गयी है । वित्तीय संस्थान पहले से ही ब्याज की रियायती दर पर आधुनिकीकरण के लिए सहायता प्रदान कर रहे हैं। प्रत्येक मामले के गुणागुण के आधार पर संवर्धक के अंशदान और ऋण ईक्विटी अनुपात के आधार पर संस्थानों द्वारा लचीला दृष्टिकोण अपनाया जाता है । रुग्ण एककों को संस्थानों द्वारा पुनर्स्थापना सहायता भी दी जाती है जिसमें सावधिक ऋणों की अवधि पुनः निर्धारित करना, कार्यशील पूंजी के अन्तर में कमी करना और ब्याज की दरें शामिल हैं ।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति

2934. **श्री यशवन्तराव गडाख पाटिल** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी अधिकारियों का सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण रोकने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) और (ख) मार्च, 1985 में सरकार ने सरकारी उद्यमों में सरकारी अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति पर प्रतिबंध लगाने सम्बन्धी अनुदेश जारी किये थे। इन आदेशों के अनुसार, उन मामलों को छोड़कर, जिनमें सरकार द्वारा तत्काल अन्तर्लयन के नियम के विचार-क्षेत्र से विशेष रूप से छूट दी गई थी, सरकारी अधिकारी सरकारी उपक्रमों में प्रतिनियुक्ति पर नहीं जा सकते हैं।

दूरदर्शन पर कृषि कार्यक्रम के लिए समय आवंटित करना

2935. **श्री बी० शोभनाद्रीश्वर राव** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का अधिक कृषि उत्पादन, विशेषकर तिलहनों और दालों का उत्पादन करने के लिए किसानों के लाभार्थ दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले कृषि कार्यक्रमों के लिए आबंटित समय में वृद्धि करने का विचार है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) इनसेट केन्द्रों सहित दूरदर्शन के सभी केन्द्र कृषि कार्यक्रमों से संबंधित क्षेत्र की भाषा में नियमित रूप से टेलीकास्ट कर रहे हैं। फिलहाल इन कार्यक्रमों का टेलीकास्ट समय बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है, क्योंकि वर्तमन व्यवस्था पर्याप्त सभझी जाती है।

ग्रामीण क्षेत्रों में नये सार्वजनिक टेलीफोन संबंधी मानदंड

2936. **श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में नये सार्वजनिक टेलीफोन स्वीकृत करने के मामले में किन मानदंडों का पालन किया जाता है;

(ख) क्या सरकार का अधिक गांवों में, जिनमें इस समय टेलीफोन सुविधा नहीं हैं, टेलीफोन सुविधा देने हेतु गांवों की न्यूनतम जनसंख्या के नियम को उदार बनाकर इसे 5000 से 3000 करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (गिरिधर गोमांगो) : (क) विभाग ने एक षटभुजाकार योजना बनाई है जिसके अन्तर्गत देश को प्रत्येक पांच किलोमीटर के षटभुजाकार क्षेत्र में बांटा गया है और ऐसे प्रत्येक षटभुजाकार क्षेत्र के प्रमुख गांव में पूर्णतया आर्थिक सहायता के आधार पर कम से कम एक लम्बी दूरी का सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान करने की योजना है।

(ख) जी नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठगा।

(घ) संसाधन सीमित होने के कारण दूरसंचार सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रथम वरीयता उन षटभुजाकार क्षेत्रों को दी गई है जहां "कोई टेलीफोन नहीं" है। अन्य ग्रामों को यह सुविधा प्रदान करने के प्रश्न पर बाद में विचार किया जाएगा।

आंध्र प्रदेश में "साल्ट माडल एंड रिसर्च स्टेशन" की स्थापना

2937. **श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का तटवर्ती आंध्र प्रदेश में "साल्ट माडल एण्ड रिसर्च स्टेशन" की स्थापना करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं और उस पर कितनी लागत आने का अनुमान है तथा उक्त परियोजना किस स्थान पर स्थापित की जाएगी; और

(ग) "साल्ट माडल एण्ड रिसर्च स्टेशन" की कब तक स्थापना की जायेगी ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

आंध्र प्रदेश में डाकघरों का दर्जा कम करना

2938. **श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में दिनांक 1 जनवरी, 1985 को मुख्य डाकघरों, उप-डाकघरों, ई० डी० डाकघरों, और शाखा डाकघरों आदि विभिन्न श्रेणियों के डाकघरों की कुल संख्या का जिले-वार ब्योरा क्या था और इनमें से जिनका दर्जा कम किया गया है उनकी संख्या का 1 जनवरी, 1987 को क्या ब्योरा था; और

(ख) इन डाकघरों का दर्जा कम करने के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड द्वारा अपर कोलाब विद्युत परियोजना, उड़ीसा को खराब मशीनें सप्लाई किया जाना

2939. **श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड द्वारा अपर कोलाब विद्युत परियोजना, उड़ीसा को सप्लाई की गई मशीनें खराब होने के कारण बिजली घर चलू होने में केवल एक सप्ताह बाद ही बन्द हो गया है;

(ख) यदि हां, तो खराबी का ब्योरा क्या है और इस स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं;

(ग) इसके परिणामस्वरूप कितनी हानि हुई;.

(घ) क्या इसकी जिम्मेदारी निर्धारित की गई है और यदि हां, तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) यदि, नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) अपर कोलाब जल विद्युत परियोजना के लिए "भेल" द्वारा दो मशीनें सप्लाई की गई हैं। लगभग एक महीना चलाने के बाद यूनिटों को ब्रेक ट्रैक्स बदलने हेतु बन्द करना पड़ा जिसके परिणामस्वरूप विद्युत उत्पादन में कमी हुई। पुन: चालू करने के बाद, जबकि यूनिट-2 कार्य कर रहा है। यूनिट-1 में तरंगें देखी गई थीं। इस यूनिट को दोबारा बन्द कर दिया गया है और इसकी मरम्मत की जा रही है। इसे शीघ्र ही कार्य-योग्य बनाए जाने की आशा है।

(घ) और (ङ) कारणों का पता लगाने के लिए "भेल" द्वारा विशेषज्ञों का एक दल नियुक्त किया गया है।

विद्युत संबंधी राष्ट्रीय ग्रिड प्राधिकरण

2940. **श्री के० रामचन्द्र रेड्डी :** क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विद्युत संबंधी एक राष्ट्रीय ग्रिड प्राधिकरण स्थापित करने पर विचार कर रही है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार यह आवश्यक समझती है कि विद्युत ग्रिडों के अच्छे प्रबन्ध के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसा संगठन हो, जिससे संयुक्त राष्ट्रीय विद्युत तन्त्र के रूप में विभिन्न क्षेत्रीय ग्रिडों के कार्यकरण का समन्वय हो सके; और

(ग) यदि हां, तो इस तरह का प्राधिकरण कब तक स्थापित किये जाने की संभावना है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड के विकास हेतु अन्तर्राज्यीय तथा अन्तर्क्षेत्रीय पारेषण लाइनों में लगातार विस्तार होने तथा इन्हें सुदृढ़ किये जाने के फलस्वरूप, राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड के प्रचालन लिए राष्ट्रीय स्तर के एक अलग संगठन के सृजन की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता । तथापि. इस मामले में, इसके विभिन्न गुण-अवगुणों; विद्युत टैरिफ पर पड़ने वाले इसके प्रभाव आदि के बारे में विभिन्न संबंधित एजेंसियों के परामर्श से गहन विश्लेषण किया जाना आवश्यक है। यद्यपि, उपर्युक्त कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है परन्तु इस समय यह बता पाना संभव नहीं है कि उक्त प्रकार का संगठन, यदि अन्ततः बनाया जाना है, कब तक बनाया जाएगा ।

ग्राम पंचायतों में डाक सुविधायें

2941. **श्री के० रामचन्द्र रेड्डी :**
डा० कृपा सिंधु भोई :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अगले दो वर्षों में देश की प्रत्येक ग्राम पंचायतों में डाक संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराने का वृहत कार्यक्रम बनाया है;

(ख) देश में कुल कितनी ग्राम पंचायतें हैं और उनमें से कितनी ग्राम पंचायतों को अभी डाक सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी शेष हैं;

(ग) इस वृहद कार्यक्रम पर कितनी धनराशि खर्च होगी; और

(घ) इस योजना के अन्तर्गत कितनी ग्राम पंचायतों को उपरोक्त सुविधाएं मिल जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) संसाधनों के उपलब्ध होने पर सरकार की ऐसा कार्यक्रम शुरू करने की इच्छा है ।

(ख) विभाग में उपलब्ध सूचना के अनुसार कुल मिलाकर 1,78,553 ग्राम पंचायतें (अथवा ऐसी ही ग्रामीण संस्थाएं) हैं जिनमें से 1,06,475 ग्राम पंचयातों में डाक घर कार्य कर रहे हैं, शेष 72,078 ग्राम पंचायतों को निकटवती क्षेत्रों में स्थित डाक घरों से सेवा प्रदान की जा रही है ।

(ग) कार्यक्रम के पूरी तरह कार्यान्वित होने पर लगभग 15 करोड़ रुपये प्रति वर्ष व्यय होने का अनुमान है।

(घ) इस समय यह स्कीम प्रत्येक राज्य के चुने हुए 2 जिलों में प्रयोग के आधार पर शुरू की जा रही है।

गांवों को राष्ट्रीय टेलीफोन नेटवर्क के साथ जोड़ना

2942. **श्री मुरलीधर माने : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) 30 जून, 1988 तक देश के कितने गांवों को राष्ट्रीय टेलीफोन नेटवर्क से जोड़ दिया जाएगा;

(ख) वर्तमान योजना के दोरान कितने और गावों को इससे जोड़ दिया जाएगा;

(ग) तांबे की केब्लि की कीमत समेत, प्रत्येक गांव को जोड़ने में औसतन कितना खर्च और विदेशी मुद्रा व्यय होने का अनुमान है; और

(घ) खर्च को कम करने के लिए सरकार के पास क्या तकनीकी विकल्प उपलब्ध हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) लगभग 37,000 ग्रामों को राष्ट्रीय टेलीफोन नेटवर्क के साथ जोड़ दिया गया है।

(ख) चालू योजना के शेष दो वर्षों के दौरान 5,476 और ग्रामों को जोड़े जाने की संभावना है।

(ग) किसी ग्राम में लंबी दूरी के पी० सी० ओ० की व्यवस्था करने के लिए औसत लागत लगभग 1.5 लाख रुपये बैठती है।

(घ) यह लागत कम करने के लिए निम्नलिखित तकनीकी विकल्प विचाराधीन हैं :

(1) लाइन शेयरिंग प्रणाली;

(2) रूरल कार्डलेस टेलीफोन;

(3) रेडियो शेयरिंग प्रणाली और

(4) सिंगल चैनल वी० एच० एम० प्रणाली

असम में शोध संस्थान स्थापित करना

2943. **श्री मुरलीधर माने : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या असम में जोरहाट में पेट्रोलियम जैव-प्रौद्योगिकी और ज्योदेक्टोनीज में आयात प्रौद्योगिकी में शोध कार्य करने के लिए एक संस्थान स्थापित किया जा रहा है; जिनसे पूर्वोत्तर राज्यों में पेट्रोलियम की खोज और उत्खनन किया जा सकेगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संस्थान के कब से कार्य आरम्भ करने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा परियोजना रिपोर्ट तथा कार्य योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

खेलकूद के सामान का निर्माण

2944. **श्री टी० बशीर** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में खेल के अच्छे सामान के निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) देश में उत्कृष्ट खेल सामान के निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्न प्रकार हैं—

1. तैयार खेल सामान की गुणवत्ता से सम्बन्ध रखने वाले निम्नलिखित कच्चे माल के आयात को वास्तविक प्रयोक्ताओं हेतु खुली सामान्य लाइसेंस योजना के अन्तर्गत सीमा-शुल्क से मुक्त कर दिया गया है—

(क) क्रिकेट के बल्लों में इस्तेमाल के लिए विलो क्लैफ्ट्स।

(ख) शटल कोक्स में इस्तेमाल के लिए बत्तख और हंस के पर।

(ग) शटल कोक्स में इस्तेमाल के लिए बोटम कॉर्क।

(घ) बैडमिंटन, लॉन टेनिस के रैकेटों आदि में इस्तेमाल के लिए नायलोन् गट।

(ङ) क्रिकेट बैट, हाकी स्टिक्स आदि में इस्तेमाल के लिए बेंत।

(च) हाकी स्टिक्स आदि के लिए एश वुड तथा बीच वुड।

2. पी० यू० चमड़े के आयात को केवल निर्यात के प्रयोजन के लिए खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत सीमा शुल्क से मुक्त कर दिया गया है।

3. अप्रैल, 1988 में घोषित की गई आयात नीति के अनुसार वास्तविक प्रयोक्ताओं द्वारा आयात किए जाने के लिए 28 पूंजीगत वस्तुओं को खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत रख दिया गया है। उपर्युक्त मशीनों का आयात करने वाले वास्तविक प्रयोक्ताओं को रियायती आयात शुल्क की सुविधा भी उपलब्ध है।

4. देश में तैयार किए जाने वाले खेल सामान की गुणवत्ता में गुणवत्ता नियंत्रण व मानकीकरण के जरिए सुधार करने की दृष्टि से उक्त उद्योग को राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय बाज़ारों में अधिक प्रतिस्पर्धा व स्वीकार्य बनाने के उद्देश्य से यू० एन० डी० पी० तथा उत्तर प्रदेश सरकार की सक्रिय

सहायता से इस समय मेरठ में खेल सामान तथा फुरसत के समय में उपयोग के उपकरणों हेतु एक प्रक्रिया-सह उत्पाद विकास केन्द्र स्थापित किया जा रहा है।

5. खेल सामान हेतु निर्यात संवर्धन परिषद ने एन० पी० सी० तथा आई० एल० ओ० की सहायता से जुलाई, 1987 तथा जुलाई, 1988 में खेल सामान की उत्पादकता व गुणवत्ता में सुधार करने की दृष्टि से उत्पादन प्रबन्ध कार्यशालाओं का आयोजन किया है।

पटपड़गंज, दिल्ली में औद्योगिक प्लाटों का आबंटन

2945. **श्री एस० बी० सिदनाल** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन को पटपड़गंज, दिल्ली में औद्योगिक प्लाट आबंटित करने के लिए बहुत सारे आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो बेचे जाने वाले प्लाटों की संख्या, प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या, बिक्री योग्य प्लाटों की दर संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन प्लाटों के आबंटन के लिए कोई मानदण्ड निर्धारित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इससे सरकार को कितना लाभ हुआ है; और

(ङ) किस तारीख तक प्लाटों को आबंटित किए जाने की संभावना है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी हां।

(ख) 500 रुपये प्रति वर्ग मीटर प्रीमियम पर लीज के आधार पर लगभग 500 भू-खंड आबंटित किये जाने का प्रस्ताव है। लगभग 26000 आवेदन प्राप्त हुए हैं।

(ग) से (ङ) आबंटन संबंधी मानदण्डों को अन्तिम रूप दे दिये जाने तथा आवेदनों पर कार्यवाही पूरी हो जाने के तुरन्त बाद आबंटन कर दिया जाएगा।

उत्तरी क्षेत्र में बिजली की कमी

2946. **श्री एस० बी० सिदनाल :**
श्री बी० एच० बसवराजू :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक उत्तरी क्षेत्र में कितने प्रतिशत बिजली की कमी होगी;

(ख) उस समय बिजली की कुल मांग और उपलब्धता कितनी होगी;

(ग) किन क्षेत्रों में बिजली की बहुत ज्यादा कमी होगी;

(घ) सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त में दक्षिणी राज्यों की बिजली की स्थिति क्या होगी; और

(ङ) इस संबंध में क्या उपाय करने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) सातवीं योजनावधि के अन्त तक देश के उत्तरी क्षेत्र में व्यस्ततमकाल के दौरान विद्युत की 21.8% कमी होने की प्रत्याशा है।

(ख) वर्ष 1989-90 में उत्तरी क्षेत्र में विद्युत की प्रत्याशित मांग तथा उपलब्धता नीचे दी गई है—

व्यस्ततमकालीन मांग	14474 मेगावाट
व्यस्ततमकालीन उपलब्धता	11318 मेगावाट
ऊर्जा की मांग	72080 मिलियन यूनिट
ऊर्जा की उपलब्धता	71657 मिलियन यूनिट

(ग) जम्मू तथा कश्मीर, राजस्थान और दिल्ली में विद्युत की व्यस्ततमकालीन कमी काफी अधिक होने की संभावना है, जबकि जम्मू तथा कश्मीर और राजस्थान में ऊर्जा की कमी अधिक होने की आशा है।

(घ) वर्ष 1989-90 में दक्षिणी क्षेत्र में 16.7% व्यस्ततमकालीन कमी और 18.8% ऊर्जा की कमी होने की आशा है। तमिलनाडु में लगभग 21%, कर्नाटक में 20.3%, आंध्र प्रदेश में 17.8% और केरल में 3.6% की व्यस्ततमकालीन कमी पोने की आशा है। आन्ध्र प्रदेश में लगभग 28.1% कर्नाटक में 27%, तमिलनाडु में 11.3% और केरल में 10.6% की ऊर्जा की कमी होने की संभावना है।

(ङ) दक्षिणी क्षेत्र में विद्युत की उपलब्धता में वृद्धि करने हेतु उठाए जा रहे कदमों में ये शामिल हैं—नई क्षमता शीघ्र चालू करना, लघु निर्माण अवधि वाली परियोजनाओं को कार्यान्वित करना, विद्यमान विद्युत केन्द्रों के कार्य-निष्पादन में सुधार करना, पारेषण तथा बितरण हानियों में कमी करना और मांग प्रबन्ध एवं ऊर्जा संरक्षण संबंधी उपायों का कार्यान्वियन करना।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा पूर्वी अफ्रीका के राज्यों में तेल की खोज

2947. श्री एस० बी० सिदनाल :

श्री एस० एम० गुरड्डी :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल में तन्जानिया के एक उच्च स्तरीय दल ने पूर्वी-अफ्रीका के राज्यों में तेल की खोज के प्रबन्धों को अन्तिम रूप देने हेतु तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के साथ बातचीत करने के लिए भारत का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कोई समझौता हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा पूर्वी अफ्रीका के राज्यों में तेल की खोज में सहायता करने के लिए क्या लक्ष्य तिथि रखी गई है ?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारत और सोवियत संघ के बीच उत्पादन सहयोग

2948. **श्री एस० बी० सिदनाल :**

(क) **श्री जी० एस० बसवराजू :**

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या गैर सरकारी क्षेत्र की भारतीय कंपनियों और सोवियत संगठनों के बीच उत्पादन सहयोग सम्बन्धी प्रस्तावों को भारी अड़चनों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) इनके मुख्य कारण क्या हैं तथा भारतीय कंपनियों को क्या कठिनाइयां पेश आई हैं; और

(ग) क्या अड़चनों को दूर करने के लिए कोई ठोस सूत्र तैयार किया गया है; और यदि हां, तो इन अड़चनों को किस हद तक दूर किया गया है ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) और (ख) कार्यकारी दल द्वारा संभावित सहयोगी हिस्सेदारों का पता लगाने के बाद उत्पादन सहयोग के अलग-अलग मामलों पर सहयोगी हिस्सेदारों के बीच सीधे बातचीत की जाती है ताकि कार्य की डिवीजन लिस्ट, सप्लाई की मात्रा आदि के बारे में तकनीकी विशिष्टियों/उपयुक्तता का निर्धारण और निश्चय किया जा सके। कुछ भारतीय फर्मों द्वारा यह बताया गया है कि ऐसी बातचीतों के दौरान सप्लाई के संतुलन का प्रश्न किसी भी ओर से आ जाता है।

(ग) उत्पादन सहयोग के उप-दल की पिछली बैठक में यह अनुभव किया गया था कि इस प्रकार के मामले में और अधिक नरम रुख अपनाया जरूरी है।

दूरदर्शन को जन-उन्मुखी बनाने की योजना

2949. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन की वर्तमान व्यवस्था में कोई बुनियादी कमी पाई गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दूरदर्शन को "जन-उन्मुखी" जीवन्त और निष्पक्ष संगठन बनाने हेतु तैयार की गई योजना का ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (एच० के० एल० भगत) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) दूरदर्शन का अपने कार्यक्रमों में विभिन्न वर्गों के लोगों को शामिल करने का हमेशा प्रयास रहा है। कार्यक्रमों को सूचनापरक, शैक्षिक तथा मनोरंजक बनाने तथा दर्शकों की रुचि बनाए रखने के उद्देश्य से भिन्न-भिन्न दृष्णिकोणों को शामिल करने पर भी ध्यान दिया जाता है।

सातवीं पंचवर्षीय योजना में पश्चिम बंगाल में रिले केन्द्रों की स्थापना

2950. **श्री सनत कुमार मंडल :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में रिले केन्द्र स्थापित करने के सम्बन्ध में दूरदर्शन की नीति क्या है;

(ख) क्या सातवीं योजना के दौरान पश्चिमी बंगाल में कोई ऐसे दूरदर्शन रिले केन्द्र स्थापित किए जाएंगे; और

(ग) यदि हां, तो ये केन्द्र किस-किस स्थान तथा किस-किस तारीख तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य तथा मंत्री सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) दूरदर्शन, संसाधनों का वास्तविक उपलब्धता के आधार पर ग्रामीण, पर्वतीय, पिछड़े, आदिवासी, दूरदराज, संवेदनशील तथा सीमावर्ती क्षेत्रों को उच्च प्राथमिकता देते हुए यथाशीघ्र देश के उनभागों में टी० वी० सेवा प्रदान करने का प्रयास करता है जहां अभी तक यह सेवा उपलब्ध नहीं है।

(ख) और (ग) सातवीं योजना अवधि के दौरान अब तक कलकत्ता द्वितीय चैनल सेवा के लिए और कुर्सियांग (1 किलोवाट से 10 किलो वाट तक शक्ति बढ़ाना) में एक उच्च शक्ति (10 किलो वाट) टी० वी० ट्रांसमीटर तथा दार्जिलिंग में एक-एक कम शक्ति (100 वाट) टी० वी० ट्रांसमीटर चालू हो गये हैं। इसके अलावा सातवीं योजना के अंग के रूप में अलिपुरदौर, कलिमयोंग और मैदिनिपुर में कम शक्ति (100 वाट) टी० वी० ट्रांसमीटर स्थापित करने का विचार है। जबकि अलिपुरदौर और मेदिनिपुर ट्रांसमीटरों के चालू वित्तीय वर्ष (1988-89) में चालू हो जाने की आशा है। कलिमयोंग वाला ट्रांसमीटर वर्ष 1989-90 के दौरान चालू करने का कार्यक्रम है।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा अतिरिक्त लागत वहन किया जाना

2951. **श्री अतीश चन्द्र सिन्हा :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग से उत्पाद और सेवाओं की, विदेशी सप्लायरों के बजाए स्वदेशी स्रोतों से खरीद पर आने वाली अतिरिक्त लागत वहन करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी लक्ष्य क्या है; और

(ग) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की आवश्यकताओं को निर्दिष्ट स्वदेशी स्रोतों से पूरा किए जाने पर कितनी अतिरिक्त लागत आएगी?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने देशीकरण प्रयासों पर किए गए अतिरिक्त व्यय के प्रति 173.75 करोड़ रुपए की प्रतिपूर्ति के लिए दावा किया है। यह निर्णय लिया गया है कि व्यापक राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग इस व्यय को वहन करे।

कागज उद्योग में संकट

2952. **श्री के० राममूर्ति** : क्या **उद्योग मन्त्री** : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कागज उद्योग के बड़े और मध्यम क्षेत्र में 22% अधिष्ठापित क्षमता उप्रयुक्त पड़ी है, दूसरी 38% क्षमता संकट की स्थिति में है अथवा ऐसे कारखाने बन्द होने की स्थिति में हैं और शेष 40% क्षमता काफी लम्बे समय से अनिश्चय की स्थिति में हैं;

(ख) यदि हां, तो कागज उद्योग की स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कारगर उपाय किए गये/करने का विचार है; और

(ग) अक्तूबर, 1987 में उच्च शक्ति प्राप्त समिति द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की गई है?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एस० अरुणाचलम) : (क) तकनीकी विकास महानिदेशालय की सूची में शामिल 67 कागज मिले अपने उत्पादन की सूचना नहीं दे रही हैं। उनकी अधिष्ठापित क्षमता कागज उद्योग की कुल अधिष्ठापित क्षमता के लगभग 19% के बराबर है।

(ख) हाल के वर्षों में कागज उद्योग को अनेक राहतें व रियायतें दी गई हैं ताकि यह उद्योग अपनी क्षमता उपयोग तथा वित्तीय जीव्यता बढ़ा व सुधार सके। वर्ष 1988-89 के बजट प्रस्तावों में लघु कागज मिलों के लिए उत्पादन शुल्क में 100 रु० प्रति टन की तथा गैर-परम्परागत कच्चे माल को इस्तेमाल करने वाली अन्य मिलों के मामलों में 300 रु० प्रति टन की कमी करने की घोषणा की गई है। वित्तीय संस्थाएं आधुनिकीकरण के लिए रियायती ब्याज दर पर पहले ही सहायता उपलब्ध करा रही है। प्रोत्साहनों के अंशदान तथा ऋण इक्विटी अनुपात के सम्बन्ध में वित्तीय संस्थाओं द्वारा एक उदार दृष्टिकोण अपनाया जाता है जोकि प्रत्येक मामले के गुणावगुण पर आधारित होता है। रुग्ण एककों को वित्तीय संस्थाओं द्वारा पुन: स्थापन सहायता भी दी जाती है, जिनमें सावधी ऋणों का पुन:निर्धारण, कार्यशील पूंजी की अतिरिक्त राशि और ब्याज की दरें शामिल हैं।

(ग) कागज उद्योग के वित्तीय पक्षों पर विचार करने के लिए सचिव औद्योगिक विकास की अध्यक्षता में गठित की गई समिति की रिपोर्ट जून, 1988 में प्राप्त हुई है। समिति की सिफारिशें कागज तथा गत्ते की मांग में वृद्धि करने और कागज उद्योग को अपनी वर्तमान समस्याओं पर काबू पाने में सहायता करने के लिए अल्पकालीन उपायों से सम्बन्धित है। इस उद्योग के विकास के लिए समय-समय पर नीतियां व कार्यक्रम बनाते समय समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखा जायेगा।

विकास केन्द्र

2953. **श्री के० राममूर्ति :**
श्री बनवारी लाल पुरोहित :
प्रो० राम कृष्ण मोरे :
श्रीमती जयन्ती पटनायक :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा स्थापित किए जाने वाले 100 विकास केन्द्रों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) लघु एककों से उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किये जाने वाले सात मार्केट विकास केन्द्रों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) समन्वित तरीके से रुग्ण उद्योगों को दी जाने वाली सहायता के लिए स्थापित राज्य-स्तरीय अन्तः संस्थानीय समिति का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) सरकार ने सचिव, योजना आयोग की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है जो सम्बन्धित राज्य सरकार के साथ परामर्श करके विकास केन्द्रों का चुनाव करने और स्थापना स्थल का निर्धारण करने के लिए मानदण्ड और मार्गदर्शी सिद्धांत तैयार करेगी।

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, बिहार, केरल, आंध्र प्रदेश, असम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, महाराष्ट्र और दिल्ली राज्यों में राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम का 10 विपणन विकास केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। मद्रास (तमिलनाडु) और दिल्ली में पहले से ही विपणन विकास केन्द्र काम कर रहे हैं।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सम्बन्धित राज्य सरकार के उद्योग विभाग के सचिव की अध्यक्षता में सभी राज्यों में राज्य स्तरीय अन्तर संस्थान समितियां (एस० एल० आई० आई० सी० एस०) गठित की है और ग्रामीण आयोजन और ऋण विभाग के बैंक के स्थानीय प्रभारी अधिकारी इनके संयोजक हैं। उक्त समिति में लघु उद्योग सेवा संस्थान, लघु उद्योग विकास निगम, राज्य वित्तीय निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और सम्बन्धित राज्य में प्रमुख कार्य करने वाले बैंकों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। जिन अन्य बैंकों/संगठनों का सहयोग आवश्यक समझा जाता है उन्हें विशेष रूप से खास बैठकों में आमंत्रित किया जाता है।

टेलीफोन प्रणाली

2954. **प्रो० मधु दंडवते** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विकसित देशों की टेलीफोन प्रणाली की तुलना में, भारत में टेलीफोन प्रणाली बहुत ही दोषपूर्ण है और टेलीफोन उपभोक्ता प्रायः बार-बार टेलीफोन खराब होने की शिकायतें करते रहते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत में प्रौद्योगिकी सम्बन्धी खामियों के कारण टेलीफोन प्रणाली के संचालन में गड़गड़ होती है;

(ग) यदि हां, तो क्या विद्यमान टेलीफोन प्रणाली में कुछ प्रौद्योगिकी सुधार करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो किस प्रकार के सुधार किये जायेंगे ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) यह सच है कि भारतीय टेलीफोन प्रणाली में अपेक्षाकृत बार-बार दोष आ जाते हैं।

(ख) जी हां। अंशतः यह पुरानी तकनालाजी और इसमें पायी जाने वाली कमियों के कारण है।

(ग) जी हां।

(घ) इलैक्ट्रानिक एनॉलाग और डिजीटल टेलीफोन एक्सचेंज प्रारम्भ किए गए हैं जोकि इलैक्ट्रो-मैकेनिकल टेलीफोन प्रणाली से अधिक विश्वसनीय है।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग मे प्रौद्योगिकी कक्ष

2955. **श्री मुरलीधर माने :**
श्री वाई० एस० महाजन :
श्री यशवन्तराव गडाख पाटिल :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने अपने विभिन्न अनुसंधान और विकास संस्थानों में प्रौद्योगिकी कक्ष स्थापित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या तेल प्रौद्योगिकी में विकसित हो रही नवीनतम प्रवृत्तियों के साथ संतुलन बनाये रखने की दृष्टि से यह एक प्रमुख प्रयास होगा;

(ग) इन प्रौद्योगिकी कक्षों से अन्य क्या लाभ होंगे;

(घ) तेल की खोज में इससे कितनी सहायता मिलेगी; और

(ङ) प्रौद्योगिकी कक्षों की स्थापना से कितना वित्तीय भार बढ़ जायेगा ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) ये सैल अन्तर्राष्ट्रीय, प्रौद्योगिकीय वातावरण का अवलोकन करके प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पिछड़ेपन का पता लगायेंगे तथा इसकी कमी को दूर करने के उपाय ढूंढेंगे ताकि विशेषज्ञता विकसित की जा सके।

(घ) प्रतिकूल, अति जोखिम वाले, भौगोलिक रूप से जटिल तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में तेल की खोज के लिए अद्यतन प्रौद्योगिकी के साथ सामंजस्य रखने में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग सक्षम होगा।

(ङ) इनके लिए अलग से कोई वित्तीय भार निहित नहीं है, प्रौद्योगिकी सेल तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के अनुसंधान और विकास प्रणाली के अभिन्न अंग हैं।

दूरसंचार विभाग के बचाव के लिए सुरक्षा हेल्मेट

2956. **श्री दिग्विजय बहादुर सिंह** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार विभाग ने महाप्रबंधक (टेलीफोन) भोपाल को बचाव के लिए सुरक्षा हेल्मेट प्रदान करने के अनुदेश जारी किये थे;

(ख) क्या इस बात का विशेष रूप से उल्लेख किया गया था कि ये हेल्मेट आई० एस० आई० की विशिष्टता सं० आई० एस० 2925 (1984) अथवा खरीदने से पहले इसकी नवीनतम व्याख्या के अनुरूप होने चाहिए;

(ग) यदि हां, तो घटिया स्तर के हेल्मेट खरीदने के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी हां, सभी महा प्रबंधकों को अनुदेश जारी कर दिए गए थे कि फिलहाल लाइन स्टाफ की सुरक्षा के लिए हेलमेट प्रदान किये जाएं।

(ख) जी हां।

(ग) आई० एस० आई० विशिष्टिता सं० आई० एस० 2925 (1984) के अनुसार ही खरीद की गई है। अतः घटिया किस्म के हेलमेटों की खरीद का प्रश्न ही नहीं उठता।

टेलीफोन पर बातचीत टेप करने के बारे में शिकायतें

2957. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीफोन पर बातचीत टेप करने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में प्राप्त हुई शिकायतें का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन शिकायतों की कोई जांच की गई है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार का टेलीफोन पर बातचीत टेप करना रोकने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

चीन/पाकिस्तान दूरदर्शन के कार्यक्रमों का कलकत्ता तथा अन्य स्थानों से देखा जाना

2958. **डा० बी० एल शैलेश** :
श्रीमती ऊषा चौधरी :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि 7 जून, 1988 को कलकत्ता पाकिस्तान दूरदर्शन द्वारा प्रसारित कार्यक्रम देखा गया तथा पूर्वोत्तर राज्यों में चीन पाकिस्तान दूरदर्शन द्वारा प्रसारित कार्यक्रम प्रायः साफ-साफ देखे जाते हैं;

(ख) क्या पाकिस्तान के प्रसारण के समाचार राजस्थान से भी प्राप्त हुए हैं;

(ग) क्या प्रातःकालीन प्रसारण पर कोई निगरानी रखी जाती है;

(घ) क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच-पड़ताल की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं तथा इस घुसपैठ का प्रतिरोध करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) कलकत्ता में 7 जून, 1988 को तथा 2 जून, 1988 से 11 जून, 1988 तक की अवधि में राजस्थान के कतिपय भागों में चपल पाकिस्तानी टी० वी० सिग्नल प्राप्त होने की सूचना है। पीछे हाल ही में अलोंग (अरुणाचल प्रदेश) में भी ऐसे ही चपल चीनी टी० वी० सिग्नल प्राप्त होने का सूचना मिली है।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) ये चपल सिग्नल विशेष वातावरण तथा मौसम सम्बन्धी परिस्थितियों से उत्पन्न असामान्य संचरन के माध्यम से प्राप्त होते हैं। 15-3-88 को दिल्ली के कुछ भागों में पाकिस्तानी टी० वी० सिग्नल प्राप्त होने की रिपोर्ट मिलने के बाद दूरदर्शन के इंजीनियरों तथा राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों द्वारा की गई संयुक्त विस्तृत जांच के आधार पर इस बात का पुष्टि हुई है।

उड़ीसा में ऊर्जा की मांग

2959. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक उड़ीसा राज्य को कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी;

(ख) इस मांग को पूरा करने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) 13वें विद्युत सर्वेक्षण के अनुसार, उड़ीसा राज्य में, आठवीं योजना के अंत तक, ऊर्जा की आवश्यकता 19267 मिलियन यूनिट होने की आशा है।

(ख) और (ग) उड़ीसा में विद्युत की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए किए गए उपायों में ये शामिल हैं; नई क्षमता वाले कायक्रमों को शीघ्र चालू किया जाना, विद्यमान विद्युत केन्द्रों के कार्य निष्पादन में सुधार लाना, पारेषण एवं वितरण हानियों को कम करना, केन्द्रीय विद्युत उत्पादन केन्द्रों तथा पड़ोसी प्रणालियों से विद्युत की सप्लाई करना तथा मांग प्रबन्ध एवं ऊर्जा संरक्षण सम्बन्धी उपायों को क्रियान्वित करना।

रेशम बुनाई उद्योग को शुल्क में रियायत

2960. डा० दत्ता सामन्त :
प्रो० पी० जे० कुरियन :
श्री विजय एन० पाटिल :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फेडरेशन आफ इंडियन आर्ट सिल्क वीविंग इंडस्ट्री ने सरकार से शिकायत की है कि कृत्रिम फिलामेंट धागा उत्पादकों ने 1988-89 के बजट में शुल्क में दी गई रियायतों का उन्हें लाभ नहीं दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या प्रयास किये गये हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) इस वर्ष के बजट में घोषित की गई सिंथेटिक फाइबर्स पर उत्पादन शुल्कों में कमी के परिणामस्वरूप पालिएस्टर स्टेपल फाइबर्स और फिलामेंट यार्न विनिर्माताओं ने करों में राहत का लाभ कुल मिलाकर उपभोक्ताओं तक पहुंचा दिया था। कुछ अन्तर्वस्तुओं का लागत में कथित वृद्धि के कारण हाल ही में विनिर्माताओं ने इन उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि कर दी है। कपड़ा आयुक्त की अध्यक्षता में एक मूल्य मानीटरिंग समिति के माध्यम से स्थिति पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

नारियल जटा से निर्मित वस्तुओं के लिए अनुसंधान और विकास के उपाय

2961. श्री के० कुन्जम्बु : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नारियल जटा से निर्मित वस्तुओं को विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धा करने के लिए कोई अनुसंधान और विकास के उपाय किये जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन उपायों के वास्तव में कोई अच्छे परिणाम निकले हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) केन्द्रीय कयर अनुसंधान संस्थान, कालावूर (सी० सी० आर० आई०) कयर उत्पादों की लागत प्रतिस्पर्धा व गुणवत्ता में सुधार करने के लिए अनुसंधान तथा विकास करता रहा है। सी० सी० आर० आई० द्वारा विकसित की गई कुछ उन्नत तकनीकी/प्रणालियों में (1) मशीन द्वारा चलायी गयी भूसी से कयर फाइबर निकालना, (2) कयर धागों की कताई हेतु उन्नत प्रणाली, (3) चटाइयों, टोकरों आदि की बुनाई हेतु उन्नत हथकरघे शामिल हैं।

(ग) और (घ) चूंकि कयर उद्योग एक परम्परागत उद्योग है इसलिए इसके आधुनिकीकरण की गति धीमी है। ठोस परिणाम केवल तब ही सामने आयेंगे जबकि यांत्रिकीकरण की गति बढ़ जाए।

जस्ता और निकल के मूल्यों में भारी वृद्धि

2962. **श्री जी० एस० बसवराजु :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जस्ता और निकल के मूल्यों में अभूतपूर्व वृद्धि होने से इनके खपत-एकक मृतप्रायः स्थिति में आ गए हैं;

(ख) क्या अनेक एकक पहले ही बन्द हो चुके हैं अथवा बन्द होने की स्थिति में आ चुके हैं;

(ग) क्या इन एककों ने तुरन्त राहत के लिए सरकार से अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो सरकार राहत देने हेतु किस सीमा तक सहमत हुई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके मुख्य कारण क्या हैं ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) अप्रैल-जुलाई, 1988 के दौरान ज़िंक और निकल की कीमतें बढ़ी हैं किन्तु सरकार को ऐसी कोई स्पष्ट सूचना नहीं मिली है कि इन वस्तुओं की कीमतें बढ़ने के कारण निकल और जिंक इस्तेमाल करने वाला कोई एकक बन्द हो गया हो।

(ग) से (ङ) सरकार को समय-समय पर उपभोक्ताओं से इस आशय के अभ्यावेदन मिलते रहे हैं कि आयात शुल्क में कमी की जाए। आयात शुल्कों में संशोधन करते समय सीमा-शुल्क घटाने संबंधी अनुरोधों पर उचित ध्यान दिया जाता है।

लघु तथा अत्यंत छोटे उद्योगों की रुग्णता

2963. **श्री लक्ष्मण मलिक :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु तथा बचत अत्यन्त छोटे उद्योगों की बढ़ती जा रही रुग्णता के बारे में कोई अध्ययन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन उद्योगों को पुनः अर्थक्षम न बनाये जा सकने की स्थिति में न पहुंचने देने के लिये क्या प्रयास किए गए हैं ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) देश में बैंकों से सहायता प्राप्त रुग्ण औद्योगिक एककों से सम्बन्धित आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपनाई गयी परिभाषा के अनुसार एकत्र किए जाते हैं। दिसम्बर, 1986 के अंत तक की स्थिति के अनुसार बैंकों द्वारा 1,45,776 लघु औद्योगिक एकक रुग्ण पाये गये जबकि दिसम्बर, 1985 के अन्त में यह संख्या 1,17,783 थी जो कुल उधार लेने वाले लघु औद्योगिक एककों का क्रमशः 7.8 प्रतिशत व 7.2 प्रतिशत बनता है। रुग्ण लघु औद्योगिक एककों में अवरुद्ध राशि दिसम्बर, 1986 और दिसम्बर, 1985 के अन्त तक लघु एककों को दी गयी कुल बैंक अग्रिमों की क्रमशः 14.4 प्रतिशत और 13.7 प्रतिशत थी।

(ग) सरकार द्वारा लघु उद्योग क्षेत्र में प्रारंभिक अवस्था में रुग्णता का पता लगाने तथा रुग्ण इकाइयों की पुनर्स्थापना करने की दिशा में अनेक अभ्युपाय किए गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने

फरवरी, 1987 में सभी वाणिज्यिक बैंकों को व्यापक मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए हैं, जिसमें आरम्भिक अवस्था में रुग्णता का पता लगाने, रुग्ण लघु इकाइयों का पता लगाने, जीव्यता के मानदंड तथा जीव्यक्षम रुग्ण इकाइयों के मामले में पुनर्स्थापना पैकेज का कार्यान्वयन करने के लिए बैंकों/ वित्तीय संस्थानों से प्राप्त होने वाली राहतों तथा रियायतों के बारे में विशेष रूप से उल्लेख है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा मई, 1986 में स्थापित लघु उद्योग विकास निधि से भी उन रुग्ण लघु उद्योग इकाइयों की पुनर्स्थापना के लिए सहायता उपलब्ध है जिन्हें वाणिज्यिक बैंकों, राज्य वित्तीय निगमों, राज्य लघु उद्योग विकास निगमों से वित्तीय सहायता मिली हुई है। जीव्यक्षम रुग्ण लघु उद्योग इकाइयों को अगस्त, 1987 में स्थापित राष्ट्रीय इक्विटी निधि से प्रतिवर्ष एक प्रतिशत के मामूली सेवा प्रभार पर उन एककों को, जिनकी परियोजना लागत 5 लाख रुपये से अधिक नहीं है, 75,000 रुपये तक की दीर्घकालिक इक्विटी सहायता उपलब्ध है। भारत सरकार द्वारा रुग्ण लघु औद्योगिक इकाइयों को पुनर्स्थापित करने के लिए सीमांत धन योजना का उदारीकरण किया गया है और इस योजना के अधीन सहायता राशि को प्रति इकाई 20,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया गया है।

12.00 बजे मध्याह्न

(**व्यवधान**)

[**अनुवाद**]

श्रीमती मीरा कुमार (बिजनौर) : महोदय, डी० टी० सी० पांच आदमियों ने एक युवती के साथ दुर्व्यवहार किया है। (**व्यवधान**)

[**हिन्दी**]

अध्यक्ष महोदय : देखिए, आप लिखकर दीजिए। मैं इसकी पड़ताल करवाता हूं।

(**व्यवधान**)

[**अनुवाद**]

श्री तम्पन थामस (मवेलीकरा) : यह बहुत बुरी बात है। (**व्यवधान**)

श्रीमती मीरा कुमार : महोदय, हम यह जानना चाहते हैं कि क्या कार्यवाही की गई है। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : देखिए, हम जानते हैं कि यह बहुत गम्भीर घटना है। हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। आप मुझे लिख कर दीजिए। मैं इसकी जांच करवाऊंगा। [**हिन्दी**] आप इसकी इम्पोर्टेंस क्यों घटा रहे हैं ?

(**व्यवधान**)

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : विशेष रूप से पुलिस के व्यवहार की जांच की जानी चाहिए। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : हमें पता लगाने दीजिए। हम उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही करेंगे।

(**व्यवधान**)

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : जहानाबाद में ग्यारह हरिजनों का कत्लेआम किया गया है। (व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : हरिजनों पर अत्याचार जारी हैं। जहानाबाद में दमुहा गांव में ग्यारह हरिजनों को मार दिया गया। (व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : महोदय, इस चर्चा को पहले लिया जाना चाहिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं यह बहुत गम्भीर बात है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री आचार्य, आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते ? मुझे कुछ समय दीजिए।

(व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : श्री बूटा सिंह एक वक्तव्य दें। (व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : परसों··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री आचार्य, आप सुनते क्यों नहीं ? कम-से-कम मुझ पर कुछ कृपा करें। आप एक नेता हैं। आप हमेशा बाधा डालते रहते हैं। आप मेरे साथी हैं। कम-से-कम मुझे भी कुछ समय दीजिए। ऐसा करना आपको शोभा नहीं देता।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे सहमत हूं। यह एक गम्भीर मामला है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर स्थगन प्रस्ताव तक की अनुमति देना चाहता था। चूंकि हम इस विषय में पहले ही बात कर रहे हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते। अतः हम इसे बाद में लेंगे। यह सभा का ध्यान दिलाने के लिए प्रमुख मामला है। यह बिलकुल उसके बराबर है।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : इससे पहले उन्हें एक वक्तव्य देना चाहिए क्योंकि वे परसों वहीं थे। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम बहादुर सिंह (छपरा) : वे तो जहानाबाद गए भी थे। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वे अपना उत्तर देंगे और मेरे विचार से वे अपने दौरे और उसके परिणाम का उल्लेख करेंगे।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : अध्यक्ष महोदय, कृपया मैंने जो नोटिस दिया है उसके बारे में मेरा निवेदन सुन लीजिए। मैंने मांग की है कि जब नागरिकों की एकान्तता के अधिकार का उल्लंघन होता है··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर पहले ही विचार कर रहा हूं

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : प्रथमदृष्टया मामले के लिए, मैं केवल एक निवेदन करना चाहता हूं··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैंने इस पर पहले ही विचार किया है ।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : मैंने गुण्डु राव की सरकार का 16-3-1981 का एक आदेश पेश किया है जिसमें पुलिस प्राधिकारियों को शिमोगा जिले से पैंतीस नाम दिए गए हैं और यह निर्देश दिए गए हैं कि इन उनके सन्देशों को बीच में पढ़ा या सुना जाना चाहिए। दूसरे, मेरे पास तमिलनाडु सरकार का आदेश है।···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं अनुमति नहीं दूंगा । यह उचित तरीका नहीं है। अनुमति नहीं है।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : देखिए। आप भी सीमा का उल्लंघन करते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि मैं स्वीकार नहीं करता तो, आप इसके लिए जोर दे सकते हैं । मैंने पहले ही आपका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : क्या आपने मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जी, हां।

प्रो० मधु दंडवते : यदि आपने इसे स्वीकार कर लिया है, तो ठीक है···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको मेरी बात क्यों नहीं सुननी चाहिए ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि आप कुछ बातें याद नहीं रख सकते हैं तो मैं क्या कर सकता हूं। पहले मैंने सातवीं लोक सभा में भी कहा था कि यदि आप इसके बारे में कुछ करना चाहते हैं और यदि आप चाहते हैं कि मैं कुछ कानूनों की एक अलग ढंग से व्याख्या करूं, मैं ऐसा नहीं कर सकता । आपको ही कानून बदलने हैं। अतः यह आसान है। आप कानून को बदलें क्योंकि मैं केवल···

(व्यवधान)

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, आप सहमत होंगे···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं बिना आधार के किसी बात से सहमत नहीं होता।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री भारद्वाज।

(व्यवधान)

12.02 म० प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

न्याय प्रशासन के विकेन्द्रीकरण—उच्च शिक्षा केन्द्रों से संबंधित विवादों के संबंध में विधि आयोग का प्रतिवेदन

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

विधि आयोग के न्याय प्रशासन के विकेन्द्रीकरण-उच्च शिक्षा केन्द्रों से संबंधित विवाद से संबंधित एक सौ तेईसवें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 6399/88]

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : क्या आप मुझे कर्नाटक सरकार और तमिलनाडु सरकार के आदेश सभा पटल पर रखने की अनुमति देंगे? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कोई प्रश्न नहीं। जब हम उस प्रश्न पर बात करेंगे तो देखेंगे।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : ठीक है। मैं इसे उस समय सभा पटल पर रख दूंगा। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री कल्पनाथ राय।

भारतीय विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 की धारा 38 की उपधारा (3) के अन्तर्गत भारतीय विद्युत (संशोधन-I) नियम, 1988, जो 23 अप्रैल, 1988 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 336 में प्रकाशित हुए थ, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 6400/88]

पेट्रोलियम अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 की धारा 29 की उपधारा (4) के अन्तर्गत पेट्रोलियम (संशोधन) नियम, 1988, जो 21 मार्च, 1988 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 362(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए सं० एल० टी० 6401/88]

12.03 बजे

राज्य सभा से संदेश

महासचिव : मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेशों की सूचना सभा को देनी है :—

"(एक) मुझे राज्य सभा को यह सूचना देने का निदेश हुआ है कि भ्रष्टाचार निवारण विधेयक, 1987, जिसे लोक सभा ने 7 मई, 1987 को हुई अपनी बैठक में पारित किया था, को राज्य सभा ने 11 अगस्त, 1988 को हुई अपनी बैठक में निम्नलिखित संशोधनों सहित पारित कर दिया है :—

अधिनियमन सूत्र

1. कि पृष्ठ 1, पंक्ति 1 में, "अड़तीसवें" शब्दों के स्थान पर "उनतीसवें" शब्द प्रतिस्थापित किया जाए।

खण्ड-1

2. कि पृष्ठ 1, पंक्ति 6 में, अंक "1987" के स्थान पर अंक "1988" प्रतिस्थापित किया जाए।

खण्ड 29

3. कि पृष्ठ 14, पंक्ति 3 में, अंक "1987" के स्थान पर अंक "1988" प्रतिस्थापित किया जाए।

इसलिए मुझे राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 128 के उपबंधों के अनुसरण में उक्त विधेयक को इस अनुरोध के साथ लौटाना है कि इस सभा को उक्त संशोधनों पर लोक सभा की सहमति से सूचित किया जाए।"

"(दो) राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 11 अगस्त, 1988 को हुई अपनी बैठक में, लोक सभा द्वारा 13 मई, 1988 की अपनी बैठक में पारित किए गए राष्ट्रीय जलमार्ग (ब्रह्मपुत्र नदी का सादिया-धुबरी विस्तार) विधेयक, 1988 से बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है।"

भ्रष्टाचार निवारण विधेयक

राज्य सभा द्वारा संशोधनों सहित लौटाए गए रूप में

महासचिव : महोदय, मैं राज्य सभा द्वारा संशोधनों सहित लौटाया गया भ्रष्टाचार निवारण विधेयक, 1987 सभा पटल पर रखता हूं।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : शुक्रवार को जब पूरे विपक्ष ने सदन से बहिर्गमन किया तो श्री बूटा सिंह ने यहां एक वक्तव्य दिया और कहा कि धरना में बैठकर पश्चिम बंगाल के मंत्रीगण अपने संवैधानिक अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं। वे पश्चिम बंगाल की मंत्री परिषद के धरने को संवैधानिक अधिकारों का दुरुपयोग कैसे कह सकते हैं ? (**व्यवधान**) आपने मेरी बातों को ध्यान से नहीं सुना (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं तर्कसंगत बातों को ध्यान से सुनता हूं।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव हम बाद में लेंगे।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला दीक्षित) : हम इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को कल उठाएंगे क्योंकि श्री राजेश पायलट को राज्य सभा में 4 बजे एक वक्तव्य देना है। इसलिए वे इस सदन में 4 बजे के बाद नहीं रहेंगे क्योंकि उन्हें वहां अनेक प्रश्नों का उत्तर देना है। इसलिए हमें इसे कल तक के लिए स्थगित करना होगा।

अध्यक्ष महोदय : हम इसे कल लेंगे। कोई बात नहीं है।

श्री बसुदेव आचार्य : आपने मेरी बातों को ध्यान से नहीं सुना।

अध्यक्ष महोदय : यह आपका विचार है और वह उनका। इन बातों की चिन्ता न करें।

12.05-1/2 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) खनन के लिए कोयला-धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम के अधीन भूमि अर्जित करने की बजाए भूमि अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत भूमि अर्जित करने के लिए और कोयला-धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम में संशोधन करने के लिए राज्यों की मांग पर विचार करने की आवश्यकता

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : पर्याप्त मुआवजा तथा नौकरी की मांग करने वाले भूस्वामियों के सहयोग न देने के कारण अनेक सहायक कोयला कम्पनियों के लिए भूमि अर्जन के काम में संतोषजनक प्रगति नहीं हो रही है। इसके अतिरिक्त कुछ राज्यों में राज्य सरकारें भी कोयला

खनन के लिए भूमि अर्जन के लिए आगे नहीं बढ़ रही हैं क्योंकि वे राज्य भूमि अर्जन अधिनियम के तहत अपनी भूमि के अधिग्रहण के लिए उचित मुआवजा या आवश्यक पट्टे पर किश्त के भुगतान की मांग कर रहे हैं। परिणामस्वरूप कुछ नयी खानों में खनन कार्य रुक गया है। ऐसा कहा जाता है है कि राज्यों ने ऐसा कड़ा कदम इस कारण उठाया है कि बार-बार सूचना दिये जाने के बावजूद कोल इंडिया लि० तथा ऊर्जा मंत्रालय से उनकी मांग के बारे में कोई जवाब नहीं आया है। उच्च स्तर पर लंबित पड़े इस मामले पर अत्यधिक राष्ट्रीय हित में एक सौहार्दपूर्ण समझौते की आवश्यकता है।

इसके अतिरिक्त कुछ राज्य सरकारों के इस विचार कि कोयला खनन के लिए भूमि अर्जन कोयलाधारक क्षेत्र (अर्जन एवं विकास) अधिनियम, 1957 के बजाए भूमि अर्जन अधिनियम के तहत हो, पर गंभीरतापूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। यह आरोप है कि इस अधिनियम के तहत भूमि अर्जन से भूस्वामियों को पर्याप्त मुआवजा तथा सरकारी जमीन के लिए राज्य को किश्त नहीं दी जाती है। इसलिए कोयलाधारक क्षेत्र (अर्जन तथा विकास) अधिनियम में उपयुक्त संशोधन किया जाए या इसे रद्द किया जाए क्योंकि नयी कोयला खानों में रोजगार अवसरों का सृजन किया जा रहा है तथा जमीन देने वालों के रोजगार की मांग तर्कसंगत है और इसलिए दोनों की पूर्ति नैतिक तथा मानवता आधारों पर होनी चाहिए।

12.08 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

(दो) राष्ट्रीय संग्रहालय प्राधिकरण द्वारा सोवियत संघ में भारत महोत्सव में प्रदर्शन के लिए उड़ीसा के संग्रहालयों से किराये पर ली गई मूर्तियों को लौटाने में हुए विलम्ब के बारे में जांच पड़ताल करने की मांग

श्रीमती जयंती पटनायक (कटक) : कोणार्क संग्रहालय से पांच मूर्तियां तथा रत्नगीरी संग्रहालय से चार बौद्ध प्रतिमाएं भारत महोत्सव में प्रदर्शन के लिए सोवियत संघ में ले जाई गयी थीं। यह बात बहुत खेदजनक है कि विदेशों में भेजी गई दो मूर्तियां अभी तक उड़ीसा में संग्रहालयों को नहीं वापस की गई हैं। ये मूर्तियां राष्ट्रीय संग्रहालय प्राधिकरण से किराये पर ली गई थीं। मैं भारत सरकार से अनुरोध करती हूं कि वह इस मामले की जांच करे और संबंधित उड़ीसा संग्रहालय को ये मूर्तियां अविलम्ब वापस करने के लिए आवश्यक कदम उठाए।

(तीन) बिहार में सम्बलपुर स्थित अशोक पेपर मिल में उत्पादन आरम्भ किए जाने की मांग

[हिन्दी]

श्री रामबहादुर सिंह (छपरा) : उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर बिहार में अशोक पेपर मिल समस्तीपुर में 1957 में दरभंगा राज द्वारा स्थापित की गई। 1970 में इस मिल को ज्वाइंट सेक्टर में बिहार सरकार, आसाम सरकार, और आई० डी० बी० आई० ने मिल कर चलाने का फैसला किया। इसका प्रबंध आसाम, बिहार और आई० डी० बी० आई० के निदेशक मण्डल ने किया। 1975 में उत्पादन शुरू हुआ लेकिन दुर्भाग्य यह रहा कि दोषपूर्ण प्रबंधक के कारण 26 करोड़ रुपए का घाटा हुआ और 1982 से मिल में उत्पादन एवं मिल मजदूरों का वेतन आदि भी बन्द हो गया। हालांकि कानूनी रूप से यह मिल बन्द नहीं है। इस मिल में पुनः उत्पादन शुरू कराने और मजदूरों को वेतन

आदि दिलाने की मांग उसी समय से चल रही है, किन्तु आज तक न तो उत्पादन शुरू हुआ और न ही मजदूरों को वेतन आदि दिया गया। स्मरणीय है कि आसाम बकार्ड में भी यह फैसला लिया गया है कि आसाम में जो यूनिट हैं उसी के अनुरूप इस मिल के साथ भी व्यवहार होगा, किंतु आसाम यूनिट को तो केन्द्र सरकार द्वारा हर तरह की सुविधा दी गई जिसके फलस्वरूप वहां के मजदूरों को वेतन आदि भी मिल रहा है और वहां उत्पादन शुरू भी है। लेकिन इस यूनिट के लिए कुछ नहीं किया गया। जब श्री उमाधर सिंह, विधायक बिहार द्वारा आमरण अनशन शुरू किए जाने पर केन्द्रीय उद्योग मंत्री ने जवाब दिया कि यह मामला बी० आई० एफ० आर० के तहत लंबित है, इसलिए बी० आई० एफ० आर० के द्वारा फैसला करने के बाद ही कुछ हो सकता है लेकिन जब कभी भी इसके निबटारे की तारीख बी० आई० एफ० आर० में पड़ती है तो सरकार द्वारा समय ले लिया जाता है।

इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि अविलंब अशोक पेपर मिल में उत्पादन शुरू कराया जाए, मजदूरों को वेतन आदि दिलाया जाए और मिल का स्वामित्व निर्धारित कराया जाए ताकि अशोक पेपर मिल में कार्यरत 1200 मजदूरों को भूख से मरने से बचाने के साथ-साथ बिहार के आर्थिक विकास को भी समुन्नत किया जा सके।

(चार) गुजरात में हाल ही में परिवर्तित तीव्र अतितीव्र रेल गाड़ियों के अधिक हाल्ट बनाए जाना

डा० ए० के पटेल (मेहसाना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन में एक लोक महत्व का मामला नियम-377 के अनुसार रख रहा हूं।

थोड़े समय से गुजरात, सौराष्ट्र एवं आस-पास के क्षेत्रों की लगभग तमाम रेलवे ट्रेन फास्ट, मेल एवं एक्सप्रेस कर दी गई हैं, पैसेन्जर ट्रेनें सब फास्ट कर दी गई हैं। भोपाल पैसेन्जर वगैरह जो-जो भी पैसेन्जर ट्रेनें थीं सब फास्ट ट्रेनें कर देने से गरीब, किसान, मजदूर आम जनता एवं खास कर नौकरी करने वाले जो छोटे-छोटे गांव एवं कस्बे से आसपास नौकरी धन्धा करने जाते थे, वे सब मुसीबत में हैं। इनके लिए आने जाने का जो एक मात्र साधन रेलवे ट्रेनें थी, वह भी छीना गया है। फास्ट ट्रेनें बना देने से छोटे-छोटे स्टेशनों पर ट्रेन हाल्ट नहीं करतीं जिससे वे ट्रेन के लाभ से वंचित हो गए हैं उनकी रोजी रोटी छिन गई है। नौकरी धंधे वालों के लिए आने जाने का सवाल हो गया है।

रेलवे अधिकारियों को हमेशा गरीब, मध्यम वर्ग, किसान, मजदूर एवं नौकरी वालों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। लोकल एवं पैसेन्जर ट्रेन बन्द करने से या फास्ट कर देने से वे कैसे सफर करेंगे?

रेल मंत्री जी से मेरी मांग है कि इस तरह जहां-जहां पैसेन्जर ट्रेनें फास्ट की दी गई हैं वहां या तो स्टाप (हाल्ट) दिया जाए या दूसरी सुविधा दी जाए जैसे कि लोकल ट्रेनें या शटल ट्रेनें दी जाएं। सिर्फ थोड़े लोगों की सुविधा की खातिर गरीब, मजदूर, किसान एवं नौकरी करने वालों को सजा नहीं देनी चाहिए, समुचित व्यवस्था की जाए।

(पांच) जोधपुर और जैसलमेर क्षेत्र में रेल पटरियों से रेल न हटाए जाने में रेल विभाग की लापरवाही, जिसके कारण अनेक रेल गाड़ियां रद्द की गई, के बारे में जांच किये जाने की मांग

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, उत्तरी रेलवे की निम्न रेलगाड़ियां बालोतरा एवं बाड़मेर एवं जोधपुर एवं जैसलमेर, बाड़मेर एवं मुनाबर के बीच में जून और जुलाई,

1988 में करीब एक माह बंद रहीं। (1) 1 जे० बी० अप (2) 2 जे० बी० डाऊन (3) 207 अप (4) 208 डाऊन (5) आई० से पी० से अप (6) 2 जे० पी० जे० डाऊन (7) 4 जे० बी० जे० डाऊन (8) 3 जे० बी० जे० अप (9) बाड़मेर से मुनाबर।

उक्त रेलगाड़ियों के बन्द होने का कारण धूल भरी आंधियों द्वारा रेल पटरी में और रेल पटरी के दोनों ओर रेत का जमाव था। रेलवे विभाग के अधिकारियों एवं इंजीनियरों ने विशेष तौर से अधिक मजदूर लगाने आवश्यक थे जो उन्होंने नहीं लगाए। आवश्यक बुलडोजरों का प्रबंध एवं प्रयोग समय पर नहीं किया, जिसके कारण रेलगाड़ियां बन्द हुईं तथा मुसाफिरों को बसों द्वारा आना-जाना पड़ा जिससे उन्हें अधिक राशि व्यय करनी पड़ी और अधिक तकलीफ का सामना करना पड़ा।

अतः रेलवे विभाग से आग्रहपूर्वक निवेदन है कि समय पर रेत न हटाने के कारणों की निष्पक्ष उच्चस्तरीय जांच की जावे तथा अपना कर्तव्य न निभाने वाले दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए।

भविष्य में इस प्रकार उचित स्थायी व्यवस्था वृक्षारोपण की योजना बनाकर की जावे ताकि रेत के जमाव के कारण रेलगाड़ियां बन्द न हों।

(छः) महिलाओं के सम्मान की रक्षा करने के लिए उपाय किये जाना

श्रीमती उषा रानी तोमर (अलीगढ़) : यह बड़े दुःख की बात है कि वर्तमान समय में महिलाओं पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं और तरह-तरह के गलत कार्यों के लिए उन्हें मजबूर किया जाता है। दहेज के नाम पर उन्हें मार दिया जाता है, सबसे दुःख की बात यह है कि बलात्कार के मुश्किल से दस प्रतिशत मामलों में ही सजा हो पाती है। विभिन्न कानूनों के बावजूद पिछले दस वर्षों में महिलाओं के ऊपर अत्याचार की घटनायें बढ़ी हैं। स्वैच्छिक संगठनों को कानूनी अधिकार दिये जायें जिससे महिलाओं पर अत्याचार रोकने में मदद मिलेगी। ऐसा भी देखने में आया है कि आदिवासी क्षेत्रों में महिलाओं को अब भी गुलामी की जिन्दगी व्यतीत करनी पड़ रही है। इस देश में महिलायें महान रही हैं। फिर भी उनके सम्मान को ठेस पहुंचाई जा रही है। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि इस पर कुछ ठोस कदम उठाना चाहिए।

(सात) इलेक्ट्रोनिकी चिकित्सा पद्धति को सरकार द्वारा मान्यता दिये जाने की मांग

डाक्टर चन्द्रशेखर त्रिपाठी (खलीलाबाद) : भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश में जहां की कुल आबादी के 80 प्रतिशत लोग आज भी गांवों में रहते हैं, वहां अन्य सुविधाओं के साथ चिकित्सा सुविधा का अत्यन्त ही अभाव है। सस्ती औषधि तथा उपयुक्त चिकित्सकों के अभाव में प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में लोग असमय कालकवलित हो जाते हैं। पश्चिमी जर्मनी में प्रचलित गुणकारी हानिरहित, सस्ती चिकित्सा पद्धति एवं औषधियों का प्रयोग भारत में एन० ई० एच० एम० आफ इण्डिया नई दिल्ली गत कई वर्षों से सफलतापूर्वक कर रही है। इस नई पांचवी वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति इलेक्ट्रोपेथी की मान्यता हेतु उक्त संस्था बराबर शासन से अनुरोध करती रही है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री, भारत सरकार ने इसकी वैज्ञानिकता एवं गुणवत्ता की जांच करने हेतु एक विशेषज्ञों की उप-समिति बनाने का आदेश भी प्रदान कर दिया है। इस सम्बन्ध में सरकार का शीघ्र निर्णय करोड़ों गरीब मरीजों के लिए उपयोगी एवं लाभप्रद सिद्ध हो सकता है।

अतः मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री, भारत सरकार से यह मांग करता हूं कि इस नई पैथी को शीघ्र मान्यता प्रदान करने की कृपा करें ताकि सस्ती गुणकारी औषधियों का लाभ देश के लोग प्राप्त कर सकें।

(आठ) **रक्त बैंकों को दिये जाने वाले रक्त की गुणवत्ता की जांच करने के लिए दिशानिर्देश निर्धारित किये जाने की मांग**

[अनुवाद]

श्री विजय एन० पाटिल (इरन्दोल) : जरूरतमंद रोगियों को रक्त देने के पहले भारत में अधिकतर रक्त बैंक एड्स और हिपेटाइटिस की जांच के लिए एलिज टेस्ट नहीं करते हैं। कुछ रक्त बैंक इंस्टीट्यूट आफ बाइरोलोजी तथा संबद्ध संस्थानों को संक्रामक रोगों की जांच के लिए रक्त के नमूने यूं ही भेज देते हैं। परिणाम आने तक रोगी को रक्त दे दिया जाता है। ऐसा देखा गया है कि रक्त बैंक अधिकतर भिखारियों या नशांखोरों से रक्त लेते हैं, जिसके फलस्वरूप जरूरतमंद रोगियों को बहुत घटिया किस्म और कम हीमोग्लोबिन वाला रक्त दिया जाता है।

स्वास्थ्य मंत्रालय को रक्त बैंक को दान किए गये रक्त की जांच के लिए मार्ग निर्देश निर्धारित करने चाहिए। खराब तथा संक्रामक रक्त को रक्त बैंक से हटा देना चाहिए। रक्त बैंक को पेशेवर रक्तदाता का रक्त लेने से पहले जांच करनी चाहिए।

12.15-1/2 म० प०

नियम 193 के अधीन चर्चा

देश के विभिन्न भागों में हरिजनों और आदिवासियों पर अत्याचार

[जारी]

उपाध्यक्ष महोदय : हम आज की कार्यसूची के अगले विषय पर चर्चा करेंगे। अब हम श्री बलवंत सिंह रामूवालिया द्वारा 2 अगस्त, 1988 को उठाए विषय देश के अनेक भागों में हरिजनों और आदिवासियों पर अत्याचार के बारे में आगे चर्चा करेंगे। इस विषय पर चर्चा के लिए सिर्फ 2 घंटे का समय रखा गया था परन्तु हमने 5 घंटे 6 मिनट की चर्चा पहले ही की है। अब मैं सदन का विचार जानना चाहूंगा कि क्या हम इस विषय पर चर्चा के लिए और समय दे सकते हैं।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला दीक्षित) : हम इस विषय पर चर्चा के लिए 2 घंटे का समय और दे सकते हैं। अब नई घटनाएं हुई हैं तथा सदस्यगण काफी क्षुब्ध हैं। इसलिए हम दो घंटे का समय और बढ़ा सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि सदन को यह स्वीकार है। अब हम इस विषय पर चर्चा के लिए समय 2 घण्टे बढ़ा रहे हैं। मैं सदस्यों से संक्षेप में अपने विचार प्रकट करने का अनुरोध करता हूं।

श्री तम्पन थामस (मवेलीकरा) : गृह मंत्री ने हत्या स्थल का दौरा किया है। मैं उनसे एक वक्तव्य देने का अनुरोध करूंगा। यह घटना जहानाबाद जिले में हुई है। मैं गृह मंत्री से वक्तव्य देने का अनुरोध करता हूं।

श्रीमती शीला दीक्षित : गृह मंत्री चर्चा के दौरान बोलेंगे ।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) लेकिन उन्हें वक्तव्य देना चाहिए । एक दिन पहले वे जहानाबाद गये थे ।

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी) : मैं भी वहां गयी थी ।

श्री तम्पन थामस : हम जहानाबाद में हुई घटना के बारे में जानने के ज्यादा इच्छुक हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ने पहले ही कहा है कि गृह मंत्री वक्तव्य देंगे ।

श्री तम्पन थामस : कब ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : वे अभी राज्य सभा में हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : श्री महाबीर प्रसाद यादव अपना भाषण जारी रखें ।

श्री महाबीर प्रसाद यादव (माधेपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने उस दिन यह कहकर अपनी चर्चा शुरू की थी कि सुलझायी गयी समस्यायें नई समस्याओं को पैदा करती हैं । आजादी के 40 वर्ष बाद नई समस्यायें उत्पन्न हो गई हैं । सरकार केवल गैर-हरिजनों अथवा हरिजनों के लिए ही नहीं बल्कि उसे जनता की सरकार, जनता के लिए तथा जनता के द्वारा होना चाहिए । यह बात सच नहीं है कि केवल हरिजनों पर ही अत्याचार हो रहे हैं । मैंने यहां बोलने वाले प्रत्येक सदस्य को सुना है । सभी सदस्यों ने अभी तक इस बात का निश्चय नहीं किया है कि कैसे तथा कहां अत्याचार किए जा रहे हैं तथा किसके द्वारा किए जा रहे हैं ।

महोदय, बिहार स्वतंत्र विचारों का ही नहीं बल्कि स्वतंत्र जातिवाद का क्षेत्र है । वहां काफी गंभीर समस्याएं हैं । जहानाबाद में लगभग 18 हरिजनों की हत्या की गई है, सरकार अत्यन्त सावधान है तथा सदस्य भी काफी सावधान हैं, किंतु जब औरंगाबाद जिले में दलेल चौक में 41 राजपूतों की हत्या की गई तो उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया तथा उस समस्या पर गंभीरतापूर्वक ध्यान नहीं दिया गया तथा ऐसी निर्मम हत्याएं जारी हैं । मैं गृह मंत्री का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इस सभा के सदस्यों की समिति द्वारा आंशिक रूप से नहीं बल्कि संपूर्ण रूप से इस समस्या की जांच की जानी चाहिए । 'अत्याचार' का अर्थ साधारण हत्या नहीं है । अत्याचार अनेक प्रकार के हो सकते हैं । आप गैर-हरिजनों के क्षोभ तथा चिंता का अनुमान लगा सकते हैं, जब उनकी भूमि पप हरिजनों अथवा आदिवासियों द्वारा कब्जा कर लिया गया हो । मैं आपको अनेकों उदाहरण दे सकता हूं । गैर-हरिजनों की 300-500 बीघा भूमि पर हरिजनों तथा आदिवासियों द्वारा कब्जा कर लिया गया है तथा सरकार खामोश है तथा कुछ नहीं कर रही है । क्या सरकार इस बात की ओर ध्यान देगी ? मैं आपको एक उदाहरण दे सकता हूं । यह एक सच्चाई नहीं है कि केवल हरिजनों पर ही अत्याचार हो रहे हैं, बहुत से गैर-हरिजन भी इस कारण पीड़ित हैं तथा इनकी जांच इस सभा की एक समिति द्वारा करने दीजिए । क्या यह सभा कभी इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि सभी गैर-हरिजन हरिजनों पर अत्याचार करने के लिए इकट्ठे हुये हैं तथा षडयंत्र किया है ? इसका उत्तर यह है, "नहीं, यह सत्य नहीं है कि सभी गैर-हरिजन हरिजनों पर अत्याचार करने के लिए इकट्ठे हुए हैं तथा षडयंत्र किया है ।" हरिजन ईश्वर की एक मात्र औलाद नहीं हैं तथा न ही गैर-हरिजन शैतान की एकमात्र औलाद हैं । हर जाति में अच्छे तथा बुरे लोग होते हैं ।

कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि कोई जाति पूर्णतः अच्छी है तथा कोई जाति पूर्णतः बुरी है। अच्छाई तथा बुराई हर जगह मौजूद होती है तथा हमें इस बात पर इस तरह ध्यान देना है। मैं आपको उदाहरण देता हूं। मैं कहूंगा कि गैर-हरिजनों पर भी हत्याचार किये जाते हैं। मान लीजिए कि हरिजनों के लिए आरक्षण है, बहुत अच्छी बात है; वे दलित हैं, उनको सेवाओं में आरक्षण दिया जाना चाहिए। मुझे हरिजनों के लिए आरक्षण पर कोई आपत्ति नहीं है। किंतु जब एक कनिष्ठ अधिकारी आरक्षण के आधार पर वरिष्ठ बना दिया जाता है तो भूतपूर्व वरिष्ठ अधिकारी हतोत्साहित हो जाता है। अतः, क्या इस तरह इसे एक अत्याचार नहीं समझा जा सकता है कि वरिष्ठ अधिकारी को बाद में कनिष्ठ अधिकारी के सामने क्यों झुकाया जाता है?

श्री रामस्वरूप राम (गया) : आप आरक्षण का विरोध कर रहे हैं?

श्री महावीर प्रसाद यादव : मैं आरक्षण का समर्थन कर रहा हूं विरोध नहीं किंतु··· (**व्यवधान**)। कृपया मुझे अपनी बात कहने दीजिए।(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनाएं रखें।

श्री महावीर प्रसाद यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार द्वारा हरिजनों के लिए आरक्षण का विरोध नहीं कर रहा हूं। किंतु मैं सरकार के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि जहां इस आरक्षण नीति के कारण एक कनिष्ठ हरिजन अधिकारी उच्च पद पर पहुंच जाता है, यह गैर-हरिजनों को मानसिक यातना, मानसिक तनाव का कारण बनता है। मैं इसका विरोध नहीं करता। मैं यह कह रहा हूं कि यह उत्साह भंग तथा मानसिक तनाव का कारण बनता है तथा इसलिए, यह एक तरह से गैर-हरिजनों पर अत्याचार है।

एक अत्यन्त उदाहरण लीजिए। जब कोई हरिजन अथवा आदिवासी किसी गैर-हरिजन की भूमि पर बलपूर्वक कब्जा कर लेता है तो सरकार क्या करती है? सरकार निष्क्रिय क्यों बैठी है? क्या यह एक संवैधानिक प्रावधान है? मैं ऐसे सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूं जहां हरिजनों द्वारा गैर-हरिजनों की भूमि पर कब्जा कर लिया गया है। यह एक तथ्य है जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। यह सच है कि जहानाबाद, बिहार में 18, 19 अथवा 20 हरिजनों को मारा गया है। किंतु पश्चिमी मोतीहारी, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर तथा रोहतास जिलों में हुई हत्याओं पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया। वहां हजारों व्यक्तियों की हत्या की गई है। मैं यह नहीं कहूंगा कि गलती किसकी है किंतु सरकार को इस बात की जांच करनी है। वहां की समस्याओं की जांच आंशिक रूप से नहीं बल्कि सम्पूर्ण रूप से की जानी चाहिए। इसकी पूरी तरह जांच की जानी चाहिए। भागलपुर जिले के पड़रिया गांव में बलात्कार किया गया। मुंगेर जिले में 9 लोगों की हत्या की गई है। गैर-हरिजनों की हत्या की गई है। खगरिया में हत्याएं की गई हैं। सरकार ने इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया? यह कहना उचित नहीं है कि केवल हरिजनों पर ही अत्याचार होते हैं। हर व्यक्ति की रक्षा करना सरकार की वचनबद्ध नीति है। अत्याचार की समस्याओं की आंशिक रूप से नहीं बल्कि सम्पूर्ण रूप से जांच की जानी चाहिए। जब बिहार के औरंगाबाद जिले के दलेलचक स्थान पर 41 राजपूतों की हत्या हुई तो सरकार ने उस पर ध्यान क्यों नहीं दिया? क्या यह सच नहीं है कि 41 राजपूतों की हत्या की गई थी। मैंने कभी भी इस संवैधानिक प्रावधान का विरोध नहीं किया है कि हरिजनों को आरक्षण मिलना चाहिए। मैं इसका विरोध नहीं करता हूं। किन्तु मेरे कहने का एकमात्र अर्थ यह है कि जहां कहीं भी अत्याचार होता है, उसकी पूरी तरह जांच होने दी जाये। शक्ति तथा

न्याय को एक साथ रखना चाहिए, ताकि जो न्यायोचित है वह शक्तिशाली हो तथा जो शक्तिशाली है वह न्यायोचित हो। शक्ति सदा न्याय के साथ समाविष्ट होनी चाहिए। यदि राजनीति में न्याय शामिल किया जाता है तो यह बहुत अच्छी बात है। किन्तु यदि न्याय में राजनीति शामिल की जाती है तो यह बहुत बुरी बात है। मैं केवल यह कहता हूं कि राजनीति तथा न्याय साथ-साथ होने चाहिए अलग-अलग कभी नहीं होने चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को सर्वत्र न्याय मिलना चाहिए। विपक्ष तथा सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य उन दिनों को भूल गये जबकि एक विशेष जाति के लोग एक विशेष दल के वोट बैंक थे। आपने इलाहाबाद में देखा है कि काशीराम को सुनील शास्त्री के बराबर वोट मिले हैं। हमें इसका ध्यान रखना है। हरिजन कहते हैं कि उनके लिए कुछ नहीं किया गया है। उनको निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। उनकी सेवाओं में आरक्षण दिया जा रहा है। यहां तक कि अल्पसंख्यक भी कहते हैं कि उनके लिए कुछ नहीं किया गया है। श्री जी० एस० राजहंस भूमि सुधारों के बारे में कर रहे थे। हरिजनों को भूमि नहीं मिल रही है। यह केवल प्राप्त करने वालों तथा प्राप्त नहीं करने वालों की समस्या नहीं है। यह मनोवैज्ञानिक समस्या है। तीन बातों, श्रेष्ठता की भावना, हीन भावना तथा सरकारी कानूनों में दोषों के कारण समस्याएं उत्पन्न होती हैं।

श्री तम्पन थामस : क्या यह आपकी नीति है ?

श्री महाबीर प्रसाद यादव : सरकार क्या कर रही है ? क्या यह सभा इस बात से सहमत है कि भूमि का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए ? भूमिधारियों के लिए क्या लाभ हैं ? यदि किसी भूमिधारी के पास 50 एकड़ भूमि है, उसका जीवन-स्तर शहरी क्षेत्र के पान वाले के समान नहीं हो सकता है। भूमिधारियों, हरिजनों तथा गैर-हरिजनों के लिए समान अवसर होने चाहिए। एक व्यक्ति अपनी भूमि बेचकर सरकारी नौकरी हासिल करने को तैयार है। भूमिधारी की यह शर्त है कि नौकरी पाने के लिए वह अपनी भूमि देने को तैयार है तथा हर व्यक्ति कहता है कि हरिजनों तथा अल्पसंख्यकों के लिए कुछ नहीं किया गया है, जैसे यह देश केवल हरिजनों तथा अल्पसंख्यकों का ही है तथा गैर-हरिजन तथा अन्य लोग देश से बाहर हैं। हर चीज उचित परिप्रेक्ष्य में होनी चाहिए तथा अल्पसंख्यकों, हरिजनों तथा सबके लिए न्याय दिया जाना चाहिये।

श्री अमर रायप्रधान (कूच बिहार) : क्या यह कांग्रेस की नीति है ?

श्री संतोष मोहन देव : यह एक वैयक्तिक राय है।

श्री महाबीर प्रसाद यादव : मैं कह रहा था कि हरिजनों को सेवाओं में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। हरिजनों पर अत्याचार कैसे किया जाता है, मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। एक हरिजन बी० डी० ओ० था। वह कहता था कि

[हिन्दी]

ऊपर आसमान, नीचे पासबान, और बीच में कोई नहीं। एक दो एग्जाम्पल और सुन लीजिए।

[अनुवाद]

क्या हरिजन गैर-हरिजनों पर अत्याचार नहीं कर रहे हैं ? हरिजनों की क्या हालत है ? मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं कि गैर-हरिजन किस तरह से हरिजनों के अत्याचार का शिकार होते हैं।

श्री तम्पन थामस : आप शंकराचार्य का पक्ष ले रहे हैं।

श्री महावीर प्रसाद यादव : तीन बी० डी० ओ० का स्थानान्तरण किया गया था। इन सभी बी० डी० ओ० को एक साथ कार्य भार से मुक्त किया जाना था। किन्तु दो गैर-हरिजन बी० डी० ओ० को एक साथ कार्यभार से मुक्त कर दिया गया तथा एक हरिजन बी० डी० ओ० दस महीने तक वहीं रहने दिया गया। एक गैर-हरिजन बी० डी० ओ० ने अपनी बेटी की शादी करने के लिए एक महीना रुकने के लिए आवेदन किया। उसको समय नहीं दिया गया। किन्तु दो अन्य गैर-हरिजन बी० डी० ओ० को तत्काल कार्यभार से मुक्त कर दिया गया किन्तु हरिजन जिलाधीश ने हरिजन बी० डी० ओ० को दस महीने तक वहीं रहने दिया। जब यह बात मुख्य सचिव के ध्यान में लाई गई, तब उस बी० डी० ओ० को कार्यभार से मुक्त किया गया था।

मैं इन बातों को सम्पूर्ण परिप्रेक्ष्य में देखने के लिए आपको यह उदाहरण दे रहा हूं। **(व्यवधान)** भारत में अथवा बिहार में रह रहे सभी लोगों का विचार करते हुए इन बातों को उचित परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए···**(व्यवधान)** प्रजातांत्रिक सरकार में विभिन्न मामलों पर अच्छी चर्चा होनी चाहिए। लोगों द्वारा निश्चित रूप से अपने दृष्टिकोणों की अभिव्यक्ति करनी होगी। किन्तु इसके साथ ही उनके अपने विचार रचनात्मक तथा प्रजातांत्रिक ढंग से अभिव्यक्त करने चाहिए ताकि सारे भेदभाव दूर किए जा सकें तथा एकता स्थापित की जा सके। विपक्ष भी हमारी प्रजातांत्रिक प्रणाली का एक हिस्सा है तथा उससे प्रजातांत्रिक ढंग से काम करने की आशा की जाती है।

मैं अन्त में एक वाक्य और जोड़ना चाहूंगा। हम सबको सामाजिक सद्भाव के लिए काम करना चाहिए। मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है कि इस समय बिहार में सामाजिक सद्भाव नहीं है। यह एक दुखद बात है। बिहार में जातीय भावना है; इस समय बिहार में जातीय संघर्ष जारी है। मैं माननीय गृह मन्त्री के ध्यान में यह बात लाना चाहूंगा कि यदि इस मामले की किसी तरह जांच की जा रही है तो यह जांच सम्पूर्ण रूप से समुचित ढंग से तथा सच्ची भावना तथा पूर्ण तथा विस्तृत ढंग से की जानी चाहिए। मैं इन शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अमर रायप्रधान : उपाध्यक्ष महोदय, 16 जून को पहला जहानाबाद कांड हुआ था। वहां दो महीने के अंदर एक दूसरा कांड हो गया है। पहली घटना में 17 हरिजनों की हत्या की गई थी। यह एक नृशंस हत्याकांड था जो रात के अंधेरे में हुआ। दो महीने के अन्दर फिर एक दूसरा कांड हो गया है। दूसरी घटना में 11 हरिजनों की हत्या की गई है। निश्चित रूप से यह एक गंभीर मामला है। महोदय, मैं इस बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि बिहार जातिवाद से ग्रस्त है तथा जहानबाद क्षेत्र भी ऐसा ही है, क्या इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गई है? इन घटनाओं का समाचारपत्रों में विवरण दिया गया था। वहां सरकार क्या कर रही है? मैं नहीं जानता कि वहां कोई सरकार काम कर रही है अथवा नहीं। मैं नहीं जानता कि क्या भागवत झा आजाद मंत्रिमंडल केवल पटना हीं में है अथवा कहीं अन्यत्र है। मैं इस सरकार के समक्ष यह प्रश्न रखना चाहता हूं।

महोदय, हम 1947 से इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। मेरे पास इस समय सुनिश्चित आंकड़े नहीं हैं। किन्तु मेरा विचार है कि हमने इस सभा में इस विषय पर कई बार चर्चा की है। मंत्री महोदय सभा में उपस्थित हैं। मंत्री महोदय ने एक वक्तव्य भी दिया है। यह वक्तव्य एक दार्शनिक तथा समाज सुधारक के वक्तव्य जैसा है। हम उसके बारे में जानते हैं। आजादी से पहले की अवधि

में समाज सुधारकों ने भी इस विषय पर टिप्पणियां की हैं। बहुत समय पहले इस देश में महान संत स्वामी विवेकानन्द ने कहा :

"भारतीयो, मत भूलों कि वे पददलित लोग, वे गरीब लोग आपके भाई हैं। वे मोची तथा सफाई वाले तुम्हारा खून हैं तथा तुम्हारे सगे-सम्बन्धी हैं।"

महोदय, उनके उपदेशों की अब कौन परवाह करता है ? गुरुदेव रवीन्द्र नाथ ठाकुर ने अपनी कविता में कहा :

"पश्चाते फलीचा जारे से तोमारे पश्चाते तानिचे"

इसका अर्थ है : यदि पददलित लोगों को गिराकर आगे बढ़ते हो, तो तुम प्रगति नही कर सकते। वे पददलित लोग तुमको पीछे खींच लेंगे। महात्मा गांधी ने भी इस विषय पर बहुत कुछ कहा है। किन्तु उन उपदेशों की कौन परवाह करता है ? क्या सरकार वास्तव से इस विषय में गम्भीर है ? मैं यह प्रश्न पूछना चाहूंगा, क्या आप हरिजनों तथा गिरिजनों की समस्याओं का समाधान करने के लिए गम्भीर हैं ? मेरा विचार है कि सरकार उतनी गम्भीर नहीं है क्योंकि ये समस्याएं लम्बे समय से हमारे देश में मौजूद हैं।

यह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयुक्त का एक प्रतिवेदन है। यह सातवां और नवीनतम प्रतिवेदन है। यदि आप इसका अध्ययन करेंगे तो देखेंगे कि कुछ ऐसी समस्याएं हैं जहां अत्याचार जारी हैं। वे हैं : भूमि सुधार भूमिहीनों को भूमि का वितरण भूमिहीन कृषक मजदूर और उनकी मजदूरी; सामाजिक वानिकी की समस्या; और नौकरियों में आरक्षण और आरक्षण विरोधी।

अभी-अभी, माननीय सदस्य ने कहा—मैं जानता हूं कि वह सत्ता दल से संबंधित हैं। आरक्षण और आरक्षण विरोधी के बारे से उनका क्या तात्पर्य है ? भूमि सुधारों के बारे में उनकी क्या राय है ? मैं नहीं जानता। परन्तु इस सम्बन्ध में संवैधानिक प्रावधान है। मैं नहीं जानता कि उन्होंने इसका अध्ययन किया है अथवा नहीं। गुजरात में आरक्षण और आरक्षण विरोध की समस्या एक विशेष अवस्था तक पहुंच गयी है। **(व्यवधान)**

राव बीरेन्द्र सिंह (महेन्द्रगढ़) : परन्तु जहानाबाद में उग्रवादियों द्वारा हत्याओं की सूचना दी गयी है। **(व्यवधान)**

श्री अमर रायप्रधान : नहीं, नहीं, मैं यही बात कहने वाला हूं। आप इन्कार नहीं करते। आप इसे जानकर आश्चर्य में पड़ जायेगे।

मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय यह उत्तर देंगे कि भूमि सुधार किये गये हैं। परन्तु इस संबंध में क्या सूचना दी गयी है ? जो कुछ वहां हुआ है, उसके बारे में जानकर आपको आश्चर्य होगा। जहानाबाद में अभी भी लगभग 11,200 हेक्टेयर और गया जिले में 8000 हेक्टेयर भूमि का बन्दोबस्त किया जाना है। यहां पर कोई भूमि सुधार नहीं किया गया है। यहां की यह प्रमुख समस्या है। यदि हरिजनों एवं गिरिजनों को भूमि प्राप्त करने का अधिकार है तो उन्हें किसी भूमि का आबंटन नहीं किया गया है। यह काम मात्र कागजों पर हुआ होगा। परन्तु व्यावहारिक रूप में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। **(व्यवधान)**

राव बीरेन्द्र सिंह : तब उग्रवादी हरिजनों की हत्या क्यों करते हैं ?

श्री अमर राय प्रधान : यह सब उग्रवादियों के कारण नहीं हो रहा है। आप उस प्रतिवेदन का अध्ययन कर सकते हैं, आप देखेंगे कि बात ऐसी नहीं है। यह सब कुछ इस सरकार के रवैये के कारण है।

दूसरी तरफ श्रीमती विभा गोस्वामी ने त्रिपुरा के गिरिजनों पर अत्याचारों और आदिवासी महिलाओं से बलात्कार के बारे में प्रश्न उठाया है। उस समय उन्होंने इसका विरोध किया और उनके कुछ साथी सदस्यों ने भी इसका विरोध किया था। मैं सोचता हूं कि आप 'सनडे' में छपी रिपोर्ट से इन्कार नहीं करेंगे। मैं समझता हूं कि आप निश्चित रूप से त्रिपुरा उपजाति संघ से मिल रहे हैं। इस बात की सूचना दी गयी है। मैं इसका उल्लेख नहीं करना चाहता कि यह फारवर्ड ब्लाक का विचार है अथवा सी० पी० एम० का विचार है अथवा वामपंथी मोर्चे का विचार है परन्तु ऐसा कहा जाता है कि वहां पर त्रिपुरा उपजाति संघ से गठबंधन वाला मिला-जुला मंत्रालय है। **(व्यवधान)**

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह (औरंगाबाद) : मैं एक बात जानना चाहता हूं। क्या इस प्रतिवेदन में इस बात का जिक्र किया गया है कि गया के जिलाधिकारी ने पहले ही 35,000 एकड़ भूमि वितरित कर दी है? **(व्यवधान)**

श्री अमर राय प्रधान : यह चाहे जो कुछ भी हो। 19.6.1988 की **अमृत बाजार पत्रिका** में इसकी सूचना दी गयी है। **(व्यवधान)** भूमि ठीक से वितरित नहीं की गयी। **(व्यवधान)**

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : गया के जिलाधिकारी ने 14 नवम्बर, 1987 को तत्कालीन मुख्य मंत्री की उपस्थिति में जनपद गया में भूमिहीन लोगों में 35,000 एकड़ भूमि वितरित की थी। **(व्यवधान)**

श्री तम्पन थामस : मैं जानना चाहता हूं कि वह भूमि हरिजनों अथवा गिरिजनों अथवा किसके पास है। **(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य : मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें वास्तव में भूमि पर कब्जा करने दिया गया अथवा नहीं। मुख्य प्रश्न तो यही है। **(व्यवधान)**

श्री संतोष मोहन देव : इस विशेष प्रश्न का हमने दोनों सदनों में उत्तर दिया है और हमने कहा है कि पत्र में उल्लिखित तथ्य सही नहीं हैं तथा इसकी जांच की जा रही थी। इसका ब्यौरा त्रिपुरा विधान सभा में भी दिया गया था। अत: मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा··· **(व्यवधान)**···

श्री अमर राय प्रधान : पहले आप प्रतिवेदन का अध्ययन करें।

श्री संतोष मोहन देव : मैंने प्रतिवेदन का अध्ययन कर लिया है। मैं माननीय सदस्य से उसे उद्धृत न करने का अनुरोध करता हूं।

श्री बसुदेव आचार्य : यह श्यामाचरण त्रिपुरा का वक्तव्य है। उनका यही वह वक्तव्य है जिसका माननीय सदस्य उल्लेख कर रहे हैं।

श्री अमर राय प्रधान : आप इसके इन्कार कर सकते हैं। परन्तु यस रिपोर्ट में है। इसमें कहा गया है :

"श्यामाचरण त्रिपुरा के इस वक्तव्य कि 18 आदिवासी महिलाओं से बलात्कार किया गया, का समर्थन टी० यू० जे० एफ० के लडाकू विद्यार्थी जत्थे, आदिवासी विद्यार्थी संघ (टी० एस० एफ०) द्वारा दल के अध्यक्ष को घटना पर प्रस्तुत विस्तृत रिपोर्ट द्वारा किया गया था। आदिवासी विद्यार्थी संघ के एक चार सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने उजान मैदान से जाने वाली सड़क के निकटतम गांव हतिमारा में 'बलात्कार के शिकारों' के ब्यान लिये थे।"

क्या आपमें इस समाचार-पत्रिका, सनडे के खिलाफ मुकदमा दायर करने का साहस है जिसके 26 जून से 2 जुलाई, 1988 तक के संस्करण में इस वक्तव्य को छापा गया था ? अब आप कह रहे हैं कि आपने उसका विरोध किया है।

अब मैं आरक्षण की स्थिति के बारे में मंत्री महोदय, श्रीमती बाजपेयी के वक्तव्य का उल्लेख करूंगा। यह वक्तव्य प्रधान मंत्री के साथ हुई बैठक में मंत्री महोदय द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को परिचालित किया गया था।

केन्द्र सरकार में भी समूह 'क' पदों में कुल 55922 में से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के 5554 अधिकारी हैं। इनकी कितनी प्रतिशतता है ? समूह 'ख' पदों में कुल 76623 में से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के केवल 9041 व्यक्ति हैं। वास्तव में समूह 'ग' में इन्हें लगभग पूरा कर लिया गया है। 2124377 पदों में से वे लगभग 3.9 लाख हैं। केवल समूह 'घ' के पदों को पूर्ण रूप से भर लिया गया है जिसमें सफाई वाले और मैल उठाने वाले आते हैं। 1199206 पदों में से वे 398665 हैं।

परन्तु बैंकिंग और सरकारी क्षेत्र के अन्य उपक्रमों के बारे में क्या स्थिति है ? इनमें समूह 'क' में केवल 8%, समूह 'ख' में केवल 10%, समूह 'ग' में 14.23% और समूह 'घ' में 19.36% है। केवल समूह 'घ' में से पूरा कर लिया गया है। इन उपक्रमों में यह स्थिति क्यों है ?

26 जनवरी, 1950 के बाद की इस लम्बी अवधि में आप कोटे को पूरा करने में सक्षम नहीं हो पाये हैं। अब भी पिछला बहुत बकाया है। आपने इस पिछले बकाये को भरने के लिए कभी प्रयास ही नहीं किये अब तो पिछले बकाया की रिक्तियों की संख्या और भी बढ़ गयी है।

अभी-अभी हमने आपके दल के एक सदस्य को इसी बात को कहते हुए सुना है। गुजरात के उस क्षेत्र विशेष में अत्याचार और दंगे जारी हैं। क्या आपने इन सारी बातों पर विचार किया है ? मैं सोचता हूं कि आपने इन पर कभी विचार नहीं किया। आपने उन पर कभी कोई ध्यान ही नहीं दिया। आपने इन पर संत-महात्माओं तथा दार्शनिकों की तरह केवल कुछ भाषण दिये हैं। हमें हरिजनों और गिरिजनों के क्षेत्रों में जाकर और उनसे सम्पर्क करके उनसे इन सब बातों के बारे में कहना होगा कि उनकी समस्याओं को किस प्रकार हल किया जाएं।

क्या आपने अनुसूचित जाति के आयुक्त के प्रतिवेदन का अध्ययन किया है ? उसमें इस बात का ब्यौरा दिया गया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों का कितना विकास किया गया है। यह मेरा अपना प्रतिवेदन नहीं बल्कि आपका प्रतिवेदन है। यह अनुसूचित जाति आयुक्त की सातवां प्रतिवेदन है। इस प्रतिवेदन में पृष्ठ 43, पैरा 5.9 में स्पष्ट रूप से कहा गया है

"आयोग का दृढ़ मत है कि गरीबी हटाने के कार्यक्रमों की प्रगति निवेश के साथ लेशमात्र भी मेल नहीं खाती है। इसके अनुवर्तन, प्रबोधन और मूल्यांकन के लिए तंत्र को मजबूत

करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया है । परिणामस्वरूप अनुसूचित जाति की आर्थिक स्थिति में कोई प्रत्यक्ष परिवर्तन होना प्रतीत नहीं होता है ।"

अतः अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कुछ नहीं किया गया है । यही आपके सरकारी प्रतिवेदन में कहा गया है । आगे मैं उद्धत करता हूं :

"आयोग पुरजोर सिफारिश करती है कि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का पूर्ण कायाकल्प किया जाना चाहिए क्योंकि अब तक मामूली परिवर्तन किये जाने के विचार से काम नहीं चलेगा ।"

पृष्ठ 46 पर आयुक्त के प्रतिवेदन में आगे कहा गया है :

"इससे ऐसा प्रतीत होता है कि अनेक केन्द्रीय मन्त्रालयों और विभागों ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के विकास के केन्द्रीय कार्यक्रमों के प्रबोधन हेतु कोई खास प्रयास नहीं किये हैं । आयोग तदनुसार सिफारिश करता है कि सभी मंत्रालयों से उनके वार्षिक प्रतिवेदन में एक अलग अध्याय में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के विकास और कल्याण के लिए उनके द्वारा लिए गये कार्यक्रमों को स्पष्टतया प्रदर्शित करने के लिए कहा जाये ।"

कृषि बिभाग अथवा आपके विभाग के अतिरिक्त एक भी मंत्रालय ने यह कार्य नहीं किया है । किसी अन्य विभाग ने भी यह ब्यौरा नहीं दिया है । उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गयी है । अतः आप हरिजनों और गिरिजनों के विकास के खिलाफ हैं । उनकी स्थिति में सुधार नहीं किया जा सका है । अतः हम सबको उनकी यह समस्या सुलझाने के लिए संगठित हो जाना चाहिए ।

[हिन्दी]

श्री रामस्वरूप राम (गया) : उपाध्यक्ष महोदय, आज इस सम्मानित सदन में एक बहुत बड़े संवेदनशील विषय पर चर्चा हो रही है और यह चर्चा हरिजनों, आदिवासियों पर हो रहे अत्याचारों के बारे में है । 16 जून, को हरिजनों पर नोन्ही और नग्मा में अत्याचार हुए और उस घटना में 19 हरिजन मारे गये । यह चर्चा समाप्त ही होने जा रही थी कि पुनः नग्मा और नोन्ही से तीन किलोमीटर की दूरी पर दूसरी घटना की शुरूआत हुई । उसमें हम सरकार की रेसपोन्सीबिलिटी नहीं फिक्स कर सकते, हम सरकार के फैल्योर की बात नहीं कर सकते क्योंकि यह सोसाइटी की प्रोडक्ट है । यह सोसाइटी से उपजी हुई जातीय उन्माद पर आधारित समाज के द्वारा पैदा की हुई चीज है और कोई भी सरकार रहे, जब तक ऐसी मनोवृत्ति रहेगी, यह होती रहेगी । जनता पार्टी की हुकूमत में बेलछी में यह हुआ था और उस समय बिहार में जनता पार्टी की हुकूमत थी । उस समय भी हरिजनों पर अत्याचार हुए हैं और 11 हरिजन उस समय भी जलाए गये । इसलिए मैं कहता हूं कि कोई भी सरकार बने, चाहे वह लोक दल की गवर्नमेंट हो, जनता पार्टी की गवर्नमेंट हो या सी० पी० एम० की गवर्नमेंट हो, जब तक लोगों की सोच में परिवर्तन नहीं होगा, तब तक ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति होती रहेगी और यह होता रहेगा । हम बड़े शुक्रगुजार हैं अपने प्रधान मंत्री जी के, जिन्होंने तुरन्त बूटा सिंह जी को और वेलफेयर मिनिस्टर मिसेज वाजपेयी को वहां भेजा । उस प्रतिनिधि मंडल में हम भी थे और हमने वहां जाकर देखा । यह कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है । इस डिस्कशन से कोई फायदा नहीं होगा, अगर इसको राजनैतिक मुद्दा बनाया जाएगा । इस सम्मानित सदन में इस बात पर चर्चा करने के लिए समय दिया गया है ताकि हम बैठकर इसके बारे में सोचें कि क्या किया जाए ।

राजनैतिक मुद्दा बनाकर इस बात को बढ़ाने से और बात आगे बढ़ेगी। हम बैठकर सोचें कि आने वाले दिनों में कैसे देश में बसे 25 करोड़ हरिजन और आदिवासियों को कान्फीडेंस में लिया जाए, यह सोचने का विषय है। सोचने का विषय यह नहीं है कि किसका दोष हैया किसका नहीं है। मैं जन-कल्याण मंत्री और गृह मंत्री से कहना चाहता हूं कि रिजर्वेशन, प्रमोशन और नौकरियों का काम तो जिस तरह से हो रहा है, वैसे आप करते रहिए, लेकिन आज इस सदन में हिन्दुस्तान के हरिजनों को आप इतमीनान दिलाइए कि भूखे पेट झोपड़ी में रहकर भी वे सुरक्षित हैं, हमें यह आश्वासन चाहिए, क्योंकि आज देश का हरिजन भयभीत है, उसको शंका है कि वह बचेगा या नहीं बचेगा। नगमा नोनी की लड़ाई के पीछे क्या इतिहास है, डमुआ खड़गी में लोग मारे गये, यह किस चीज की लड़ाई है, मैं समझता हूं कि यह जातीय उन्माद पर आधारित समाज की देन है, इसको भारतीय समाज पैटर्नाइज् कर रहे हैं।

मुख्य मंत्री महोदय 18 तारीख को नगमा नोनी गए और उन्होंने 3 बातों की घोषणा की थी (1) वहां पर लाइसेंस-धारियों के लाइसेंस जब्त किए जाएंगे, (2) प्यूनिटिव टैक्स लगाया जायेगा और (3) विवादग्रस्त जमीनों को बांट दिया जायेगा, लेकिन जब मैंने मुख्य मंत्री जी से पूछा और आज बाजपेयी जी का भी बयान है कि कोई चीज वहां पर नहीं हुई है। क्या इस तरह से उन अपराध-कर्मियों का मनोबल नहीं बढ़ेगा? क्या वे अपने आपको सुरक्षित नहीं समझेंगे? जब यह काण्ड हुआ तब क्या कहा जा रहा था। इनमें कौन-कौन थे। रामाशीश यादव, रामदेव यादव, कपिल यादव, पहले भी इन लोगों का कई काण्डों में हाथ रहा है, क्या आपकी पुलिस इन 7 आदमियों को गिरफ्तार नहीं कर सकती थी। जिस समय हमलावर हरिजनों को मार रहे थे तो वहां पर लोग कह रहे थे कि नगमा नोनी में 19 को मार दिया, तुमको भी मार देंगे तो क्या होगा, इस तरह से लोग निडर होगए हैं। यह प्रश्न चिह्न है बिहार प्रशासन पर, यह प्रश्नचिह्न है, इस समाज में कैसे हम लोग जिन्दा रहें यह आज सबसे बड़ा चिंता का विषय है।

इस पर प्रधान मंत्री ने अपनी चिंता व्यक्त की है। दिल्ली के ऐतहासिक रैड-फोर्ड से नेशनल ब्राडकास्ट में जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने जहानाबाद में हुए जुल्म पर चिंता व्यक्त की, उन्होंने हिन्दुस्तान के हरिजनों और गिरिजनों की सुरक्षा के संबंध में चिंता व्यक्त की, यह सचमुच में चिंता का विषय है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि आप लोग इसमें कितना इंट्रेस्ट ले रहे हैं। क्या तीन ही लोग अपोजीशन में हैं। मैं समझता हूं कि हमारे दर्द में रोने का समय आपके पास नहीं है, आपके पास तो राजनैतिक रोटियां सेकने का समय है। आज कहां है अपोजीशन, कहां हैं मधु दण्डवते जी जो हर छोटे-छोटे मुद्दे की तरफ सदन का ध्यान दिलाते हैं। **(व्यवधान)**

रामबाहदुर जी आपके पास कोई जवाब नहीं है कि हरिजनों पर हो रहे अत्याचारों की तरफ आप कितने मुखातिब हैं।

श्री तम्पन थामस : वे तो कुक्डअप डीलेक्स थे प्राइम मिनिस्टर के।

श्री रामस्वरूप राम : वे कुक्डअप डीटेल्स होते तो रैडफोर्ट से यह बात नहीं कही जाती। **(व्यवधान)** उपाध्यक्ष महोदय, मैं उसी इलाके से आता हूं जहां पर जो घटनाएं होती हैं, कभी उसका दोष आई० पी० एफ० पर मढ़ दिया जाता है, कभी नक्सलाइट पर या किसी और पर मढ़ दिया जाता है, लेकिन मैं कहना चाहाता हूं ये हार्डंड क्रिमिनल्स हैं और इनको क्रिमिनल की नजर से ही देखना चाहिए। इनको कभी भी राजनीतिक मुखौटा नहीं पहनाना

चाहिए । अगर ये लोग लैफ्ट थिंकिंग की राजनीतिक करते, लैफ्ट थिंकिंग की राजनीति करने वाले हरिजनों को नहीं मारते। मैं पूछना चाहता हूं कि बिरजुदास 50 वर्ष, संजय 8 वर्ष, रंजीत 5 वर्ष, क्या ये सब नक्सलाइट थे। ऐसे लोगों को मारने वाला व्यक्ति किसी पालीटिकल पार्टी की आइडियालाजी से कैसे लैस हो सकता है। ये लोग सिर्फ क्रिमनल ही हो सकते हैं।

1.00 म० प०

उस इलाके में कभी डकैती भी होती है तो लोग कहते हैं कि डकैती नहीं हुई, नैक्सेलाइट आ गए हैं। नैक्सेलाइट आ गया था या कोई और फोर्स आ गई थी। इनकी आड़ में रीयल क्रिमिनल्स न आए जिसकी वजह से घटनाएं घटी हैं। स्वयं वहां के हरिजनों ने कहा कि आप देखने आए हैं, ठीक है, लेकिन भविष्य में आप बचा पाएंगे या नहीं। यह प्रश्न चिन्ह आपके ऊपर छोड़ा है। उस समय हम लोग भी थे। इनके पीछे तीन कारण हो सकते हैं। पहला कारण यह हो सकता है कि हमने एक रोशनी दी सोए हुए झोंपड़ी में गरीबों के प्रति कि हम तुमको जमीन देंगे। पहले वह जमीन की मांग नहीं करता था। स्व० प्रधान मंत्री इन्दिरा जी ने सन् 75 में कहा कि हम लैंड रिफार्म्स लागू करेंगे; मिनिमम वेजेस लागू करेंगे और बंधुआ मजदूरों को मुक्ति दिलायेंगे। वही रोशानी दिल्ली से चलकर हिन्दुस्तान की तमाम झोंपड़ियों में पड़ी तो एक जागरण आया और लोग अपने अधिकारों के प्रति सजग हुए। अत्याचार के लिए उत्तरदायी के भी कई कारण हैं। भूमिहीन अनुसूचित जाति और जनजाति को सरकारी जमीन का आबंटन अथवा अधिशेष भूमि के वितरण के कारण भूमि विवाद गांवों में फैल गया। लैंड रिफार्म्स की बात आपने कभी नहीं की, आपने मिनिमम वेजेस की बात कभी नहीं की, यह तो सिर्फ कांग्रेस की हुकुमत थी जिन्होंने लैण्ड रिफार्म्स और मिनिमम वेजेस लागू किया, विरोध पक्ष ने कभी कुछ नहीं किया।...(**व्यवधान**) जब माननीय दंडवते जी मिनिस्टर थे तो एन० आर० ई० पी० और आर० एल० जी० ई० पी० के अन्तर्गत... (**व्यवधान**) प्रोग्राम चलाया था। उपाध्यक्ष महोदय, व्यवधान के कारण मेरा काफी समय बरबाद हो गया है, मुझे अभी बोलने दीजिए। अनुसूचित जनजातियों में जो सरप्लस लैंड बांटी गई, उसको दखल देने में दिक्कत हुई। सरकार की जो न्यूनतम मजदूरी थी, वह कितनी थी। आधा किलो अनाज की मजदूरी भी नहीं देते थे। खेसारी जैसा मोटा मिलता था। लोगों ने कहा कि सरकार ने मजदूरी जो तय की है, उतना हम लेंगे। इसकी वजह से गांव में विवाद हुआ। तीसरी बात यह है कि संविधान में प्रदत्त अधिकारों और विशेष सुविधाओं के बारे में आज अनुसूचित जाति और जनजातियों में जागरूकता है। आज हर गांव में पांच-दस हरिजनों और आदिवासियों के लड़के पढ़े-लिखे हैं जो मास-मीडिया या अखबारों के माध्यम से सरकार के इरादों को जानते हैं कि सरकार उनके लिए क्या कर रही है। नगमा-नोन्हीं और दमुंहा-खगड़ी की बात देखते हैं तो इसके पीछे तीन-चार कारण हो सकते थे। लेकिन मजदूरी की लड़ाई वहां पर नहीं है। नगमा-नोन्हीं में एक राजनन्दन सिंह से मजदूरी के सवाल पर झगड़ा हुआ था। लेकिन यहां पर मुझे कोई लड़ाई का चिन्ह नजर नहीं आता था। मुझे यह कहा गया कि यह हार्डन्ड क्रिमिनल्स का काम है। इसको उसी नजरिए से देखा जाना चाहिए। अनलाइसेंस और लाइसेंस आर्म्स मुख्य मंत्री जी ने जब्त नहीं किए, इसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। ग्यारह प्रखंड में जहानाबाद एरिया है और हमारा गया जिला है जो लैंड रिफार्म्स के पैमाने पर काफी जागरूक रहा इसलिए इस तरह की भावनाएं धीरे-धीरे दब रही हैं। एक कारण यह भी है कि वहां पर हमारी पुलिस निकम्मी हो गयी है।

श्रीमती मनोरमा सिंह (बांका) : कमजोर हो गई है।

श्री रामस्वरूप राम : मैं निकम्मा कहता हूं, कमजोर नहीं, क्योंकि वह देखने में दबंग लगते हैं, वह लैंड लाबी के टूल्स हो गये हैं। 107 में भी किसी गरीब का नाम जायेगा, हरिजनों के साथ उसका नाम जाएगा दरोगा जो रात के दो बजे उसे झोंपड़ी से उठाकर जेल में भेज देंगे। लेकिन 302 का मामला है हरिजनों की हत्या, वही दरोगा के साथ बैठकर जश्न मनाया करते हैं तो कैसे वह हरिजनों की हिफाजत कर सकते हैं वहां पर ग्रामीण काफी डरे हुए हैं कोई जल्दी बताने को तैयार नहीं था, फिर भी कई लोग ऐसे मिले जो जहानाबाद के डी० एस० पी० और काकोर थाने के दरोगा से काफी नाराज हैं। ग्रामीण कहते हैं कि किन्हीं दो अधिकारियों की वजह से हरे राम जो अपराधी है और रामशीष जो उसका बहनोई या साला है, हरे राम देशी शराब की भट्टी चलाता है, डी० एस० पी० रोहतास सिंह उनके साथ बैठकर नाजायज रूप से पैसा लेता है और उनको प्रोटेक्शन देता है। मैं सोचता हूं कि मात्र तीन-चार किलोमीटर की दूरी पर उन व्यक्तियों की सहायता तुरन्त नहीं की जा सकती थी। वहां पर पुलिस लैंड लाबी के और क्रिमिनल के दोनों के साथ सांठगांठ रखती है इसलिए टाप से लेकर बाटम तक इसमें बदलाव करना चाहिए। और कलक्टर की बात कहूं, हम कहते हैं कि अगर हरिजन बहुल इलाके में हरिजन का कलक्टर रख दिया जाए तो अत्याचार रुक सकता है, लेकिन जहानाबाद के जिला पदाधिकारी भी हरिजन हैं। मुझे कहने में संकोच नहीं आखिर हमारी हिफाजत कौन करेगा, जबकि वह जिला मजिस्ट्रेट हरिजन है। हमने वहां गृह मंत्री और मख्य मंत्री को कहा कि इन दोनों, कलेक्टर और एस० पी० को सस्पेंड कर दीजिए, दोनों निकम्मे हैं। पांच किलोमीटर की दूरी पर यह घटनाएं होती हैं और प्रशासन नाकाम रहा है, एस० पी० और जिला पदाधिकारी आदि मुख्य मंत्री को बाद में रिपोर्ट पेश करते हैं। मुख्यमंत्री का प्रशासन कितना फेल है, वह डी० जी०, आई० जी०, एस० पी०, डी० एस० पी० आदि से घिरे हुए हैं और वहीं जाकर वही क्रिमिनल मुख्य मंत्री को कालिख पोत देता है। यह दुःख की बात है, कहां था उस वक्त प्रशासन। अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में जो सातवीं रिपोर्ट हैं, कमिशन ने फाइंड आउट किया है और देश के सेसेटिव जिलों के नाम दिये हैं। बिहार के पटना, नालन्दा, रोहतास, भोजपुर, गया, वैशाली, समस्तीपुर, जहानाबाद, भागलपुर, बेगुसराय, रांची हैं। जब इन सेंसेटिव जिलों की लिस्ट है और आशंका है कि यहां पर हरिजनों गिरिजनों पर अत्याचार हो सकते हैं तो क्या वहां पुलिस फोर्स का आधुनिकीकरण नहीं किया जा सकता। क्या नए तरीके से प्रशासन को नहीं चला सकते? जो जिले संवेदनशील हैं उनमें यदि हरिजनों पर अत्याचार होते हैं, क्या वहां पर स्पेशल कोर्ट बना कर हमलावरों को सजा नहीं दी जा सकती? हम देखते हैं कि हाई कोर्ट में, जिला कोर्टों, लोअर कोर्टों में केसों के अम्बार लगे हुए हैं। दस-दस, बीस बीस साल तक केसों के फैसले नहीं होते। इस बीच क्रिमिनल छूट जाते हैं और वे बराबर क्राईम किया करते हैं। हिन्दुस्तान के सभी संवेदनशील जिलों में जहां पर हरिजन और गिरिजन पर मट्रोसिटील होता है वहां पर स्पेशल कोर्ट जल्दी से बना दीजिए जिससे कि जल्दी से जल्दी क्रिमिनल को सजा मिल सके।

जहां कहीं पर ऐसी घटना घटे उस जिले के जिलाधिकारियों, एस० पी० पर सबसे पहले इस बात की रिस्पांसिबिलिटी फिक्स की जानी चाहिए। इसके साथ ही आपको लेंड रिफार्म्स कड़ाई के साथ लागू करने चाहिए। कम्युनिटी टेक्स लगाने की बात की जाती है। आप देख लीजिए जिन गांवों में प्यूनिटिव रहते थे उनमें चार घन्टे तक बन्दूक चली लेकिन एक भी बड़ा आदमी उनकी हिफाजत के लिए नहीं आया। बर्बरता से औरतों का रेप किया गया और ऐसी बातें की गईं जो सदन में कहीं

नहीं की जा सकती। लेकिन उन्हें कोई बचाने नहीं आया। जब तक वहां सामूहिक जुर्माना नहीं लगेगा तब तक लोग बचाने नहीं आयेंगे। आप एक बीघे वाली जमीन पर एक हजार रुपया जुर्माना लगाइये, दो बीघे वाली जमीन के मालिक पर दो हजार रुपया जुर्माना लगाइये। एक हजार पर बीघा के हिसाब से आप यह टैक्स लगाइये। ऐसा नहीं करेंगे तो कोई हरिजनों को बचाने नहीं आयेगा। ऐसे ही होता रहेगा इसके बगैर हरिजनों की रक्षा नहीं होगी।

गृह मंत्री जी वहां गये। उनको सभी चीजों की जानकारी मिली होगी। लेकिन मैंने एक बयान देखा है। यह जो नगला, नोनही गांव हैं इनमें एक लालदास पासवान, उसकी पत्नी, उसकी पांच महीने की बच्ची पिंकी और 22 वर्ष का बेटा कारू मोची मारे गये।

मैं आपको मुजफ्फरपुर जिले के बीहट गांव की घटना बताता हूं। वहां के एक हरिलन के यहां ट्वीन बच्चों का जन्म हुआ। उससे किसी ने पूछा कि क्या नाम रखोगे। उसने कहा कि एक का नाम राम और दूसरे का नाम लक्ष्मण। इस पर उसने कहा कि ये तो मेरे भगवान हैं। ये नाम क्यों रखते हो। उन दोनों बच्चों के मां-बाप को पाएं से बाधा गया सिर्फ इस कारण से कि उसने अपने बच्चों के ये नाम रख दिये थे। उससे कहा गया कि एक का नाम रखो डूबा और दूसरे का नाम रखो ढुढवा। यह है इस समाज की हालत।

आज हम इस सदन में इसकी चर्चा कर रहे हैं। लेकिन मैं यह देखता हूं कि यह लड़ाई आज की नहीं है। यह लड़ाई पांच हजार वर्षों की है। यह मनुस्मृति बनाम भारतीय संविधान की लड़ाई है। हमको यह देखना होगा कि जो हम पांच हजार वर्षों से हिन्दू व्यवस्था में रहते आये हैं, क्या हिन्दू समाज हमें बराबर की सहुलियतें देगा या नहीं देगा। शंकराचार्य हमको अछूत मानते हैं। हमको नाथद्वारे और बद्रीनाथ के मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता। मैं शंकराचार्य से पूछता हूं कि क्या हम हिन्दुस्तान के 25 करोड़ हरिजन और आदिवासी हिन्दू धर्म को मानने वाले हैं या नहीं? वास्तविकता यह है कि जब तक हम मनु-स्मृति की जगह भारतीय संविधान को एडोप्ट नहीं करेंगे, इस तरह की घटनाएं घटती रहेंगी, क्योंकि हम लोग वर्षों से दबाये जाते रहे हैं, कभी छूआछूत के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर और कभी जाति के नाम पर। आज हमें गांवों में अलग बसाया जाता है जहां हमारे लिए पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं होती। उसके बावजूद भी हम अपने को राष्ट्रवादी समझते हैं। हमने भारत के देहातों में जी तोड़ मेहनत करके अन्न उपजाया और खाद्यान्न के मामले में देश को स्वावलम्बी बनाया। इसलिए हम किसी से कम वफादार नहीं हैं। इस सबके बावजूद हमारा अब भी शोषण होता है।

इन शब्दों के साथ, मैं आपके माध्यम से और इस सम्मानित सदन के माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि आप स्पेशल कोर्ट्स स्थापित करके एट्रोसिटीज के मामलों का समरी ट्रायल कराएं और जो व्यक्ति भी दोषी पाया जाए उसे सजा दिलवायें। इन घटनाओं पर वैसे तो मुझे दुख है लेकिन उम्मीद भी है कि आप देश के हरिजन आदिवासियों को प्रोटेक्शन दिए जाने के मामले में कोई कमी नहीं उठा रखेंगे।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री बसुदेव आचार्य। कृपया 5 मिनट है और अपनी बातें संक्षेप में बताएं। माननीय सदस्य मंत्री महोदय की बात सुनने के लिए भी उत्सुक हैं। **(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य : इसलिए हम चाहते थे कि मंत्री महोदय को चर्चा शुरू होने से पहले एक वक्तव्य देना चाहिए। उसमें हमें इस विषय पर चर्चा करने में मदद मिली होती।

जब हम हरिजनों पर किए गए अत्याचारों के बारे में चर्चा कर रहे है, उसी समय जहानाबाद के उसी जिले के दामुन गांव में एक दूसरी भीषण घटना हो गई है। इससे इस बात का पता चलता है कि बिहार राज्य सरकार कितनी निर्दयी है। इससे बिहार राज्य सरकार की ओर से बरती गई अपराधिक असावधानी का भी पता चलता है। बिहार राज्य सरकार इन घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने में असफल रही है। सरकार ने स्थिति को "गंभीर नहीं" बताया है। विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित मुख्य मंत्री तथा गृह मंत्री श्री बूटा सिंह द्वारा दिए गए वक्तव्यों से भी ऐसा कहा प्रतीत होता है कि समस्या मात्र कानून और व्यवस्था की ही है लेकिन यह मात्र कानून और व्यवस्था की ही समस्या नहीं है। यह एक राजनीतिक समस्या है। इसे अब नक्सलवादियों तथा आतंकवादियों के विभिन्न गुटों द्वारा 'जाति की लड़ाई' अथवा एक 'आंतरिक दल टकराव' के रूप में बताया जा रहा है। परन्तु यह एक जाति की लड़ाई नहीं है। यह विभिन्न गुटों के बीच एक आंतरिक दल टकवाव नहीं है। यदि आप इसे इस प्रकार बनाते हैं तो आप इस समस्या की गहराई तक जाने में असफल रहेंगे। यह समस्या आर्थिक है, यह समस्या राजनीतिक है। यह एक सच्चाई है। प्रतिवेदन में यह बताया गया है कि कितनी संख्या में अत्याचार की घटनाएं हुईं, कितने मामले लम्बित पड़े हैं अथवा कितने मामले निपटाए गये हैं। आप प्रतिवेदन से आपको ऐसा लगेगा कि मानो 1984 के वर्ष में बिहार में कोई घटना घटी ही नहीं। इस प्रतिवेदन में आंकड़े 'शून्य' बताए गए हैं, मानो 1984 में वहां कोई घटना ही नहीं घटी।

दो वर्ष पहले, लगभग 104 किसान तथा कृषि श्रमिकों, जिनमें हरिजन भी शामिल थे, को उस समय मौत के घाट उतार दिया गया था जब वे एक ग्रामीण पुस्तकालय के पास एक बैठक कर रहे थे। इन अपराधियों, पुलिस पुलिस के इन आदमियों, जिन्होंने इन भोले-भाले व्यक्तियों, जो एक बैठक कर रहे थे, को मौत के घाट उतार दिया था, के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई थी।

वे अपनी न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि करने की मांग कर रहे थे। उन्हें पुलिस के द्वारा मौत के घाट उतारा गया था। 100 कृषि श्रमिकों में से अनेक हरिजन थे। उन्हें पुलिस अधीक्षक की उपस्थिति में मौत के घाट उतारा गया था, परन्तु उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई थी।

जून के प्रथम सप्ताह में सासाराम के नजदीक भाबुआ ग्राम में तीन व्यक्तियों की दिन-दहाड़े 11 बजे, जब वे अपने फार्म से वापस आ रहे थे, बिहार मिलिटरी पुलिस द्वारा नृशंस हत्या की गई थी, परन्तु उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। मुख्य मंत्री ने यह घोषणा की थी कि एक न्यायिक जांच समिति बिठायी जाएगी, परन्तु अब तक कोई न्यायिक जांच समिति नहीं बिठाई गई है। बिहार राज्य की यह स्थिति है।

जैसा कि मैंने कहा है, यह एक राजनीतिक समस्या है; यह केवल कानून और व्यवस्था की ही समस्या नहीं है। ये कृषि श्रमिक, ये हरिजन, ये आदिवासी अब अपनी नींद से जाग रहे हैं; अब वे अपने अधिकारों के बारे में सचेत हो रहे हैं; उन्हें संगठित किया जा रहा हैं और आप यह देखेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में जमींदारों द्वारा अनेक सेनायें गठित की जा रही हैं। यद्यपि उन्हें गैर-कानूनी घोषित कर दिया गया है, फिर भी वे कार्य कर रही हैं; उनके पास लाइसेन्स वाले और बिना लाइसेन्स वाले

हथियार हैं । इस समस्या का समाधान ढूंढे बिना ग्रामीण क्षेत्रों में सही मायनों में यह तनाव बना रहेगा ।

स्वतंत्रता प्राप्ति के 41 वर्ष बीत जाने के बाद आज भी हमारे देश की 40 प्रतिशत जमीन उन 5 प्रतिशत लोगों के पास है जो किसान नहीं हैं । जब तक आप उस जमीन को उनके हाथों से नहीं ले लेते हैं और इसे कृषि श्रमिकों तथा भूमिहीन किसानों के बीच बांट नहीं देते, तब तक आप इस समस्या, बेरोजगारी की समस्या, गरीबी की समस्या, जो समस्या की जड़ है, का हल नहीं ढूंढ सकेंगे । यद्यपि छठी पंचवर्षीय योजना तक भूमि सुधार को कार्यान्वित करने का जिक्र किया गया था, लेकिन सातवीं पंचवर्षीय योजना में इसका जिक्र नहीं किया गया था, मानो यह भूमि सुधार हमारे देश में कार्यान्वित कर दिया गया हो, मानो हमने जमींदारी को समाप्त कर दिया है । हमारे देश में सामन्ती प्रणाली अभी भी मौजूद है । बिहार में आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जमीदारों के पास 1000 एकड़ जमीन, 2000 एकड़ जमीन, 3000 एकड़ जमीन मौजूद है । इस सभा में भी आपको पता होगा कि सत्तारूढ़ दल के सदस्यों के पास भी सैंकड़ों एकड़ जमीन है ।

छोटा नागपुर उप प्रभाग में पालामाऊ जिले में, झालुमगांव में एक घटना घटी थी जहां 7 व्यक्तियों को मौत के घाट उतार दिया गया था । न केवल खनन क्षेत्र में ही बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी साहूकारों द्वारा शोषण किया जा रहा है; ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी संख्या काफी अधिक है । जब तक आप इन सब बातों, साहूकारों द्वारा किए जा रहे शोषण, जमीदारों द्वारा किए जा रहे शोषण को नहीं रोकेंगे तब तक यह तनाव बना रहेगा । ये अत्याचार भी जारी रहेंगे । आप उन्हें अधिक बल भेजकर नहीं रोक पाएंगे, जैसा कि श्री बूटा सिंह ने हमें आश्वासन दिया है, मानो अधिक बल भेज-कर वे इस स्थिति पर काबू पा जाएंगे । उसका तात्पर्य यह है कि आप अभी भी समस्या की जटिलता को महसूस नहीं कर पाए हैं । आप अभी भी समस्या की जड़ तक नहीं पहुंच पा रहे हैं । इसका कारण सरकार का वर्ग चरित्र है ।

स्वतंत्रता प्राप्ति के 41 वर्ष बाद भी, स्वामी अग्निवेश को नाथवाड़ा मन्दिर में अपने साथ हरिजनों का मार्च ले जाना पड़ा और जब इस सभा में प्रश्न पूछा गया तो माननीय मंत्री महोदय द्वारा अचानक यह घोषणा की गई कि एक लम्बे अनुनय-विनय के बाद मन्दिर को खोल दिया गया था । अगले दिन हमने समाचारपत्रों में देखा कि मन्दिर कैसे खोला गया ।

श्री वीर सेन (खुर्जा) : दूध से धोया गया ।

श्री बासुदेव आचार्य : जी, हां, उन्हें पवित्र किया गया था । सरकार को इन पुरोहितों को रजामंद करना पड़ा । जब हरिजनों को दूध से पवित्र कर लिया गया था तभी उन्हें प्रवेश की अनुमति दी गई थी । और हमने यह देखा है कि केरल की वामपंथी और प्रजातांत्रिक सरकार ने गुरुवायूर मन्दिर में क्या किया, जहां एक हरिजन लड़के को वहां मंदिर में नौकरी पर रखा गया था । इसको खोल दिया गया था और इस सरकार को कार्यवाही करनी पड़ी । मंत्री महोदय ने यह कहा था कि एक लम्बे अनुनय विनय के बाद, हरिजनों को दूध से पवित्र करने के बाद उन्हें मन्दिर में प्रवेश करने की अनुमति दी गई थी । स्थिति यह है ।

इसलिए, जब तक स्थिति में सुधार नहीं किया जाता है, जब तक आप न्यूनतम मजदूरी लागू नहीं करते है तब तक आप इस समस्या को हल नहीं कर सकते । न्यूनतम मजदूरी भी 11 रुपए है ।

मैं नहीं जानता कि 11 रुपए की यह न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने के पीछे क्या औचित्य है जबकि पश्चिम बंगाल, हरियाणा तथा पंजाब में कृषि श्रमिक भी 11 रुपए से कहीं अधिक मजदूरी लेता है। बिहार में यह अभी भी 11 रुपए है जो आपने निर्धारित की है। वहां कृषि श्रमिक के लिए न्यूनतम मजदूरी मौजूद है, परन्तु वे इसे प्राप्त नहीं कर रहे हैं। वहां कानून को लागू करने वाली कोई एजेन्सी नहीं है। जमींदार कृषि श्रमिकों को ये न्यूनतम मजदूरी नहीं दे रहे हैं। राज्य सरकार ने क्या कार्यवाही की है ? क्या आपने इस मामले को राज्य सरकार से साथ उठाया है अथवा नहीं ? यही इस प्रश्न की पेचीदगी है। भूमि सुधारों को अक्षरशः कार्यान्वित क्यों नहीं किया जा रहा है ? फालतू जमीन को अभी तक अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों के बीच क्यों नहीं बांटा गया है ? औद्योगिक परियोजनाओं की स्थापना के लिए अनुसूचित जनजातियों के लोगों को उनके गांवों से, उनकी जमीन से विस्थापित कर दिया गया है, परन्तु अभी तक किसी उपयुक्त पुनर्वास की व्यवस्था नहीं की गई है। उन्हें परियोजनाओं की स्थापना करने के लिए विस्थापित किया गया है। इस रिपोर्ट में यह बात कही गई है।

तनाव के कारण ये हैं। जब तक आप समस्या की जड़ तक नहीं जाएंगे, जब तक आप भूमि सुधार लागू नहीं करेंगे, जब तक आप कृषि श्रमिकों और हरिजनों के लिए न्यूनतम मजदूरी लागू नहीं करेंगे तब तक आप इस समस्या को हल नहीं कर पाएंगे। यदि आप इसे बिहार की केवल कानून और व्यवस्था की समस्या ही समझते हैं और यह कि जैसा कि गृह मंत्री श्री बूटा सिंह ने आश्वासन दिया है केवल अधिक बल भेजकर आप समझते हैं कि आप इस स्थिति पर काबू पा जाएंगे, आप इस समस्या को कभी भी नहीं सुलझा पाएंगे। आप जब तक इस समस्या के बारे में गंभीरता से विचार नहीं करेंगे तब तक आप कभी भी इस समस्या को हल नहीं कर पाएंगे।

श्री के० एस० राव (मछलीपटनम) : हरिजनों पर अत्याचार के विषय पर संसद तथा लगभग सभी राज्यों के विधान मण्डलों में हर वर्ष चर्चा की जा रही है और केन्द्र अथवा राज्यों में जो भी सत्ता दल हो एक दूसरे के अन्दर दोष निकालने की एक प्रथा-सी बन गई है। परन्तु हमें अनुभव से यह पता चलता है कि किसी भी दल ने इस स्थिति में बदलाव लाने के लिए पूरी निष्ठा नहीं दिखाई है। हो सकता है कि विभिन्न सरकारों द्वारा उपाय किए गए हों। यह भी मान लिया गया है कि कांग्रेस सरकार द्वारा विभिन्न उपायों के कार्यान्वयन में गलतियां हों, परन्तु हमें अनुभव से यह पता चलता है कि गैर-कांग्रेस सरकारों में स्थिति काफी खराब हुई है। उदाहरण के तौर पर आप आंध्र प्रदेश का ही मामला लीजिए। आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री जो हरिजनों के बारे में इतना अधिक बोले और उनकी करुणामयी स्थिति तथा उन कष्टों, जिन्हें वे सदियों से उठाते आ रहे हैं, को देखने के बाद एक जन-सभा में लगभग रो पड़े थे, ने कर्मचेडु घटना में, जहां तीन वर्ष पहले पांच आदमी मारे गए थे और 18 व्यक्ति घायल हुए थे, आज तक कोई कार्यवाही नहीं की। इससे यह पता चलता है कि इस विषय का उपयोग केवल राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही किया जा रहा है और उनके द्वारा कोई निष्ठा नहीं दिखाई जा रही है अथवा संभव है कि इस विषय का उपयोग केवल मत प्राप्त करने के लिए ही किया जा रहा हो। यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसे दोहराया नहीं जाना चाहिए। सभी लोगों द्वारा आवश्यक रूप से कठोर उपाय किये जाने चाहिए। और इस विषय पर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर विचार-विमर्श किया जाना है।

यह सच है कि सदियों से हरिजनों का विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में अपमान हुआ है, उनके साथ भेद-भाव बरता गया है और उन्हें कष्ट पहुंचाया गया है। इसका कारण यह बताया गया है कि 92 प्रतिशत हरिजन गांवों में रह रहे हैं और उनमें से 89 प्रतिशत हरिजन या तो किसान हैं अथवा कृषि श्रमिक हैं।

ऐसे बहुत-से अनुभव हैं। चाहे कांग्रेस सरकार हो अथवा गैर-कांग्रेस सरकार हो, देश के किसी एक कोने में अथवा किसी दूसरे कोने में लगभग प्रतिदिन हरिजनों पर अत्याचार हो रहे हैं। जब इस सभा के सभी सदस्य एकजुट होकर एक आवाज से कोई कानून नहीं बनाएंगे, जो कि इतना कठोर हो कि यह लोगों को अत्याचार करने से पहले सोचने के लिए बाध्य करे, तब तक मैं नहीं समझता कि इस समस्या का कहीं कोई नजदीकी हल निकल जाएगा।

किसी भी ढंग से मैं यह महसूस करता हूं कि इस मामले पर एक-दूसरे की आलोचना करना अच्छी बात है और इससे कुछ अच्छा ही होता है, परन्तु उससे समस्या का हल नहीं होता है। हरिजनों पर अत्याचार कुछ आवश्यक हो गए हैं क्योंकि वे आर्थिक रूप से आत्म-निर्भर नहीं हैं और गरीब हैं। यहां तक कि सरकार तथा अधिकारी भी उन्हीं लोगों की मदद कर रहे हैं जो हरिजनों पर अत्याचार करते हैं।

आंध्र प्रदेश की वर्तमान सरकार प्रतिदिन दावा करती है कि हमारी सरकार हरिजनों के कल्याण के लिए है और यह सरकार प्रतिदिन यह घोषणा करती है कि उन्हें 2 रु० प्रति किलो के हिसाब से चावल दिये जाते हैं। परन्तु सरकार ने हरिजनों के मन में विश्वास पैदा करने का कोई भी कार्य नहीं किया है ताकि वह विश्वास और सुरक्षा के साथ रह सकें। मेरे अपने निर्वाचन क्षेत्र में, हजारों एकड़ बंजर भूमि पड़ी है। हरिजनों की ओर से एक भूतपूर्व कांग्रेस विधायक इस भूमि के लिए संघर्ष कर रहा है ताकि यह भूमि निहित स्वार्थ वाले लोगों के हाथ में न जाए अपितु इस भूमि को स्थानीय क्षेत्र के गरीब हरिजनों में बांट दिया जाना चाहिए। परन्तु राज्य सरकार ने पिछले तीन वर्षों से उस भूमि को गरीब हरिजनों में बांटने के लिए कोई कदम नहीं उठाए हैं। इसके विपरीत, राज्य सरकार ने हरिजनों के विरुद्ध केस दायर कर दिए हैं, और वह न्यायालयों के चक्कर लगाते हैं, जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर हो गये हैं तथा जो कुछ सहायता उन्हें मिलती थी उससे भी उन्हें वंचित कर दिया गया है। इससे स्पष्ट पता चलता है कि यह सभी राजनीति, जो जनता की ओर से आंसू बहा रहे हैं; मन से इन उपायों को पूर्ण रूप से कार्यान्वयन नहीं करते। मैं इस सभा में अपने सभी माननीय सहयोगियों से केवल यह अनुरोध करता हूं कि हम दल-नीति से ऊपर उठकर समाधानों का सुझाव दें। हमें न केवल उपायों का सुझाव देना चाहिए अपितु हमें लोगों को शिक्षित करना चाहिए और हम यह सुनिश्चित करें कि समाज के विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों का यह वहम् कम हो जाए।

जब हम गांवों में जाते हैं, हम देखते हैं कि सभी समुदायों विशेषकर हरिजनों तथा गैर-हरिजनों के लिए एक समान मानदण्ड का प्रयोग नहीं किया जाता। उदाहरण के लिए यदि कोई हरिजन सवर्ण जाति की किसी लड़की को छू लेता है, तो यह बहुत ही गंभीर अपराध माना जाता है जिसे सहन नहीं किया जा सकता। यह सारे इलाके में चर्चा का मामला बन जाएगा। परन्तु यदि यही बात हरिजन लड़की के साथ हो जाए, तो इसे गंभीरतापूर्वक नहीं लिया जाता। यह लगभग नैतिक मामला अथवा साधारण बात है जिसे इतनी गंभीरतापूर्वक नहीं लिया जाता। इसे तब तक नहीं रोका जा सकता जब तक कि हम सब नई दिशा में वर्ग, समुदाय अथवा जाति के आधार पर नहीं सोचते, न कि उसी पुरानी लाइन पर।

आज हरिजन में भी अधिक जागरूकता पैदा हो रही है। वर्षों पहले उन्हें यह डर था कि सरकार उन्हें सहायता नहीं देगी अथवा यह लोग अल्पसंख्यक हैं, यह लोग कमजोर हैं, आर्थिक दृष्टि से कमजोर हैं और उच्च वर्गों के लोग उन्हें अधिक हानि पहुंचाएंगे यदि वह उनका विरोध करेंगे अथवा अपनी आवाज उठाएंगे। परन्तु मुझे यह बताने में बहुत खुशी हो रही है—यह मेरे अपने क्षेत्र में मेरा स्वयं का अनुभव है—जिसे आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्र का एक समृद्ध जिला माना जाता है—कि शुरू-शुरू में, जब इन्दिरा गांधी सत्ता में आई थीं, तो हरिजनों में उत्साह उत्पन्न हो गया था। वह समझते थे कि यह नेता उनकी रक्षा कर सकते हैं। यह बात नहीं है कि उन्होंने उनकी कितनी रक्षा की। यहां तक कि क्षेत्र के उच्च वर्गों के लोग हरिजनों के साथ दुर्व्यवहार करने से डरते थे। परन्तु आंध्र प्रदेश में टी० डी० पी० सरकार के सत्ता में आने के बाद, समाज के विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों में प्रसन्नता उत्पन्न हो गई। अब उन्हें हरिजनों पर अत्याचार करने में कोई डर नहीं था हरिजनों की आशाएं समाप्त हो गईं। उनका विश्वास समाप्त हो गया। उन्हें यह विश्वास नहीं है कि सरकार कब उन्हें बचाने, उनकी सुरक्षा के लिए आगे आएगी।

देश के विभिन्न भागों मे हुई अत्याचार की कुछ घटनाओं को दोहराने के स्थान पर, मैं समाधानों का भी उल्लेख करता हूं जो कि मैं समझता हूं कि वर्तमान स्थिति में उपयुक्त हैं। मेरा यह निश्चित मत है कि अपराधियों की शीघ्र मुकदमे चलाकर जांच करने के लिए अत्यधिक संख्या में विशेष न्यायालयों को अवश्य स्थापित किया जाना चाहिए। यदि बिना समय नष्ट किए अपराधियों को कठोर सजा दी जाती है तो अत्याचार करने की प्रवृत्ति में कमी आएगी। जब तक उनकी यह राय होगी कि उन्हें न्यायपालिका से सहारा प्राप्त हो सकता है, जिसे निर्णय देने में काफी समय, वर्षों लगते हैं···उस समय तक लोग घटना को भूल जाएंगे—यह बातें हमेशा दोहरायी जाती हैं। अतः मैं सुझाव दे रहा हूं—विशेष न्यायालयों, विशेष कृत्यक बल, विशेष पुलिस स्टेशन, विशेष रूप से हरिजनों पर किए गए अत्याचारों की समस्याओं को एक निर्धारित समय-सीमा में निपटाने के लिए इनकी स्थापना की जाए। इसी प्रकार देश में जो लाखों एकड़ बंजर भूमि पड़ी है, उस भूमि को शीघ्र हरिजनों, अनुसूचित जातियों तथा समाज के कमजोर वर्गों के लोगों में बांट दिया जाना चाहिए ताकि वह अपनी आय में वृद्धि कर सकें तथा उन पर किए जाने वाले अत्याचारों तथा अन्याय के विरुद्ध लड़ने के लिए विश्वास प्राप्त कर सकें। इसी प्रकार, अधिकारियों को नियुक्त करते समय, यह अवश्य सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि हरिजनों अथवा अनुसूचित जन-जातियों अथवा समाज के अन्य वर्गों के प्रतिबद्ध अधिकारियों को संवेदनशील क्षेत्रों में यह सुनिश्चित करने के लिए तैनात किया जाता है कि यह बिना किसी पक्षपात के निष्पक्ष रूप से शीघ्र कार्यवाही करेंगे। यह समस्या इन लोगों के मन में उत्पन्न भावना के कारण अधिक है—या तो हरिजनों अथवा अनुसूचित जनजातियों के मन में उत्पन्न हीन भावना अथवा समाज के अन्य वर्गों के लोगों के मन में उत्पन्न उच्च भावना के कारण है। मैं चाहता हूं कि विशिष्ट प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए जाएं तथा हरिजनों और अनुसूचित जन-जातियों के लोगों के मन में विश्वास पैदा करने तथा उन्हें यह विश्वास दिलाने के लिए विशेष प्रयास किए जाएं कि देश के अन्य लोगों की तुलना में वह कम बुद्धिमान नहीं हैं। केवल आवश्यक बुनियादी सुविधाएं और पर्यावरणीय स्थिति प्रदान करके बहुत से हरिजनों तथा अनुसूचित जातियों के लोगों को उन्नत किया जा सकता है। यदि यह सब सुविधाएं शीघ्र प्रदान की जाएं तो मेरा यह निश्चित मत है कि हरिजनों के मन में विश्वास बढ़ेगा और वह उन लोगों का मुकाबला करने, उनके विरुद्ध लड़ने की स्थिति में होंगे और उनके विरुद्ध अभ्यावेदन दे सकेंगे। महोदय, इस कार्य के लिए देश के लोगों के ध्यान में यह बातें लाने तथा समाज के अन्य वर्गों के मन में, जो अत्याचार करते हैं, डर की भावना उत्पन्न करने के लिए प्रेस को भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है।

श्री तम्पन थामस : महोदय, इस मामले पर दुबारा चर्चा करना अत्यधिक शर्मनाक बात है। जब इस सत्र के प्रारम्भ में यह मामला चर्चा के लिए उठाया गया था तो वहां इस प्रकार के अत्याचार नहीं होते थे। परन्तु बाद में, देश के कुछ भागों में कुछ दिन पहले हरिजनों तथा आदिवासियों पर हुए अत्याचारों के बारे में इस सभा में यहां हम दुबारा इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। बिहार दुर्घटना एक सांकेतिक दुर्घटना है, जो कुछ दिन पहले हुई है। यह समाचार प्राप्त हुआ है कि कुछ युवा लड़कों द्वारा मुख्य मंत्री का मुंह काला किया गया था। यह राष्ट्र का मुंह काला करने का स्पष्ट उदाहरण है। वास्तव में जिस व्यक्ति ने यह किया है उसने लोगों को दिखा दिया है कि हम हरिजनों तथा आदिवासियों की समस्याओं को सुलझाने में असमर्थ हैं और उस कार्यवाही द्वारा उस व्यक्ति ने बता दिया है कि न केवल मुख्य मंत्री ही नहीं अपितु राष्ट्र, प्रधान मंत्री तथा किसी भी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ा जाएगा। हरिजनों तथा आदिवासियों पर किए जाने वाले अत्याचारों पर सरकार द्वारा नियंत्रण नहीं किया जा सकता। यह स्पष्ट उदाहरण तथा संकेत है।

महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि हरिजनों तथा आदिवासियों के समक्ष आने वाली समस्याओं का पहले ही मेरे मित्र श्री के० एस० राव द्वारा उल्लेख कर दिया गया है। मैं उनसे पूर्ण रूप से सहमत हूं। उन्होंने कहा कि समस्याओं का निपटान दूसरे तरीके से किया जाना चाहिए। हमें ऐसा समाज बनाना चाहिए जहां लोगों को बराबरी का दर्जा दिया जाए। समाज में हरिजनों तथा आदिवासियों को अन्य लोगों के समान बराबर समझा जाना चाहिए। परन्तु दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं होता। इस देश में प्रचलित प्रथा कई शताब्दी पूर्व उस समय लोगों द्वारा किए जाने वाले कार्य के आधार पर है। इसका परिणाम यह हुआ कि कई शताब्दी पूर्व प्रचलित जाति प्रथा एक शताब्दी से शताब्दी में चलती रही। जाति प्रथा को सुस्थिर कहा गया है। कुछ कार्यों के लिए पहले लोगों को विभाजित कर दिया गया और बाद में उन्हें सुस्थिर कर दिया गया। इस जाति प्रथा में, यह लोग कुछ कार्य करते हैं और उन्हें निम्न वर्ग का माना गया और कुछ अन्य लोगों को उच्च वर्ग का माना गया और अन्त में समाज कुछ वर्ग के लोगों का उच्च वर्ग का माना गया और कुछ अन्य वर्गों के लोगों को समाज में निम्न श्रेणी का माना गया। जब तक हम हरिजन लोगों में से इस हीन भावना को दूर नहीं करते और हरिजन लोग स्वयं यह महसूस करें कि वह अन्य लोगों के बराबर है और वह देश की आर्थिक उन्नति का बराबर लाभ उठाएंगे तब तक ऐसी अवस्था नहीं उत्पन्न होगी जब इस देश का कोई और व्यक्ति उनके विरुद्ध कह सके। हमारे संविधान में, प्रत्येक नागरिक को बराबर का अधिकार दिया गया है। जब तक हम संविधान के उपबन्धों की सुरक्षा करने की स्थिति में नहीं हैं तथा हरिजनों तथा आदिवासियों की समस्याओं को नहीं सुलझाते, तब तक इस सभा में तथा सभा के बाहर बोलने का कोई लाभ नहीं होगा। प्रत्येक राज्य में यह समस्या है। परन्तु कांग्रेस शासित राज्यों में यह समस्या बहुत अधिक है क्योंकि कांग्रेस सरकार द्वारा तैयार की गई आर्थिक नीतियां तथा उच्च वर्ग तथा सामुदायिक नेताओं को दी गई पदोन्नतियां अन्त में हर स्थान पर उच्च वर्ग को शक्ति प्रदान करने में सहायक हैं। यह वास्तविकता है। यदि आप पश्चिम बंगाल तथा केरल प्रशासन को देखें तो आपको पता चलेगा कि यहां समस्या बहुत कम है।

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन (कन्नानोर) : केरल में एक हरिजन लड़के को मनुष्य का मल-मूत्र ग्रहण करने के लिए बाध्य किया गया।

श्री तम्पन थामस : किसने कहा था ? वह कांग्रेस सरकार का था। निश्चय ही वर्तमान सरकार ने उसके विरुद्ध कार्यवाही की है और वह कार्यवाही कर रहे हैं। परन्तु आप उन बातों से

तुलना करें जो वहां हो रही हैं। केरल में भी यह हो रहा है। मुझे इसकी पूर्ण जानकारी है। उच्च वर्ग जो बना रहना चाहता है तथा जो लोग बहुसंख्यक लोगों के साथ मिलकर संयुक्त फ्रन्ट बनाना चाहते हैं, कहते हैं कि यहां आर्थिक कारणों से आरक्षण किया जाना चाहिए। कांग्रेस सरकार ने धनराशि दी तथा चुनाव लड़े परन्तु अन्त में उच्च वर्ग के लोग ही आगे आए। वह इस प्रकार के कार्य करते हैं। यदि लोगों की राजनीति हो तो यहां रहने वाले अत्यधिक लोगों में से 60% लोग इस देश में हरिजन, आदिवासी तथा पिछड़े वर्गों के हैं, यदि उन्हें उपयुक्त रूप से बराबर हिस्सा दिया जाए तो संपूर्ण स्थिति में परिवर्तन हो जाएगा। श्री राव ने कहा है : हरिजनों की हीन भावना को किस प्रकार दूर किया जा सकता है? क्या आप हरिजनों को अध्यक्ष बनाने के लिए तैयार हैं? क्या आप हरिजन को राष्ट्र का नेता बनाने के लिए तैयार हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे पास पुरी के शंकराचार्य तथा अन्य स्थानों के शंकराचार्य तथा जाति और समुदाय के नेता आए और उन्होंने कांग्रेस के साथ यह समझौता किया कि यह सीटें हमारे समुदाय के लिए आवश्यक हैं और वह प्रगतिशील समुदाय के लोग हैं। इसका यह अन्तिम परिणाण प्राप्त हुआ। हरिजन और आदिवासी लोगों का अभी भी शोषण किया जा रहा है और उनका पर्याप्त हिस्सा उन्हें नहीं दिया जाता।

महोदय, देश की आर्थिक स्थिति भी मुख्य रूप से इसके लिए जिम्मेदार है। आप देखते हैं कि हरिजनों तथा आदिवासियों का प्रयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है। एक दिन मुझे बहुत महसूस हुआ जब मैं रेल से यात्रा कर रहा था। मैंने देखा कि आगरा रेलवे स्टेशन पर क्षेत्र के आदिवासियों तथा हरिजनों को बन्धुआ मजदूरों के तौर पर गाय-बैल, बत्तकों और मुर्गियों की तरह उत्तर प्रदेश ले जाने के लिए जमींदारों के फार्मों में कार्य करने के लिए इकट्ठा किया गया है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित पुरुषों तथा महिलाओं को उत्तरी भारत के जमींदारों के फार्मों में ले जाने तथा उनके अधीन बन्धुआ मजदूरों के रूप में कार्य करने के लिए गाय-बैल की तरह समझा जाता है। क्या आप कुछ कर सकते है? इस देश के जमींदारों के चंगुल से हम कितने बन्धुआ मजदूरों को छुड़ा सकते हैं? वह अभी भी उनसे कार्य करवाते हैं। उनकी आर्थिक स्थिति के कारण ही ऐसा चलता है। महोदय, क्या मध्य प्रदेश सरकार ने अभी केसरी दाल की सप्लाई पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया है जो कि बहुत ही अपराधिक कार्य माना गया है? केसरी दाल की सप्लाई से केसरी दाल खाने वाले व्यक्ति को बहुत गम्भीर रोग हो सकता है। और मध्य प्रदेश में मजदूरी के रूप में केसरी दाल दी जाती है। (व्यवधान) मैं प्रेस रिर्पोटरों का बहुत आभारी हूं कि केवल वही उन स्थानों पर जाकर यह रिपोर्टें प्राप्त करते हैं और वह गांवों में जाकर अध्ययन करते हैं और लेख प्रकाशित करते हैं। उन्होंने उन लोगों की फोटो सहित लेख प्रकाशित किए हैं जिन्हें लकवा हो गया है क्योंकि वेतन के रूप में उन्हें केसरी दाल दी जानी है। हजारों कृषि मजदूरों, जो हरिजन तथा आदिवासी वर्गों से सम्बन्धित हैं, को लकवा हो गया है क्योंकि उन्हें वेतन के रूप में केसरी दाल दी जाती है। क्या हम इसके विरुद्ध हाथ उठा सकते हैं? क्या किसी सरकार ने यह प्रतिबन्ध लगाया है कि केसरी दाल नहीं दी जानी चाहिए। प्रतिबन्ध लगाने के बावजूद मालिक मजदूरों को केसरी दाल देते हैं। हम उन्हें क्या शिक्षा दे सकते हैं? बिहार में यदि आप देखें तो पता चलेगा कि प्रत्येक मालिक के पास उनकी निजी शक्ति तथा निजी पुलिस है। प्रत्येक भूस्वामी की निजी सेना है। यदि भूस्वामी अपने खेत में मजदूरों के काम को देखने जाता है तो वह अपनी सेना अपने बंदूकधारी निजी दल बल के साथ जाता है। इस देश में इस बात की

अनुमति कैसे दी गई ? मैं श्री भागवत झा आज़ाद को अधिक सम्मान देता हूं। उन्होंने बिहार के मुख्य मंत्री का पद संभाला है। आज उनका चेहरा कालिख से रंगा गया है यह सांकेतिक घटना है। मैं उस व्यक्ति को बधाई देता हूं जिसने ऐसा किया और मैं कहता हूं कि यह भागवत झा आजाद के खिलाफ नहीं किया गया बल्कि उसने ऐसा उचित समय पर किया। विश्व को यह दिखाने के लिए कि गरीबों का शोषण हो रहा है तथा गरीब तबके के लोगों के हितों की सुरक्षा के लिए सरकार ने कोई प्रभावकारी कदम नहीं उठाया है। इसलिए मेरा विचार है कि जब तक कि इस जाति प्रथा को जिससे इस देश की आर्थिक प्रणाली नियंत्रित होती है, बदला नहीं जाता है. कुछ भी नहीं किया जा सकता है और इस मामले में हमें संभल कर चलना होगा, मुझे यह कहते हुए गर्व है कि मैं केरल राज्य से हूं। गुरूवयूर मंदिर में सिर्फ उंची जाति के लोग ही जाते थे हरिजनों का प्रवेश बंद था। अब हरिजन वहां पंचवाद्य कर रहे हैं। मुझे इस बात पर गर्व होता है जब हरिजन जाति से धर्म परिवर्तित कोई व्यक्ति गुरूवयूर मंदिर की नियंत्रक परिषद का सदस्य बनाया जाता है। सभी कांग्रेसी तथा सभी ऊंची जाति के लोगों ने इसके खिलाफ आवाज उठायी। क्या कोई गैर हिन्दू गुरूवयूर मंदिर के बोर्ड का सदस्य बन सकता है अन्त में खुद उन्होंने त्यागपत्र दे दिया बे शक ऐसा उन्होंने किन्ही अन्य कारणों से किया, क्योंकि वे दुश्मनी पैदा नहीं करना चाहते थे, लेकिन देखिए कि उन्होंने इस प्रथा पर अभी भी कैसे नियंत्रण किया हुआ है। इसलिए इन पुजारियों की केवल भर्त्सना की जा सकती है और उन पर कठोर कार्यवाही से नियत्रण किया जा सकता है। इन लोगों को आप उनका उचित हिस्सा दीजिए इसे एक अतिआवश्यक आर्थिक समस्या के रूप में लीजिए। कोशिश कीजिए कि क्षेत्र का प्रभारी इस प्रकार की घटनाओं के लिए जिम्मेवार हो। प्रशासक जिलाधीश को उसके क्षेत्र में हरिजनों या आदिवासियों पर किए गए किसी भी अत्याचार के लिए पूरा जिम्मेवार ठहराया जाए और उन पर किये गये किसी भी अत्याचार के लिए सरकार को जवाब दे। वहां विशेष बल होना चाहिए। प्रभावकारी उपचारी कार्यवाही की जानी चाहिए।

हरिजन और आदिवासी महिलाओं पर बलात्कार होता है। यह कोई नई बात नहीं है। हम प्रत्येक दिन ऐसी घटनाएं देखते हैं। ज्यादातर बलात्कार हरिजन तथा आदिवासी महिलाओं पर होता है, सभी सामाजिक परिस्थितियों में उनका शोषण होता है।

मैं श्री बलवंत सिंह रामूवालिया को यह विषय उठाने पर धन्यवाद देता हूं। जब यह विषय उठाया गया स्थिति उतनी गंभीर नहीं थी। जब उन्होंने इस विषय को उठाया इतना ज्यादा अत्याचार नहीं किया गया था। उस दिन से आज तक हम इन सभी घटनाओं का हिसाब देखें। ऐसी घटना प्रत्येक दिन घट रही है और मैं यह कहना चाहूंगा कि हमें एक जुट होकर यह कोशिश करनी चाहिए कि हरिजनों पर अत्याचार बंद हो।

[हिन्दी]

श्री बापूलाल मालवीय (शाजापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, हरिजनों पर अत्याचार के संबंध में श्री रामूवालिया जी यह चर्चा लाये हैं। इसके लिये मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूं। हरिजन और आदिवासियों के लिये उन्होंने यहां अच्छे विचार व्यक्त कराये हैं इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं।

हिन्दुस्तान के समाज में हरिजनों पर अत्याचार ही नहीं होते, उनका डिसआनर भी होता है, उनका मेसेक्कर भी होता है। डिसआनर और मेसेक्कर की बात भी हम हरिजनों पर आये दिन देखते हैं। यह आज से ही नहीं सदियों से चली आ रही है।

समाज में जो दूसरे तीन वर्ग हैं ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय ये तीनों हरिजनों को मारते रहे हैं। ब्राह्मण बुद्धि से हरिजनों को मारता है, वैश्य कलम से मारता है और क्षत्रिय बन्दूक, पिस्तौल, तलवार और भाले से मारता है। ये तीनों कौमें हरिजनों के और आदिवासियों के पीछे पड़ी हुई हैं। कैसे इन कौमों से हरिजनों और आदिवासियों को आराम मिलेगा ? इन कौमों के लोग चाहते हैं कि ये हरिजन और आदिवासी उनके गुलाम ही बने रहें। उनकी गुलामी करते रहें।

हमें रोज समाचार पत्रों में पढ़ने को मिलता है कि किस तरह से हरिजनों पर अत्याचार और जुल्म होता है। अब सात पार्टियां एक बन गयी हैं। उनमें एक-दो को छोड़ कर बाकी सभी सामंतवादी प्रवृत्ति की पार्टियां हैं। ये पार्टियां कांग्रेस के खिलाफ नहीं बन रही हैं, गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं बन रही हैं, ये हरिजन और आदिवासियों के खिलाफ संगठित हो रही हैं। अगर इन पार्टियों का संगठन हो जाता है तो निश्चित रूप से हरिजन और आदिवासी इस देश में नहीं रह सकेंगे। उन पर जुल्म होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, इन सात पार्टियों से हरिजनों को बड़ा डर पैदा हो गया है। अदिवासियों में बहुत डर पैदा हो गया है। वे सोचने लगे हैं कि कांग्रेस के जाने के बाद पता नहीं उनका क्या होगा। अगर इनकी गवर्नमेंट आ गयी तो निश्चित रूप से हरिजन और आदिवासियों का रहना मुश्किल हो जायेगा। इन पार्टियों में वे लोग हैं जो हरिजनों और आदिवासियों पर जुल्म करते हैं, उनका मैसक्कर करते हैं। इन पार्टियों से हरिजनों और आदिवासियों में भय पैदा हो रहा है। अगर ये लोग एक हो गये तो हरिजनों और आदिवासियों का रहना मुश्किल हो जायेगा। ये जो एक हो रहें इनकी कांग्रेस से लड़ाई नही है। हरिजन और आदिवासियों पर जो जुल्म हो रहा है यह क्यों हो रहा है ? यह इसलिए हो रहा है कि हरिजन और आदिवासी कांग्रेस से बंधे हुए हैं। वह कांग्रेस के साथ इसलिए बंधा हुआ है, क्योंकि कांग्रेस के लोग हरिजनों की मदद करते हैं, उनको सुरक्षा प्रदान करते हैं, उनको आगे लाने की पूरी कोशिश करते हैं और इसलिए हरिजन अन्य किसी पार्टी को वोट नहीं देते। इसलिए ही उन पर अत्याचार हो रहा है। कांग्रेस को वास्तव में जिन्दा रखने वाले हरिजन ही हैं। हरिजन जुल्म और अत्याचार सहन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कांग्रेस के साथ हैं, इसलिए कि कांग्रेस के दिल में हरिजनों के लिए अच्छी भावना घर कर गई है। आज हम सभी जगह देखते हैं, यहां पर भी हमने देखा कि जितने कांग्रेस के हरिजन नेता बोले, उनसे बढ़कर दूसरे नेताओं ने अपने विचार व्यक्त किए, उनके दिल में अधिक दर्द था।

तो इस तरह से एक तरफ कांग्रेस के लोग हैं और दूसरी तरफ हरिजनों पर अत्याचार और अनाचार करने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों की अगर पार्टी बन गई, इनका संगठन हो गया तो और अधिक कत्लेआम होंगे। मैं तो प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि ऐसी पार्टियों को जिन्दा मत रहने दीजिए जो गरीबों पर जुल्म करें, इन पर बैन लगा दीजिए जो हरिजनों पर अत्याचार करें। नाथद्वारा में क्या हुआ, इन्हीं विरोधियों पार्टियों में से एक ने उनका समर्थन किया जो हरिजनों का मंदिर में प्रवेश नहीं करने देना चाहते थे। इस तरह की इनकी प्रवृत्ति है। इस तरह की इनकी छोटी-भावनाएं हैं, ये लोग हरिजनों के खिलाफ हैं। एक तरफ हरिजनों की अच्छाई की बात करते हैं और दूसरी तरफ हरिजनों के खिलाफ काम करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, यह हमारे देश के लिए दुःख की बात है, यह देश पर बड़ा कलंक है कि दुनिया के किसी और देश में छुआछूत नहीं है, केवल हिन्दुस्तान में छुआछूत है। किसी भी राष्ट्र में अस्पृश्यता पर कोई रिपोर्ट नहीं दी जाती, यह हिन्दुस्तान के माथे पर एक कलंक है। हिन्दू समाज के लोगों ने

सारी दुनिया में राष्ट्र के सिर पर यह कलंक लगा रखा है, दुनिया में कहीं भी छुआछूत नहीं है। यहीं पर छुआछूत है और छोटे ख्याल के लोग रह रहे हैं। बाहर हम कैसे कह सकते हैं कि हिन्दुस्तान के लोग विशाल हृदय हैं, यह तो छोटे दिल वालों का काम है। हमें इस कलंक को मिटाना पड़ेगा। जब तक यह कलंक नहीं मिटेगा तब तक बड़ी मुश्किलें आएंगी।

मेरी कोई छोटी भावना या छोटा नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हर एक देश में बहुमत वाली जाति की सरकार होती है। योरोप में देखिए, ईसाइयों की सरकार है, अरब में मुसलमानों का बहुमत है, वहां पर मुसलमानों की सरकार है, हिन्दुस्तान में भी हिन्दुओं का बहुमत है और सब की सरकार है, लेकिन हमें जो सांप्रदायिक संस्थाएं हैं उनको देखना होगा। हमारे देश में चारों कोनों में 4 मठाधीश हैं जो धर्मगुरू कहलाते हैं, लेकिन अगर लोगों का यही रवैया रहा तो हिन्दू एक दिन अल्पसंख्यक हो जाएगा। आज हिन्दुस्तान में बड़ी मात्रा में धर्म परिवर्तन हो रहा है। नागालैण्ड, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश आदि प्रदेशों में बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन हो रहा है। कई जगह तो 80 प्रतिशत तक हिन्दुओं की आबादी कम हुई है और हमारे मठाधीश बैठे हुए देख रहे हैं। लोग इसाई धर्म अपना रहे हैं। क्योंकि ईसाइयों की वहां पर सेवाएं बहुत हैं, लेकिन जब हिन्दू उन पर अत्याचार करते हैं, जुल्म करते हैं, इसलिए वह दूसरे धर्म में चला जाता है। यही हाल रहा तो एक दिन हिन्दू अल्पसंख्यक हो जाएगा और उसको रिजर्वेशन की आवश्यकता पड़ेगी।

2.00 म० प०

आज लोग कहते हैं कि मानव धर्म को मानिए, लेकिन प्रेक्टीकल क्या होता है। कोई गैरूआ कपड़े पहनता है, कोई दूसरे रंग के कपड़े पहनता है और बात मानव धर्म की करते हैं। मानव धर्म मानने वाले लोग तो इन्सान को पूजते हैं, इस तरह की बातें हिन्दू धर्म का प्रतीक नहीं हो सकतीं। अगर कोई एक विशेष प्रकार का धर्म का चोला पहन लेता है तो निश्चित रूप से इन्सान को नहीं मानेगा, धर्म को मानेगा। एट्रोसिटीज या मैसेकर अगर बंद करना है तो जितनी भी साम्प्रदायिक विरोधी पार्टियां हैं उन पर बैन लगाना पड़ेगा नहीं तो हरिजनों का जीना मुश्किल हो जायेगा। आज यह हाल है कि माताओं और उनकी लड़कियों की इज्जत नहीं है। उन पर जुल्म हो रहा है। तीन तरह की मूछें होती हैं। एक तो कर्जन टाइप, दूसरी शेर टाइप और तीसरी बकरी टाइप। अगर कोई हरिजन या आदिवासी शेर टाइप मूंछ रख लेता है तो सामन्तवादी लोग उसे मारते हैं और उसकी मूंछें कटवाते हैं। इस तरह का अत्याचार हो रहा है। गांव में औरतें जमींदार के सामने चप्पल पहनकर नहीं निकल सकती हैं। हरिजनों को कहीं भी जिंदा रहने नहीं दिया जाता है। जितनी जल्दी हो सके हरिजनों की रक्षा की जानी चाहिए। हरिजनों को आगे लाने का काम कांग्रेस सरकार ने किया है। यह कांग्रेस की देन है कि हरिजनों के कुछ लड़के पढ़-लिखकर आगे बढ़े हैं। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं।

श्री मोती लाल सिंह (सीधी) : माननीय उपाध्यक्ष जी, आजादी के इकतालीस वर्ष बाद भी आज सदन में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की दुर्दशा पर चर्चा हो रही है। यह सदन के लिए दुःख की बात है कि उनकी आर्थिक स्थिति में आज तक कोई सुधार नहीं हो सका। अपने देश में अनुसूचित जाति और जनजातियों पर आर्थिक, समाजिक शैक्षणिक और राजनैतिक रूप से शोषण हो रहा है।

2.03 म० प०

[श्री वक्कम पुरुषोत्तमन पीठासीन हुए]

जब तक इन लोगों का शोषण होता रहेगा तब इन चारों स्तरों पर इनका विकास संभव नहीं है चाहे वे बिहार, उ० प्र०, मध्य प्रदेश या और किसी राज्य के हों। हर जगह इनकी स्थिति एक जैसी ही है। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजातियों के लड़के आज तक अच्छे ढंग से पढ़ लिखकर आगे नहीं बढ़ सके हैं। जो पढ़-लिख लेते हैं, उनके लिए सर्विस में रुकावटें आती हैं चाहे वह छोटे स्तर या अधिकारी स्तर की नौकरी का हो या पदोन्नति का मामला हो, इनको डिसक्वालिफाई करके अलग कर दिया जाता है। यह कार्य सरकार को देखना है। सरकारी अधिकारयों पर जब तक जिम्मेदारी नहीं सौंपी जायेगी तब तक इनका विकास होना संभव नहीं है। आए दिन हरिजनों की नृशंस हत्याएं की जाती हैं। सरकार को यह देखना चाहिए कि इनकी हत्याएं और सामाजिक शोषण क्यों किया जाता है। आज तक इनका शोषण होता रहा और सदैव होता रहेगा। संवैधानिक अधिकारों का इनके लिए कोई लाभ नहीं है। कानून तो बने हुए हैं लेकिन उनको लागू करने की जिम्मेदारी किसकी है। शासन की जिम्मेदारी है कि उसको लागू करे। जब तक इस पर प्रयत्न नहीं किया जायेगा, जब तक आप इसे कंट्रोल नहीं नहीं करेंगे, जब तक किसी को जिम्मेदारी किसी को जिम्मेदारी नहीं सौंपेंगे तो केवल कानून बना देने से, योजना बना देने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि कानून कार्यान्वित नहीं होता है। आप इनको उनके विकास करने के लिए जैसे आई० आर० डी० पी० है, कई कार्यक्रम देते हैं, पैसा भी अलाट करते हैं जो राज्य सरकारों के माध्यम से उनको दिया जाता है लेकिन वह वास्तव में उन्हें नहीं मिलता है, बांध वगैरह बनाने के लिए जो पैसा मिलता है वह पैसा वहां के जमींदारों और सामंत लोगों के हाथ चला जाता है। वह उस पैसे का दुरुपयोग करते हैं। आप जिम्मेदारी सौंपते हैं लेकिन वह अधिकारी जिसको जिम्मेदारी सौंपी जाती है इसको टाल देता है। आपको देखना चाहिए कि इन कामों के लिए फलां अधिकारी ने काम किया है या नहीं अगर नहीं तो उसको नौकरी से हटा दें। जब तक यह नहीं करेंगे, तब तक हम कितनी ही यहां पर इस विषय पर चर्चा कर लें कोई फायदा होने वाला नहीं है। जहां तक मजदूरी का सवाल है। आपने जमीन की सीलिंग कर दी और कहा कि गरीबों को बांट देंगे, लेकिन अपने कागजों में तो बांट दी, उनको वास्तविक कब्जा नहीं मिला है, मौके पर जमीन नहीं मिली है। अगर किसी ने कब्जा करने की कोशिश की तो उसको गोली से उड़ा दिया जाता है। दिन भर काम करने के बाद उनको पेट भरने के लिए मजदूरी भी नहीं दी जाती है। जब आजादी के इतने अर्से के बाद भी ऐसा चलता रहेगा तो सारी जिम्मेदारी किस पर होगी। जिन्होंने अनुसूचित जाति और जन-जाति के लोगों का शोषण किया है जो समाज में आगे के वर्ग हैं उन पर इसकी जिम्मेदारी होगी, इसका कलंक उनके ऊपर होगा। आपको आज सोचना होगा कि इन लोगों के विकास पर चाहे राजनीतिक हो, शैक्षणिक हो, सामाजिक हो या आर्थिक हो उनको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। अगर वह नहीं बढ़ते हैं तो फिर इतनी सारी योजनायें बनाने में और प्रोपेगंडा करने की जरूरत क्या है। आप उनको हर स्तर पर सुविधायें देने का प्रयास करते हैं, पैसा खर्च करते हैं, सब कुछ दिया जाता है, लेकिन वह उन तक पहुंच नहीं पाता है। इसलिए जब तक आप किसी को जिम्मेदारी नहीं सौंपेंगे तब तक फायदा नहीं होगा। उनका राजनीतिक स्तर पर शोषण होता है, अगर यह आरक्षण नहीं होता तो यह ग्राम पंचायत के सदस्य भी नहीं चुने जा सकते थे। हम लोग सदन में बैठे हुए हैं अगर आरक्षण नहीं होता तो एस० सी०, एस० टी० के लोग यहां नहीं आ सकते थे। लेकिन यह आरक्षण आप कब

तक रखेंगे । इसको पूरी तरह लागू करने की भी आवश्यकता है । आज 40 42 साल हो गये हैं देश को आजाद हुए, लेकिन उनका विकास कुछ नहीं हुआ है । इसलिए जो विकास की योजनायें उनके लिए बनायी जायें वह सही तौर पर लागू होनी चाहिए । आप प्रोजेक्ट लागू करते हैं, चाहे कोयले का हो या थर्मल पावर हो आप सबसे पहले जो इनके लिए जमीन लेते हैं वह इन्हीं छोटे परिवारों की, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की लेते हैं । इनके विस्थापित होने के बाद प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि उनको जमीन दे और सही मुआजवा दे, लेकिन वह होता नहीं है । उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है, चाहे वह कोर्ट-कचहरी में जायें । इन बातों को देखने वाली सरकार है, यह शासन की जिम्मेदारी है । अगर यह चीजें होती रहेंगी तो अनुसूचित जाति और जनजाति का विकास संभव नहीं है । संविधान के अन्दर उनको अधिकार प्राप्त है, सब कुछ दिया गया है, लेकिन इसके तहत काम नहीं होता है । आज वोट के लिए हर पार्टी के लोग उनको तरह-तरह के प्रलोभन देते हैं, चाहे वह इधर के हों या उधर के हों, सब इनमें फूट डालने का प्रयास करते हैं । इन सब बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि इनके विकास में कोई रुकावट नहीं आये । आप पम्प लगाने के लिए, कुएं खोदने के लिए पैसा देते हैं, लेकिन वह इनके पास नहीं जाकर कहां जाता है यह भी आप देखें । उनका कुआ नहीं खुदता है, कर्ज उनके नाम पर चढ़ता है और सिंचाई किसी दूसरे के खेत पर होती है। जब तक उनकी योजनाओं पर ध्यान नहीं दिया जायेगा, उनको तब तक सामाजिक स्तर पर कोई फायदा नहीं होगा । शैक्षणिक संस्थानों में भी आप देखें उस स्तर पर भी उन्हें फायदा नहीं हो रहा है, राजनीतिक स्तर पर नहीं हो रहा है तो इस देश का अनुसूचित जाति और जन-जाति वर्ग कहां जायेगा यह बात सबसे ज्यादा विचार करने योग्य है । वैसे तो आज धर्मनिरपेक्ष होने की बात करते हैं, इक्कीसवीं सदी में जाने की बात कहते हैं लेकिन दूसरी तरफ देखिये कि बिहार में 4-6 दिन पहले किस तरह से 11 हरिजनों को मौत के घाट उतार दिया गया । क्या यह अत्याचार और जुल्म की श्रेणी में नहीं आता । मारने वाले कोई और नहीं उसी गांव के जमींदार और सामन्त वर्ग के लोग रहे होंगे । इस घटना को लेकर शासन का कर्तव्य बन जाता है कि दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करे । मेरा निवेदन है कि देश में जहां-जहां हरिजन आदिवासी ज्यादा संख्या में रहते हैं, ऐसे हरिजन आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में कुछ लोगों को आप गन-लाइसेंस दे दीजिए, जिस तरह आप दूसरे लोगों को लाइसेंस देते हैं । कुछ लोग तो बिना लाइ-सेंस भी गन रखते हैं । सम्भव है आप मेरे निवेदन पर कहें कि इस तरह समाज में वर्ग-संघर्ष बढ़ जाएगा परन्तु मेरा निश्चित मत है कि ऐसा कभी नहीं होगा । जब तक दोनों तरफ से बराबर संतुलन रहेगा, कभी वर्ग-संघर्ष नहीं हो सकता और कोई एक-दूसरे को मारने का व्यर्थ प्रयास नहीं करेगा । इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं ।

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : अध्यक्ष महोदय, इस विषय पर मुझे बोलने का मौका देने के लिये मैं आपको धन्यवाद देती हूं । उस बड़ी घटना के बारे में, जिसने राष्ट्रीय समाचार पत्रों को हिला दिया है तथा काफी तनाव उत्पन्न कर दिया है, मेरे बहुत से साथियों ने पहले ही उल्लेख किया है तथा मैं इस बारे में विस्तार से नहीं बोलूंगी क्योंकि उन्होंने तथा मेरे दल ने भी इस सभा में पहले ही उसका उल्लेख किया है ।

मैं एक स्थान जहां मैं प्रायः जाया करती हूं, जो बिहार राज्य के सिंहभूम जिले में चक्रधरपुर के समीप है, की ओर इस सभा का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं । यह अनुसूचित जनजाति क्षेत्र

है। मेरी श्रीमती लारो जानको नाम की एक मित्र, आदिवासी ट्रेड यूनियन लीडर है, जिसने वहां विभिन्न खनिज कंपनियों, जिनमें बहुत बड़ी कंपनियां भी हैं, के हितों के विरुद्ध मजदूरों के लिए संघर्ष करके अपना स्थान बनाया है। इन कंपनियों के बहुत बड़े गुन्डों के गिरोह हैं।

17 जुलाई को लारो जानको के भाई बिजय जानको की उसकी पत्नी तथा बड़ो पुत्री के सामने हत्या कर दी गयी। इस हत्या के बाद विजय जानको की पत्नी नितिमा 18 किमी० चलकर चक्रधरपुर थाने गयी। वह 18 तारीख को रात के 2 बजे वहां पहुंची तथा पुलिस वालों को अपने साथ चलने को कहा ताकि वे लाश को कब्जे में ले सकें। कुछ पुलिस वाले उसके साथ आधी दूरी तक आए तथा उसके बाद उन्होंने कहा कि वे वापस जा रहे हैं तथा वे कल एक बड़े दल के साथ अवश्य आएंगे।

अगला दिन आया। किन्तु एक बड़े दल की बात तो दूर एक मक्खी भी बिजय जानको की लाश को कब्जे में लेने के लिए थाने से नहीं आई। वह लाश हत्यारे उठा कर ले गये। इस थाने में यह ऐसा पहला मामला नहीं है। मैं इसीलिए यह मुद्दा उठा रही हूं कि वहां अनुसूचित जनजाति के लोगों के साथ कैसा बर्ताव किया जाता है।

लारो जानको का इसी खनिज कंपनी के मालिकों के उन्हीं गुन्डों द्वारा उस समय अपमान किया गया जब वह श्रम आयुक्त के कार्यालय में थी। जब उसके पिता तथा भाई शिकायत करने के लिए गए तो उनको एक महीने के लिए जेल में डाल दिया गया। जब उसकी मां तथा बहिन शिकायत करने गयीं तो उनको भी तीन दिन के लिए जेल में बन्द कर दिया गया। न तो पुलिस ने मामले की जांच की, न ही उन्होंने किसी को गिरफ्तार किया जिन्होंने श्रम आयुक्त के समक्ष लारो जानको का वस्तुतः अपमान किया, न ही उन्होंने कोई अन्य कार्यवाही की।

लारो जानको का अपमान करने वाले ये वही गुन्डे थे जिन्होंने वास्तव में विजय जानको की हत्या की थी। किन्तु अब तक कुछ भी नहीं किया गया है। मैं इस बारे में गृह राज्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। मंत्री महोदय कृपया ध्यान दीजिए। यह बहुत गम्भीर मामला है। मैं कल्याण राज्य मंत्री का ध्यान भी इस ओर आकर्षित करना चाहती हूं। यह बहुत गम्भीर मामला है। श्री इन्द्रजीत गुप्ता द्वारा तार भेजने तथा खान मजदूर संघ द्वारा यह अभ्यावेदन करते के बावजूद, कि इस मामले की जांच की जाए तथा इस गांव में पुलिस तैनात की जाए तथा पटना के वरिष्ठ अधिकारी इस मामले की जांच आरंभ करें तथा उत्पीड़न के शिकार व्यक्तियों को सहायता दी जाए, आज तक कुछ नहीं हुआ है। यह ऐसी एकमात्र घटना नहीं है। 3 जुलाई को इसी थाने के अंतर्गत गंडभगावा गांव में एक व्यक्ति श्री बुरान सिंह अंगारिया की हत्या की गयी थी। यद्यपि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई किंतु न तो पुलिस आई न ही जांच की गयी अथवा किसी को गिरफ्तार किया गया। 25 दिसम्बर, 1987 को इसी थाने के अंतर्गत हिजिया गांव की नन्दी चाको नाम की आदिवासी महिला के साथ 10 लोगों ने सामूहिक रूप से बलात्कार किया तथा उसे मार डाला। यह मामला भी चक्रधरपुर थाने के ध्यान में लाया गया किंतु कोई कार्यवाही नहीं की गयी। अब तक कुछ नहीं हुआ है। चक्रधरपुर थाने के अंतर्गत यह सब हो रहा है। मैं ये ठोस मामले बता रही हूं तथा गृह राज्य मंत्री का ध्यान आकर्षित कर रही हूं। ऐसा यूं ही नहीं है कि छोटानागपुर क्षेत्र की सभी अनुसूचित जनजातियों ने हथियार उठा लिए हैं। पुलिस उनके साथ इसी प्रकार का व्यवहार कर रही है। चूंकि पुलिस राज्य प्रशासन के अंतर्गत आती है, अतः इसके लिए बिहार सरकार जिम्मेवार है।

जब छः माह के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की गयी हो तो आप उन आदिवासियों के दिल में क्या भावना उत्पन्न होने की आशा कर सकते हैं तथा वे किस तरह अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे। अतः आज यह आकस्मिक नहीं है कि हमारे इस विशाल देश में हरिजन तथा आदिवासी यह महसूस कर रहे हैं कि उनको संरक्षण नहीं दिया जा रहा है। वहां कोई भूमि सुधार नहीं है। वहां न्यूनतम मजदूरी तथा मजदूरों के अधिकारों का संरक्षण नहीं है। उनके विरुद्ध रुढ़िवाद का प्रयोग किया जाता है तथा सर्वोच्च प्रशासनिक मशीनरी इस ढंग से काम कर रही है कि पुलिस जानती है कि वे बेधड़क स्वच्छन्द आचरण कर सकते हैं। यदि यह स्थिति है तो कल्पना कीजिए कि वहां बड़ी उथल-पुथल क्यों नहीं होगी। अतः यह आर्थिक शोषण की स्थिति है। यह रूढ़िवाद की समस्या है तथा आर्थिक अपराधी रूढ़िवाद का फायदा उठा रहे हैं। यह राज्य सरकार के उनके प्रति उदासीन होने की समस्या है। यह उन सभी दलों, जो केन्द्र अथवा राज्यों में सत्ता में हैं, की समस्या है कि यदि वे दीवार पर लिखी हुई चेतावनी को नहीं पढ़ते हैं तो हमारे देश के वे मामले बिगड़ते जाएंगी जिनके लिए हमने 15 अगस्त, 1947 को समझौता किया था।

मैं पश्चिम बंगाल राज्य की निवासी होते के लिए अपने को मुबारकवाद देती हूं। केवल इसलिए नहीं कि वहां वामपंथी सरकार है। पश्चिम बंगाल में राममोहन राय, विवेकानन्द, वामपंथी कांग्रेसियों, वामपंथियों, कम्युनिस्ट आंदोलनों तथा भूमि सुधारों के लिए बड़े आंदोलनों तथा अंततः वामपंथी सरकार की परम्परा रही है। इसीलिए हमें आज उस राज्य में इस तरह का कोई मामला मुश्किल से ही मिलता है।

अतः, कृपया इसको समझें। उससे सबक लेने की कोशिश करें। प्रसंगवश, मैं आपसे चक्रधरपुर थाने के अधिकारियों के विरुद्ध ठोस कार्यवाही करने का अनुरोध करती हूं, जिसके सम्बन्ध में मैंने आपको कुछ तथ्य दिये हैं।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : सभापति महोदय, माननीय प्रधान मंत्री ने कल लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को सम्बोधित करते हुए जो जहानाबाद की घटना पर शोक और दुःख व्यक्त किया, उन्होंने एक प्रकार से सारे देश की भावना को, जो आम लोगों की भावना थी, उसको व्यक्त किया। वास्तव में बिहार के जहानाबाद में जो कुछ हो रहा है, वह राष्ट्रीय शर्म है। हम सबको चाहे वे किसी जाति और धर्म के मानने वाले हों, किसी भी पार्टी में हों, सब को यह महसूस करना चाहिए कि जो कुछ जहानाबाद में हो रहा है, उसके लिए कहीं न कहीं पर मूलतः हम सब लोग मिलकर जिम्मेदार हैं।

आजादी के 40 साल बाद भी हम अपने देश के अन्दर ऐसी व्यवस्था नहीं बना पाए जिसमें कोई व्यक्ति, चाहे वह किसी जाति और धर्म का मानने वाला हो, शान के साथ सर उठाकर जी सके। आज भी यदि किसी व्यक्ति को जाति के आधार पर छोटा समझा जाता, है, जबकि उसे भी लोकतंत्र में वही अधिकार प्राप्त हैं जो उच्च से उच्च जाति के व्यक्ति को प्राप्त हैं, तो इससे बड़े दुःख की कोई बात नहीं हो सकती, और उसके लिए मूल कारण कहां पर है, उस पर हमें जाने की जरूरत है।

इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसमें हमारी कोई राजनीति नहीं है, अगर ऐसे मामले में हम राजनीति लाने की कोशिश करेंगे, जिस प्रकार विपक्ष के मित्रों ने इसमें लाने की कोशिश की है, तो यह अच्छी बात नहीं है। अगर वह राजनीति लाने की कोशिश करेंगे तो हम भी उसको राजनीति के दायरे में लाकर उसी प्रकार की बात करने की कोशिश करेंगे। सारा जो मूल तत्व है वह राजनीति के ऊपर वाद-विवाद में है, एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाएंगे तो वह स्वयं राजनीति हो जाएगी।

आज सवाल केवल हरिजन का नहीं है कि हरिजनों की हत्या की जा रही है। यदि इसी तरह से ये घटनाएं घटित होती रहीं तो राष्ट्र और लोकतंत्र के रूप में जो हमारा अस्तित्व है, वह समाप्त हो जाएगा।

इतना बड़ा समुदाय जिसको हम हरिजन के नाम से जानते हैं, और उस वर्ग विशेष के लोगों की लोग हत्या करते रहेंगे, हम उनको प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे तो सारी दुनिया के लोग उनकी प्रोटैक्शन के लिए संरक्षण के लिए आगे नहीं आएंगे तो यकीन मानिए इस लोकतंत्र पर उनकी आस्था समाप्त हो जाएगी। जिस दिन गरीब व्यक्ति की लोकतन्त्र पर आस्था समाप्त हो जाएगी तो फिर लोकतंत्र को बचाने के लिए कोई ताकत बीच में आने वाली नहीं है। वे केवल सरकार से बच जाएंगे, आपका यह सोचना भ्रम है।

हम कभी-कभी वोटों और अपनी सुविधा के लिए कई चीजों से सोचा करते हैं। हकीकत यह है कि इस सारी बीमारी की जड़ हमारी वर्ण व्यवस्था है और इस पर जिस तरह से खुलकर हमला होना चाहिए था वह हमने किया नहीं। यदि वर्ण व्यवस्था के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं जब तक उनको आप कठघरे में रखने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक हमारा कल्याण होने वाला नहीं है।

दुःख की बात है कि एक शंकराचार्य, जो अपने को एक धर्म विशेष का मठाधीश कहता है या उसका नुमाइन्दा कहता है, वह खुलकर यह बात कह दे कि कि हरिजनों को मन्दिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए और सरकार मन्दिर में हरिजनों के प्रवेश करने के लिए जत्थे को लीड करे तो आजादी के इतने वर्षों के बाद भी इससे ज्यादा बुरी बात क्या होगी? जब लोग इसका उदाहरण लेकर दुनियां में जाते होंगे और दुनिया में इस तरह की बात करते होंगे और लोग हमारे विषय में सोचते होंगे तो यह सोचकर हमें बड़ी तकलीफ होती है।

मैं तो आग्रह करना चाहूंगा कि सरकार को खुलकर इस बात को कहना चाहिए कि वर्ण व्यवस्था के संदर्भ में जो भी धर्म-ग्रन्थ हैं, जो भी वर्ण-व्यवस्था पर आधारित व्यवस्था की वकालत करने की कोशिश करते हैं, उन पर आपको प्रतिबन्ध लगाना चाहिए। जिस तरह पंजाब के मामले में कहते हैं और लोग धर्म की आड़ लेकर राजनीति करते हैं, उन पर प्रतिबन्ध लगाया जाए, क्योंकि खतरा जितना पंजाब के अन्दर धर्म की आड़ लेकर राजनीति करने वालों से है, उतना ही खतरा वर्ण व्यवस्था की आड़ लेकर हरिजनों पर हमला करने वालों से है, उतना ही खतरा दूसरी जाति को जाति के आधार पर छोटा समझने वालों से है। पंजाब की स्थिति को तो हम कानून और व्यवस्था और राजनीति के जरिए सुधार भी सकते हैं लेकिन जब तक इस व्यवस्था के मूल पर हम हमला नहीं करेंगे, हम इसे सुधार नहीं पाएंगे। मगर जब तक इस व्यवस्था के मूल में नहीं आयेंगे तब तक इसमें

सुधार नहीं कर पायेंगे । यह राम, महात्मा बुद्ध और गांधी का देश है और इस देश में इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति होती रहे और एक के बाद एक घटनायें होती रहें, एक ही गांव में एक ही इलाके में एक के बाद एक हरिजनों को मार दिया जाये, जला दिया जाये और उनकी बहू-बेटियों के साथ अत्याचार किया जाये तो इससे ज्यादा शर्म की बात और कोई नहीं हो सकती है ।

माननीय गृह मंत्री जी हाल में बिहार प्रधान मंत्री जी के निर्देश के अनुसार गये थे । निश्चित रूप से वह कोई न कोई ऐक्शन प्लान बनायेंगे और उस ऐक्शन प्लान के साथ ही इस पार्लियामेंट के सामने आयेंगे ताकि बिहार के अन्दर यानी कि उस बिहार के अन्दर जिसको कि हम कई क्षेत्रों में अपना लीडर मानते हैं और जिस बिहार के लोगों ने देश की स्वतंत्रता के लिये बहुत बड़ी कुर्बानी दी, वहां इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोका जा सकेगा । वह इस बारे में हमें यह भी बतायें कि वहां की सरकार, वहां के मुख्यमंत्री इन घटनाओं को रोकने के लिये क्या प्रयास कर रहे हैं और केन्द्र की सरकार उनके इन प्रयासों में उन्हें किस प्रकार का सहयोग दे रही है ?

अधिष्ठाता महोदय, निहित स्वार्थी तत्व हमारे गांवों में हैं और वही इन सब घटनाओं के लिये जिम्मेदार हैं । मैं आप से यह आग्रह करना चाहूंगा कि हमारे हरिजनों को जब तक जमीन का अधिकार नहीं मिलेगा और जब तक वे आर्थिक रूप से सक्षम नहीं बनेंगे तब तक यह अत्याचार कानून बनाने के बावजूद भी रुक नहीं पायेंगे । जहां सामाजिक रूप से इस पर हमला करने की जरूरत है वहां उनके लिये आर्थिक रूप से भी समग्र प्रयास करने की जरूरत है ताकि वह आर्थिक रूप से ऊपर उठ जायें और उनके ऊपर हमला करने वाला यह सोच सके कि अगर वह उसके ऊपर हमला करेगा तो वह भी इसका प्रतिकार करेगा । मैं आपको यह भी कहना चाहता हू कि गरीब हरिजन की मदद कानून भी नहीं करता है । जो सक्षम हरिजन है अगर उस पर कोई हमला कर दे तो कानून उसकी मदद के लिए आगे आ जाता है । अतः इस पर सोच-विचार करने की जरूरत है ।

जमीन एक आधार हो सकता है और दूसरा आधार रोजगार का हो सकता है । आरक्षण के मामले में कई राज्य सरकारों ने कोटा निर्धारित किया हुआ है लेकिन उस कोटे के अनुरूप उसको नहीं भरा जाता है । इस मामले को भी देखने की जरूरत है।

इसके अतिरिक्त हरिजनों में कुछ ऐसे वर्ग हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो आज के जमाने में गरीबी की रेखा से भी नीचे जो न्यूनतम रेखा होती है, उसके नीचे रह रहे हैं । सरकार को उनकी पूरी आर्थिक मदद करनी चाहिए । यदि कल्याण मंत्रालय के पास कोई ऐसा कोष है तो उसके माध्यम से सीधे इन गरीबों की मदद करनी चाहिए चाहे वह सहायता पेंशन के माध्यम से दी जाये । आप जिस प्रकार से विधवाओं, विकलांगों और वृद्धों को पेंशन देते हैं उसी प्रकार की पेंशन आप इन्हें देने की व्यवस्था करें । यदि हम आर्थिक रूप से हरिजनों को सक्षम बना पायेंगे और सरकार उनके लिए कुछ सार्थक उपाय कर पायेगी तो इन अत्याचारों को रोकने में हम काफी हद तक सफल हो जायेंगे ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे पक्ष और विपक्ष के साथियों ने जो सुझाव दिये हैं उन सुझावों में मेरे सुझावों को भी जोड़ कर उन पर गम्भीरतापूर्वक विचार करें । अंत में मैं सरकार से यह आग्रह करना चाहता हूं कि इस तरीके के घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो । धार्मिक और जातीय आधार पर लोगों का शोषण होना बन्द हो और लोगों को घृणा की नजर से न

देखा जाये इसके कुछ न कुछ कानून बनाये जायें और पार्लियामेंट को विश्वास में लेकर इस प्रकार के कानून बनाये जायें।

श्रीमती ऊषा ठक्कर (कच्छ) : माननीय सभापति महोदय, हरिजनों और आदिवासियों पर होने वाले अत्याचारों के सम्बन्ध में यहां पर हम अक्सर चर्चा करते रहे हैं। यह एक बड़े दुख की बात है।

महात्मा गांधी जी ने छूत और अछूत के बारे में बहुत कुछ कहा था। उन्होंने कहा था कि मनुष्य-मनुष्य में कोई फर्क नहीं है। हरिजन नाम पूज्य बापू जी का ही दिया हुआ है। ऐसा पवित्र नाम पूज्य बापू जी ही दे सकते हैं।

श्री राम स्वरूप राम जी ने ठीक ही कहा कि कभी नाथ द्वारा में हरिजनों के जाने पर पाबन्दी लगायी जाती है, कभी बद्रीनाथ में हरिजनों के न जाने का ऐलान किया जाता है और इस पर पुरी के शंकराचार्य जी इसका समर्थन करते हैं। यह बड़े खेद की बात है। इस महान सदन के महान सांसदों से यह विनती करती हूं कि आप यह संकल्प करें कि जो कोई किसी मन्दिर में हरिजनों और गिरिजनों के जाने पर पाबन्दी लगायेगा उस मन्दिर में हम भी नहीं जायेंगे। हम सदस्य लोग इस पवित्र सदन में ऐसा संकल्प करेंगे तो शंकराचार्य जी और उनके सपोर्टर तो क्या बल्कि मैं तो मानती हूं कि ईश्वर को भी मानना पड़ेगा और हमको दर्शन देने के लिए खुद चले आयेंगे। मैं यह संकल्प करती हूं और सब लोगों से विनती करती हूं कि जैसे कहावत भी है कि "मन चंगा तो कठौती में गंगा" तो जो हरिजन और गिरिजन को नहीं जाने देंगें तो हम भी मंदिर में नहीं जायेंगे, ऐसा हम इस महान सदन के सब सांसद लोग संकल्प करें, ऐसी मैं आप लोगों से प्रार्थना करती हूं।

सब लोग जानते हैं कि भक्त नरसी मेहता ने अपना घर छोड़कर हरिजनों के साथ भक्ति की और ईश्वर के पास जाने का एक रास्ता दिया। उन्होंने अपना सब सांसारिक काम छोड़ दिया था और वह सब सांसारिक काम ईश्वर ने सुलझाया। यह हमारे गुजरात के नरसी मेहता थे जो आल इंडिया के थे। उनका एक पद गांधी जी भी गाते थे "वैष्णव जन तों ते निर कहिये, ते पीड़ पराई जाने रे", यह उनका ही भक्ति गीत है। हम भक्ति और श्रद्धा से काम करेंगे तो 5000 सालों की प्राब्लम्स दूर हो जायेंगी। हम सब साथ मिलाकर काम करेंगे और किसी भी समस्या को राजनीतिक रंग नहीं देंगे तो काम सुलझ जायेगा। राजनीतिक रंग देकर विपक्ष वाले अपनी रोटी पकाने के लिए सब कर रहे हैं, ऐसी भी बात हुई लेकिन मैं समझती हूं कि रोटी पकेगी नहीं बल्कि देश की रोटी जल जायेगी। जब 1977 में हरिजन जगजीवन राम जी थे और उनको प्रधान मंत्री बनाने का मौका आया तब विपक्ष वाले लोगों ने क्या किया था? उनको प्रधान मंत्री क्यों नहीं बनाया? तब विपक्ष वालों ने तो कुछ नहीं किया लेकिन अब टाइम आ गया है जब सब मिलकर काम करें। मैं तो समझती हूं कि देश में जो-जो किस्से हो रहे हैं हमारे देश में अस्थिरता हो जाये, इसके लिए ही यह सब कस्से बन रहे हैं। कभी मुस्लिम लीडरों को भड़काया जाता है, धर्म के नाम पर, हरिजनों की हत्या की जाती है और मेरे कच्छ जैसे बोर्डर एरिया में भी एक किस्सा बना है कि वहां एक मूर्ति को तोड़ दिया। वहां हिन्दू, मुस्लिम और हरिजन लोगों में एकदम भेदभाव नहीं है, वहां भी अशान्ति पैदा करने का षड़यन्त्र हो रहा है। हमारे होम मिनिस्टर भी बैठे हैं और समाज कल्याण मन्त्री जी भी हैं। मैं तो कहती हूं कि जब-जब भी षड़यन्त्र होता है तो जागरूक बनने की आवश्यकता है चाहे वह बोर्डर एरिया हो या कोई दूसरा एरिया हो। चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर जब कोई अच्छा काम करते हैं तो इनको उकसाने के लिए किस्सा बन जाता है। कल क्या हुआ? 15 अगस्त को एक

एम० एल० ए० को मार दिया। रथ यात्रा अच्छी निकली, रथ यात्रा में कुछ नहीं हुआ लेकिन सरकार को अस्थिर बनाने के लिए ऐसा काम हो रहा है। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने श्रीलंका में जब अच्छा काम कर दिया तो उनको मारने की चेष्टा की गई और सारा काम उलट दिया। पंजाब में अच्छा काम हुआ तो लोंगोवाल जी को मार दिया।

मैं तो इतनी ही प्रार्थना करती हूं ईश्वर से, कि सब लोगों को सद्‌बुद्धि दे और सिख, ईसाई, गिरिजन, हरिजन भी भारतवासी हैं, ऐसा हम दृढ़ संकल्प करें। शंकराचार्य जी कुछ करें तो सांसद लोग इतना ही करें कि हम मंदिरों में नहीं जायेंगे।

गृह मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : चेयरमैन साहब, बहुत ही दुःखी हृदय से मैं आज के इस विवाद में हिस्सा ले रहा हूं। हमें आजादी के 40 वर्ष के बाद भी आज सुनने को मिलता है कि हमारे देश में हरिजनों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, वीकर सैक्शंस इस प्रकार की व्यवस्था से गुजर रहे हैं जहां कि हमें शर्म से सिर झुकाना पड़ता है।

यह विषय, इस सदन में आज जो चर्चा हो रही है, बिहार में हरिजनों के ऊपर जो अत्याचार हुए हैं, उनको लेकर चला है। कुछ प्रान्तों में बड़ी अजीब सी हालत पैदा हुई है, जिसमें आन्ध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्से और उड़ीसा। इन प्रांतों के कुछ हिस्से इसकी लपेट में आए हैं। वहां कुछ उग्रवादी तत्व वामपन्थी के नाम से आपरेट कर रहे हैं। जाहिर तौर पर इस तरह से प्रदर्शित कर रहे हैं कि जैसे कि वे गरीबों के सहायक हों, वे एक्सप्लायटेशन के खिलाफ लड़ते हों। परन्तु जो अनुभव हमारे सामने आया है, बड़े ही घिनौने किस्म की बर्बता की मुहिम चली हुई है, जिसमें मानवता की जितनी भी मान्यतायें हैं, उनको छोड़ दिया गया है, दर किनार कर दिया गया है। इस प्रकार की घिनौनी घटनायें घटीं, जिनको देखकर बहुत दुःख होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह कोई आदर्शिक मुहिम नहीं है, आदर्शिक नहीं है। यह गरीबों का लार्ज-स्केल एक्सपलायटेशन है। हम मानते हैं कि बहुत से कदम केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों ने उठाए हैं, उनके इम्पलीमेंटेशन में कमी हुई होगी और अभी बहुत करना जरूरी है, चाहे भूमि सुधार की बात हो, न्यूनतम वेतन की बात हो या बाण्डेड लेबर की बात हो। ये सब चीजें होनी बहुत जरूरी हैं। इसमें प्रगति बहुत हुई है और इसमें यह जरूर है कि उपलब्ध मात्रा में प्रगति हुई नहीं है। परन्तु यह कहना कि कुछ भी नहीं हुआ है, यह गलत है। पिछले 40 वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत विकास हुआ है, जिसका फायदा खास कर उपेक्षित वर्गों को मिला है। हमारा जो बीस सूत्री कार्यक्रम है, जो कम्पोनेंट प्लान है, इनके माध्यम से काम चल रहे हैं। ट्राइबल सब-प्लान के माध्यम से काम चल रहे हैं।। ये सीधी ऐसी याजनाये हैं, जो कि गरीबों को, हरिजन जाति के लोगों को आदिवासी लोगों को सीधे लाभ पहुंचाती हैं। इसमें पैसा दूसरे काम में नहीं लगाया जा सकता है। इनके माध्यम से उत्थान हुआ है, बड़ा विकास हुआ है, शिक्षा का प्रसार हुआ है, मुश्किल से मुश्किल जो हमारे देश के हिस्से हैं, वहां भी शिक्षा पहुंची और बहुत काम हुआ है और बहुत कुछ करने की जरूरत है।

श्री अताउर्रहमान (बारपेटा) : जहानाबाद में क्या हुआ ?

सरदार बूटा सिंह : मैंने शुरू इसी से किया है, परन्तु जो एक बहुत ही भद्दे किस्म का धब्बा हमारे समाज के ऊपर है, वह है आदिवासियों और हरिजनों का ऐसी-ऐसी घटनाओं का शिकार होना,

जिसमें उनकी जानें, पशुओं से भी बुरी और जानवरों से भी बुरी तरह से उनको खत्म किया जाता है। मैंने अभी जिक्र किया था आंध्र प्रदेश और बिहार का, तो हमारे पास जो सूचना उपलब्ध है, उसके अनुसार सन् 1988 में वायलेंस में 23 परसेंट की वृद्धि हुई है, जो 1987 से 23 प्रतिशत बढ़ी है। इसमें अगर देखा जाए तो आन्ध्र प्रदेश में 245 इन्सीडेंट्स हुए हैं और बिहार में 87 इन्सीडेंट्स हुए हैं। दोनों को मिलाकर 93 परसेंट 1988 की वायलेंस बढ़ी है। यह दो प्रान्तों की स्थिति है।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : यह हरिजनों सम्बन्धी आंकड़े हैं।

सरदार बूटा सिंह : जी हां, उस क्षेत्र में आदिवासियों में हिंसा का उपयोग। मुझे यही रिपोर्ट मिली है

[हिन्दी]

इससे पता चलता है कि वामपंथियों और उग्रवादियों का खास कर निशाना इन दो प्रान्तों, आन्ध्र प्रदेश और बिहार, में है। बिहार में कुछ समय तो बड़ा अच्छा रहा, मगर थोड़े ही दिनों के बाद एक के बाद दूसरी भयंकर घटना घटी। जब यह घटना जहानाबाद जिले में हुई तो प्रधान मंत्री जी ने उसी वक्त वहां के मुख्य मंत्री महोदय को, जो उस वक्त दिल्ली में थे, बुलाया और तुरन्त वहां भेज दिया और कहा कि फौरन जाकर इसका प्रबन्ध करो और लोगों को सहायता दी जाए और अपराधियों को पकड़ा जाए तथा दंड दिया जाए। उसके अगले ही दिन मैं अपने सहयोगी श्रीमती डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी महोदया, दूसरे हमारे उपमंत्री, श्री बैठा जी, व बहुत से संसद सदस्य इस सदन के भी और दूसरे सदन के भी वहां पहुंचे और उस घटनास्थल को देखा है और उन लोगों को मिले हैं। यह दुःख की बात है कि इसी थाने में यह दूसरी घटना हुई है और इस घटना में पांच घरों को लूटा गया और चार महिलाओं को मोलेस्ट किया गया और खासकर के 11 और 12 तारीख की रात को दमुहा गांव और एक और टोला है, खागरी टोला, इन पर बहुत से लोग टूट पड़े और वहां गरीब हरिजनों की हत्यायें हुईं और जिस तरह का हमें विवरण दिया गया, इस घटना से ऐसा पता चलता है कि ये लोग एक किस्म की चुनौती बने हुए हैं वहां के शासन के लिए और जब सारा कांड हो रहा था, तो इस तरह की बातें वे कर रहे थे कि देखें, क्या कर लेंगे।

इसका मतलब यह है कि ये जो गैंग्स हैं, ये सर्टेन एरियाज में आपरेट करते हैं। तत्पश्चात्, वहां की राज्य सरकार के उच्चाधिकारियों के साथ बात की और मुख्यमंत्री और दूसरे मंत्री भी उस में बैठे। पता यह चला कि बिहार सरकार ने जो इस प्रकार के क्षेत्र हैं, जितने जिले हैं, जहां पर इस तरह के मिलिटेन्ट गैंग्स, आर्म्ड गैंग्स, और क्रिमिनल्स आपरेट कर रहे हैं, उनको आइडेंटीफाई किया हुआ है। हमने भारत सरकार की ओर से प्रधान मंत्री जी के आदेश के मुताबिक राज्य सरकार को यह कहा है कि राज्य सरकार समय-निर्धारित योजना बनाएगी, एक्शन प्लान बनाएगी, जिसमें भारत सरकार की ओर से सभी साधन उपलब्ध कराए जाएंगे, और जिसमें पैरामिलिट्री फोर्स की अगर जरूरत होगी, तो वह भी दी जाएगी। इसमें सबसे बड़ी चीज हमारे सामने देखने में यह आई है कि वहां किसी किस्म की सूचना जिलाधिकारी के पास नहीं रहती है। इसका मतलब यह है कि जो

उग्रवादी हैं, उन्होंने इतना तहलका मचा रखा है, इतना उनका लोगों में डर है, भय है कि लोग सूचना नहीं देते। यह और भी खतरनाक बात है। थाने में सूचना न पहुंचने से उस पर कार्यवाही नहीं होती। ये कुछ ऐसे तथ्य हैं, जो हमें वहां से मिले हैं और इस चीज को दूर करने के लिए हमें कुछ प्रबन्ध करना होगा। हमने राज्य सरकार से कहा है कि वह इस तरह की एक्शन प्लान बना कर लाए, जिसमें इंटेलीजेंस बहुत जरूरी है और इंटेलीजेंस नेटवर्क को मजबूत करके उन लोगों को आइडेंटीफाई करे और फिर उसके ऊपर एक्शन ले। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से यह भी कहा गया है कि वह रेस्पोंसीबिलिटी फिक्स करे। थाने में है तो थाने की होनी चाहिए, सब-डिवीजन में है, तो सब-डिवीजन की होनी चाहिए और जिले में है, तो जिले की होनी चाहिए और जिस जगह इस तरह की घटना हो, वहा के आफिसर्स को रेस्पोंसीबिल बनाया जाए, ताकि वे अपनी रेस्पोंसीबिलिटी ठीक से निभाएं। इस तरह के कदम हमने उनको सजेस्ट किये हैं। भारत सरकार की ओर से देश के दूसरे हिस्सों में जहां पर इस तरह की घटनाएं हुई हैं, जैसा मैंने शुरू में कहा है, एक्शन लेने के लिए कहा गया है। इस घटना के जितने भी विक्टम्स हैं, उनके पास मुख्यमंत्री स्वयं गये और चीफ सेक्रेटरी को लेकर गये, डी० जी० पुलिस को लेकर गये और एम० पीज को साथ ले गये और वहां पर **आन दि स्पोट** जो मैक्सीमम सहायता कर सकते थे, वह उन्होंने की। उन्होंने 20 हजार रुपये, **नेक्स्ट आफ दि किन**, जिनकी मृत्यु हो गई, उनको दिया और 500 रुपये कैश में उसी वक्त उनको दे दिया गया और उनका इलाज सरकारी खर्चे पर हो रहा है। इसी तरह से राशन और एशैंसियल सप्लाईज का बन्दोबस्त किया है और कपड़ा भी उन लोगों को दिया है और यह आप्शन दिया है कि यदि वे अपने मकान बनाना चाहें, तो सरकार पूरी सहायता के साथ मकान बना कर देगी। बहुत से जो कदम राज्य सरकार की ओर से उठाए गये हैं, मैं उनका उनका उल्लेख नहीं करना चाहता हूं। काफी सारे स्टेप्स उन्होंने लिये हैं।

इससे पहले जो घटना घटी थी नोन्ही गांव में इसी थाने के अन्तर्गत, उसके 11 अपराधियों को पकड़ लिया गया है। सात अपराधी अभी तक नहीं पकड़े गये हैं। उन्हें फरार मुजरिम करार दे दिया गया है। उनको पकड़ने के प्रयास जारी हैं। इनके नाम घटनास्थल से मिले हैं। जो सूचना वहां से मिली है उसके बारे में राज्य सरकार बाकायदा कार्यवाही कर रही है ताकि अपराधियों को पकड़ा जा सके।

भारत सरकार की ओर से मैंने स्वयं सभी राज्यों को एक पत्र लिखा था।

श्री हरीश रावत : मेरा सजेशन यह है कि यह राशि एक-एक लाख रुपये होनी चाहिए, ताकि जिस परिवार का व्यक्ति मरे उस परिवार को अपने पांव पर खड़ा होने में मदद मिल सके, वह अपने पांव पर खड़ा होने में सक्षम हो सके और यदि भविष्य में उस पर कोई अत्याचार होता है तो वह उसका भी सामना कर सके।

सरदार बूटा सिंह : माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है, चूंकि यह एक प्रांत की बात नहीं है, यह सभी प्रांतों की बात है, और जब कभी कोई कम्युनल राईट होता है तो उसके बारे में सभी राज्यों की सलाह से यह रकम निर्धारित की गयी थी। इसके अतिरिक्त भी सरकार दे सकती है। मैं आपका सुझाव मुख्य मंत्री जी को दे दूंगा। यह एक ऐसा प्रश्न है जो आल इंडिया के लिए इवोल्व किया गया था कि कम-से-कम इतना तो तुरन्त अवश्य दिया जाना चाहिए। (**व्यवधान**) मैं वहां मुख्य मंत्री साहब से अर्ज कर दूंगा कि जितना बिहार सरकार करना चाहे वह जरूर करे। हम आपके सुझाव पर विचार कर रहे हैं।

श्री अताउर्रहमान : चीफ सेक्रेटरी को लॉ एण्ड आर्डर आफिसर नहीं बना सकें तो बेहतर होगा। इसलिए कि चीफ सेक्रेटरी घटनास्थल पर जा करके इस किस्म की इंकवायरी नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप एक नहीं, हजारों चीफ सेक्रेटरीज की जरूरत पड़ेगी। आपके एड-मिनिस्ट्रेशन का बेसिस खत्म हो जाएगा।

सरदार बूटा सिंह : वैसे तो बहुत-सी स्टेट्स ने अपने महकमे होम सेक्रेटरीज को दे रखे हैं। फिर भी आपने जो सुझाव दिया वह कुछ सही हो सकता है। हम कोशिश करेंगे ताकि सरकारों से बातचीत करें कि इसके बारे में फिक्स रिस्पांसिब्लिटी होम कमिश्नर जिम्मेदार हों। विशेषकर यह रिस्पांसिब्लिटी जिलाधीश पर हो। उसकी एनुअल रिपोर्ट में लिखा जाना चाहिए। तब जा कर के अच्छा कदम उठाया जा सकेगा। मैं आपके सुझाव को इन राज्य सरकारों के पास भेजने की चेष्टा करूंगा। (व्यवधान)

मैं अर्ज कर रहा था कि जब यह ट्रेंड सामने आया, आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और वेस्ट बंगाल में तो गृह मंत्रालय में गृह सचिव ने स्वयं यहां पर सभी गृह सचिव और चीफ सेक्रेटरीज को बुलाया। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : हरिजनों तथा आदिवासियों पर अत्याचार।

सरदार बूटा सिंह : परन्तु दुर्भाग्यवश वह शिकार हुए हैं। चाहे ऐसा वामपन्थी उग्रवाद के कारण हो अथवा जातिवाद के कारण, अन्ततः शिकार जनजातीय लोग तथा अनुसूचित जनजाति के लोग ही होते हैं।

[हिन्दी]

उसके बाद मैंने स्वयं डाइरेक्टर जनरल पुलिस को और दूसरे अधिकारियों को बुलाया और बातचीत की। जहां-जहां पर, जिस सरकार को जिस प्रकार की सहायता की जरूरत पडे बल्कि आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री साहब से भी मैंने बात की···

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी : पश्चिम बंगाल, आन्ध्र प्रदेश नहीं है।

सरदार बूटा सिंह : मैडम, मैं सम्पूर्ण देश के बारे में बात कर रहा हूं। यदि आप केवल बिहार के बारे में चाहती हैं, तो मैं केवल बिहार के बारे में बात कर सकता हूं।

श्रीमती गीता मुखर्जी : मैंने कहा है कि कुछ राज्यों में विभिन्न परम्पराओं के कारण यह अत्याचार नहीं किए जाते। इसे दूसरे राज्यों के बराबर नहीं समझा जा सकता।

सरदार बूटा सिंह : महोदया, जब मैंने बोलना शुरू किया था तब आप यहां नहीं थी। मैंने समाज की प्रवृत्ति से शुरू किया था। (व्यवधान)

महोदया, आप उस समय सभा में उपस्थित नहीं थीं जब मैंने बोलना शुरू किया था। मैंने कहा है कि इस प्रश्न को उठाया गया है और यदि आप चाहती हैं तो मुझे खेद है कि मुझे और अधिक

समय लेना पड़ेगा। मैं आपको घटनाओं का विस्तृत ब्यौरा दे सकता हूं। मैं राजनैतिक उद्देश्यों से कुछ नहीं कह रहा हूं। मैं जीवन की सच्चाई के बारे में कह रहा हूं। चार-पांच राज्यों में, इस प्रकार का आतंकवाद पनपा है। आपके मुख्य मंत्री—पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री—इन शक्तियों के विरुद्ध लड़ाई में मेरे साथ हैं। मैं नहीं जानता कि आप आपत्ति क्यों कर रहे हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : हम हरिजनों तथा आदिवासियों पर किए जा रहे अत्याचारों के बारे में बात कर रहे हैं, न कि···(**व्यवधान**)

सरदार बूटा सिंह : पश्चिम बंगाल राज्य ने सबसे पहले मेरे सुझाव का उत्तर दिया है। परन्तु बिहार में स्थिति कुछ अलग है।

[**हिन्दी**]

इस इन्सीडेंट को लेकर जब हम जहानाबाद गए तो वहां के लोगों से और वहां के जन-प्रतिनिधियों से बातचीत की। उसके बाद राज्य सरकार के मंत्रियों और मुख्य मंत्री से भी बात की। हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि केन्द्र सरकार पूरी शक्ति और पूरी तनदेही के साथ बिहार सरकार की मदद करेगी और कोशिश करेंगे कि आइन्दा के लिए हरिजनों को पूरा-पूरा संरक्षण प्राप्त हो। हमें उन एरियाज को आइडेंटीफाई करना पड़ेगा और उन एरियाज को पुलिस तथा प्रशासन की दृष्टि से भी मजबूत करना पड़ेगा। यह तो हम नहीं कह सकते कि ओवर-नाइट सब कुछ हो जायेगा। आइन्दा के लिए कोई ऐसी घटना होगी तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। इस वक्त जो परिस्थिति है, वह बहुत संतोषजनक नहीं है। हमें उसके ऊपर चिंता है और उन कमियों को दूर करके बिहार सरकार की पूरी मदद करेंगे।

श्री गंगा राम (फिरोजाबाद) : एस० सी० एस० टी० कमीशन की रिपोर्ट में ये क्षेत्र पहले से ही आइडेंटीफाइड हैं। उन क्षेत्रों को अशांत घोषित करके कार्यवाही की जाए तो ज्यादा उचित होगा।

सरदार बूटा सिंह : आपने जो कुछ कहा, उससे हम कहीं आगे सोच रहे हैं। आई० पी० सी० के तहत ही नहीं बल्कि शेष कानूनों के लिए भी हमें कदम उठाना पड़े तो हम उठायेंगे। इस वक्त बताने का कोई फायदा नहीं है। हमने बिहार सरकार से कहा है कि टाइम लिमिट के साथ एक्शन प्रोग्राम बनाकर हमें दें ताकि आइडेंटीफाइड विलेजेस, आइडेंटीफाइड एरियाज और आइडेंटीफाइड गैंग्स के साथ सख्ती से निपटा जा सके। आज या कल यह हमारे पास पहुंच जायेगा और हम तुरन्त ही इस पर कार्यवाही करेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार इसको गंभीरता के साथ देखती है और ऐसे अपराधियों को छोड़ेंगे नहीं जो हरिजनों की निर्मम हत्याएं करते हैं।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया (संगरूर) : जब आप जहानाबाद गए तो बिहार सरकार ने कौन सी चीज की स्पेसिफिक डिमाण्ड आपसे की कि हमें यह सहायता दी जाए।

सरदार बूटा सिंह : बिहार सरकार ने पैरा मिलिट्री फोर्स ही मांगी। मैंने शुरू में कहा, आप हाउस में नहीं थे, खाली फोर्स देने से काम नहीं चलेगा। वहां का सारा सिस्टम गियर-अप करना पड़ेगा। पास में थाना हो पुलिस के हथियार छीने जाएं और फिर भी कोई कार्यवाही न हो, उसके लिए सिस्टम को ओवर-आल करना होगा। उसके लिए हमने बिहार सरकार से कहा है कि प्लान

लाएं, उसको अप्रूव करेंगे। आपको तो पंजाब का बहुत अनुभव है। आर्डिनरी पुलिस इसको नहीं देख सकती। इसके लिए स्पेशल फोर्स का इंतजाम करना होगा। हम देखेंगे कि यह जो दो-चार गैंग आइडेंटीफाई हुए हैं, इनको कैसे लिक्वीडेट किया जाता है।

2.54 म० प०

[श्री सोमनाथ रथ पीठासीन हुए]

[अनुवाद]

श्री जगन्नाथ पटनायक (कोलाहान्डी) : माननीय गृह मंत्री जी ने हस्तक्षेप करके उल्लेख किया है कि कोई भी व्यक्ति कोई जानकारी देने के लिए आगे नहीं आ रहा। इससे मैंने यह निष्कर्ष निकाला है कि वास्तव में वहां पददलित लोग आतंक के पंजे में जकड़े हुए हैं और सुरक्षा की कोई आशा नहीं है। हमारा सर्वप्रथम कर्त्तव्य यह है कि वहां के पददलित वर्ग, हरिजनों तथा आदिवासियों के मन में सुरक्षा की भावना पैदा की जाए।

15 अगस्त के दिल अर्थात् कल प्रधान मंत्री ने जहानाबाद की घटना के सम्बन्ध में स्वयं यह कहा था कि यह राष्ट्र के मुंह पर कलंक है और हमारे सिर शर्म से झुक जाते हैं।

यह ऐसे किसी भी आम आदमी की भावना है जो मानव प्रतिष्ठा में विश्वास रखता हो, जो प्रजातंत्र तथा समाजवाद में विश्वास रखता हो क्योंकि प्रजातंत्र तथा समाजवाद और मानवीय मूल्य इस किस्म के अमानवीय और शर्मनाक अस्तित्व तथा आर्थिक और सामाजिक असमानताओं के साथ प्रगति नहीं कर सकते हैं, विद्यमान नहीं रह सकते हैं।

कई व्यक्तियों का यह विश्वास है कि औद्योगिकीकरण के विश्वास, व्यापक रूप से साक्षरता के विकास और शहरीकरण के विकास से धीरे-धीरे जाति प्रथा समाप्त हो रही है। परन्तु, दुर्भाग्य-वश, मंत्री महोदय ने स्वयं यह स्वीकार किया है और भारत सरकार की पांचवीं रिपोर्ट के आंकड़ों में भी यह दिया गया है कि यह बात सच है। तुलना कुछ इस तरह की गई है। 1979 में हरिजनों पर अत्याचार की घटनाओं की संख्या 13,976 थी; 1983 में यह संख्या बढ़कर 14,834 हो गई, विकास की दर 6.4 प्रतिशत है। 1979 में आदिवासियों पर किए गए अत्याचारों की घटनाओं की संख्या 2,134 थी; 1983 में संख्या बढ़कर दुगनी हो गई। पूरे देश का विश्लेषण करते हुए मैं आंकड़ों और राज्यों के नामों का जिक्र नहीं करूंगा, मेरे पास इतना समय नहीं है, परन्तु आम निर्णय के उद्देश्य के लिए मैं कुछ इस तरह निष्कर्ष निकालता हूं। जिन स्थानों पर भूमि सुधार ठीक तरह से लागू नहीं किया गया है, जहां सामन्ती संस्कृति मौजूद है, जहां आर्थिक शोषण होता है वहां अत्याचारों की संख्या ज्यादा है।

यह एक आम निष्कर्ष है जो मैंने सभी रिपोर्टों को ध्यान में रखकर निकाला है।

दूसरे, हम यह जानते हैं कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोग अधिकांशतया कृषि श्रमिक और काश्तकार भी हैं। इसलिए समस्या की जड़ यह है कि जब वे अपने मूल अधिकारों की मांग करते हैं, जब वे अपनी न्यूनतम मजदूरी की मांग करते हैं तब उनमें मुकाबला होता है क्योंकि जमींदार उन्हें उनकी न्यूनतम मजदूरी नहीं देना चाहते। जब वे सामाजिक न्याय अथवा किसी अन्य न्याय की मांग करते हैं तो इसका अर्थ होता है कि उन्हे उनके कानूनी अधिकारों से

वंचित रखा जाता है, क्योंकि उन्हें उनकी न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रही है, उन्हें उनके कानूनी अधिकार नहीं मिल रहे हैं, उन्हें फसलों से उनका हिस्सा नहीं मिल रहा है। वास्तव में इसी स्थिति पर आकर मुकाबला होता है और ये अत्याचार की घटनाएं घटती हैं। यहां मेरे विचार मेरे मित्र श्री यादव के विचारों से भिन्न होंगे क्योंकि उन्होंने यह बताया कि केवल हरिजनों पर ही अत्याचार नहीं किए जा रहे हैं बल्कि हरिजन भी अन्य जातियों पर अत्याचार कर रहे हैं। परन्तु, यहां मूल दर्शन यह नहीं है, यह भावना नहीं है जिसमें हम इन बातों पर यहां चर्चा कर रहे हैं। क्या हमें इस देश की 3000 वर्षों को ऐतिहासिक तथा श्रमजीवी वर्ग की क्रांति की ओर वापस नहीं जाना चाहिए? क्या यहां कोई अन्य जाति मौजूद है जो किसी जाति को नीची निगाह से देखती है क्योंकि यह जाति एक विशेष जाति है? क्या कोई ऐसी जाति मौजूद है जो किसी विशेष जाति को किसी मन्दिर में प्रवेश करने से रोकती हो? क्या कोई ऐसी जाति मौजूद है जहां मनोवैज्ञानिक आधार पर 300 लोगों को मार दिया जाता हो क्योंकि अन्य जातियों के लोगों की संख्या हजारों में है? शारीरिक उपयुक्तता अथवा कुछ इसी तरह की अन्य बात का कोई प्रश्न ही नहीं है।

संविधान सभा में, सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए विद्वान सदस्यों ने देश की प्रतिष्ठा को बचाने के लिए, कम से कम मूल मानवीय सम्मान देने के लिए इन लोगों को कुछ संवैधानिक संरक्षण दिया था, बिना मतलब के नहीं बल्कि क्योंकि लम्बे समय तक उनका सामाजिक शोषण किया गया था। तत्पश्चात् 1951 में इसमें और संशोधन किया गया था, वह पहला संशोधन था। यह निम्न प्रकार है—

> "अनुच्छेद 29, खंड 2 की कोई बात राज्य को सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े किन्हीं वर्गों के नागरिकों अथवा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए कोई विशेष उपबन्ध करने से नहीं रोकेगी।"

तत्पश्चात् कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में 1954 में पंडित नेहरू ने इस प्रकार कहा : मैं समग्र उद्धरण का उल्लेख नहीं कर रहा हूं क्योंकि इसके लिए समय नहीं है; मैं केवल अंतिम वाक्य का उल्लेख कर रहा हूं।

> "यदि हम बराबर नहीं करते हैं तो निःसंदेह जातिवाद अत्यन्त खतरनाक ढंग से फले-फूलेगा।"

अब मैं न्यायमूर्ति गजेन्द्रगढ़कर द्वारा दिए गए उच्चतम न्यायालय के निर्णय से एक वाक्य का उल्लेख कर रहा हूं। आर्थिक शोषण का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। मैं यह जिक्र करूंगा कि यहां आर्थिक न्याय तो बिल्कुल ही है नहीं। यह न्याय का प्रमुख तरीका है, परन्तु वास्तविक तरीका सामाजिक तरीका है?

3.00 म० प०

भारत के उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति गजेन्द्रगढ़कर ने एक निर्णय में इस प्रकार कहा था—

> "शब्दकोष के अर्थ के अनुसार वर्ग का तात्पर्य है हैसियत अथवा दर्जे के अनुसार समाज

का विभाजन । हिन्दू सामाजिक संरचना में 'जाति' दुर्भाग्यवश एक ऐसा महत्वपूर्ण कारण है जो नागरिक की हैसियत निर्धारित करती है ।"

सामाजिक व्याख्या का यह वर्ग चरित्र है । इसलिए पददलितों और विशेष रूप से आदिवासियों तथ हरिजनों के आर्थिक तथा सामाजिक पिछड़ेपन के मूल प्रश्न पर कहीं भी ध्यान नहीं दिया जाता हैहै । परन्तु हम उन सभी बातों की उपेक्षा नहीं कर सके । कहीं पर भी यदि किसी जाति के आदमियों को मौत के घाट उतारा जाता है वह अमानवीय है । यदि किसी दोषी व्यक्ति अथवा एक हत्यारे पर कोई जांच किए बिना आरोप लगाया जाता है तो वह भी गैर-कानूनी है । यहां यही समस्या की जड़ ा । यह वह बात नहीं है जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं । आज भी पुरी के श्री शंकराचार्य ने कुछ कहा था । वास्तव में ऐसा कोई धर्म नहीं हो सकता है जो आदमी आदमी में भेद करता हो । परसों माननीय अध्यक्ष महोदय ने भी यही बात कही थी । परन्तु श्री शंकराचार्य आज तक किसी और बात की ही वकालत कर रहे थे ।

परसों श्रीमती मीरा कुमार ने भावनाओं में बहकर बल्कि तर्कपूर्वक यह कहा था कि ऐसा केवल हिन्दू समाज के कारण ही है कि कुछ हरिजनों ने धर्म-परिवर्तन करके इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया था और उनका उच्च वर्ग के लोगों द्वारा शोषण किए जाने के कारण ही उन्हें पीने का पानी किसी अन्य स्रोत से लेना पड़ा था और उन्हें अपनी नमाज अदा करने के लिए किसी अन्य स्थान में जाना पड़ा था । हरिजनों से उच्च वर्ग के हिन्दुओं द्वारा शोषण करने के प्रति प्रतिक्रिया के कारण बल-पूर्वक धर्म-परिवर्तन कराया गया था । श्रीमती मीरा कुमार ने यह सही कहा था कि कि यह समस्या केवल हिन्दू जाति के लोगों की ही नहीं है, बल्कि निश्चित रूप से ऐसा रुढ़िवादी तथा मौलिकतावादी वर्ग के कारण हुआ है और ऐसे हिन्दुओं ने धर्मपरिवर्तन किया है जो उनके कारणों की वकालत कर रहे थे । मुझे यह कहना चाहिए कि यह समस्त भारतीय समाज की समस्या है ।

श्री बूटा सिंह कोई कठोर कार्यवाही करने के बारे में जिक्र कर रहे थे । प्राचीन हिन्दू समाज में हरिजनों को संरक्षण प्रदान करने के लिए एक विशेष कानून मौजूद था । इस समय, कई कानून, कई संशोधन तथा कई उपबन्ध मौजूद हैं परन्तु समस्या यह है कि उन्हें उचित ढंग से कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है । दूसरे, उन कानूनों को लागू करने के लिए ऐसे व्यक्ति जिम्मेदार हैं, चाहे वे कानून आर्थिक सुधारों से सम्बन्धित हों, अथवा भूमि सुधारों अथवा कानून और व्यवस्था की स्थिति से संबंधित हों, उनमें ऐसा वर्ग चरित्र व्याप्त है, उनकी शिक्षा ऐसी है कि वे खुद हरिजनों के प्रति ऐसा गैर-दोस्ताना रवैया तथा दृष्टिकोण रखते हैं । इसलिए कानूनी उपबन्धों के बावजूद भी उन्हें उचित न्याय नहीं मिल रहा है ।

जब हम राजनीतिज्ञ, किसी प्रशासनिक मामले को उठाते हैं तो अधिकारीगण कहते हैं कि राजनीतिज्ञ प्रशासनिक कार्यों में हस्तक्षेप करते हैं । यह सच है कि दिन-प्रतिदिन के प्रशासनिक कार्य जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को निपटाने चाहिए और जिले में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना चाहिए । परन्तु यदि वे हरिजनों के अधिकारों की रक्षा करने में पूर्णतया असफल रहते हैं तो क्या हमारा यह अधिकार नहीं है कि हम कार्यवाही करें और देखें कि वे कम से कम वे निलंबित तो किए जाएं ? क्या वे इसके लिए जबाबदेह नहीं हैं ?

मुझे आशा थी कि गृह मंत्री इस बारे में एक वक्तव्य देंगे कि वह कुछ उच्च अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने वाले हैं जो कानून एवं व्यवस्था के संरक्षक हैं । परन्तु मन्त्री महोदय के वक्तव्य

में ऐसा कुछ न पाकर मुझे वास्तव में बहुत दुख हुआ। मुझे आशा है कि गृह मंत्री भविष्य में सदन को इस बारे में स्पष्ट आश्वासन देंगे। हमारे प्रधानमंत्री ने इस संबंध में सारे राष्ट्र की ओर से अपना रोष अभिव्यक्त किया है। हमें पूर्ण आशा है कि सुरक्षा और विश्वास का भाव उत्पन्न करने के लिए कुछ कठोर कदम उठाये जायेंगे ताकि वे हरिजन लोग जो कुछ निहित स्वार्थों के भय से आक्रांत हैं, अपने मन में सुरक्षा का एहसास प्राप्त कर सकें।

मेरा सुझाव है कि इस बारे में कोई कठोर कार्यवाही की जानी चाहिए, इसके लिए विशेष अदालतों का गठन किया जाना चाहिए तथा दोषियों को दंडित किया जाना चाहिए, ताकि वे व्यक्ति जो दोषी हैं, साफ न बच निकलने पायें। वे कहते हैं, [हिन्दी] "वे हमारा क्या कर लेंगे"। [अनुवाद] उनमें इस तरह का घमण्ड नहीं होना चाहिए और उन्हें अपराध करके बचने नहीं दिया जाना चाहिए।

महोदय, मैं श्री राम स्वरूप राम के इस कथन से शत-प्रतिशत सहमत हूं कि उन लोगों पर दण्डात्मक कर लगाया जाना चाहिए जो ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं जहां लोगों को किसी गरीब लड़की अथवा महिला से बलात्कार किये जाते समय आगे आने और विरोध करने का साहस नहीं है। इस अनैतिक कार्य के लिए उन सब लोगों को भी दोषी माना जाना चाहिए ताकि वे भी यह महसूस करें कि एक नागरिक होने के नाते उनकी भी समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उन्हें यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिए।

इन लोगों को सेना में, चालक प्रशिक्षण में और दूसरे तकनीकी कार्यों में और अधिक आरक्षण दिया जाना चाहिए।

अन्त में मैं कहना चाहता हूं कि हम सबको जहानाबाद में हुई घटना के लिए शर्मिंदा होना चाहिए और सरकार को इस बारे में एक कानून बनाना चाहिए और उसके पालन में कठोरता बरतनी चाहिए ताकि इन पद-दलित धरती के सपूतों में सुरक्षा का भाव जागृत हो सके। अन्यथा, हमारा लोकतन्त्र, समाजवाद, हमारी उपलब्धियां तथा स्वाधीनता की चालीसवीं वर्ष गांठ को मनाने का कोई अर्थ नहीं होगा।

[हिन्दी]

चौधरी सुन्दर सिंह (फिल्लौर) : चेयरमैन साहेब, मैं इस हाउस में यह कहना चाहता हूं कि जहां भी कोई हरिजन मरे, उसको दो लाख रुपये दिए जाएं। मैं सरदार बूटा सिंह से कहता हूं कि जहां भी कोई हरिजन मरे, उसको दो लाख रुपये दिए जाएं। जिस हिसाब से आप लोग हरिजनों की मृत्यु पर यहां चिल्लाते हो और कहते हो कि सारी दुनिया इकट्ठी हो जाए, तो ऐसा होने वाला नहीं है। हमारी मृत्यु पर कौन इकट्ठा होगा। हरिजनों की मृत्यु पर सारी दुनिया इकट्ठी नहीं होती है।

पंजाब और हरियाणा में मैंने हरिजनों को पं० जवाहर लाल नेहरू से कहकर जमीन दिलवाई। हमारे हरिजन भाई तो ऐसे हैं, जो कहते हैं कि हमें 500 रुपया ही दे दो जबकि उन्हें सरकार से हजार रुपये मिलने होते हैं, लेकिन वे कह देते हैं कि हमें 500 रुपए ही दे दिए जाएं। तो हमारे हरिजनों की तो यह हालत है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जिस क्षेत्र में हरिजनों की मृत्यु हो,

उस क्षेत्र के कांग्रेस के एम० एल० ए० को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाए। उनकी लापरवाही की वजह से ही उनकी मृत्यु होती है।

मेरे क्षेत्र में दो जाट हरिजन थे, मैंने उनके खिलाफ चुनाव लड़ा और उन दोनों को हरा दिया। मैंने वहां की जनता से कहा कि यदि तुम इनको हराना चाहती हो, तो मुझे वोट दो और मुझे जनता ने वोट दिया, मैने उन दोनों को हरा दिया। वे दोनों हरिजनों से खुद लड़ाई करते थे। इसलिए जनता में उन दोनों के प्रति अच्छी भावना नहीं थी।

पं० जवाहर लाल नेहरू ने मुझसे कहा था कि चौधरी तुम मेरी मुखालफत मत करो, मैं तुम्हें अपनी मिनिस्ट्री में फुलफ्लैज्ड मिनिस्टर बना लूंगा। लेकिन मैं नहीं माना, मैंने कहा कि यदि आपको मेरी मुखालफत से बचना है, तो इन मुजारों को जमीन दे दो। पंडित जी मेरे कहने पर हरियाणा और पंजाब के भूमिहीन लोगों को जमीन दी और आज ये लोग आपस में लड़ते हैं और हरिजनों को मारते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि जहां भी कोई हरिजन मरे उसको बीस हजार रुपए न देकर उसको दो लाख रूपए देने चाहिए। तब इन लोगों को पर अत्याचार बन्द होंगे।

जैसा मैंने पहले कहा है, जहां भी कोई हरिजन या आदिवासी मरे, उसकी मृत्यु के लिए वहां के एम० एल० ए० को जिम्मेदार ठहराया जाए। ज्यादातर राज्यों में कांग्रेस पार्टी का शासन है। लोगों ने कांग्रेस को इसीलिए जिताया है कि उन्हें राहत मिले इसलिए नहीं कि गरीब और हरिजन लोगों पर अत्याचार हों। इसलिए जब उन्होंने कांग्रेस को वोट दिए हैं, तो उनकी मृत्यु के लिए कांग्रेस के स्थानीय विधायक को ही जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए और हरिजन की मृत्यु के लिए दो लाख रुपए दिए जाने चाहिएं। गांवों के जो बड़े-बड़े जमींदार होते हैं, इन सब घटनाओं के वे जिम्मेदार होते हैं। जो वर्ग सदियों से दबाया जा रहा है, उस वर्ग को ऊपर उठाने की जरूरत है।

मैं जब मेम्बर नहीं था तो मुझे भी मंदिर और गुरुद्वारे में जाने से रोका गया। इस पर मैंने होशियारपुर के आदमियों को इकट्ठा किया और उन सबको इकट्ठा करके जब मंदिर गया तो वहां के पंडितों से कहा कि अगर तुम मुझे मंदिर नहीं जाने देते हो तो मत जाने दो, हम मस्जिद चले जाएंगे। इस पर मंदिर के पंडितों ने कहा कि ऐसा काम मत करो।

मैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट से यही कहूंगा कि आप जो सहायता के रूप में 20,000 रुपये देते हैं उससे किसी का काम नहीं चलता है। आप उन्हें दो लाख रुपये दें और दोषी हों उनको कड़ा दंड दें।

देखने में यह आया है कि जब गरीब हरिजनों से वोट लेना होता है तो इन हरिजनों को हर कोई पूछता है लेकिन जब उन ** का मतलब निकल जाता है तो कोई उन्हें नहीं पूछता है। यह एक हैरानगी की बात है। हमारे यहां यह जो कुछ हो रहा है ठीक नहीं हो रहा है। अगर सरकार चाहती है कि इनके ऊपर जुल्म न हो तो दोषियों के खिलाफ कड़े दंड का प्रावधान होना चाहिए।

पंडित जवाहर लाल नेहरू के समय मैंने पंजाब और हरियाणा में गरीब हरिजनों को जमीन,

** अध्यक्षपीठ के आदेश से कार्यवाही से निकाल दिया गया।

दिलवाई थी लेकिन कुछ स्वार्थी तत्व उनकी उस जमीन को हड़पकर गये । आपने जो भूमि सुधार ऐक्ट बनाया उसको ठीक ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं कराया । जिनके पास आज जमीन है, उनको हर कोई पूछता है लेकिन जिसके पास जमीन नहीं है वह तो बेचारा जूता ही खाता है ।

हमारे जितने भी मंत्री हैं, वे कोई काम की बात नहीं करते हैं । जिनके साथ मतलब होता है उसी को वे पूछते हैं । भाषण तो बहुत बड़े-बड़े देते हैं लेकिन गरीब हरिजनों की भलाई के लिए कुछ काम नहीं करते हैं । हमारे यहां पर भी हरिजनों के ऊपर काफी जुल्म होता है । कोई ** उनकी मदद नहीं करता है । अगर सेंट्रल गवर्नमेंट दो लाख रुपये उन्हें सहायता के रूप में दे तो उन गरीबों को भी पता चल जायेगा कि गवर्नमेण्ट अच्छा काम कर रही है ।

अंत में मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया ।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : असंसदीय शब्दों को कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा । मैं जांच करके उन्हें निकाल दूंगा ।

श्री पीयूष तिरकी (अलीपुरद्वार) : सभापति महोदय, संसद में यह बात नियमित रूप से होती चली आ रही है कि हम प्रत्येक सत्र में हरिजनों तथा आदिवासियों पर अत्याचारों के बारे में चर्चा करते हैं । हमें इन बढ़ते हुये अत्याचारों के कारणों का पता लगाना होगा । स्वतंत्रता प्राप्ति की आधी शताब्दी के बाद भी यह सब हो रहा है । यह सरकार तथा देश के लिए शर्म की बात है । हमें इस तरह की स्थिति पर शर्म आनी चाहिए ।

हम हत्याओं के बारे में बात करते हैं, किन्तु उन्हें मारने के क्या कारण हैं, हम उन पर विचार नहीं करते । मेरे विचार से इसका एक ही कारण है कि वास्तव में जो मजदूर हैं, जो भारत के निर्माता हैं, जब कभी भी भारी कार्य अथवा शारीरिक कार्य किये जाने की जरूरत होती है उन्हें बुलाया जाता है, जो दिल्ली तथा अन्य बड़े-बड़े शहरों में मेहनत करते हैं, समाज में उनकी स्थिति निकृष्टतम है । समाज में उनकी अवहेलना की जाती है—आर्थिक, धार्मिक रूप से तथा अन्य सभी तरीके से । अभी भी उन्हें पूर्णतः मानव नहीं माना जाता है । ऐसे अत्याचार किए जाने का यही कारण है । अब, इसके लिए क्या किया जाना चाहिए ? मैंने इस सभा तथा मंत्री जी को भी प्रायः यह बताया है कि इन लोगों के पास राजनीतिक ताकत होनी चाहिए । राजनीतिक ताकत के बिना वे टिके नहीं रह सकते । यही एक मात्र कारण है कि इन लोगों की इतनी अवहेलना की जाती है और उन्हें उन लोगों द्वारा परेशान किया जाता है, जिन्हें शासन करने का राजनीतिक अधिकार प्राप्त है । हमें इस बात का पता लगाना है कि हत्यारे कौन हैं—वे हिन्दू, मुसलमान, सिख, बौद्ध, जैनी अथवा किसी अन्य धार्मिक समूह के हैं अथवा वे ब्राह्मण, कायस्थ अथवा किसी अन्य जाति के हैं, जैसाकि आपको पता है कि भारत में बहुत जातियां हैं । इसलिए यह पता लगाया जाना चाहिए कि वे किस धर्म तथा राजनीतिक दल से संबंधित हैं । मैं माननीय गृह मंत्री से पूछता हूं कि हत्यारे कौन हैं और वे किस दल के हैं । ये जमींदार कौन हैं और वे किस दल के हैं ? गृह मंत्री जी जानते हैं कि वे कौन हैं । बिहार में जमींदारी प्रथा अभी भी है यद्यपि इसे बहुत पहले समाप्त कर दिया गया था । ये जमींदार कौन हैं ? वे कांग्रेस के सचिव, अध्यक्ष

** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया ।

तथा उस क्षेत्र के संगठनकर्ता हैं। क्या पार्टी में उन्हें अपने दल से निकालने की हिम्मत है? मेरे विचार से उनमें वह हिम्मत नहीं है। मेरे दल आर० एस० पी० का इन हत्याओं में हाथ नहीं है। सी० पी० आई० तथा सी० पी० आई० (एम०) के लोग भी इन हत्याओं में शामिल नहीं हैं। वे कांग्रेसी हैं। आप इसकी जांच कीजिए। उस पार्टी को यह देखना चाहिए कि लोग उस पार्टी के पीछे क्यों हैं। उस दल को मानव की भांति रहने के प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा करनी चाहिए···(**व्यवधान**) मुझे बोलने दीजिए, बाद में आप अपनी बात कह सकते हैं······(**व्यवधान**)

श्री चिन्तामणि जेना (बालासोर) : महोदय, मैं इसका कड़ा विरोध करता हूं···(**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री के० डी० सुल्तानपुरी (शिमला) : अगर पार्टी को आप क्रिटीसाइज कर रहे हैं, यह अच्छी बात नहीं है······(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्री पीयूष तिरकी : मैं पूछ रहा हूं कि वे कौन लोग हैं·· (**व्यवधान**)

सरदार बूटा सिंह : मुझे अफसोस है कि मुझे माननीय सदस्य की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करनी पड़ रही है। जो बात वह सभा में कह रहे हैं वह उन्हें यहां नहीं करनी चाहिए। जब इसकी जांच की जाएगी तो आप देखेंगे कि इसके लिए कोई और जिम्मेदार हैं। मुझे विश्वास है कि उन्हें दलीय आधार पर यह बात नहीं कहनी चाहिए, खासकर इन जिलों में जो कुछ हुआ है। उन्हें यह बात इसलिए नहीं कहनी चाहिए क्योंकि यह असामयिक होगा और अभी इसकी जांच चल रही है। मैं किसी व्यक्ति अथवा किसी दल का नाम नहीं लेना चाहूंगा। लेकिन मैं एक बात आपको बता देना चाहूंगा कि उस क्षेत्र का कोई भी संगठन इससे अछूता नहीं है। किसी भी बहाने से तथाकथित वामपंथी आतंकवादियों के नाम पर कुछ प्रगतिशील दल भी इन कार्यों में शामिल हैं। मैं उस दल का नाम नहीं लूंगा। इसलिए मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि वे किसी दल का नाम न लें, क्योंकि यह बेकार की बात है और इससे जांच में बाधा पड़ेगी। यदि वह कांग्रेस का नाम ले रहे हैं तो मुझे अफसोस है कि वे बहस के लिए इसका उल्लेख कर सकते हैं लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के पदाधिकारियों के विरुद्ध लगाए गए सभी आरोपों का खण्डन कर सकता हूं। ऐसा कार्य करने वाला कोई व्यक्ति कांग्रेस में नहीं रह सकता।

श्री पीयूष तिरकी : मैं किसी दल पर आरोप नहीं लगा रहा। लेकिन हम राजनीतिक दलों में कार्य करते हैं। भारत में बहुत से दल हैं। मैं गृह मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे इस बात का पता लगायें कि वे लोग कौन हैं और किस दल के हैं। इसका पता लगाया जाना चाहिए। मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि बिहार में अधिकतर प्रभावशाली लोग मेरे विचार से सत्ताधारी दल के समर्थक हैं। हो सकता है वे कांग्रेस के समर्थक न हों, किन्तु इसका पता लगाया जाना चहिए, क्योंकि आरम्भ में मुसलमान अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे थे। धार्मिक रूप से वह एक ही समूह हैं और अब वह धार्मिक समूह अपने समुदाय के सदस्यों की सुरक्षा करने के लिए कहीं भी नहीं है। अब राजनीतिक दलों को उनके सदस्यों की सुरक्षा करनी होगी। लेकिन ये समर्थक कौन हैं और किस पार्टी के हैं? स्वाभाविक रूप से सभी लोग किसी न किसी दल का समर्थन करते हैं। इसे दल से तथा समाज से भी अलग किया जाना चाहिए और यदि ऐसा है तो आप इसमें शामिल सभी दलों से यह क्यों नहीं पूछते

कि क्या वे वहां काम करते हैं, वहां अपनी बैठकें कर रहे हैं अथवा वहां जो कुछ हो रहा है उसका पता लगा रहे हैं ? बिहार ऐसा राज्य है जहां जातिवाद बहुत अधिक है और वे किस नीति का पालन कर रहे हैं ? बिहार में पुलिस मजिस्ट्रेट, जो उस क्षेत्र विशेष के प्रभारी हैं, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय के नहीं हैं। बिहार में इन समुदायों के शिक्षित लोग बहुत हैं। किन्तु उन पर अन्य लोग हुक्म चलाते हैं। पश्चिमी बंगाल में एक जनजाति आयुक्त हैं जो जलपाइगुड़ी डिवीजन के प्रभारी है। इसी प्रकार छोटा नागपुर तथा संथाल परगना के लोगों की रक्षा की जा सकती है। आप वहां पुलिस सेवा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों को क्यों नहीं लगाते ? जब वहां अत्याचार होते रहते हैं, आप वहां सेना की रेजीमेंट क्यों नहीं लगाते यदि सिख रेजीमेंट नहीं तो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति रेजीमेंट लगाइये। आपको ऐसा करने से कौन रोकता है ? यदि आप उन्हें सुरक्षा देने के बारे में सोच रहे हैं यदि आप इस विषय का भार इसी समुदाय के किसी मंत्री को देते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति को जिला-मजिस्ट्रेट अथवा आयुक्त बनाते हैं जो जनजातीय लोगों तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों का ध्यान रख सकता है, तो उनकी सुरक्षा की जा सकती है और उन पर बार-बार होने वाले अत्याचारों को रोका जा सकता है। यदि आप प्रशासन में जातिवाद तथा धर्म को लाते हैं और इसी आधार पर प्रशासन को बांट देते हैं, तो आप उनकी रक्षा कैसे कर सकते हैं । मुसलमान तथा अन्य लोग भी इसी प्रकार मारे जाते हैं क्योंकि भर्ती के समय ही जातिवाद तथा धर्म और वर्ग की बात आ जाती है। यदि यह वर्ग संगठन नहीं है और राजनीतिक दल अपने सदस्यों की सुरक्षा नहीं कर सकते तो वह राजनीतिक दल ही नहीं। प्रशासन उन्हें पनाह दे रहा है और वे छोटे, गरीब तथा निर्दोष लोगों की हत्या कर रहे हैं। बिहार की राजनीतिक जातिवाद तथा शोषण की राजनीति है और वहां अभी भी जमींदारी प्रथा है । इसलिए इन लोगों की सुरक्षा के लिए कुछ और सैनिक बल अथवा अर्ध सैनिक बल को भेजना ही पर्याप्त नहीं है। आप अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों को हथियार क्यों नहीं देते ? जब आप बिहार में जमींदारों तथा अन्य लोगों को हथियार दे रहे हैं तो उन्हें भी हथियार दीजिये। पुलिस तथा प्रशासन द्वारा किसी भी समुदाय को नहीं बचाया जा सकता। इन्हें केवल उनकी अपनी ताकत द्वारा बचाया जा सकता है और यह ताकत सरकार द्वारा दी जानी चाहिए। महोदय, यहां इन सब बातों का क्या मतलब है ? मान लीजिए यह सरकार तथा बिहार सरकार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की शुभचिन्तक है तो उनके लिए कितनी शैक्षिक संस्थाएं खोली गई हैं ? कुछ मिशनरियों ने शिक्षा संस्थाएं खोली हैं। यदि मिशनरी वहां नहीं जाते तो उस क्षेत्र से लोग अभी तक दीन-हीन होते और उनका शोषण होता रहता। उनको कितना पारिश्रमिक मिलता है ? उनके पादरी को गिरफ्तार कर लिया गया, उनके कुएं में जहर डाल दिया गया और इसी प्रकार के बहुत से अन्य अत्याचार हैं कि वे अपने सामाजिक क्रियाकलापों के साथ वहां जाकर गरीब लोग की सेवा नहीं कर सकते। इन लोगों को डराने और उनके राजनीतिक तथा सामाजिक अधिकारों को दबाने के लिए वहां इस प्रकार की राजनीति चल रही है। **(व्यवधान)**

आप जानते हैं कि जनजाति के लोग अलग-अलग भाषाएं बोलते हैं उनके लिए सभी भारतीय भाषाएं विदेशी हैं। उनकी अपनी ही भाषा है। आप सीधा यह निर्णय क्यों नही लेते कि उनकी समीक्षा के लिए अंग्रेजी भाषा हो ? आप इसे छोटा नागपुर से शुरू क्यों नहीं करते और यह क्यों नहीं देखते कि उनकी शिक्षा के प्रयोजन हेतु अंग्रेजी भाषा होगी ? यदि आप उन्हें मुख्य धारा में लाना चाहते हैं, तो आपको यह करना होगा। अब क्या हो रहा है ? लोग यहां कहते हैं कि मिशनरियों

को बाहर निकाला जाए क्योंकि वे वहां बुरा काम कर रहे हैं। कुछ दलों तथा स्वार्थी लोगों का यह नारा है। यह हालत है। मिशनरियों का दिल्ली में तो स्वागत किया जाता है। सभी बड़े लोग अपने बच्चों को मिशनरी स्कूलों में भेजते हैं।

सभापति महोदय : बस कीजिए। मंत्री जी को उत्तर देना है। कृपया समाप्त कीजिए।

श्री पोयूष तिरकी : महोदय, केवल एक मिनट।

मिशनरियों का दिल्ली तथा अन्य स्थानों पर स्वागत होता है क्योंकि मंत्री लोग अपने बच्चों को उनके स्कूलों में दाखिल करवाना चाहते हैं। यदि मिशनरी जनजातीय क्षेत्रों तथा जंगलों में जाते हैं, तो आप कहते हैं कि वे इन लोगों का शोषण करेंगे और उन्हें वहां नहीं भेजा जाना चाहिए। तो फिर सरकार यह क्यों नहीं कहती कि बम्बई तथा अन्य बड़े शहरों से मिशनरियों को निकालकर जंगलों में भेज दिया जाए? क्या आप यह कह सकते हैं? लेकिन यदि जनजाति के लोग स्कूलों में जाते हैं तो उन्हें वहां उचित ढंग से शिक्षित किया जा सकता है। और आपकी सरकार इन लोगों को क्षेत्रीय भाषा सीखने के लिए कह रही है और शासक वर्ग को अंग्रेजी सीखनी चाहिए ताकि वे उच्च पदों पर पहुंच सकें और संसद में भी आ सकें। यह सब हो रहा है। आप गरीब लोगों, अनुसूचित जातियों और हरिजनों तथा अन्य पिछड़े वर्गों को कैसे बचा सकते हैं? आपकी नीति बिल्कुल गलत है। बिहार में कांग्रेस आदिवासियों और हरिजनों के अधिकारों की रक्षा करने में असफल हो गई है। उनका दमन करने का कोई अधिकार उन्हें नहीं है। महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

कल्याण मन्त्रालय की राज्य मन्त्री (डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी) : सभापति महोदय, मैं इस वाद-विवाद में भाग लेने वाले सभी सदस्यों की आभारी हूं। उन्होंने कुछ बहुत उपयोगी सुझाव दिए हैं और उनका प्रभाव हमारी भविष्य की सभी नीतियों और निर्णयों पर पड़ता है। परन्तु मैं माननीय सभा को बता दूं कि स्वतंत्रता के आरम्भ से ही हमारी नीति बहुत स्पष्ट है और मैं अन्तिम वक्ता से सहमत नहीं हूं कि हमारी नीति बिलकुल गलत है। जब हमें स्वतंत्रता मिली और कांग्रेस सरकार सत्ता में आई, हमने उस समय जो नीति अपनाई थी, वह अभी तक चल रही है। उसमें कुछ कमियां हो सकती हैं, आप कह सकते हैं कि कभी-कभी कुछ अत्याचार होते हैं, आदि, आदि। परन्तु आप सारी बातों का मूल्यांकन करें कि हमने पिछले 40 वर्षों में कैसे प्रगति की, तो आप यह कह सकेंगे, यह तस्वीर धुंधली तस्वीर नहीं है, दूसरी भी है। मुझे सचमुच इस बात का दुःख है कि जो सदस्य पहले अत्याचारों के बारे में बोले वे केवल एक ही पक्ष को लेकर बोले और किसी ने भी यह नहीं कहा कि कौन से कल्याण कार्य किए गए हैं, हमारी नीति क्या है, हमारी शिक्षा नीति क्या है, हमारी विकास नीति क्या है, हम छुआछूत को कैसे दूर कर सकें और हम निर्धन लोगों के लिए कैसे काम कर रहे हैं ताकि उन्हें गरीबी की सेवा से ऊपर लाया जा सके। ये सब बातें भुला दी गईं, और सदस्य केवल अत्याचारों के बारे में बोले।

हम उनकी रक्षा करने के लिए वचनबद्ध हैं। आरम्भ में ही मैं कहूंगी कि सरकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह वचनबद्ध है। मैं इस मूल विषय पर स्पष्ट बात कहना चाहती हूं। जिस राज्य में यह अपराध हुआ, उसे ध्यान में न रखते हुए, इस संबंध में केन्द्रीय सरकार का रवैया बहुत स्पष्ट है। हम सामाजिक असमानताओं और आर्थिक असमानताओं के प्रति सतर्क हैं, जिससे वे पीड़ित हैं और जो अन्य लोगों द्वारा उनके शोषण और हानि पहुंचाने के कारण बनती हैं। हमरे समाज के इन कमजोर वर्गों पर कोई भी अत्याचार केवल शर्म और चिन्ता का विषय

नहीं है, बल्कि अहिंसा, जिसका पाठ गांधीजी ने पढ़ाया था, की परम्परा पर एक धब्बा है। अतः मैं इस मुद्दे पर बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहती हूं और हमारी सरकार इसके लिए वचनबद्ध है। हमारे एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि कम-से-कम आप तो हमें संरक्षण दें। सरकार संरक्षण देने के लिए वचनबद्ध है और किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि सरकार को इन सबकी जानकारी नहीं है।

जैसा कि कल ही, जब प्रधान मन्त्री लाल किले की प्राचीर से बोल रहे थे, आप सबने कहा था, उन्होंने जहानाबाद घटना का उल्लेख किया था। इसका मतलब यह है कि स्वयं प्रधान मन्त्री और उसी प्रकार हमारा दल इस बारे में बहुत चिन्तित है। जैसा अभी-अभी माननीय गृह मन्त्री ने कहा था, प्रधान मन्त्री ने हमें निदेश दिया और हम सभी जहानाबाद गए और हमने वहां उच्च-स्तरीय बैठक की। हम प्रयास करेंगे कि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाएं न हों और उन्हें रोका जाए तथा हम ऐसी दुर्घटनाओं पर कड़ी कार्यवाही करें।

परन्तु जैसी स्थिति आज है, हमें निराशाजनक पक्ष नहीं देखना चाहिए, परन्तु दूसरा पक्ष भी देखना चाहिए। हमें बार-बार प्रयास करना चाहिए और हमें इस प्रकार करना है, जिससे अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोग, देश में विद्यमान अपनी वर्तमान दशा को सुधार सके। यद्यपि सरकार ने सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम पास कर दिया है और उस अधिनियम के अन्तर्गत, लोगों पर मुकदमा चलाया जाता है, जब कभी अत्याचार होते हैं तो सभी राज्यों में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है, लेकिन लोग बरी हो जाते हैं। हमें देखना है कि इन अत्याचारों के क्या कारण हैं, ये सब क्यों हो रहा है और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों पर ये अत्याचार क्यों होते हैं। जैसा कि कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि इसके कुछ ऐतिहासिक, सामाजिक तथा आर्थिक कारण हैं और उन्हें समाप्त करने के लिए सरकार उनका आर्थिक विकास करने का प्रयास कर रही है, उन्हें शिक्षित करने का प्रयास कर रही है, ताकि वे अपने सामाजिक पिछड़ेपन से उबर सकें और इसके साथ-साथ हमें यह देखना होगा कि इन श्रमिकों, किसानों तथा भूमिहीन श्रमिकों को उचित रोजगार मिले और वे अपने काम में लगे रहें।

एक बात जो बार-बार कही जाती है, वह यह है कि बिहार तथा अन्य राज्यों में, विशेषकर बिहार में लोग न्यूनतम मजदूरी नहीं पा रहे हैं और इसका उचित ढंग से पालन नहीं किया जाता है और न्यूनतम मजदूरी दी जानी चाहिए। अनुसूचित जाति के लोग जहां न्यूनतम मजदूरी मांगते हैं तो उच्च जाति के भू-स्वामी या कृषक, बड़े किसान उन्हें पीटते हैं और उन पर हर प्रकार का अत्याचार करते हैं। न्यूनतम मजूरी अधिनियम कमोबेश सभी राज्यों में लागू है?

बिहार में कृषि तथा भूमिहीन श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी 10 रु० निर्धारित की गई है।

उत्तर प्रदेश में 11.50 से 12.50 रु० है।

मध्य प्रदेश में 11 रु० है।

आन्ध्र प्रदेश में 8.50 रु० से 11 रु० है।

कर्नाटक में 9.50 रु० से 11.50 रु० है।

केरल में 12 रु० से 50 रु० है।

पंजाब में 18 रु० से 48 रु० है।

हरियाणा में 16 रु० से 25 रु० भोजन के साथ और बिना भोजन के 20.80 रु०।

पश्चिम बंगाल में 16.34 रु०

इन राज्यों में भूमिहीन श्रमिकों के लिए यह न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गई है।

न्यूनतम मजदूरी निर्धारित कर दी गई है और राज्य इसे लागू करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं इस बात से इनकार नहीं करती कि कुछ स्थानों पर इन मजदूरों को उचित मजदूरी नहीं दी जाती और यह भी एक कारण हो सकता है। यह चर्चा जहानाबाद की घटना से शुरू हुई थी। जबकि हम जून की घटना पर चर्चा कर रहे हैं, जहानाबाद में गत बृहस्पतिवार को शायद दूसरी घटना हुई और यह हम सबके लिए चिंता की बात है और हमने उस गांव का दौरा किया जहां से अत्याचार हुए थे। हमें बताया गया कि एकदम मार देने लूटने और इन सब बातों का एक कारण यह था कि कोई व्यक्ति गैर-कानूनी भट्ठी लगाना चाहता था। वे लोग उन गांवों में देशी शराब की भट्ठी बनाते हैं ? जहां भट्ठी है, वहां केवल चार घर थे। अनुसूचित जाति के इन परिवारों ने इस पर आपत्ति की। उनकी आपत्ति के कारण गत वर्ष भट्ठी तोड़ दी गई थी। लेकिन जिन लोगों की वह भट्ठी थी या जो इस भट्ठी को चला रहे थे, उन्हें इन परिवारों पर इससे गुस्सा था। उन्होंने वहां जाकर उनकी हत्या कर दी, उन्हें लूटा तथा उन पर हर प्रकार के अत्याचार किये।

महोदय, बिहार के कुछ खण्डों में ये गिरोह हैं। जैसा कि माननीय गृह मन्त्री जी ने बताया है कि इन गिरोहों को राजनीतिक उग्रवादी ग्रुप उकसाते हैं, और इन उग्रवादी गुटों के कुछ राजनीतिक दलों से रिश्ते हैं क्योंकि अभी जांच चल रही है, इसलिए मैं किसी राजनीतिक दल का नाम नहीं लूंगी। उस क्षेत्र के नेताओं के राजनीतिक समर्थन के कारण ये सब हो रहा है। ऐसा नहीं है कि जहानाबाद के अनुसूचित जाति के लोगों पर इसलिए अत्याचार हुआ क्योंकि वे अनुसूचित जनजाति के थे।

श्री हेतराम (सिरसा) : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

सभापति महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

श्री हेत राम : मजदूर समर्थक दलों के आने से पहले भी हरिजनों पर अत्याचार होते रहे हैं···

सभापति महोदय . इसमें तो व्यवस्था की कोई बात नहीं है। यदि किसी नियम का उल्लंघन हुआ है तो आप बताएं।

(व्यवधान)

डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी : महोदय, मैंने किसी दल का नाम नहीं लिया है।

सभापति महोदय : आप स्पष्टीकरण चाहते हैं। यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। कृपया इन्तजार कीजिये। मन्त्री जी के उत्तर के बाद मैं आपको मौका दूंगा।

डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी : महोदय, कुछ माननीय सदस्यों ने कतिपय सवाल उठाए हैं।

मैं इन सवालों के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूंगी। श्री तुलसी राम, श्रीमती विभा घोष, श्री के० डी० सुल्तानपुरी, श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह और श्री कमोदीलाल जाटव सभी ने भूमि सुधारों को शीघ्र लागू करने की जरूरत का उल्लेख किया है, विशेषकर बिहार तथा उत्तर प्रदेश में। उन्होंने कहा है कि यह मामला भूमि से सम्बन्धित है और अत्याचारों का मुख्य कारण है। महोदय, जैसा कि आप जानते हैं कि श्रीमती इन्दिरा गांधी ने ये भूमि सुधार शुरू किए थे और उनके कार्यकाल के दौरान सभी राज्यों द्वारा इसे लागू किया गया था। मैं मानती हूं कि सभी राज्यों में भूमि सुधारों को लागू करने का कार्य संतोषजनक नहीं है। किन्तु इसके साथ ही मैं यह कहूंगी कि सभी राज्यों ने इसे लागू करने का प्रयास किया है। उत्तर प्रदेश तथा बिहार में इन्हें अभी भी तेजी से लागू किए जाने की जरूरत है। किन्तु यह सच नहीं है कि भूमि की अधिकतम सीमा से फालतू भूमि को अनुसूचित जाति के लोगों में बांटने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।

बिहार में 1987-88 में 1,50,727 एकड़ अतिरिक्त भूमि बांटी गई थी। इसमें से, 78,312 एकड़ भूमि अनुसूचित जाति के लोगों में बांटी गई, जो वितरित की गई भूमि का 50 प्रतिशत है। यह भूमि 98282 अनुसूचित जाति परिवारों को दी गई। 1988-89 में, हमारी एक योजना है, जिसके अन्तर्गत 13,845 एकड़ फालतू भूमि अनुसूचित जाति के परिवारों में बांटी जाएगी जो 130.45 लाख रु० की लागत से विकसित की जाएगी। हमने केवल उत्तर प्रदेश में ही भूमि नहीं बांटी है, बल्कि बिहार में भी भूमि बांटी है। बिहार में हम उस भूमि को विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं, जो वहां अनुसूचित जाति के लोगों को बांटी गई है। गरीबों को इनकी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कुछ खण्डों और कुछ जिलों में अत्याचार किए जाते हैं। सभी जिलों में अत्याचार नहीं होते। बिहार के मगध क्षेत्र में भोजपुर, नालन्दा और जहानाबाद जैसे कुछ जिले हैं, जहां अत्याचार होते हैं। जहानाबाद बिलकुल नया जिला है, जो इससे प्रभावित है। सरकार ने भूमि बांटी है और वह उनकी कठिनाइयों की ओर ध्यान देने का प्रयास कर रही है। उत्तर प्रदेश में मई, 1988 तक 1,96,567 एकड़ भूमि बांटी गई, जिसमें से 1,42,650 एकड़ भूमि 1,49,927 अनुसूचित जाति के परिवारों को बांटी गई थी। इस प्रकार लगभग 70 प्रतिशत फालतू भूमि अनुसूचित जातियों में बांटी गई। 1988-89 में अनुसूचित जातियों को आबंटित की गई भूमि के विकास पर 44 लाख रु० खर्च किये जाने का प्रस्ताव है। पट्टा दे दिया गया है और उसके बाद कब्जा भी दे दिया गया है।

इतना ही नहीं कि भूमि आबंटित की गई है, बल्कि सरकार ने इस ओर भी ध्यान दिया है कि उन्हें जमीन का कब्जा भी मिले और भूमि का विकास भी किया जाए। यह एक नई योजना है जिसको हम अनुसूचित जाति के परिवारों के लिए लागू करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि वे बांटी भूमि का पूरा लाभ उठा सकें।

बिहार के कुछ जिलों···(व्यवधान)

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : क्या आप इससे संतुष्ट हैं?

डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी : नहीं, यह संतुष्ट होने का मामला नहीं है। कार्यवाही हो रही है। इसके लिए और अधिक तेजी से कार्यान्वयन की जरूरत है और हर वर्ष सरकार कार्यक्रम शुरू करती है। ऐसा नहीं है कि हम कहीं रुक जाएंगे। यह सतत प्रक्रिया है। जहां कभी भी फालतू भूमि होगी, इसे बांटा जाएगा।

बिहार में, उन अनुसूचित जातियों को कानूनी सहायता दी जाती है, जो छुआछूत के कारण मुकदमेबाजी में लगे हुए हैं। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम में ऐसा है। यदि कोई अत्याचार होता है तो कानूनी सहायता दी जाती है। 1985-86 में इस पर 3,60,000 रु० खर्च किए गए और 3,600 रु० की वार्षिक आय वाले लोग इस कानूनी सहायता पाने के पात्र हैं। बिहार में ऐसा होता है। अधिकारियों की नियुक्ति की बात है। इसके लिए सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमा शुरू करने लिए अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। गृह पुलिस विभाग में डी० आई० जी० रैंक के अधिकारी के अधीन एक हरिजन कक्ष बनाया गया है। इसके अलावा गृह-विभाग में राज्य स्तर पर एक आदिवासी कक्ष बनाया गया है। ऐसे कक्ष प्रभागीय, जिला, उप प्रभागीय तथा खण्ड स्तर पर स्थापित किए गए हैं। मैंने देखा है कि बिहार में ऐसे थाने हैं, जहां 'हरिजन थाना' लिखा हुआ है। (व्यवधान)

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : आपने आंकड़े दिए हैं। किन्तु वास्तविक समस्या यह है... (व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया उन्हें अपना भाषण पूरा करने दें।

(व्यवधान)

डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी : बिहार में सरकार इस समस्या के समाधान की कोशिश कर रही है। (व्यवधान)

श्री बलवंत सिंह रामूवालिया : समस्या उस जमीन की है जो किसी हरिजन को दी गई और उस पर पुनः कब्जा किया जा रहा है।

सभापति महोदय : कृपया उन्हें अपना भाषण पूरा करने दें। आप स्पष्टीकरण बाद में मांग सकते हैं।

(व्यवधान)

डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी : प्रश्न यह है कि सरकार ने अतिरिक्त भूमि को आवंटित किया है। उस भूमि के विकास के लिए एक दूसरा कार्यक्रम तैयार किया गया है। लेकिन जैसा कि आप कह रहे हैं, उस पर पुनः कब्जा नहीं किया गया है। इस तरह की समस्याओं के लिए उपाय किये गये हैं तथा 11 हरिजन आदिवासी थाने स्थापित किये गये हैं। इनमें से कुछ हरिजन आदिवासी थानों को मैंने खुद देखा है, पटना तथा नालंदा जैसे कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, जहां अत्याचार हो रहे हैं। इन थानों को स्थापित किया गया है तथा सरकार अत्याचार को रोकने का प्रयास कर रही है। इस कार्य के लिए यह व्यवस्था की गई है। नालन्दा, रोहतास, भोजपुर, गया को भी प्रभावित क्षेत्र माना गया है। यही कारण है कि गया, वैशाली, समस्तीपुर, भागलपुर, मुंगेर तथा रांची में हरिजन थाने बनाये गये हैं।

श्री अमर राय प्रधान : हरिजन थाना से आपका मतलब क्या हुआ ?

डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी : आप विशेष अदालत का उल्लेख कर रहे हैं, ताकि मामले शीघ्र निपटाए जाएं एवं न्याय किया जाए। इसलिए उन्होंने थाना बनाया है, जहां अनुसूचित जाति के लोग जा सकें और रिपोर्ट दर्ज कर सकें, उनकी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जा सके और उन्हें सरकार तथा संबंधित जिला अधिकारियों की मदद मिल सके। यह व्यवस्था हरिजन की समस्याओं से लड़ने

के लिए की गई है । ऐसा सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम को लागू करने के लिए किया गया है । यह किसी और काम के लिए नहीं है । एक शिकायत यह है कि सिविल अधिकार सुरक्षा अधिनियम को लागू नहीं किया जाता है । यही कारण है कि ऐसा किया गया है ।

निगरानी रखे जाने के बारे में एक प्रश्न उठाया गया था । बिहार में उन्होंने ऐसा किया है, उपयोजना क्षेत्रों में निगरानी के लिए रांची स्थित जनजाति कल्याण आयुक्त कार्यालय में एक हरिजन कक्ष का सृजन किया गया है । इस कक्ष का सृजन जनजातियों की समस्या को भी सुलझाने के लिए किया गया है ।

श्री पीयूष तिरकी : उस कक्ष का प्रधान कौन है ? क्या जनजाति आयुक्त है ?

डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी : जनजाति कल्याण आयुक्त के कार्यालय में एक अधिकारी नियुक्त किया गया है । बिहार सरकार अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों की सहायता करने का प्रयास कर रही है । बिहार सरकार भी इस समस्या का समाधान करने का प्रयास कर रही है । इस कार्य के लिए ये सभी व्यवस्थाएं की गई हैं । बिहार के मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में सिविल अधिकार अधिनियम कार्यान्वयन समिति नामक एक समिति गठित की गई है, जो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत विभिन्न स्कीमों की प्रगति की समीक्षा करती है···(**व्यवधान**) आपको समस्या की गम्भीरता को समझना चाहिए । आपको यह भी समझना चाहिए कि सरकार इस गम्भीर समस्या से निपटने के लिए क्या कर रही है । ऐसा नहीं है कि सरकार यूं ही बैठी है और कुछ नहीं कर रही है । सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम को इसी समस्या से निपटने के लिए लाया गया था । जैसा कि आप सभी जानते हैं संविधान के अनुच्छेद 17 के अन्तर्गत अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है । परन्तु इसे व्यवहारिक तथा प्रभावी बनाने के लिए 1955 में सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम बनाया गया तथा उच्च स्तर अर्थात् मुख्य मंत्री स्तर की एक समिति अब बिहार में गठित की गई है । वे कार्यक्रमों की समय-वार समीक्षा करते हैं । वे ही यह निर्धारित करते हैं कि अगला कदम क्या होना चाहिए ।

कल्याण विभाग के प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में बिहार राज्य अनुसूचित जाति सलाहकार मण्डल नामक एक अन्य समिति हरिजनों की स्थिति में सुधार के लिए सरकार को बहुमूल्य सलाह देती है । बिहार में चूंकि समस्या अत्यधिक गम्भीर है, सरकार भी सक्रिय रूप से इन स्कीमों पर ध्यान दे रही है । वहां की ये समितियां मंत्री स्तर तथा मुख्य मंत्री स्तर की हैं । इन समितियों में राज्य सरकार के उच्च अधिकारियों के अतिरिक्त संसद सदस्य, विधायक तथा महत्वपूर्ण सामाजिक कार्यकर्ताओं को नामित किया जाता है । इन समितियों में सभी जनप्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व होता है तथा वे अपनी सलाह दे सकते हैं । जब कभी कोई समस्यायें पैदा हों वे उनको समिति में उठा सकते हैं । निश्चय ही उनके सुझावों तथा सलाह को सरकार ध्यानपूर्वक सुनती है । इसके बाद विशेष अदालतें भी हैं । उन जिलों में जहां अधिक गम्भीर अत्याचार होते हैं, बिहार सरकार ने विशेष अदालतें गठित की गई हैं । पटना, हजारीबाग, मुजफ्फरपुर तथा पूर्णिया में सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत अत्याचारों की जांच करने के लिए विशेष अदालतें गठित की गई है, ताकि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम का समुचित कार्यान्वयन हो सके । ये विशेष अदालतें बिहार में पहले से ही कार्य कर रही हैं । इन अदालतों का प्रधान प्रथम श्रेणी न्यायिक दण्डाधिकारी होता है । मैं इन अदालतों के न्यायक्षेत्र के बारे में विस्तृत बात नहीं करना चाहती । उन्होंने उन सभी जिलों को शामिल करने का प्रयास किया है जहां यह समस्या अधिक है । ये अदालतें अपने निश्चित कार्यक्रमों के

अनुसार अपने न्याय क्षेत्र के अन्तर्गत सम्बधित उप-जिला मुख्यालयों में सर्किट अदालत आयोजित करती हैं। इस प्रकार ये अदालतें न सिर्फ जिला स्तर पर ही कार्य कर रही हैं बल्कि उनका क्षेत्राधिकार उप-मण्डल मुख्यालयों तक भी है, ताकि अनुसूचित जाति के लोग उनका लाभ उठा सकें और न्याय की आशा कर सकें।

प्रायः अत्याचार होने वाले उन क्षेत्रों की पहचान कर ली गई है जहां अस्पृश्यता अभी भी है। अस्पृश्यता वाले क्षेत्र के पहचान कार्य एल० एन० मिश्र आर्थिक विकास तथा सामाजिक विकास संस्थान ने पूरा कर लिया है। इसलिए इन्होंने इसकी पहचान करने की कोशिश की है। उन्होंने उन सात जिलों में अस्पृश्यता सम्बन्धी एक रिपोर्ट प्रकाशित की है, जहां ये समस्याएं ज्यादा सघन हैं। संविधान के अन्तर्गत अस्पृश्यता एक अपराध है। हमें यह ध्यान रखना है कि आगामी वर्षों में अस्पृश्यता इन जिलों से पूर्णतया समाप्त हो जाए। वे समय-वार सर्वेक्षण भी करते हैं।

एक माननीय सदस्य ने यह उल्लेख किया था कि पब्लिक स्कूल का क्या उपयोग रह गया है, जबकि अनुसूचित जाति के लोगों को उससे सहायता नही मिल रही है और उन्हें वहां प्रवेश नहीं दिया जाता है। मैं समझती हूं श्रीमती नवल प्रभाकर ने इसका उल्लेख किया था। कुछ समाचारपत्रों ने भी इस बारे में लिखा है। 20 जुलाई 1988 को मैंने श्री शिव शकर को लिखा कि समाचारपत्रों में अनेक रिपोर्टें प्रकाशित हुई हैं कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के छात्रों को दिल्ली के खालसा, मिराडा हाऊस, सेंट स्टिफेन जीसस एण्ड मेरी तथा हंसराज कालेज जैसे कालेजों में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है, यद्यपि विश्वविद्यालय के पंजीयन केन्द्र ने उन लोगों को आरक्षित कोटा के अनुसार प्रवेश-पत्र जारी किया है। मेरा मंत्रालय इसे दिल्ली विश्वविद्यालय तथा सचिव शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के ध्यान में लाया है ताकि इस सम्बन्ध में समुचित कार्यवाही की जा सके। इसलिए हम लोगों ने इस मामले को पहले ही उठाया है तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के ध्यान में लाया है और मैं आशा करती हूं इन लोगों द्वारा कुछ ठोस कदम उठाये जाएंगे।

4.00 म० प०

आज के 'पैट्रियट' समाचारपत्र में नवोदय विद्यालयों के सम्बन्ध में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है। मैं उसके बारे में कुछ कहना चाहती हूं। उस अध्ययन में बताया गया है कि लगभग 60 प्रतिशत नवोदय विद्यालय गरीब तबकों के लिए हैं। देश के नवोदय स्कूलों में पढ़ने वाले दो तिहाई से अधिक बच्चे कम आय वर्ग के परिवारों के हैं। छात्रों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर एक अध्ययन के अनुसार पिछले वर्ष शुरू की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अन्तर्गत प्रारम्भ किए गए नवोदय विद्यालयों में पढ़ने वाले 41% से ज्यादा छात्र उन परिवारों के हैं, जिनकी आय गरीबो की रेखा से नीचे है। नवोदय विद्यालय समिति द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार 20% छात्रों के परिवार की वार्षिक आय 3,000 रु० से कम है। अध्ययन यह बताता है कि 20% छात्रों के मामले में वार्षिक पारिवारिक आय 6,000 रु० से कम है। राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा तैयार किए गए व्यवसायिक आधार के आंकड़ों से पता चलता है कि ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी छात्रों के बराबर की अच्छी शिक्षा प्रदान करने वाली नई शिक्षा योजनाओं से बहुत बड़े क्षेत्र में अनेक परिवारों को लाभ हुआ है। यह हाल में किया गया अध्ययन है। जब यह नई शिक्षा योजना तथा नवोदय विद्यालय शुरू किए गए थे तो हमने कहा था कि इससे ग्रामीणों तथा समाज के गरीब तबके के लोगों को भी लाभ होगा। अध्ययन दर्शाता है— यह बहुत रोचक है तथा आपको अवश्य जानना चाहिए कि पैतृक व्यवसाय में 10 प्रतिशत कृषि श्रमिक 8 प्रतिशत साधारण श्रमिक, इस प्रकार सब मिलाकर कृषि में 25 प्रतिशत तथा व्यवसाय और वाणिज्य में 10 प्रतिशत श्रमिक लगे हैं।

योजना की एक महत्वपूर्ण विशेषता से पता चलता है कि ज्यादा लाभ निम्न मध्यम श्रेणी परिवारों के छात्रों तथा उन बच्चों को हुआ है, जिनके माता पिता अशिक्षित हैं। इसलिए यह लाभ नीचे तबके के लोगों को भी मिला है। मैं समझता हूं कि नवोदय विद्यालय से गांव में रहने वाले सभी तबके के लोगों को सहायता मिलेगी। अध्ययन प्रतिवेदन से पता चलता है कि उनमें से 50 प्रतिशत संख्या अनुसूचित जाति के लड़कों तथा लड़कियों की है। यह एक अत्यधिक उत्साहजनक है।

इन योजनाओं मे इस कमी को पूरा किया जा सकता है। सरकार सभी अत्याचारों के खिलाफ है। लेकिन हमें देखना है कि अत्याचार के कारणों को कैसे कम किया जाए। गरीबी उनमें से एक कारण है। उन्हें शिक्षित कर गरीबी दूर की जा सकती है। शिक्षा से उनका उत्थान होगा और इस कमी को दूर किया जा सकता है। इस प्रकार इन प्रयासों से सरकार इस स्थिति में सुधार कर रही है।

श्री रामूवालिया ने बंजारों और राय सिखों आदि को शामिल करने के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की वर्तमान सूची में संशोधन करने के बारे में कहा था। इस स्थिति में मैं केवल यही कह सकती हूं कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की वर्तमान सूची में और जातियों को शामिल करने के सभी अभ्यावेदनों और सुझावों पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची के प्रस्तावित व्यापक संशोधन के संदर्भ में सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

वर्तमान सूची में कोई भी संशोधन केवल संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 के अनुसार संसद के अधिनियम के द्वारा ही किया जा सकता है। मैं यह नहीं बता सकती कि अमुक समय तक यह कार्य हो जाएगा। परन्तु हम एक व्यापक सूची तैयार करने की प्रक्रिया में तेजी लाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आशा करती हूं कि हम इसे संसद् के समक्ष रखा पाएंगे।

श्री बसुदेव आचार्य : कानून।

डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी : मैं आपको कोई ठीक समय नहीं दे सकती हूं। परन्तु हम प्रयास कर रहे हैं और हम प्रयास करेंगे। **(व्यवधान)**

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : सरकार यह आशा करती है कि व्यापक समीक्षा की जाएगी। **(व्यवधान)**

डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी : हम यह कार्य करेंगे और वह संसद् के समक्ष बताया जाएगा। संसद् के सत्र के बिना मैं इसकी घोषणा नहीं कर सकती। हम इसे इस सत्र में लाने का प्रयास करेंगे। मैं आपको उसके बारे में कोई विशिष्ट तारीख नहीं दे सकती हूं। कुछ सदस्यों ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को पर्याप्त आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए कहा है, ताकि उन्हें गरीबी की रेखा से ऊपर उठाया जा सके। मैं सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहती। आप जानते हैं कि स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने खुद को अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को तेजी से विकास करने के लिए वचनबद्ध किया है। यह हमारी वचनबद्धता है और यह हमारी जानी हुई नीति है कि उनका सामाजिक-आर्थिक स्तर ऊंचा किया जाए और उस कार्य की हमें काफी चिन्ता है। हम अपनी सभी केन्द्रीय नीतियों को लागू कर रहे हैं। केन्द्र सरकार द्वारा जो भी नीतियां निर्धारित की जाती हैं उन्हें राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। कुछ ऐसी

योजनाएं भी हैं जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रायोजित किया जाता है अर्थात् वे केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं हैं। ऐसी योजनाएं भी हैं जिनमें 50 प्रतिशत धन राज्य सरकार से तथा 50 % केन्द्र सरकार से दिया जाता है। मैं इस बारे में आपको एक या दो उदाहरण दूंगी कि अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना तथा जनजाति उपयोजना की नीति के माध्यम से उनके विकास के लिए पर्याप्त निवेश किया गया है। जनजातीय उप-योजना पांचवी योजना में बनाई गई थी। विशेष संघटक योजना छठी योजना में निर्धारित की गई थी। उसके अलावा, हम इन सभी कार्यक्रमों को, जो विशेष संघटक योजना अथवा जनजातीय उप-योजना के अन्तर्गत आते हैं, अतिरिक्त सहायता के रूप में विशेष केन्द्रीय सहायता दे रहे हैं। केन्द्र सरकार आय के साधनों के लिए भी कुछ अतिरिक्त वित्त दे रही है तथा इन योजनाओं के अन्तर्गत और अधिक आय देने वाली योजनाओं को हाथ में लिया गया है। आप सभी यह जानते हैं कि हमने जनजातियों द्वारा उत्पादित उत्पादों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने हेतु एक शीर्षस्थ निकाय के रूप में टी० आर० आई० एफ० ई० डी० की भी स्थापना की है। आदिवासियों को उचित लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहे हैं, जो उन्हें मिलने चाहिए। ठेकेदार तथा व्यापारी, जो उनकी अज्ञानता तथा उनकी गरीबी का फायदा उठाते हैं, बीच में उसका लाभ ले लेते हैं। इससे बचने के लिए आदिवासियों को लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए हमने हाल ही में टी० आर० आई० एफ० ई० डी० का गठन किया है और अब यह काम कर रही है। इस वर्ष टी० आर० आई० एफ० ई० डी० द्वारा हाथ में ली गई कुछ परियोजनाओं ने अच्छे परिणाम दिए हैं। उदाहरण के तौर पर एक परियोजना साल (लकड़ी) के बीज के बारे में है। मूल्यों में वृद्धि हो गई है। यदि ये मूल्य 900 रुपए प्रति मी० टन थे तो उन्हें 1100 रुपए प्रति मी० टन प्राप्त हो रहे हैं। उसी की तरह यह आगे बढ़ रहे हैं। मुझे आशा है कि सभी आधारभूत सुविधाओं की स्थापना हो जाने के बाद यह टी० आर० आई० एफ० ई० डी० जनजातियों को छोटे-छोटे वन उत्पादों के लिए अधिक लाभकारी मूल्य दिलाने में सहायता करेगी। हमने अब उसी की तरह के एक और निकाय की स्थापना की है और मंत्रिमंडल ने भी इसे स्वीकृति दे दी है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय विकास तथा वित्त निगम की स्थापना की गई है। हमने इसे पंजीकृत करा दिया है और उनके लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। वे कार्य करना आरम्भ कर देंगे। केन्द्र सरकार उन्हें वित्तीय सहायता देगी। प्रारम्भ में हमने इसके लिए 50 करोड़ रुपए आबंटित किए हैं। यह निगम भी गरीब लोगों के बचाव के लिए आगे आएगा और गरीब लोगों के लिए अधिक नौकरियों का सृजन करने तथा अधिक आय पैदा करने में मदद करेगा। जब इसे कार्यान्वित किया जाएगा तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा और लोग हमारे विकासशील कार्यक्रमों को समझ जाएंगे तथा वह इन सभी अत्याचारों का सही उत्तर होगा। जब ये गरीब अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोग आर्थिक रूप से उन्नत हो जाएंगे तो कोई भी व्यक्ति उनकी जाति आदि के बारे में उनसे नहीं पूछेगा। हमारे समाज पर पैसे वालों का एकाधिकार है और जब इन लोगों के पास धन की शक्ति होगी तो उनके साथ भी बराबर के व्यक्तियों जैसा व्यवहार किया जाएगा और समाज में विद्यमान यह असमानता समाप्त हो जाएगी।

श्रीमती मीरा कुमार यह चाहती थीं कि सरकार इन अत्याचारों के शिकार व्यक्तियों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करे। मैंने यह कहा है कि बिहार में यह सहायता पहले ही दी जाती है, उत्तर प्रदेश तथा अन्य राज्यों में यह कानूनी सहायता सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत प्रदान की जाती है और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों की सिविल तथा

आपराधिक मुकदमों में सहायता की जाती है। हमने उन साक्षियों को मजदूरी के नुकसान के लिए मुआवजा देने की व्यवस्था की है, जिन्हें न्यायालयों में साक्ष्य देने के लिए आना पड़ा है। जो श्रमिक साक्ष्य देने के लिए न्यायालयों में जाते है उन्हें सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत मामलों में उस दिन के लिए मजदूरी दी जाती है। हमने राज्य सरकारों को भी भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत उन अपराधों के लिए ऐसी ही योजनाएं अपनाने के लिए सुझाव दिया है, जिनमें इन अपराधों के शिकार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोग होते हैं। हमने यह सुझाव राज्य सरकारों को दिया गया है।

एक सुझाव यह दिया गया था कि कानूनों को अधिक कठोर बनाया जाए। मैंने भी यह महसूस किया कि हम सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम की समीक्षा कर सकते हैं और इसमें जो भी त्रुटियां हों, हम उन्हें दूर सकते हैं और उसमें और खण्ड जोड़ सकते हैं तथा इसे और कठोर बना सकते हैं, ताकि इन लोगों पर किए जाने वाले अत्याचारों को कानून के शिकंजे में जकड़ा जा सके, यदि ऐसे खण्ड उस कानून में पहले से मौजूद न हों।

श्रीमती मीरा कुमार, डा० सी० एस० त्रिपाठी, श्री गंगा राम, श्री सुलतानपुरी और कुछ अन्य सदस्य यह चाहते थे कि ऐसे मामलों के लिए विशेष न्यायालय स्थापित किए जाएं। मैं बिहार के बारे में पहले ही कह चुकी हूं। अत्याचार से सम्बन्धित तथा सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले ऐसे मामलों को तेजी से निपटाने के लिए हमने सभी राज्यों को विशेष न्यायालयों की स्थापना करने के लिए मार्गदर्शी निर्देश जारी कर दिए हैं। यह बात नहीं है कि अब वहां विशेष न्यायालय नहीं हैं, विभिन्न राज्यों में 52 विशेष न्यायालय तथा चलते-फिरते न्यायालय हैं। आन्ध्र प्रदेश में 17, बिहार में 4, मध्य प्रदेश में 11, राजस्थान में 8, तमिलनाडु में 8, उड़ीसा में 4 विशेष न्यायालय हैं। महाराष्ट्र भी तीन विशेष न्यायालय स्थापित करने के लिए सहमत हो गया है, कर्नाटक ने दो विशेष न्यायालय स्थापित करने के लिए आदेश जारी कर दिए हैं। जिन राज्यों में विशेष न्यायालय नहीं हैं वे वहां विशेष न्यायालय स्थापित करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए प्रत्येक जिले में दण्डाधिकारी को नामांकित किया गया है। इस प्रकार हम इस मामले पर राज्य सरकारों के सहयोग से कार्यवाही कर रहे हैं ताकि अधिनियम को उपयुक्त रूप से लागू किया जा सके और जो व्यक्ति अत्याचार करते हैं अथवा सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के खिलाफ कार्य करते हैं, उन्हें दण्ड दिया जा सके।

एक माननीय सदस्य श्री वी० श्रीनिवास राव यह चाहते थे कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों को संवेदनशील क्षेत्रों में नियुक्त किया जाना चाहिए। केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को यह मार्गदर्शी निर्देश पहले ही जारी किया जा चुका है। उन्हें यह सलाह दी गई है कि वे संवेदनशील क्षेत्रों में जिला दण्डाधिकारी पुलिस अधीक्षक, उप-प्रभागीय अधिकारी आदि के पद पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों को नियुक्त करें। हमने अपनी ओर से पहले ही यह सुझाव दे दिया है कि संवेदनशील पुलिस थानों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के थाना अधिकारी नियुक्त किए जाने चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं जहानाबाद का जिला-दण्डाधिकारी अनुसूचित जाति का व्यक्ति है। मैंने सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों को लिखा है कि प्रशासन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रति संवेदनशील तथा उत्तरदायी बने। मैंने यह पत्र सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों को लिखा है। विशेष रूप से यह राज्य के उच्च नेतृत्व पर लागू होता है। रिपोर्ट यह है कि राज्य सरकारों ने विभिन्न संवेदनशील क्षेत्रों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों की नियुक्ति करनी शुरू कर दी है।

श्री वी० श्रीनिवास राव और कुछ अन्य माननीय सदस्य यह भी चाहते थे कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को हथियारों के लाइसेंस-उदारता से जारी किए जाने चाहिए ताकि वे हमले के समय अपनी रक्षा कर सकें। जहां तक हथियारों के लाइसेंस जारी करने का सम्बन्ध है, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के आवेदकों के साथ कोई भेदभाव नहीं बरता जाता है। जो कोई भी व्यक्ति पात्र होता है, उसे लाइसेंस जारी किया जाता है। सम्बन्धित राज्य सरकार का यह कर्त्तव्य है कि वह यह सुनिश्चित करे कि इन गरीब लोगों को परेशान नहीं किया जाता है और इन असहाय लोगों पर अत्याचार नहीं किए जाते हैं।

सर्वश्री वाई० पी० योगेश, तुलसीराम और गंगाराम ने यह कहा था कि मतभेद होने का मुख्य कारण, जिसकी वजह से गरीब लोगों पर अत्याचार होते हैं, न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न किया जाना है। मैं पहले ही यह कह चुकी हूं कि सभी 19 राज्यों में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू है। उनके लिए कुछ न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गई है, परन्तु इसे लागू करने की जिम्मेदारी जिला प्राधिकारियों तथा उनके पर्यवेक्षी अधिकारियों की है। हम उन्हें एक बार और सावधान कर देंगे कि उन्हें इसका कड़ाई से अनुपालन करना चाहिए।

श्रीमती सुन्दरवती नवल प्रभाकर ने यह सुझाव दिया था कि मैला ढोने की प्रणाली समाप्त की जानी चाहिए और स्थानीय सरकारी प्राधिकारियों को मैला ढोने वाले तथा सफाई करने वाले व्यक्तियों के हितों की देखभाल करनी चाहिए। जैसा कि आप सभी यह जानते हैं, हमारी एक नीति है, एक योजना है, जिसके द्वारा मैला ढोने की प्रणाली को पूर्णतया समाप्त कर देंगे। एक तरह से मैला ढोने का सम्बन्ध छुआछूत से जुड़ा है और हमारी यह स्पष्ट नीति है, तथा सरकार यह महसूस करती है कि सूखे शौचालयों की सफाई करना अमानवीय तथा घृणित धन्धा है। हम सूखे शौचालयों को पानी वाले शौचालयों में बदलकर मैला ढोने वालों की मुक्ति तथा मुक्त किए गए मैला ढोने वालों को अन्य सम्मानित धन्धों में पुर्नानियोजित करने की एक योजना पर कार्रवाही कर रहे हैं। इस योजना के अन्तर्गत 166 मझोले तथा छोटे नगरों अर्थात 1 लाख की जनसंख्या वाले नगरों को लिया गया है। इनमें से 32 नगरों को पहले ही मैले से मुक्त बना दिया गया है। लगभग 10,000 मैला ढोने वालों को पुर्नानियोजित कर दिया गया है। 1987-88 तक इस कार्यक्रम पर 37.13 करोड़ रुपए की धनराशि व्यय गयी थी। 1988-89 के लिए 11 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं जबकि वर्ष 1987-88 के लिए 9.5 करोड़ रुपए आबंटित किए गए थे। यह योजना केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा, 50-50 प्रतिशत खर्च करके तुल्य अनुदानों के आधार पर कार्यान्वित की जा रही है। इस वर्ष और अगले वर्ष सातवीं पंचवर्षीय योजना में हम जितने ज्यादा नगरों में इस योजना को कार्यान्वित कर सकेंगे, करने का प्रयास करेंगे। मैं एक बात पुनः दोहराना चाहूंगी कि हम इस सम्बन्ध में बिल्कुल स्पष्ट हैं और हम सभी मैला ढोने वालों को इस गन्दे कार्य से मुक्त कर देंगे। सभी ग्रामीण क्षेत्रों में पानी के शौचालयों तथा सुलभ शौचालय जैसे आधुनिक तथा पंजीकृत किस्म के शौचालय होंगे। इन्दिरा आवास योजना और अन्य आवास योजनाओं के अन्तर्गत निर्मित किए जा रहे सभी घरों को इस किस्म के शौचालयों से सुसज्जित किया जाएगा। सरकार की ओर से यह एक स्पष्ट दिशा-निर्देश है।

[हिन्दी]

श्री जयप्रकाश अग्रवाल (चांदनी चौक) : यह कार्य कब तक पूरा हो जाने की आशा है, आपने कोई-न-कोई तो टार्गेट रखा ही होगा।

डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी : इस मामले में कोई भी टार्गेट निश्चित करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हम इसे जल्द-से-जल्द करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका पूरा होना फाईनेंस और दूसरी चीजों पर डिपेंड करता है।

श्री जयप्रकाश अग्रवाल : क्या इसके लिए पैसे की एलोकेशन की गयी है?

डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी : पैसे की एलोकेशन तो हो रही है, जैसा मैंने कहा 166 टाउन्स को इसके अन्तर्गत एडोप्ट किया गया है, जिनमें से 32 में तो काम पूरा कर लिया गया है।

[अनुवाद]

हम इस मामले में समूचे नगर को विचार में रख रहे हैं। सर्वप्रथम हमने उन नगरों पर विचार किया है, जिनकी आबादी एक लाख है। इन नगरों का अध्ययन करने के बाद हम बड़े शहरों का अध्ययन करेंगे। नए नगरपालिका अधिनियम के अनुसार जल की व्यवस्थायुक्तशौचालय के बिना कोई नया घर नहीं बनाया जा सकता है। यह नियम सारे देश में लागू है। पुराने घरों, जिनमें जल की व्यवस्थायुक्त आधुनिक शौचालय नहीं हैं, में भी जलरहित शौचालयों के स्थान पर इस प्रकार के आधुनिक शौचालय होने चाहिए।

[हिन्दी]

श्री राम श्रेष्ठ खिरहर (सीतामढ़ी) : चेयरमैन सर, जब यहां बिहार का मसला सामने आया है, मैं स्वयं बिहार का रहने वाला हूं और केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार की नियत से पूरी तरह अवगत हूं, बल्कि हरिजनों को सुविधायें पहुंचाने के लिए उन्होंने जो कदम उठाये हैं, उनकी सराहना करता हूं, हरिजनों पर अत्याचार रोकने की दिशा में बहुत अच्छे कदम उठाये गये हैं। मगर यहां जो मेजर थ्रस्ट रहा है, वह एक तरफ तो मुआवजा देने का और दूसरी तरफ सरकारी पदाधिकारियों को पनिश करने का रहा है। मेरी राय में इस सबकी जड़ में एक आदमी छिपा हुआ है और जब तक उसे नहीं पकड़ा जाएगा, तब तक हरिजनों पर अत्याचार खत्म नहीं होंगे। अभी यहां कितने ही हजार एकड़ जमीन बांटने का जिक्र किया गया। मैं सरकार से विनम्रतापूर्वक मांग करता हूं कि बिहार में एक नहीं दर्जनों असेम्बली में मैम्बर्स बैठे हैं, इस सदन में बैठे हैं, जिन्होने सारी सीलिंग की जमीन को अपने हाथ में दबोच कर रखा हुआ है, कहीं अपने कुत्ते के नाम पर, कहीं अपनी बिल्ली के नाम पर, कहीं अपने नौकर के नाम पर। मैं सदन की ओर से गृह मन्त्री जी से मांग करता हूं कि क्या वे अपने साथियों की जमीन और जायदाद की एक सूची तैयार करवायेंगे और उसकी इन्वेस्टीगेशन करायेंगे कि कितने आदमी सीलिंग की जमीन को छिपा कर बैठे हैं और हरिजनों पर अत्याचार कर रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से स्पष्ट उत्तर चाहता हूं।

डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी : माननीय सदस्य जो स्पष्टीकरण चाहते हैं, मैं उनसे कहना चाहती हूं कि सरकार ने लैंड सीलिंग के सम्बन्ध में जितने भी कानून बनाये हैं, वे सबके लिए लागू होते हैं और उनके उल्लंघन के यदि कुछ केसेज हमारे सामने आते हैं तो उन पर समुचित कार्यवाही की जाएगी, इसके लिए सरकार कमिटिड है और इसमें कोई इधर-उधर की बात नहीं है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

एक सदस्य ने आरक्षण का मामला उठाया है। मैं सदस्य की इस टिप्पणी से सहमत हूं कि

हम सभी आरक्षित पदों को भरने में सफल नहीं रहे हैं। हम कार्मिक विभाग की सहायता से इन सभी पदों को भर सकते हैं। हम इस सम्बन्ध में सभी प्रयास कर रहे हैं।

अन्त में मैं केवल एक बात का उल्लेख करना चाहती हूं तथा यह बात अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सम्बन्ध में हमारी नीति के बारे में है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : इससे पहले कि आप अपना भाषण समाप्त करें, मैं आपसे एक स्पष्टीकरण चाहती हूं।

सभापति महोदय : कृपया मन्त्री महोदया को अपना भाषण पूरा कर लेने दीजिए।

डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी : सदस्य आरक्षण के सम्बन्ध में कह रहे थे कि अन्य उम्मीदवारों को पद दे दिये जाते हैं तथा वे पद अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजानियों को नहीं दिए जाते हैं। प्रधान मन्त्री महोदय ने सुस्पष्ट रूप से कहा है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों को अनारक्षित नहीं किया जाएगा। इस समय यह नियम है कि यदि उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है तो वे उन पदों को पुनः विज्ञापित करेंगे। ने उन पदों को तीन बार विज्ञापित करेंगे तथा उसके बाद वे अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयोग से अनुरोध करेंगे।

इसलिए मैं इस सभा को तथा सदस्यों को विश्वास दिलाती हूं कि प्रधान मन्त्री महोदय द्वारा दिए गए मार्गनिर्देशों का पालन किया जाएगा तथा अनारक्षण का डर नहीं होना चाहिए। हम पिछले बकाया पदों को भरने का प्रयास कर रहे हैं।

सभापति महोदय : महोदया, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। श्री हेतराम जी आप किस बात का स्पष्टीकरण चाहते हैं?

श्री हेतराम : 72.5% अनारक्षित पद भर लिए गए हैं। अब यह कहा जा रहा है कि उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिलने के कारण उन पदों को अनारक्षित किया गया। उपयुक्त उम्मीदवार की शर्त अस्पष्ट है। आरक्षण नीति इस प्रकार होनी चाहिए कि यदि अनुसूचित जातियों के 10% उम्मीदवार लिए जाते हैं तो उसके अनुपात में सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार लिए जाएं। यदि अनुसूचित जातियों के 15% उम्मीदवार लिए जाते हैं, तभी केवल साधारण श्रेणी के उम्मीदवार लिए जाएं।

डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी : मैं कह रही हूं कि यही स्थिति है। अब प्रधान मन्त्री महोदय ने इस बात को पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है कि पदों को अनारक्षित नहीं किया जाएगा। अतः, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को उनके लिए उपलब्ध पूरा आरक्षण दिया जाएगा।

मैं एक बात और कहना चाहती हूं कि हमारा देश संविधान के द्वारा शासित है, जिसके लिए शंकराचार्य अथवा मनु अथवा कोई अन्य व्यक्ति नहीं बल्कि संविधान सर्वोच्च है। इसके लिए मनु के विधानों अथवा किसी अन्य ग्रन्थ को जलाने की जरूरत नहीं है। इन सब बातों को भूल जाइये। अब हम आधुनिक युग में हैं। आजादी के बाद हम अपने धर्मनिरपेक्ष संविधान से शासित हैं। इस संविधान ने प्रत्येक व्यक्ति को सभी मूलाधिकार दिए हैं। हमारे संविधान के अन्तर्गत कोई भेदभाव नहीं है तथा सरकार ऐसा करने के लिए वचनबद्ध है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : अपने भाषण के दौरान मैंने चक्रधरपुर थाने के बारे में अत्यन्त ठोस तथ्य देते हुए गृह मन्त्री तथा कल्याण मन्त्री का ध्यान आकर्षित किया...

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : मैंने उसको नोट कर लिया है। मैं इस सम्बन्ध में कार्यवाही करूंगा।

[हिन्दी]

श्रीमती मीरा कुमार (बिजनौर) : सभापति महोदय, माननीय मन्त्री जी से मैं जानना चाहती हूं कि अभी उन्होंने डिरिजर्वेशन के बारे में बोला है कि वह नहीं होगा। मगर मैं एक बहुत ही स्पेसिफिक केस जानती हूं—यू० पी० एस० सी० की एक पोस्ट थी जो रिजर्व थी वह एडवटाईज की गई थी, जिसमें पी० एच० डी० इकनौमिक्स और 10 साल का एक्सपीरिएंस मांगा गया था। उस पोस्ट के लिए 3 रिजर्व कैंडीडेट्स ने एप्लाई किया। उन तीनों की यही क्वालिफिकेशन थी, बल्कि एक की तो और ज्यादा थी। उसका 19 साल का एक्सपीरिएंस था, बावजूद इसके उनको इंटरव्यू में छांट दिया गया और उस पोस्ट को डी-रिजर्व कर दिया गया ?

श्रीमती राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी : सभापति महोदय, पहले क्या हुआ और जो अभी तक होता रहा उसी को बदलने के लिए और इस गलती को सुधारने के लिए ही अब यह निर्णय लिया गया है कि पोस्ट को डीरिजर्व नहीं किया जाएगा। जो हो गया है, उसको रिकूप किया जाएगा। माननीय सदस्या से मेरा अनुरोध है कि आप इसको लिखकर भेजिए, हम उसको देखेंगे।

[अनुवाद]

सरदार बूटा सिंह : माननीय सदस्या हमें लिखकर दें, यदि हमें निर्णय बदलना पड़ा और यदि जरूरी हुआ तो हम निर्णय बदलेंगे।

4.30 म० प०

राष्ट्रीय सुरक्षा (संशोधन) अध्यादेश का निरनुमोदन करने के बारे में सांविधिक संकल्प

और

राष्ट्रीय सुरक्षा (संशोधन) विधेयक

सभापति महोदय : अब हम नया विषय लेते हैं। श्री इन्द्रजीत गुप्त, श्री रामूवालिया, श्री नारायण चौबे तथा श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह इस सभा में उपस्थित नहीं हैं।

अब श्रीमती गीता मुखर्जी अपना संकल्प प्रस्तुत कर सकती हैं तथा उस पर भाषण दे सकती हैं।

(व्यवधान)

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया (संगरूर) : महोदय, मैं अब वापस आ गया हूं। मैं लॉबी में गया था। मेरा सारा सामान यहीं था।

सभापति महोदय : नहीं, नहीं । श्री रामूवालिया जी, आपका सामान नहीं बोलेगा । सदस्य महोदय स्वयं बोलेंगे, उनका सामान नहीं बोलेगा ।

महोदय, कृपया आप अपना भाषण जारी रखें ।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : मैं प्रस्ताव करती हूं :

> "कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 26 मई, 1988 को जारी किए गए राष्ट्रीय सुरक्षा (संशोधन) अध्यादेश, 1988 (1988 के अध्यादेश सं० 4) का निरनुमोदन करती है।"

मैं राष्ट्रीय सुरक्षा (संशोधन) विधेयक का भी विरोध करती हूं।

इस अध्यादेश का विरोध करने के कारण इस सभा में हुई पिछली दो बहसों में भी बताए गए थे । मैं उन आंकड़ों इत्यादि को दोहराना नहीं चाहती। किन्तु वास्तव में यह वह मुद्दा है, जिस पर हम कोई टिप्पणी किए बिना अथवा यह कहे बिना नहीं रह सकते कि चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी होने की दृष्टि से पंजाब का दिल है। यह कहा गया है कि यद्यपि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम इतने लम्बे समय सेलागू हैं तथापि अध्यादेश लाए बिना यह अधिनियम चंडीगढ़ पर लागू नहीं किया जा सका है । यह बात बिल पारित करने के समग्र विचार को वस्तुतः तथा पूर्णतया असंभव बना देती है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति यह नहीं सोचेगा कि अभी कल ही की बात है कि आपने माना था कि चंडीगढ़ पंजाब में है, अथवा चंडीगढ़ पंजाब का होना चाहिए, अथवा चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी है । तब यह अध्यादेश क्यों लाया गया; यह विधेयक क्यों नहीं ? आपने इसके बारे में पहले क्यों नहीं सोचा था ? अतः, मैं हर बार ऐसे मुद्दों पर, जो इतने पुराने हैं कि जिन पर इस सभा में अत्यधिक चर्चा हो चुकी है, हमेशा अध्यादेश जारी करने के विचार का पूर्णतया विरोध करती हूं । अतः, यह मेरी प्रमुख आपत्ति है ।

जहां तक राष्ट्रीय सुरक्षा विधेयक का सम्बन्ध है, हमने प्रारम्भ से ही जिन कारणों से राष्ट्रीय सुरक्षा विधेयक का विरोध किया था वे कारण आज भी, पंजाब तथा चंडीगढ़ के मामले में भी, काफी प्रामाणिक हैं । अतः, हम राष्ट्रीय सुरक्षा (संशोधन) विधेयक, 1988 का पुनः विरोध करते हैं । इसके लिए कोई नए कारण बताने की जरूरत नहीं है । अतः, हमने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम को एक जन विरोधी अधिनियम, पूर्णतया अप्रजातांत्रिक, अत्यन्त निरंकुश अधिनियम, सभी लोगों के अधिकारों को छीनने वाला माना है····

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : आप दार्जिलिंग के बारे में क्या कहती हैं ?

श्रीमती गीता मुखर्जी : हम पंजाब के बारे में चर्चा कर रहे हैं । दार्जिलिंग में अशांत क्षेत्र अधिनियम लागू है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम नहीं । (व्यवधान)

अतः, हमने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का मूलतः पूरी तरह से विरोध किया था तथा अब जबकि इसे सशोधित रूप में लाया गया है, इसका भी विरोध करते हैं।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

> "कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 26 मई, 1988 को जारी किए गए राष्ट्रीय सुरक्षा (संशोधन) अध्यादेश (1988 के अध्यादेश सं० 4) का निरनुमोदन करती है ।"

अब कृपया मन्त्री महोदय विचारार्थ विधेयक प्रस्तुत करें तथा उस पर भाषण दें ।

गृह मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 के पंजाब राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ पर लागू करने के सम्बन्ध में संशोधन करने सम्बन्धी विधेयक पर विचार किया जाए।"

जैसा कि यह सभा जानती ही है कि पंजाब तथा चंडीगढ़ में लोगों की आम जिन्दगी आतंकवादियों के हमलों की आशंका से निरन्तर आशंकित रहती है। आतंकवादियों ने बेगुनाह लोगों को अपना शिकार बनाया है तथा राज्य की शान्ति खतरे में है। यहां तक कि धार्मिक स्थानों, शिक्षा संस्थाओं तथा सार्वजनिक स्थानों को भी बख्शा नहीं गया।

इन अशान्त क्षेत्रों में ऐसे तत्वों से कारगर तरीके से निपटने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 का अधिनियम सं० 65) को पंजाब राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ पर लागू करने के लिए 1987 में राष्ट्रीय सुरक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1987 के द्वारा संशोधित किया गया था। उपरोक्त संशोधन अधिनियम के द्वारा शामिल किए गए अनुच्छेद 14 (क) में अन्य बातों के साथ-साथ उन परिस्थितियों तथा मामलों का उल्लेख किया गया है, जिनके अन्तर्गत किसी व्यक्ति को सलाहकार बोर्ड की राय प्राप्त किये बिना तीन माह से अधिक, किन्तु नजरबन्दी की तारीख से छः माह से अनधिक अवधि के लिए नजरबन्द किया जा सकता है।

चूंकि उस समय संसद् का सत्र नहीं चल रहा था और 8 जून, 1988 से आगे राष्ट्रीय सुरक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1987 द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम में किए गए प्रावधानों की अवधि बढ़ाना निहायत जरूरी था अतः राष्ट्रपति ने 26 मई, 1988 को राष्ट्रीय सुरक्षा (संशोधन) अध्यादेश, 1988 प्रख्यापित किया। इस अध्यादेश के जरिए राष्ट्रीय सुरक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1987 द्वारा उक्त अधिनियम में किए गए प्रावधानों को 8 जून, 1989 की अवधि तक बढ़ा दिया गया।

प्रस्तुत विधेयक राष्ट्रीय सुरक्षा (संशोधन) अध्यादेश, 1988 का स्थान लेने के लिए पेश किया गया है।

इस अधिनियम के प्रावधान केवल पंजाब और चंडीगढ़ के अशांत क्षेत्रों तथा उन नजरबन्दियों पर लागू होंगे जो 8 जून, 1989 को अथवा इससे पहले किए गए हों।

मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देता हूं कि इस अधिनियम का उद्देश्य मुख्यतया पंजाब और चंडीगढ़ में आतंकवादियों की बुरी योजनाओं को विफल करने के लिए प्राधिकारियों की मदद करना है।

हमने चंडीगढ़ प्रशासन और राज्य सरकार को इस अधिनियम के प्रावधानों को अत्यधिक सावधानी से लागू करने की अलग से सलाह दी है।

मैं इस सम्मानित सदन के माननीय सदस्यों से इन सभी पहलुओं पर विचार करने का अनुरोध करूंगा और मुझे आशा एवं विश्वास है कि इस अधिनियम को उनका समर्थन प्राप्त होगा।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 का पंजाब और चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र को लागू होने की बाबत और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं। यह संशोधन सामान्य नहीं है। इस संशोधन के जरिए सरकार अध्यादेश को अवधि बढ़ाना चाहती है। मन्त्री महोदय स्पष्ट करेंगे कि सरकार ने पंजाब में स्थिति की समीक्षा कब की और सरकार ने कब महसूस किया कि पंजाब में स्थिति अब भी गम्भीर है। अतः इसकी अवधि, एक वर्ष और बढ़ाना औपचारिक है।

बजट सत्र के दौरान वह इसका स्पष्टीकरण दे सकते हैं कि क्या यह अनुभव अथवा कोई समीक्षा की गयी अथवा नहीं क्योंकि हमें बताया गया था कि एक कार्य योजना तैयार की गई है। इस कार्य योजना का ब्यौरा कभी नहीं दिया गया, यहां तक कि इस सदन में भी कभी प्रकट नहीं किया गया। हम जानना चाहते थे कि कार्य योजना क्या है, पंजाब के बारे में सरकार की क्या नीति है, क्योंकि यह स्पष्ट नहीं था। मन्त्री महोदय ने स्वीकार किया है कि स्थिति गम्भीर है अतः इसकी अवधि एक वर्ष के लिए और बढ़ाना जरूरी है और यह अवधि पहले ही जून में समाप्त हो चुकी है, और इस संशोधन के द्वारा सरकार किसी व्यक्ति को तीन महीने से अधिक तथा सलाहकार समिति को निर्देशित किए बिना अधिकतम छह महीने तक हिरासत में रखने के लिए सक्षम हो जाएगी। सलाहकार समिति की अवहेलना करने का कारण क्या है। हमने मूल अधिनियम का भी विरोध किया था। जब यह 1980 में पारित किया था यद्यपि इसका नाम सुरक्षा अधिनियम नहीं था। हमने अनुभव किया कि मजदूर संघों की गतिविधियों को रोकने के लिए कई बार इस अधिनियम का दुरुपयोग किया गया। यहां तक कि इस अधिनियम के द्वारा मजदूर संघों के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया और नजरबन्द रखा गया। अतः इस अधिनियम में इसे सलाहकार समिति को निर्देशित का प्रावधान है। आप सलाहकार समिति से क्यों बचना चाहते हैं? सलाहकार बोर्ड को निर्देशित किए बिना आप किसी व्यक्ति को तीन महीने से अधिक हिरासत में रख सकते हैं। हम किसी व्यक्ति को विचारण के बिना हिरासत में रखने के सदैव खिलाफ हैं। पहले विचारण किया जाना चाहिए। यदि वह दोषी पाया जाता है तो उसे हिरासत में रखा जाना चाहिए और दण्डित किया जाना चाहिए। यदि वह दोषी नहीं पाया जाता है तो उसे छोड़ दिया जाना चाहिए। अतः किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए और किसी को भी विचारण के बिना हिरासत में नहीं रखा जाना चाहिए।

धारा 14-ए वर्ष 1987 में अन्तःस्थापित की गयी थी। उस समय आपका इरादा किसी व्यक्ति को विचारण के बिना तीन महीने से अधिक हिरासत में रखने की शक्ति हासिल करना था और वह 8 जून, 1988 तक और अब आप इस अवधि को 8 जून, 1989 तक बढ़ाना चाहते हैं। क्यों? आपके पास एक नहीं अनेक कानून हैं। आपके पास इतने कानून हैं परन्तु फिर भी पंजाब समस्या को सुलझाने के लिए आपको और कानूनों की आवश्यकता है। यहां तक कि आपात लागू करने की शक्ति हासिल करने के लिए संविधान तक संशोधित कर लिया गया है यदि आन्तरिक अशांति की स्थिति उत्पन्न होती है। यह सब कुछ आपने ही किया है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आप स्थिति से निपटने में सक्षम नहीं हैं। आप पंजाब समस्या सुलझाने में सक्षम नहीं हैं और वहां उग्रवाद की समस्या हैं। राज्य में हत्याएं बढ़ रही है। राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू है। जब वहां राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था तो यह कारण बताया गया था कि बरनाला सरकार स्थिति का सामना करने और उसे सुलझाने में असमर्थ है, उनके मन्त्री कार्यों में हस्तक्षेप कर रहे हैं और राष्ट्रपति शासन लागू करना जरूरी है और आपने वहां राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। वास्तव में बरनाला सरकार को बर्खास्त कर दिया गया और तब राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया।

श्री पीयूष तिरकी (अलीपुरद्वार) : इस सरकार को ही क्यों न बर्खास्त कर दिया जाए?

श्री बसुदेव आचार्य : और जब से राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है तब से हत्याओं में वृद्धि हो रही है। राज्य में उग्रवादी गतिविधियां बढ़ रही हैं और पंजाब से लोगों के पलायन में भी वृद्धि हुई है। यहां तक कि आपके राष्ट्रपति शासन के दौरान बिहार और उड़ीसा के प्रवासी मजदूरों की भी हत्याएं की गयी हैं।

अतएव आप इस स्थिति को सुलझाने में सक्षम नहीं हैं। हमने यह बात इस सदन में कई बार कही है। हम इस बात को फिर से दोहराने के लिए मजबूर हैं।

आप अपने ही दल के सदस्यों की बात सुन रहे हैं। पंजाब प्रदेश कांग्रेस समिति ने मई के माह में आपके रवैये अर्थात् केन्द्र सरकार के रवैये की भी ठीक ही आलोचना की है। इसे भाटिया जी स्पष्ट करेंगे।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया (अमृतसर) : जी, हां।

श्री बसुदेव आचार्य : मई के महीने में पंजाब प्रदेश कांग्रेस समिति ने ठीक ही आलोचना की थी कि पंजाब के बारे में केन्द्र सरकार द्वारा अपनाई गई नीति के कारण लोग शनैः-शनैः कांग्रेस दल और केन्द्र सरकार की अवहेलना कर रहे हैं तो और लोगों का तो कहना ही क्या।

अकाल तख्त के ग्रंथियों को रिहा कर दिया गया है। हमें इसके कारणों के बारे में कुछ नहीं मालूम है। उन्हें क्यों रिहा किया गया है ? हमें नहीं मालूम कि सरकार ने किन कारणों से प्रेरित होकर एकाएक पांच ग्रंथियों को रिहा कर दिया। इस सम्बन्ध में किसी से कोई विचार-विमर्श नहीं किया गया। हमसे भी इस बारे में विचार-विमर्श नहीं किया गया। इस बारे में विपक्षी दलों से भी परामर्श नहीं किया गया। पांचों को रिहा करने की सलाह सरकार को किसने दी; स्वर्ण मन्दिर से खालिस्तान की घोषणा किसने की ? तत्पश्चात् बाद में उन्हें फिर गिरफ्तार कर लिया गया और दूसरे दिन उन्हें फिर रिहा कर दिया गया। इस सबके बारे में आपने किससे परामर्श किया ? आपने किसी भी जागरूक राजनीतिक दल से परामर्श नहीं किया, वे राजनीतिक दल जिनके लोग अपनी जान की बाजी लगाकर अपने खून की आखिरी बूंद तक उग्रवादियों से संघर्ष कर रहे हैं, दो साम्यवादी दल हैं। इन दलों के लगभग सौ कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गयी। आप पंजाब में स्वस्थ विचार वाले किसी व्यक्ति से परामर्श नहीं कर रहे हैं, चाहे वह सुशील मुनि हों अथवा कोई दूसरे मुनि हों, मुझे नहीं मालूम कि आपने किससे परामर्श किया है ? आप उत्तेजक विचारों वाले व्यक्तियों को क्यों दूर नहीं कर रहे हैं ?

इस महीने की 12 तारीख को हमने बोट क्लब पर सैकड़ों विधवाओं को इकट्ठा होते हुए और अपना दुःखड़ा रोते हुए देखा है। उन्हें अपने उचित पुनर्वास की आवश्यकता नहीं है बल्कि वे उन अपराधियों को सजा दिलवाना चाहती हैं जिन्होंने इन दंगों की योजना बनाई और वे चाहती हैं कि वे लोग किसी भी प्रकार बचकर न निकलने पायें।

इस सदन में रंगनाथ मिश्र आयोग के प्रतिवेदन पर चर्चा नहीं की गयी।

हमने कई बार रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए अनुमति मांगी और हमें अनुमति नहीं दी गई। मैं इसका परिणाम नहीं जानता। हमें रंगनाथ मिश्र आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा करने की अनुमति क्यों नहीं दी गई ?

इसके बाद कुछ राजनैतिक दलों से सम्बन्धित अपराधियों का पता लगाने के लिए जैन बनर्जी

समिति का गठन किया गया। परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गई। किसी व्यक्ति को दण्ड नहीं दिया गया। हजारों लोग मारे गए। निर्दोष व्यक्ति अभी भी जोधपुर जेल में पड़े हैं, यद्यपि आश्वासन दिया गया था, फिर भी उन्हें रिहा नहीं किया गया। उनमें से केवल 40 व्यक्तियों को रिहा किया गया है। क्या केवल वही निर्दोष व्यक्ति थे? शेष लोगों के विरुद्ध, क्या राष्ट्र विरोधी कृत्यों के मामले पाए गए हैं? इनकी छानबीन नहीं की गई। निर्दोष बन्दियों को रिहा क्यों नहीं किया गया? यह उत्तेजित करने वाली बात है। इन सब बातों को समाप्त किए बिना, समस्या को सुलझाने का प्रयास किए बिना, सही नीति तैयार किए बिना, आप पंजाब को सुलझाना चाहते हैं, आप पंजाब की स्थिति से निपटना चाहते हैं, आप राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम द्वारा अशान्त क्षेत्रों में उग्रवाद का सामना करना चाहते हैं। आप अभी भी यह समझते हैं कि पंजाब की समस्या केवल कानून और व्यवस्था की समस्या है और आप अधिक-से-अधिक हथियारों, संविधान में संशोधन, आपात स्थिति लागू करके, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम में संशोधन करके तथा अधिनियम को अधिक कठोर बनाकर इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। आप अभी भी संकीर्ण राजनैतिक अवसरवादी रवैये के अनुरूप कार्य कर रहे हैं। पंजाब समझौते का कार्यान्वयन क्यों नहीं किया गया? आप कह सकते हैं कि समझौते के अधिकतर खंडों का कार्यान्वयन कर दिया गया है। परन्तु मुख्य बातें जैसे चण्डीगढ़ का हस्तांतरण, संघ राज्य क्षेत्रों का हस्तांतरण, पानी के वितरण इत्यादि मुख्य बातों का कार्यान्वयन नहीं किया गया। समझौते की यह मुख्य बातें हैं। आपकी नीति और कार्य योजना क्या है? आप कृपया सभा को बताएं कि आप पंजाब की स्थिति का मुकाबला करने में समर्थ क्यों नहीं हैं तथा अवधि को एक वर्ष और बढ़ाना आवश्यक क्यों हो गया तथा बिना मुकदमा चलाए व्यक्ति को तीन माह से अधिक जेल में रखना तथा परामर्शदात्री बोर्ड को भेजे बिना यह आवश्यक क्यों है। स्थिति खराब क्यों होती जा रही है? आपको साढ़े तीन वर्ष का समय मिला था। इस अवधि में आप पंजाब की स्थिति को सुलझाने में समर्थ नहीं हुए और आप इस अधिनियम को और अधिक कठोर बनाना चाहते हैं। आप वहां के लोगों के अधिकार समाप्त करना चाहते हैं। हम नहीं जानते कि आप किससे परामर्श कर रहे है। आप विपक्ष से परामर्श नहीं करते। यह प्रक्रिया पहले ही शुरू हो गई थी। चार या पांच संयुक्त रैलियां आयोजित की गईं जिसमें विभिन्न वर्गों के हजारों लोगों ने भाग लिया था। राजनैतिक दलों, जो पृथकतावाद विघटनकारी शक्तियों के विरोधी हैं, ने इसमें भाग लिया। यद्यपि यह आश्वासन दिया गया था कि आतंकवाद को समाप्त करने के लिए संयुक्त रैलियों के आयोजन, लोगों के पास जाकर उनसे मिलकर राजनैतिक आन्दोलन दुबारा शुरू किया जाएगा, परन्तु कुछ नहीं किया गया। इस प्रकार जन-सम्पर्क की अत्यन्त आवश्यकता है—ऐसा जन सम्पर्क नहीं जो आपका दल कर रहा है—सुरक्षा कर्मियों के साथ रहकर जन-सम्पर्क। आप हजारों सुरक्षा कर्मियों से घिरे रहकर लोगों के पास जाते हैं। इस प्रकार, गृह मन्त्री बूटा सिंह वहां लोगों को भाषण देते हैं। वास्तव में जन-सम्पर्क किया जाना चाहिए। लोगों से मिलना चाहिए, आतंकवादियों को समाप्त किया जाए, राजनैतिक आन्दोलन शुरू किया जाए, दिल्ली में दंगे कराने के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों को दण्ड दिया जाए, जोधपुर जेल से निर्दोष व्यक्तियों को रिहा किया जाए। यदि आप यह सब कार्य करते हैं तो बिना जांच किए लोगों को कैद करने के लिए इन अधिनियमों को और अधिक कठोर बनाना आवश्यक नहीं होगा। अतः मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं। यह साधारण संशोधन नहीं है। आप कानून को और अधिक कठोर बनाना चाहते हैं। आप इस अवधि को बढ़ाना चाहते हैं। आप बिना मुकदमा चलाए लोगों को तीन से अधिक मास के लिए कैदी बनाकर रखना चाहते हैं। अतः, मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री शान्ताराम नायक (पणजी) : महोदय, मैं सरकार द्वारा प्रस्तावित विधेयक का हार्दिक समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। जहां तक पंजाब तथा अन्य मामलों का सम्बन्ध है, मैंने पिछले

तीन वर्षों से अधिक समय से इस सभा में विपक्ष की भूमिका को देखा है। आज वह सरकार को दोष दे रहे हैं कि उन्होंने पंजाब के सम्बन्ध में क्या किया है। वह गृह मंत्री जी से, सरकार से उसकी नीति के बारे में पूछ रहे हैं। परन्तु मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि उन सभी उपायों के बारे में विपक्ष का क्या दृष्टिकोण है, जो सरकारने समय-समय पर किए हैं और सभा के समक्ष प्रस्तुत किए हैं। क्या उन्होंने इस सभा में पुरःस्थापित किए गए किसी भी एक विधेयक के सम्बन्ध में किसी भी समय सहयोग दिया है? क्या उनका कहने का यह तात्पर्य है कि विधेयकों के पुरःस्थापन से इस सभा में सरकार द्वारा किए गए सभी उपाय गलत हैं, उन पर उचित ढंग से विचार नहीं किया गया तथा सारी बुद्धिमत्ता विपक्ष के पास ही है? उनका क्या रवैया था जब प्रधान मंत्री जी ने पंजाब के बारे में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए अनेक बैठकें बुलाई थीं? किसी भी एक बार विपक्ष ने इन सभी प्रस्तावों के सम्बन्ध में सरकार को सहयोग नहीं दिया। अब वह यह पूछ रहे हैं कि सरकार की नीति क्या है, सरकार ने क्या किया है इत्यादि। क्या वह सम्पूर्ण जिम्मेदारी से हट जाना चाहते हैं? क्या इस लोकतांत्रिक देश में विपक्ष के लिए कोई भूमिका अदा करने को नहीं है? विपक्ष ने क्या भूमिका अदा की है? उन्होंने नकारात्मक तथा विनाशकारी भूमिका अदा की है। न केवल पंजाब के सम्बन्ध में अपितु सभी समस्याओं के सम्बन्ध में जो भी पिछले तीन-चार वर्षों से इस देश के समक्ष आयीं और पैदा हुईं विपक्ष ने बिल्कुल नकारात्मक तथा विनाशकारी भूमिका अदा की है।

विपक्ष न केवल इस विधेयक का विरोध कर रहा है अपितु पिछली बार जब आयुध (संशोधन) विधेयक भी प्रस्तुत किया गया था, उन्होंने उसका भी विरोध किया था। पहले उन्होंने विरोध किया कि वह अध्यादेश क्यों लाए हैं। जबकि स्थिति बिल्कुल स्पष्ट थी कि अध्यादेश लाया जाना आवश्यक था, फिर भी उन्होंने यह प्रश्न किया कि अध्यादेश क्यों लाया गया। जब अध्यादेश लाया जाता है तो अन्ततः उसे विधेयक में बदलना होता है। उस समय मामले पर चर्चा के लिए उन्हें पूरा अवसर दिया गया। फिर भी वह सरकार से ऐसे संवेदनशील मामलों पर प्रश्न करते हैं कि अध्यादेश क्यों लाया गया। विपक्ष का हमेशा ही यह दृष्टिकोण रहा है।

जहां तक निरोधक कानूनों का सम्बन्ध है प्रत्येक देश में, संयुक्त राज्य अथवा कुछ अन्य जैसे लोकतान्त्रिक देशों को छोड़कर, निवारक नजरबन्दी कानून हैं। उन सभी देशों में जहां लोकतन्त्र का शासन है, जहां विकास हो रहा है, वहां लोकतन्त्र के नष्ट होने से रोकने, विकासात्मक परियोजनाओं तथा कार्यक्रमों के विनाश को रोकने के लिए यह निवारक कानून बहुत आवश्यक पाये गये हैं। कोई भी देश इन निवारक कानूनों के बिना नहीं रह सकता, बीते समय से इसका पता चल गया है।

इतना ही नहीं, मैं इन निवारक कानूनों के स्रोत के बारे में बताता हूं। सरकार ने कहां से निवारक कानूनों को बनाया है। संविधान के अनुच्छेद 22 में निवारक कानूनों का प्रावधान है। यदि निवारक कानूनों की आवश्यकता न होती तो संविधान में इसके लिए प्रावधान न होता। संविधान के अनुच्छेद 22 में कहा गया है:

> "कोई व्यक्ति, जो बन्दी किया गया है, ऐसे बन्दीकरण के कारणों से शीघ्र अवगत कराए बिना हवालात में नहीं किया जाएगा......।"

अब जहां तक कारावास इत्यादि का सम्बन्ध है, यह सामान्य प्रतिज्ञप्ति है और इस अनुच्छेद में निवारक नजरबन्दी कानूनों के सम्बन्ध में विशेष उल्लेख किया गया है, जिसमें कहा गया है:

"(3) खण्ड (1) और (2) की कोई बात—

(क) जो व्यक्ति तत्समय शत्रु अन्यदेशीय है अथवा

(ख) जो व्यक्ति निवारक निरोध उपबन्धित करने वाली किसी विधि के अधीन बन्दी या निरुद्ध किया गया है, उसको लागू न होगी।"

अतः कारावास का आधार संविधान निवारक नजरबन्दी है, और ऐसा नहीं है कि निरोधक कारावास कानूनों को सरकार ने बिना किसी आधार के बना लिया है।

5.00 म० प०

दूसरे, मैं यह कहना चाहता हूं कि जब कभी भी पंजाब के मामले उत्पन्न होते हैं और पिछली बार यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि विपक्ष सरकार को कोई कदम न उठाने के लिए दोष दे रहा था तथा प्रधान मन्त्री जी ने हस्तक्षेप किया था और कहा था कि कुछ विपक्ष के सदस्यों द्वारा लिखे गए पत्र में कहा गया है कि प्रधान मन्त्री उस समाचार प्रकाशन के विरुद्ध कोई कदम नहीं उठा रहे हैं जिसमें राजद्रोह का प्रचार किया गया है तथा प्रधान मन्त्री जी ने इस तथ्य का रहस्योद्घाटन किया। फिर मेरे कुछ आदरणीय सहयोगी, श्री रामूवालिया और प्रो० मधु दंडवते चौंक गए थे। वह हैरान हो गए थे और उनकी पोल खुल गई थी क्योंकि उन्होंने अजीत प्रकाशन के विरुद्ध राजद्रोह का मामला वापिस लेने के लिए प्रधान मन्त्री को एक सुस्पष्ट पत्र लिखा था। अब, इस प्रकार आप राजद्रोह के अभियोग के सम्बन्ध में सरकार को सहयोग दे रहे हैं? इसलिए, जब कभी सरकार आतंकवाद के सम्बन्ध में किसी कठोर उपाय का उल्लेख करे, विपक्ष का यह दृढ़ कर्तव्य है कि सरकार को सहयोग दे और जब कभी निवारक नजरबन्दी कानून लागू किए जाते हैं, परामर्शदात्री निकाय को इसमें शामिल किया जाता है। परामर्शदात्री निकाय द्वारा मामलों की जांच की जाती है और इस देश में ऐसे उदाहरण देखने में आए हैं जहां न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम अपितु निवारक नजरबन्दी कानूनों में भी, यदि उपयुक्त प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता तो कैदियों को तुरन्त रिहा कर दिया जाता है। प्रश्न यह है कि तीन माह के स्थान पर, मामले को परामर्शदात्री बोर्ड के समक्ष छह माह बाद प्रस्तुत किया जाता है। केवल यही अन्तर है। इसलिए, विधेयक का समर्थन किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री अजीज कुरेशी (सतना) : सभापति जी, मैं इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। जब मैं इसका समर्थन कर रहा हूं तो मेरे सामने हिन्दुस्तान की पुरानी तारीख है, जहां पहले रोज से ही हमने टैररिज्म का हर कोने में, हर तरह में और हर सूरत में विरोध किया है। मुझे याद आ रहा है, जब इस देश में ब्रिटिश वाइसराय की ट्रेन को बम से उड़ाने की कोशिश की गयी थी तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी में निन्दा जो एक प्रस्ताव पेश किया था उसे खुद महात्मा गांधी जी ने ही ड्राफ्ट किया था। टैररिज्म का जो तरीका है, उसका उद्देश्य या आदर्श देश के हित में कितने ही भले क्यों न हों लेकिन भारत की परम्पराओं, हमारे इतिहास, हमारी सभ्यता और हमारी कल्चर में उसके लिए कोई जगह नहीं है। हमने सदा उसे कन्डैम किया है, अस्वीकार किया है और हमारा इतिहास इस बात का साक्षी है। टैररिज्म की ही नहीं, भारत में जब कभी हिंसा या वायोलेंस की गतिविधियां हुई हैं, भारत के लोगों ने, भारत के नेताओं ने और यहां के नागरिकों ने उसे कभी स्वीकार नहीं किया है।

अभी इस बिल का विरोध करते हुए हमारे अपोजीशन के साथियों ने कुछ बातें कहीं। वैसे तो हमारे साथी इस सदन में और सदन के बाहर बहुत सी बातें करते हैं जबकि वास्तविकता यह है कि इस मुल्क में एक अच्छी फिजा बनाने में वे ही सबसे बड़ी बाधा या रुकावट हैं, वे ही पूरी परिस्थितियों का शोषण करते हैं, सिर्फ अपने राजनैतिक हितों की रक्षा करने के लिए हालात का एक्सप्लायट करते हैं। वे यहां कुछ बात करते हैं और बाहर जाकर जनता को गुमराह कुछ और कह कर करते हैं। केवल अपने राजनैतिक स्वार्थों को पूरा करने के लिए सरकार के खिलाफ उन्होंने सारे देश में जो फिजा बनायी है, वह देश के हित, देश की एकता और देश की अखण्डता के विरुद्ध है और मैं इनके प्रयासों की निन्दा करता हूं।

जहां तक पंजाब में टैररिस्ट एक्टिविटीज पर कन्ट्रोल लाने का सवाल है, हमारे गृह मन्त्री जी इस सदन में जो बिल लेकर आये हैं, जहां मैं उसका पूरा समर्थन करता हूं, वहीं उनसे एक प्रश्न भी करना चाहता हूं। हम सब जानते हैं और हमारे प्रधान मन्त्री ने हाल ही में कहा भी है कि पंजाब में होने वाली गतिविधियों के पीछे किसी और का हाथ नहीं, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान का हाथ है। कुछ दिनों पहले यह बात भी हमारे सामने आई थी कि भारत की सीमा के करीब, पाकिस्तानी क्षेत्र में, कुछ ऐसे टैररिस्ट कैम्प्स आर्गेनाइज किए गए जहां इन टैररिस्ट लोगों को ट्रेनिंग दी जाती थी। वे कैम्प्स बहुत बड़ी संख्या में लगाये गए। मैं गृह मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि वह कौन-सी बाधा या रुकावट है, जब हम जानते हैं कि हमारा पड़ोसी देश सारी मानवता, सारी इन्सानियत, और सारे शिष्टाचार को कचरे की टोकरी में रखकर हमारे खिलाफ दुश्मनीपूर्ण कार्यवाही कर रहा है....

तो क्या कारण है कि क्या भारत के लोगों में, भारत की सेनाओं में वह ताकत नहीं है कि वह एक्शन ले और कैम्प्स को वाश-आउट कर दे, ऐलीमिनेट कर दे। आप कहेंगे कि इसमें इंटरनैशनल बार्डर को क्रॉस करने का सवाल है, लेकिन मैं कहता हूं कि सवाल यह पैदा होता है कि जब आपका पड़ोसी देश आपके देश की शांति को भंग करने की पूरी कोशिश कर रहा है, अखण्डता पर हमला कर रहा है, तो मैं समझता हूं कि मुनासिब यह होगा कि आप एक्शन लें और उनकी टैरीटरी में जाकर, उन सारे कैम्प्स को ऐलीमिनेट कर दें, सफाया कर दें, और यदि जरूरत पड़े, तो भारत की वायुसेना की हैल्प लें, ऐअर फोर्स की हैल्प लें और बम्बार्डमेंट कर दें और इनका सफाया कर दें। तब जाकर के आपको इस समस्या से पूरी तरह निजात मिलेगी। मैं ऐसा सोचता हूं और मैंने यह बात पहले भी कही है, डिफेंस मंत्रालय की मांगों पर बोलते समय मैंने यह बात रक्षा मंत्री महोदय से कही थी, लेकिन मेरी बात को आपने ध्यान से नहीं सुना और अब इसीलिए मैं अपनी इस बात को पुनः कह रहा हूं। इसी के साथ इस बात को भी कहना चाहूंगा कि आप चाहे कितने ही कानून बना लें, कोई आर्डिनेंस ले आएं, लेकिन आप क्या इस मुल्क के अन्दर टोटल नैशनल सिक्यूरिटी की स्थापना कर पाएंगे। कम्पलीट नैशनल सिक्यूरिटी की स्थापना उस समय तक नहीं हो सकती है, जब तक कि भारत में रहने वाले हर नागरिक के दिल में यह अहसास पैदा नहीं हो जाए कि नैशनल सिक्योरिटी को मैनटेन करने में उसका बराबर का हिस्सा है, वह इसमें शरीक है, वह इसका हकदार है और इस काम को जब वह करेगा तब ही इस देश में नैशनल सिक्यूरिटी की मुकम्मल स्थापना हो सकेगी। मैं समझता हूं, सरकार इस बात पर ध्यान दे।

5.07 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

उपाध्यक्ष महोदय, अभी यहां दिल्ली के राइट्स और जोधपुर डिटेनीज के बारे में बात कही

गई। जोधपुर डिटैनीज और नवम्बर के फसाद के बारे में जो चर्चा यहां आई, उस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि अभी मध्य प्रदेश सरकार ने मायनॉरिटीज के बारे में ऐक कमेटी बनाई थी, जिसका अध्यक्ष मुझे बनाया गया था। मायनॉरिटीज की ग्रीवेंसेस का अध्ययन करने के लिए वह कमेटी बनाई गई थी। मैं जहां-जहां भी गया, वहां मुझसे सिक्ख समुदाय के लोगों ने एक ही सवाल पूछा कि 1984 के राइट्स में हमारी जो प्रॉपर्टी लूटी गई, हमारी जो हत्याएं की गईं, उनमें पुलिस आज तक एक आदमी को भी सजा नहीं दिला पाई है। हमारी प्रॉपर्टी जो लूटी गई, उसका एक परसेंट भी पुलिस आज तक रिकवर नहीं कर पाई है, उनको प्रॉसीक्यूट कर, चालान नहीं कर पाई है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, मेरा सर शर्म से झुक गया क्योंकि मेरे पास उनके इन प्रश्नों का कोई जवाब नहीं था। यह बड़ा महत्वपूर्ण मसला है, मैं चाहूंगा कि इस तरफ सरकार ध्यान दे और जो लोग वाकई इस फसाद में शरीक थे, उनके खिलाफ कड़ी-से-कड़ी कार्यवाही की जाए। इस बात को कहने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, यही बात मैं कहना चाहूंगा, जोधपुर डिटेनीज के बारे में। जिन लोगों के बारे में वाकई एंटीनैशनल एक्टीविटीज के सुबूत हैं और सीरियस एलीगेशन्स हैं, उनको आप कैद रखकर, बाकी के लोगों की दुबारा स्कूटनी कीजिए और यदि वाकई उसमें मासूम लोग गिरफ्तार हैं, तो उनको छोड़ दीजिए ताकि मुलक के अन्दर एक अच्छी फिजा बन सके। सिक्ख समुदाय एक अच्छी फिजा बनाने में हैल्प कर सकें। आज देश की जो बहुत बड़ी सिक्ख मायनॉरिटी है, जिसने बहुत बड़ी कुर्बानियां दी हैं, जिसका बहुत अच्छा इतिहास है, बड़े बलिदान उन्होंने देश के लिए किए हैं, वे इस सिक्यूरिटी को मैनटेन करने में, टैररिज्म को समाप्त करने में, देश की एकता और अखण्डता की सुरक्षा करने में सबसे आगे आये हैं। अब अगर उनको अपने खून का कतरा भी देश की सुरक्षा और रक्षा के लिए बहाना पड़ेगा तो वे उसमें भी पीछे नहीं रहेंगे।

अध्यक्ष महोदय, मुझे इस मौके पर और कुछ नहीं कहना है। मैं माननीय गृह मंत्री जी की खिदमत में कुछ शेर फैज अहमद फैज साहब को पेश करना चाहता हूं। आप चाहे कितने कानून और आर्डिनेंसेस लाएं, लेकिन अच्छी फिजा तब तक नहीं बन सकती है, जब तक लोगों के दिलों में मोहब्बत नहीं होगी, तब तक वह फिजा नहीं बन सकती है।

"आइए हाथ उठाएं हम भी
हम जिन्हें रस्म-ए-दुआ याद नहीं।

हम जिन्हें सोजे मोहब्बत के सिवा
कोई बुत कोई खुदा याद नहीं।

आइए अर्जे-ए-गुजारे में कि निगारे हस्ती
जहरे इपरोज में शीरिनी-ए-फरदा भर दे

वो जिन्हें ताबे गिरां वारिसे अय्याम नहीं
इनकी पलकों पै शबों रोज जो हलका कर दे

जिनकी आंखों को रुखे सुबह का भारा भी नहीं
उनकी रातों में कोई शम्मां मुनव्वर कर दे।"

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

5.17 म० प०

[अनुवाद]

श्री सैयद शाहबुद्दीन (किशनगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सांविधिक संकल्प का समर्थन करता हूं तथा सदन में इस विधेयक का विरोध करता हूं।

महोदय, प्रथम लोक सभा से ही हमने निवारक नजरबन्दी के प्रश्न पर चर्चा की है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, मौलिक अधिकार में कमी के खिलाफ इस सभा में उठाए गए प्रश्नों से यह सदन बराबर गूंजता रहा है। मेरे मित्र ने अनुच्छेद 22 का उल्लेख किया है। अनुच्छेद 22 में एक खंड है, परन्तु वह एक प्रतिबंधित खंड है। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता के सिद्धान्त की रक्षा नहीं करता है और इस सिद्धान्त की भी रक्षा नहीं करता कि बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया के किसी भी व्यक्ति को जेल नहीं भेजा जाएगा। महोदय, जब हम वर्तमान स्थिति की चर्चा करते हैं तो हमें यह बात अवश्य ध्यान में रखनी चाहिए कि मौलिक अधिकार हमारे, संविधान की आत्मा है और एक राष्ट्र के रूप में हम मानव अधिकारों की इसे विश्वव्यापी घोषणा से जुड़े हैं कि हमने अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदा पर हस्ताक्षर किये हैं। यह पहली बार जब इस गणतंत्र के इतिहास में राष्ट्रमण्डल हमारे मानव अधिकार के रिकार्ड की आलोचना कर रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका तथा गृह मन्त्री का ध्यान इस विषय पर उस रिपोर्ट की ओर दिलाना चाहता हूं जिसे एमनेसरी इंटरनेशनल ने अभी प्रकाशित किया है। यह हम सबों के लिए शर्म की बात है यही कारण है कि जब हम इस विधेयक को उठाते हैं तो हमें स्वतंत्रता के मामले में अधिक सावधान, अधिक सतर्क रहना पड़ता है, चाहे आप इसे निवारक नजरबंदी अधिनियम या आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम या राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम या आतंकवादी तथा विनाजन गतिविधि अधिनियम किसी भी नाम से पुकारें, सभी में एक समान तत्व है कि बिना न्यायिक प्रक्रिया के एक निश्चित अवधि तक सरकार जनता को उसकी स्वतंत्रता से वंचित रख सकती है। मुझे अभी सरकार के किसी सिद्धान्त या तर्क के बारे में पता नहीं लगा है कि इस अवधि को 3 महीने से बढ़ा कर 6 महीने क्यों किया जाना चाहिए। मैं इस बात की प्रशंसा कर सकता हूं कि ऐसी परिस्थिति हो सकती है, जिसमें निवारक नजरबंदी आवश्यक हो सकती है। परन्तु यदि सरकार उस समय समुचित बुद्धि का उपयोग करती है, जब वह जनता की व्यक्तिगत स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने का निर्णय लेती है जब राजनीतिक दल जानबूझ कर ऐसी करता है और मामने को राज्य स्तर या केन्द्र स्तर पर बदल देता है तो यह सोचने का प्रश्न ही नहीं उठता कि समीक्षा मंडल के समक्ष मामले को रखने के लिए 3 महीने का समय पर्याप्त नहीं होगा। इसमें 6 महीना क्यों लगे ? यह मैं नहीं समझा। यदि कोई प्रथम दृष्टि में कोई मामला है, यदि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता छीनने का कोई तर्क है, तो क्या तीन महीने समीक्षा बोर्ड के समक्ष मामला उठाने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि इस विषय को गृह मंत्री स्पष्ट करें। इसलिए किसी विशेष तथा आपवादी परिस्थितियों में जब सामान्य कानून प्रभावी नहीं होता, राज्य निवारक का सहारा लेता है, तथा मैं भी सहमत हूं कि कुछ अपवादी परिस्थितियों में उसे ऐसा करना पड़ता है। इसके बावजूद मैं उस राज्य से कुछ सतर्कता की आशा करता हूं जो एक प्रजातांत्रिक सिद्धांतों पर अमल करता है तथा भारतीय संविधान पर आस्था रखता है। महोदय, मैंने पाया है कि इस राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों पर किया जा रहा है, ट्रेड यूनियन आन्दोलन के खिलाफ किया जा रहा है, अल्पसंख्यकों जन कमजोर तबकों के खिलाफ किया जा रहा है। हमारे पास आंकड़े नहीं हैं, मैं चाहता हूं कि गृह मन्त्री सभा को विश्वास में लें

और हमे बताएं कि क्या यह सत्य है कि इस राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत अनेक ट्रेड यूनियन के नेताओं को जेल में बन्द कर दिया गया है, तथा उनकी आजादी तथा उनकी कानूनी गतिविधियां छीन ली गई हैं।

दूसरा प्रश्न, मैं अध्यादेश को लागू किए जाने के बारे में करना चाहता हूं। सभा की बैठक होने में कुछ सप्ताह बाकी थे। मैं चाहूंगा कि गृह मंत्री हमे यह बताएं कि वे क्या मजबूरियां थीं और इसकी ऐसी क्या आवश्यकता थी तथा 8 जुलाई, 1988 से 27 जुलाई, 1988 तक जब सदन की बैठक बुलाई गई, कितनी बार इस अध्यादेश का सहारा लिया गया।

मैंने इस अधिनियम को किस प्रकार कतिपय मामलों का विश्लेषण करने में प्रयोग किया गया। आपके समक्ष रखने का प्रयास किया था, परन्तु मैं यह स्वीकार करता हूं कि मैंने पाया है कि 1-4-87 तथा 1-4-88 के बीच बंदियों की संख्या में कमी हुई है। यह संख्या 1-4-1987 को 721 थी तथा 1-4-1988 को यह 619 थी। मैं इसका स्वागत करता हूं। परन्तु फिर भी कोई व्यक्ति इससे खुश नहीं हो सकता, 600 के लगभग लोग अपनी वैयक्तिक स्वतन्त्रता से वंचित है और उनके मामले भारत के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए जा रहे। मैं चाहता हूं कि कानून में उपबन्ध हो कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत निवारक नजरबंदी के प्रत्येक मामले में, मामले का सारांश संसद् के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। इससे कार्यकारी को ऐसे काले कानून को लागू करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा।

तथापि, मैंने देखा है कि चार राज्य ऐसे हैं जिनमें इस कानून का अधिकतम प्रयोग किया गया है। वास्तव में, कुल नजरबंद किए लोगों में से 90 प्रतिशत इन चार राज्यों में हैं। यह केवल पंजाब ही नहीं है। पंजाब में, विभिन्न परिस्थितियों में लोगों को बन्दी बनाया जाता है। परन्तु महाराष्ट्र के बारे में स्थिति क्या है? उत्तर प्रदेश में स्थिति क्या है? मध्य प्रदेश में क्या है? मैं यह नहीं समझ पा रहा कि देश में बन्दी बनाए जाने वाले लोगों में से 90 प्रतिशत इन चार राज्यों से क्यों बन्दी बनाए जाते हैं। इसके अवश्य ही कुछ विशेष कारण होंगे। मैं चाहता हूं कि मन्त्री महोदय सभा को विश्वास में लें और हमें बताएं कि ऐसा क्यों होता है।

मैं पंजाब की स्थिति के बारे में कुछ शब्द कहना चाहता हूं। वास्तव में, जब हम पंजाब की स्थिति की ओर देखते हैं, हमारे लिए यह बहुत ही शर्मनाक और दुःख की बात है कि स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। निश्चय ही स्थिति और भी खराब हुई है। वास्तव में, यह अध्यादेश और विधेयक सरकार की असफलता के स्पष्ट प्रमाण हैं। मूल अधिनियम में अन्तिम तिथि 8 जून, 1988 निश्चित की गई? यह तिथि इसलिए निर्धारित की गई क्योंकि शायद सरकार को यह आशा थी कि 8 जून, 1988 तक पंजाब की स्थिति सामान्य हो जाएगी और उसके बाद इस कठोर कानून का प्रयोग करना आवश्यक नहीं होगा। अब वह हमारे पास वापस आए हैं और इसकी अवधि बढ़ाना चाहते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सरकार की असफलता का स्पष्ट प्रमाण नहीं है।

प्रतिदिन हम समाचारपत्र खोलते हैं तथा खून तथा आंसूओं की कहानी पढ़ते हैं। मैं जानता हूं कि उग्रवाद एक विशाक्त राक्षस है। मैं मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि राजनैतिक समाधान के बिना इसे समाप्त नहीं किया जा सकता और मैंने देखा है कि राजनैतिक समाधान के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया गया। हमने इस सभा में समय-समय पर 1984 के दंगे के अपराधियों को दण्ड देने के प्रश्न का उल्लेख किया है। हमने बार-बार जोधपुर के कैदियों के बारे में उल्लेख किया है

जिनकी रिहाई तथा जांच के बारे में बहुत बार वादा किया गया है। हमने बार-बार दंगा पीड़ितों के पुर्नवास के बारे में बात की है। हमने स्वर्ण मन्दिर के प्रबन्ध मंडल को उचित व्यक्तियों को सौंपने की बात की है और हमने पंजाब समझौते के कार्यान्वन की प्रगति के बारे में बात की है। अब तक मैंने इसका कोई संकेत नहीं देखा। सरकार कहती है "पहले हम पूर्ण शान्ति सुनिश्चित करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे।" हमारा प्रश्न यह है "कि आप दोनों कार्य क्यों नहीं कर सकते? एक ही समय में एक साथ लोगों का विश्वास प्राप्त करें, उनमें शान्ति की भावना, मैत्री भाव की इच्छा, शान्तिपूर्ण वातावरण की लालसा उत्पन्न करें और आप देखेंगे कि पंजाब के लोग आपकी बातों का उत्तर देंगे।" इस बारे में मेरे मन में कोई शंका नहीं है। आपने जानबूझकर नेतृत्व की समस्या उत्पन्न की है। आप लोकतांत्रिक प्रक्रिया को तोड़ते मरोड़ते रहे। आपने एक प्रकार से राजनैतिक प्रक्रिया को समाप्त कर दिया है। आपने कहा है: हम किसके साथ बातचीत करें? एक-एक करके आपने सिक्ख नेतृत्व को समाप्त कर दिया है। जब आपने नरमपंथियों को समाप्त किया तो आप यह भूल गए कि नरमपंथियों की अगली पीढ़ी पिछली पीढ़ी की अपेक्षा अधिक उग्रवादी होगी। इस प्रकार यह कभी न समाप्त होने वाला चक्र है। इसी कारण उपाध्यक्ष महोदय मैंने सरकार, गृह मन्त्री जी से एक बार फिर अनुरोध करने का अवसर प्राप्त किया है कि उन्हे आतंकवाद का विरोध करने के लिए प्रत्येक संभव प्रभावी उपायों का प्रयोग करना चाहिए, इसके साथ ही उन्हें सहानुभूति तथा जिम्मेदारी की भावना से पंजाब में शान्ति स्थापित करने का भी प्रयास करना चाहिए तथा शान्तिपूर्ण राजनैतिक समाधान खोजने का प्रयास करना चाहिए। अन्यथा देश एक अन्धी गली के समान हो जाएगा।

मन्त्री महोदय ने यह विधेयक आतंकवाद के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से निपटने के लिए हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। हम जानते हैं कि सरकार ने एक वर्ष में क्या किया है। इसलिए इस बारे में मुझे बहुत उम्मीद नहीं है। वास्तव में, शायद वह फिर हमारे पास इस समय-सीमा को बढ़ाने के लिए दुबारा आएं। हम कुछ ठोस गारंटी चाहते हैं कि वह अनुमानित भविष्य के अनुरूप आशापूर्वक जो प्रक्रिया प्रारम्भ करेंगे उससे हमारी सहनशक्ति के रहते हुए शान्ति स्थापित हो जाएगी। मैं एक बार फिर आपको सुझाव देना चाहता हूं कि आपको लोगों की आन्तरिक देशभक्ति को प्रेरित करना चाहिए, सिक्ख समुदाय के राजनैतिक अथवा अन्य प्रतिनिधियों को बुलाएं उनसे बातचीत करें और भारत के लोगों का विश्वास प्राप्त करें और फिर आप देखेंगे कि कुछ समाधान मिल जायेगा।

महोदय, यहां एक प्रश्न विपक्ष के साथ परामर्श की प्रक्रिया के बारे में उठाया गया है। परामर्श अवश्य ही नेकनीयती से किया जाना चाहिए, परामर्श कभी भी सरकार की गलत नीतियों का एकतरफा समर्थन नहीं हो सकता। परामर्श सरकार द्वारा स्वयं अपने लिए तथा देश के लिए उत्पन्न की गई कठिनाइयों का समाधान खोजने का प्रयास करने के लिए अपनी पुरानी बातों को प्रकट करने का माध्यम नहीं हो सकता। विपक्ष भारत के इतिहास तथा भारत के लोगों के समक्ष जिम्मेदारी की भावना के कारण सरकार के लिए रबड़ की मोहर के रूप में कार्य नहीं कर सकता। हां, हम शांति की खोज के लिए आपके साथ हैं। हम इस राष्ट्र में ऐसे समाज के सृजन के लिए आपके साथ हैं जिसमें सारे धर्म, सभी लोग तथा सभी समुदाय भाग ले सकें। हम इस प्रक्रिया में आपके साथ हैं। परन्तु आप अपनी गलत नीतियों का समर्थन नहीं करा सकते जिससे अन्त में बार-बार में कठोर उपायों के आपके अध्यादेश के नवीकरण के लिए हमारे पास आना पड़ता है। इस कारण, मैं एक बार फिर इस विधेयक का विरोध करता हूं।

सरदार बूटा सिंह : आपको सकारात्मक बनना होगा। मुझे आशा है कि आप स्वीकार कर

लेंगे। यदि मैं आपके सुझाव को समझता हूं तो 'परामर्श द्वारा आप किसी दल की पुरानी बातों को उलगवाना नहीं चाहते परन्तु आप राष्ट्र का हित करना चाहते हैं। यह स्पष्ट हैं। क्या ऐसा नहीं है? कृपया यदि आप अपने दल द्वारा उठाए कदम की पुनरीक्षा करें, तो किसी भी स्तर पर इसे सकारात्मक नहीं कहा जा सकता। दुर्भाग्यवश, यह शुरू से ही नकारात्मक है।

श्री सैयद शाहबुद्दीन : जहां तक मेरे दल की नीतियों का सम्बन्ध है, हमारा रिकार्ड विश्व तथा भारत के लोगों के समक्ष है…(व्यवधान) इसलिए मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में और पांच मिनट का समय लेना चाहता हूं। परन्तु मैं यहां दल-नीति के अनुरूप नहीं बोल रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि परामर्श आवश्यक हो सकता है और जहां परामर्श करना आवश्यक होता है, परामर्श का स्वागत है परन्तु केवल रबड़ स्टेम्प के उद्देश्य अथवा आपके द्वारा पहले से निर्धारित नीतियों के समर्थन के लिए नहीं। महोदय, यह अवसर प्रदान करने के लिए आपका धन्यवाद।

सरदार बूटा सिंह : अब आपका दल भंग हो रहा है। यहां यह चर्चा करने का कोई लाभ नहीं है। परन्तु पंजाब और यहां दिल्ली में आपके द्वारा किए गए उपाय बिल्कुल नकारात्मक हैं।

[हिन्दी]

श्री के० डी० सुल्तानपुरी (शिमला) : उपाध्यक्ष महोदय, सरदार बूटा सिंह जी द्वारा चंडीगढ़ और पंजाब में उग्रवाद को खत्म करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में संशोधन करने के लिए जो विधेयक प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

सबसे पहली बात तो यह है कि उग्रवाद खास तौर पर पंजाब और चंडीगढ़ में है और यह इसलिए पैदा हो गया है कि पंजाब में जितने भी कालेज के स्टूडेंट्स थे, उनको ट्रेनिंग देने के लिए, जो सिक्ख समुदाय और दूसरे लोग थे उसको ट्रेनिंग देने के लिए कैम्प लगाए गए पंजाब में। शुरू-शुरू में बहुत ज्यादा उनको ट्रेनिंग देने का काम पाकिस्तान द्वारा किया गया था। जितना भी हमारा सीमा का क्षेत्र है, वहां ज्यादातर लोगों को ट्रेंड किया गया और उन्होंने पंजाब में बहुत ज्यादा नुकसान किया। नतीजे के तौर पर आपने देखा कि अमृतसर में जो हमारा पवित्र स्थान है, वहां आदमियों को मारकर गुरुद्वारे के अन्दर ही उनको दफना दिया गया। अब जैसे-जैसे उनको निकाला जा रहा है, उनके पिंजर निकल रहे हैं और सारा का सारा माहोल जो पंजाब का था, वह खराब हुआ। हमारा इलाका पंजाब में था और पेपसू के हम रहने वाले थे और सिक्ख भाई और हम लोग सब मिलकर काम करते थे। आजकल पंजाब में वह बात बिल्कुल खत्म हो गई है और आपस में जो प्यार था, वह दिन पर दिन खत्म हो रहा है। मैं देखता हूं कि उग्रवादिता की यहां पर बात चलती है और बड़े भारी ऊंचे-ऊंचे वायदे होते हैं और यह कहा जाता है कि विपक्ष से नहीं पूछा जाता और विपक्ष को साथ नहीं लिया जाता। इस बिल का थोड़ा-सा मकसद है कि तीन महीने के बजाय छः महीने अन्दर रहे और आप इस पर थोड़ा-सा विचार करें और कम-से-कम यह सोचें कि पंजाब में क्या हो रहा है। इनको पंजाब के बारे में पता नहीं है। विपक्ष का कोई आदमी पंजाब नहीं गया और यहां पर ये शोर करते हैं। न ये अमृतसर में जाते हैं और न पंजाब की और जगहों पर जाते हैं और इनको पता नहीं है कि पंजाब में क्या हो रहा है। जो पंजाब के नेता हैं, वे सिर्फ पंजाब की थ्योरी को एक्सप्लेन करते हैं इस हाऊस में। सबसे बड़ी बात जो पंजाब के अन्दर है, वह यह है कि पंजाब में उग्रवादिता को खत्म करना है। मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि हरियाणा हमारा पड़ोसी है और इधर हिमाचल प्रदेश से जम्मू व काश्मीर और पंजाब का एरिया गलत है, सारी की सारी सीमा लगती है और हम लोगों

को उसके बारे में पता है। पंजाब से होकर किन्नोर के अन्दर जो बस जाती है, उस पर पिछले दिनों हमला हुआ और वहां पर लोगों को गोलियों से मार दिया गया और इसी तरह से चंडीगढ़ में और और अभी हाल में पंचकुला में पांच आदमियों को मार दिया गया। इन लोगों को मालूम नहीं है कि वहां क्या हालात हैं और किस तरह से वहां उग्रवाद पनप रहा है। मैं सरदार बूटा सिंह जी को यह कहना चाहूंगा कि हमारे यहां जो इस काम के लिए फौज है, उसका पूरा खर्चा वे दें। हिमाचल प्रदेश अपनी सैक्यूरिटी के लिए उस पक पूरा खर्च नहीं कर सकता। जो हमारे यहां इंडस्ट्रियल एरिया है और वहां पर जो पंजाब के लोग इंडस्ट्री चलाते हैं, उसमें भी बीच में उग्रवादी घुस जाते हैं। पठानकोट में हमारी दो बसें थीं और इन्दोरा और ऊपर चम्बा को जो बस जा रही थी, दोनों में बम रख दिए और दोनों को उड़ाने की कोशिश की। उसमें भी आदमी मारे गये। मैं चम्बा से आ रहा था और मैंने देखा कि उग्रवाद बहुत ज्यादा फैल रहा है और आप कहते हैं कि यह जो बिल लाए हैं यह फिजूल का बिल है और इससे लोगों की सारी आजादी खत्म हो जाएगी। मैं आपसे पूछता हूं कि किस तरह से आप इन्तजाम करना चाहते हैं। कोई सुझाव है आपके पास, जिससे आप इन्तजाम कर सकें। क्या लाठी से, बाहर से जो बन्दूकें आती हैं, उनका मुकाबला कर सकेंगे। कोई नहीं कर सकता। मैं यह कहता हूं कि यह बिल बहुत अच्छा है और यह जो एमेंडमेंट है, यह होना चाहिए क्योंकि अगर आप यह एमेंडमेंट नहीं होने देगें और बिना मतलब इसको अपोज़ करेंगे, तो इससे राष्ट्र का कोई फायदा नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि चंडीगढ़ और पंजाब को खुशहाल करने के लिए यह जरूरी है कि उनसे भी बात कर ली जाए जो बेगुनाह फंस गए हैं, उनको छुडाने के लिए इन्तजाम हो लेकिन ऐसे बेगुनाह नहीं, जिनके लिए आप यहां कहते हैं कि मुकदमा न किया जाए और उनको ऐसे ही छोड़ दिया जाए और कह दिया जाए कि तुम घर जाओ और आराम करो और गरीब आदमी का शोषण हो। हमारी सबसे बड़ी प्रार्थना भारत सरकार से यह है कि हिमाचल प्रदेश के लिए और काश्मीर में जम्मू का एरिया है, उसके लिए एक पूरी पल्टन कम-से कम एक एक हजार पुलिस वालों की मंजूर करें ताकि एक बस में कम-से-कम एक बन्दूक वाला तो हम भेज सकें वरना उग्रवादी चुपके से आते हैं और लोगों को मार जाते हैं। न वह यह देखते हैं कि इसमें बच्चे बैठे हैं और न यह देखते हैं कि इसमें लेडीज बैठी हैं। इस तरह की कोई भी भावना उनमें नहीं है, राष्ट्र के हित की कोई भावना उनमें नहीं है। वे चुपके से बम रख देते हैं और भाग जाते हैं। उन्होंने बहुत सारी चिट्ठी लिखीं, यहां तक कि सरदार बूटा सिंह जी को भी चिट्ठी लिखी और हमारे प्रधान मंत्री जी को भी चिट्ठी लिखी, जिसका जिक्र इस हाऊस में आया था और गुरमुखी में वह छपी हुई थी। मैं समझता हूं कि ऐसे हालात पैदा किए जा रहे हैं जिनसे उग्रवादिता ज्यादा बढ़े। इसको खत्म करने के लिए यही तरीका है और यह जो बिल लाया जा रहा है, उसमें थोड़ा-सा एमेंडमेट है कि तीन महीने के बजाय छः महीने कर दिया जाए। मगर असली काम जो करने का है वह यह है कि इस बिल से जो कानून बन रहा है उसको ठीक से इम्प्लीमेंट किया जाए।

चण्डीगढ़ की बात की जाती है। उसमें तो हिमाचल वाले भी साझीदार थे। हिमाचल वालों ने वहां पंचायत भवन बनाया। मैं जिला परिषद् का 1963 से लेकर 1972 तक अध्यक्ष भी रहा हूं। उसमें हमारा भी योगदान है। हिमाचल में पंजाब का कांगड़े का इलाका भी शामिल है। लेकिन कभी हमारे यहां बदअमनी नहीं फैली जिस तरह आज पंजाब मे हो रहा है।

मैं विपक्ष के लोगों से भी कहना चाहूंगा क्योंकि उनमें भी बहुत अच्छे बोलने वाले लोग हैं, समझदार लोग हैं कि वे अपनी तकरीरें उस तरफ भी ले जाएं। पंजाब में हमारी पार्टी के भी आदमी मरे हैं, आपकी पार्टी के भी आदमी मरे हैं लेकिन कई पार्टियां ऐसी हैं जिनका कोई आदमी नहीं मरा।

वे यह भी नहीं जानते कि आज पंजाब में क्या हालत है। वहां लोंगोवाल साहब को मारा गया। उनसे हमारे प्रधान मंत्री जी ने समझौता किया। उस समझौते से हमें कोई इंकारी नहीं है न उसको इम्पलीमेंट करने के लिए हमने कोई कसर छोड़ी है। लेकिन उन लोगों में कोई इम्पलीमेंट करने वाला ही न हो तो हम क्या कर सकते हैं। वहां कोई नहीं है जो अपने आप फैसला कर सके। यहां तक कि बरनाला साहब से उन्होंने जूते साफ कराए। उनको सजा दी, वहां बिठाये रखा। वे लोग अपने मुख्य मन्त्री तक को इस प्रकार की सजा दे सकते हैं। इस तरह की सजा देने वाले लोग राज्य के अन्दर क्या विश्वास पैदा कर सकते हैं। हमने वहां डेमोक्रेटिक तरीके से चुनाव कराये और उनको गवर्नमेंट दे दी। फिर भी वे हमारी खिलाफी करते हैं। इसमें हमारा कुसूर क्या है?

अब सात पार्टियां एक बन गयी हैं। यहां जो उनके लोग बैठे इन्होंने कोई कुर्बानी नहीं की है। हमारी कांग्रेस वालों ने बहुत कुर्बानी की है। हमारी पार्टी ने यह सही प्रस्ताव पेश किया है। इसका जो विरोध करता है मैं उसकी निंदा करता हूं। शाहबुद्दीन साहब ने बहुत ऊंचे शब्दों में कहा यह नहीं करना चाहिए। सरकार की सही मंशा है, वह किसी को बिना किसी कारण के जेल में नहीं डालना चाहती है। मैं यही कहकर इस बिल का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री अताउर्रहमान (बारपेटा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सभा में इस विधेयक का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं क्योंकि मैं यह महसूस करता हूं अधिनियम, अध्यादेश तथा अधिक कानूनी शक्तियां हमारी समस्या को हल करने वाली नहीं हैं।

हमारे देश में इस प्रकार के काफी काले कानून हैं तथा इन कानूनों के प्रचलन के कारण हमें विभिन्न समुदायों की आलोचना का सामना करना पड़ा रहा है। यहां तक कि एमनेस्टी इन्टरनेशनल नामक संस्था ने हमारे देश की सख्त आलोचना की है। हमें अपने प्रजातन्त्र पर गर्व है, हमें अपनी परम्परा पर गर्व है तथा हमें ऐसे कानूनों को लाने का प्रयास नहीं करना चाहिए जिनकी प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा पहले इस सभा में आलोचना की जाती रही है।

इसका अर्थ यह है कि हम असहाय हैं। पंजाब के कानून तथा व्यवस्था अधिकारी असहाय हैं तथा वे इसीलिए और अधिक शक्तियां चाहते हैं। यदि नजरबंदी को तीन माह से छः माह कर दिया जाएगा तो इससे क्या अन्तर पड़ जाएगा? जैसा कि पिछले वक्ताओं ने कहा है कि एक वर्ष के बाद सम्भवतया वे इस अवधि को एक वर्ष तक बढ़ाने की कोशिश करेंगे। यह कोई समाधान नहीं है।

जैसा कि हम देख सकते हैं कि पंजाब की समस्या एक राजनीतिक समस्या है। हमने उत्तरी-पूर्वी प्रांतों में अनेकों विद्रोहों का सामना किया है - उदाहरण के लिए नागा समस्या को हल करने में दस वर्ष लगे, मिजो समस्या को हल करने में बीस वर्ष लगे...तथा वहां लोगों को नजरबंद किया गया, किन्तु ये नजरबंदियां समस्या का समाधान नहीं कर सकीं। हमारे नेताओं को उन लोगों के पास बातचीत करने के लिए जाना पड़ा, जिन लोगों को नजरबंद किया गया था। इससे यह प्रमाणित होता है कि पंजाब समस्या एक राजनीतिक समस्या है तथा इसको राजनीतिक तौर पर ही हल किया जाना चाहिए। हम पुनः नजरबंदी की बात करते हैं। जब पिछले समय में कांग्रेसियों को नजरबंद किया गया था तो क्या उससे समस्या हल हुई थी अथवा जब कम्यूनिस्टों को नजरबंद किया गया था तो क्या उससे समस्या हल हुई थी? पंजाब की समस्या राजनीतिक समस्या के रूप में हल की जानी है। इंग्लैंड ने फ्रांस तथा जर्मनी के साथ संघर्ष किया। जापान ने चीन के साथ संघर्ष किया किन्तु सारे

संघर्ष के बाद उनको प्रतिपक्ष के साथ समझौता करना पड़ा। यदि हम यह सोचते हैं कि पाकिस्तान मदद कर रहा है—जो कि उपलब्ध साक्ष्यों से प्रमाणित है—तो क्या हम अधिक व्यावहारिक दृष्टिकोण नहीं अपना सकते, हम उनके साथ कार्य संचालन सम्बन्धी व्यवस्था स्थापित क्यों नहीं कर सकते है ? मैं ऐसा कहने में स्वयं को निर्भीक महसूस करता हूं क्योंकि हमारी सभी समस्याएं पाकिस्तान से उत्पन्न हो रही हैं। अगर पाकिस्तान से मदद नहीं मिली होती तो सिक्ख समस्या उत्पन्न नहीं हुई होती। अतः, यदि पाकिस्तान पंजाब के आतंकवादियों की मदद कर रहा है तो इस बारे में हम क्या कर रहे हैं ? क्या हम अपने कूटनीतिक उपायों में कामयाब हैं ? नहीं हम कामयाब नहीं हैं। वहां स्थित हमारे उच्चायुक्त अथवा विदेश मंत्रालय इस सम्बन्ध में कुछ अधिक करने में सक्षम नहीं रहे हैं। मैं यह सुझाव देता हूं कि हमें पंजाब के विपक्षी दलों अर्थात् छात्रों तथा लोकप्रिय नेताओं के स्तर पर बातचीत शुरू करनी चाहिए। कल प्रधान मंत्री ने लाल किले से दिए गए अपने भाषण में कहा कि अब पंजाब के लोग सहयोग कर रहे हैं। यदि वे सहयोग कर रहे हैं तो आप उनके साथ बातचीत क्यों नहीं करते ; हम जब तक उनके ब्रिटेन, कनाड़ा तथा अमेरिका स्थित सम्पर्कों के साथ बातचीत नहीं करेंगे तब तक पंजाब में बातचीत से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होने वाला है। इस सम्बन्ध में हमारे डिप्लोमेटिक मिशन क्या कर रहे हैं ? मेरे कहने का सही अर्थ यह है कि हमें देश में तथा देश के बाहर बातचीत के लिए शुरूआत करनी चाहिए ताकि जब हम इन लोगों के साथ समझौता कर लेते हैं तो मेरा विचार है कि हम पाकिस्तान के विरुद्ध निश्चयपूर्वक ठोस कार्यवाही कर सकते हैं। वहां शस्त्रों की आपूर्ति के स्रोत निश्चित रूप से हैं। अब अफगानिस्तान में प्रयोग किए जा रहे हथियार इन रास्तों से भारत को आयेंगे। आप सभी सीमाओं को बंद नहीं कर सकते है। आप पंजाब की सीमाओं को बंद कर सकते हैं किन्तु राजस्थान तथा कश्मीर की सीमाओं का क्या करेंगे। सभी सीमाओं को बंद करना सम्भव नहीं है। अतः, मेरा पुरजोर अनुरोध है कि पंजाब के लोगों के साथ कोई बातचीत शुरू की जाए तथा तभी हम इस सम्बन्ध में आगे प्रगति कर सकते हैं, अन्यथा पंजाब समस्या का समाधान होने की कोई सम्भावना नहीं है। यह समस्या बनी रहेगी। नागा-समस्या दस वर्ष तक रही। मिजो-समस्या बीस वर्ष तक रही। यह समस्या 20-30 वर्ष तक रहेगी। हम इतने समय तक इन्तजार नहीं कर सकते। बातचीत शुरू की जानी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : नेशनल सिक्योरिटी एक्ट संशोधन, 1988 जो सदन में प्रस्तुत किया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। जो संशोधन है, वह क्लाज 2 में दिया गया है और क्लाज 2 में सब-सेक्सन 14(क)

[अनुवाद]

"8 जून, 1988" अंको, अक्षरों तथा शब्दों के स्थान पर "8 जून, 1989" प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[हिन्दी]

कहने का अर्थ यह है कि जो सेक्शन 14-ए पहले पारित किया था, उसमें हमें एक साल के लिए और बढ़ाने के लिए यह संशोधन लाने की आवश्यकता हुई। यह इसलिए प्रस्तुत किया है कि अभी भी पंजाब में जो स्थिति है उस स्थिति को हम अभी भी उस शिखर तक नहीं ला सके, जिससे वहां शान्ति स्थापित हो सके। वहां पर अभी भी कानून और व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है, हम अभी भी आतंक-

वादियों को और उनकी कार्यवाहियों को पूरी तरह से काबू नहीं कर पाये हैं। इसलिए हमारे सामने प्रश्न है कि आतंकवादी कार्यवाहियों पर हम कैसे काबू पायें। उसके लिए हमार केन्द्रीय सरकार बराबर कोशिश कर रही है। अभी भी इसी सत्र में जो भी विधेयक हमने पारित किये हैं, चाहे आर्म्स अमेंडमैंट हो या धार्मिक संस्थाओं में राजनीति का दुरुपयोग न हो और अभी यह जो बिल प्रस्तुत हुआ है, यह सभी विधेयक इसी दृष्टिकोण से लाये हैं और ला रहे हैं कि हम पंजाब में आतंकवादियों की गतिविधियों पर किस प्रकार काबू पायें, वहां किस प्रकार शांति स्थापित करें। अभी एक माननीय सदस्य ने यह कहा था कि जिन आतंकवादियों को पाकिस्तान में जिस जगह ट्रेनिंग दी जाती है, उन जगहों पर आक्रमण कर दें, ऐसी भूल हमें नहीं करनी चाहिए। वह तो एक स्पष्टरूप से पाकिस्तान के साथ युद्ध हो जायेगा, यह हमें नहीं करना है। परन्तु हमें अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से इस प्रकार से पाकिस्तान को बताना चाहिए कि उसकी गतिविधियां ठीक नहीं हैं। वह अप्रत्यक्ष रूप से ऐसी स्थिति पैदा कर रहा है, युद्ध की स्थिति पैदा कर रहा है और इसके लिए हमें कोई-न-कोई किसी प्रकार का डायलॉग पाकिस्तान से करना चाहिए, बातचीत हम कर रहे हैं, लेकिन उसका परिणाम नहीं निकला है। इसलिए हमें और कोशिश करनी चाहिए जिससे इस मसले को हल किया जा सके। प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में जो नेशनल सिक्योरिटी का कानून है, वह आर्टिकल 22 के अन्तर्गत 2-बी के अन्तर्गत स्पष्ट किया गया है और यह बहुत आवश्यक और जरूरी है, क्योंकि जो प्रजातांत्रिक देश हैं, उनके अन्दर जब देश की सुरक्षा पर खतरा पैदा हो जाता है, कानून और व्यवस्था इस प्रकार की बिगड़ जाती है, जिसको काबू करना मुश्किल हो जाता है, तब नेशनल सिक्योरिटी ऐक्ट को प्रयास में लाना आवश्यक हो जाता है। जिस प्रकार महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में इनमें भी नेशनल सिक्योरिटी ऐक्ट को लागू किया है, जैसा कि विरोधी पक्ष से बात आई तो हमें इस प्रकार इन प्रदेशों में जहां इस प्रकार की स्थिति नहीं है और राजनीतिक उद्देश्य के लिए नेशनल सिक्योरिटी ऐक्ट को लागू नहीं करना चाहिए क्योंकि यह उनकी स्वतंत्रता पर हस्तक्षेप है। किसी की स्वतंत्रता पर कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, किसी की फ्रीडम को नहीं छीना जाना चाहिए। हमें इस कानून का उपयोग पोलिटिकल परपजेज के लिए भी नहीं करना चाहिए, यह भी आप सुनिश्चित करें। आपने हमें ऐसा विश्वास पहले ही दिया है। इसलिए मैं होम मिनिस्ट्री से आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि जिन राज्यों में ऐसे कानूनों का दुरुपयोग किया जाता है, जो राज्य ऐसे कानूनों का अपने हित में प्रयोग करती हैं, पोलिटिकल परपेजज के लिए करती हैं, नेशनल सिक्योरिटी ऐक्ट जैसे महत्वपूर्ण कानून का दुरुपयोग करती हैं, उन्हें रोका जाए। पंजाब की समस्या हल करने के लिए हमारी सरकार आज से नहीं, बहुत पहले से प्रयत्न कर रही है, हमने काफी आतंकवादियों को अरैस्ट किया है, आतंकवादियों का मुकाबला करके उन्हें शूट भी किया गया है, परन्तु अभी वहां ऐसी स्थिति नहीं आई हैं, जिसमें पंजाब के अन्दर प्रजातांत्रिक तरीके से सरकार का गठन किया जाए। अब समस्या यह है कि हम बातचीत किससे करें, किस नेता से बातचीत करें। हमने तो पंजाब में प्रजातांत्रिक तरीके से सरकार के गठन का पहले भी प्रयास किया था, कोशिश की थी और हमारी सरकार इस दिशा में बराबर प्रयत्नशील है, परन्तु बात किससे की जाए। पंजाब में कोई भी ऐसा नेता नहीं, जिससे बातचीत करके इस समस्या का हल निकाला जाए। अभी वह स्थिति नहीं आई है। जिस दिन पंजाब में वैसी परिस्थितियां बन जायेंगी . . .

श्री हरीश रावत (अलमोड़ा) : उपाध्यक्ष जी, सदन में रामूवालिया जी दिखाई नहीं दे रहे हैं।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : रामूवालिया जी में वह ताकत या दम नहीं है कि उनसे बातचीत की जा

सके और पंजाब समस्या को हल किया जा सके। स्वयं रामूवालिया जी का वैसा प्रभाव पंजाब मे नहीं है और न इनके नेता का है। उनके पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : अगर मेरे अख्तयार में होता तो आज तक सब कुछ हो जाता।

श्री हरीश रावत : आपने तो बिल्कुल ही हाथ खड़े कर दिये।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : इन हालात में हमारे सामने इसके अलावा कोई दूसरा चारा या आल्टर-नेटिव नहीं है कि हम आतंकवादियों को समाप्त करें और उन्हें समाप्त करने में अपनी पूरी शक्ति लगा दें। मैं जानता हूं, हमारी केन्द्रीय सरकार ने इस कार्य में अपनी पूरी शक्ति लगा दी है और मुझे पूरा विश्वास है कि शीघ्र ही कोई-न-कोई रास्ता शान्ति का निकल आयेगा और हमारी सरकार बातचीत करके इस समस्या को भी हल कर देगी। उसके बाद पंजाब में प्रजातांत्रिक तरीके से सरकार गठित कर दी जाएगी। जैसे हमने असम समस्या हल कर दी, मिजोरम समस्या का हल निकाल लिया, दार्जिलिंग समस्या को हल कर दिया, वैसे ही हमें पूर्ण विश्वास है कि हमने जो 8 जून, 1989 की डेट निश्चित की है, उससे पहले ही पंजाब समस्या भी हल हो जाएगी और पंजाब में शान्ति स्थापित हो जाएगी तथा प्रजातांत्रिक तरीके से सरकार का गठन हो जाएगा।

[अनुवाद]

श्री पीयूष तिरकी : महोदय, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1988 में इस संशोधन का मैं विरोध करता हूं। सरकार पंजाब की जनता का विश्वास प्राप्त करने में असफल रही है। एक कमजोर व्यक्ति अथवा एक कमजोर सरकार कई शक्तियों से रोगग्रस्त है। वहां पहले ही आपात तथा सभी अन्य कानून और पुलिस शक्ति मौजूद हैं। इन सब चीजों को कौन लागू करेगा? हम यह बात पहले ही जानते हैं कि पुलिस के एक वर्ग ने त्रिपुरा में महिलाओं के साथ बलात्कार किया है। वहां पुलिस का एक वर्ग था। वहां कानून का पालन करने वाले लोगों का भारी शोषण होगा। दरवाजे पर ताला मित्रों के लिए लगाया जाता है; न कि चोरों और डाकुओं के लिए। इसलिए राष्ट्रीय सुरक्षा अधि-नियम में आप जो यह संशोधन कर रहे हैं, वह उन लोगों के लिए नहीं है जो इस कार्य में सक्रिय हैं अथवा उनके लिए नहीं है, जो वास्तव में उग्रवादी हैं। वे बड़े-बड़े विशिष्ट व्यक्तियों के मित्र हैं। उन्हें कहीं-न-कहीं आश्रय दे दिया जाएगा। इसलिए कई महीने बीत गए हैं, कई वर्ष बीत भी चुके हैं और यद्यपि आप सभी प्रकार के कानून बनाते आ रहे हैं, फिर भी, उग्रवाद बढ़ रहा है तथा और भी ज्यादा शोषण हो रहा है। हमें उस पुलिस में कैसे विश्वास हो सकता है, जो कई अपराध तथा अत्याचार करने के लिए खुद जिम्मेदार है? इस संशोधन के अन्तर्गत भी आप पुलिस को अधिक शक्तियां देने जा रहे हैं। कानून का पालन करने वाले लोगों का और अधिक शोषण किया जाएगा। यदि किसी व्यक्ति का कोई सम्बन्धी पुलिस में है तो वह भोले-भाले व्यक्तियों का शोषण करेगा। यदि मैं किसी पुलिसमैन अथवा पुलिस अधिकारी का जमाई अथवा साला हूं, तो मैं लोगों का शोषण करूंगा और धन ऐंठूंगा क्योंकि लोग मुझसे डरेंगे। पंजाब में यही सब तो हो रहा है। भगवान के नाम पर पंजाब के वीर लोगों को इस ढंग से परेशान न करें। कोई भी व्यक्ति जिसका पुलिस के साथ कोई सम्बन्ध है, वह यह कहेगा, "यदि आप मुझे इतना धन नहीं देंगे तो कल आप अपने आपको जेल में पाओगे।" इस प्रकार कानून का पालन करने वाले लोगों को भय के मनोरोग के कारण ऐसी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। बदमाश लोगों को पुलिस द्वारा शरण दे दी जाएगी और वे बदमाश लोग कानून का पालन करने वाले लोगों का शोषण करेंगे।

कृपया इस बात पर विचार कीजिए। पंजाब ऐसा राज्य नहीं है, जैसा कि आप सोचते हैं। वहां बहादुर लोग रहते हैं। वे डरते नहीं हैं। उन्हें विश्वास में लिया जाना चाहिए और केवल तभी यह समस्या सुलझ सकेगी, काफी संख्या में कानून बनाने से नहीं। केवल पंजाब के लोग ही इस समस्या को सुलझा सकते हैं, दूसरा और कोई नहीं। भारी संख्या में अध्यादेश जारी करने, संशोधनों और सभी प्रकार के कानून बनाने से वहां कोई फायदा नहीं होगा। वे सब बेकार रहेंगे। यह मात्र लोगों को मूर्ख बनाने वाली बात है कि आप यह संशोधन ला रहे हैं। चुनाव आ रहे हैं और आप सभी बातों को राजनीति का रंग देना चाहते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इससे कोई काम नहीं होगा। आप बिहार जैसे राज्य में भी ऐसे दांव-पेंच चला रहे हैं। आप लोगों को अपने कब्जे में रखने के लिए उने पर दबाव डाले रखना चाहते हैं। यदि मुसलमान आपको छोड़ देते हैं, तो उन्हें मार दिया जाएगा, यदि आदिवासी ऐसा करते हैं, तो उन पर अत्याचार किए जाएंगे। यदि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोग आपको छोड़ देते हैं तो उन्हें परेशान किया जाएगा। यदि ये सभी लोग आपके कब्जे में बने रहते हैं, तो सब ठीक है। हरेक व्यक्ति यह बात समझता है कि अब तक कांग्रेस सहकार क्या रही है। यह संशोधनकारी विधेयक देश के हित में काम नहीं करेगा परन्तु केवल आपके हितों को ही पूरा करेगा।

[हिन्दी]

श्री योगेश्वर प्रसाद योगेश (चतरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नेशनल सिक्योरिटी अमेंडमेंट बिल, 1988 का समर्थन करता हूं। आतंकवादियों पर सही कानूनी पकड़ न होने के कारण जो यह संशोधन लाया गया है, वह बहुत माकूल है और इस संशोधन के बाद में आतंकवादियों को पकड़ने और आवश्यक असर डालने में सरकार को सुविधा हो जाएगी।

उपाध्यक्ष महोदय, यह पंजाब का आतंकवाद न केवल पंजाब में बल्कि इसकी वजह से देश के दूसरे भागों में जो उग्रवादी हैं, उनको भी इससे प्रेरणा मिल रही है और उनको भी उकसावा मिल रहा है। इसलिए पंजाब का यह जो मसला है, इसको बड़े टैक्टफुली बहुत सुलझे हुए ढंग से सुलझाने की जरूरत है। हमारे विरोधी पार्टी के लोगों ने बहुत ही निराशावादी शब्दों में इसका विरोध किया है। मैं तो यह कहूंगा कि यह अप्रत्यक्ष रूप से आज देश के अन्दर आतंक फैला रहे हैं और अशांति का वातावरण पैदा कर रहे हैं और विघटनकारी ताकतों को जो ताकत मिल रही है, उसमें वे अपनी पूरी भूमिका निभा रहे हैं। वे किसी-न-किसी तरह से मामले को उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। जब कभी संशोधन लाने का मामला आया और जब कभी अच्छे इरादे से कुछ प्रस्ताव लाये गये हैं तो हमारे विरोधी दल ने उसका डटकर विरोध किया है। जब मामला काफी कठिनाइयों में उलझ जाता है, तब ये कहते हैं कि हम आपका साथ दे रहे हैं, आप क्यों नहीं ले रहे हैं।

अभी हमारे बासुदेव आचार्य जी बरनाला सरकार की काफी तारीफ कर रहे थे। मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि वह कांग्रेस की बैसाखी पर टंगे थे। मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि जब उन्हीं की सरकार थी तो वह अपने नेता संत लोंगोवाल जी के हत्यारों के पकड़ नहीं पाये तो क्या उन्हें उस समय और आज के समय में कोई फर्क मालूम नहीं हो रहा है। जब से राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है, तब से बड़े-बड़े आतंकवादी (व्यवधान)

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : आपको इस संबंध में पूरी सूचना नहीं है। आप बहुत अच्छे

बकता हैं । मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि वे पकड़े गये और जिस दिन लोंगोवाल जी के हत्यारे पकड़े गये उसी दिन बरनाला गवर्नमेंट डिसमिस हुई ।

श्री योगेश्वर प्रसाद योगेश : गोल्डन टैम्पल में जूता साफ करके क्या उन्होंने फिर से उग्रवादियों को बुलावा नहीं दिया । उसको बसाने का श्रेय उनको ही जाता है । जो बड़े-बड़े आतंकवादी थे और जो बसों से लोगों का उतार कर स्टेनगन से भून दिया करते थे अब वही आतंकवादी चोरों की तरह वारदात कर रहे हैं । अब उनकी हिम्मत नहीं है । जितने बड़े-बड़े आतंकवादी थे, उनकी हत्या हो गई है । पुलिस ने उनको मारा और जनता के सामने इसको कंडैम किया । आज पंजाब में जो वातावरण है वह बिल्कुल सरकार के पक्ष में है । सरकार ने इस संबंध में जो ऐक्शन लिया है, उसमें उसे जनता का काफी सहयोग मिला है । आज सरकार और नेता सब मिल कर आतंकवादियों का मुकाबला कर रहे हैं । मैं तो इस बारे में यह कहना चाहूंगा कि वहां के लोगों ने भी उनकी हत्या की है । यह बहुत बड़ा परिवर्तन आया है । सरकार की इन उपलब्धियों की तरफ हमारे विरोधी पार्टी वालों का अवश्य ध्यान जाना चाहिए ।

इस देश में हिन्दुओं और मुसलमानों के दंगे हजारों बार हुए । पहले विदेशी ताकतें पाकिस्तान के विल में घुस कर इस प्रकार की वारदातें कराती थीं । उनका पहले यह अन्दाज था कि हिन्दू और मुसलमान देश में आतंक पैदा करेंगे और फिर पाकिस्तान जैसा वातावरण यहां पैदा हो जायेगा । लेकिन खुशी की बात है कि हजारों बार हिन्दुओं और मुसलमानों की टक्कर होने के बावजूद, लड़ाई होने के बावजूद देश के अन्दर बंटवारे का वातावरण पैदा नहीं हुआ । हिन्दुओं और मुसलमानों ने इस संघर्ष का डटकर मुकाबला किया । उन्होंने एक ऐसा वातावरण पैदा किया जिससे कि उनके इरादे खत्म हो गये । 1965 में जब पाकिस्तान की हार हुई थी तो जनरल अयूब ने इस बात की घोषणा की थी कि हिन्दुस्तान में सिख लोगों को उचित स्थान नहीं मिला है और उनको प्रतिष्ठा के मुताबिक स्थान नहीं मिल रहा है । उस वक्त यह अकस्मात घटना नहीं घटी । पंजाब में पाकिस्तान और उसके पीछे पूंजीवादी शक्ति अमेरिका बैठा है, उसने हमारे शहजादों को बरगला कर उन्हें स्मगलिंग के लिए प्रेरित किया और पाकिस्तान के बार्डर से उन्हें आने-जाने की छूट मिली । इससे इनकी ताकत बढ़ती गई । मेरा यह कहना है कि इसमें आम आदमी का कोई भी इनवाल्वमेंट नहीं था ।

सी० पी० एम० वाले जो यहां बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, उन्हें मैं यह बतलाना चाहता हूं कि हमारे नेता श्री राजीव गांधी जी ने ही त्रिपुरा में एक समझौता किया और वहां एक शांति का वातावरण पैदा किया । नागालैंड में हमारे नेता ने जो उपलब्धि प्राप्त की है, वह अकेले हमारे नेता की वजह से है । इस सबके बावजूद आपने उसका विरोध किया और टांग खींचने की कोशिश की । इसी प्रकार पंजाब में जो उन्होंने वातावरण पैदा किया और नागालैंड में जो समझौता किया वह भी एक स्वागत योग्य कदम है । इसमें हमारे होम मिनिस्टर ने जो भूमिका अदा की वह सराहनीय है । यह सब होने के बावजूद भी हमारे विरोधी दल के लोग कांग्रेस की टांग खींचने की कोशिश में हैं । ये सारी भूमिकायें अदा करने के बावजूद हमारी अनेक उपलब्धियां हैं । अभी हमारे कुछ साथी कह रहे थे कि देश के अन्दर अपोजीशन को कान्फीडेंस में नहीं लिया जाता है । जब अपोजीशन को कान्फीडेंस में लेने की कोशिश की जाती है तो इनका मुंह पूरब के बजाय पश्चिम की ओर घूम जाता है । ये हर बार कुछ-न-कुछ बहाना लगाकर अलग हट जाते हैं । यह जानते हैं कि कांग्रेस की उपलब्धियां यदि हमारे सहयोग से मिल जायेंगी, देश में अमन और चैन कायम हो जायेगा तो फिर कांग्रेस को पराजित नहीं कर सकते हैं, इन्हें इस बात का बहुत बड़ा भय है ।

अभी हमारी जो उपलब्धियां हुई हैं, ये हमारी अकेले की उपलब्धियां हैं और इसमें किसी का सहयोग नहीं है। अगर आप सहयोग देना चाहते हैं, तो हम सहयोग लेंगे। हमारी सरकार आपसे सहयोग लेगी, आप सहयोग देंगे तो हम लोग आपके साथ सहयोग करेंगे।

5.591/2 म० प०

[अनुवाद]

कार्य मन्त्रणा समिति

57वां प्रतिवेदन

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय में उपमन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० नामग्याल) : मैं श्री एच० के० एल० भगत की ओर से, कार्य मन्त्रणा समिति का सत्तावनवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

6.00 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 17 अगस्त, 1988/26 श्रावण, 1910 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

चौधरी मुद्रण केन्द्र, 12/3, श्रीराम मार्ग, मौजपुर, दिल्ली-53